र्दश माला, खंड 10, अंक 34

सोमवार, 9 मई, 2005
19 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

...ttes & Debates Unit
...ament Library Building
Room ... -025
...'G'
Acc. No........58.........
Dated........3/2/06........

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 34, सोमवार, 9 मई, 2005/19 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	
तथा	
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 60वीं वर्षगांठ का उल्लेख	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 601 से 604	4–45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 605 से 620	45–106
अतारांकित प्रश्न संख्या 6348 से 6577	105–553
सभा पटल पर रखे गए पत्र	553–558, 571
राज्यसभा से संदेश	558
तथा	
राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक	558
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-VII को अंतिम रूप नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	560–585
श्री बसुदेव आचार्य	560, 562–565
डा. दासरि नारायण राव	561–562, 568–569
श्री शैलेन्द्र कुमार	566
श्री सुरवरम सुधारकर रेड्डी	566
श्री जी. वेंकटस्वामी	567–568
नियम 377 के अधीन मामले	581
(एक) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेव की उपज को बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	585–586
(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय क्षेत्र में एफ. एम. कार्यक्रमों का प्रसारण शीघ्र आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. ठुम्मर	586

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल 587

(चार) तमिलनाडु में डींडीगुल से होकर मदुरई और चेन्नई के बीच द्रुत सवारी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 587–588

(पांच) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू के विपणन हेतु अतिरिक्त नीलामी-प्लेटफार्म की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी 588

(छह) केरल के कोल्लम जिले में सुनामी से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए उपयुक्त उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 588–589

(सात) रेलवे की नई खान-पान नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 589

(आठ) बिहार के बांका जिला स्थित दरवसन जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव 590

(नौ) उत्तर प्रदेश के शाहाबाद संसदीय क्षेत्र में सड़क निर्माण और ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 590

(दस) अन्य राज्यों से खडगपुर आए प्रवासी अनुसूचित जाति की श्रेणी के लोगों को पश्चिम बंगाल में उनको दी जाने वाली प्रसुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 591

(ग्यारह) अधिक रेलगाड़ियां चलाकर विरुद्धनगर जंक्शन और तेनकासी के बीच नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 591–592

(बारह) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र भूषण सिंह 592

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 .... 592–650, 598–646

विचार करने के लिए प्रस्ताव 592

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 592–594

श्री वरकला राधाकृष्णन 595–603

श्री पवन कुमार बंसल 603–612

श्री शैलेन्द्र कुमार 612–613

विषय	कॉलम
श्री गणेश प्रसाद सिंह	613–615
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	616–618
श्री एस. के. खारवेनथन	618–622
प्रो. एम. रामदास	622–624
श्री पी. करूणाकरन	624–627
डा. सिबैस्टियल पॉल	627–628
श्री राम कृपाल यादव	628–630
श्री रामदास आठवले	630–631
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	631
श्री टी. के. हमजा	632–633
श्री किन्जरपु येरननायडु	634–635
श्री शिवराज वि. पाटील	635–650
खंड 2 से 44 तथा 1	650
पारित करने के लिए प्रस्ताव	650
विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005	601–602
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में बढ़ती हुई जनसंख्या	651–654
श्री प्रबोध पाण्डा	651–654
आधे घंटे की चर्चा	
बच्चों के लिए उत्पादों में कार्सिनोजेनिक रसायन	654–666
श्री अनिल बसु	654–658
श्री वरकला राधाकृष्णन	658–659
श्री शैलेन्द्र कुमार	659
डा. अंबुमणि रामदास	659–666
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	667
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	668–674
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	675–676
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	675–678

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 9 मई, 2005/19 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 60वीं वर्षगांठ का उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री श्याम लाल यादव के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री श्याम लाल यादव 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभी के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री श्याम लाल यादव फरवरी 1988 से दिसम्बर 1989 तक केन्द्रीय कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री रहे।

वह 1970 से 1984 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 30 जुलाई, 1980 से 2 अप्रैल, 1982 और दोबारा 28 अप्रैल, 1982 से 29 दिसम्बर, 1984 तक राज्य सभा के उपसभापति रहे। पूर्व में 1957 से 1962 तक और दोबारा 1967 से 1968 तक वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। अप्रैल 1967 से फरवरी 1968 के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में विधि, संसदीय कार्य और सूचना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उद्योग विभागों का कार्यभार संभाला।

एक अनुभवी सांसद श्री यादव ने विभिन्न संसदीय समितियों में कार्य किया। वह राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति के सभापति भी रहे।

पेशे से वकील श्री यादव 1954 से 1957 तक वाराणसी के जिला सहकारी विकास संघ के निदेशक रहे; 1956 से 1959 तक उत्तर प्रदेश हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्य और 1967 से 1968 तक उत्तर प्रदेश सरकार हिन्दी समिति के अध्यक्ष रहे।

श्री यादव ने अनेक देशों की यात्रा की। वह 1973 में लंदन, ब्रिटेन में 19वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 1984 में आइल ऑफ मेन में 30वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, हवाना, क्यूबा में 1981 में 68वें अंतर-संसदीय सम्मेलन और रोम, इटली में 1982 में 69वें अंतर-संसदीय सम्मेलन में गये भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे उन्होंने भारतीय संसदीय दल के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री श्याम लाल यादव का 6 मई, 2005 को 78 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद वाराणसी में निधन हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

माननीय सदस्यों, आज विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम फासीवादी शक्तियों द्वारा अनेक वर्षों तक चलाये गए इस भीषण युद्ध के दौरान अपने जीवन की बलि चढ़ाने वाले 5 करोड़ व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने भाग लिया और फासीवादी शक्तियों को हराने में अपने जीवन का बलिदान किया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फासीवादी शक्तियों पर विजय ने भारत सहित पूरे विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए अरबों व्यक्तियों के संघर्ष को प्रेरित किया जिससे तृतीय विश्व के अनेक देशों को औपनिवेशिक शासन के चंगुल से स्वतंत्र होने में सहायता मिली। हमें उन लाखों व्यक्तियों का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान किया और इस विश्व को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया। इन शक्तियों जो कभी भी पनप सकती हैं, के विरुद्ध सतत सतर्क रहते हुए हम इस ऐतिहासिक युद्ध के शहीदों को अपनी सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात् से बार-बार लोकतंत्र में अपने विश्वास की पुष्टि की है और अनेक बार सफलतापूर्वक चुनाव कराकर इसे सिद्ध किया है। विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में बहुलवाद, बहुसांस्कृतिक समाज और तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत एक ऐसा उदाहरण है कि लोकतंत्र किस प्रकार शांतिपूर्ण और सौहार्दतापूर्ण वातावरण और आम लोगों को सशक्त बना सकता है।

हम सभी तथा पूरा राष्ट्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, जो 50 से अधिक विश्व नेताओं के साथ मास्को में फासीवाद पर विजय की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजति दे रहे हैं, जिन्होंने नाजी जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की ओर से युद्ध किया।

अब सदस्यगण पूर्व सदस्य के सम्मान में तथा द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की याद में कुछ देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीटों पर बैठ जायें। अब प्रश्न काल होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग के दो अयुक्तों द्वारा जो ...*(व्यवधान)* वह देश की संवैधानिक संस्था का अपमान है। इसे हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी प्रश्न काल होने दीजिये। मैं आप सबकी बातें सुनूंगा। यदि आप सब की अनुमति मिली, तो मैं आप सबकी बातें सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: महोदय, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बहुत ही गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विधि मंत्री को पत्र लिखा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे अभी नहीं उठा सकते। यह इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। हम बाद में आप सबकी बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप इसे अभी नहीं उठा सकते। प्रश्न सं. 601, श्री किशनभाई वी. पटेल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास और श्री पुन्नूस्वामी, मेरा आप से अनुरोध है। यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो इसके लिए एक निश्चित समय है और आपको इसके लिए सूचना देनी पड़ेगी विषय वस्तु से अवगत कराना होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): महोदय, कृपया हमें 'शून्य काल' में इस विषय को उठाने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे 'प्रश्न काल' को छोड़कर कभी भी उठा सकते हैं। कृपया अभी सहयोग करें।

प्रश्न सं. 601—श्री किशनभाई वी. पटेल।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्मिकों को प्रशिक्षण

+*601. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में कार्यरत कार्मिकों की दक्षता को सुदृढ़ तथा उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को कोई सहायता प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने लोग लाभान्वित हुए?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। सरकार ''प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग'' की केन्द्रीय योजना स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

(1) 5 दिनों की अवधि के लिए कम से कम 20 प्रतिभागियों वाले प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50,000 रुपये तक।

(2) सेमिनारों, कार्यशालाओं और राष्ट्रीय स्तर के व्याख्यानों आदि का आयोजन कराने के लिए, और

(3) जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति कार्यालय तथा राज्यों के नागरिक आपूर्ति निदेशालयों एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के बीच एक प्रभावकारी संपर्क स्थापित करने के लिए सभी राज्यों को सहायक उपकरणों सहित एक कंप्यूटर की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये तक की एक बार की सहायता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक जिन्सों की आपूर्ति के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि जैसी राज्य एजेंसियों में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता और उससे जितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया, उनकी संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई राशि	प्रयोजन	लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
2002-03	राजस्थान	45,000 रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए	20
	आंध्र प्रदेश	1.80 लाख रुपये	चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए	140
	बिहार	1.3 लाख रुपये	एक कंपयूटर तथा सहायक उपकरणों की खरीदारी के लिए	-
	पांडिचेरी	3,000 रुपये	जनवरी, 2003 में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शेष का भुगतान	-
	मिजोरम	10,000 रुपये	फरवरी, 2003 में आयोजित दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए शेष का भुगतान	-
		7,335 रुपये	मार्च 2003 में स्वीकृत एक कंप्यूटर के लिए शेष	-
2003-04	मिजोरम	90,000 रुपये	दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए	55
	पश्चिम बंगाल	45,000 रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए	23
	पश्चिम बंगाल	67,000 रुपये	सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक सेमिनार के आयोजन के लिए	67

1	2	3	4	5
	दादरा और नगर हवेली	82,800 रुपये	सहायक उपकरणों सहित एक कंपयूटर की खरीद के लिए	-
	तमिलनाडु	7,500 रुपये	मई, 2003 में आयोजित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शेष के भुगतान के प्रति	-
	राजस्थान	5,718 रुपये	एक कंपयूटर की खरीद के लिए शेष का भुगतान करने के प्रति	-
	लक्षद्वीप	1,01,982 रुपये	सहायक उपकरणों सहित एक कंपयूटर की खरीद के लिए	
2004-05	बिहार	4,50,000 रुपये	दस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	200
	गुजरात	45,000 रुपये	एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने के लिए	20
	पश्चिम बंगाल	45,000 रुपये	एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने के लिए	60
	पश्चिम बंगाल	5,000 रुपये	2003-04 में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शेष का भुगतान	-
		5849 रुपये	2003-04 में आयोजित सेमिनार के लिए शेष का भुगतान	-
	मिजोरम	10,000 रुपये	2003-04 में आयोजित दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शेष का भुगतान	-

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करने के लिए और गरीब लोगों तक उसका फायदा पहुंचाने के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्मिकों को सरकार प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। उसके तहत गुजरात राज्य को अब तक कितना अनुदान दिया गया है? उसका क्या ब्यौरा है? देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार का सुधार हुआ है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से ट्रेनिंग और रिसर्च में सुधार करने की बात कही है। इस स्कीम के तहत राज्यों को वन टाईम एसिसटेंस ट्रेनिंग दी गई है।

महोदय, यह स्कीम छठे प्लान परीरियड से लागू है। कई स्टेटों में इस बारे में ट्रेनिंग देना जरूरी था, वह ट्रेनिंग हो चुकी है। फिर भी चूंकि माननीय सदस्य गुजरात से आते हैं, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि गुजरात में वर्ष 2004-2005 में केवल एक ही ट्रेनिंग कोर्स चला, जिसमें 20 लोगों को प्रशिक्षण मिला। यह पिछले साल का आंकड़ा है। यदि माननीय सदस्य इसके अलावा, इससे पहले के वर्षों की कोई और जानकारी जानना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से देने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी सहायता करने का प्रयास किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह ऑनगोइंग प्रौसेस है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समय-समय पर काफी सुधार हुए हैं। चूंकि यह ऑन गोइंग प्रौसेस है इसलिए जैसे-जैसे कोई जानकारी मिलती है, उसके अनुसार हम सुधार करते हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को काफी अनुभव हुआ है, परन्तु फिर भी कहीं न कहीं सवाल उठते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह ट्रेनिंग कार्यक्रम डी.एस.ओ. और इंस्पैक्टर आदि के लिए ब्लॉक लैवल पर होता है या सरकारी अथवा कंज़्यूमर कोआपरेटिव एजेंसीज हैं, उनके लोगों के लिए होता है।

श्री किसनभाई वी. पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राजनीतिकरण हो चुका है। वहां दल विशेष, केन्द्रों को चिन्हित करता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसे रोकने के लिए क्या कोई कार्रवाई करेगी?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, क्या मुझे और स्पष्ट प्रश्न प्राप्त हो सकता है क्योंकि यह एक अस्पष्ट प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप स्पष्ट रूप से क्या जानना चाहते हैं? एक सामान्य प्रश्न मत पूछिए।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राजनीतिकरण हो चुका है। इसलिए वहां दल विशेष, वितरण केन्द्र को चिन्हित करने का काम राजनीति से प्रेरित होकर करता है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में इस प्रणाली का राजनीतिकरण न हो, इसके लिए केन्द्र सरकार क्या कोई कार्रवाई करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें हर चीज में राजनीति नहीं लानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण की प्रक्रिया राज्य सरकार के माध्यम से ही पूरी होती है। इसलिए इस प्रणाली का राजनीतिकरण हो रहा है, इस बात का उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुग्रीव सिंह—उपस्थित नहीं।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं से संबंधित है। माननीय मंत्री के उत्तर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अनुसंधान सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आज जिस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है तो अनुसंधान के रूप में कम से कम कुछ मूल्यांकन अध्ययन कराये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भारी धनराशि खर्च की जाती है और हमें पता नहीं कि धन कहां जाता है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि गरीब लोगों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत खाद्यान्न उनके पास तक नहीं पहुंचता। इसलिए मूल्यांकन अनुसंधान की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितने अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन कराये गए; ऐसे अध्ययनों के क्या निष्कर्ष निकले; अधिकारियों को आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का क्या प्रभाव रहा और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने में क्या मदद मिली।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई मूल्यांकन और निगरानी करायी जाती है?

श्री प्रफुल पटेल: जैसा मैंने कहा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। बहुत समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तैयार हुई है। प्रारम्भ में पी डी एस में निश्चित मामले शामिल थे। अब निश्चय ही कुछ सुधार हुआ है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आज तक कोई शिकायत या समस्या नहीं है। बुनियादी तौर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न योजनाओं के लिए जो भी दिशानिर्देश हैं उनका राज्य स्तर पर उचित रूप से क्रियान्वयन किया जाए। जैसा मैंने कहा है कि यह एकमुश्त सहायता है जो हम दे रहे हैं ताकि विभिन्न जिला आपूर्ति अधिकारियों, ब्लाक स्तर पर निरीक्षकों, सरकार और उपभोक्ता सहकारी एजेंसियों, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणिाली की प्रक्रिया में शामिल हैं उन्हें उचित मार्गनिर्देश और उचित प्रशिक्षण मिल सके कि केन्द्रीय सरकार की योजना वास्तव में क्या है? जैसा कि आप सबको पता है वितरण का कार्य राज्य सरकारों का है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार का काम है। जैसा मैंने कहा कि यह एकमुश्त सहायता है। केन्द्र सरकार लगातार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहायता कर रही है। एक बार राज्य सरकार अथवा एक विशेष एजेंसी को यह सहायता मिल जाती है तो उसे पुन: धन नहीं मिलता।

तथापि, जहां तक अनुसंधान का संबंध है तो मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न अध्ययन कराये गए हैं। उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय ने 2002 में एक अध्ययन किया है; ओ आर जी एम ए आर जी ने 2004 में एक अध्ययन किया; योजना आयोग ने भी 2005 में अध्ययन किया; और टी सी एस ने 1998 में किया था। इसलिए, पिछले कुछ समय में विभिन्न अध्ययन कराये गए। इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन किए गए। तथापि, जैसा हम सबको पता है कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए, यदि हमें कुछ कमियां मिलती हैं तो केन्द्र सरकार कुछ परिवर्तनों का निर्देश देती है। मुझे आशा है कि राज्य सरकार विशेषरूप से इस एकमुश्त प्रशिक्षण सहायता जो कि हम देते है, का लाभ उठायेंगी ताकि पी डी एस का लाभ अंततोगत्वा उन लाभार्थियों तक पहुंचे जिनके लिए यह बनायी गई है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो अनाज पीडीएस द्वारा आम जनता को मिल रहा है, बाजार में अनाज सस्ता है और पीडीएस का जो अनाज मिलता है, वह महंगा है। इसलिए ज्यादातर कंज्यूमर्स बाहर से ही अनाज खरीद लेते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रशिक्षण के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: ठीक है, सर। यदि कर्मियों को प्रशिक्षण देने संबंधी योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है तो अब तक कितने कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका कोई लाभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हुआ है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे विशेष संख्याएं इत्यादि पहले ही दी जा चुकी हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस प्रशिक्षण का क्या प्रभाव है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह योजना छठी योजना अवधि से चल रही है और तब से विभिन्न राज्यों और विभिन्न एजेंसियों ने इसका लाभ उठाया है। मैं संस्थाओं की सम्पूर्ण सूची दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में इस योजना का उपयोग करना राज्य सरकारों का कार्य है।

श्री प्रफुल पटेल: निश्चय ही जब एक बार आप किसी प्रकार का प्रशिक्षण और यह एकमुश्त सहायता देते हैं तो इनसे मदद मिलती है। जैसा मैंने कहा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हर चीज ठीक है। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम सीखते हैं और जहां भी हमें पता चलता है कि कमियां हैं वहां हम उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: किसी भी तरफ पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे खाद्यान्नों, गोदामों में बड़े पैमाने पर, उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए योजना चल रही है, उस योजना में जो प्रशिक्षण दिया है, अब तक क्या उसके बेहतर परिणाम आए हैं? अगर मंत्री जी के पास इसका कोई डाटा है तो उसे देने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजाराम पाल, तीसरी बार वही प्रश्न पूछा जा रहा है। मंत्री महोदय आप कहिए कि आपने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य महोदय, वक्तव्य में कुछ राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जनाना चाहता हूं कि विभिन्न परियोजनाओं का चयन करने के लिए क्या मानदंड हैं। क्या राज्य सरकार अपना प्रस्ताव भेजती है और फिर इस पर भारतीय खाद्य निगम अथवा मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण हेतु केवल कुछ ही राज्यों को क्यों चुना गया है?

ऐसा बताया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में बड़ी संख्या में छद्म श्रमिक हैं और उसके कारण कुछ लोगों को कुछ करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी छद्म श्रमिकों की जानकारी है? यदि यह सच है तो क्या सरकार ऐसे छद्म श्रमिकों के विरुद्ध सी बी आई जांच का आदेश देगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप इनके प्रश्न के केवल पहले भाग का उत्तर दीजिए। माननीय सदस्य दूसरे भाग के उत्तर के लिए दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री स्वेच्छा से इसका उत्तर देते हैं तो ठीक है। मैं उन्हें आपके उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, प्रश्न के पहले भाग के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई भी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और अनुसंधान का लाभ उठाना चाहता है तो राज्य सरकारें अवश्य ही इसके लिए आवेदन करती हैं हम सीधे ही यह निर्णय नहीं लेते कि कौन लोग होंगे जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कहते हैं कि छद्म श्रमिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा ताकि वे इसे सही परिपेक्ष्य में ले सकें, कि यह योजना प्रशिक्षण, अनुसंधान और निगरानी की व्यवस्था करती है। पांच दिन की अवधि के लिए न्यूनाधिक 20 प्रतिभागियों को शामिल करके प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 50,000 रुपए से अधिक खर्च नहीं किया जाता। संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और राष्ट्रीय स्तर के व्याख्यान आयोजित करने के लिए एकमुश्त सहायता दी जाती है जो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही अपने उत्तर में यह बता दिया है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं उस बिंदु पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: छद्म श्रमिकों के बारे में मेरे अगले प्रश्न का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: जब तक माननीय मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देने की स्वेच्छा व्यक्त नहीं करते तब तक उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री राधाकृष्णन, कृपया इस प्रश्न से संबंधित अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए अन्यथा इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, उन राज्यों जिनको सहायता दी गई है के संबंध में लिखित उत्तर में केरल राज्य का नाम नहीं है। शायद यह इसलिए हो कि केरल में दशकों से बहुत प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के निर्धारण हेतु मानदंड के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कारण केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत संकट में है।

अध्यक्ष महोदय: इसका इस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, केन्द्र सरकार का अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रखरखाव हेतु क्या सहायता देने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर देना जरूरी नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने का कार्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्या केन्द्र सरकार का आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और बेहतर प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है, जैसे कि कंप्यूटर और अन्य उपकरण प्रदान करके ताकि प्रणाली को आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार और प्रभावशाली बनाया जा सके।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यदि केरल सरकार और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहती है वे हमें लिखते हैं तो हमें ऐसा करके प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर अनुकूल विचार करेंगे।

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की चोरी

+
***602. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीबों में वितरण के लिए रखे गए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सरकारी गोदामों और स्टोरों से चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें खाद्यान्नों की कितनी चोरी हुई;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्नों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पता लगाए गए खाद्यान्नों की उठाईगिरी के मामलों की संख्या और इनमें अंतर्ग्रस्त मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त मात्रा (टन में)
2001-02	88	235.5
2002-03	57	169.7
2003-04	63	156.5

इसके अलावा, राज्य सरकार के गोदामों से खाद्यान्नों की उठाईगिरी/विपथन के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों को अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा इन पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। तथापि, ऐसे सभी मामलों की एक समेकित सूची केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की उठाईगिरी/दुर्विनियोजन के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध जिन मामलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राशि रिकवर करने सहित अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, उनकी वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2002	98
2003	153
2004	95

राज्य सरकार के गोदामों से संबंधित शिकायतों के बारे में दुर्विनियोजित खाद्यान्नों की कीमत की रिकवरी करने सहित चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशासनिक/दाण्डिक कार्रवाई की गई है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की उठाईगिरी और विपथन को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) सतर्कता मामलों की तीव्रता से जांच करना और हानियों की रिकवरी सहित दोषी अधिकारियों को दण्ड देना।

(2) स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन करना।

(3) डिपुओं, रेल शीर्षों ट्रांसशिपमेंट और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की नियमित और औचक जांच करना।

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/होमगार्ड/राज्य सशस्त्र पुलिस तैनात करने सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना।

(5) लीकेज/उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील केन्द्रों की पहचान करना।

(6) कंप्यूटरीकृत स्टॉक गणना सूचना प्रणाली लागू करना, और

(7) प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई तथा गणना प्रणाली लागू करना।

राज्य सरकारों के संबंध में, उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को कड़ाई से लागू करने सहित अपने गोदामों से खाद्यान्नों की उठाईगिरी और विपथन के मामलों को रोकने के लिए अपने मानीटरिंग और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करने का परामर्श दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला गंभीर है, क्योंकि जो ताला वगैरह तोड़कर चोरी होती है, उसमें बाहर के चोर ही नहीं आते हैं, ज्यादातार तो जो वहां के काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ही चारी होती है। उसके लिए क्या अभी तक कोई डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है कि नहीं और अभी जो-जो मामले दर्ज किये गये हैं, उनमें से कितने के जजमेंट या नतीजे आये हैं और क्या किसी से रिकवरी की गई है, क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है? कितने केसेज में जजमेंट आया है और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कितने केसेज में की गई है?

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है, इसमें निश्चित ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां पर बाहर के लोगों की तरफ से ही नहीं, बल्कि हमारे फूड कारपोरेशन के कर्मचारी भी या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी इस मामले में दोषी पाये गये हैं। हमारे उत्तर में भी हमने दिया है कि कितने केसेज में इन्क्वायरी हुई हैं और कितने केसेज कंपलीट हुए हैं। एक बात तो निश्चित है कि ऐसे कई हमारे लोग इसमें दोषी पाये गये हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। पुलिस के माध्यम से यह कार्रवाई हुई और एफ.सी.आई. ने भी उसी प्रकार से उनके ऊपर किसी के खिलाफ सस्पेंशन और किसी के खिलाफ टर्मिनेशन की अनेक कार्रवाई की है।

श्री हरिसिंह चावड़ा: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा था कि कितने कर्मचारियों के खिलाफ इंक्वायरी या कार्यवाही की गई है?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के उत्तर में इसका जबाव दिया हुआ है, आप उसे देखें।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, लिखित उत्तर में इस बारे में बताया गया है। परन्तु माननीय सदस्य को इस विषय में दोबारा बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। इस बारे में और ब्यौरा देने में भी मुझे कोई समस्या नहीं है।

सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण के कारण लगभग 7,000 कर्मचारियों को दंड दिया गया था। दंडस्वरूप 148 कर्मचारियों की बर्खास्तगी या जबरन सेवानिवृत्त दी गयी, 192 कर्मचारियों की पदावनति की गयी, 1216 कर्मचारियों का वेतनमान कम किया गया और 3500 कर्मचारियों से घाटे की वसूली की गयी। माननीय सदस्य इसी पृष्ठभूमि के विषय में जानना चाहते हैं। मैं उन्हें इस विषय में और सूचना भी दे सकता हूं। वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में मामलों में अंतिम निर्णय लेने के संबंध में 15 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है। मण्डल में लम्बित पड़े कुल 4077 सतर्कता मामलों में से 2858 मामलों जोकि 70 प्रतिशत है, पर इस वर्ष के दौरान अंतिम निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ, एक वर्ष से अधिक समय के लिए लम्बित मामलों की संख्या वर्ष 2003 के 559 मामलों से घटकर वर्ष 2004 में 414 हुई है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह एक विस्तृत जबाब है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा बताया है कि सारे डिपार्टमेन्ट जागरूक हैं। लेकिन ज्यादा स्क्वाड रखकर या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाकर जिससे चोरी कम से कम हो तथा हमारे कर्मचारी चोरी न कर सकें, क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपने की है या करने जा रहे हैं?

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस मामले में सरप्राइज चैक्स बढ़ाए हैं और रेल हेड्स डिपो पर माल का जो स्टोरेज होता है, वहां पर सरप्राइज चैक्स बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा सेंस्टिव जगहों पर स्टाफ की नियुक्ति की गई है और उनका बार-बार रोटेशन किया जा रहा है। हम लोगों ने कई तबादले सेंस्टिव एरियाज से नान-सेंस्टिव एरियाज में किए हैं। एफसीआई ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी और उसमें पाया था कि 70 प्रतिशत अधिकारी सब-स्टैंडर्ड स्टाक और ट्रांजिट स्टोरेज में गलत काम करते हैं और वहां पर धांधली करने की कोशिशें करते हैं। इसके लिए हमने विजिलिंस विभाग को सरप्राइज चैक्स करने के लिए ज्यादा सतर्क किया है।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि उन्हें भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) में व्याप्त विषाक्त चक्रव्यूह के बारे में कोई जानकारी है या नहीं? मैं अपने नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न को दोहराना चाहूंगा। किसी कार्य को करने में नियुक्त श्रमिकों की छद्म संख्या ने एफ.सी.आई. को परेशानी में ला खड़ा किया है। इस निन्दनीय खेल को विफल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ताकि इस लोकोपयोगी सेवा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कोई हानि न हो।

अध्यक्ष महोदय: क्या वे इस चोरी में भागीदार हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी: नहीं। वहां बाहर के लोग भी हैं। मैं उनके नाम भी जानता हूं पर यहां बताना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी उन्हें जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब समझ में आ गया। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या ये बाहर के लोग या छद्म मजदूर इन गतिविधियों में शामिल हैं।

श्री प्रफुल पटेल: यह कहना बहुत कठिन होगा कि छद्म मजदूर इन गतिविधियों में शामिल हैं या नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा है आकस्मिक निरीक्षण किये जा रहे हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। निवारक उपायों के रूप में फील्ड अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर बता दिया जा रहा है। मुख्यालय में एक निरीक्षण निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है और जोन प्रबंधक, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक और जिला प्रबंधक द्वारा निरीक्षण के मानदंड निर्धारित किये जा रहे हैं। एफ.सी.आई. के छद्म मजदूरों के संबंध में सी.बी.आई. जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, गोदामों में जो अनाज रहता है, उसकी चोरी कई सालों से चल रही है। मंत्री जी ने अभी

बताया है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसे सिर्फ अधिकारी ही नहीं कर रहे बल्कि उन्हें सहयोग करने वाला बाहर का रैकेट भी है। गोदामों में इतना अनाज होता है कि ध्यान ही नहीं रहता। जब अनाज कम हो जाता है, तब ध्यान जाता है। हमारे गोदामों में अनाज खत्म नहीं होता, हमेशा भरा रहता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री रामदास आठवले: गोदामों में चोरी कब होती है, यह पता नहीं चलता। इसलिए वहां कंप्यूटराइजेशन करने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपका विभाग क्या करने वाला है?

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर पहले ही कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और जहां-जहां इसे और सुदृढ़ करने की जरूरत है, हम एसे निश्चित करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में एफसीआई का पूरे साल का व्यापार करीब 60,000 करोड़ रुपये का है और देश के हर कोने में इसका स्टोरेज होता है। नैचुरली यह सब कार्य कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी एफसीआई ने 100 करोड़ रुपये का नया कंप्यूटराइजेशन प्रोजैक्ट हाथ में लिया है, जिससे जो खामियां हैं उनमें सुधार आने में सहायता मिलेगी।

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एफसीआई गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी बंद करने के लिए जो कदम उठाए हैं। वे बहुत सराहनीय हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार गोदामों में लाखों टन अनाज चूहों, कीड़ों और ठीक तरह से न रखने के कारण वर्षा में खराब हो जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा कि हर साल इस तरह से जो लाखों टन अनाज खराब होता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: यातायात और भंडारण के दौरान हानि जैसी कुछ समस्याएं आ रही हैं। भंडारण सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। तथापि, हानि की मात्रा उतनी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतायी है। कुछ समय से इसकी मात्रा कम हो रही है। मेरे पास इस संबंध में तथ्य और आकड़े हैं। यह काफी ज्यादा है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें इसकी लिखित सूचना दे सकता हूं, ताकि वह जान सकें कि कुल मिलाकर वास्तविक स्थिति क्या है? माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं बताना चाहूंगा कि कुल अनाज की तुलना में नष्ट अनाज की प्रतिशतता 0.1 प्रतिशत से भी कम है।

श्री एम. अप्पादुराई: गोदामों से अनाज की चोरी और विपथन के मामलों की शिकायतों में से कितने मामले तमिलनाडु में दर्ज कराये गए हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास इसकी राज्यवार सूचना भी है?

श्री प्रफुल पटेल: राज्यवार सूचना देने के लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। तथापि, माननीय सदस्य को इस बारे में सूचना देने में मुझे खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अति विनम्र हैं।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: अध्यक्ष महोदय, में इस संबंध में कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मणिपुर, नागालैण्ड, करबी-आंग्लांग और उत्तरी कछार का एक एफ.सी.आई. गोदाम दीमापुर में है। वहां एक ही वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और इस क्षेत्र में तीन फसलें होती हैं। केन्द्र सरकार भी एफ सी आई के पास अनाज भेजती है। राज्य सरकार अनाज वितरण के कार्य में लगी रहती है। इसके बावजूद असम के जोरहाट क्षेत्र में काफी अनाज भेजा जाता है। असम और नागालैण्ड में कई तरह के जोड़तोड़ किये जाते हैं। दीमापुर तीन राज्यों का मुख्यालय है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें शीघ्र सुधार किये जाने की आवश्यकता है या नहीं।

दूसरे, एफ.सी.आई. कार्यालय किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं। मैंने उचित स्टाफ क्वार्टर्स और कार्यालयों के निर्माण के संबंध में सरकार को कई प्रश्न भेजे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित सभी अधिकारी दिल्ली में डेरा जमाये रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति में सुधार लाने में सरकार की कोई रुचि है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: पूर्वोत्तर के प्रति मेरे झुकाव के मद्देनजर मैं इस पूरे प्रश्न को पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री प्रफुल पटेल: केन्द्र सरकार और एफ.सी.आई. की नीति है कि अनाज प्रत्येक राज्य में पहुंचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आगे वितरित किये जाने के लिए राज्यों को सौंप दिया जाए। अब पूर्वोत्तर के या देश के अन्य किसी भाग के मामले में क्षेत्र की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और तदनुसार भंडारण क्षमता निर्धारित की जाती है। मैं मानता हूं

कि कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लोगों की संवेदनशीलता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, जो आज की स्थिति है। समग्र भंडारण के स्वरूप को तैयार करते समय पूरे देश पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर सहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, यदि इसमें और सुदृढ़ीकरण की कोई आवश्यकता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से भा. खा. नि. से इसकी जांच करने के विषय में कहूंगा।

दूसरा प्रश्न का भाग लोगों के वहां न रह कर दिल्ली में रहने के बारे में है। मैं इस पर बिना किसी उचित जानकारी के कोई जबाब नहीं देना चाहूंगा। तथापि, अगर मामला यह है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारिक तौर पर पूर्वोत्तर में प्रति नियुक्त या स्थानांतरित व्यक्ति को वहां से दूर रहने की अनुमति न मिले। उन्हें मणिपुर में कैम्प और मूल कार्यालय में ही रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आवास के विषय में कहा है। आप उसके बारे में जांच करें।

श्री प्रफुल पटेल: यदि आवास की कोई कमी है तो हम एफ.सी.आई. से इस विषय में पूछेंगे विशेषकर उस क्षेत्र की संवेदनशीलता, आवश्यकता के बारे में कि लोग वहां जाना क्यों नहीं चाहते। यदि आवास की कमी के कारण लोग वहां नहीं रह रहे हैं तो हम एफ.सी.आई. से आवास उपलब्ध कराने को कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जबाब दे दिया है। आपको प्रश्न का विस्तृत जवाब मिला है।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: नहीं महोदय। पूर्वोत्तर में विद्रोह की समस्या है। कर्मचारी यहां वहां रह रहे हैं। वहां कर्मचारियों के आवास की उचित व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: तभी मैंने ऐसा कहा है।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि इस वर्ष के दौरान उचित कर्मचारी आवास और एफ.सी.आई. परिसर की स्थापना की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी तरफ से इस बारे में बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, गोदामों से खाद्यान्नों की उठाईगिरी यानी चोरी और विपथन के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाये गये हैं लेकिन दूसरी तरफ असलियत यह है कि अभी भी गरीब लोग जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, उनको वितरण प्रणाली का फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि डिपोज वाले लोग कुछ अफसरों के साथ मिलकर, उन लोगों का जितना हक बनता है, वह नहीं देते हैं। उसका डायवर्जन इस हिसाब से करते हैं कि आपको पूरे महीने का इकट्ठा उठाना है और यदि उसे नहीं उठाते, तो आप उसे ले नहीं सकते और उसकी एंट्री दूसरी जगह हो जाती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सिस्टम को सुधारने के साथ-साथ गरीब लोगों को कहिये कि आप हफ्ते, चार दिन या तीन दिन का राशन ले सकते हैं। इसके साथ-साथ क्या आप यह कदम उठा रहे हैं कि पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों या म्युनिसिपैलिटीज में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका सहयोग लेकर आप मौनीटरिंग कमेटी बनायेंगे या जो डिपोज हैं, उनको आप वहां की सहकारी समितियां को देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह आप चोरी रोक सकते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: वस्तुतः यह मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैंने उस भाग को जोड़ा है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, एक भिन्न स्तर पर चोरी हुई है यह चोरी से संबंधित है--गोदामों में नहीं अपितु डिपों में चोरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। सभी सदस्य और मैं आतुर हैं।

श्री प्रफुल पटेल: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। तथापि, महोदय, पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक सतत् प्रक्रिया है और हम इसमें निरंतर सीखते रहते हैं। यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो केन्द्र सरकार इसके दिशानिर्देशों की समीक्षा करने को तैयार है। तथापि, बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के अंतर्गत एफ.सी.आई. के गोदामों से लाभार्थियों को सीधे वितरण नहीं किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण का कार्य अंततः विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाता है। अतः इस स्तर

पर, जहां तक एफ.सी.आई. या केन्द्र सरकार के गोदामों का संबंध है तो वहां किसी लापरवाही या किसी के साथ गलत व्यवहार किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। अन्यथा, केवल उनकी सूचना के लिए में बता दूं कि गांव के स्तर और पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां हैं। एफ.सी.आई. के लिए राज्य के स्तर पर किन्हीं कमियों को इंगित करने तथा उन्हें ठीक किए जाने हेतु सुझान देने के लिए संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति भी है।

अध्यक्ष महोदय: निगरानी समितियों की निगरानी कौन कर रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

ग्रामीण पर्यटन

***603. +श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है और अब तक इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई है?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पर्यटन की क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण को गंतव्य विकास की मौजूदा योजना के अंतर्गत समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिल्प/हथकरघा/वस्त आदि के क्षेत्र में दक्षता वाले ग्रामीण स्थलों एवं गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति एवं विरासत को उजागर करना है। पर्यटन मंत्रालय ने यू.एन.डी.पी. के सहयोग से भारत सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना से संबद्ध अंतर्जात पर्यटन परियोजना की भी शुरूआत की है। इस नई योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि कम आय वाले ग्रामीण समुदाय अपनी अंतर्जात कौशल का सृजन कर सकें और उसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकें।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण के लिए अभी तक प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध-I पर संलग्न है, जबकि भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. परियोजना के तहत क्षमता निर्माण आदि के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण अनुबंध-II पर संलग्न है।

10वीं योजना (अब तक) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
	नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली का विकास	2003-04	50.00	15.00
	पूर्वी गोदावरी जिले में कोनासीमा ग्राम में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	50.00
	अनन्तपुर जिले में पुट्टापारथी का विकास	2004-05	49.50	39.60
	पूर्वी गोदावरी जिले में चिचिनाडा का विकास	2004-05	50.00	40.00
	चित्तूर जिले में श्रीकालाहस्ती का विकास	2004-05	50.00	40.00

1	2	3	4	5
2. असम				
	गोलाघाट जिलें में फुमैन इंगति में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	46.83	14.04
	देहिंग-पट्टकई क्षेत्र, जिला तिनसुकिया	2004-05	44.33	35.46
	कामरूप जिले में सुवालकुच्ची में ग्रामीण पर्यटन	2004-05	50.00	40.00
3. बिहार				
	जिला नालंदा के नेपुरा गांव में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
4. छत्तीसगढ़				
	जिला बस्तर में चित्रकूट ग्राम का विकास	2003-04	50.00	15.00
	जिला बस्तर में चित्रकूट ग्राम का विकास	2003-04	50.00	40.00
	जिला रायपुर के चम्पारण में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	15.00
	जिला बस्तर के नगरनार में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	48.00	38.00
	जिला बस्तर के कोंडागांव का विकास	2005-06	50.00	40.00
5. दिल्ली				
	कोटला, मुबारकपुर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	10.00	9.78
	नंगली, रजापुर, दिल्ली में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	36.30	36.00
6. गुजरात				
	तेरा में हैरिटेज ग्राम का विकास	2003-04	50.00	40.00
	जिला कच्छ के होडका में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	जिला डांग में नवगांव और मालेगांव का विकास	2003-04	92.70	28.00
7. हरियाणा				
	जिला कुरूक्षेत्र के ज्योतिसर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
8. हिमाचल प्रदेश				
	कुल्लू जिले के नग्गर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	कांगड़ा घाटी जिले के परागपुर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	15.00
9. कर्नाटक				
	जिला बेल्लूर के कोकारेबेल्लूर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	50.00	15.00
	जिला उत्तर कन्नडा में अतिवेरी बर्ड सेंचूरी का विकास	2003-04	60.00	18.00
	उत्तर कन्नडा जिले के बनवासी में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00

1	2	3	4	5
	जिला बेल्लारी के अनेगुंडी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
	कुर्ग जिले के कुर्ग में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
10. केरल				
	जिला अरुणाचल प्रदेश में कुम्बलांगी का विकास	2003-04	50.00	40.00
	जिला पथानिमथिटा में अरनामुला का विकास	2003-04	20.00	16.00
	तिरूवन्नतपुरम जिले में बलरामपुर ग्राम का विकास	2004-05	50.00	40.00
11. मध्य प्रदेश				
	हतवा ग्राम में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	44.00	13.20
	जिला मंडला के चौगान में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	जिला अशोक नगर के परानपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2004-05	48.00	38.00
12. महाराष्ट्र				
	जिला औरंगाबाद के सुजीभंजन-खुलताबाद का विकास	2003-04	50.00	40.00
13. नागालैण्ड				
	मोपंचूपकेट में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	50.00	15.00
14. उड़ीसा				
	जिला पुरी के रघुराजपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	40.00	12.00
	जिले पुरी में पीपली ग्राम का विकास	2004-05	50.00	40.00
15. राजस्थान				
	जिला अलवर के नीमराना में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	जिला जयपुर के सामोद ग्राम में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
16. सिक्किम				
	उत्तरी जिले में लाचेन ग्राम का विकास	2004-05	50.00	40.00
17. तमिलनाडु				
	जिला थुथुकड्डी में काझूमलाई का विकास	2003-04	48.66	38.94
	जिला धरमापुरी में तीर्थमलाई का विकास	2003-04	50.00	40.00
	जिला शिवगंगा के चेट्टीनाडु में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	रामनाथपुरम जिले में देवीपट्टिनम (नवभासनाम) का विकास	2005-06	50.00	40.00

1	2	3	4	5
18. त्रिपुरा				
	जिला पश्चिम त्रिपुरा के कमलासागर में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	42.92	13.48
	जिला उत्तर त्रिपुरा के चम्पुई हिल्स में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	15.00
19. उत्तरांचल				
	जिला अलमोड़ा के जगेश्वर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	50.00	15.00
	जिला उत्तरकाशी में अगोरा ग्राम (डोडीताल) का विकास	2005-06	48.50	38.80
	मोताड़ और इसके सैटेलाइट स्टेशन में हब ग्राम का विकास	2005-06	48.05	38.44
20. पश्चिम बंगाल				
	जिला बीरभूम में शांतिनिकेतन का विकास	2003-04	50.00	15.00
	जिला दार्जिलिंग में सोनाडा ग्राम का विकास	2004-05	50.00	40.00

वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत की गई जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्थल	जिला	राज्य	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	पोच्चमपल्ली	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	20.00	16.00
2.	होडका	कच्छ	गुजरात	20.00	16.00
3.	सुलीभंजन-खुलताबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	20.00	16.00
4.	अरनमुला	पथनामथीटा	केरल	20.00	16.00
5.	कराइकुडी	शिवगंगा	तमिलनाडु	20.00	16.00
6.	बनवासी	उत्तर कन्नाडा	कर्नाटक	20.00	16.00
7.	चित्रकोटे	बस्तर	छत्तीसगढ़	20.00	16.00
8.	प्राणपुर	अशोक नगर	मध्य प्रदेश	20.00	16.00
9.	नेपुरा	नालंदा	बिहार	20.00	16.00
10.	रघुराजपुर	पुरी	उड़ीसा	22.00	17.60
11.	काझुगुमलई	थुथुकुडी	तमिलनाडु	20.00	16.00
12.	कुम्बालांगी	अरनाकुलम	केरल	20.00	16.00
13.	नग्गर	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	20.00	16.00

1	2	3	4	5	6
14.	लाचेन	उत्तरी जिला	सिक्किम	20.00	16.00
15.	सुवालकुची	कामरूप	असम	19.95	15.96
16.	हल्दीघाटी	राजसमन्द	राजस्थान	19.32	15.45
17.	माना	चमोली	उत्तरांचल	20.00	16.00
18.	श्रीकलाहस्ती	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	19.80	15.84
19.	दुर्गापुर	गोलाघाट	असम	20.00	16.00
20.	नगरनार	बस्तर	छत्तीसगढ़	20.00	16.00
21.	ज्योतिसर	कुरूक्षेत्र	हरियाणा	20.00	16.00
22.	चौगन	मंडला	मध्य प्रदेश	20.00	16.00
23.	पिपली	पुरी	उड़ीसा	20.00	16.00
24.	राजासांसी	अमृतसर	पंजाब	20.00	16.00
25.	नीमराना	अलवर	राजस्थान	20.00	16.00
26.	सामोद	जयपुर	राजस्थान	20.00	16.00
27.	कमलासागर	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा	20.00	16.00
28.	भगुवाला	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	19.75	15.50
29.	बल्लभपुर	बीरभूम	प. बंगाल	20.00	16.00
30.	मुकुटमणिपुर	बंकुरा	प. बंगाल	20.00	16.00

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पर्यटन की संकल्पना निश्चित रूप से हमारे देश के लिए उपयोगी है। लगभग 74 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आय के स्तर में वृद्धि करने में ग्रामीण पर्यटन एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। यहां तक कि पर्यटन कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल लोगों के लिए निवेश किए गए प्रत्येक रुपये पर सर्वाधिक रोजगार पैदा करना है। आजकल, गांवों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल बेरोजगार लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार और सर्वाधिक आर्थिक विकास प्रदान करता है। इन परिस्थितियों में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत बहुत कम धनराशि प्रदान की गई है। यदि सरकार ग्रामीण पर्यटन के प्रति विशेष रुचि रखती है तो क्या भारत सरकार ने देशभर में कोई व्यापक अध्ययन कराया है? जैसा कि मैंने अभी कहा है कि बजटीय आबंटन बहुत कम है। इस आबंटन से हम ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अतः, अभी तक भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत अनुमत्य गतिविधियां कौन-कौन सी हैं?

श्रीमती रेनुका चौधरी: माननीय सदस्य, इस बात की प्रशंसा करेंगे कि पहली बार ग्रामीण पर्यटन जैसी पहल की गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। हमारे राष्ट्र के आकार को देखते हुए हमने विस्तृत अध्ययन किया है और यू.एन.डी.पी. के साथ साझेदारी की है। सॉफ्टवेयर के विकास के मामले में हमने और यू.एन.डी.पी. ने 31 गांवों को, जिन्हें पहले हमने चिन्हित किया है, वित्त पोषित किया है। भारत सरकार ने यू.एन.डी.पी. से हटकर 51 गांवों को लिया है। अब, भारत सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक

गांव को 50 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें, यदि आवश्यक हो तो छोटी सड़कें साथ ही स्वच्छता, अन्य आरोग्य प्रबंध उपाय, नाले आदि जैसे मूल अवसंरचनागत कार्य किए जाने का प्रावधान है जिससे कि इन गांवों में इन सुविधाओं में वृद्धि की जाए ताकि वे यात्रियों को वहां ठहरने के लिए ला सकें।

यदि आप इससे बड़ा बजट चाहते हैं तो मैं इसकी प्रशंसा करूंगी कि यदि संसद सदस्य, जो इस योजना के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं, पहले संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु लगाएं जिससे कि वे इसके लिए सीधे जिम्मेदार हों...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी संसद सदस्यों से सहायता मांग रही हैं। आप सबको इसे आगे बढ़ाने के लिए सहायता देनी चाहिए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: यदि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता है तो सहायता प्रदान करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो भी संसद सदस्य सहायता करने के लिए आगे आएगा मैं पूर्णतया उसे सह-वित्तपोषित करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके गांव में एक योजना शुरू करने के लिए इतना ही अनुदान देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

किन्जरपु येरननायडु: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के घोषणापत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। महोदया, इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आप संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से अनुदान क्यों मांग रही हैं? आपको विकास करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु बजट में धनराशि निर्धारित करनी पड़ेगी। अत: सं.रा.ग. सरकार के घोषणापत्र के अनुसार सरकार धन उपलब्ध कराएगी या नहीं? मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जानना चाहता हूं।

दूसरे, ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने आज तक केन्द्र सरकार के पास कितनी परियोजनाएं भेजी हैं? अभी तक भारत सरकार ने कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है?

श्रीमती रेनुका चौधरी: सबसे पहले मुझे प्रसन्नता है और मैं माननीय सदस्य को बधाई देती हूं कि उन्होंने पर्यटन का महत्व समझा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने पर्यटन के बार में पूछा है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: नहीं, महोदय, उन्होंने कहा कि चूंकि हम सबसे बड़े नियोक्ता हैं, जो कि एक बहुत बड़ा तथ्य है।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है, मैंने आपके उत्तर को ठीक किया है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: जी हां, महोदय, तो पर्यटन इस देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बनने जा रहा है। ये हमारे द्वारा दिए गए वक्तव्य मात्र नहीं हैं ये तथ्य हैं जो कि अन्य देशों, जिन्होंने पर्यटन को अपने मुख्य राष्ट्रीय एजेंडे में रखा है, की अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन पर आधारित हैं।

अब, भारत में, हम किन योजनाओं को शुरू कर रहे हैं? यहां उन राज्य सरकारों के विस्तृत वक्तव्य हैं जिन्होंने अपने प्रस्ताव भेजे हैं और जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यू.एन.डी.पी. के अंतर्गत हमने 31 गांवों को लिया है। भारत सरकार के अंतर्गत हमने ऐसी 51 परियोजनाएं ली हैं जिनका हम वित्तपोषण कर रहे हैं। ये मूल रूप से अध्ययन करने, यह देखने के लिए हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। हम एक व्यापक और विस्तृत अध्ययन, जिसमें उन्हें स्वीकृत प्रदान करने हेतु विभिन्न मानदण्डों को ध्यान में रखा गया है, के बाद हम इन योजनाओं को अंतिम रूप दे पाए हैं। अब, इसके पीछे का विचार आन्तरिक योजनाओं को बढ़ावा देने, हमारे ग्रामीणों के जीवन स्तर को तत्स्थानिक रूप से बेहतर बनाने और इसके साथ-साथ उनकी योग्यता और उनके आन्तरिक कौशल को उसी क्षेत्र में सहेजकर न तो कौशल का आयात करने और न ही किसी अन्य स्थान की चीज को वहां प्रदर्शित करके, उसका प्रदर्शन करने का है। हम उस स्थानीय क्षेत्र और गांवों में विद्यमान अवसंरचना में निवेश भी कर रहे हैं।

इसके संबंध में, मैं आपसे पहले ही केवल ग्रामीण योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए कह चुकी हूं। जहां तक देश भर में चल रही अन्य योजनाओं का संबंध है तो मैं आसानी से विस्तृत ब्यौरा दे सकती हूं कि हमने प्रत्येक राज्य में कितने करोड़ रुपये का निवेश किया है। यहां तक कि मैं आपको जिले-वार ब्यौरा भी दे सकती हूं कि कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और मैं यहां यह कह सकती हूं कि पहली बार देशभर के किसी भी राज्य के लिए पर्यटन हेतु सर्वाधिक धन आबंटित किया गया है।

श्री सचिन पायलट: मैं ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटन की संभावना को बढ़ाने हेतु सरकार के रुख की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे विगत वर्षों में आबंटित की गई धनराशि का स्पष्ट रूप से ब्यौरा दें। सभी राज्यों हेतु पूरी धनराशि जारी नहीं की गई है। ऐसा एक

भी राज्य नहीं है जिसे सारी धनराशि जारी कर दी गई है। मुझे विश्वास है और मेरे विचार से मंत्री जी भी सहमत होंगी कि आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभा है। उन प्रतिभाशाली चुनाओं को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हम उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे खेल उद्योग को बहुत सहायता मिलेगी और मैं माननीय मंत्री महोदय से राजस्थान राज्य के बारे में भी जानना चाहूंगा। वहां बहुत संभावनाएं हैं और वहां के युवा ऐसी योजनाओं में भाग लेने हेतु अग्रसर रहते हैं। क्या उनके पास राजस्थान राज्य के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं?

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, हमने जिस भी ग्रामीण योजना को हाथ में लिया है वह राज्य सरकारों द्वारा हमें भेजी गई परियोजनाओं के मूल्यांकन पर आधारित है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध योग्यता के प्रति माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करती हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं मेरे वरिष्ठ साथी, श्री सुनील दत्त, जो कि खेल मंत्रालय से संबंधित हैं और यहां उपस्थित हैं, पर इसके लिए निर्भर करती हूं कि ग्रामीण खेलों उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए और हम योग्यता को आगे लाने के लिए वहां मिलकर काम कर सकते हैं। अक्सर भारत द्वारा जीते गए पुरस्कारों में से आधे से अधिक पुरस्कार उन लोगों द्वारा जीते जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से खेलों में आए हैं। जहां तक अन्य अवसंरचना का संबंध है तो मैं माननीय सदस्य को, हमने जो राजस्थान के लिए स्वीकृत किया है, उसकी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेज दूंगी। जितनी धनराशि प्रदान की गई है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी राजस्थान है। हमने हल्दीघाटी और नीमराना तथा जयपुर जिले में समोद में विशेष योजनाएं आरंभ की हैं। मैं इन्हें उन योजनाओं का ब्यौरा भेज दूंगी।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमान जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी कई ग्रामीण पर्यटक स्थलों के लिए आपने बहुत उदार मन से धन दिया है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कुछ और भी प्रोजेक्ट हम लोग भिजवा रहे हैं, क्या उनको भी आप जल्द ही स्वीकृति प्रदान करेंगी या उनमें विलम्ब होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपके उन्हें भेजने पर निर्भर करता है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

क्योंकि मैं सोचती हूं कि सिर्फ पर्यटन मंत्रालय ही ऐसा मंत्रालय है जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है।

[अनुवाद]

यह राष्ट्रीय गौरव की बात है कि मैं अपने देश को असाधारण भारत के रूप में प्रदर्शित कर सकती हूं। जब शेष विश्व से लोग भारत आते हैं तो वे एक देश में आते हैं और हमारे इस देश में बहुत से विश्व हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे राष्ट्र में इस प्रकार की प्रतिभा है। अत: मैंने कोई भेदभाव प्रदर्शित नहीं किया है। अब, इसी प्रकार के व्यवहार की आशा करते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह चाहता हूं कि वह ऐसी ही उदारता दिखाते हुए तत्काल अपने सभी प्रस्ताव अग्रेषित करे और उन पर सभी संसद सदस्यों के विचार प्राप्त करे।

हम वित्तीय साझेदारी के साथ आगे आए हैं और हमने विकास के प्रत्येक शीर्ष, जैसे सड़कें, भवन, पर्यावरण और वन तथा जल के अंतर्गत धनराशि निर्धारित की है जिससे कि उन योजनाओं में से इन पर्यटन स्थलों के लिए प्रावधान किया जा सके।

प्रो. बसुदेव बर्मन: आपका धन्यवाद, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र-बंगाल की खाड़ी से लगे 24 परगना जिला का दक्षिणी भाग-एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं यह भी बता दूं कि वहां मैंग्रोव्स भी हैं जो भारत भर से लोगों को आकर्षित करते हैं।

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, सुंदरबन के कारण विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में कुछ चिंताचनक परिस्थितियां—राष्ट्रीय और पर्यावरणीय-पैदा हो चुकी हैं। पहली बार हमने पश्चिम बंगाल के लिए भी सर्वाधिक धनराशि आबंटित की है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपसे पहले, कम से कम 17 माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने की अपनी इच्छा प्रकट कर चुके हैं।

आप केवल इसलिए व्यवधान नहीं डाल सकते हैं कि आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवधान न डालें। मैं इन सब चीजों की अनुमति नहीं दूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न काल है, और यदि आप बीच में व्यवधान डालते हैं तो यह ठीक नहीं है।

श्रीमती रेनुका चौधरीः महोदय, पश्चिम बंगाल को इस वर्ष सर्वाधिक धनराशि मिली है और हम सुंदरबन के लिए विशेष ध्यान देने हेतु योजना आयोग से भी बात कर रहे हैं। मैं माननीय संसद सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि क्या वे ऐसे लोगों का एक समूह बना सकते हैं जो सुंदरबन की निगरानी और देखरेख कर सके। यदि वह पर्यावरणीय दृष्टि से नष्ट हो रहा है तो यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और मेरे लिए ऐसे स्थान के लिए बाजार बनाना बहुत कठिन होगा। आप हमारी ओर से आश्वस्त हो सकते हैं कि हम सुंदरबन के लिए धन देंगे और उसके विकास की देखरेख करेंगे। हम इसके लिए योजना आयोग से कहेंगे क्योंकि यह हमारी वित्तीय क्षमता से बाहर है। हमने पश्चिम बंगाल को स्थानों के विकास हेतु बहुत सा धन दिया है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के सारे होटल पूर्णतया भरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पर्यटन उद्योग ऊपर उठ रहा है। हमने विशेषकर पश्चिम बंगाल में बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. का एक सम्मेलन भी आयोजित किया है। हम इस पूरे क्षेत्र को खोल सकते हैं और पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र के यात्रियों के लिए भी एक केन्द्र बनने जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजनः महोदय, अभी हम लोग रूरल ट्यूरिज्म की बात कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र से सहरसा में महर्षि विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। मैं चाहती हूं कि उसे भी रूरल ट्यूरिज्म में शामिल कर लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा मंडल विश्व भारती का नाम सभी जानते हैं। जब शंकराचार्य जी पूरे विश्व में शास्त्रार्थ जीतते हुए आ रहे थे, तो यहीं पर उन्होंने मंडल भारती से हार स्वीकार की थी। आश्चर्य की बात है कि उस जगत को अभी तक कवर करने का काम भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदया कह रही थी कि अगर कोई सांसद इंटेरेस्टेड हो तो वह अपने क्षेत्र में ऐसे किसी स्थान का विकास एमपीलैड से भी करा सकता है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही अपने क्षेत्र में एपीलैड से 12 लाख रुपए खर्च करके उस स्थान को कवर कराने का काम किया है। इसी विधान सभा क्षेत्र में बाबा खिरर नाम ऐतिहासिक स्थान है, जो मां उग्रतारा नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि उस जगह पर मां काली की आंखें गिरी थीं। इसी तरह से वहां देवबन स्थान है, जहां पर शिवजी को रावण लेकर जा रहे थे, तो देवबन नामक चरवाहे ने उन्हें गोदी में उठाया था। इस तरह से महर्षि विधान सभा क्षेत्र में पांच-छः स्थान हैं, जो ऐतिहासिक स्थल कहलाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वह उस जगह को विजिट करके, उसका सर्वे कराकर उसे पर्यटन स्थल घोषित करेंगी? मंडल भारती जी का जो स्थान है, उसे भी पर्यटन स्थल घोषित करके उस जगह का विकास करने के लिए अपनी तरफ से मंत्री महोदया क्या आर्थिक मदद देने को तैयार हैं?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप सारे मामलों पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजनः मैं मंत्री जी को यह भी कहना चाहती हूं कि एमपीलैड से जितने धन की जरूरत हो, मैं देने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरीः महोदय, मैं संसद संदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करने में इतनी रुचि दर्शाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यह भी इंगित करना चाहती हूं कि कुछ राज्यों में ऐसे स्थान या तो धर्मदाय या संस्कृति के अंतर्गत आएंगे।

[हिन्दी]

तो जरूरी यह है कि आप उन दोनों से, अगर स्टेट गवर्नमेंट की एनडॉवमेंट मिनिस्ट्री है तो वे पुण्य क्षेत्रों की जगह लेंगे या फिर कल्चरल मंत्रालय से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह सब कल्चर के अंतर्गत आता है। अपनी तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही ये इन दोनों के देखेंगे, वहां तक टूरिस्टों को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मैं आपसे भविष्य में ऐसा न करने का अनुरोध करता हूं। कृपया ऐसा न करें। अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंहः महोदय, आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस मथुरा क्षेत्र से मैं आता हूं वह भगवान राधाकृष्ण की जन्मस्थली

है और वहां राधा जी का जन्मस्थान बरसाना है। जहां भगवान को पाला गया वह नंदगाव तथा गोवर्धन, राधाकुंड, गिरिराज, गोकुल आदि जगह हैं जहां पर भगवान को मथुरा से लाया गया। साथ ही मथुरा-वृदांवन, परिक्रमा मार्ग आदि बहुत से धार्मिक स्थान हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मथुरा ग्रामीण क्षेत्र नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक विस्तृत सर्वे कराकर उस पर कुछ पैसा खर्च करें। वहां पर दो करोड़ यात्री हर वर्ष आते हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में कोई योजना बनाई है जिससे इस धार्मिक क्षेत्र का विकास और सौन्दर्यीकरण हो सके?

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, यदि राज्य सरकार इससे संबंधित प्रस्ताव भेजती है तो हम निश्चित रूप से उसे करेंगे। मैं मथुरा जैसे क्षेत्र का विकास करना चाहती हूं जो कि ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। हम वर्ष 2004-05 में 'डेस्टीनेशन डवलपमेंट प्रोजेक्ट' के अंतर्गत मथुरा में पहले ही कुछ काम कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के कुछ सिद्धान्त होते हैं। हमें मुख्य प्रश्न से संबंध बनाए रखना होता है। हम इस काल के दौरान इधर-उधर की जानकारियां नहीं मांगते रह सकते।

[हिन्दी]

मुर्गी पालन, पशुधन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सहायता

***604. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान मुर्गी पालन, पशुधन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित और जारी की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में झींगा पालन के संदर्भ में मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार कुक्कुट, पशुधन तथा मात्स्यिकी से संबंधित किसी भी योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन नहीं करती है। तथापि, धन की उपलब्धता, धन की पूर्व उपयोगिता तथा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है। कुक्कुट, पशुधन तथा मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए 2004-05 तथा चालू वर्ष के दौरान परिव्यय तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध "क" में दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2004-05 के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध "ख" में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) प्रॉन पालन सहित जलकृषि के विकास के लिए मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रॉन पालन के लिए प्रशिक्षण सहित खारा जलकृषि के विकास के लिए 2004-05 के दौरान 90.00 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

अनुबंध क

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2004-05		2005-06	
		मूल परिव्यय	जारी की गई धनराशि	परिव्यय	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	कुक्कुट	867.00	1437.05	3500.00	0.00
2.	पशुधन	16700.00	15909.69	25350.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	मात्स्यिकी	11300.00	10136.95	11210.00	202.94 (कर्नाटक को 200.00 लाख रुपए और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को 2.94 लाख रुपए)
	कुल	28867.00	27483.69	40060.00	202.94

अनुबंध ख

2004-05 में निर्मुक्तियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	कुक्कुट	पशुधन	मात्स्यिकी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	47.92	1264.48	506.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	132.50	445.08	98.26
3.	असम	0.00	217.85	98.18
4.	बिहार	0.00	0.00	118.89
5.	छत्तीसगढ़	0.00	309.50	116.03
6.	गोवा	68.00	131.62	70.73
7.	गुजरात	90.37	889.07	1293.20
8.	हरियाणा	0.00	1016.86	149.89
9.	हिमाचल प्रदेश	25.00	434.25	90.49
10.	झारखंड	0.00	171.37	149.89
11.	जम्मू-कश्मीर	204.00	371.61	244.76
12.	कर्नाटक	55.00	895.09	1071.07
13.	केरल	0.00	1013.50	227.91
14.	मध्य प्रदेश	64.00	930.69	354.14
15.	महाराष्ट्र	150.00	927.18	898.26
16.	मणिपुर	0.00	191.06	96.37

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	40.00	33.34	14.02
18.	मिजोरम	128.00	406.87	38.53
19.	नागालैण्ड	252.50	658.47	241.31
20.	उड़ीसा	0.00	830.06	482.99
21.	पंजाब	0.00	482.32	13.80
22.	राजस्थान	0.00	250.74	34.10
23.	सिक्किम	0.00	126.15	4.50
24.	तमिलनाडु	99.76	540.24	1265.61
25.	त्रिपुरा	0.00	200.00	124.15
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	1887.14	597.85
27.	उत्तरांचल	0.00	219.51	93.30
28.	पश्चिम बंगाल	80.00	903.07	1179.89
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	7.67	7.02
30.	चण्डीगढ़	0.00	5.10	0.00
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	30.09	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	2.33	127.00
33.	दिल्ली	0.00	63.30	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	19.24	20.00
35.	पाण्डिचेरी	0.00	34.85	308.76
	कुल	1437.05	15909.69	10136.95

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2004-2005 के दौरान प्रतिवर्ष पशुपालन, आहार तथा चारा उत्पादन, पशुधन बीमा, पशुधन स्वास्थ्य, डेयरी विकास, मात्स्यिकी और संबंधित अन्य मद में सरकार द्वारा आवंटन का ब्यौरा दिया गया है। इस प्रयोजन झारखंड राज्य में आवंटन के अनुरूप पूरी राशि खर्च करने एवं लाभूकों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि झारखंड के बारे में जो अनेक योजनाएं हैं उनके बारे में मुझे जानकारी है। अगर वे कोई स्पैसिफिक जानकरी चाहते हैं तो उन्हें मैं बता सकता हूं लेकिन पौलट्री और इस मामले में झारखंड राज्य की ओर से आज तक कोई आवंटन आया नहीं है। मैं विशेष रूप से इस एक योजना के बारे में कह रहा हूं, बाकी योजनाओं के बारे में वे जानकारी चाहेंगे तो मैं खुशी से दे दूंगा।

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मात्स्यिकी के लिए केन्द्र से राज्यों को प्रोत्साहन दिया गया है। महोदय, एक दृष्टांत है कि एमपीडा (एम. पी. आई. डी. ए.) और केन्द्र सरकार ने गत वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान

बिहार के 62 किसानों को झींगा पालन पर प्रशिक्षण हेतु और फीड मुहैया कराने हेतु 2.29 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई है और पुनः सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता बंद करने के कारण किसानों द्वारा स्वयं बीज मंगाया गया जो घटिया किस्म का बीज होने के कारण 82 प्रतिशत बीज मर गये। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, इस योजना के अन्तर्गत हम केवल राज्य सरकार या राज्य मात्स्यिकी विभाग को वित्तपोषित कर रहे हैं। माननीय सदस्य, बिहार में जो हुआ उसके बारे में एक शिकायत विशेष के संबंध में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे राज्य सरकार से सारी सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो मुझे इसे उन्हें देने में प्रसन्नता होगी। अभी राज्य सरकार की ऐसी कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं है जो किसी राज्य में सीधे लाभार्थी तक पहुंचती हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीनी का आयात

***605. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शुल्क मुक्त अपरिष्कृत चीनी के आयात की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और इस तरह के आयात पर क्या रियायतें दी जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन में संभावित वृद्धि को देखते हुए उक्त नीति की समीक्षा करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार की मौजूदा आयात-निर्यात नीति के अनुसार शुल्क छूट पात्रता प्रमाण-पत्र योजना के अधीन प्राप्त किए गये अग्रिम लाइसेंसों के प्रति वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा रॉ चीनी सहित सभी जिन्सों का आयात किया जा सकता है। इस योजना के अधीन इस प्रकार के आयातों को इस शर्त के अधीन शुल्क से छूट प्राप्त होती है कि एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा कर दिया जाएगा। अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन रॉ चीनी के आयात से स्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा, चीनी मिलों के पेराई मौसम की अवधि में वृद्धि होगी और उचित मूल्य पर चीनी की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी और इस प्रकार किसान, उद्योग और उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

(ग) से (ङ) चूंकि पिछले वर्ष की तुलना में चीनी वर्ष 2004-05 में उत्पादन कम रहने की संभावना है अतः माननीय सदस्यों का संदर्भ संभवतः चीनी वर्ष 2005-06 के दौरान चीनी के उत्पादन में होने वाली संभावित वृद्धि से है। सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए पर्यावरण-मूल्यांकन संबंधी विशेषज्ञ समितियां

***606. श्री सी. कुप्पुसामी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण संबंधी मंजूरी की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और यह कार्य किस एजेंसी को दिया गया है तथा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के विषय पर सलाह-मशविरा देने के लिए पर्यावरण-मूल्यांकन संबंधी कुछ विशेषज्ञ समितियां/समूह गठित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समितियों/समूहों की संरचना क्या होगी;

(ङ) क्या पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने ऐसी समितियों/समूहों के गठन की कड़ी आलोचना की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस संबंध में आगे क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) सरकार ने वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया की व्यापक पुनरीक्षा पहले ही कर ली है।

(ख) उपर्युक्त पुनरीक्षा मैसर्स एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंडिया प्रा.लि. नामक अंतर्राष्ट्रीय अनुभवी कन्सलटेंसी फर्म द्वारा की गयी। इस पुनरीक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय मंजूरी की वर्तमान प्रक्रिया की समस्याओं, अड़चनों एवं बाधाओं का अभिनिर्धारण तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया को ज्यादा सक्षम एवं प्रभावी बनाने के उपायों की सिफारिश करना है।

(ग) जी हां।

(घ) ताप विद्युत संयंत्रों, खनन, अवसंरचना एवं विविध परियोजनाओं, नदी घाटी एवं पनविद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक परियोजनाएं एवं नई निर्माण परियोजनाओं एवं औद्योगिक एस्टेटस के लिए छः सेक्टर विशेष समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान छः सेक्टरल विशेषज्ञ समितियों का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) सरकार को वर्तमान विशेषज्ञ समितियों के गठन पर कुछ गैर-सरकारी संगठन द्वारा परिचालित नोट की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। इन गैर-सरकारी संगठनों ने महिलाओं सहित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, बहु विषयक सुविज्ञता की कमी एवं सभी स्टेकहोल्डरों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को वर्तमान समितियों के गठन में महत्वपूर्ण माना है।

(छ) सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सांविधिक निकायों के लिए गैर-सरकारी/विशेषज्ञ/पेशेवरों के चयन हेतु मार्गनिर्देश तैयार किये हैं और वर्तमान समितियां पहले से ही पुनरीक्षा के अधीन हैं।

विवरण

ताप परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति का संयोजन

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1	2	3
1.	श्री पी एम अब्राहम टी सी 4/1996, मम्मीस कालोनी (संख्या 8) कावडियार, त्रिवेन्द्रम-695003	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी के वार्ष्णेय, स्कूल आफ एनवायरमैण्टल स्टडी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य (उपाध्यक्ष)
3.	श्री वाय एस मूर्ति 12-5-35/ए/4, छठी स्ट्रीट, तारनाका, सिकन्दराबाद-500017	सदस्य
4.	डा. बी. सेनगुप्ता, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	सदस्य
5.	डा. के कृष्णैया, कैमीकल्स इजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई-600036	सदस्य
6.	डा. के के एस भाटिया, वैज्ञानिक एफ और अध्यक्ष, पर्यावरणीय जल विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की-247687	सदस्य
7.	श्री धर्मपाल, मुख्य अभियन्ता (उर्जा) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली-110022	सदस्य
8.	श्री के पी नियाती, अध्यक्ष, पर्यावरण प्रबंधन विभाग, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय पर्यावास केन्द्र चौथी मंजिल, कोर-4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
9.	श्री के के सरीन, एस-108, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110011	सदस्य

1	2	3
10.	कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री एस के नैपोलियन 28, कन्नीअम्मन कायल स्ट्रीट, अनकापुथुर चेन्नई-600070	सदस्य
12.	श्री बी लाल, अपर महानिदेशक, मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
13.	डा. एस के अग्रवाल, निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य सचिव

खनन क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1	2	3
1.	श्री के. वेंकटेशन, भारत सरकार के पूर्व सचिव 113, एफ ब्लाक अन्ना नगर (पूर्वी) चेन्नई-600102	अध्यक्ष
2.	प्रो. एस.पी. बनर्जी 178/4 परनार्सी (पुडापुकार काली मंदिर के सामने), बीहाला, कोलकाता-700060	सदस्य (उपाध्यक्ष)
3.	श्री विनय महाजन ए-24 निजामुद्दीन (पूर्व) नई दिल्ली-110013	सदस्य
4.	श्री के एस राजु महानियंत्रक, भारतीय खनन ब्युरो, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	
5.	श्री आर रत्नागिरी 488, ईस्ट रामपार्ट तंजुवर-613001	सदस्य
6.	श्री एच वी पालीवाल डी-3, 3314, वंसतकुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
7.	प्रो. एम. सेल्वानायगम प्राणिविज्ञान विभाग, लायल कालेज, चेन्नई-600034	सदस्य
8.	डा. आशा राजवंशी संकाय प्रभारी, ई आई ए सैल, भारतीय वन्यजीव संस्थान पो.बा.नं. 18, चन्द्रबरनी, देहरादून-248001	सदस्य
9.	श्री बी. लाल अपर महानिदेशक मौसम विज्ञान (एच), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003.	सदस्य

1	2	3
10.	डा. एच एन सैयद निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, मेधनी नगर, अहमदाबाद-380016	सदस्य
11.	डा. अरिजित डे, वैज्ञानिक केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, ए-2, डब्ल्यु-3, कर्जन रोड बैरक, नई दिल्ली-1	सदस्य
12.	डा. गौतम भट्टाचार्य के-13 सैक्टर xi, नोएडा-201301	सदस्य
13.	डा. टी. चांदनी, अपर निदेशक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

नदी घाटी और पनविद्युत परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1	2	3
1.	डा. पी.जी. शास्त्री म.न.1-8-678/ए/1, पदमा कालोनी, नालाकुन्टा, हैदराबाद-500044	अध्यक्ष
2.	प्रो. एस चान्दा मानव एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, सी के-II सेक्टर 2, साल्ट लेक, कोलकाता 700091	सदस्य (उपाध्यक्ष)
3.	डा. सत्य पी एस कुशवाहा, अध्ययक्ष, वानिकी और पारिस्थितिकी डिवीजन, आई आई आर एस, 4 कालीदास रोड, पो. बा. नं. 135, देहरादून-248001 (उत्तरांचल)	सदस्य
4.	डा. ए.के. भट्टाचार्य जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रो. एस बासु भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की 247667	सदस्य
6.	डा. (श्रीमती) वी एम बेन्द्रे, निदेशक, केन्द्रीय जल एवं पावर अनुसंधान स्टेशन खड़गवासला, पुणे-411024	सदस्य

1	2	3
7.	सदस्य, मत्स्य पालन आयोग, पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
8.	डा. अपूर्वा सरकार परियोजना निदेशक, फसल प्रणा अनुसंधान मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250110	सदस्य
9.	श्री ई करुणानिधी नं.5, तिरुपुर कुमारन स्ट्रीट, राधानगर करोमपेठ, चेन्नई-600044	सदस्य
10.	श्री आर एस भारती, अध्यक्ष, एलन्दुर नगरपालिका, न्यू नं. 18, 29 स्ट्रीट, थिलाई गंगा नगर, चेन्नई 600,061	सदस्य
11.	श्री ओ पी सिसोदिया, सहायक आयुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ब्लाक नं. 11 छठी मंजिल, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
12.	श्री रविन्द्र सिंह, चीफ इंजीनियर (ई एम ओ), 613 (एस) सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली-66	सदस्य
13.	डा. एस भौमिक, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य सचिव

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1	2	3
1.	डा. टी. एस. विजयाराघन, 81, वाल्मिकी स्ट्रीट तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041	अध्यक्ष
2.	श्री आर. के गर्ग, 4, विक्रम ज्योति कोपरेटिव सोसायटी, अपोजिट टेलीकोम फैक्टरी, देओनार, मुम्बई-40088	सदस्य (उपाध्यक्ष)
3.	प्रोफेसर बी. पिचूमानी, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इण्डियन इंस्टीटच्यूट आफ टेक्नोलोजी-हौजखास, नई दिल्ली-110016	सदस्य
4.	प्रोफेसर एन आर नीलकंठ, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलोजी, अडयार, चेन्नई-600036	सदस्य
5.	डा. बी. सेनगुप्ता, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्व अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली	सदस्य

1	2	3
6.	श्री एम.ए. वैद्यालिंगम, 68, तिरुवेन्युर स्ट्रीट, मीनामबक्कम, चेन्नई-600027	सदस्य
7.	डा. साजिद हुसैन, 7/90, जाहीर नगर कालोनी, होशीगुड्डा, हैदराबाद-500007	सदस्य
8.	श्री टी.के.एस. ऐलांगोवन, सी-5, लोयडस कालोनी, रोयापिताह, चेन्नई-600014	सदस्य
9.	डा. एस. मोहन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट आफ सिविल इंजीनियरिंग इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलोजी, चेन्नई-600036	सदस्य
10.	डा. बी. लाल, अपर महानिदेशक मौसम विज्ञान (एच) भारतीय मौसम विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
11.	श्री वी. बालाकृष्णन, 8/94, III क्रोस नाचथिरा नगर, तंजावुर-613005, तमिलनाडु	सदस्य
12.	श्री जी.वी. सुब्रहमण्यम् निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.	सदस्य सचिव

अवसंरचना और विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1	2	3
1.	श्री टी.वी. एन्टोनी 8, चौथी मेन रोड, गांधी नगर, अडयान, चेन्नई-20	अध्यक्ष
2.	श्री आर. सिवास्वामी चीफ इंजीनियर एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर ए एल एच डब्ल्यू (रिटायर्ड) 244, 39 वी स्ट्रीट 8 वां सेक्टर के.के. नगर, चेन्नई-78	सदस्य (उपाध्यक्ष)
3.	डा. एस मेट्टी प्रोफेसर एण्ड हेड विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय बी-2/210 कल्याणी, नादिया जिला पश्चिम बंगाल-714235	सदस्य
4.	डा. एम बाबा, निदेशक, सेन्टर फार अर्थस साइंस स्टडीज तिरुवनन्तपुरम-695031	सदस्य
5.	डा. आरीजीत डे, सदस्य सचिव सेन्ट्रल ग्राऊंड वाटर अथोरिटी 1103 अंसल भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य

1	2	3
6.	डा. एम नागानाथन, प्रोफेसर और अध्यक्ष डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक्स मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई-600005	सदस्य
7.	डा. टी. अनंतरंजन पूर्व प्रोफेसर अन्ना विश्वविद्यालय प्लाट संख्या 6, सेकेंड स्ट्रीट एक्सटेंशन सारथी नगर, वेलाचेरी चेन्नई-600042	सदस्य
8.	डा. एस. रामचन्द्रन प्रोफेसर एण्ड डायरेक्टर इंस्टीटच्यूट फार ओशन मैनेजमेंट, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600025	सदस्य
9.	प्रोफेसर ए.के. मैत्रा, निदेशक स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002	सदस्य
10.	डा. आर. नटराजन, एसोसिएड प्रोफेसर ओशन इंजीनियरिंग सेन्टर आई आई टी, चेन्नई-600036	सदस्य
11.	श्री डी. चन्द्रशेखरन, मुरली आनंद, 5201/ए चित्रा कुलाम नार्थ स्ट्रीट, मलयापोर, चेन्नई-600004	सदस्य
12.	डा. टी. अनंथारंजन, प्लाट संख्या 6, सेकेण्ड स्ट्रीट एक्सटेंशन सारथी नगर, वेलाचेरी चेन्नई-42	सदस्य
13.	डा. एन एच होसाबेटु निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-3	सदस्य सचिव

नव गठन परियोजनाओं और औद्योगिक सम्पदा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1	2	3
1.	श्री पारितोष सी त्यागी, पूर्व अध्यक्ष, सी पी सी बी नोएडा यू.पी.	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर के.टी. रवीन्द्रन, प्रोफेसर, अर्बन डिजाइन स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य (उपाध्यक्ष)

1	2	3
3.	प्रोफेसर एच.बी. [illegible], एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एम.एस. यूनिवर्सिटी, वडोदरा	सदस्य
4.	सुश्री राजालक्ष्मी कलानिधी, सं. 19, II स्ट्रीट अभिरामपुरुन, मायलापोर, चेन्नई-60004	सदस्य
5.	सुश्री मिली मजुमदार, एरिया कन्वीनर, सेन्टर फॉर रिसर्च इन सस्टेनेबल बिल्डिंग साइंस, टीरी, हेबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली-3	सदस्य
6.	श्री आई. जे. एस. सिद्धु चीफ (प्रोजेक्ट मानीटरिंग) बिल्डिंग मेटिरीयल एण्ड टेक्नोलोजी प्रोमोशन सेन्टर	सदस्य
7.	श्री उपेन्द्र कचरु, अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी एवं मैनेजमेंट सिस्टम (टी ए एम एस) पम्पोश एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
8.	प्रोफेसर ए.के. गोसाई, डिपार्टमेंट आफ सिविल इंजीनियर, आई आई टी, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री आर. सेतुरमन, सलाहकार, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन, शहरी मामले और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
10.	डा. अरुण बाली निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जे एन यू इन्स्टीटच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067	सदस्य
11.	डा. ए.के. सक्सेना निदेशक (पर्यावरण) राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र नई दिल्ली-110003	सदस्य
12.	डा. एम.के. शर्मा वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की-247667	सदस्य
13.	श्री टी. वेणुगोयल, निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली	सदस्य
14.	प्रोफेसर एम शाहीर, प्रोफेसर आफ लैण्डस्केप प्लानिंग, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्टर, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री एस. शिव कुमार निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-3	सदस्य सचिव

[हिन्दी]

ब्लाक स्तर पर थोक बिक्री केन्द्र

***607. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए ब्लाक स्तर पर थोक बिक्री केन्द्र खोलने की योजना को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले चरण में ऐसे बिक्री केन्द्र कितने ब्लाकों में स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) ऐसे बिक्री केन्द्रों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों में अनियमितताओं के कभी-कभार होने वाले मामालों को केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के ध्यान में लाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है तथा लाभार्थियों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और लगभग 4.78 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए उन्हें खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

(ख) से (घ) फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल को कवर किया गया है। माननीय सदस्य संभवतया मिट्टी के तेल से संबंधित पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रस्तावित स्कीम का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा देश में 10 प्रतिशत ब्लाकों को कवर करते हुए एक पायटल परियोजना हाल ही में मंजूर की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मिट्टी का तेल लक्षित उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए और इसका विपथन अपमिश्रण के लिए न हो। इस स्कीम में ब्लाक स्तर पर भण्डारण टैंक तथा कैलीब्रेटिड वितरण यूनिटें बनाने; खुदरा दुकानों को सुपुर्दगी देने के लिए ब्लाक के अंदर 5-10 उप थोक केन्द्र बनाने के साथ थोक भण्डारण सुविधा स्थापित करने और स्कीम के क्रियान्वयन की मानीटरिंग में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

***608. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई/की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं तथा उन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की कार्य-प्रगति का तथा इन्हें समय पर पूरा करने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जल निकायों की बहाली के लिए भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन कार्यक्रम आरंभ करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सुनामी के कारण तटीयक्षरण जैसे कार्यक्रम आरंभ कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का अन्वेषण, आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण स्वयं राज्यों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है केन्द्र ऐसे राज्यों को ऋण और अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध करा करा है जो कि विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से नहीं जुड़े हैं। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में 169 वृहद और 219 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। किए गए व्यय, सृजित क्षमता इत्यादि सहित विभिन्न मानकों के साथ इन निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार विस्तृत स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। राज्यों

द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित नई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते राज्य-वार परिव्यय संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में राज्य सरकारों के वित्तीय स्रोत मुख्य बाधा है, केन्द्र सरकार ने निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और पूरी हुई परियोजनाओं से अधिकांश लाभ प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से ऐसी निर्माणाधीन अनुमोदित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं और जो पूरी होने की अंतिम अवस्था में हैं, को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) एण्लब्ध कराने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) आरंभ किया। आमतौर पर सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन और विशेषतौर पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम राज्यों पर छोड़ दिया जाता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार ने मार्च, 2004 तक 17,537.57 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान जारी किया है और इससे 2.7 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन में सहायता मिली है।

(ग) और (घ) ''जल'' राज्य का विषय होने के कारण भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए प्रयास करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

(1) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम विचाराधीन है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) केन्दीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(5) सभा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(6) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 1800 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(7) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रसारण, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय सहित जनवरी, 2005 में ''कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' नामक एक प्रायोगिक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमता को पुनर्स्थापित करना और उसे बढ़ाना तथा उनकी लुप्त सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करके उसे संवर्द्धित करना है। इस स्कीम में राज्यों द्वारा एक या दो जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। इन जल निकायों के नवीकरण के कार्य से आसपास के क्षेत्रों में भूजल के पुनर्भरण में भी सहायता मिलेगी।

(ङ) और (च) सुनामी त्रासदी के पश्चात तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक ने राज्यों में क्षतियों के कारण पुनर्स्थापना कार्य करने, तटीय अवसंरचना को पुन: स्थापित करने और तटीय सुरक्षा कार्य करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

स्थिति-विशिष्ट कमी किए जाने संबंधी उपायों और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के निर्धारण के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात नए स्थानों पर तटीय सुरक्षा घटकों के निर्माण पर विचार किया जाएगा। इन राज्यों के कार्यान्वयन को तीन वर्ष की अवधि (2005-08) में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण I

देश में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सार (1.4.2004 की स्थिति के अनुसार)

(रुपये करोड़ में/क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	ऐसी कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनके संबंध में सूचना प्राप्त हुई है			नवीनतम अनुमानित लागत	3/2004 तक संभावित व्यय	1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)	चरण क्षमता	3/2004 तक सृजित संभावित क्षमता	1.4.2002 शेष क्षमता (प्रत्याशित)
		वृहद	मध्यम	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15	9	24	18075.03	9496.03	8579.00	2353.48	1647.40	706.08
2.	असम	5	5	10	1840.88	496.13	1344.75	268.17	131.22	136.95
3.	बिहार	9	3	12	4624.82	2320.66	2304.16	811.19	131.86	679.33
4.	छत्तीसगढ़	3	5	8	1932.33	1582.30	350.03	744.62	586.39	158.23
5.	गोवा	1	0	1	966.56	501.61	464.95	26.89	13.21	13.68
6.	गुजरात	3	18	21	31961.79	17255.66	14706.13	1908.00	269.48	1638.52
7.	हरियाणा	4	0	4	962.13	770.82	191.31	254.00	168.00	86.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	288.57	93.02	195.55	33.15	1.11	32.04
9.	जम्मू-कश्मीर	0	7	7	226.30	143.07	83.23	34.55	10.34	24.21
10.	झारखंड	5	19	24	5747.99	1844.81	3903.18	513.57	11.46	502.11
11.	कर्नाटक	16	18	34	20538.85	12976.67	7562.18	1872.72	1068.03	804.69
12.	केरल	4	4	8	2608.80	1520.25	1088.55	220.73	86.09	134.64
13.	मध्य प्रदेश	16	5	21	17996.63	6149.63	11847.00	1827.61	203.15	1624.46
14.	महाराष्ट्र	56	95	151	39695.56	18807.73	20887.83	3703.24	1382.44	2320.80
15.	मणिपुर	2	1	3	702.32	434.74	267.58	55.94	4.00	51.94
16.	मेघालय	0	1	1	57.07	22.59	34.48	5.15	0.00	5.15
17.	उड़ीसा	10	10	20	7178.52	3553.90	3624.62	793.78	291.92	501.86
18.	पंजाब	1	0	1	1324.18	128.09	1196.09	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	4	4	8	6863.95	4497.23	2366.72	1217.35	818.69	398.66
20.	तमिलनाडु	0	2	2	105.36	86.12	19.24	7.19	0.00	7.19
21.	त्रिपुरा	0	3	3	178.00	137.61	40.39	26.72	3.30	23.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	उत्तरांचल	3	0	3	5334.11	253.08	5081.03	311.60	21.00	290.60
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	9	7534.32	4247.39	3286.93	2152.27	711.99	1440.28
24.	पश्चिम बंगाल	2	8	10	2728.42	1038.95	1689.47	660.58	139.79	520.79
	कुल	169	219	388	179472.49	88358.09	91114.40	19802.50	7700.87	12101.63

विवरण II

नई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सार

क्र.सं.	राज्य	नई परियोजनाओं की संख्या	
		वृहद	मध्यम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	19	24
2.	असम	0	0
3.	बिहार	4	2
4.	छत्तीसगढ़	4	0
5.	गोवा	0	2
6.	गुजरात	3	24
7.	हरियाणा	5	3
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	0	6
10.	झारखंड	0	5
11.	कर्नाटक	3	10
12.	केरल	0	0
13.	मध्य प्रदेश	4	2
14.	महाराष्ट्र	6	21
15.	मणिपुर	1	2
16.	मेघालय	0	0
17.	नागालैण्ड	0	1
18.	उड़ीसा	11	5
19.	पंजाब	1	0
20.	राजस्थान	5	15
21.	तमिलनाडु	0	0
22.	त्रिपुरा	0	0
23.	उत्तरांचल	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	6	0
25.	पश्चिम बंगाल	6	12
	कुल	78	136

विवरण III

दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वृहद और मध्यम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9153.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.66
3.	असम	273.60
4.	बिहार	3273.19
5.	छत्तीसगढ़	1721.37
6.	गोवा	175.40
7.	गुजरात	7660.91

1	2	3
8.	हरियाणा	1129.64
9.	हिमाचल प्रदेश	55.00
10.	जम्मू-कश्मीर	237.43
11.	झारखंड	1720.86
12.	कर्नाटक	13277.33
13.	केरल	600.00
14.	मध्य प्रदेश	3819.03
15.	महाराष्ट्र	12150.10
16.	मणिपुर	221.60
17.	मेघालय	24.75
18.	मिजोरम	0.05
19.	नागालैण्ड	0.50
20.	उड़ीसा	2329.02
21.	पंजाब	1592.51
22.	राजस्थान	2269.61
23.	सिक्किम	0.00
24.	तमिलनाडु	1700.00
25.	त्रिपुरा	44.17
26.	उत्तरांचल	103.28
27.	उत्तर प्रदेश	6424.58
28.	पश्चिम बंगाल	895.85
	कुल	70855.28

सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन और उसका विकास

*609. **श्री हितेन बर्मन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उसका विकास करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश के सहकारी क्षेत्र के विकास हेतु उपर्युक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बाद क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिय बहुत से उपाय किये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निरूपण, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 का अधिनियमन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 का अधिनियमन तथा सहकारी ऋण व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिये पहलें शामिल हैं। केन्द्र सरकार भी देश में सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को वित्त पोषित कर रही है। एक नई पहल के रूप में सरकार ने उन कनष्ठि (जूनियर) सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता देने संबंधी कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जो राज्य सहकारी संघों/राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सस्य-प्रसंस्करण यूनिटों और आधारभूत स्तर की सहकारी समितियों के विकास का कार्य किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारिता नीति और बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में राज्यों को स्वायत्त, लोकतांत्रिक तथा व्यावसायिक कार्य प्रणाली के सिद्धान्तों पर अपना सहकारी विधान लाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये गये हैं। शीर्ष स्तरीय सहकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित केन्द्र सरकार की स्कीमों से कताई, चीनी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सहकारी कार्यक्रमों के विकास में मदद मिली है।

[हिन्दी]

नदियों के पानी की बर्बादी

*610. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में लगभग 1200 बिलियन क्यूसेक पानी हर वर्ष बहता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुल पानी में से बहने वाले फालतू पानी की मात्रा का कोई आकलन किया गया है जिसके कारण बाढ़ आती है और व्यापक नुकसान होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में कितना-कितना फालतू पानी आता है;

(ङ) क्या इस फालतू पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना (बराक और अन्य वितरिकाओं सहित) बेसिनों में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1110.6 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) आंकी गई है।

(ग) और (घ) सामान्यतया, मानसून अवधि के दौरान काफी वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है। मानसून के दौरान नदी के प्रवाह में वर्ष-दर-वर्ष अंतर होता है जोकि तूफान की तीव्रता आदि पर निर्भर करता है। तथापि, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक तथा अन्य में मानसून अवधि के दौरान औसत प्रवाह औसत वार्षिक प्रवाह का क्रमशः 81%, 76%, 81% आंका गया है।

(ङ) से (छ) जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतर-बेसिन हस्तांतरण की योजना है जिसके अंतर्गत दो घटक नामतः हिमालयी नदी विकास घटक तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने संबंधी विभिन्न प्रकार के तकनीकी अध्ययन करने के वास्ते वर्ष 1982 में इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन किया गया है। एनडब्ल्यूडीए द्वारा कराये गए अध्ययनों के अनुसार मुख्य गंगा नदी, इसकी वितरिकाओं अर्थात कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, यमुना, सोन और रामगंगा तथा ब्रह्मपुत्र की वितरिकाओं अर्थात मानस, संकोष, अई, रायदक, जलढ़ाका और तोरसा में कुछ अधिशेष जल है। एनडब्ल्यूडीए ने इस प्रयोजन के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों की तैयारी के वास्ते हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों की पहचान की है।

कृषि ऋण

***611. श्री नीतीश कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान कृषि ऋण में वृद्धि हुई है किंतु कृषि पैदावार में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वे कौन-कौन से वर्ष हैं जिनके दौरान कृषि ऋण में तो वृद्धि हुई किन्तु कृषि पैदावार में वृद्धि नहीं हुई; और

(घ) कृषि पैदावार में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) वर्ष 2003-04 में अनाज, तिलहन, कपास तथा पटसन की उपज वर्ष 1999-2000 की उपज की तुलना में काफी अधिक रही। तथापि गन्ने के मामले में वर्ष 2003-04 के दौरान इसकी उपज 1999-2000 की तुलना में बहुत कम थी। संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समग्र कृषि पैदावार की तुलना में कृषि ऋण में वृद्धि की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निचले स्तर पर प्रति हेक्टैयर ऋण संवितरण की तुलना में सभी फसलों को कवर करते हुए प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन के मूल्य से संबंधित आंकड़े भी अनुबंध में दिए गए हैं। यद्यपि, पांच वर्षों के दौरान कृषि ऋण में वृद्धि धनात्मक थी, तथापि 2000-01 से 2002-03 के दौरान उत्पादन मूल्य में वृद्धि ऋणात्मक रही। ऋणात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण था, दक्षिण-पश्चिम मानसून तथा मानसून पश्चात एवं सर्दी के मौसम में वर्षा में कमी। वर्ष 2000-01 के दौरान प्रति हेक्टेयर उत्पादन मूल्य में गिरावट का प्रमुख कारण रबी फसलों के उत्पादन में गिरावट था, जो मानसून पश्चात (अक्टूबर से दिसम्बर) तथा सर्दी के मौसम (जनवरी तथा फरवरी) के दौरान वर्षा में गम्भीर कमी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2002-03 में आई कमी खरीफ तथा रबी दोनों फसलों के उत्पादन में आई गिरावट के कारण आई, जो भीषण सूखे का प्रभाव दर्शाती है। वर्ष 2002 में देश के अनेक राज्य सूखे की चपेट में थे।

(घ) विभिन्न अनाज फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मोटे अनाज, गेहूं तथा चावल से संबंधित समेकित फसल विकास कार्यक्रमों जैसी विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया, जिन्हें अब वृहद प्रबंध कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है।

तिलहन व दलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए दिनांक 1.4.2004 से केन्द्रीय प्रायोजित ''तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम (आइसोपाम)'' कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रजनक बीजों, आधारी बीजों एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन हेतु संक्षिप्त कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों तथा मिनिकिटों के वितरण, आधारभूत ढांचे के विकास, समेकित कीट प्रबंध आदि के लिए सहायता दी जाती है।

गन्ने की खेती वाले राज्यों में गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान संबंधी कार्य नीतियों का कार्यान्वयन गन्ने से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के अंतर्गत नियमित तथा स्वैच्छिक अनुसंधान केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "गन्ना आधारित फासल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास" (एसयूबीएसीएस) वर्ष 1995-96 से शुरू की गई थी। यह स्कीम अक्टूबर, 2000 से कृषि की वृहद प्रबंध पद्धति में शामिल कर दी गई है। इस स्कीम में खेतों पर प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण, किसानों के प्रशिक्षण, कृषि उपस्करों की आपूर्ति, बीज उत्पादन में वृद्धि करने और कीट प्रबंध उपायों आदि पर बल दिया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कपास प्रौद्योगिकी मिशन" के अंतर्गत मिनी मिशन-II का कार्यान्वयन कपास की खेती वाले 13 राज्यों में किया जा रहा है। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना और इसके रेशे की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए सिंचाई, छोटी सिंचाई, बागवानी तथा विपणन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में उल्लेखनीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है। बजट में किसानों को ऋण के संवितरण में, वर्ष 2004-05 में संवितरित 1,15,243 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 2005-06 के दौरान 30% वृद्धि प्रस्तावित है।

विवरण

कृषि उपज

(किलोग्राम/हेक्टेयर)

फसल	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
खाद्यान्न	1627	1704	1626	1734	1535	1731
वृद्धि (%)		4.7	-4.6	6.6	-11.5	12.8
तिलहन	944	853	810	913	691	1067
वृद्धि (%)		-9.6	-5.1	12.7	-24.4	54.5
गन्ना	71203	70935	68577	67370	63576	58986
वृद्धि (%)		-0.4	-3.3	-1.8	-5.6	-7.2
कपास	224	225	190	186	191	309
वृद्धि (%)		0.4	-15.6	-2.1	2.7	61.8
पटसन	1875	2005	2026	2182	2139	2186
वृद्धि (%)		6.9	1.0	7.7	-2.0	2.2

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग

प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन के मूल्य एवं कृषि ऋण का रुझान

(वर्तमान मूल्यों पर रुपये)

मद	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन का मूल्य	19493	20251	19932	21698	20941	24768
वृद्धि (%)		3.9	-1.6	8.9	-3.5	18.3
प्रति हेक्टेयर ऋण	1940	2435	2780	3266	3727	4578
वृद्धि (%)		25.5	14.2	17.4	14.1	22.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

खाद्य सुरक्षा

***612. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेयः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विश्व में खाद्य सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के बारे में खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 1996-97 से देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य आपूर्ति नहीं होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद ऐसी स्थिति विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) खाद्य और कृषि संगठन की "विश्व में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, 2004" नामक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "संदर्भ अवधि" यह निर्धारित करती है कि क्या विश्व में खाद्य सुरक्षा की स्थिति खराब हो रही है। इसमें कहा गया है कि विकासशील विश्व के लिए 1990-92 और 2000-2002 की तीन वर्षीय अवधियों के बीच कुपोषितों की संख्या में गिरावट (824 मिलियन से 815 मिलियन) आई है। तथापि, 1995-97 और 2000-2002 के बीच यह संख्या बढ़ी (797 मिलियन से 815 मिलियन) है। अन्य शब्दों में इन आंकड़ों में नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध और मध्य के बीच गिरावट दिखाई दी है तथा नब्बे के दशक के मध्य से 2000-02 की अवधि में इनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कुपोषण की शिकार आबादी के भाग में इन दोनों उप अवधियों में गिरावट आई है। यह 1990-92 के 20% से गिरकर 1995-97 में 18% तथा 2000-02 में 17% रह गया है। विश्व के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में दो प्रमुख अपवादों, दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका को छोड़ कर दोनों उप अवधियों में कुपोषण की शिकार आबादी की संख्या और अनुपात में गिरावट हुई है। इन क्षेत्रों में यद्यपि दोनों उप अवधियों में कुपोषण की शिकार आबादी के प्रतिशत में गिरावट हुई है लेकिन कुपोषण की शिकार आबादी की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) भारत के संबंध में रिपोर्ट में 1990-92 और 1995-97 के बीच कुपोषण की शिकार आबादी की संख्या 216 मिलियन से गिरकर 203 मिलियन रह जाना तथा 2000-02 तक यह संख्या बढ़कर 221 मिलियन हो जाना दिखाया गया है। 1990-92 के बीच कुपोषण की शिकार आबादी का प्रतिशत आबादी के 25% से घटकर 21% रह गया था तथा इसके बाद 2000-02 तक इस प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ङ) और (च) खाद्य और कृषि संगठन ने सूचित किया है कि वे कुपोषण की शिकार आबादी की संख्या में परिवर्तन होने के कारणों का अभी भी अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के पूर्ण होने से पहले वे संभावित कारणों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहेंगे। देश में 2000-02 में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टॉक था जिसका पता इस तथ्य से चलता है कि इस अवधि के दौरान किसी प्रकार का आयात करने की जरूरत नहीं हुई और इस अवधि में मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहे।

[अनुवाद]

तिलहनों का उत्पादन

***613. श्री एस.के. खारवेनथनः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तिलहनों का कितना उत्पादन किया गया तथा इनकी वास्तविक आवश्यकता कितनी रही;

(ख) क्या देश में तिलहनों का वास्तविक उत्पादन बढ़ती मांग को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आनुवंशिक रूप से संवर्धित तिलहनों का अयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तिलहनों के उत्पादन में और तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादन तथा तिलहन की प्रक्षेपित आवश्यकता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(मात्रा: मिलियन मी. टन)

वर्ष	घरेलू उत्पादन	प्रक्षेपित आवश्यकता
2001-02	20.66	35.07
2002-03	15.06	36.75
2003-04	25.29	38.52

तिहलनों का घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को खाद्य तेलों/तिहलनों के आयात के जरिये पूरा किया जाता है।

(ङ) उत्पादन एवं मांग के बीच मौजूद अंतर को देखते हुए तिहलन के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशियों, राइजोबियम कल्चर/फॉस्फेट घुलनशील बैक्टिरिया के वितरण, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव यंत्रों एवं जल वाहक पाइपों के वितरण और जागरूकता अभियान के लिए सहायता दी जाती है। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के कृषि विभाग तथा अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से ब्लॉक प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार तिलहन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलानें के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर प्रति वर्ष प्रमुख तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर रही है। बजार में जब इन फसलों के मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से नीचे गिर जाते हैं, तब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), जो केन्द्रीय नोडल एजेंसी है, द्वारा देश में मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के अंतर्गत तिलहनों की खरीद की जाती है।

[हिन्दी]

प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता

***614. श्री राजनरायन बुधौलिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं, धान, मक्का, सरसों, गन्ना और कपास की राज्यवार प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता कितनी है;

(ख) क्या प्रति हेक्टेयर किये जाने वाला व्यय उपज के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन फसलों के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) गेहूं, धान, मक्का, सरसों, गन्ना और कपास के संबंध में वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक पांच वर्षों के आंकड़ों पर आधारित राज्यवार औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) कृषि में उत्पादकता व्यय के अतिरिक्त वर्षा और तापमान जैसे कारकों से भी प्रभावित होती है। अत: प्रति हेक्टेयर उपज को प्रत्यक्षत: व्यय के साथ सहसंबद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर निचले स्तर पर ऋण प्रवाह वर्ष 1999-2000 के 2435 रु. से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 2780 रु. हो जाने के बावजूद, कृषि उत्पादन का प्रति हेक्टेयर मूल्य वर्ष 1999-2000 के 20,251 रु. से घटकर वर्ष 2000-01 में 19,932 रु. रह गया। उत्तर-पूर्वी मानसून से वर्षा की गंभीर कमी और सर्दी के मौसम में वर्षा की कमी के कारण रबी फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ। वर्ष 2002-03 में भी, ऋण प्रवाह में वृद्धि होने के बावजूद कृषि उत्पादन के मूल्य में कमी आई जो खरीफ और रबी दोनों फसलों पर वर्ष 2002 के भीषण सूखे के प्रभाव को दर्शाती है।

(घ) चालू वर्ष 2004-05 हेतु गेहूं, धान, मक्का, सरसों, गन्ना तथा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दर्शाए गए हैं:

जिन्स	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)
गेहूं		640
धान	सामान्य	560
	श्रेणी ''ए''	590
मक्का		525
सरसों		1700
गन्ना		74.50
कपास	एफ-414/एच-777/जे-34	1760
	एच-4	1960

(ङ) से (छ) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और इसके साथ-साथ अन्य संबंधित घटकों, जो कि सरकार की राय में समर्थन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है।

सरकार ने 20 अप्रैल, 2005 को वर्ष 2005-06 मौसम हेतु खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति घोषित कर दी है। वर्ष 2005-06 मौसम की खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों को सामान्यतया वर्ष 2004-05 मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में बढ़ाया गया है। वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

गेहूं, धान, मक्का, सरसों, गन्ना तथा कपास के संबंध में मुख्य राज्यों में औसत उत्पादकता
(वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक पांच वर्षों का औसत)

(कि.ग्रा./हेक्टेयर)

राज्य	गेहूं	धान	मक्का	सरसों	गन्ना	कपास
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	713	4190	3163	313	77345	251
असम	1160	2195	709	486	38087	81
बिहार	2079	2201	2306	823	44615	-
छत्तीसगढ़	1029	1337	1132	344	2424	567
गुजरात	2262	2042	1515	1170	70087	219
हरियाणा	4070	3753	2211	1306	56429	320
हिमाचल प्रदेश	1420	2157	2187	573	26863	-
जम्मू-कश्मीर	1333	2684	1568	565	11500	-
झारखंड	1673	1659	1550	-	27974	-
कर्नाटक	798	3612	2732	270	94100	216
केरल	-	3249	-	-	85117	271
मध्य प्रदेश	1663	1511	1664	902	26041	123
महाराष्ट्र	1321	2276	1626	238	80240	141
उड़ीसा	1380	1725	1202	146	57843	239
पंजाब	4465	5118	2493	1060	62436	340
राजस्थान	2575	1695	1105	921	44038	206
तमिलनाडु	1250	5154	1628	143	106412	312

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	2685	3033	1365	949	57056	122
उत्तरांचल	1880	2882	1401	653	58088	-
पश्चिम बंगाल	2271	3528	2477	817	74387	377
अखिल भारत	2692	2907	1817	924	69065	204

विवरण II

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

20.4.2005 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2004-05	2005-06	#2004-05 की तुलना में 2005-06 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	धान	सामान्य	560	570	10(1.8)
		श्रेणी "ए"	590	600	10 (1.7)
2.	ज्वार		515	525	10(1.9)
3.	बाजरा		515	525	10(1.9)
4.	मक्का		525	540	15(2.9)
5.	रागी		515	525	10(1.9)
6.	गेहूं		640		
7.	जौ		540		
8.	चना		1425		
9.	अरहर (तुर)		1390	1400	10(0.7)
10.	मूंग		1410	1520	110(7.8)
11.	उड़द		1410	1520	110(7.8)
12.	मसूर (लेन्टिल)*		1525		
13.	गन्ना @		7450		
14.	कपास	एफ-414/एच-777/जे 34	1660	1760	0(0.0)
		एच-4	1960	1980	20(1.0)

1	2	3	4	5	6
15.	छिलके वाली मूंगफली		1500	1520	20(1.3)
16.	पटसन		890	910	20(2.2)
17.	तोरिया/सरसों		1700		
18.	सूरजमुखी बीज		1340	1500	160(11.9)
19.	सोयाबीन	काली	900	900	0(0.0)
		पीली	1000	1010	10(1.0)
20.	कुसुम		1550		
21.	तोरिया		1665		
22.	तम्बाकू (वी.एफ.सी.) (रु. प्रति कि.ग्रा.)	काली मृदा (एफ-2 ग्रेड)	32.00		
		हल्की मृदा (एल-2 ग्रेड)	34.00		
23.	खोपरा (कैलेण्डर वर्ष)	मिलिंग	3500	3570	70(2.0)
		बॉल	3750	3820	70(1.9)
24.	तिल		1500	1550	50(3.3)
22.	राम तिल		1180	1200	20(1.7)

@सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एस.पी.) उस स्तर से ऊपर वसूली में प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम के साथ 8.5% की मूल वसूली से जोड़ा गया। वर्ष 2002-03 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत 5 रु. प्रति क्विंटल की एक बारगी सूखा राहत शामिल है।

#कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

***615. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक कितने भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है;

(ख) अभी तक कितने परिवार मुआवजे के लिए विचाराधीन हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) मुआवजा दावे, संबंधित दावेदारों द्वारा दायर किए गए हैं, न कि परिवारों द्वारा। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल-मिलाकर 10,29,516 दावे दायर किए गए हैं और सभी मामलों को निपटा दिया गया है। 5,73,018 दावों के संबंध में दावेदारों को 1542.31 करोड़ रुपए की कुल मुआवजा राशि प्रदान की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 19 जुलाई, 2004 के आदेशों के अनुपालन के अनुसरण में, जिन दावेदारों को मूल मुआवजा राशि (5,73,018) प्रदान की गई है, उन्हें यथानुपात आधार पर अतिरिक्त मुआवजा राशि प्रदान की जानी अपेक्षित है। यह प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 21.4.2005 तक 1,57,752 दावेदारों को यथानुपात आधार पर कुल 458.88 करोड़ रु. की मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत, यथानुपात आधार पर संवितरण संबंधी प्रक्रिया को 30 अप्रैल, 2006 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु धनराशि

***616. श्री महेश कनोडीया:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में आज तक पर्यावरण प्रदूषण सहित सभी प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित करने के लिए प्रदान की गई और उपयोग की गई धनराशि का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त धनराशि के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने पर खर्च की गई धनराशि की तुलना में पर्यावरण प्रदूषण में कमी नहीं आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि के दुरुपयोग के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तैयार की गई भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) नदियों में जल प्रदूषण उपशमन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराए गए धन का विवरण और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों आदि को सुदृढ़ बनाने के लिए 'प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता', सी ई टी पी लगाने के लिए 'साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्र', साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन भंडारण और निपटान सुविधाएं, नागर ठोस अपशिष्ट आदि के लिए प्रदर्शन परियोजना आदि लगाने के लिए 'खतरनाक अपशिष्टों के लिए प्रबंधन ढांचे का सृजन' योजनाओं के अंतर्गत भी मंत्रालय राज्यों को धन उपलब्ध कराता है। इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वायु और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों आदि को जारी किए गए धन का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ख) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) सक्षम वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा यथा निर्धारित वायु गुणवत्ता में सुस्पष्ट सुधार लाने के साथ-साथ प्रदूषण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को विभिन्न उपशमन उपायों से रोका गया है।

(ङ) मथुरा में यमुना कार्य योजना के संदर्भ में धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में एक अभ्यावेदन अप्रैल, 2003 में प्राप्त हुआ था, जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जांच शुरू किए जाने की सूचना मिली है।

(च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ शाशित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों से नियमित रूप में आपस में बातचीत करते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए/नियोजित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का प्रवर्तन;

(2) निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के लिए नियमित मॉनीटरी;

(3) चूककर्ता इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण स्थापित करने के लिए नोटिस/दिशा-निर्देश जारी करना।

(4) उच्चतर वायु प्रदूषक स्तर वाले शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजनाएं बनाना; और

(5) प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित सामूहिक दायित्व के चार्टर को कार्यान्वित करना।

विवरण I

राज्यवार और वर्षवार जारी की गई निधियां (फरवरी, 2005) और व्यय (दिसम्बर, 2004 तक)

(लाख रुपये)

क. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

क्र.सं.	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		जारी* की गई निधियां	राज्यों द्वारा व्यय +	जारी* की गई निधियां	राज्यों द्वारा व्यय +	जारी* की गई निधियां	राज्यों द्वारा व्यय +
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	160.39	0.00	294.06	1600.00	93.06

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	25.00	82.76	0.00	69.59	0.00	9.01
3.	झारखंड	0.00	20.90	0.00	24.69	0.00	3.13
4.	गुजरात	800.00	2152.38	2254.00	1824.80	1200.00	537.07
5.	गोवा	246.00	0.00	0.00	186.92	260.00	395.80
6.	कर्नाटक	800.00	88.86	400.00	1852.29	1268.00	1027.45
7.	महाराष्ट्र	2639.50	2759.95	1075.00	1472.38	730.00	552.84
8.	मध्य प्रदेश	700.00	1244.63	1475.00	1547.74	700.00	342.53
9.	उड़ीसा	128.00	92.54	167.00	327.60	350.00	263.03
10.	पंजाब	2620.00	1810.19	2270.00	3103.68	1141.00	2151.94
11.	राजस्थान	0.00	50.81	0.00	25.80	26.00	0.00
12.	तमिलनाडु	4142.00	7222.41	8448.00	13461.20	13515.00	5793.09
13.	दिल्ली	9185.00	8509.74	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	हरियाणा	237.00	543.78	0.00	149.52	190.00	13.32
15.	* उत्तर प्रदेश	3814.00	4024.50	2650.00	1679.09	0.00	1116.96
16.	उत्तरांचल	327.00	203.26	200.00	345.19	200.00	154.74
17.	पश्चिम बंगाल	2025.50	2391.51	2135.50	5053.36	2746.00	717.77
18.	केरल	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	महायोग (नदी)	27689.00	31358.61	21149.50	31417.91	23926.00	13171.74

*केवल केन्द्र का हिस्सा

+पिछले वर्ष खर्च न की गई शेष राशि सहित केन्द्रीय और राज्य के हिस्से में से खर्च

टिप्पणी: चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जारी की गई निधियां—शून्य।

विवरण II

योजनाएं जिनके अंतर्गत मंत्रालय द्वारा राज्यों को निधियां दी गई

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति	2002-2003	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
I.	**प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	00.00	00.00	4.44
2.	आंध्र प्रदेश	00.00	00.00	4.60

1	2	3	4	5
3.	बिहार	00.00	9.243	00.00
4.	दिल्ली	35.36	42.62	41.35
5.	गुजरात	00.00	00.00	20.00
6.	गोवा	5.00	00.00	18.92
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	14.25	20.00
9.	जम्मू-कश्मीर	31.86	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	13.00	94.26
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	100.00	190.00	1.125
13.	लक्षद्वीप	0.00	2.296	2.26
14.	मणिपुर	1.176	14.77	24.56
15.	मेघालय	37.00	0.00	2.50
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	6.394	7.31
18.	नागालैण्ड	0.00	0.00	15.96
19.	उड़ीसा	35.00	4.392	30.00
20.	पंजाब	0.00	29.00	0.00
21.	राजस्थान	0.00	8.243	0.00
22.	सिक्किम	0.00	8.424	6.925
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	47.97	32.02
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	12.32
26.	उत्तरांचल	0.00	1.49	30.50
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	18.00
	कुल	245.40	392.09	387.01

1	2	3	4	5
II. साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढ़ावा देना				
1.	आंध्र प्रदेश	30.00	0.00	0.00
2.	गुजरात	95.00	98.20	
3.	कर्नाटक	0.00	0.00	
4.	महाराष्ट्र	102.50	396.80	392.00
5.	पंजाब	4.00	0.00	3.00
6.	तमिलनाडु	10.50	0.00	
	कुल	242.00	495.00	395.00
III. खतरनाक अपशिष्टों के लिए प्रबंध अवसंरचना तैयार करना				
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5.13	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	91.63	80.00	–
3.	असम	–	7.94	2.00
4.	बिहार	–	–	13.00
5.	चंडीगढ़	5.13	7.94	–
6.	छत्तीसगढ़	–	7.94	–
7.	दिल्ली	–	26.40	12.80
8.	गोवा	–	–	5.13
9.	गुजरात	–	211.07	161.07
10.	हरियाणा	7.35	–	–
11.	हिमाचल प्रदेश	–	11.07	9.00
12.	जम्मू-कश्मीर	–	7.35	–
13.	झारखंड	–	–	8.50
14.	कर्नाटक	11.07	11.07	–
15.	केरल	–	77.00	–
16.	लक्षद्वीप	–	5.13	–
17.	मध्य प्रदेश	–	–	7.50
18.	महाराष्ट्र	80.00	86.07	–

1	2	3	4	5
19.	मणिपुर	–	5.13	–
20.	मेघालय	5.13	5.13	–
21.	नागालैण्ड	5.13	–	–
22.	उड़ीसा	7.35	7.70	–
23.	पांडीचेरी	5.13	–	–
24.	सिक्किम	5.13	–	–
25.	त्रिपुरा	8.46	4.00	–
26.	उत्तरांचल	7.35	–	7.47
27.	पश्चिम बंगाल	7.35	–	7.35

टिप्पणी: चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जारी की गई निधियां—शून्य।

विवरण III

योजनाएं, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों के अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों आदि को निधियां दी गई

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
I. राष्ट्रीय जल गुणता मॉनीटरी कार्यक्रम				
1.	आंध्र प्रदेश	7.14	4.43	2.89
2.	असम	4.61	1.98	1.73
3.	बिहार	1.34	0.70	0.40
4.	गोवा	1.50	0.99	1.54
5.	गुजरात	5.28	4.79	4.36
6.	हरियाणा	0.94	0.43	0.27
7.	हिमाचल प्रदेश	3.02	2.31	0.59
8.	कर्नाटक	10.12	9.40	4.58
9.	केरल	6.21	4.94	4.29
10.	लक्षद्वीप	–	0.04	–

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	5.48	4.85	–
12.	महाराष्ट्र	7.81	5.58	4.96
13.	मणिपुर	0.96	0.54	0.79
14.	मेघालय	1.31	0.44	0.77
15.	उड़ीसा	10.78	5.22	5.17
16.	पंजाब	3.20	1.38	2.09
17.	पांडीचेरी	0.27	0.25	–
18.	राजस्थान	2.53	1.55	0.32
19.	तमिलनाडु	5.77	5.48	4.44
20.	त्रिपुरा	1.45	0.98	0.79
21.	उत्तर प्रदेश	4.47	4.00	7.04
22.	पश्चिम बंगाल	4.63	2.25	6.62
23.	सिक्किम	0.85	3.78	–
24.	छत्तीसगढ़	0.33	–	–
25.	नागालैण्ड	–	0.25	0.21
26.	उत्तरांचल	–	0.64	–
	कुल	90.00	67.20	53.85
II. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटर कार्यक्रम				
1.	आंध्र प्रदेश	6.87	4.46	7.79
2.	असम	0.85	3.57	3.05
3.	बिहार	3.22	–	–
4.	चंडीगढ़	1.51	1.49	4.18
5.	छत्तीसगढ़	2.98	10.77	10.56
6.	गुजरात	–	16.86	10.63
7.	गोवा	3.12	1.06	2.27
8.	झारखंड	5.75	7.10	7.37
9.	हरियाणा	2.55	2.20	2.62

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	13.58	11.80	16.42
11.	कर्नाटक	4.25	3.47	4.32
12.	केरल	11.48	9.28	7.51
13.	महाराष्ट्र	14.98	39.69	1.42
14.	मेघालय	3.02	1.28	2.98
15.	मध्य प्रदेश	24.62	10.13	21.26
16.	मिजोरम	-	13.28	-
17.	उड़ीसा	13.21	5.38	6.02
18.	पंजाब	6.80	2.90	-
19.	पांडीचेरी	-	2.13	5.53
20.	राजस्थान	14.88	12.47	9.92
21.	तमिलनाडु	20.05	11.05	8.29
22.	उत्तर प्रदेश	12.87	9.20	12.37
23.	उत्तरांचल	-	2.20	-
24.	पश्चिम बंगाल	10.16	4.25	2.76
25.	एन ई ई आर आई	58.74	27.36	29.61
	कुल	235.49	213.38	176.88

टिप्पणी: चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जारी की गई निधियां—शून्य।

पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में सूक्ष्म पौष्टिक तत्व

***617. श्री सुरेश चन्देल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सितम्बर, 1998 की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में नौ शूक्ष्म पौष्टिक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भोजन चक्र में असंतुलन तथा भोजन में जिंक की कमी के कारण ग्रामीण लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने तथा भोजन चक्र में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) खासकर चावल-गेहूं प्रणाली में गहन फसलन की स्थिति में पंजाब और हरियाणा की मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी स्पष्ट होती जा रही है जिसके कारण पुनर्भरण से अधिक दर पर मृदा से सूक्ष्म पोषक तत्व हट जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तथ्य अन्वेषक समिति (फैक्ट फाइंडिंग कमिटी) की मई 1998 की रिपोर्ट के अनुसार यह एक सामान्य मूल्यांकन है कि कई महत्वपूर्ण फसलें सूक्ष्म पोषक तत्व खासकर जिन्क, कॉपर, आयरन और मैंगनीज की कमी का सामना कर रही हैं। फसलें काफी मात्रा में मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाशियम (के)

और सल्फर (एस) तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिन्क, मैंगनीज, आयरन, बोरोन और कॉपर को हटाती है। पिछले कुछ समय में दोनों राज्यों की मृदा में पोषक तत्व में काफी कमी आई है।

(ग) विश्व में टाईप-2 डाइबीटीज में वृद्धि हो रही है और हाल के वर्षों में भारत में भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। नवीनतम आंकड़े यह संकेत देते हैं कि ग्रामीण आबादी (2.8 से 3.2%) की अपेक्षा शहरी आबादी में इसकी व्यापकता (9.3 से 16.6%) अधिक है। खाद्य श्रृंखला में अपने आप से होने वाली जिन्क की कमी के कारण टाईप-2 डाइबीटीज नहीं हो सकती जबकि बदलती जीवनशैली और दैनिक खानपान की आदतों के कारण टाईप-2 डाइबीटीज हो सकती है।

(घ) सरकार ''समेकित पोषक तत्व प्रबंधन'' को बढ़ावा दे रही है जिसमें संतुलित उर्वरण के लिए फार्म यार्ड खादों, हरी खाद, फास्को काम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, जैव-उर्वरकों आदि जैसे जैविकी उर्वरकों के संयोजन से रासायनिक उर्वरकों को मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश

***618. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो इस समय भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं अथवा जिनका विचार भारत में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) इसमें से कितनी कंपनियों को इसके लिए अनुमति दी गई/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन विदेशी कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(च) प्रत्येक प्रस्ताव/परियोजना में कितना निवेश किया जाएगा;

(छ) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) प्रस्तावों को स्वीकृति देने और घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की यदि कोई समस्यायें हैं तो उनके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पोहांग स्टील कंपनी (पोस्को) नामक केवल एक विदेशी कंपनी ने उड़ीसा सरकार को उड़ीसा राज्य में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव दिया है। कोरिया की पोस्को नामक कंपनी विश्व की अग्रणी इस्पात विनिर्माता कंपनियों में से एक है।

(ख) मौजूदा औद्योगिक नीति प्रावधान के अनुसार स्थान-स्थिति संबंधी प्रतिबंध वाले मामलों को छोड़कर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा इस्पात क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। पर्यावरण एवं वन संरक्षण कानूनों के अंतर्गत सांविधिक मंजूरियों को छोड़कर सामान्यत: इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

(ग) पोस्को ने उड़ीसा राज्य में पारादीप में 12 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक इस्पात संयंत्र चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रस्तावित पोस्को इस्पात संयंत्र में 10 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं में 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश का प्रस्ताव है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(झ) नियंत्रणमुक्त माहौल में इस्पात मंत्रालय की भूमिका बदल कर सुविधाप्रदाता की हो गई है।

उर्वरक संयंत्र

***619. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा आदान लागत के कारण उर्वरक संयंत्र अव्यावहारिक बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप उक्त संयंत्रों को कितना वार्षिक घाटा हुआ है; और

(ग) उक्त संयंत्रों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) यूरिया इकाईयों को दी जा रही रियायतों की दरें दिनांक 1.4.2004 से प्रभावी यूरिया इकाईयों के लिए पूर्व-निर्धारित ऊर्जा मानदण्डों पर आधारित हैं। चूंकि ऊर्जा आदानों के मूल्यों में हुए परिवर्तन की प्रतिपूर्ति यूरिया इकाईयों को वास्तविक आधार पर की जा रही है अत: ऊर्जा आदानों की लागतों के कारण यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाईयों के अव्यवहार्य होने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं

***620. श्री जसुभाई दानाभाई बारड:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चल रही सभी सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से राज्य-वार कितनी परियोजनाएं विश्व बैंक और अन्य विदेशी बैंकों/एजेंसियों की सहायता से चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए सरकार, विश्व बैंक और अन्य विदेशी बैंकों/एजेंसियों द्वारा अलग-अलग प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं की लागत कितनी है और उनके उद्देश्य तथा पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है;

(घ) इस संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा क्या भूमिका अदा की गई; और

(ङ) देश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु और आगे बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ग) सात राज्यों में 8 बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

इन परियोजनाओं के विस्तृत उद्देश्यों में पारिस्थितिकी पुनरुद्धार और वन और सामुदायिक भूमि की जैविक प्रगति, वन उत्पादों की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करना, गरीबी को घटाना और योजना और प्रबंधन की भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्याप्त उपयोग द्वारा गरीबों की अर्जन क्षमता को बढ़ाना शामिल है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) संबंधित राज्यों द्वारा निभाई गई भूमिका में दाता एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श से तैयार किए गए परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसरण में परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करना है।

(ङ) जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन द्वारा कर्नाटक सतत वन प्रबंधन और जैवविविधिता संरक्षण परियोजना और तमिलनाडु वनीकरण परियोजना-II नामक दो परियोजनाओं को वर्ष 2005-06 से कार्यान्वयन के लिए क्रमश: 769.88 करोड़ रुपये और 564 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंजूर किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय देश में वन विकास एजेंसियों को शामिल करके राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। वृक्षों को काटने और निजी भूमि पर वृक्षों को उगाने और पारगमन कानून, नियमों और विनियमों के सरलीकरण के लिए राज्यों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

विवरण I

चल रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	निधियन एजेंसी	नियोजित परियोजना अवधि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वानिकी परियोजना	आंध्र प्रदेश	वर्ल्ड बैंक	2002-03 से 2006-07	653

1	2	3	4	5	6
2.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	तमिलनाडु	जे बी आई सी	1997-98 से 2002-03*	499.20
3.	पंजाब वनीकरण परियोजना-II	पंजाब	जे बी आई सी	2002-03 से 2006-07	264
4.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना	कर्नाटक	जे बी आई सी	1997-98 से 2002-03*	566
5.	हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी में कमी की परियोजना	हरियाणा	जे बी आई सी	2004-05 से 2009-10	286
6.	हिमाचल प्रदेश वन सैक्टर सुधार परियोजना	हिमाचल प्रदेश	डी एफ आई डी	2002-03 से 2006-07	55
7.	भारत जर्मन चेंजर पारिविकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	जर्मनी सरकार	1999-2000 से 2004-05	30
8.	राजस्थान वानिकी और जैवविविधता परियोजना	राजस्थान	जे बी आई सी	2003-04 से 2008-09	442.14

जे बी आई सी-जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन

डी एफ आई डी-अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के.

*आगे बढ़ाई गई परियोजना अवधि।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध करवाई गई निधि का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	दानकर्ता का हिस्सा (करोड़ रुपए)	राज्य का हिस्सा (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वानिकी परियोजना	2001-02	1.17	0.06
		2002-03	8.09	1.33
		2003-04	103.32	15.61
		2004-05	35.86	20.62
2.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	2001-02	76.09	22.49
		2002-03	69.34	21.93
		2003-04	59.76	26.39
		2004-05	15.89	1.91

1	2	3	4	5
3.	पंजाब वनीकरण परियोजना-II	2001-02	70.05	8.84
		2002-03	38.89	4.23
		2003-04	51.03	9.77
		2004-05	35.52	8.41
4.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना	2001-02	90.092	30.891
		2002-03	75.497	4.437
		2003-04	49.318	2.841
		2004-05	21.777	5.258
5.	हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी में कमी की परियोजना	2004-05	13.674	4.326
6.	हिमाचल प्रदेश वन सैक्टर सुधार परियोजना	2002-03	0.23	-
		2003-04	3.04	-
		2004-05	0.99	-
7.	भारत-जर्मन चेंजर पारिविकास परियोजना	2001-02	1.75	1.51
		2002-03	2.08	1.23
		2003-04	1.79	1.11
		2004-05	1.26	1.05
8.	राजस्थान वानिकी और जैवविविधता परियोजना	2003-04	28.00	7.00

*राज्य का कोई भाग उपलब्ध नहीं करवाया गया था क्योंकि यह शत प्रतिशत अनुदान था।

[हिन्दी]

''कस्टम मिलींग वर्क'' में अनियमितताएं

6348. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2001-2003 से आज तक महाराष्ट्र में विशेषकर गोंडिया जिले में ''कस्टम मिलींग वर्क'' में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से ''राइस'' मिल मालिकों द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम को

दो और राज्य सरकार को चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की गई है और इनके निष्कर्ष/की-गई-कार्रवाई निम्नानुसार है:

1. भारतीय खाद्य निगम में प्राप्त हुए दो मामलों में से एक शिकायत गलत पाई गई है। दूसरे मामले में, भारतीय खाद्य निगम अस्वीकृति की सीमा से नीचे के स्टॉक की वसूली के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है।

2. महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए चार मामलों में से तीन मामलों में कोई दुर्विनियोजन नहीं पाया गया है। एक मामले में राज्य एजेंसी ने दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की है।

शिमला में आलू, सेब, नाशपाती उत्पादकों हेतु उद्योग की स्थापना

6349. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिमला में ऐसे उद्योग की स्थापना करने का है जहां स्थानीय उत्पादकों के आलू, सेब और नाशपाती की फसल की खपत हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और लोगों को किस तरह से प्रेरित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार का शिमला में आलू, सेब और नाशपाती के लिए किसी उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के अधीन 50.00 लाख रुपये की सीमा तक सामान्य क्षेत्र के लिए 25% की दर पर और 75.00 लाख की सीमा तक 33% की दर पर कठिनाई वाले क्षेत्रों के लिए (हिमाचल प्रदेश सहित) प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के लिए सहायता मुहैया कराता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र

6350. श्री रमेन बर्मन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्रस्तावित ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) किस प्रकार की आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जायेगा और किसानों तक इसकी पहुंच किस तरह से संभव हो सकेगी;

(ग) मिशन-2007 के गठबंधन का ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने में कृषि और सहकारिता विभाग की क्या भूमिका है; और

(ङ) वित्त पोषण प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों से यह करने की परिकल्पना की गयी है कि वे मौसम, मण्डियों और ऑन-लाईन सार्वजनिक सेवाओं पर नई सूचना तक पहुंचने में सहायता करते हुए हकदारियों, अभिशासन और अवसंरचना पर मुख्य स्थानीय सूचना तक पहुंच प्रदान करें। इनमें यह भी परिकल्पना की गई है कि वे ऑनलाईन शिक्षा, दक्षता निर्माण, प्रशिक्षण सेवाओं के समूह के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के रूप में कार्य करें तथा साथ ही रोजगार अवसरों और विस्तार सेवाओं तक सम्पर्क पर सूचना प्रदान करें।

(ग) "नेशनल एलायन्स फॉर मिशन, 2007 प्रत्येक गांव एक ज्ञान केन्द्र" का गठन सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों, शिक्षाविदों, मास मीडिया और सिविल सोसायटी संगठनों के बीच भागीदारी की शक्ति को गतिशील बनाने के लिए किया गया है ताकि वह कृषि और संवर्गी कार्यकलापों तथा साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित मामलों पर पुरुष कृषकों और महिला कृषकों के सूचना सशक्तिकरण के लिए साथ-साथ कार्य कर सकें।

(घ) आयोग ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में कृषक विपदा कॉल सेन्टरों की स्थापना की सिफारिश की है।

(ङ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में संस्तुत वित्तपोषण प्रतिमान निम्नलिखित हैं:

ग्रामीण संयोजकता हेतु नई निधि की स्थापना—100 करोड़ रुपये।

यू.एस.ओ. निधि से ग्रामीण सेवा प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहत और कर में छूट—100 करोड़ रुपये।

यू.एस.ओ. निधि से आर.एस.पी. हेतु टेलीकोम टैरिफ में 90% की कमी—300 करोड़ रुपये।

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा हेतु डिजिटल गेटवे की स्थापना—100 करोड़ रुपये का आवंटन।

प्रत्येक पंचायत में ग्राम ज्ञान केन्द्रों को वित्तीय सहायता—50 करोड़ रुपये।

सूचना उद्यमियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहन और सहायता—100 करोड़ रुपये।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 150 पिछड़े हुए जिलों में 20,000 ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना—प्रथम वर्ष में 500 करोड़ रुपये और परिचालन लागत के लिए सहायता (प्रत्येक वर्ष 20% के घटते शेष पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक ग्राम ज्ञान केन्द्र हेतु 1 लाख रुपये प्रति वर्ष)

प्रत्येक राज्य में कृषक विपदा काल सेंटरों की स्थापना-30 केन्द्रों की स्थापना के लिए—100 करोड़ रुपये।

वी.के.सी. प्रचालन—ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों के प्रबंधन और प्रचालन हेतु सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी स्वावलंबी समूह (100 करोड़ रुपये)।

रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम

6351. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सभी राज्यों को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम में सिक्किम तथा संघ शासित प्रदेशों के लक्षद्वीप एवं दादरा व नगर हवेली को छोड़ कर समस्त राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।

मदर डेयरी के बिक्री केन्द्रों में अप्रसंस्कृत फलों और सब्जियों की आपूर्ति

6352. **श्री कैलाश बैठा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी के फल और सब्जी बिक्री केन्द्रों में उपभोक्ताओं का शोषण करते हुए अप्रसंस्कृत फलों और सब्जियों जैसे तरबूज की आपूर्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अप्रसंस्कृत फल और सब्जी न बेचे जाएं;

(ग) क्या इन बिक्री केन्द्रों से अप्रसंस्कृत तरबूज तथा अन्य फलों की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं की भरपाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मदर डेयरी की फल एवं सब्जी की दुकानों में कच्चे फल ताकि सब्जियां सप्लाई करने के बहाने ग्राहकों का कोई शोषण नहीं किया जा रहा है क्योंकि फल तथा सब्जियों का पकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तरबूज के मामले में, फल के पकने का परीक्षण उत्पादन क्षेत्र से प्राप्त तथा मदर डेयरी की दुकानों को सप्लाई की गई खेपों के यादृच्छिक नमूनों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि किसी भी ग्राहक से कोई शिकायत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

नैफेड को सहायता

6353. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए नैफेड को आर्थिक सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नैफेड को दी गई आर्थिक सहायता का वस्तु-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी नहीं। मंत्रालय रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए नैफेड को कोई आर्थिक सहायता मुहैया नहीं करा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों को हुई क्षति की भरपाई

6354. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जंगली जानवरों के कारण फसलों की अधिकतम बर्बादी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के घाटे को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किसानों को इस कारण हुई वित्तीय क्षति की भरपाई हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

विदेशों में सेल द्वारा कोयला और लौह खानों का विकास

6355. **श्री अतीक अहमद:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (एस.ए.आई.एल.) द्वारा विभिन्न देशों में कोयला और लौह खानों को प्राप्त करने के बाद कोयला और लोहा के विकास और उत्पादन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) सतत आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेल की विदेशी खानों में साम्या हिस्सेदारी हासिल करने की योजना है और इस समय यह विदेशी कोल माइनिंग कंपनियों के साथ नीतिपक सहयोग समझौते की संभावनाएं तलाश रही है उपयुक्तता की दृष्टि से अनेक प्रस्तावों पर इस समय विचार किया जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। अभी तक किसी विदेशी खान में कोई साम्या हिस्सेदारी नहीं ली गई है।

विदेशी क्षेत्रों में लौह अयस्क खानें विकसित करने के लिए अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

[अनुवाद]

योजनाओं का अभिसरण

6356. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं का अभिसरण एकल एकीकृत योजना में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अभिसरण के परिणामस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। फिलहाल राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर एक समन्वित योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की समीक्षा

6357. **श्री रघुबीर सिंह कौशल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2004 की रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 41 पर राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादन, कार्य निष्पादन और ऊर्जा संरक्षण की समीक्षा के संबंध में अपव्यय की कई बातें उठाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय रिपोर्ट में उठाई गई बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कितनी राशि के अपव्यय का आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2004 की रिपोर्ट का पृष्ठ 41 राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से संबंधित नहीं है। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने, अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करने, कच्ची सामग्री की अत्यधिक खपत और ऊर्जा उपकरण के खराब होने के कारण उत्पादन में कमी तथा लागत के बढ़ने संबंधी टिप्पणियां की हैं।

(घ) और (ङ) इस मामले को रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान

6358. श्री ए. साई. प्रताप: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को प्रदूषण रोकने/नियंत्रित करने हेतु कोई सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) देश के 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 17 श्रेणियों के अंतर्गत कुल 2619 अत्यधिक प्रदूषित उद्योग अभिनिर्धारित किए गए हैं जिनमें से 2035 इकाईयों के बारे में यह सूचित किया गया है कि पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ वे संतोषजनक तरीके से काम कर रही हैं, 266 दोषी इकाइयां हैं और 318 इकाइयां बंद हो गई हैं। सम्बद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनुपालन स्थिति को मानीटर किया जाता है और दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के साथ-साथ वायु गुणता प्रबोधन, औद्योगिक प्रदूषण मूल्यांकन, प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने आदि के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पृथक बजट की मांग

6359. श्री जोवाकिम बखला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पक्षों ने सरकार से मंत्रालय के लिए पृथक बजट प्रस्तुत करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग के गुण और अवगुण का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार को फेडरेशन आफ फारमर्स एशोसियेशन, हैदराबाद, से एक अभ्यावेदन प्राप्त प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ''कृषि मंत्रालय द्वारा अलग केन्द्रीय बजट प्रस्तुतिकरण'' का सुझाव भी है।

(ग) कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में कृषि के विकास के लिए मुख्य रूप से उन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं जिनके लिए उनके पास अपना बजटीय तंत्र है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन व उत्पादकता के संबंध में इष्टतम परिणाम प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाकर और आवश्यक निधियां मुहैया कराकर उनके प्रयासों का अनुपूरण करती है। केन्द्रीय सरकार के कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वर्ष 2005-06 में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी गयी है और कार्यान्वयन हेतु बड़ी संख्या में नये अभिवृद्धि क्षेत्र अभिज्ञात किये गये हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों की बिक्री हेतु लाइसेंस

6360. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश के दुकानदारों को उर्वरकों की बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उर्वरकों की बिक्री हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधान के तहत, उर्वरक बेचने का व्यापार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिसूचित प्रधिकार-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 16.1.2003 की अधिसूचना का.आ. सं. 49(ई) द्वारा ऐसी प्रणाली का प्रावधान किया गया है जिससे उर्वरक बेचने का व्यापार करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसके स्थान पर अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा सूचना ज्ञापन की पावती प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया अपना ली गई है। सूचना-ज्ञापन में सामग्री प्राप्त करने के स्रोत सहित कुछ सूचनाएं दिए जाने की अपेक्षा का प्रावधान है। इस प्रकार की पावती, उर्वरक बेचने का व्यापार करने के लिए प्राधिकार-पत्र मानी जाती है।

[अनुवाद]

ऊन के उत्पाद

6361. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में करीब 50.80 मिलियन भेड़ और 115 मिलियन बकरियां हैं और वर्ष 2002-03 के दौरान ऊन का अनुमानित उत्पादन लगभग 460 लाख किलोग्राम हुआ था;

(ख) क्या इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यापक संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या प्रति भेड़ ऊन का उत्पादन बढ़ाने और अंगुरा तथा पश्मीना ऊन को मिलाकर उत्पाद के विविधिकरण हेतु कार्य विधि तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 17वीं पशुधन गणना के परिणामों के अनुसार, देश में भेड़ तथा बकरी की संख्या क्रमशः 61.47 मिलियन एवं 124.36 मिलियन है। 2002-03 में ऊन उत्पादन अनुमानतः 505 लाख किलोग्राम है।

(ख) भेड़ तथा बकरी के माध्यम से, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजन के अवसर को विभिन्न ढांचों पर स्वीकार किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संबंधी परामर्शी (नैबकौन्स) जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक सम्पूर्ण स्वामित्व वाली राजसहायता प्राप्त इकाई है, को जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है।

(घ) और (ङ) ऊन प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा गठित वस्त्र तथा जूट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिश से सामने आया। योजना आयोग के परामर्श से वस्त्र मंत्रालय ने एक एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करने का फैसला किया था। जिसमें ऊन एवं ऊनी उत्पादों के विपणन के साथ-साथ ऊन रेशे में सुधार लाने पर बल दिया गया था। राज्य पशुपालन विभागों, राज्य ऊन बोर्डों/परिसंघों तथा अन्य एजेंसियों के सहयोग से वस्त्र मंत्रालय एवं केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा 2003-04 से क्रियान्वयन के लिए 35.00 करोड़ रुपए के 10वीं योजना आबंटन के साथ एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

वनों से होकर गुजरने वाली सड़कों का निर्माण

6362. श्री पंकज चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे अनुरोधों/प्रस्तावों का राज्य-वार/स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष अनुरोधों/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी, हां। सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त 960 प्रस्तावों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा और अनुमोदन सहित उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रस्तावों की जांच और उन पर निर्णय लेना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 के अंतर्गत निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। "मामला स्थिति" शीर्षक के अंतर्गत विवरण के अंतिम कालम में दर्शाए "प्रक्रियाधीन" की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जानी है।

विवरण

1.1.2002 से 30.4.2005 के दौरान

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला	प्रभावित क्षेत्र	परियोजना की श्रेणी	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	कमोरता से पिलपिलो सड़क	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	निकोबार	69.68	सड़क	अनुमोदित
2.	विवेकानन्द पुरान्टों से डूगोंग क्रीक सड़क का निर्माण	अंडमार एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	24	सड़क	बंद
3.	अडाजिग से फ्लाट बे बस्ती तक सड़क का निर्माण	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	0.799	सड़क	बंद
4.	शोयाल बे 15 से 19 सड़क निर्माण के लिए 5.605 है. आरक्षित वन का वनेतर प्रयोग	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	5.605	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
5.	नान्डेयाल डिवीजन के चिल्वी रेंज के सिटवेल आरक्षित वन में सहायक आयुक्त, एन्डोवमेंट विभाग कुरनूल द्वारा वाकीलीरू वागु नान्डेयाल-गिडालुर के पार पुल निर्माण के लिए 0.05 वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	0.05	पुल	अनुमोदित
6.	मैसर्स सुशा किरम मूविज लि. द्वारा रामोजी फिल्म सिटी में आन्तरिक रोड़ संरचना	आंध्र प्रदेश	रंगा रेड्डी	0.734	सड़क	अनुमोदित
7.	एन सी एल उद्योग के पक्ष में खान से फैक्टरी तक सड़क	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	2.71	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
8.	4-लेन डिवाइडिड कैरिज की पुनर्स्थापना और दर्जा बढ़ाना	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	2.71	सड़क	अनुमोदित
9.	कोनार (रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर से लिंक रोड़ बिछाना)	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	1.98	सड़क	अनुमोदित
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 पर किलोमीटर 239/8.10 पर लखनपुर वागु के पार उच्च स्तर पुल का निर्माण	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद	0.2	सड़क	अनुमोदित
11.	एन एच ए आई के पक्ष में कम्बलकोडा आरक्षित वन का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	8	सड़क	अनुमोदित
12.	टी जी पी द्वारा रापुर से पेंजालाकोना और अदरीपल्ली से पेंजालाकोना से वैकल्पिक सड़क संरचना	आंध्र प्रदेश	निलौर	10.3	सड़क	अनुमोदित
13.	वारधापलेम से टाडा आर एण्ड बी रोड से गोल्डन सिटी अस्पताल और लेक्चर हाल से पहुंच सड़क बिछाना	आंध्र प्रदेश	चितूर	0.13	सड़क	अनुमोदित
14.	वारधापलेम से टाडा आर एण्ड बी रोड से गोल्डन सिटी अस्पताल और लेक्चर हाल से पहुंच सड़क बिछाना, के लिए वन्यजीव चितूर (ई) डिवीजन में सत्यवीदू रेंज कादूर आरक्षित वन में 0.13 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	0.13	सड़क	अनुमोदित
15.	गुट्टालापली से अनन्तपुर जिला में (रामालिंगेश्वर स्वामी मंदिर) कोना से लिंक सड़क बिछाने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	1.98	सड़क	अनुमोदित
16.	ई ई, आर एण्ड बी, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन के पक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग वे नं. 7 पर किलोमीटर 239/8-10 पर लखनपुर वागु के पार उच्चस्तर पुल के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	0.2	सड़क	अनुमोदित
17.	आरक्षित वन से होकर गुजरने वाली नई सड़क कुडप्पा रेनीगुन्टा को चौडा करने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	कुड्डप्पा	4.86	सड़क	अनुमेदित

1	2	3	4	5	6	7
18.	मैसर्स ऊषा किरन मूविज लि. द्वारा रामूजी फिल्म सिटी में आंतरिक सड़क बनाने के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	0.734	सड़क	अनुमोदित
19.	राष्ट्रीय राजमार्ग 5-आ.प्र. में 4 लेन तक बढ़ाना-राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का किलोमीटर 300/0 से 359/2 में 4 लेन तक चौड़ा करने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	1.88	सड़क	अनुमोदित
20.	मैसर्स एन सी एल उद्योग के पक्ष में सुल्तानपुर (वी) हजूरनगर में फैक्टरी से खान तक सड़क के लिए वन भूमि 6.65 सड़क (2.71 है.) का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	2.71	सड़क	अनुमोदित
21.	एन एच ए आई के पक्ष में 4 लेन के डिवाइडिड कैरिज वे को राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्स्थापना और बेहतर बनाने के लिए 2.71 है. वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	2.71	सड़क	अनुमोदित
22.	एपेल एक्सपोर्ट पार्क तक सीधी पहुंच सड़क बनाना	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	1.21	सड़क	अनुमोदित
23.	नीलोर से चिलकालुरीपेट में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 की वर्तमान 2 लेन का चार लेन में चौड़ा करना	आंध्र प्रदेश	प्राकसम	10.37	सड़क	अनुमोदित
24.	कार्यपालक निदेशक, ए पी आई आई सी ली. हैदराबाद के पक्ष में डीलापल्ली (वी) से गुन्डलापोचम्पल्ली से एप्रेल एक्सपोर्ट पार्क तक सीधा पहुंच मार्ग बनाने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	1.21	सड़क	अनुमोदित
25.	एन एच ए आई के पक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को 4 लेन से चौड़ा करना, 4/6 लेन डिवाइडिड कैरिजवे को बेहतर बनाने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	प्राकसम	10.37	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
26.	निल्लौर वन डिवीजन में नायडुपेट-टाडा बोर परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को 4 लेन कैरिज वे में चौड़ा करने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	निलौर	4.71	सड़क	अनुमोदित
27.	एन एच ए आई के पक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को किलोमीटर 110 और किलोमीटर 164.75 के बीच 4 लेन में चौड़ा करने के लिए ओडूर आरक्षित वन कानपुर पूर्व और पश्चिम आरक्षित वन में वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	निलौर	1.37	सड़क	अनुमोदित
28.	आरक्षित वन के बीच से नई सड़क कुड्डप्पा-रेनीगुन्टा रोड (ए पी एस एच-4) को चौड़ा करना	आंध्र प्रदेश	कुड्डप्पा	7.586	सड़क	वापिस लिया गया
29.	चितूर पूर्व डिवीजन में सड़क और भवन विभाग तक कुड्डप्पा-रेनीगुन्टा ए पी 5 एच डब्ल्यू पी को चौड़ा करने और सुदृढ़ बनाने के लिए 0.88 हैक्टेयर और 2-2 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	चितूर	2.96	सड़क	वापिस लिया गया
30.	सीतीगुन्टा आरक्षित वन ब्लाक, कोडुर रेंज, वन्यजीव डिवीजन राजमपेट में कुड्डप्पा-रेनीगुटा सड़क (ए एस एच पी-4) के एपी एस एच पी चरण-2 से गुजरने वाली नई सड़क के लिए (आर एण्ड बी) विभाग के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	कुड्डप्पा	2.18	सड़क	वापिस लिया गया
31.	बुडा द्वारा विशाखापट्नम-भीमली रोड़ को चौड़ा करने और सुधारने के लिए विशाखापट्नम रेंज डिव-और सर्किल मै. सीताकोन्डा (चिनागाडीली) आरक्षित मन में 0.4045 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	0.4045	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
32.	महबूबनगर जिला, अचमपेट वलम में कार्यपालक इंजीनियर बचाव कार्य/कुरनूल जिला के पक्ष में वन चैकपोस्ट कोलापुर आई ई मुलाचिन्टापल्ली रोड से अमरगिरी (वी) तक डब्ल्यु बी एम सड़क बनाने के लिए 3.45 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	3.45	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया

1	2	3	4	5	6	7
33.	पाथा दिगारू सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर दिगारू नदी पर ऊपरी पुल का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	13.486	पुल	राज्य सरकार को वापिस किया गया
34.	दिगारू-तीसु रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर तीबांग/लासापानी नदी पर ऊपर पुल का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	3.3144	पुल	राज्य सरकार को वापिस किया गया
35.	लागनक-गोरूपा-चाबनेला सड़क का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	तोवंग	31.65	सड़क	अनुमोदित
36.	बी आर टी एफ द्वारा लोग से रामसपार सड़क	अरुणाचल प्रदेश	तोवंग	48	सड़क	अनुमोदित
37.	टाटो-मिचुका रोड	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	38.247	सड़क	अनुमोदित
38.	तुमला मयामजांगचु रोड	अरुणाचल प्रदेश	तोवंग	23.775	सड़क	अनुमोदित
39.	केइंग-टाटो रोड़ का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी सियांग	73.6	सड़क	अनुमोदित
40.	ईटानगर गोहपुर राड चरण-1 का निर्माण चौड़ा करना और सुधार	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपारे	30.98	सड़क	अनुमोदित
41.	मिगिंग टूटिंग सड़क का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	37	सड़क	अनुमोदित
42.	118 कि.मी. से 138 कि.मी. के बीच हापोली सरली हुरी सड़क को चौड़ा करना और सुधार	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुबनसिरी	0.41	सड़क	अनुमोदित
43.	होपाली सरली हुरी सड़क पर 40-60 कि.मी. के बीच के हिस्से की सिंचाई का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	दिवांग वेली	0.992	सड़क	अनुमोदित
44.	मेनीगोंगा तडाग सड़क	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	15.87	सड़क	अनुमोदित
45.	मिचुका टोंगकोरला सड़क का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	9.45	सड़क	अनुमोदित
46.	टाटा से ए डी एस बैस की लघु लम्बाई का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	2.3	सड़क	अनुमोदित
47.	टोंगकोरला यारलुंग सड़क	अरुणाचल प्रदेश	दिवांग वेली	12.77	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
48.	हापोली सरली हुरी सड़क 138-158 कि.मी.	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुवनसिरी	0.913	सड़क	अनुमोदित
49.	हापोली सरली हुरी सड़क 20-40 कि.मी.	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुवनसिरी	6.45	सड़क	अनुमोदित
50.	हापोली सरली हुरी सड़क 0-20 कि.मी.	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुवनसिरी	3.9	सड़क	अनुमोदित
51.	करोटी से करोटी गंन प्वाइंब, तिमल प्वाइंड से शार्ट लैंथ से सड़क का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	लाहित	17.385	सड़क	अनुमोदित
52.	त्वांग (डिब्राबु से नागा जी जी सैक्टर) तक वैकल्पिक रूट का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कमांग	16.14	सड़क	अनुमोदित
53.	हापोली-सरली हुरी वनेतर हिस्से का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुवनसिरी	9.27	सड़क	प्रक्रियाधीन
54.	हापोली सुरती सुरली हुरी सड़क का निर्माण चौड़ा करना और सुधार	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुवनसिरी	22.46	सड़क	प्रक्रियाधीन
55.	हापोली सरली हुरी सड़क को 98 कि.मी. से 105.325 के बीच सड़क को चौड़ा करना	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुवनसिरी	1.75	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
56.	थिलथूम पर ले-बाय के निर्माण के लिए अ.व.भूमि का वनेतर प्रयोग	असम	करीमगंज	0.9995	सड़क	अनुमोदित
57.	पांजाबारी बाराहगुरी वाया पराट कुची रोड से रा.रा. मार्ग 37	असम	कामरूप	4.94	सड़क	अनुमोदित
58.	बिहार में रेलवे ओवर पुल के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	बिहार	भागलपुर	0	पुल	राज्य सरकार को वापिस किया गया
59.	रा.रा. मार्ग-2 बाईपास सड़क से सासाराम तक निर्माण	बिहार	सारन	1.248	सड़क	अनुमोदित
60.	सड़क कन्वेयर बेल्ट और कोल वाशरी का निर्माण	छत्तीसगढ़	कोरबा	2.918	सड़क	अनुमोदित
61.	एन एम डी सी द्वारा यूनीन्लो रेलवे का निर्माण	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा	2	सड़क	अनुमोदित
62.	श्री बिजय कुमार के पक्ष में अस्थायी सड़क का निर्माण	छत्तीसगढ़	रायपुर	0.9	सड़क	बंद

1	2	3	4	5	6	7
63.	एस ई सी एच द्वारा सड़क का निर्माण	छत्तीसगढ़	सरगुजा	1.04	सड़क	अस्वीकृत
64.	एम एच नं. 16 पर सड़क को चौड़ा करना	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	473.42	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
65.	गांव सांगली में रोड सर्वे नं. 287/2 और 306 के लिए रोड साइट और कोरासाइड का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.2602	सड़क	अनुमोदित
66.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.24	सड़क	अनुमोदित
67.	यू टी में चिसडा पटेल पाडा से मुलगम तक पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.3	सड़क	अनुमोदित
68.	गांव दपाडा के सर्वे नं. 397/8 तक पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0495	सड़क	अनुमोदित
69.	गांव खुतली में सर्वे नं. 8 तक पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.078	सड़क	अनुमोदित
70.	गांव उमरकुई में सर्वे नं. 34/11 तक पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0048	सड़क	अनुमोदित
71.	गांव रखोली में सर्वे. नं. 103/3 तक पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0135	सड़क	अनुमोदित
72.	गांव रखोली में सर्वे नं. 53 में पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0117	सड़क	अनुमोदित
73.	यू टी में पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0166	सड़क	अनुमोदित
74.	यू टी में गांव कराडपारा में सर्वे नं. 372 में पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.025	सड़क	अनुमोदित
75.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.075	सड़क	अनुमोदित
76.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0072	सड़क	अनुमोदित
77.	गांव सायली में सर्वे नं. 371 में पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0225	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
78.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.105	सड़क	अनुमोदित
79.	पहुंच मार्ग का निर्माण और जल पाइपलाइन स्कीम	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.3388	सड़क	अनुमोदित
80.	सर्वे नं. 326/2/2/2 में पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0018	सड़क	अनुमोदित
81.	सर्वे नं. 57/2/, 57/4/5/1 पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.015	सड़क	अनुमोदित
82.	सर्वे नं. 57/2, 57/4/5/1 पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.195	सड़क	अनुमोदित
83.	सड़क का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.014	सड़क	अनुमोदित
84.	सड़क साइड पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.34	सड़क	अनुमोदित
85.	गांव कच के सर्वे नं. 12 पहुंच मांग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.09	सड़क	अनुमोदित
86.	वनसादा सीमा से बीसदा मुलगांव तक सड़क	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.441	सड़क	अनुमोदित
87.	गांव वासोना सर्वे नं. 249/1 सड़क साइड पहुंच का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0168	सड़क	अनुमोदित
88.	गांव अथाल सर्वे नं. 11/3/1, 15/1, 14/1 सड़क साइड पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0255	सड़क	अस्वीकृत
89.	उपलमेघा से करचोंडा खडकुनिया तक पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	1.161	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
90.	सर्वे नं. 35/1/1 पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0195	सड़क	प्रक्रियाधीन
91.	गलोन्ड मुख्य सड़क से ज्वाइनिंग बखपाड़ा तक सड़क का पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.03	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
92.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.21	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया

1	2	3	4	5	6	7
93.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.045	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
94.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.21	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
95.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	1.53	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
96.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.27	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
97.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.198	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
98.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.126	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
99.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.9	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
100.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.75	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
101.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.01729	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
102.	श्री विजयसिंह आर राथोंड के पक्ष में पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0255	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
103.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.24	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
104.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.168	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
105.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.72	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
106.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.48	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
107.	पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.42	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया
108.	रोड साइड पहुंच मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	सिलवासा	0.0671	सड़क	राज्य सरकार को वापिस किया गया

1	2	3	4	5	6	7
109.	नागेन से जनोह तक सड़क की चौड़ा करना	दमन एवं दीव	दमन एवं दीव	1.6965	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
110.	रा.रा. मार्ग-17 पणवी-कारवार पुल 67 कि.मी. 100 छोटे पुल तक	गोवा	दक्षिण गोवा	0.9675	सड़क	अनुमोदित
111.	दावली से खान्डीपुर रोड वाया वैंड बाग और बिथौरा पोन्डा (टी) चरण (2) सेक्शन के बीच बिथौरा क्रासिंग से एग्रस रोड	गोवा	उत्तरी गोवा	0.7625	सड़क	अनुमोदित
112.	लघु पुल का निर्माण	गुजरात	डांग्स	0.012	पुल	अनुमोदित
113.	पुल का निर्माण	गुजरात	डांग्स	0.1	पुल	राज्य सरकार को वापिस लौटाया गया
114.	क्रासिंग के पास मोढेरा-बिचरावी सड़क पर पुलिया का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	1.064	सड़क	अनुमोदित
115.	मुद्रिक एवं पहुंच सड़क का निर्माण	गुजरात	कच्छ	4.8	सड़क	अनुमोदित
116.	फुटेदा साबरमती पुल पहुंच मार्ग का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	0.75	सड़क	अनुमोदित
117.	नर्मदा मुख्य नहर पर क्रसिंग के पास काडी थोल सड़क पर पुलिया का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	2.55	सड़क	अनुमोदित
118.	नर्मदा मुख्य नहर पर क्रांसिग के पास काडी वितरोइ सड़क पर पुलिया का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	2.793	सड़क	अनुमोदित
119.	गांव सिलिया के पास पहुंच सड़क के साथ पुलिया का निर्माण	गुजरात	पंचमहल	0.76	सड़क	अनुमोदित
120.	सड़क का निर्माण	गुजरात	अहमदाबाद	0.116	सड़क	अनुमोदित
121.	पहुंच सड़क का निर्माण	गुजरात	वालसाड	0.24	सड़क	अनुमोदित
122.	क्रासिंग के पास महासेन-बेचरवी रोड पर शर्ब का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	1.152	सड़क	अनुमोदित
123.	प्रवेश सड़क सहित पुलिया का निर्माण	गुजरात	भरूच	0.0187	सड़क	अनुमोदित
124.	जामनगर से राजकोट एस एच 25 के साथ सड़क का निर्माण	गुजरात	जाम नगर	0.045	सड़क	अनुमोदित
125.	पेट्रोल पम्प के लिए पहुंच मार्ग	गुजरात	मेहसाना	0.06	सड़क	अनुमोदित
126.	रा.रा. मार्ग-25 पर पहुंच मार्ग का निर्माण	गुजरात	जामनगर	0.06	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
127.	खडवाडी तोराजा वाडला ताल जसदान से सड़क	गुजरात	राजकोट	0.936	सड़क	अनुमोदित
128.	55 कि.मी. से 1710 कि.मी. सड़क का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	0.0187	सड़क	अुमोदित
129.	वडोदरा-पाडरा जम्बसार रोड पर दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	वडोदरा	15.64	सड़क	अनुमोदित
130.	202/2 कुरांग जंक्शन पर सड़क का निर्माण	गुजरात	जामनगर	0.36	सड़क	अनुमोदित
131.	अहमदाबाद से वडोदरा पर एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण	गुजरात	आनन्द	2.467	सड़क	अनुमोदित
132.	रिलायंस उद्योग द्वारा रा.रा. मार्ग 8वीं वांव चन्दवाव के साथ प्रवेश सड़क	गुजरात	जूनागढ़	0.03	सड़क	अनुमोदित
133.	अहमदाबाद-महासेन खारी कुट पुल का निर्माण	गुजरात	मेहसाना	1.5626	सड़क	अनुमोदित
134.	वर्तमान अन्डर पास को चौड़ा करना	गुजरात	वड़ोदरा	1.54	सड़क	अनुमोदित
135.	बिमानपुर से संख्याली 8ए दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	कच्छ	308.36	सड़क	अनुमोदित
136.	सड़क को चौड़ा करना	गुजरात	मेहसाना	2.4	सड़क	अनुमोदित
137.	रा.रा. मार्ग 8 को दो लेन से 4 लेन में चौड़ा करना	गुजरात	वालसाड	0.51	सड़क	अनुमोदित
138.	रा.रा. मार्ग 8ए कि.मी. 168 से 171 के बीच सड़क	गुजरात	सुन्दर नगर	2.85	सड़क	अनुमोदित
139.	गांव नाडियाड के पास कि.मी. पत्थर 55 के पास एस एच 8ए के साथ प्रवेश सड़क मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा	गुजरात	खेड़ा	0.0525	सड़क	अनुमोदित
140.	भूताली-टोरडा-मीरू रोड का निर्माण	गुजरात	साबरकण्ठा	3.6	सड़क	अनुमोदित
141.	सरखेना-बावला-बगोडरा में कि.मी. 33/0 से 47/0 के बीच सड़क को चौड़ा करना	गुजरात	सुन्दर नगर	18.9	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
142.	रा.रा.मा. 8ए को दो लेन से 4 लेन में चौड़ा करना	गुजरात	बालसाड	63.1	सड़क	अनुमोदित
143.	अमरेली से छलाला सड़क को चौड़ा करना	गुजरात	अमरेली	0.76	सड़क	अनुमोदित
144.	दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	पोरबन्दर	117.28	सड़क	अनुमोदित
145.	राजकोट से एसएच 8 ए को दो लेन से चार लेन मे ंचौड़ा करना	गुजरात	राजकोट	524.663	सड़क	अनुमोदित
146.	शरखेज-बावला-बागोडरा में रा.रा. मार्ग 8-ए की 47/0 से 58/3 के बीच चौड़ा करना	गुजरात	अहमदाबाद	17.245	सड़क	अनुमोदित
147.	रा.रा. मार्ग 8 दो लेन को 4 लेन में चौड़ा करना	गुजरात	मेहसाना	1	सड़क	अनुमोदित
148.	8ए पर 24/0 से 33/0 के बीच सड़क को चौड़ा करना	गुजरात	अहमदाबाद	12.15	सड़क	अनुमोदित
149.	बरूच-शुक्लतीर्थ दो लेन को 4 लेन में चौड़ा करना	गुजरात	बरूच	3.99	सड़क	अनुमोदित
150.	दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना एन एच-8 318 कि.मी. से 381/6 कि.मी. के बीच	गुजरात	वलसाड	0.5464	सड़क	अनुमोदित
151.	डाकोर से गोधरा एन एच 59 को चौड़ा करना	गुजरात	पंचमहल	31.68	सड़क	अनुमोदित
152.	डीगमालपुर रोड की दाईं ओर की सर्विस लेन को चौड़ा करना	गुजरात	बनासकांठा	13.91	सड़क	अनुमोदित
153.	गोधरा से श्यामला जी रोड के बीच एस एच संख्या 5 को चौड़ा करना	गुजरात	पंचमहल	103.92	सड़क	अनुमोदित
154.	143/0 से 160/0 के बीच के रोड को चौड़ा करना	गुजरात	राजकोट	17.04	सड़क	अनुमोदित
155.	वातामान से पिपरी के बीच के रोड को चौड़ा करना	गुजरात	अहमदाबाद	25.69	सड़क	अनुमोदित
156.	डोकर सेवालिया-गोधरा रोड को चौड़ा करना	गुजरात	पंचमहल	28.04	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
157.	वातामान से पिपरी 1618 से 93/8 कि.मी. के बीच के रोड को चौड़ा करना	गुजरात	अहमदाबाद	25.69	सड़क	अनुमोदित
158.	गोधरा से श्मालया जी रोड के बीच एस एच 05 (वर्तमान) को चौड़ा करना	गुजरात	साबरकांठा	66.18	सड़क	अनुमोदित
159.	मेहसाना-विजापुर-हिम्मत नगर पर रोड और पार्किंग प्लेस को चौड़ा करना	गुजरात	मेहसाना	0.65	सड़क	अनुमोदित
160.	0.50 से 18.50 के बीच डकोर लडवैल को चार लेन को चौड़ा करना	गुजरात	खेड़ा	18.48	सड़क	अनुमोदित
161.	एन एच 8 की दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	पाटन	277.98	सड़क	अनुमोदित
162.	दीसा से पालनपुर की दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	बनासकांठा	263.98	सड़क	अनुमोदित
163.	वड़ोदरा में रोड को चौड़ा करना	गुजरात	वड़ोदरा	2.295	सड़क	अनुमोदित
164.	रिलायंस इन द्वारा मेघपुर गांव के निकट एन एच 8ए के साथरोड एंट्री	गुजरात	कच्छ	0.0679	सड़क	अनुमोदित
165.	सामान्तर सर्विस रोड का निर्माण	गुजरात	अहमदाबाद	2.28	सड़क	अनुमोदित
166.	मैसर्स रिलायंस इंड. के पक्ष में रिटेल आउटलेट को एपरोच रोड का निर्माण	गुजरात	खेड़ा	0.0484	सड़क	अनुमोदित
167.	रिलायंस इंड. द्वारा पोपटपुरा गांव में एस एच 5 के साथ रोड एंट्री	गुजरात	पंचमहल	0.0424	सड़क	अनुमोदित
168.	मै. रिलायंस इंड का कौटायाजा दोदार ग्राम के निकट एसएच 42 पर रिटेल आऊटलेट को एपरोच रोड	गुजरात	कच्छ	0.0362	सड़क	अनुमोदित
169.	210/0 से 215/9 कि.मी. के बीच एन एच 59 को चौड़ा और मजबूत करना	गुजरात	दाहोद	0.855	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
170.	मै. रिलायंस इंड का बाल्वा गांव के निकट एन एच 71 पर रिटेल आऊटलेट को एपरोच रोड का निर्माण	गुजरात	गांधीनगर	0.033	सड़क	अनुमोदित
171.	पैट्रोल पम्प के आने और जाने का रोड	गुजरात	दाहोद	0.0066	सड़क	अनुमोदित
172.	पैट्रोल पंप को एपरोच रोड का निर्माण	गुजरात	साबरकांठा	0.027	सड़क	अनुमोदित
173.	पेट्रोल पंप को एपरोच रोड का निर्माण	गुजरात	कच्छ	0.0198	सड़क	अनुमोदित
174.	रिलायंस इंड द्वारा पैट्रोलपंप को एएरोच रोड का निर्माण	गुजरात	बनासकंठा	0	सड़क	अनुमोदित
175.	रिलायंस इंड द्वारा पैट्रोल पंप को एपरोच रोड का निर्माण	गुजरात	जामनगर	0.0261	सड़क	अनुमोदित
176.	रिलायंस इंड द्वारा पेट्रोल पंप को रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	वदोदरा	0.0166	सड़क	अनुमोदित
177.	रिलायंस इंड द्वारा पैट्रोल पंप को रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	वडोदरा	0.0126	सड़क	अनुमोदित
178.	रिलायंस इंड द्वारा एस एच 42 ग्राम सुकपुर पर पैट्रोल पंप को रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	कच्छ	0.0284	सड़क	अनुमोदित
179.	रिलायंस इंड द्वारा एन एच 8ए ग्राम चोटलिया पर पैट्रोल पंप को रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	सुरेन्द्र नगर	0.0199	सड़क	अनुमोदित
180.	रिलायंस इंड द्वारा एन एच 8ए ग्राम खुंवारा पर पैट्रोल पंप को रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	सुरेन्द्र नगर	0.177	सड़क	अनुमोदित
181.	रिलायंस इंड लि. द्वारा एस एच 42, ग्राम नगियारी पर पैट्रोल पंप एंट्री रोड का निर्माण	गुजरात	कच्छ	0.027	सड़क	अनुमोदित
182.	रिलायंस इंड द्वारा एस एच-6, ग्राम विश्रामपुरा पर पैट्रोल पंप रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	वदोदरा	0.0165	सड़क	अनुमोदित
183.	रिलायंस इंड द्वारा एन एच-2 ग्राम वेगा पर पैट्रोल पंप रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	वदोदरा	0.0166	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
184.	रिलायंस एंड द्वारा एस एच-2 ग्राम स्तनपुर पर पैट्रोल पंप रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	0.0172	सड़क	अनुमोदित
185.	रिलायंस इंड द्वारा एसएच-8ए ग्राम मोती पर पैट्रोल पंप रोड एंट्री का निर्माण	गुजरात	कच्छ	0.0249	सड़क	अनुमोदित
186.	ग्राम वडोड से डुंगारगढ़ तक रोड का निर्माण	गुजरात	वदोदरा	0.9462	सड़क	अनुमोदित
187.	बाय सर्विस रोड का निर्माण	गुजरात	बनासकांठा	1.17	सड़क	अनुमोदित
188.	रोड को चौड़ा करना	गुजरात	राजकोट	74.69	सड़क	अनुमोदित
189.	एन एच 8 दो लेन से चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	पाटन	277.98	सड़क	अनुमोदित
190.	एन एच 8-ए बगोदरा से बामनवार की दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	सुरेन्द्र नगर	2.55	सड़क	अनुमोदित
191.	वर्तमान बिलीमोरा-चिक्रोली रोड को चौड़ा करना	गुजरात	वलसाड	2.7	सड़क	अनुमोदित
192.	एस एच 25 माल्ला-जामनगर दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	जामनगर	20.71	सड़क	अनुमोदित
193.	एस एच 59 को चौड़ा करना	गुजरात	अहमदाबाद	26.936	सड़क	अनुमोदित
194.	विरमागांव-हलवर-दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	सुरेन्द्र नगर	58.75	सड़क	अनुमोदित
195.	पेवड साईड शोल्डर को चौड़ा करना	गुजरात	पंचमहल	28.64	सड़क	अनुमोदित
196.	318 से 381/6 कि.मी. के बीच एन एच 8 को दो लेन से चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	वलसाड	2.279	सड़क	अनुमोदित
197.	एस एच 59 पर दो लेन को चार लेन में चौड़ा करना	गुजरात	पंचमहल	28.64	सड़क	अनुमोदित
198.	147-161, 71-174 और 184-189-6 कि.मी. के बीच एन एच 59 को चौड़ा और मजबूत करना	गुजरा	दाहोद	5.085	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
199.	अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के रिंग रोड को चौड़ा करना	गुजरात	अहमदाबाद	1.968	सड़क	अनुमोदित
200.	अहमदाबाद लिंक रोड एन एच-8ए पर समान्तर सर्विस क्षेत्र का निर्माण	गुजरात	अहमदाबाद	1.8	सड़क	अनुमोदित
201.	पचारदी पर एप्रोच रोड का निर्माण	गुजरात	सबरकांठा	3.6	सड़क	बंद
202.	जारीवाल-खोखारविली-गोडा टैकनी एप्रोच रोड का निर्माण	गुजरात	बनासकांठा	6.45	सड़क	बंद
203.	-वही-	गुजरात	बनासकांठा	6.45	सड़क	बंद
204.	रोड को चौड़ा और मजबूत करना	गुजरात	जामनगर	2.88	सड़क	बंद
205.	अमामीमल एप्रोच रोड का निर्माण	गुजरात	बनासकांठा	1.2	सड़क	अस्वीकृत
206.	वगोदा क्यारी एप्रोच रोड का निर्माण	गुजरात	बनासकांठा	1.095	सड़क	अस्वीकृत
207.	182.4 से 183.6 कि.मी. एन एच-8ए के वर्तमान रोड को चौड़ा करना	गुजरात	राजकोट	1.783	सड़क	राज्य सरकार को वापिस लौटाया गया
208.	पुल का निर्माण	गुजरात	डांग	0.1	सड़क	"
209.	जट्टी एवं एप्रोच रोड का निर्माण	गुजरात	कच्छ	3.9	सड़क	"
210.	एप्रोच रोड का निर्माण	गुजरात	जामनगर	0.51	सड़क	"
211.	सिगमुख मीडर, कालीरा वान से खरमपुर रोड, आर डी 6200 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण	हरियाणा	हिसार	0.0495	पुल	अनुमोदित
212.	अग्रोहा-आदमपुर रोड, कि.मी. 10 कृष्णगढ़ सब ब्रांच, आर डी 66250 पर पुल का निर्माण	हरियाणा	हिसार	0.05	पुल	अनुमोदित
213.	कोहाली-महलसारा रोड, दिघमुख मीडर रोड 76587 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण	हरियाणा	हिसार	0.0495	पुल	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
214.	मंगेरपुर ड्रेन पर पुल का निर्माण और ए एच 10 से शासर रोड एवं चरा रोड सीट डिवीजन से बाय पास रोड और लिंक रोड का निर्माण	हरियाणा	रोहतक	0.0108	पुल	अनुमोदित
215.	घागरा नदी एमटी डिवीजन, अम्बाला रेलवे पुल संख्या 313 का निर्माण	हरियाणा	अंबाला	2.003	पुल	अनुमोदित
216.	रंगोली खरक कैनाल और ए आर ब्रिज का निर्माण	हरियाणा	सिरसा	0.27	पुल	अनुमोदित
217.	रोड 22910 डब्ल्यु जे सी एम एल एल, किनट बदायीन पर वी आर ब्रिज में दो बे का निर्माण	हरियाणा	यमुना नगर	0.068	पुल	अनुमोदित
218.	जी टी रोड करनाल, किमी 101, कोहंद में आई ओ सी के पैट्रोल पंप को एप्रोच का निर्माण	हरियाणा	करनाल	0.0285	सड़क	अनुमोदित
219.	वन डिवीजन यमुना नगर, किमी 10-11, आई ई मांदेपुर पर इंड इस्टेट को एप्रोच रोड	हरियाणा	यमुना नगर	0.0234	सड़क	अनुमोदित
220.	जींद नरवाना रोड किमी 89, उचाना पर पैट्रोल पंप को एप्रोच का निर्माण	हरियाणा	जींद	0.018	सड़क	अनुमोदित
221.	बायपास रोड झझर-डीएचएस रोड से रोहर, वन डिवीजन रोहतक का निर्माण	हरियाणा	हिसार	0.7802	सड़क	अनुमोदित
222.	बायपास रोड, सोपाला डीएचएस रोड वन डिवीजन रोहतक का निर्माण	हरियाणा	रोहतक	1.524	सड़क	अनुमोदित
223.	सोनीपत वन डिवीजन, सोनीपत हरियाणा में 44.300 से 66 कि.मी. एन एच के छह लेन का निर्माण	हरियाणा	सोनीपत	46.78	सड़क	अनुमोदित
224.	सैक्टर 7, 6, 5, 27, 4, 28 और 29 से जीटी रोड 43.4 कि.मी. के लिए मेन रोड के निर्माण की अनुमति	हरियाणा	सोनीपत	0.13	सड़क	अनुमोदित
225.	जी टी रोड किमी 105-106 से पैट्रोल पंप, जिला करनाल, एप्रोच रोड का निर्माण	हरियाणा	करनाल	0.0359	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
226.	डीटी रोड किमी 104-105 एल/एस वन डिवीजन, करनाल, पैट्रोल पंप को एप्रोच का निर्माण	हरियाणा	करनाल	0.0757	सड़क	अनुमोदित
227.	मिनी सैक्टरैट से परवल रोड वन डिवीजन महेन्द्रगढ़ बायपास रोड का निर्माण	हरियाणा	महेन्द्रगढ़	0.1865	सड़क	अनुमोदित
228.	एन एच 71 कि.मी. 131-960 से 169/240 वन डिवीजन, जींद को चौड़ा करना	हरियाणा	जींद	15.77	सड़क	अनुमोदित
229.	पानीपत-गोहाना रोड कि.मी. 31-32 में पैट्रोल पंप को एप्रोच रोड का निर्माण	हरियाणा	सोनीपत	0.0192	सड़क	अनुमोदित
230.	राई, जी टी रोड कि.मी. 37-38 पर एच एस आई डी सी इंड एस्टेट रोड का निर्माण	हरियाणा	सोनीपत	0.0216	सड़क	अनुमोदित
231.	258.00 से 260.00, वन डिवी सिरसा, एन एच-10 को चार लेन करना	हरियाणा	सिरसा	2.775	सड़क	अनुमोदित
232.	अम्बाला-कालोअब रोड, एन एच 72, किमी 9.23 वन डिवीजन अम्बाला को चौड़ा करना	हरियाणा	अंबाला	3.68	सड़क	अनुमोदित
233.	अम्बाला-बाला अंब रोड, एन एच 72, किमी 13.75-19.75 वन डिवीजन अम्बाला को चौड़ा करना	हरियाणा	अंबाला	2.49	सड़क	अनुमोदित
234.	एन एच-13 (रुड़की-सहारनपुर) यमुनानगर-पंचकुला) किमी 153, 185 से 166, 685 को चौड़ा करना	हरियाणा	पंचकूला	3.7975	सड़क	अनुमोदित
235.	एन एच 71, 112 से 132.5 कि.मी. वन डिवी रोहतक को 2 लेन करना	हरियाणा	रोहतक	8.482	सड़क	अनुमोदित
236.	एन एच 8, किमी 24 से 33.224 बी एस और किमी 33.224 से 35.829 की 618 लेनिंग	हरियाणा	गुड़गांव	42.16	सड़क	अनुमोदित
237.	कुरुक्षेत्र-झांसा रोड, कि.मी. 0-3 वन डिवी कुरुक्षेत्र की 4 लेनिंग	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	3.2	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
238.	सिरसा मंजर डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ सिरसा बरवाला से छत्तरगढ़ पट्टी रोड का निर्माण	हरियाणा	सिरसा	0.83	सड़क	अनुमोदित
239.	नौरंगपुर रोड किमी 102 से सनराईज ट्रांसमिशन लि. एप्रोच रोड का निर्माण	हरियाणा	गुड़गांव	0.0024	सड़क	अनुमोदित
240.	माथेरी के निकट किमी 12-13 अम्बाला हिसार रोड पर पैट्रोल पम्प को एप्रोच का निर्माण	हरियाणा	अंबाला	0.018	सड़क	अनुमोदित
241.	सोनीपत रोहतक रोड किमी 6-7 पर पैट्रोल पंप को एप्रोच का निर्माण	हरियाणा	सोनीपत	0.0106	सड़क	अनुमोदित
242.	अम्बाला हिसार रोड 19.1 से 24.1 कि.मी., वन डि. अम्बाला पर एन ए 65 को चौड़ा करना	हरियाणा	अंबाला	0.7801	सड़क	अनुमोदित
243.	एन एच 8 कि.मी. 57-58 से धर्मपाल सतपाल चैरी. ट्रस्ट तक रास्ते का निर्माण	हरियाणा	गुड़गांव	0.0054	सड़क	अनुमोदित
244.	जी टी रोड कि.मी. 47-48 एल/एस वन डिवीजन सोनीपत पर पैट्रोल पंप को एप्रोच का निर्माण	हरियाणा	सोनीपत	0.0162	सड़क	अनुमोदित
245.	जी टी रोड 42-43 कि.मी. से चौ. देवी लाल स्पोर्ट्सस काम्पलैक्स को एप्रोच रोड का निर्माण	हरियाणा	सोनीपत	0.018	सड़क	अनुमोदित
246.	दिल्ली-गुड़गांव और गुड़गांव-महरौली रोड वन डि. एवं जिला गुड़गांव को चौड़ा करना	हरियाणा	गुड़गांव	15.172	सड़क	अनुमोदित
247.	अरवान हुक से प्रहलापुर-दिल्ली सीमा, सुरजकुंड रोड वन डि. और जिला फरीदाबाद को चौड़ा करना	हरियाणा	फतेहाबाद	4.253	सड़क	अनुमोदित
248.	ब्रीका आटोमोटिव कम्पोनेन्ट लि. वन डिवी एवं जिला गुड़गांव को एप्रोच रोड का निर्माण	हरियाणा	गुड़गांव	0.0037	सड़क	अनुमोदित
249.	सर्विस रोड को चौड़ा करना 36.635 जीटीओ वन डिवीजन एवं जिला गुड़गांव	हरियाणा	गुड़गांव	0.105	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
250.	हरियाणा में गुड़गांव महरौली रोड से ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स हैरीटेज सिटी, लिंक रोड का निर्माण	हरियाणा	गुड़गांव	0.0017	सड़क	अनुमोदित
251.	थान से थाप्ती तक रोड का निर्माण	हरियाणा	पंचकुला	6.58	सड़क	अनुमोदित
252.	ग्राम रतनखेड़ा से बुरहानपुर तक लिंक रोड का निर्माण वन डिवी. कैथल	हरियाणा	कैथल	1.56	सड़क	अनुमोदित
253.	रोड 220000 से 287000 तक फतेहाबाद ब्रांच रोड को चौड़ा करना वन डि. हिसार, जिला फतेहाबाद	हरियाणा	फतेहाबाद	4.57	सड़क	अनुमोदित
254.	सहारनपुर-कपूरथला रोड को चौड़ा करना कि.मी. 59.850 से 61.850 वन डि, जिला कुरुक्षेत्र	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	1.95	सड़क	अनुमोदित
255.	मंधना-दूधगढ़ रोड का निर्माण	हरियाणा	पंचकूला	1.16	सड़क	अनुमोदित
256.	एल एस जी टी रोड 176-197 पर मचोदा ग्राम रोड और ननहेरा ग्राम पर सर्विस रोड का निर्माण	हरियाणा	अंबाला	0.843	सड़क	राज्य सरकार को वापिस लौटाया
257.	जी टी रोड 113-980 कि.मी. सर्विस रोड का निर्माण	हरियाणा	करनाल	0.555	सड़क	"
258.	एन एच-8 के 618 लेनिंग का निर्माण 24 से 33.224 दोनों ओर 33.224 से 35.819 आर एस	हरियाणा	गुड़गांव	42.16	सड़क	"
259.	रोहतक सोनीपत रोड कि.मी. 0-16 पर फुटपाथ को चौड़ा करना और निर्माण	हरियाणा	रोहतक	0.585	सड़क	"
260.	रामशिला (कुल्लु) में व्यास नदी पर पुल और एप्रोच रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.5082	पुल	अनुमोदित
261.	पालाचान-सोलांग से सरज वाला पर पुल को एप्रोच रोड	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.1366	पुल	अनुमोदित
262.	कधियम-गुजरेहारा-डिटोट-डीएच रोड का निर्माण, वन डि बिलासपुर, पी एम जी एस वाय के अंतर्गत	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	5.95	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
263.	बार्डर रोड आर्ग. का दारचा से शिंकला रोड	हिमाचल प्रदेश	लाहौल स्पीति	64.64	सड़क	अनुमोदित
264.	उत्तरला-वकलोद रोड का निर्माण, डिवी पालमपुर	हिमायल प्रदेश	कांगड़ा	5	सड़क	अनुमोदित
265.	संजोली-ठाली बायपास रोड का निर्माण, किमी 0/0-4/370, शिमला सी एम जी एस वाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.087	सड़क	अनुमोदित
266.	कुईचरण-खडराला रोड का निर्माण, वन डि. रोहरू	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.2	सड़क	अनुमोदित
267.	कुटियारा-माझीन रोड का निर्माण एस एच-5 वन डि. डेहरा पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	2.88	सड़क	अनुमोदित
268.	सायचु से चस्क तक रोड का निर्माण वन डि. पंगी, पी एम जी एस वाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	2.228	सड़क	अुमोदित
269.	पंझाल से चल्ली-महराग तक लिंक रोड का निर्माण, वन दि. नाहन, पी एम जी एस वाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	0.85	सड़क	अनुमोदित
270.	खनोग-गडासु-पुननरोड का निर्माण, वन डि. रामपुर पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.06	सड़क	अनुमोदित
271.	सैन गुजरा रोपरू रोड का निर्माण, किमी 0/0-12/500 वन डि. मंडी	हिमाचल प्रदेश	मंडी	4.977	सड़क	अनुमोदित
272.	महतली-सिरीत-चोचर-बलीर मालोट रोड का निर्माण कि.मी. 0/0-10/0, वन डि. नूरपुर	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.8038	सड़क	अनुमोदित
273.	पुजाली-चललिया रोड का निर्माण-वन डि. रोहरू, पी एम जी एस वाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.7	सड़क	अनुमोदित
274.	कोटीनघार ग्राम को लिंक रोड का निर्माण कि.मी. 0/0-3/500 वन डि. शिमला	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.9225	सड़क	अनुमोदित
275.	एच पी पी डब्ल्यू डी द्वारा चांदी चियान रोड का निर्माण, वन डि. कुनीहार, पी एम जी एस वाय	हिमाचल प्रदेश	सोलन	1.437	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
276.	मारोग से बामटाबे, एपीपी डब्ल्यु डी रोड का निर्माण वन डि. चोपाल, पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	शिमला	4.443	सड़क	अनुमोदित
277.	शूलीधार-शिलान रोड का निर्माण 0/0-21/700 वन डिवीजन रोहरू, पीएमजीएस वाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.87	सड़क	अनुमोदित
278.	सांबर लोहार से ग्राम धात्री तक लिंक रोड का निर्माण वन डि. धर्मशाला, पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	1.599	सड़क	अनुमोदित
279.	बेहाल-डायकयार-जब्बल-तापारियन रोड का निर्माण, किमी 0/0-12/375 वन डि. नालागढ़ पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.135	सड़क	अनुमोदित
280.	प्रेमनगर से चड़ोग रोड का र्निण वन डि. सोलन पीएमजीएसवाय के अंतर्गत	हिमाचल प्रदेश	सोलन	2.53	सड़क	अनुमोदित
281.	बखनाओ-देयोरी-चित्रकूट रोड का निर्माण वन डि. कुल्लु पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.2	सड़क	अनुमोदित
282.	कसौली गांव-तोगुनाई रोड का निर्माण, वन डि. कसौली पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.726	सड़क	अनुमोदित
283.	मकौट-चक्की रोड का निर्माण वन डि. नूरपुर, पीएमजीएचवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.16	सड़क	अनुमोदित
284.	एच पी एस ई बी कालोनी साराबाई से धाने-नाकर को एप्रोच रोड, वन डि. पारबती	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.168	सड़क	अनुमोदित
285.	पट्टी-भारमनी माता विमायल कांता रोड का निर्माण 0/0-3/277 वन डि. भारमोर, पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.5255	सड़क	अनुमोदित
286.	दिनका से खानी रोड का निर्माण कि.मी. 0/0-3/357 भारमोर डि. पीएमजीएसवाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	0.53	सड़क	अनुमोदित
287.	गांधी ग्राम से कियाराड का निर्माण वन डि. सोलन, पी एम जी एस वाय के तहत	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.63	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
288.	कोलडम साईट से एनटीपीसी टाऊनशिप एपरोच रोड का निर्माण एनटीपीसी द्वारा	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	2.7163	सड़क	अनुमोदित
289.	प्र.ग्राम.स.यो.			2.4807	सड़क	अनुमोदित
290.	प्र.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत मेकलोड गंज भारमकोट से लोअर धर्मकोट वन प्रभाग तक सम्पर्क मार्ग	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.207	सड़क	अनुमोदित
291.	प्र.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत शालनु गांव तक सम्पर्क मार्ग	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.092	सड़क	अनुमोदित
292.	प्र.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत नाल्हा से कारबो तक ब्राओन खालानु होवे दुरा 0/0-13/0 मंडी सड़क का वि.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	1.1074	सड़क	अनुमोदित
293.	5/720-13/140 कुल्वलु के बीच भूटाक गारसा सड़क को चौड़ा करना	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.58	सड़क	अनुमोदित
294.	6/0-10/0 परवली प्रभाग कुल्लु के बीच लानजी-सैज सड़क को चौड़ा करना	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	4.9368	सड़क	अनुमोदित
295.	प्र.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत मंडी वन प्रभाग में तालमेर पिंगला थोना सरकाघाट रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	0.913	सड़क	अनुमोदित
296.	एवरसनी कराची रोड का निर्माण गांव पागोग	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	0.837	सड़क	अनुमोदित
297.	ब्लाक विकास अधिकारी के पक्ष में धीरा में सिरमौला तक जीपेबल सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	0.06	सड़क	अनुमोदित
298.	नावागढ़ पर एसकेआरएन मार्ग पर सिरसा नदी के ऊपर 3.46 मी. बड़े प्रोस्ट्रस्ड बाक्स गीडर पुल. का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.6732	सड़क	अनुमोदित
299.	खेओगी मोड से अंख मार्ग का निर्माण, नाहान	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	0.284	सड़क	अनुमोदित
300.	वन प्रभाग रामपुर में गनवी लाम्बालना सदाना मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.7638	सड़क	अनुमोदित
301.	प्र.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत कोठी जंगल मालभाऊर रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1.05	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
302.	प्र.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत वन प्रभाग नूरपुर में बंदेरु-छेली धेदवा, घाटलू सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	3.676	सड़क	अनुमोदित
303.	वन प्रभाग निचारमे गांव राली मेम्बर को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सम्पर्क मार्ग	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	3.1081	सड़क	अनुमोदित
304.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत वन प्रभाग नूरपूर में पोलन आखबार सड़क का निर्माण आरडी 0/0-2/84	हिमाचल प्रदेश	कागड़ा	1	सड़क	अनुमोदित
305.	सुन्दा-जागुनी सड़क का निर्माण वन प्रभाग रामपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3.95	सड़क	अनुमोदित
306.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत मेघवा-सुईन सड़क का निर्माण वन प्रभाग रेनुका	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	0.86	सड़क	अनुमोदित
307.	आहलू-वासाही सड़क का निर्माण वन प्रभाग जोगिन्दरपुर	हिमाचल प्रदेश	मंडी	1.96	सड़क	अनुमोदित
308.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत, नाचेन व.प्र. एच पी पी डी डब्ल्यू डी कि.मी. 10/30-10/00 गोहार सिमाधर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.57	सड़क	अनुमोदित
309.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत पुरथी से राय तक सड़क का निर्माण पंगी व.प्र.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	5.3784	सड़क	अनुमोदित
310.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत भारमौर वन प्रभाग में खाराभमुख सुरामी पास-अकजु सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	2.5744	सड़क	अनुमोदित
311.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत बियूति गोरोलो विलंसा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	4.7105	सड़क	अनुमोदित
312.	अवेराघाटू वाया पीपलघाटी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.13	सड़क	अनुमोदित
313.	गांव घई तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.635	सड़क	अनुमोदित
314.	वन प्रभाग कागग के अंतर्गत पुखेरी भूमानी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कागड़ा	0.952	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
315.	वन प्रभाग एनी में राना बैग लागौरी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.467	सड़क	अनुमोदित
316.	करोदू सेलपर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.36	सड़क	अनुमोदित
317.	मंगला ओहली बारेन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	0.34	सड़क	अनुमोदित
318.	रिडी-गैला-गटायूं सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	2.112	सड़क	अनुमोदित
319.	कुथान शरमाला सड़क का निर्माण 0/0-3/500	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.227	सड़क	अनुमोदित
320.	चाहरी से चामीरा वाया भिरालु संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	1.9916	सड़क	अनुमोदित
321.	गांव किराद तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	2.333	सड़क	अनुमोदित
322.	पाजीघर से पंचा तक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.1057	सड़क	अनुमोदित
323.	देहरा वन प्रभाग के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत कोटला-वासी मालोट-सेमोग सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	2.52	सड़क	अनुमोदित
324.	धानवी-किओ सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.0028	सड़क	अनुमोदित
325.	धाओधार शेरग्लौरिआ-काजभारा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	1.33	सड़क	अनुमोदित
326.	परोला-शोली सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.17	सड़क	अनुमोदित
327.	चाहतू-टुनान वाया कसौली सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	6.714	सड़क	अनुमोदित
328.	पुरभी भौनल सड़क पंगी का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.145	सड़क	अनुमोदित
329.	तुनुघटी रौना सड़क का निर्माण वन प्रभाग डलहौजी	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.448	सड़क	अनुमोदित
330.	शेरला-जानद्रोह सड़क वन प्रभाग धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	1.708	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
331.	चाहरी से चामनिगरा वाया भिटालू सड़क का निर्माण, कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	कागड़ा	1.9916	सड़क	अनुमोदित
332.	काटंढ़ा रोखी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	5.035	सड़क	अनुमोदित
333.	पुनधार-बोरारू सड़क का निर्माण वाया नोदांली मंडी	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.253	सड़क	अनुमोदित
334.	कोली नीभर सड़क का निर्माण वन प्रभाग एनी जिला कुल्लु	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	6.093	सड़क	अनुमोदित
335.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत कुल्लु पर सिमाला पाशा-शाधीन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.7669	सड़क	अनुमोदित
336.	जुब्बव-कनौती काठगांव समता मार्ग नाहन से अपर सुरिया गांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	0.81	सड़क	अनुमोदित
337.	रानी पर खानवी वंशा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.427	सड़क	अनुमोदित
338.	रेनुका वन प्रभाग में सुन्दरघाट-आर्ट रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	0.246	सड़क	अनुमोदित
339.	वन प्रभाग रामपुर में पाणीघर में पंजा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.1057	सड़क	अनुमोदित
340.	भाखड़ा-सैली मार्ग वाया सालंनग्री वन प्रभाग ऊना	हिमाचल प्रदेश	ऊना	4.7808	सड़क	अनुमोदित
341.	कुभान शरमाला रोड का निर्माण 0/0-3/500 वन प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.227	सड़क	अनुमोदित
342.	पारवती वन प्रभाग में चीलागे-फागु सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.51	सड़क	अनुमोदित
343.	अपर ज्वानिंग अमलेरा जागेट मार्ग पर गिरान खाद से नाऊट-कुट-जरपाल-अमलेरा स.नि.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	1.719	सड़क	अनुमोदित
344.	रानी वन प्रभागों में नैनावाटी लागौटी सड़क का निर्माण (नौनावटी-कोभी का भांगन)	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.8	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
345.	पनोटा साहिब वन प्रभाग में राजवन मालगी चाहचेहटी घाटू सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	4.49	सड़क	अनुमोदित
346.	रानी वन प्रभागों में रेची खानी मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.465	सड़क	अनुमोदित
347.	नूरपूर वन प्रभाग के अंतर्गत भाटोली घर-वारा चिच्वर भाती मार्ग	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	3.597	सड़क	अनुमोदित
348.	भूमिका कोटला वाया चाकुभी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.61	सड़क	अनुमोदित
349.	मेहते गवाना खाली अच्छौन मार्ग का निर्माण वन प्रभाग पनोटा	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	1.89	सड़क	अनुमोदित
350.	ए एन आई वन प्रभाग में चाहटी तुनान वाया कसौल्दी सड़क का निर्माण वन प्रभाग एनी	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	6.714	सड़क	अनुमोदित
351.	वन प्रभाग एनी में सुश से बालू तक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.408	सड़क	अनुमोदित
352.	पी डब्ल्यू डी द्वारा होहरानाल्हा (कोली वहर) से कैसधर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.8	सड़क	अनुमोदित
353.	प्र. ग्रा. सं. यो. के अंतर्गत वेन चीटो मंझनीदार सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.06	सड़क	अनुमोदित
354.	एनी वन प्रभाग में बागीपुर सराहन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.6	सड़क	अनुमोदित
355.	रामपुर-गौरा मशनू सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.483	सड़क	अनुमोदित
356.	गुश्रा कुटवा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.6	सड़क	अनुमोदित
357.	भिनी जौहरी ल्यूनस सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	1.16	सड़क	अनुमोदित
358.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत जगनसुकल से भनारा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.0017	सड़क	अनुमोदित
359.	बलभानु से पाऊट मनसारी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.8801	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
360.	प्र. ग्रा. सं. यो. के अंतर्गत बारंगाह टाली से गांव वस्तूरी तक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.8501	सड़क	अनुमोदित
361.	रामपुर भाट की हट्टी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.438	सड़क	अनुमोदित
362.	प्र. ग्रा. सं. यो. के अंतर्गत बांगौरा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.22	सड़क	अनुमोदित
363.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत हालोनीपुल दहन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	0.81	सड़क	अनुमोदित
364.	कोट-बग्रर हारीजार सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.42	सड़क	अनुमोदित
365.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत फारारी से काठी कुकी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.4895	सड़क	अनुमोदित
366.	मारीआना-मोहरी वाया कालजैर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.558	सड़क	अनुमोदित
367.	नैना-टिक्कर से देओभर वाया कांचा मोरे सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	2.586	सड़क	अनुमोदित
368.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत मरिका घाट-सुल्तानपुर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	2.055	सड़क	अनुमोदित
369.	सैंज घाट से परगना सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3	सड़क	अनुमोदित
370.	नागर मनाली सड़क पर अलान नाल्लाह पर शरिया पुल का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.1059	सड़क	अनुमोदित
371.	भोवी सेरी से छापुराहन तक मोर्टबल सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	4.96	सड़क	अनुमोदित
372.	वारासली-कांची कुन्दरा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.55	सड़क	अनुमोदित
373.	ग्राम पंचायत शातयन के पक्ष में मौजूदा पुरानी सड़क का प्रबंध और मैडलिंग	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	0.1245	सड़क	अनुमोदित
374.	भागईगृह से छानजु जाखला-सुमरा वक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	4.9126	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
375.	एवर सनी काराधी सड़क वाया पगोग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.837	सड़क	अनुमोदित
376.	प्र. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत भलगी पुल से धारोगा गांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3.5031	सड़क	अनुमोदित
377.	पनौटा वन प्रभाग में मधारा गांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	0.786	सड़क	अनुमोदित
378.	कंदूगढ़ पटरन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.5	सड़क	अनुमोदित
379.	डलहौजी केन्ट से रूलीयानी डलहौजी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.38	सड़क	अनुमोदित
380.	पदार से टाटापानी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.59	सड़क	अनुमोदित
381.	लुदेरा कैला सड़क से सुरी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	2.858	सड़क	अनुमोदित
382.	बारी पधारू से पीछा तक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.091	सड़क	अनुमोदित
383.	संजौली ढाली वाय पास सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.28	सड़क	अनुमोदित
384.	कोरगढ़ वन प्रभाग में गांव वारागल तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.0956	सड़क	अनुमोदित
385.	नालागढ़ वन प्रभाग में शारफीघाट डिग्गल सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.35	सड़क	अनुमोदित
386.	वैले गांव से खादी डलहौजी वन प्रभाग तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	2.436	सड़क	अनुमोदित
387.	अलासू से जाम्बला सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	1.65	सड़क	अनुमोदित
388.	कनाथेक से गांव शुशवा तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3.69	सड़क	अनुमोदित
389.	खागरा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.316	सड़क	अनुमोदित
390.	टिड़ी करौनालान सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	लाहौल स्पीति	23.175	सड़क	बंद

1	2	3	4	5	6	7
391.	धालोट-जानढेरा सड़क का निर्माण-0/0-11/425 वन प्रभाग-विलासपुर	हिमाचल प्रदेश	विलासपुर	7.8995	सड़क	बंद
392.	छात्री गड्डागुसैन रोड का निर्माण कि.मी. 0/0-2% मंडी जिला	हिमाचल प्रदेश	मंडी	8.77	सड़क	बंद
393.	भगरू-गौला-छत्री सड़क का निर्माण जिला मंडी	हिमाचल प्रदेश	मंडी	7.35	सड़क	बंद
394.	कटेरू-स्लेपर सड़क का निर्माण वन प्रभाग सुकेत	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.56	सड़क	बंद
395.	लुडेरा-कलौभ सुंगल सड़क का निर्माण-वन प्रभाग चम्बा	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	4.78	सड़क	बंद
396.	पी सी एम मार्ग एन एच-20 किमी. सड़क चौड़ी करना 11/0-20/0 वन प्रभाग नूरपुर	हिमाचल प्रदेश	कागंड़ा	13.923	सड़क	बंद
397.	तुहारेर से गोदराना वाया डाडोली-भारनाली रोड	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.0356	सड़क	बंद
398.	माचोतार ग्रीमा वाया सिऔर जीपबैल सड़क का निर्माण चम्बा जिला	हिमाचल प्रदेश	ऊना	4.2305	सड़क	अस्वीकृत
399.	फतहपुर से जबाल तक वाया वेहम्बा वन प्रभाग यूरान का संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	5.6	सड़क	वापिस ली गई
400.	दुनीहार वन प्रभाग में रामपुर-भाट की हड्डी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	0.438	सड़क	वापिस ली गई
401.	पारेल-कोहलारी तलाई सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	9.886	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
402.	धाकोग-ताराला सड़क कि.मी. 0/0-6/780 भारमौर वन प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	3.6746	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
403.	विलासपुर-पिन विदी मसूर सड़क वन प्रभाग दंहरा का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.6	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
404.	खनौल-भूत सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.25	सड़क	राज्य सरकार को वापिस

1	2	3	4	5	6	7
405.	खनधर-वेरल सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	3.85	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
406.	सनावर फाटक से पटरिवा गांव सोलन तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	0.453	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
407.	सुधार से घर धर्मशाला तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	0.3375	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
408.	भूटर मणीकरण मार्ग का चौड़ा करना 24/0 कि.मी. 30/060 और 34/330-34/850 परवती वि. प्र.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3.24	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
409.	कुपनी-भल्लू-छौलती मार्ग, जिला शिमला का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	7.57	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
410.	धुमली-बटोट मार्ग, कि.मी. 0/0 6/360 भरमौर वन प्रभाग, चम्बा का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.7885	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
411.	बड़ोगी छरोहनल्लाह भैरन मार्ग (कि.मी. 0/0-15/0 परबती वन प्रयाग, कुल्लु का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.87	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
412.	कटासन से उत्तमवाला बड़ा बन मार्ग तथा संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	1.15	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
413.	सेरज बन प्रभाग के अंतर्गत सेंज रायला सड़क निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	4.962	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
414.	नैरा-टिक्कर-दगोथार, वाया शामलोठी मधगांव मार्ग की निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	0.135	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
415.	गांव घर नलगढ़ के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.89	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
416.	गांव लांजपांगी के लिए मोटर योग्य सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.9427	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
417.	नलगढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत ग्लोट राजबैन मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	1.783	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
418.	जब्ल-मान-बवासी मार्ग की निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.15	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
419.	थलाऊट से कलहानी मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	4.316	सड़क	राज्य सरकार को वापिस

1	2	3	4	5	6	7
420.	खेड़ा-एज से भल्लन-2 तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	7.93	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
421.	बाजार-खाबल सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.89	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
422.	बांगटू से काकशटल तक बायपास सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.63	सड़क	राज्य सरकार को वापस
423.	हुलर्ट-थरस-सचनी मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.5895	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
424.	दोहरमतला-धरीहान तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.5	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
425.	बड़ा रवौथा से अंकरखोला तक संगर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	2.16	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
426.	सोंगटोंग-बैरंग संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1.66	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
427.	भीनी जोहरी-लूनारू मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन	1.16	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
428.	शेरज वन प्रभाग के अंतर्गत शलवर-थनौन मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	2.686	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
429.	बाशला-अंटापू-श्रीधर मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.6	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
430.	खाड़ापाथेर-चंदेल-शिलारू मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.91	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
431.	बटोरा से हालाऊ मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.97	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
432.	कटासन से उत्तमवाला बड़ा बान तथा संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	1.15	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
433.	सौन पुलबहल मार्ग वाया जोरन फालिंग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	9.609	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
434.	सपांगनी-कंधा तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	4.789	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
435.	सेरन वन प्रभाग के अंतर्गत दामोथी-भारथीधर तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.034	सड़क	राज्य सरकार को वापिस

1	2	3	4	5	6	7
436.	टुटुपानी-जरला-कुथेरी मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.23	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
437.	सेरन वन प्रभाग के अंतर्गत बंजर-दिम्बर-चाहरी तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	1.911	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
438.	सेरन वन प्रभाग के अंतर्गत दामोथी-भारथीधर तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	3.034	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
439.	सैरन पुल वहल सड़क निर्माण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	9.609	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
440.	पट्टा चौहरी सुआ सड़क का निर्माण-कसौली प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.28	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
441.	चम्बा वन प्रभाग में भानुबेन देओठी कानी की वैभी सड़क का नि. (0/0 या 8/50)	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	3.62	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
442.	धर्मशाला वन प्रभाग में सैली से कनौल तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.7162	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
443.	चिन्तपूर्णी से अमलाहार वाया धालवारी	हिमाचल प्रदेश	ऊना	4.8	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
444.	सैंज वारा-वाटा सेरी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	0.7	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
445.	नाडी भाथेर से संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.535	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
446.	छातरानी से जनता रोड तक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.5841	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
447.	राजवारा ओ सी पी के लिए सी पी एल द्वारा दामोदर नदी पर पुल और पहुंच मार्ग	झारखंड	बोकारो	4.13	पुल	अनुमोदित
448.	सुरजी से टोकोलो तक सड़क का सुधार	झारखंड	पश्चिम सिंघभूम	1.175	सड़क	बंद
449.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग को सुधारने की परियोजना के पक्ष में 0.412 हेक्टेयर वन भूमि को दिशा परिवर्तन राज्य राजमार्ग में पुल का निर्माण	कर्नाटक	उत्तरी कन्नड़	0.412	पुल	राज्य सरकार को वापिस

1	2	3	4	5	6	7
450.	बंगलौर मैसूर-ग्रामीण और शहरी अवसंरचना परियोजना	कर्नाटक	बंगलौर मैसूर	68.215	सड़क	अनुमोदित
451.	515 से किमी. 592 कि.मी. तक ओ एफ एन एच 4 को मजबूत बनाना	कर्नाटक	बेलगांव	23.443	सड़क	अनुमोदित
452.	विसाला आर एफ में 9 हेयरपिन कर्वस को चौड़ा करना	कर्नाटक	हसन	0.69	सड़क	अनुमोदित
453.	कारवार टीक्यू ये आगरा गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग-17 का दिशा परिवर्तन	कर्नाटक	यूके	0.702	सड़क	अनुमोदित
454.	एन एच डब्ल्यू एमलौर के पक्ष में जिला हसन में 9 हेयर पिन कर्वस को चौड़ा करने के लिए विसाले में वन भूमि का 0.69 हेक्टेयर दिशा परिवर्तन	कर्नाटक	हसन	0.69	सड़क	अनुमोदित
455.	कारवार तालुक में एफ एस वाई संख्या-52ए में आगरा (V) पुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वन भूमि का दिशा परिवर्तन	कर्नाटक	उत्तरी कन्नड़	0.702	सड़क	अनुमोदित
456.	मालाम्बी आर एफ के द्वारा जन मार्ग के उद्देश्य के लिए वन भूमि का दिशा परिवर्तन	कर्नाटक	कोदागु	0.9	सड़क	बंद
457.	मालाम्बी आर एफ द्वारा जन मार्ग का निर्माण	कर्नाटक	कोदागु	0.6	सड़क	बंद
458.	काबारगी गांव में पुराने कोर्ट ट्रैक का उन्नयन	कर्नाटक	कोपाल	5.98	सड़क	बंद
459.	एन एच ए लाई के पक्ष में 235 से 278 तक एन एच 4 को चौड़ा करने के लिए देवनगिरी वन विभाग में वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	देवनगिरी	3.155	सड़क	बंद
460.	गोकक विभाग में 515 कि.मी. से 592 कि.मी. तक एन एच 4 को चौड़ा करने के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	बेलगांव	2.38	सड़क	बंद
461.	कबरगी (वी) में कोल्ड कार्ट टैक रोड को बढ़ाने के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	कोप्पल	5.98	सड़क	बंद

1	2	3	4	5	6	7
462.	येलापुर डिव. में सड़क निर्माण के लिए मंडगाड (वी) के सं. 160ए 1 एवं मलगोन कव्या में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	उ. कन्नड़	3.9	सड़क	बंद
463.	सोमवरपेट (टी) में चिक्कारे से हिभलीराउडे (वी) तक मालाम्बी होकर सार्वजनिक सड़क के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	कोडगु	0.9	सड़क	अस्वीकृत
464.	स्वर्ण चतुर्भुज परि. में 433 किमी. से 495 किमी. तक एन एच 4 को चौड़ा करने के लिए बेलो हांगल तालुक में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	बेलगाम	1.368	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
465.	512 किमी. से 592 किमी. तक एन एच-4 को चौड़ा करना	कर्नाटक	बेलगाम	2.38	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
466.	बेलथानगडु तालुक के बन गवेडका में एस.सी. कालोनी में सड़क निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	द. कन्नड़	0.825	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
467.	सोमवर पेट (टी) में गानाशू से वालागुंडा सड़क के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	कोडगु	0.6	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
468.	स्वर्ण चतुर्भुज परि. के तहत 433 किमी. से 495 किमी. तक एन एच 4 को चौड़ा करने के लिए बेलोहोंगल में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	बेलगाम	1.368	सड़क	राज्य सरकार को वापिस
469.	पैरमकौडविला ब्लाक पंचायत के नेश्यर डब्ल्यू एल एस के पंभापलामुडु में फुट पुल को निर्माण	केरल	तिरूवर्नंतपुरम	0.03	पुल	बंद
470.	पिरवंतूर ग्राम पंचायत के करावूर में कीझायम से करूपंभोड तक फुट पुल का निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	केरल	पथनमथिट्टा	0.0297	पुल	-
471.	मुंडाकायम-कोरूभोड पंपावैली सड़क का सुधार	केरल	कोट्टयम	0.857	सड़क	अनुमोदित
472.	चलाकुडी और वझाचल के बीच सड़क चौड़ा करने के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	केरल	त्रिचूर	0.582	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
473.	चलाकुडी अन्नामलाई रोड में वेट्टीलपारा फेरी में पुल	केरल	एर्नाकुल	0.7	सड़क	अनुमोदित
474.	एरूमेली चलक्कयम रोड (फेज III) का निर्माण	केरल	पटनमथिट्टा	6.04	सड़क	अनुमोदित
475.	किनशिनथोडु-पोथुमट्टम रोड का रखरखाव	केरल	इडुक्की	0.18	सड़क	अनुमोदित
476.	किनशिनथोडु पोथुममटम रोड का रखरखाव के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	केरल	इडुक्की	0.18	सड़क	अनुमोदित
477.	चलकुडी एवं वजाचल के बीच लिंक रोड के लिए .582 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	केरल	त्रिचूर	0.582	सड़क	अनुमोदित
478.	इरूमेली वन रेंज में अनक्कल कलकेडी क्षेत्र के माध्यम से मुक्काकयम-कोरू भोड-पंबावेली सड़क का सुधार के लिए 0.857 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	केरल	कोट्टयम	0.857	सड़क	अनुमोदित
479.	वनाचल एवं चलकुडी वि. में चलकुड्डी अनामलया सड़क में वेटीलापारा फेरी में पुल के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	केरल	त्रिचूर	0.7	सड़क	अनुमोदित
480.	नाराकचित्रकला मक्की रोड केवाल के संबंध में मेटलिंग एवं निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	केरल	तिरूवनंतपुरम	0.225	सड़क	बंद
481.	राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	मध्य प्रदेश	सागर	0.396	सड़क	अनुमोदित
482.	बायपास सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	गुना	3.347	सड़क	अनुमोदित
483.	सिंहपुर-बेहत सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	4.8	सड़क	अनुमोदित
484.	तावा परि. में सड़क/पुल का निर्माण	मध्य प्रदेश	बेतुल	0.36	सड़क	अनुमोदित
485.	सादा में सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	1.75	सड़क	अनुमोदित
486.	सत्य प्रकाश पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पक्ष में प्लास पाचर में ग्रामीण सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	जबलपुर	0.48	सड़क	अनुमोदित
487.	सड़क एवं नाला को चौड़ा करना	मध्य प्रदेश	इंदौर	0.315	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
488.	एप्रोच सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	बेलाघाट	0.0606	सड़क	अनुमोदित
489.	राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	मध्य प्रदेश	गुना	2.516	सड़क	अनुमोदित
490.	भोपाल में बायपास सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	भोपाल	17.548	सड़क	अनुमोदित
491.	राजमार्ग सं. 7 (कटनी बायपास सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	कटनी	8.706	सड़क	अनुमोदित
492.	प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	खरगांव	1.21	सड़क	अनुमोदित
493.	पंचकोशी सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	उज्जैन	2.041	सड़क	अनुमोदित
494.	शिकारगंज चमरडोल रोड के 718 किमी. पर प्रस्तावित पुल और एप्रोच रोड	मध्य प्रदेश	सीधी	3.635	सड़क	अनुमोदित
495.	प्रधानमंत्री सड़क स्कीम का निर्माण	मध्य प्रदेश	बालाघाट	3.2	सड़क	अनुमोदित
496.	चिवंती-बारी भेपरखेल दंगे शिखाडी से एस एच सं. 3 तक सड़क	महाराष्ट्र	धूले	3.2796	सड़क	अनुमोदित
497.	नागपुर वर्धा.करंजा. औरंगाबाद के करंजा बायपास भाग का निर्माण	महाराष्ट्र	मुम्बई	1.96	सड़क	अनुमोदित
498.	मुरूद-खुदा-तेमहनी मजगांव सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	रायगढ़	2.904	सड़क	अनुमोदित
499.	उर्से एप्रोच सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	पुणे	0.44	सड़क	अनुमोदित
500.	अंत: संबंध के लिए एप्रोच सड़क और पैसेज का निर्माण	महाराष्ट्र	वर्धा	0.94	सड़क	अनुमोदित
501.	अनेर नदी पर पुल और एप्रोच सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	जलगांव	0.45	सड़क	अनुमोदित
502.	नागपुर-बुटीबोरी-वर्धा. औरंगाबाद-मुंबई से बायपास सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	वर्धा	1.56	सड़क	अनुमोदित
503.	पोगखाडी फाटा से आरे दारे रिवांडी सड़क	महाराष्ट्र	सतारा	3.3	सड़क	अनुमोदित
504.	सेवा सड़क का निर्माण और पाइपलाइस बिछाना	महाराष्ट्र	थाणे	0.147	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
505.	लोहगढ़ से भाजे सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	पुणे	0.63	सड़क	अनुमोदित
506.	सेनापट बापट सड़क को चौड़ा करना	महाराष्ट्र	पुणे	0.163	सड़क	अनुमोदित
507.	महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के पक्ष में एन एच 39 को चौड़ा करना	महाराष्ट्र	नासिक	2.48	सड़क	अनुमोदित
508.	नासिक जिला में गोदावरी नदी पर पुल का निर्माण	महाराष्ट्र	नासिक	0.09	सड़क	अनुमोदित
509.	मुम्बरा.कौसा बायपास सड़क में परिवर्तन	महाराष्ट्र	थाणे	16.829	सड़क	अनुमोदित
510.	मवल तालुक में सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	पुणे	0.8	सड़क	अनुमोदित
511.	लोक कार्य विभाग द्वारा सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	2	सड़क	अनुमोदित
512.	लोक कार्य विभाग द्वारा सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	2	सड़क	अनुमोदित
513.	लोक कार्य विभाग द्वारा सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	2	सड़क	अनुमोदित
514.	लोक कार्य विभाग द्वारा सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	2	सड़क	अनुमोदित
515.	मंडवा वन गांव से धोधानार तक 2.5 किमी. तक सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	नांदेड़	1.56	सड़क	अनुमोदित
516.	वर्तमान मंदिर एवं धर्मशाला पर खिजाडिया में एप्रोच सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	थाणे	0.8	सड़क	अस्वीकृत
517.	श्री यादवराव रामचन्द्र देशमुख के पक्ष में सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	सतारा	0.18	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
518.	मेन गंगा नदी पर एप्रोच सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	गोंडा	0.81	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
519.	भाव सिमनापुर से गोंड खेरी तक आउटर रिंग रोड एवं एक्सप्रेस वे का निर्माण	महाराष्ट्र	नागपुर	2.76	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
520.	नागपुर शहर से छिंदवाड़ा सड़क तक रिंग रोड का निर्माण	महाराष्ट्र	नागपुर	1.995	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया

1	2	3	4	5	6	7
521.	पी डी सी द्वारा कुंडी होरपाली का निर्माण	महाराष्ट्र	नन्दूरबार	4.725	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
522.	धोनसेघाट मनगांव-महसाला सड़क में सुधार करना	महाराष्ट्र	रायगढ़	6.61	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
523.	सेनापती-फैबुंग सड़क में सुधार करना	मणिपुर	मणिपुर (केन्द्रीय)	86	सड़क	अनुमोदित
524.	महादेव तोल्लोई सड़क का निर्माण एवं विकास	मणिपुर	उकरूल	31.5	सड़क	अनुमोदित
525.	मावीओंग में वनभूमि से जल शोधन स्थल तक एप्रोच सड़क का निर्माण	मेघालय	पूर्वी खासी	0.025	सड़क	अनुमोदित
526.	एप्रोच सड़क का निर्माण	मेघालय	खासी पहाड़ी (पू.)	0.01168	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
527.	दूधानी नागवल बीबरा एन एच-62 8.6 किमी से 91 किमी तक निर्माण	मेघालय	गारो पहाड़ी (द.)	54.012	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
528.	भारत-बंग्लादेश सीमा सड़क का निर्माण	मिजोरम	लुंगलई	140.4	सड़क	अनुमोदित
529.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना-2 को तेनजावल से लुंगलेई 100-170 के एम पी तक चौड़ा करना	मिजोरम	लुंगलई	1.114	सड़क	अनुमोदित
530.	खुर्दा-भुवनेश्वर तक एन एच क का 4/6 चौड़ा करना	उड़ीसा	खुर्दा	14.088	सड़क	अनुमोदित
531.	सुंदरगढ़ से दुदुका स्क्वेयर तक मौजूदा पी डब्ल्यू डी सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करना	उड़ीसा	सुंदरगढ़	5.152	सड़क	अनुमोदित
532.	नालेगाजा ग्राम पंचायत के तहत मेधुरिया से नुआसाही तक सड़क का निर्माण	उड़ीसा	मयुरभंज	0.648	सड़क	अनुमोदित
533.	भंजनगर वांध के लिए स्पिल वे एंव एप्रोच सड़क	उड़ीसा	गंजम	0.43	सड़क	अनुमोदित
534.	तांगी-चांदपुर बायपास सड़क	उड़ीसा	खुर्दा	7.239	सड़क	अनुमोदित
535.	इचापुरम से गंजम तक एनएच. 5 को 4 लेन करना	उड़ीसा	गंजम	0.321	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
536.	गंजम से सुनाखाला तक एनएच. 5 को 4 लेन करना	उड़ीसा	खुर्दा	16.0.94	सड़क	अनुमोदित
537.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के तहत बुर्जा तोहरा का निर्माण	उड़ीसा	नवरंगपुर	4.9978	सड़क ,	अनुमोदित
538.	प्रा. मं. ग्रा. स. यो. के तहत नालम तालापड़ा सड़क	उड़ीसा	अंगुल	0.4	सड़क	अनुमोदित
539.	खुर्दा से सुनाखला तक एच एच.5 तक 4 लेन करना	उड़ीसा	खुर्दा	11.047	सड़क	अनुमोदित
540.	नेतनल्ला के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के लिए एप्रोच सड़क	उड़ीसा	अंगुल	14.524	सड़क	अनुमोदित
541.	फ्रिंगिया. बलुंदपारा-मल्लिकुड सड़क से सड़क	उड़ीसा	बोध	3.15	सड़क	अनुमोदित
542.	बोनई के झरियाबेराना में सड़क निर्माण एवं ट्रांइसमिशन लाइन से प्लांट के लिए मैसर्स रिलायबल स्पोंज प्रचलित	उड़ीसा	सुंदरगढ़	0.02	सड़क	अनुमोदित
543.	दैतरी-बांसपानी रेलवे लिंक सड़क, पालसंपग-बामेबारी	उड़ीसा	क्योंझर	1.457	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया गया
544.	बाबेहली पुल पर एम बी यू में 2.70 मेगावाट मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट का विकास	पंजाब	गुरूदासपुर	0.9157	पुल	अनुमोदित
545.	बभिंदा ब्रांच जिंग अहमदगढ़ जंदाली सड़क का निर्माण	पंजाब	संगरूर	0.0165	पुल	अनुमोदित
546.	द. बायपास, वन डिव. पर जवाड़ी पुल के निकट जी.के. माल कालोनी के लिए प्रवेश	पंजाब	लुधियाना	0.018	पुल	अनुमोदित
547.	सिरहिंद केनाल 4 किमी. के साथ बड़की नदी क्रोसिंग रोपर चमकपुर पर पुल का निर्माण	पंजबा	रोपर	1.71	पुल	अनुमोदित
548.	सिसवान के ऊपर एच/एल पुल का निर्माण	पंजाब	रोपर	1.59	पुल	अनुमोदित
549.	डी बी एन गुरूदासपुर-मुकरोरियन मार्ग पर व्यास नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल पर गाहड नुंड का निर्माण	पंजाब	होशियारपुर	0.162	पुल	अनुमोदिव

1	2	3	4	5	6	7
550.	फिरोजपुर मार्ग पर फुट ओवर पुल का निर्माण	पंजाब	लुधियाना	0.0064	पुल	अनुमोदित
551.	वन प्रभाग और पटियाला जिला में 313 और 325 रेलवे पुल स. का पुनर्निर्माण	पंजाब	पटियाला	4.069	पुल	अनुमोदित
552.	पेट्रोल पम्प तक चण्डीगढ़-ए एम वी सड़क कि.मी. 25 पहुंच मार्ग	पंजाब	पटियाला	0.0896	पुल	अनुमोदित
553.	लुधियाना पर पेट्रोल पम्प तक पहुंच मार्ग-ए एम वी सड़क-105-106 एल एस किमी.	पंजाब	संगरूर	0.08	सड़क	अनुमोदित
554.	लुधियाना पर पेट्रोल पम्प तक पहुंच मार्ग-एएमवी सड़क-32-33 एल एस	पंजाब	संगरूर	0.031	सड़क	अनुमोदित
555.	पटियाला में एप्रोच रोड से पेट्रोल पम्प तक पहुंच मार्ग का निर्माण	पंजाब	संगरूर	0.1363	सड़क	अनुमोदित
556.	रोपर में पलाइन विछाना बालाचाहौर रोड किमी. 6.10-27.20	पंजाब	गुरूदासपुर	6.33	सड़क	अनुमोदित
557.	राजपुरा जी टी रोड को चौड़ा करना बायपास टोरली स्टेशन पटियाला किमी. 28.1-10.55	पंजाब	पटियाला	12.2885	सड़क	अनुमोदित
558.	पेट्रोल पम्प अटपायल से चाहवा रोड तक पहुंच मार्ग	पंजाब	लुधियाना	0.0518	सड़क	अनुमोदित
559.	रोपर को चौड़ा करना फगवारा सड़क (वायपास फगवारा)	पंजाब	जालंधर	1.0012	सड़क	अनुमोदित
560.	पेट्रोल पम्प-नाम्भा मालार कोटला मार्ग पर पेट्रोल पम्प के लिए पहुंच मार्ग 11. किमी	पंजाब	पटियाला	0.0143	सड़क	अनुमोदित
561.	गोलु माजारा गांव तक मैसर्स रोंधी डिस्टीलर प्राइवेट लि. पहुंच मार्ग	पंजाब	पटियाला	0.024	सड़क	अनुमोदित
562.	लुधियाना चण्डीगढ़ सड़क को चौड़ा करना 10.50-48 किमी.	पंजाब	लुधियाना	8.77	सड़क	अनुमोदित
563.	नाकोधर माहातपुर जागरो मार्ग पर सतलुज नदी पर एच एल पुल पर पहुंच मार्ग का निर्माण	पंजाब	जालंधर	1.259	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
564.	खाना-नावेश्वर मार्ग को चौड़ा करना	पंजाब	जालंधर	0.37	सड़क	अनुमोदित
565.	नाकोधर माहातपुर जागरों सिद्धवान मार्ग को चौड़ा करना	पंजाब	जालंधर	4.72	सड़क	अनुमोदित
566.	भांटिडा गिद राबाहना माल आऊर मार्ग पर पेट्रोल पम्प तक पहुंच मार्ग-माल आऊर रोड 313 किमी.	पंजाब	फरीदकोट	0.0144	सड़क	अनुमोदित
567.	राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पेट्रोल पम्प पर माल आऊट मुक्तसर सड़क तक पहुंच मार्ग-12.13 किमी.	पंजाब	फरीदकोट	0.0144	सड़क	अनुमोदित
568.	अमृतसर में चार लाइन विछाना-अजनाला मार्ग 6.8.5 किमी.	पंजाब	अमृतसर	7.25	सड़क	अनुमोदित
569.	पेट्रोल पम्प पर राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर सड़क निर्माण	पंजाब	फतहगढ़ साहिब	0.0513	सड़क	अनुमोदित
570.	फिरोजपुर पर पेट्रोल पम्प तक सड़क का निर्माण फिरोजपुर मार्ग, अमृतसर मार्ग, 86 किमी. रा.रा. 15	पंजाब	अमृतसर	0.33	सड़क	अनुमोदित
571.	डेरा बाबा नानक फतहगढ़ पर पेट्रोल पम्प तक पहुंच मार्ग फिरोजपुर मार्ग 86 कि.मी. रा.रा.-15	पंजाब	गुरूदासपुर	0.018	सड़क	अनुमोदित
572.	दुराह पर पेट्रोल पम्प रा. राजमार्ग तक पहुंच मार्ग	पंजाब	लुधियाना	0.154	सड़क	अनुमोदित
573.	नाभा गेट चौक टोकिशानपुरा ओल्ड ओक्टराए और ड्रैन टाइप-2 को चौड़ा करना	पंजाब	संगरूर	0.672	सड़क	अनुमोदित
574.	रोपड़-चंडीगढ़ सड़क 6.80-8.20 किमी. एन एच-यंको पलेन में करना	पंजाब	रोपर	2.38	सड़क	अनुमोदित
575.	पठानकोट-अमृतसर सड़क एन एच-15, किमी. 33-34 पर पेट्रोल पम्प तक एप्रोच सड़क	पंजाब	गुरूदासपुर	0.06	सड़क	अनुमोदित
576.	एन एच-1 किमी. 395 पर पेट्रोल पंप पर एप्रोच सड़क	पंजाब	जालंधर	0.0644	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
577.	जालंधर में लोहिया-मलसिमन सड़क पर पेट्रोल पम्प तक एप्रोच सड़क	पंजाब	जालंधर	0.0249	सड़क	अनुमोदित
578.	दल्ला गांव में गुरूदासपुर पठानकोट सड़क पर पेट्रोल पम्प तक एप्रोच सड़क	पंजाब	गुरदासपुर	0.0275	सड़क	अनुमोदित
579.	रोपर-बालाचौर सड़क किमी 12.050-24 का 4 लेन में निर्माण	पंजाब	नवांशहर	1.97	सड़क	अनुमोदित
580.	पुष्पा गुजरात साईंस सिटी जालंधर-कपूरथला सड़क के लिए एप्रोच सड़क	पंजाब	जालंधर	0.115	सड़क	अनुमोदित
581.	अलोवल गांव में पटियाला-बडसन सड़क पर एप्रोच सड़क	पंजाब	पटियाला	0.0085	सड़क	अनुमोदित
582.	मचकीकलां गांव में फरीदकोट सादिक सड़क पर पेट्रोल पम्प के लिए एप्रोच सड़क	पंजाब	फरीदकोट	0.373	सड़क	अनुमोदित
583.	सरहिंद-चुन्नी सड़क किमी. 6.20-18.80 को दोनों ओर से चौड़ा करना	पंजाब	फिरोजपुर	2.99	सड़क	अनुमोदित
584.	मिडवे धाबा के निकट राजपुरा 227-228 के प्लाट पर पैसेज	पंजाब	होशियारपुर	0.0108	सड़क	अनुमोदित
585.	भुट्टर गांव पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड बरनाला-मोगा रोड कि.मी.-20	पंजाब	फरीदकोट	0.0127	सड़क	अनुमोदित
586.	पेट्रोल पंप एप्रोच रोड भटिंडा-बादल रोड 14-15 कि.मी.	पंजाब	भटिंडा	0.0229	सड़क	अनुमोदित
587.	पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड भगवानपुर गांव मलोट-अबोहर रोड 350-51 किमी.	पंजाब	फरीदाकोट	0.0207	सड़क	अनुमोदित
588.	जीरकपुर-राजपुर एन.एच.-64 वहित खरड़-बनोर रोड को चौड़ा करना	पंजाब	पटियाला	0.72	सड़क	अनुमोदित
589.	सुभानपुर में अमृतसर-जालंधर रोड पर पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड	पंजाब	जालंधर	0.1253	सड़क	अनुमोदित
590.	राजगढ़ कुटे छोटी कोटली रोड पर पेट्रोल पम्प को एप्रोच रोड	पंजाब	भटिंडा	0.004	सड़क	अनुमोदित
591.	गुरदासपुर-नौसेरा-मुकेरियां रोड को चौड़ा करना 0-15 कि.मी.	पंजाब	गुरूदासपुर	6.0493	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
592.	भटिंडा-मुक्तसर रोड पर पेट्रोल पम्प को एप्रोज रोड कि.मी. 49-50 एल.एस.	पंजाब	मुक्तसर	0.1648	सड़क	अनुमोदित
593.	उगना गांव, तहसील राजपुरा में पेट्रोल पम्प को एप्रोच रोड	पंजाब	पटियाला	0.0559	सड़क	अनुमोदित
594.	फगवाड़ा जालंधर एन.एच.-1 सहित फगवाड़ा नवांशहर कन्फैक्शन फगवाड़ा बाईपास का निर्माण	पंजाब	जालंधर	1.041	सड़क	अनुमोदित
595.	खतलुत पुल तक खन्ना-समराला मछीवाड़ा रोड 0.34.51 कि.मी. वी.एस	पंजाब	लुधियाना	11.4	सड़क	अनुमोदित
596.	पब्वरी फोरेस्ट डिविजन पटियाला में पेट्रोल पम्प को एप्रोच रोड	पंजाब	पटियाला	0.005	सड़क	अनुमोदित
597.	लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर 0-6.733 कि.मी. मोरिंडा बाईपास का निर्माण	पंजाब	रोपड़	0.124	सड़क	अनुमोदित
598.	नकोदर-महतपुर-सिद्ध-बान-जगरांव रोड (नकोदर बाईपास) का सुधार	पंजाब	लुधियाना	1.1797	सड़क	अनुमोदित
599.	पठानकोट जंक्शन पर मुकेरियां पठानकोट के बीच रेलवे लाइन डबल किए जाने का कार्य	पंजाब	गुरूदासपुर	12.731	सड़क	अनुमोदित
600.	गोविंदपुर गांव में राजपुरा-चण्डीगढ़ रोड कि.मी. 31-32 पर पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड	पंजाब	पटियाला	0.0149	सड़क	अनुमोदित
601.	दोसाया-मिर्जापुर कि.मी. 7-8 पर पेट्रोल पम्प के लिए एप्रोच रोड	पंजाब	होशियापुर	0.0193	सड़क	अनुमोदित
602.	रामदीन्ता वाला गांव में पेट्रोल पम्प का रास्ता	पंजाब	मनसा	0.018	सड़क	अनुमोदित
603.	जैन रोड पर प्रशासनिक परिसर के पुलिस ब्लॉक के एप्रोच रोड का निर्माण	पंजाब	पटियाला	0.0068	सड़क	अनुमोदित
604.	सड़क चौड़ा करने के लिए वन भूमियों को डाइवरसन	पंजाब	पटियाला	0.5892	सड़क	अनुमोदित
605.	दोसाया में रणधावा गांव के समीप होशियारपुर दोसाया कि.मी. 36-37 पर एप्रोच रोड का निर्माण	पंजाब	होशियारपुर	0.0248	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
606.	1.2 से 8.00 कि.मी. तक पटियाला सरहिन्द का चार लेन किया जाना	पंजाब	पटियाला	3.4996	सड़क	अनुमोदित
607.	अम्बाला कालका रोड पर एन.एच.22 पर 10.84 से 11.88 कि. तक सेल टैक्स बैरियर पर ट्रक बाई लेन का निर्माण	पंजाब	पटियाला	3.69	सड़क	अनुमोदित
608.	रोपड़ एफ.डी. में जैनिटी डैम के पास कच्चा पथ का निर्माण	पंजाब	रोपड़	0.819	सड़क	अनुमोदित
609.	एन.एच.-1 पर चेरू सपरोड पर पेट्रोल पम्प के लिए एप्रोच रोड	पंजाब	जालंधर	0.0675	सड़क	अनुमोदित
610.	लुधियाना-हिसार रोड 101-102 कि.मी. पर पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड	पंजाब	संगरूर	0.176	सड़क	अनुमोदित
611.	वारायना गांव में कपूरथला चौक चौड़ा किया जाना	पंजाब	जालंधर	2.42	सड़क	अनुमोदित
612.	चंडीगढ़-भंडारण-घुनी रोड 9.70-14.50 कि. पर चौड़ा किया जाना	पंजाब	रोपड़	2.92	सड़क	अनुमोदित
613.	पुडा जोनल आफिस कॉम्पलैक्स एप्रोच रोड का निर्माण	पंजाब	लुधियाना	0.022	सड़क	अनुमोदित
614.	वन मंडल के दोनों तरफ 14.5 कि.मी. से 29.48 कि.मी. पटियाला-सरहिन्द रोड को चौड़ा किया जाना	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	1.5	सड़क	अनुमोदित
615.	दोराहा-कादोन रोड पर 0-8.10 कि.मी. पर जी.टी. रोड के लिए वन भूमि का प्रयोग	पंजाब	लुधियाना	2.965	सड़क	अनुमोदित
616.	मासरा रोड गांव से मुजाफपुर गरीबदास रोड को चौड़ा करना	पंजाब	रोपड़	1.6	सड़क	अनुमोदित
617.	धलोड़ी गेट से शीश महल पर रोड का निर्माण	पंजाब	पटियाला	0.047	सड़क	अनुमोदित
618.	पटियाला-संगरूर रोड एन.एच. 64 का सुधार	पंजाब	संगरूर	0.606	सड़क	अनुमोदित
619.	पटियाला संगरूर रोड की पलेनिंग एन.एच. 64 किमी. 57-62.75	पंजाब	पटियाला	5.25	सड़क	अनुमोदित
620.	अबोहर-उस्मान खेड़ा रोड को उपर उठाना 367.360 से 370.00 किमी. एन.एल. 15	पंजाब	फिरोजपुर	0.87	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
621.	ऑमुक्तेश्वर-फिरोजपुर रोड 40-41 कि.मी. आर.एस पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड	पंजाब	फरीदकोट	0.052	सड़क	बंद
622.	लुधियाना हिसार रोड 82-83 कि.मी. एप्रोच रोड पेट्रोल पम्प	पंजाब	संगरूर	0.38	सड़क	बंद
623.	चंडीगढ़ हिसार रोड 99-100 कि.मी. पेट्रोल पम्प एप्रोच रोड	पंजाब	पटियाला	0.0695	सड़क	बंद
624.	करतारपुर जी. टी रोड कि.मी. 395 एन.एच.-1 एप्रोच रोड पेट्रोल पम्प	पंजाब	जालंधर	0.06	सड़क	बंद
625.	रोपड़ बाईपास फोरेस्ट डिविजन का निर्माण	पंजाब	रोपड़	4.08	सड़क	बंद
626.	लुधियाना-चण्डीगढ़ रोड समराला टाउन बाईपास 1-10.80 कि.मी. की पलेनिंग	पंजाब	लुधियाना	0.74	सड़क	बंद
627.	भंटिडा-मुक्तसर रोड पर 49-50 एल.एस. एप्रोच रोड पेट्रोल पम्प	पंजाब	मुक्तसर	0.048	सड़क	बंद
628.	सिधवान पर नए पुल के लिए लुधियाना मलेरकोटला रोड चौड़ा किया जाना	पंजाब	लुधियाना	0.55	सड़क	बंद
629.	चण्डीगढ़-लुधियाना रोड 45-60-48 कि.मी. चौड़ा किया जाना	पंजाब	फतेहगढ़	2.184	सड़क	
630.	जी.टी.रोड के साथ-साथ कि.मी. 22 स्लिप रोड का निर्माण	पंजाब	कपूरथला	0.06	सड़क	
631.	डलुखनी बारान साहिब से थापर कॉलेज रोड चौड़ा किया जाना	पंजाब	पटियाला	1.6064	सड़क	
632.	पटियाला नाला रोड को चौड़ा करना (गुरुद्वारा दुख निवाश साहिब से थापर कालेज चौक)	पंजाब	पटियाला	0.4	सड़क	
633.	समाना-गुहला रोड चौड़ा किया जाना	पंजाब	पटियाला	0.288	सड़क	
634.	सुनाम-लहरगगा रोड 0.450-2.590 रोड को चौड़ा करना	पंजाब	संगरूर	1.011	सड़क	
635.	पटियाला मेन रोड से दसमोराह नयूर तक रोड का निर्माण	पंजाब	पटियाला	0.12	सड़क	

1	2	3	4	5	6	7
636.	टिब्बा नग्गल से कुलर रैतेवाल कि.मी. रोड का निर्माण	पंजाब	रोपड़	7.82	सड़क	
637.	कुल्लुर रातेवाल से टिब्बा नग्गल, गढ़शंकर गांव तक लिंक रोड निर्माण	पंजाब	नवां शहर	6.52	सड़क	
638.	एन.एच.-76 पर चित्तौड़गढ़-कोटा रोड का चार लेन किया जाना	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	65.66	सड़क	अनुमोदित
639.	पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत धुराकर के लिए एप्रोच रोड	राजस्थान	करौली	0.8175	सड़क	अनुमोदित
640.	मधुबन स्थीम से पाली नागौर एन.एच.-65 तक लिंक रोड	राजस्थान	जोधपुर	0.108	सड़क	अनुमोदित
641.	256 से 262 कि.मी. तक एन.एच.-8 को चौड़ा करना	राजस्थान	जयपुर	12.04	सड़क	अनुमोदित
642.	239 से 246 कि.मी. तक एन.एच.-11 को चौड़ा करना	राजस्थान	जयपुर	11.7	सड़क	अनुमोदित
643.	मालपुड़ा से छाती मोटर रोड गांव	राजस्थान	टोंक	1	सड़क	अनुमोदित
644.	2003	राजस्थान	जयपुर	0.525	सड़क	अनुमोदित
645.	आगरा-ग्वालियर एन. एच-3 कि.मी. 31-41 चौड़ा करना	राजस्थान	धौलपुर	0	सड़क	अनुमोदित
646.	कर्बला जंक्शन से कुडां तक एन. एच-8 पर दिल्ली रोड को चौड़ा मजबूत करना	राजस्थान	जयपुर	13.109	सड़क	अनुमोदित
647.	अजमेर पुलिया से सी जौन बाईपास रोड को चौड़ा करना	राजस्थान	जयपुर	1.66	सड़क	अनुमोदित
648.	एन.एच.-11 पर कि.मी. 61 से 62 तक ज्योमेट्रिकल सुधार	राजस्थान	भरतपुर	0.61	सड़क	अनुमोदित
649.	हुबालिया लिंक रोड	राजस्थान	बूंदी	4.5	सड़क	अनुमोदित
650.	रामगंज से ट्रांसपोर्ट नगर तक चार लेन किया जाना	राजस्थान	अजमेर	7.087	सड़क	बंद
651.	अजमेर बस स्टैंड से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोड	राजस्थान	अजमेर	5.918	सड़क	बंद
652.	एन.एच-76 पर चित्तौड़गढ़ कोटा रोड को चौड़ा करना	राजस्थान	बूंदी	105.03	सड़क	

1	2	3	4	5	6	7
653.	रंगारंग नदी पर स्थायी पुल का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)	0.225	पुल	अनुमोदित
654.	तीस्ता नदी पर स्थायी पुल का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)	0.51	पुल	अनुमोदित
655.	लिंगी से पायोंग जुनियर हाई स्कूल तक रोड का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम दक्षिण	0.36	सड़क	अनुमोदित
656.	बकछा-लाबी रोड का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)	0.146	सड़क	अनुमोदित
657.	बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन द्वारा कटाओ-बम्प-4	सिक्किम	सिक्किम (पूर्व)	12.69	सड़क	अनुमोदित
658.	येमेसमदांग से आगे 3 कि. मी. रोड का निर्माण	सिक्किम	उत्तर	4.5	सड़क	अनुमोदित
659.	आई. बी. गोलाई से पेकू तक सड़क निर्माण	सिक्किम	दक्षिण	2.62	सड़क	अनुमोदित
660.	पी एम जी एस वाई के तहत सामडोग से तालम तक सड़क निर्माण	सिक्किम	दक्षिण (पूर्व)	0.792	सड़क	अनुमोदित
661.	कन्सट्रक्शन रिएलाइनमेंट रूट ऑफ रिचू	सिक्किम	नार्थ	1.786	सड़क	अनुमोदित
662.	कन्सट्रक्शन आफ एप्रोच रोड धरोम सामलिकट अंडर पी एम जी एस वाई	सिक्किम	सिक्किम (पूर्व)	0.957	सड़क	अनुमोदित
663.	कन्सट्रक्शन ऑफ श्रीबादान दाययांग लिंक रोड	सिक्किम	पश्चिम	0.5297	सड़क	अनुमोदित
664.	पोलोक बस्ती से नीरदांग बस्ती तक सड़क निर्माण	सिक्किम	दक्षिण और पश्चिम सिक्किम	3.428	सड़क	अनुमोदित
665.	एस पी डब्ल्यू डी (सड़कें और पुल) द्वारा ग्याल सिंग लेंगशिप संपर्क मार्ग का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (पश्चिम)	0.442	सड़क	अनुमोदित
666.	पी एम जी एस वाई के अंतगर्त सिकिव से पाल्जर रोड 3.0 कि.मी. ग्रामीण संपर्क रोड का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (दक्षिण)	0.21	सड़क	अनुमोदित
667.	पी एम जी एस वाई के अंतर्गत संबंक लंग चोक एस पी डब्ल्यू डी रोड से मंगरांग, होकर गुप्ती तक ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (दक्षिण)	1.4	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
668.	पी एम जी एस वाई के अंतर्गत कामरांग पी डब्ल्यू रोड से कियू डयश ग्रामीण संपर्क सेड का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (दक्षिण)	0.604	सड़क	अनुमोदित
669.	पी एम जी एस वाई के अंतर्गत नाम्फिंग टर्निंग से शालाम्यांग जूनियर हाई स्कूल तक ग्रामीण संपर्क रोड का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (दक्षिण)	0.706	सड़क	अनुमोदित
670.	लैबडांग से फामताग तक संपर्क रोड का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (पश्चिम)	8.596	सड़क	
671.	13/243 कि.मी. से 30 कि.मी. चुंगयांग रोड से सी एल-9 स्पेसीफिकेशन से एन एच सिंगल लेन स्पेसीफिकेशन	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)	3.479	सड़क	
672.	2 कलेक्टर वेल्स और 2 फूट पुलों का कांलरून फान्स से टी एन डब्ल्यू एल और टी वी डिवर्सन के एफ एल निर्माण के लिए	तमिलनाडु	नागापट्टनम	0.1	पुल	अनुमोदित
673.	एफ/ओ एन एच ए आई में चलावेलुपट्टी से रायागोंडा न्यूट्टी तक रोड निर्माण	तमिलनाडु	मदुरई	0.497	सड़क	अनुमोदित
674.	एफ/ओ दक्षिणी रेलवे में सलेम-करूर न्यू बी जी लाइन का निर्माण	तमिलनाडु	सलेम	0.98	सड़क	अनुमोदित
675.	नारायणपुरम से नाथम तक घाट रोड का सुधार-निर्माण	तमिलनाडु	वेल्लोर	2.61	सड़क	अनुमोदित
676.	मदुरई डिवीजन में चला वेल्लुवेपी से रामागाउण्डनपैथी तक सड़क निर्माण के लिए सेपपैथी आर एफ में एक एल का डिवार्जन	तमिलनाडु	मदुरई	0.497	सड़क	अनुमोदित
677.	एन एच ए आई द्वारा कृष्णागिरी से वानियारवाडी तक नंदी बांदा आर एफ अर्जन लिए एक धाएं होकर 22.008 कि.मी. से 23.00 कि.मी. एफ एल	तमिलनाडु	धर्मपुरी	2.15	सड़क	अनुमोदन
678.	एम/एस सरथागिरी एजूकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेज तक पहुंचने के लिए नेल्लूर आर एफ में पड़े अतिरिक्त रोड के लिए एफ एल का डाइवर्जन	तमिलनाडु	कांचीपुरम	0.84	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
679.	मेट्टुपराइ होकर नारायणपुर से नाथम तक घाट रोड बचाने और सुधार के लिए हाइवे विभाग के एफ एल का डाइवर्जन	तमिलनाडु	वेल्लोर	2.61	सड़क	अनुमोदित
680.	थेमोइकराइ कोगाड्राइ सलाइ में 7/8 से 10/6 कि.मी. सड़क	तमिलनाडु	एरोड	1.35	सड़क	अस्वीकृत
681.	थेमोराइ कराई कोंगाडाइ सलाइ में 7/8 से 10/6 कि.मी. सड़क निर्माण का डाइवर्जन	तमिलनाडु	एरोड	1.35	सड़क	अस्वीकृत
682.	हाइवेज विभाग द्वारा डडुमाल्पेट चिन्नार रोड के 28/8 कि.मी. पुल निर्माण के लिए एफ एल का डाइवर्जन	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	0.0464	सड़क	
683.	नीलगिरी दक्षिण डिवीजन में पाइआरा बोट हाउस के फुटपाथ का निर्माण	तमिलनाडु	नीलगिरी	0.0225	सड़क	
684.	पोलुर से चेंगम तक मौजूदा सड़क के सुधार के लिए वन भूमि वन डाइवर्जन	तमिलनाडु	तिरूवन्नामलाइ	2.5	सड़क	
685.	करिमांगल पंचायत यूनियन में एन्थेरि थोट्टई से वनभूमि के लिए सड़क निर्माण का डाइवर्जन	तमिलनाडु	धर्मापुरी	2.016	सड़क	
686.	एन एच आई के पक्ष में थोपरू घाट के दो लेन से चार लेन तक चौड़ा करने के लिए वनभूमि का डाइवर्जन	तमिलनाडु	धर्मापुरी	0.9412	सड़क	
687.	कोडईक माल डिवीजन में अडुक्कम से कुम्बाकराइ तक रोड निर्माण के लिए वनभूमि का डाइवर्जन	तमिलनाडु	डिंडीगुल	4	सड़क	
688.	पाइकारा बोट हाउस से फुटपाथ का निर्माण	तमिलनाडु	नीलगिरी	0.0225	सड़क	
689.	एम के पुरा रोड से आई बी बी बोल खाली	त्रिपुरा	धलाइ	126.5	सड़क	अनुमोदित
690.	धलाइ-कंथाल बारी-बिशुनपुर-कारांगी चारा से आई बी पी के रोड का निर्माण	त्रिपुरा	त्रिपुरा (उत्तर)	24.29	सड़क	अनुमोदित
691.	राधा नगर में आई बी बी रोड का निर्माण	त्रिपुरा	त्रिपुरा (दक्षिण)	29.6	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
692.	कुलुवाडी से निदाया तक थाई बी बी रोड का निर्माण	त्रिपुरा	त्रिपुरा (पश्चिम)	0.42	सड़क	अनुमोदित
693.	रेलवे ओवर ब्रिज के दोनों तरफ 23.60 कि.मी. एप्रोचमेण्ट रोड का निर्माण	त्रिपुरा	धलाई	0.299	सड़क	अनुमोदित
694.	अगरतला से सबरूम रोड का चौड़ीकरण	त्रिपुरा	त्रिपुरा (दक्षिण)	1.129	सड़क	अनुमोदित
695.	आई बी बी द्वारा खोवई-कारंग-चेरा रोड का निर्माण	त्रिपुरा	त्रिपुरा (पश्चिम)	12.3	सड़क	बंद
696.	जमुआर नाला में 0.5 कि.मी. मधुबेबाया रोड गियायाघाट रोड का पुल	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	0.05	पुल	अनुमोदित
697.	एन एच-3 आगरा ग्वालियर मार्ग 24 कि.मी. से 31 कि.मी. तक चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	आगरा	14	सड़क	अनुमोदित
698.	एन एच-58 पर सकौली ओवर ब्रिज का निर्माण	उत्तर प्रदेश	मेरठ	0.4	सड़क	अनुमोदित
699.	भैंस हरा घाट पर आर सी सी पुल और एप्रोच रोड	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	0.47	सड़क	अनुमोदित
700.	एन एच-24-28 के बाइपास में पेड़ों का कटान	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1.76	सड़क	अनुमोदित
701.	एन एच-24 पर मुरादाबाद बाइपास का निर्माण	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	0.375	सड़क	अनुमोदित
702.	बाहराइच-गौंडा-फैजाबाद (कटरा) रोड 9 कि.मी. से 15 तक उन्नयन	उत्तर प्रदेश	बहराइच	1.5	सड़क	अनुमोदित
703.	पम पाडा-दिंगारपुर रोड (13.4 से 21.4 कि.मी.) में 4178 पेड़ों का कटान	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	7.2	सड़क	अनुमोदित
704.	बहराइच-गौंडा-फैजाबाद रोड 16 से 40 कि.मी. का उन्नयन	उत्तर प्रदेश	बहराइच	2.2	सड़क	अनुमोदित
705.	विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भोगनीपुर-घाटमपुर से चुर्गराहा का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	11.2	सड़क	अनुमोदित
706.	एन एच-24 गाजियाबाद हापुड़ सेक्शन का फोर लेन और हापुड़ बाइपास का निर्माण	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	0.83	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
707.	एन एच-25 (लखनऊ-कानपुर-रोड) 7.900 से 11.380 माइनर के नाल से अमौसी तक चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	3.966	सड़क	अनुमोदित
708.	स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 स्कीम के अंतर्गत कटरा-जलाबाद बांगर मऊ का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	हरदोई	5.09	सड़क	अनुमोदित
709.	एन एच-2 के 38 कि.मी. से 115 कि.मी. का 2 से 4 लेन में चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	106.66	सड़क	अनुमोदित
710.	एन एच-24 में 3509 कि.मी. शारदा लखनऊ ब्रांच के केनाल पर पुल	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	0.5064	सड़क	अनुमोदित
711.	खातिमा रोड हिण्डन नदी पर पुल निर्माण	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	0.083	सड़क	अनुमोदित
712.	कटरा-जलालाबाद-बांगर मऊ 97 कि.मी. से 104 कि.मी. अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	कानपुर	8	सड़क	अनुमोदित
713.	बहराइच-गोंडा-कटरा मार्ग 41 कि.मी. से 108 कि.मी. का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	गोण्डा	6.7	सड़क	अनुमोदित
714.	भोननीपुर-घाटमपुर चौरगड़ा और कटरा-जलालाबाद बांगर मऊ रोड का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	कानपुर	54	सड़क	अनुमोदित
715.	गोन नदी पुल पर पेड़ कटान और एप्रोच रोड के लिए अनुमति	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	1.757	सड़क	अनुमोदित
716.	एन एच-28 अयोध्या बाइपास 0 कि.मी. से 1.300 कि.मी. 4 लेन का चौड़ी करना	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	0.6	सड़क	अनुमोदित
717.	एन एच-28 को 279.800 कि.मी. से 360.915 कि.मी. तक चौड़ीकरण और 12621 पेड़ों का कटान	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	95.43	सड़क	अनुमोदित
718.	एन एच-28 के 8.250 से 16.700 कि.मी. तक 4 लेन चौड़ीकरण और 1240 पेड़ों का कटान	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	16.43	सड़क	अनुमोदित
719.	एन एच-28 में 92 कि.मी. से 12 कि.मी. तक 2 से 4 लेन तक चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	71.04	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
720.	एन एच-28 में 142.50 से 143.40 तक चार लेन का चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	गोंडा	1.26	सड़क	अनुमोदित
721.	एन एच-75 पर 71 कि.मी. में 4 लेन टोल प्लाजा	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	0.9	सड़क	अनुमोदित
722.	एन एच-28 में 16.700 कि.मी. से 93.00 कि.मी. तक 4 लेन का चौड़ीकरण और 5714 पेड़ों का कटान	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	93.71	सड़क	अनुमोदित
723.	एन एच-28 के 143.00 से 240.600 तक 4 लेन का चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	बस्ती	95.406	सड़क	अनुमोदित
724.	एन.एच-28 में 240.6 से 287.4 तक 2 से 4 लेन तक चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	17.79	सड़क	अनुमोदित
725.	कटरा-जलालाबाद-बांगर मऊ बिलहौर एमआर का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	64	सड़क	बंद
726.	जौनपुर से मोहम्मदपुर तक रोड का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	2.75	सड़क	बंद
727.	सुधार सौट-माची-स्यारिया मोटर रोड	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	5	सड़क	बंद
728.	कटरा-जलालाबाद बांगर मऊ बिल्लौर एम आर का अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	2	सड़क	बंद
729.	देवखारी-ज्वाहर पुर्वा लिंक मोटर रोड	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	2.34	सड़क	बंद
730.	खारीहाट काला लिंक रोड	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	1.05	सड़क	बंद
731.	उरूवा लिंक रोड	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	0.26	सड़क	बंद
732.	सोनवर्ष से देवघाट लिंक रोड	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	1.58	सड़क	बंद
733.	सिरसी लेडुकी से सरसावा लिंक रोड	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	1.19	सड़क	बंद
734.	एन एच-2 का 200 कि.मी. से 218 कि.मी. तक अपग्रेडेशन	उत्तर प्रदेश	आगरा	4.09	सड़क	
735.	स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत जौनपुर से मोहम्मदपुर रोड का अपग्रेडेशन और 337 पेड़ों का कटान	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	12.4	सड़क	
736.	रिषीकेश-हारसिल-लंका-भैरव रोड 197 कि.मी. पर पुल निर्माण	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	0.04	पुल	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
737.	चेज और पिनाड के लिए केल गंगा नदी पर हैगिंग ब्रिज	उत्तरांचल	चमोली	0.04	पुल	अनुमोदित
738.	गौरी कुण्ड में पुल और खच्चर शेड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	0.3	पुल	अनुमोदित
739.	305 कि.सी. से 323.60 कि.मी. तक रिशबाढ़ जोशीमठ-माना रोड का बार्डर रोड द्वारा चौड़ीकरण	उत्तरांचल	चमोली	23.872	सड़क	अनुमोदित
740.	रामनगर-कोसी बैराज पर कोट मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	20.13	सड़क	अनुमोदित
741.	रिषीकेश-जोशीमठ रोड का सुधार	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	51.68	सड़क	अनुमोदित
742.	दुगाड़डा-रायूबाधव-मैडावान हल्दूखाल मोटर रोड का निर्माण	उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाल	58.74	सड़क	अनुमोदित
743.	बी एस एफ द्वारा एन एच-58 138 से 159.675 कि.मी. का सुधार	उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाल	23.934	सड़क	अनुमोदित
744.	पदमपुरी-हेराखाल-काठगोदाम मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	42.93	सड़क	अनुमोदित
745.	मासी-गैर खेत सरायखेत मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	32.053	सड़क	अनुमोदित
746.	पी एम रोड स्कीम के अंतर्गत मल्धान चौर (गोयल नगर) हरिंदगर पिरूमादरा एम आर	उत्तरांचल	नैनीताल	7.092	सड़क	अनुमोदित
747.	गौमुख डोव मोटर रोड का निर्माण	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	0.29	सड़क	अनुमोदित
748.	कालिका बनोलिया लाइट बिहिकिल रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	0.19	सड़क	अनुमोदित
749.	स्पान स्युन लाइट विहिकिल रोड ब्रिज और एप्रोच रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	4.83	सड़क	अनुमोदित
750.	जोशीमठ से मलारी एम आर का चौड़ीकरण	उत्तरांचल	चमोली	16.161	सड़क	अनुमोदित
751.	विधायी विभाग की आवासीय/ गैर-आवासीय इमारत तक एप्रोच रोड	उत्तरांचल	बागेश्वर	1.68	सड़क	अनुमोदित
752.	कन्डोली ग्राम से नन्दा की चौकी-भाउवाला रोड	उत्तरांचल	देहरादून	1.215	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
753.	मलदेवता से द्वारा मोटर रोड	उत्तरांचल	देहरादून	2.58	सड़क	अनुमोदित
754.	कनालीचाईना पिपली मोटर मार्ग से लिमोटोडा एलवीआर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	2.115	सड़क	अनुमोदित
755.	डॉन-ओखलडुंगा-तल्लीसैण मोटर मार्ग	उत्तरांचल	नैनीताल	10.5	सड़क	अनुमोदित
756.	कन्डा-डॉन परेवाअमरगढ़ी मोटर मार्ग	उत्तरांचल	ननीताल	9.06	सड़क	अनुमोदित
757.	मंडल कनाडार्ड एन आर के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी तक भूमि का विपथन	उत्तरांचल	नैनीताल	1.26	सड़क	अनुमोदित
758.	धरासू-गंगोत्री मोटर मार्ग का ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग-108	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	0.4	सड़क	अनुमोदित
759.	बद्री से कांटेबोरा एलवीआर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	1.098	सड़क	अनुमोदित
760.	झज्जर-अकसोरा-मोटर मार्ग	उत्तरांचल	नैनीताल	7.452	सड़क	अनुमोदित
761.	भानुखाल तडम मोटर मार्ग	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	4.98	सड़क	अनुमोदित
762.	सहस्रधारा-चामसीरमर के 1 कि.मी. पुल तक एप्रोच रोड	उत्तरांचल	देहरादून	0.18	सड़क	अनुमोदित
763.	पटा बैंड से पटा गांव लाईट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	0.066	सड़क	अनुमोदित
764.	टूना-बौथा-पोखरी लाईट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	1.179	सड़क	अनुमोदित
765.	अंचोली-बडावै मोटर मार्ग से बलाई लिंक रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	0.81	सड़क	अनुमोदित
766.	सर्किट हाऊस एप्रोच रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	0.98	सड़क	अनुमोदित
767.	वाईडनिंग आफ रिषीकेश जोशीमठ-माना राष्ट्रीय राजमार्ग कि.मी. 184.420 से 195.00 कि.मी.	उत्तरांचल	चमोली	12.941	सड़क	अनुमोदित
768.	इटऊला कनालडुंगा मोटर मार्ग	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	0.53	सड़क	अनुमोदित
769.	लिटी-रिटकुला-सतगड मोटर मार्ग	उत्तरांचल	बागेश्वर	5.8537	सड़क	अनुमोदित
770.	भुवानी गोबराई लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	0.783	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
771.	गंगोत्री से उटरो मोटर मार्ग	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	1.374	सड़क	अनुमोदित
772.	नारायण बागड परखाल केदारकोट मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	14.436	सड़क	अनुमोदित
773.	रूद्रप्रयाग में एलएमवी पाला कुरली पटागडिया का निर्माण	उत्तरांचल	रूद्रप्रयाग	2.227	सड़क	अनुमोदित
774.	बोरागड-चौड लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.9	सड़क	अनुमोदित
775.	जखोली ब्लाक में गोरपा सिखाड़ी पुलन एल एम वी रोड का निर्माण	उत्तरांचल	रूद्रप्रयाग	0.51	सड़क	अनुमोदित
776.	मरोराखन पाटन गलचौरा मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	0.78	सड़क	अनुमोदित
777.	एक्सटेंशन आफ वखाकहान पथाल मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	0.84	सड़क	अनुमोदित
778.	जकोली ब्लाक में जकोली चौरा एल एम वी रोड का निर्माण (1 कि.मी. से 4.95 कि.मी.)	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	1.695	सड़क	अनुमोदित
779.	गोल चाईना-श्रीखेत लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	0.35	सड़क	अनुमोदित
780.	गुमानीवाला भुट्टोवाला गरही मोटर रोड	उत्तरांचल	देहरादून	0.4884	सड़क	अनुमोदित
781.	घुरना हरकंडे जाजर चिंगारी दुआ एलवीआर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	13.61	सड़क	अनुमोदित
782.	बगरीगड-बकपीनी-लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.9	सड़क	अनुमोदित
783.	घिंघरन-बेमरू-उरगम लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	3.08	सड़क	अनुमोदित
784.	ऋषिकेष गंगोत्री मोटर रोड से बोऊ गांव मोटर रोड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	1.808	सड़क	अनुमोदित
785.	जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तार के कारण ऋषिकेश दोईवाला मोटर रोड का विपथन	उत्तरांचल	देहरादून	4.2	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
786.	धौतरी कौन गढ़ से श्रीरी कि.मी. 6.25 और ब्रिज का निर्माण	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	4.381	सड़क	अनुमोदित
787.	जैती-पिपली-वाल्का मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	3.27	सड़क	अनुमोदित
788.	वाईडनिंग ऑफ रिषिकेश-जोशीमठ-माना मोटर मार्ग	उत्तरांचल	चमोली	9.448	सड़क	अनुमोदित
789.	घुरसाल लिंक रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.33	सड़क	अनुमोदित
790.	होरावाला कोटी रोड से धलानी मोटर रोड	उत्तरांचल	देहरादून	2.25	सड़क	अनुमोदित
791.	एक्सपैन्शन आफ टनकपुरा तवा-घाट एम आर कि.मी. 1.88 टू कि.मी. 41.88	उत्तरांचल	चम्पावत	10.806	सड़क	अनुमोदित
792.	मथकुडी सैंन पन्गारीखाल लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	1.2845	सड़क	अनुमोदित
793.	उधयुनहुंगा ओखला इन लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.305	सड़क	अनुमोदित
794.	डिग्री कॉलेज लोहाघाट टू गगनोला मशकोला मल्सन एलवीआर	उत्तरांचल	चम्पावत	1.575	सड़क	अनुमोदित
795.	अडी बदरी भरारी सैन एम आर	उत्तरांचल	चमोली	2.0268	सड़क	अनुमोदित
796.	गिरथी डोबला-सुमना एम आर	उत्तरांचल	चमोली	9.825	सड़क	अनुमोदित
797.	एक्सटेंशन ऑफ बोहरावन जन्तेलगांव लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	0.9	सड़क	अनुमोदित
798.	कमसल लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	0.966	सड़क	अनुमोदित
799.	कुनलता एलवीआर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	8.955	सड़क	अनुमोदित
800.	तकुलती-सुन्दरखाल एल वी आर	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	3.12	सड़क	अनुमोदित
801.	ढाक-रेगरी-करचौ लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.3624	सड़क	अनुमोदित
802.	कपकोट मोटर मार्ग कि.मी. 18 टू पखर	उत्तरांचल	बागेश्वर	2.82	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
803.	लीसा फैक्टरी टू डायरेक्टर (डब्ल्यू एल) आफिस लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.903	सड़क	अनुमोदित
804.	पैनी कुजासु लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.552	सड़क	अनुमोदित
805.	दूनी चहज एम आर एम के 2.0 टू 60 इन गंगोलीहट	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	2.4	सड़क	अनुमोदित
806.	टिमटा बुगली मोटर रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	14.932	सड़क	अनुमोदित
807.	रोहिरा-पाजीयाना मोटर मार्ग	उत्तरांचल	चमोली	5.265	सड़क	अनुमोदित
808.	रिखारी बैंड टू तलाई मोटर रोड	उत्तरांचल	बागेश्वर	1.74	सड़क	अनुमोदित
809.	तपोवन रिंगी-भविष्यबद्री लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.1	सड़क	अनुमोदित
810.	बागेश्वर-कपकोट-एमआर कि.मी. 21 टू भयून एमआर	उत्तरांचल	बागेश्वर	1.5	सड़क	अनुमोदित
811.	गिंगरन-डुंगरी-लिंक मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.94	सड़क	अनुमोदित
812.	वाईडनिंग आफ धरासू गंगोत्री मोटर मार्ग फार्म कि.मी. 57 टू कि.मी. 68.175	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	6.5435	सड़क	अनुमोदित
813.	कन्स्ट्रक्शन आफ कॉसवे चौशाला	उत्तरांचल	नैनीताल	0.12	सड़क	अनुमोदित
814.	बंकोट धारी धुमला कोट लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	3.6	सड़क	अनुमोदित
815.	बंकोट देवरारी पंत एम आर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	2.4	सड़क	अनुमोदित
816.	कोडियाल सैन सन्वरी सैन लाईट व्हेकल रोड टू नंदप्रयाग देवलखाल एम आर कि.मी. 4	उत्तरांचल	चमोली	3	सड़क	अनुमोदित
817.	लवानी रमनी मोटर रोड अन्डर पी एम विलेज रोड कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	उत्तरांचल	चमोली	2.295	सड़क	अनुमोदित
818.	नरेन्द्रनगर दौर गुजराड़ा एलवीआर	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	0.752	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
819.	मल्ला शिल मोटर रोड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	3.3	सड़क	अनुमोदित
820.	ब्रिज एंड रोड कन्स्ट्रक्शन फ्राम कोटावाली तिराहा टू लहरपुर	उत्तरांचल	हरिद्वार	0.55	सड़क	अनुमोदित
821.	रसियोगढ़ चौराहा टू पिली पहर मोटर रोड	उत्तरांचल	हरिद्वार	4.0436	सड़क	अनुमोदित
822.	रसिआबगड चौराहा टू धुधवादयालपुर मोटर रोड	उत्तरांचल	हरिद्वार	3.003	सड़क	अनुमोदित
823.	कोल्सो बंड टू चुला टू लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.9	सड़क	अनुमोदित
824.	पुसारी पलेथी सरतोली लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.2	सड़क	अनुमोदित
825.	वन विभाग कालोनी से लिंथपुरा लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	0.2125	सड़क	अनुमोदित
826.	तिलवारा-टाबाई-मोटर रोड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	7.98	सड़क	अनुमोदित
827.	काठपुरिया-चीन शेराघाट मोटर रोड	उत्तरांचल	बागेश्वर	2.475	सड़क	अनुमोदित
828.	रदनगली रंचारी मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	0.96	सड़क	अनुमोदित
829.	मसूरी-कण्डा-हकारा मोटर रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	4.005	सड़क	अनुमोदित
830.	डाइवर्शन ऑफ एफ/एल फॉर जसोली कण्डा एलवीआर	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	2.7	सड़क	अनुमोदित
831.	अप्रोच रोड एण्ड ब्रिज इन कि.मी. 9, 10, 14 ऑफ नेशनल हाइवे-74 हरिद्वार ऑन मुद्गल सोट	उत्तरांचल	हरिद्वार	3.5	सड़क	अनुमोदित
832.	मचोर-जरू मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	4.26	सड़क	अनुमोदित
833.	डाइवर्शन ऑफ एफ/एल रीठा डोली गांव मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	3.34	सड़क	अनुमोदित
834.	कंसखेत-असगढ़ लाईट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	पौढ़ी गढ़वाल	1.482	सड़क	अनुमोदित
835.	कांधार शेलियाना मोटर रोड को चौड़ा करना	उत्तरांचल	बागेश्वर	621	सड़क	अनुमोदित
836.	मैखुरा मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	2.77	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
837.	खांसन नदी पर नेशनल हाइवे-74 में पुल और एप्रोच रोड	उत्तरांचल	हरिद्वार	1.95	सड़क	अनुमोदित
838.	काल्यानी लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	7.137	सड़क	अनुमोदित
839.	खलगरा कोट बासन एमआर	उत्तरांचल	चम्पावत	1.68	सड़क	अनुमोदित
840.	डुमकाबंजर-तेजपुर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	0.6	सड़क	अनुमोदित
841.	मरोडाखान राजकोट मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.08	सड़क	अनुमोदित
842.	मरोडाखाल राजकोट मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.08	सड़क	अनुमोदित
843.	किमटोली रासाहोल एमआर टू मारचामर एम आर	उत्तरांचल	चम्पावत	0.72	सड़क	अनुमोदित
844.	मोटर रोड टकूला-जनानाथ खमन	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	3.4675	सड़क	अनुमोदित
845.	लधमोला-नौवा एलवी एम रोड के लिए वन भूमि का विपथन	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	2.48	सड़क	अनुमोदित
846.	नन्दप्रयाग-बैरस कुंड लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.279	सड़क	अनुमोदित
847.	सूर्याधार संगौन सतेली नाहीकाला एलवीआर	उत्तरांचल	देहरादून	4.365	सड़क	अनुमोदित
848.	मुरादाबाद-देहरादून एमआर टू गाजीवली मार्ग सं. 601	उत्तरांचल	हरिद्वार	0.075	सड़क	अनुमोदित
849.	बेरीनाग-दौलागढ़-पौसा एलवीआर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	3.87	सड़क	अनुमोदित
850.	मरोरखान दयालतोली एम आर	उत्तरांचल	चम्पावत	3.87	सड़क	अनुमोदित
851.	मोरादाबाद-देहरादून एमआर टू सज्जनपुर पिली मार्ग पैकेज-601	उत्तरांचल	हरिद्वार	0.05	सड़क	अनुमोदित
852.	कुमजज मथकोट लाईट व्हेकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.366	सड़क	अनुमोदित
853.	सुवालेख-काना-एलवीआर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	1.12	सड़क	अनुमोदित
854.	सुमालकोट-मलखेत-एलवीआर	उत्तरांचल	चमोली	1.485	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
855.	पलसारी चामियाला मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	4.72	सड़क	अनुमोदित
856.	देवालथाल चौखा लाइट व्हीकल	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	1.035	सड़क	अनुमोदित
857.	तालेट ग्राम टू लाउसारी मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	0.425	सड़क	अनुमोदित
858.	गरूड़ा बंज भाट कन्या लाइट व्हीकल मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	4.723	सड़क	अनुमोदित
859.	सेंगड पंत गांव चामडखान मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	4.4513	सड़क	अनुमोदित
860.	चामदेव-जख-निदिल मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	0.6	सड़क	अनुमोदित
861.	कुंट काकरीगाट एम.आर. (13 से 16 कि.मी.)	उत्तरांचल	अलमोड़ा	1.005	सड़क	अनुमोदित
862.	ज्ञानसुम-सलद-ऊपरीकोट मोटर रोड	उत्तरांचल	उत्तराकशी	0.3	सड़क	अनुमोदित
863.	एक्सटेंशन ऑफ कुनार बंद टू जिस लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चमौली	0.81	सड़क	अनुमोदित
864.	वादीखान-रेदारी-मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	2.4	सड़क	अनुमोदित
865.	माजरा बुद्धि शेखुवाला धर्मा-वाला रोड 15 कि.मी. रोड से अल्कापुरी मुरपुर मोटर रोड	उत्तरांचल	देहरादून	0.315	सड़क	अनुमोदित
866.	उड्डयनडुंग टू कोठेरा मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.62	सड़क	अनुमोदित
867.	कन्सट्रक्शन ऑफ जालीखान उत्तम चाइना नाउबारा दूला बाजन सिनार मोटर रोड	उत्तरांचल	अलमोड़ा	5.0231	सड़क	अनुमोदित
868.	अपग्रेडेशन ऑफ हल्द्वानी बाई-पास	उत्तरांचल	नैनीताल	3.6762	सड़क	अनुमोदित
869.	वाइडनिंग ऑफ खारलेख-भानर-मोटर रोड अन्डर पी एम रोड स्कीम	उत्तरांचल	बागेश्वर	14.922	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
870.	कन्सट्रक्शन ऑफ जूलाघाट कालेश्वर मोटर रोड	उत्तरांचल	पितौरागढ़	1.8	सड़क	अनुमोदित
871.	कन्सट्रक्शन ऑफ घुघखान साउदूवासी डोला रोड सांडा रानी कोटा मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	3.12	सड़क	अनुमोदित
872.	कन्सट्रक्शन ऑफ अम्बेडकर ग्राम कांडी लाइट व्हीकल मोटर रोड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	1.06	सड़क	अनुमोदित
873.	कन्सट्रक्शन ऑफ रिखनीखाल वीरोंखाल केदार गली जोगीमांडी थालीसेन मोटर रोड	उत्तरांचल	पौढ़ी-गढ़वाल	4.2	सड़क	अनुमोदित
874.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ घुघखान सूद मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	1.224	सड़क	अनुमोदित
875.	कन्सट्रक्शन ऑफ गैरीसैण पाजीयाना मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.078	सड़क	अनुमोदित
876.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ एप्रोच रोड टू चामगढ़ डैम	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	1.254	सड़क	अनुमोदित
877.	कन्सट्रक्शन ऑफ केम्पटी थायूर मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	3.408	सड़क	अनुमोदित
878.	कन्सट्रक्शन ऑफ डोन पारेवा पटकोट मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	4.56	सड़क	अनुमोदित
879.	कन्सट्रक्शन ऑफ गाजियाबाद झूमाखेत एलवी रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.11	सड़क	अनुमोदित
880.	कन्सट्रक्शन ऑफ विशालद लिंक रोड	उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाल	1.051	सड़क	अनुमोदित
881.	कन्सट्रक्शन ऑफ भाटवाड़ी रायथाल एम/आर 5 कि.मी. टू जादिथी रायपाल मोटर रोड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	1.993	सड़क	अनुमोदित
882.	कन्सट्रक्श ऑफ चाउमेल मऊ शील कारूंडी एल वी रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	2.088	सड़क	अनुमोदित
883.	डायवरशन ऑफ फौरेस्टलैंड फार किमताउली रावसल मोटर रोड टू सूला विलेज	उत्तरांचल	चम्पावत	1.748	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
884.	कन्सट्रक्शन ऑफ एलवी आर फरोम बारेठ देवी मंदिर टू कावन	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	2.07	सड़क	अनुमोदित
885.	बाछेर-तेराखानूसल-राउपा-किलोंदी मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.63	सड़क	अनुमोदित
886.	थायड-पापरा मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	0.4	सड़क	अनुमोदित
887.	अल्टरनेटिव काच्छर मार्ग एण्ड ट्यूरिस्ट सेड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	2.02	सड़क	अनुमोदित
888.	गाजियाबाद-झूमखेत लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	0.801	सड़क	अनुमोदित
889.	बारेनी रोनडाली मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	0.96	सड़क	अनुमोदित
890.	ब्रिज कन्सट्रक्शन इन प्लेश ऑफ काजवे इन कि.मी. 6 शिद्ध सोट एण्ड कि.मी. 12 पापरीसोट इन एन एच-74	उत्तरांचल	हरिद्वार	2.433	सड़क	अनुमोदित
891.	थिरपक-कानडाई-ओबिए राश-कुंड मोटर रोड 6 से 7 कि.मी.	उत्तरांचल	चमोली	0.169	सड़क	अनुमोदित
892.	लनार-लाठी-धानयार मोटर रोड	उत्तरांचल	बागेश्वर	2.5	सड़क	अनुमोदित
893.	रुद्रप्रयाग-बाई पास टू एन एच डी/एल स्पेशीफिकेशन अन्डर फेज-0.0 से 3.90 कि.मी.	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	9.683	सड़क	अनुमोदित
894.	गारी-दुबातिया-कलतानी मोटर रोड	उत्तरांचल	अलमोड़ा	2.051	सड़क	अनुमोदित
895.	पैठानी बारेठ मोटर रोड	उत्तरांचल	पौडी गढ़वाल	3.457	सड़क	अनुमोदित
896.	पाजेनी-धाएना-मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	2.52	सड़क	अनुमोदित
897.	कालाडुंगी-कोटाबाग मोटर रोड टू देचाउरी-डेगान लिंक रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	0.99	सड़क	अनुमोदित
898.	सेंदुल-पटारगांव (7 से 10 कि.मी.)	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	2.364	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
899.	असगोली [illegible] लाइट बॉक्स रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	1.44	सड़क	अनुमोदित
900.	सिलटोना चरखोली मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	2.416	सड़क	अनुमोदित
901.	कन्स्ट्रक्शन आफ टू किमी 4 ऑफ बेतालघाट गोदिया हलसा	उत्तरांचल	नैनीताल	4.2	सड़क	अनुमोदित
902.	करखोली टू पामदा मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.8	सड़क	अनुमोदित
903.	एप्रोच रोड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस	उत्तरांचल	बागेश्वर	0.9	सड़क	अनुमोदित
904.	राउसाल-दुर्गावोरा एम.आर.	उत्तरांचल	चम्पावत	4.92	सड़क	अनुमोदित
905.	चामेल-वालसो मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.25	सड़क	अनुमोदित
906.	मानसूना-गडगू मोटर रोड अन्डर पीएम रोड कन्सट्रक्शन स्कीम	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	1.44	सड़क	अनुमोदित
907.	ताला-वारगली मोटर रोड अन्डर पी एम रोड कन्सट्रक्शन स्कीम	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	4.14	सड़क	अनुमोदित
908.	सुधोवाला पॉलीटेक्निक टू भद्राकाली ग्राम रोड	उत्तरांचल	देहरादून	4.5	सड़क	अनुमोदित
909.	सुराइथोआटा-तोलमा लिंक मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.78	सड़क	अनुमोदित
910.	धारकोट तांगोली बाडेराना मोटर रोड	उत्तरांचल	देहरादून	3.9	सड़क	अनुमोदित
911.	काफर बारेठ तिपोला मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	1.56	सड़क	अनुमोदित
912.	मारोरा-बनाली मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	8.1	सड़क	अनुमोदित
913.	हवाल बाग बासोली मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	3.1632	सड़क	अनुमोदित
914.	हापला-धोतीधार-मोटर रोड अन्डर पी एम विलेज रोड स्कीम	उत्तरांचल	चमोली	4.98	सड़क	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7
915.	पिल्खी द्वारी मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	2.16	सड़क	अनुमोदित
916.	थाराली कुमार लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.35	सड़क	अनुमोदित
917.	अश्वाथल-झालनादेव लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.125	सड़क	अनुमोदित
918.	कुजान दिहार लाइट व्हीकल रोड कि.मी. 3.00	उत्तरांचल	उत्तर काशी	1.505	सड़क	अनुमोदित
919.	मारोराखान रेगरू मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.98	सड़क	अनुमोदित
920.	गंगनानी ब्रिज टू भंगोली मोटर रोड (कि.मी. 1.00)	उत्तरांचल	उत्तर काशी	2	सड़क	अनुमोदित
921.	दामता कायरा एम आर	उत्तरांचल	उत्तर काशी	1.17	सड़क	अनुमोदित
922.	मनियामर-नागरखान मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	3.0338	सड़क	अनुमोदित
923.	पंचेश्वर-घाट एम आर एंड टेम्परेरी रेस्ट हाउस	उत्तरांचल	चम्पावत	1.24	सड़क	अनुमोदित
924.	गरसलेख-गरसारी-मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	2.4	सड़क	अनुमोदित
925.	खिनसार मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	1.439	सड़क	अनुमोदित
926.	बुद्धि-लिपा पास रोड टू रांच वाया	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	78.935	सड़क	बंद
927.	टबरवाल अग्निसेन खानेताखाल एवीआर	उत्तरांचल	पोंडी गढ़वाल	1.275	सड़क	बंद
928.	निणमुला-गोना बागर-पाना लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चमोली	3.6	सड़क	बंद
929.	दयानगन कथायातबारा आर बाई-पास मोटर रोड	उत्तरांचल	बागेश्वर	4.626	सड़क	बंद
930.	गवर्नमेंट इंटर कालेज शीतलाखेत	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	4	सड़क	बंद
931.	थानो रस्ट हाउस टू झालरानी सिरियो एलवीआर	उत्तरांचल	देहरादून	0.75	सड़क	बंद
932.	ब्रिज नगर तालिया बानजेवि-यानाधुरा लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	2.632	सड़क	बंद

1	2	3	4	5	6	7
933.	धाराचुली बन्द टू सुन्दर-खाल मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	0.9	सड़क	बंद
934.	सिल्कयारा-बनगांव-सारोल-छपया मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	8.655	सड़क	बंद
935.	उदयपुरी बिसानपुरी लिंक मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	0.254	सड़क	बंद
936.	क्वारखोली टू पामदा मोटर रोड	उत्तरांचल	चम्पावत	1.8	सड़क	बंद
937.	वाइनडनिंग ऑफ कि.मी. 1.65 टू कि.मी. 20 इन एन एच रुद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	20.443	सड़क	बंद
938.	चायनगड-धनधन्सूबांगर मोटर रोड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	1.65	सड़क	बंद
939.	पूनागढ़-नाताडोल-मोटर रोड अन्डर पी एम रोड प्रोजेक्ट	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	5.7938	सड़क	बंद
940.	नन्दगांव सूजाकोट लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	चामोली	0.9	सड़क	बंद
941.	टेम्परेरी एप्रोच रोड टू प्रोटेक्शन वर्क्स आफ सुरनटेंक	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	1.5	सड़क	बंद
942.	जौगांव-राजगढ़ी रोज फरोम कि.मी. 10 टू पुन्टी 4 किमी.	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	3.36	सड़क	बंद
943.	धारकोट टू लाडवाकोट लाइट व्हीकल मोटर रोड	उत्तरांचल	देहरादून	3.915	सड़क	बंद
944.	कुई लिंक रोड	उत्तरांचल	पौडी गढ़वाल	0.57	सड़क	बंद
945.	वाइनडनिंग ऑफ दिल्ली यमनोत्री मोटर रोड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	1.7224	सड़क	बंद
946.	चोरामान्या जालरी बेगनिया एम आर	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	3.6	सड़क	बंद
947.	ताला रामगढ़ रतीघाट मोटर रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	3.6	सड़क	बंद
948.	गोबेरसा रावाकोट मोटर रोड	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	2.565	सड़क	अस्वीकृत
949.	गौचार-कन्डा-दुआ-कन्डा मोटर रोड	उत्तरांचल	चमोली	2.96	सड़क	अस्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
950.	मितियागद कुनारा लाइट व्हीकल रोड	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	3.43	सड़क	अस्वीकृत
951.	सेन्दुल पटारगांव मोटर रोड	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	2.837	सड़क	अस्वीकृत
952.	वाइडनिंग ऑफ गौरीकुण्ड केदारनाथ ब्रिज रोड	उत्तरांचल	रुद्रप्रयाग	1.75	सड़क	अस्वीकृत
953.	हरी नगर सालरी टू बेरी जाला खाईरोला सिलोटा एलवीआर	उत्तरांचल	नैनीताल	0.3825	सड़क	अस्वीकृत
954.	खेमाखेत-किलवोरनल मोटर रोड	उत्तरांचल	पौडी गढ़वाल	3.285	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया
955.	रोड फ्रोम नारायन नगर अस्कोट टू नारायन नगर डिग्री कालेज	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	0.78	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया
956.	राटीघाट बीटलघाट मोटर मोउटू ओडीए बसोट एल वी रोड	उत्तरांचल	नैनीताल	3.6	सड़क	वापिस ले लिया
957.	डाइवर्शन ऑफ फारेस्ट लैंड असोली तिपोला एल एम वी रोड के निर्माण के लिए	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	1.6163	सड़क	वापिस ले लिया
958.	द्वारसो-ककड़ीघाट मोटर रोड	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	8.4481	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया
959.	कंधार बजवाढ़ मोटर रोड	उत्तरांचल	बागेश्वर	12.983	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया
960.	खूनीगढ़ से सराश 5 से 12 कि.मी. निर्माण	उत्तरांचल	उत्तरकाशी	6.4	सड़क	राज्य सरकार को लौटाया

ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण परियोजनाएं

6363. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण परियोजनाओं के विकास और उन्हें प्रोत्साहन दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सहित देश में अवकृमित वन क्षेत्रों और भूमि क्षेत्रों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) को क्रियान्वित कर रहा है। कार्यक्रम क्षेत्रीय वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन कमिटी (जे एफ एम सी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में, 52.53 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 27 एफ डी ए परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(ख) अनुमोदित एफ डी ए परियोजना प्रस्तावों और उन्हें जारी की गई निधियों का राज्य-वार सारांश विवरण में दिया गया है।

विवरण

(31.3.2005 को)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	अनुमोदित एफ डी ए परियोजना प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	28	33.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	9.41
3.	असम	24	13.57
4.	बिहार	7	4.62
5.	छत्तीसगढ़	29	34.36
6.	गोवा	3	0.64
7.	गुजरात	16	16.69
8.	हरियाणा	16	35.03
9.	हिमाचल प्रदेश	27	20.35
10.	जम्मू-कश्मीर	31	17.76
11.	झारखंड	27	19.29
12.	कर्नाटक	41	52.84
13.	केरल	14	5.57
14.	मध्य प्रदेश	44	55.62
15.	महाराष्ट्र	41	31.75
16.	मणिपुर	12	12.91
17.	मेघालय	7	2.45
18.	मिजोरम	19	35.91
19.	नागालैण्ड	16	25.13
20.	उड़ीसा	32	30.41
21.	पंजाब	5	2.38
22.	राजस्थान	16	16.10
23.	सिक्किम	7	14.19
24.	तमिलनाडु	31	37.28
25.	त्रिपुरा	12	12.04
26.	उत्तर प्रदेश	56	66.55
27.	उत्तरांचल	30	19.09
28.	पश्चिम बंगाल	16	13.84
	कुल	620	639.77

बायोडायवर्सिटी एक्ट, 2002

6364. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण से जुड़े मामलों में जन भागीदारी की उपेक्षा किए जाने और केवल विशेष हितों को ही साधने की गैर-सरकारी संगठनों, जन आन्दोलनों और नागरिकों सहित कई संगठनों ने निन्दा की है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों द्वारा किन क्षेत्रों में रुचि दिखायी गयी है;

(ग) क्या बायाडायवर्सिटी एक्ट, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों से जैव विविधता और पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण करने में स्थानीय समूहों की भूमिका कमजोर हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत समूहों ने इसकी खामियों को उजगार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विकासकारी परियोजनाओं को पर्यावरण पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाए बिना और इस संबंध में आकलन किए बिना स्वीकृति देने पर प्रतिबंध उगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) विभिन्न संगठन एवं व्यक्ति सरकार के पर्यावरण और नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित मामलों में लोगों की भागीदारी पर जोर देते हैं जिससे कि विभिन्न स्कीमों में अधिकतम स्टेकहोल्डरों का शामिल होना सुनिश्चित हो सके। सरकार की ऐसे मामलों में स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श की नीति है।

(ग) से (ङ) जैवविविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियम संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार है और जैवविविधिता और पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण के लिए स्थानीय दलों की भूमिका के लिए पर्याप्त प्रावधान है। कुछ दलों की नियम में कमी के बारे में आशंका वास्तव में सही नहीं है।

(च) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत उद्योग, थर्मल पावर, खनन, नदी घाटी, अवसंरचनात्मक और आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की 32 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया गया है।

जल क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

6365. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संकट से निपटने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है;

(ख) क्या जल संभरण परियोजनाओं में लगे गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान को 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता अदालतों के कार्यकरण की समीक्षा

6366. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उपभोक्ता अदालतों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु किसी नई योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने में गैर-सरकारी संगठनों को सम्बद्ध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सरकार उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करती है तथा उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु लगातार प्रयास किया जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

पुणे दुग्ध संघ का पुनरुद्धार

6367. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पुणे दुग्ध संघ के पुनरुद्धार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रस्ताव को वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) जी, हां। स्थायी वित्त समिति द्वारा 530.00 लाख की कुल लागत से पुणे दुग्ध संघ की पुनर्वास योजना पर विचार किया गया था तथा वर्ष 2001-02 के दौरान उसे निम्नलिखित शर्तों पर मंजूरी दी गई है।

* प्रतिवर्ष सहायता राशि की किश्त अपेक्षित वास्तविक निधि के आधार पर पुनःस निर्धारित की जाए।
* राज्य सरकार की हिस्सेदारी की राशि जारी करने के बाद ही भारत सरकार की हिस्सेदारी की राशि जारी की जाएगी।
* नकदी प्रवाह सकारात्मक होने के बाद ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को ऋण/बकाया राशि का पुनर्भुगतान किया जाए।
* अतिरिक्त लागत की राशि को कम किया जाए।

पुणे दुग्ध संघ के पुनर्वास के लिए 265.00 लाख रुपए की राशि के रूप में भारत सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी को तीन किश्तों में पहले ही जारी कर दिया गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, संघ फिर से गतिशील हो रहा है।

कृषि क्षेत्र में मूल्य वृद्धि

6368. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य घटकों के मूल्य में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसी अनुपात में खाद्यान्नों का मूल्य भी बढ़ा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन

6369. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों के गठन का और अपने निर्णय देने में न्यायाधिकरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के अनुसार बेसिन राज्य/राज्यों से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर तथा जब केन्द्र सरकार संतुष्ट हो कि विवादों को समझौतों द्वारा हल नहीं किया जा सकता, संघ सरकार द्वारा जल विवाद अधिकरण का गठन करना अपेक्षित है। इस अधिनियम का संशोधन वर्ष 2002 में किया गया जिसमें अधिकरणों द्वारा जल विवादों का अधिनिर्णय समयबद्ध कर दिया गया।

असम में बाढ़ नियंत्रण विषय पर संगोष्ठी

6370. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी में हाल में 'असम में बाढ़ की समस्या' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए विचार-विमर्शों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ऐसी मांगों के संबंध में कोई ज्ञापन या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल ही में असम में बाढ़ समस्या पर कोई सेमिनार गुवाहाटी में आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार द्वारा गठित बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य बल की अंतिम बैठक अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 28-29 दिसम्बर, 2004 के दौरान गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। इस कार्यबल ने 31.12.2004 को जल संसाधन मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कार्य बल की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है। कार्यबल की इस रिपोर्ट पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

एन.एम.डी.सी. के अंतर्गत लौह अयस्क खानें

6371. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस संबंध में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) के अंतर्गत लौह अयस्क की खानों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों में खनिज का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न भागों से निर्यात हेतु राज्यवार कितनी मात्रा में लौह अयस्क की खरीद की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) इस समय देश में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) के नियंत्रणाधीन 7 लौह अयस्क खानें हैं। ये निम्नानुसार हैं:

(1) बैलाडिला 14 और 11ग, जिला-दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

(2) बैलाडिला 5, जिला-दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

(3) बैलाडिला 10 और 11क, जिला-दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

(4) दोणिमलाई लौह अयस्क खान, जिला-बेल्लारी, कर्नाटक

(5) कुमार स्वामी लौह अयस्क खान, जिला-बेल्लारी, कर्नाटक

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों में हुआ खनिजों का उत्पादन निम्नानुसार है:

लाख टन

एनएमडीसी की लौह अयस्क खानें	2002-03	2003-04	2004-05
बैलाडिला 14 और 11ग	64.58	66.41	70.76
बैलाडिला 5	63.18	63.35	63.78
बैलाडिला 10 और 11क	0.73	6.89	21.12
दोणिमलाई लौह अयस्क खान	42.19	44.84	50.18
कुमार स्वामी लौह अयस्क खान	1.55	1.56	1.56

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएमटीसी द्वारा निर्यात के लिए लौह अयस्क की राज्य-वार अधिप्राप्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्राः लाख एम टी)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
छत्तीसगढ़	42.19	42.75	48.08
कर्नाटक	62.34	50.72	51.05
गोवा	10.35	5.13	7.67
उड़ीसा	7.73	2.61	11.86
झारखंड	7.59	3.86	0.56
योग	130.20	105.07	119.22

आई. सी. ए. आर. द्वारा बीज अनुसंधान

6372. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बीजों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) ने हाल ही में सफलता प्राप्त की है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में परिषद की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है और उनके संबंधित क्षेत्र के नाम क्या हैं तथा सरकार द्वारा इन पर कितना वार्षिक व्यय किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देश में विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए अधिदेशित किया गया है जो बाद में मूल बीज और प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्ष 2003-04 में विभिन्न फसलों के प्रजनक बीजों का उत्पादन 68465.00 क्वि. किया गया। प्रजनक बीजों के उच्च उत्पादन के संदर्भ में आलू, तिलहनों, गेहूं, चावल एवं दालों के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है।

(ख) दसवीं योजना अवधि में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, बीज रोग विज्ञान, प्रजनक बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण व भंडारण जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। दसवीं योजना अवधि में इस प्रयोजन से 5634.29 लाख रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान, परिषद में प्रजनक बीज के उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 500 से ज्यादा वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इन वैज्ञानिकों के मुख्य विषय पौध प्रजनन, बीज प्रौद्योगिकी, बीज कायिकी, बीज कीट विज्ञान, जैव-रसायन, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, सब्जी विज्ञान, बागवानी तथा जैव-प्रौद्योगिकी आदि हैं। वर्ष 2003-04 में बीज उत्पाद पर वार्षिक व्यय 980.20 लाख रुपये आया है।

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

6373. श्री इलियास आजमी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका काडर क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम में फिलहाल प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) नियमन, 1971 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

विवरण

वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ब्यौरा

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	प्रतिनियुक्ति पर आने की तिथि	प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री वी.के. मल्होत्रा, भा.प्र.से. (उ.प्र.:70)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6.12.2004	कोई निश्चित अवधि नहीं
2.	श्री एस. निगम, भा.प्र.से. (हि.प्र.:80)	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)	12.3.2001	11.3.2006
3.	श्री जे.पी. शर्मा, भा.प्र.से. (उ.प्र.:81)	आंचलिक प्रबंधक (उत्तर)	11.1.2005	10.1.2010
4.	श्री पी.के. मोहापात्रा, भा.प्र.से. (उड़ीसा:70)	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, उड़ीसा	31.5.2002 (अपराह्न)	31.5.2007
5.	श्री टी.सी. गुप्ता, भा.प्र.से. (हरियाणा:87)	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हरियाणा	2.7.2001 (अपराह्न)	2.7.2006
6.	श्री एन.के. अस्वाल, भा.प्र.से. (चंडीगढ़:83)	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान	23.1.2002	22.1.2007
7.	श्री एस.जी.के. किशोर, भा.प्र.से. (केरल:89)	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, आंध्र प्रदेश	5.5.2004	4.5.2009

1	2	3	4	5
8.	श्री ए. सोम, भा.प्र.से. (ए.एम.: एस.सी.एस.:90)	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, असम	21.10.2002	20.10.2006
9.	श्री के. शिवा प्रसाद, भा.प्र.से. (पंजाब:93)	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब	10.4.2003	9.4.2007
10.	श्री पी.आर. सिंह, भा.प्र.से. (हरियाणा: एस.सी.एस.:92)	प्रबंधक (एम.आई.एस.), मुख्यालय	30.4.2004	29.4.2008

बाजरे का समर्थन मूल्य

6374. श्री राम सिंह कस्वां: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाजरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को किसानों से सीधे बाजरे की खरीद करने के लिए इसके समर्थन मूल्य के संबंध में कोई निर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने बाजरा और ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2004-05 के 515 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए उच्च स्तर पर 525 रुपये प्रति क्विंटल प्रत्येक निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में किसानों से मूल्य समर्थन प्रचालनों के तहत मोटे अनाजों की खरीद पूरी तरह से राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों द्वारा की जा रही है।

ई. पी. एफ. चूककर्ता

6375. श्री निहाल चन्द: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ. में अपने हिस्से का अंशदान नहीं दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्यवार कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(ग) ऐसी कंपनियों के प्रबंधन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां। निजी क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठान भविष्य निधि बकायों के भुगतान में चूक कर रहे हैं।

(ख) मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ओर 1167.16 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि बकाया होने के कारण लगभग 23.70 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र/राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जब कभी कोई चूक पायी जाती है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क , 8च, 8ख से 8छ, 14(1) (क), 14(ख) और 7थ के अंतर्गत तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 एवं अपराध दण्ड संहिता की धारा 110 के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

निजी क्षेत्र के चूककर्ता प्रतिष्ठानों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रभावित कर्मचारियों की संख्या*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	126139
2.	बिहार	50680
3.	छत्तीसगढ़	3821

1	2	3
4.	दिल्ली	35095
5.	गोवा	653
6.	गुजरात	41779
7.	हरियाणा	20010
8.	हिमाचल प्रदेश	11415
9.	झारखंड	9525
10.	कर्नाटक	72606
11.	केरल	335400
12.	मध्य प्रदेश	17696
13.	महाराष्ट्र	545670
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	8497
15.	उड़ीसा	38373
16.	पंजाब	52128
17.	राजस्थान	12105
18.	तमिलनाडु	212033
19.	उत्तरांचल	6455
20.	उत्तर प्रदेश	251738
21.	पश्चिम बंगाल	518297
	कुल	2370115

*अनंतिम

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों द्वारा बुनियादी अवसंरचना का विकास

6376. श्री जुएल ओराम: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो उड़ीसा में बुनियादी अवसंरचना विकसित करने के इच्छुक हैं;

(ख) राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देते समय पौध रोपण हेतु क्या निबंधन व शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या इन संयंत्रों के लगाये जाने के कारण वन क्षेत्र को होने वाले नुकासान, फैलने वाले वायु तथा जल प्रदूषण और सड़कों में होने वाली टूट-फूट को ठीक करने में योगदान करने को ये संयंत्र इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) अनेक उद्यमियों ने उड़ीसा सरकार को इस राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव दिए हैं। स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए सहायक अवंसरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाना/विकसित करना आमतौर पर राज्य/केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। तथापि, बीओटी मैकेनिज्म का उपयोग करके और विशेष उद्देश्यपूर्ण वाहन तथा निजी सुविधाएं जुटाकर निजी-सरकारी भागीदारी के जरिए अधिक से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।

(ख) से (घ) वन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा सुरक्षा से संबंधित संविधियों का अनुपालन करते हुए वन-रोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा सुरक्षा जैसे मुद्दों का ध्यान रखा जाता है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में गन्ना उत्पादक

6377. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तरांचल में गन्ना उत्पादकों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की तुलना में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) उत्तरांचल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2004-05 चीनी मौसम के लिए गन्ने का राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य अननुमोदित किस्म के लिए 104.50 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्म के लिए 107.00 रुपये प्रति क्विंटल तथा शीघ्र पकने वाली किस्म के लिए 112.00 रुपये प्रति क्विंटल है और उत्तर प्रदेश में भी यही मूल्य हैं। महाराष्ट्र में सांविधिक

न्यूनतम मूल्य लागू है जोकि 8.5% की मूल रिकवरी पर 74.50 रुपये प्रति क्विंटल है तथा इस स्तर से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 0.88 रुपये का प्रीमियम देय है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

6378. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित राज्यों के लिए स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों की कुछ बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): *(क) और (ख) गंगा बेसिन राज्यों के अलावा* अन्य राज्यों से संबंधित बाढ़ प्रबंधन स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत की जाती हैं। गंगा बेसिन राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश आदि से संबंधित स्कीमें जांच के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को प्रस्तुत की जाती है। जांच/संदर्भाधीन स्कीमों का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारें तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए बाढ़ प्रबंधन स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को प्रस्तुत करती हैं। केन्द्रीय जल आयोग और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग इन परियोजनाओं की जांच करते हैं और इस संबंध में उन्हें टिप्पणियां भेजते हैं। राज्य सरकारों से इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण I

दसवीं योजना के दौरान राज्यों/ब्रह्मपुत्र बोर्ड से प्राप्त बाढ़ प्रबंधन स्कीमों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त स्कीमों की कुल संख्या	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत स्कीमों की संख्या	उन स्कीमों की संख्या जिन पर टिप्पणियां भेजी गई हैं	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही स्कीमों की संख्या	समाप्त की गई स्कीमों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	72	26	15	6	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	2	2	0
3.	मणिपुर	8	6	0	0	2
4.	मेघालय	1	0	1	0	0
5.	मिजोरम	2	1	1	0	0
6.	नागालैण्ड	6	5	0	1	0
7.	सिक्किम	1	1	0	0	0
8.	त्रिपुरा	3	1	1	1	0
9.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
10.	बिहार	1	1	0	0	0
11.	गुजरात	1	0	0	1	0
12.	जम्मू-कश्मीर	14	0	7	7	0
13.	पंजाब	4	0	2	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	0	0
15.	आंध्र प्रदेश	4	1	2	0	1
16.	उड़ीसा	10	2	4	0	4
17.	केरल	1	0	0	0	1
18.	कर्नाटक	1	0	0	0	1
	कुल	137	47	36	20	34

विवरण II

राज्य-वार स्कीमों की स्थिति का सार

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त स्कीमों की कुल संख्या	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा स्वीकृत स्कीमों की संख्या	उन स्कीमों की संख्या जिन पर टिप्पणियां भेजी गई हैं	जांच की जा रही स्कीमों की संख्या	समाप्त की गई स्कीमों की संख्या
1.	बिहार	31	12	10	7	2
2.	उत्तर प्रदेश	66	25	09	01	31
3.	पश्चिम बंगाल	45	41	04	शून्य	शून्य
4.	झारखंड	01	01	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उत्तरांचल	01	01	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	02	01	01	शून्य	शून्य
7.	असम*	01	शून्य	01	शून्य	शून्य

*असम राज्य गंगा बेसिन में शामिल नहीं है परंतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में साझी सीमा स्कीमों की जांच की जा रही है।

दवा बनाने वाली लघु इकाइयां

6379. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विपणन कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/वृहद् इकाईयों की ओर से दवा बनाने के लिए कितने "लोन-ड्रग लाइसेंस" जारी किए गए हैं;

(ख) दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सरकार द्वारा तय मानदंड की तुलना में इन इकाईयों द्वारा लघु उत्पादन इकाईयों को कितनी कीमत दी गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त इकाईयों द्वारा वर्षवार कुल कितने मूल्य की दवाएं उत्पादित की गई; और

(घ) देश में उक्त इकाईयों द्वारा उचित मूल्य पद दवाओं के उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय ने बताया है कि यह औषधियों के विनिर्माण हेतु राज्य औषध नियंत्रक संगठनों द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत ऋण लाइसेंस के ब्यौरे नही रखता है। तथापि, वर्ष 2003 में संग्रहित मोटे अनुमान के अनुसार राज्यों द्वारा जारी किए गए ऋण लाइसेंसों की कुल संख्या 4692 थी।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। डी पी सी ओ, 95 के पैरा 9 के पैरा 9 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कीमत, यदि छूट नही दी जाए तो लघु उद्योग इकाइयों सहित सभी विनिर्माताओं पर लाागू होती है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहुलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाय किए जाते हैं। लघु उद्योग विनिर्माण इकाइयों द्वारा विपणन करने वाली कंपनियों और वृहद् इकाईयों को गैर अनुसूचीबद्ध औषधों की बिक्री के मूल्य हेतु सरकार द्वारा कोई प्रतिमानक निर्धारित नहीं किया गया है।

कर्नाटक द्वारा परियोजना रिपोर्ट

6380. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के पास एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत ग्यारह शहरों के लिए कोई विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत स्वीकृति स्कीमों के अतिरिक्त नीचे दिए अनुसार 11 शहरों के लिए स्कीमें प्रस्तुत की हैं।

क्र.सं.	शहर	नदी	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1.	बगलकोट	कृष्णा/घटप्रभा	29.12
2.	मद्दुर	सिमसा	6.63
3.	गोकाक	घटप्रभा	14.50
4.	बेलाहोंगोल	मलप्रभा	10.21
5.	शाहबाद गुलबर्गा	कगिना	14.82
6.	होसपेट	तुंगभद्रा	21.45
7.	गंगावती	तुंगभदा	21.00
8.	कनकपुरा	अरहावथी	10.61
9.	यादगीर	भीमा	17.60
10.	डंडेली	काली	10.67
11.	सिरागुप्पा	तुंगभद्रा	8.96
		कुल	165.57

(ग) और (घ) दसवीं योजना में निधि की कमी के कारण इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया है।

चीनी उद्योग को सुदृढ़ करना

6381. श्री सीताराम यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी के निर्यात/आयात का राज्यवार ब्यौरा क्या रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग को पुन: सुदृढ़ बनाने हेतु पैकेज तैयार करने के संबंध में कोई समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक गठित करने का संभावना है; और

(घ) देश में गन्ना उत्पादकों को इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी के निर्यात/आयात का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	चीनी का निर्यात (लाख मी. टन में)	चीनी का आयात (लाख मी. टन में)
2001-2002	14.56	0.26
2002-2003	14.71	0.41
2003-2004	11.84	0.51

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, कोलकाता।

(ख) से (घ) चीनी उद्योग को पुन: सुदृढ़ करने से संबंधित समिति, जो देश में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने, उद्योग को पेश आ रही समस्याओं की पहचान करने तथा इसका विकास करने और उसे आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु पैकेज का सुझाव देने के लिए श्री एस.के.टुटेजा, सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में 12 मार्च, 2004 को स्थापित की गई थी, ने 2 दिसम्बर, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें गन्ने की खेती, चीनी को विनियमनमुक्त करने, उद्योग की वित्तीय पुनर्संरचना तथा ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उत्पाद पर आधारित विविधीकरण तथा प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

जल संकट से उबरने की योजनाएं

6382. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल संकट से उबरने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संकट दूर करने संबंधी स्कीमों सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आदि के अंतर्गत आने वाली विभिन्न स्कीमों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक प्रायोगिक स्कीम ''कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' तथा कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) सहित विभिन्न स्कीमों के अधीन भी सहायता मुहैया कराई जाती है। इन स्कीमों को प्रदान किए गए बजट प्राक्कलन निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	बजट प्राक्कलन 2005-06 (रुपये करोड़ में)
1.	कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	100
2.	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम	199

इसके अतिरिक्त, निर्माणाधीन जल संसाधन स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता भी प्रदान की जाती है।

बांधों से गाद निकालना

6383. **श्री देविदास पिंगले:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मात्रा में गाद जमा हो जाने के कारण देश में विशेषत: महाराष्ट्र में बड़े, मझोले व छोटे बांधों की जल धारण क्षमता कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बांधों से गाद निकालने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जलाशय में गाद जमना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा इसका परियोजना के आयोजना स्तर पर उपयुक्त ध्यान रखा जाता है। तथापि, कुछ मामलों में गाद जमने की वास्तविक दर आयोजन के समय आकलित की गई दर से ज्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसे ही स्थिति की सूचना दी है।

(ख) और (ग) आर्थिक दृष्टि से बड़े जलाशयों से गाद हटाने का कार्य व्यवहार्यता से परे है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ग्राम टैंकों आदि से गाद निकालने के उपाय शुरु किए हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई है।

[अनुवाद]

लिफ्ट कनाल प्रोजेक्ट

6384. **श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य के कालाहांडी जिले की अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट में लिफ्ट कनाल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऊपरी इन्द्रावती परियोजना में लिफ्ट नहर के निर्माण का प्रस्ताव अभी तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोला बोतलों की कीमतों का निर्धारण

6385. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोला कंपनियां, देश में अपने ब्रांड की कोला बोतलों की कीमतें तय करने को स्वतंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य निर्धारण के संबंध में कोला कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण है अथवा सरकार के कोई दिशानिर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कोला कंपनियों को बोतलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य व मियाद की तिथि दर्शाने का निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) नियमों में कोला बोतलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य और सर्वोत्तम उपयोग की तारीख दर्शाने की व्यवस्था पहले ही है।

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आई.आई.टी.

6386. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सकरार को गुजरात सरकार से जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आई.आई.टी. द्वारा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के बारे में कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वृक्षों की अवैध कटाई

6387. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में विशेषत: दिल्ली में वृक्षों की अवैध कटाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और काटे गए वृक्षों की स्थलवार श्रेणियां क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) देश के भिन्न-भिन्न भागों में वृक्षों की अवैध कटाई की घटनाएं समय-समय पर होती रहती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार के वन विभाग के नियंत्रणाधीन वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई का कोई भी मामला अभिलिखित नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत वन क्षेत्रों के बाहर निम्नलिखित मामले सूचित किए गए हैं:

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की स्थानकार संरचना			कुल मामले	मुआवजा वसूली (रुपये)
	दक्षिण प्रभाग	पश्चिम प्रभाग	केन्द्रीय प्रभाग		
2002-2003	32	61	179	272	6,15,818/-
2003-04	42	50	160	252	9,32,072/-
2004-05	21	35	44	100	6,88,256/-
2005-06 (अब तक)	00	09	05	14	91,530/-

(ग) वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) वन और बागान क्षेत्र की घेराबन्दी।

(2) वृक्षों से संबंधित शिकायत प्राप्त करने और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु ''ट्री-हेल्प लाइन'' चलाना।

(3) दिल्ली वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1994 का प्रवर्तन।

(4) वन/बागान क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 72 भूतपूर्व सैनिकों को लगाना।

(5) वृक्ष औन वन सुरक्षा के लिए आर डब्ल्यू ए, इको-क्लब, विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रचार और प्रसारण गतिविधियां।

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में आरक्षण

6388. श्री मोहन जेना: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और कोणार्क मेटको लिमिटेड में पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ग) अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी हैं; और

(घ) कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक वर्षवार कितने अ.जा. और अ.ज.जा. उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एलआईएनएल) और कोणार्क मैटकोक लिमिटेड का नंवबर, 2004 में विलयन कर दिया गया है और विलयित कंपनी में अब तक 1127 नियुक्तियां की गई हैं।

(ग) और (घ) कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण नीति को कार्यान्वित नहीं कर रही है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत सरकारी कंपनी नही है। यह केन्द्र सरकार के उपक्रम एमएमटीसी लिमिटेड और राज्य सरकार के उपक्रम इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल) द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के उपक्रमों की शेयरधारिता को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित विभागों से परामर्श कर रहा है।

नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2003 से पहले	19	40
2003	01	14
2004	02	37
2005 (30.4.05 तक)	07	14

[हिन्दी]

लाख का उत्पादन

6389. श्री तूफानी सरोज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान लाख के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 2003 से आज की तिथि तक लाख के उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाख के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) लाख उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

2002-2003	-	17,500 मीट्रिक टन
2003-2004	-	20,500 मीट्रिक टन
2004-2005	-	22,000 मीट्रिक टन (लगभग)

(ग) भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची, झारखंड ने देश में लाख उत्पादन में वृद्धि हेतु वैज्ञानिक लाख पैदावार को बढ़ावा देने के लिए अपनी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाया है। संस्थान द्वारा लाख का उत्पादन बढ़ाने के लिए रोपण आधार पर लाख की पैदावार हेतु और प्रशिक्षण और प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से जागरुकता हेतु कार्यवाही की गई है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची द्वारा प्रदान किया जा रहा तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परामर्शदात्री सेवाओं का ब्यौरा

राज्य	जिला	अभिकरण	स्कीम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, महबूबनगर वारंगल	सोसायटी फॉर इलिमिनेशन ऑफ सरल पोवर्टी (एस ई आर पी), हैदराबाद-विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित	ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आय सृजित करने हेतु लाख की खेती को बढ़ावा देना

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	उत्तरी बस्तर, दक्षिणी बस्तर, महासमुन्द धामातरी	छत्तीसगढ राज्य लघु वन उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड, रायपुर	लाख की खेती पर परियोजना
गुजरात	बड़ोदरा, सुबरकांथ	प्रशिक्षण अनुसंधान और संचार मंडल (राज्य वन विभाग) गांधी नगर	गुजरात में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से लाख संवर्धन में कौशल विकास और कला निर्माण
झारखंड	रांची	झारखड सरकार, रांची	वैज्ञानिक लाख की खेती के माध्यम से मॉडल अपलिफ्टमेंट के लिए, झारखंड के लाख बढ़ाने वाले किसानों को अपनाना
		झारखंड सरकार, रांची	खूंटी उप-प्रभाग फेज-II में सतत् उत्पादन हेतु आजीविका प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में लाख
		नाबार्ड, रांची, आर. के मिशन, रांची	लाख की खेती में क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरुआत करना प्रशिक्षण एवं प्रभावन कार्यक्रम
	सिंहभूम	झारखंड आदिवासी विकास समिति (जे टी डी सी) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ए टी एम ए) चायबासा-एस ए टी पी द्वारा वित्त पोषित	बेर के वृक्षों पर कुसुमी लाख के उत्पाद को बढ़ावा देना
	संथाल परगना	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ए टी एम ए) जमतारा-एन ए टी पी द्वारा वित्त पोषित	पालास वृक्षों पर रंगीनी लाख के उत्पादन को बढ़ावा देना
मध्य प्रदेश	सिवनी	जिला पंचायत, सिवनी	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजित करने के लिए लाख की खेती को बढ़ावा देना
उड़ीसा	फूलबनी	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	लाख की खेती के वैज्ञानिक तरीकों पर फ्रन्टलाईन डिमोन्स्ट्रेशन
राजस्थान	उदयपुर	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	दक्षिणी राजस्थान में लाख की खेती की जैव-पारिस्थितिकी और पुनः प्रवर्तन

अकालग्रस्त राज्य

6390. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अकाल प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान भी उनमें से है; और

(ग) यदि हां, तो अकाल से कुल कितनी आबादी प्रभावित हुई है और इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) अकाल का अर्थ है भोजन का भारी अभाव। देश में कोई अकाल नहीं है। तथापि दक्षिण पश्चिम मानसून की असमान्यताओं के कारण कुछ राज्यों में सूखा जैसी स्थिति दिखाई पड़ी है। ऐसे राज्यों को सूखा राहत के लिए अब तक दी गई अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)	आवंटित खाद्यान्न (लाख एम. टी.)
राजस्थान	216.79	6.99
तमिलनाडु	117.27	1.50
केरल	106.00	-
कर्नाटक	49.14	1.14
मध्य प्रदेश	1.70	1.00
उत्तर प्रदेश	192.10	-
बिहार	162.15	2.00
छत्तीसगढ़	52.74	0.90
झारखंड	-	0.67
आंध्र प्रदेश	40.01	20.20
कुल	937.90	16.40*

*केन्द्रीय सरकार के लिए 1640 करोड़ रुपये की लागत

नकदी और खाद्यान्नों के रूप में कुल सूखा राहत सहायता 2577.90 करोड़ रुपये है।

राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए और सहायता पर विचार किया जा रहा है।

ई.एस.आई.सी. द्वारा आदर्श अस्पताल का विकास

6391. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई सी.) द्वारा एक आदर्श अस्पताल विकसित करने की कोई योजना घोषित की गई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस अस्पताल को आदर्श अस्पताल घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजे गए थे;

(ग) ई.एस.आई.सी. द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नागदा को आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान नीति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रत्येक राज्य मे केवल एक आदर्श अस्पताल चला रहा है और इन्दौर में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को भी एक और आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर पाना संभव नहीं है।

फसल बीमा

6392. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ जन प्रतिनिधियों ने वर्तमान फसल बीमा योजना के विरुद्ध शिकायत की है कि उक्त योजना किसानों को उचित रूप से बीमा कवर उपलब्ध नहीं कराती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो रबी 1999-2000 से लागू की गई है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी) द्वारा क्रियान्वित की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ माननीय संसद सदस्यों ने समय-समय पर इस स्कीम में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

विद्यमान स्कीम में सुधार लाने तथा साथ ही इस स्कीम को कृषक अनुकूल बनाने के लिए विद्यमान फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों को अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ बहुत से मामलों पर विचार किया जिनमें स्कीम का समुचित क्रियान्वयन शामिल है। इस दल ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। फिलहाल सरकार दल की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) से परामर्श कर रही है।

उर्वरक इकाईयों में बिजली की खपत

6393. श्री अजीत जोगी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक इकाईयों में बिजली की खपत को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) बिजली की खपत को समग्र ऊर्जा खपत के भाग के रूप में माना जाता है। यूरिया इकाईयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-II के दौरान दिनांक 1.4.2004 से प्रभावी पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदण्ड के बारे में यूरिया इकाईयों को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

हल्दी की खेती

6394. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दी वाणिज्यिक और औषधीय रूप से एक उपयोगी फसल है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि पर हल्दी की खेती की जा रही है और उससे वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में हल्दी का उत्पादन होता है; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसके विपणन हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) हल्दी के तहत क्षेत्र और उत्पादन इस प्रकार हैं:

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)
1,42,900	6,58,400

(ग) सरकार "बृहत कृषि प्रबंध-कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों में सम्पूरण/अनुपूरण" से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसमें उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हल्दी को एक फसल के रूप में मानते हुए मसालों के समेकित विकास पर कार्यक्रम शामिल है।

मुख्य हल्दी उत्पादक राज्यों में हल्दी का विपणन भी सहकारी क्षेत्र के अधीन सुव्यवस्थित है।

अल्फांसो आम का उत्पादन

6395. श्री फुरकान अंसारी:
डा. के. धनराजू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुनिया में सर्वोत्तम किस्म के अल्फांसो आम भारत में उत्पादित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में इनके उत्पादन को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए किसानों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अल्फांसों निर्यात मण्डी वाली आम की वह अग्रणी किस्म है जो अधिकतर महाराष्ट्र और कर्नाटक में उगाई जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ''बृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों में सम्पूरण/अनुपूरण'' संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को शुरू करने का लचीलापन प्राप्त है। अल्फांसो आमों सहित फलों का विकास इस स्कीम के अनेक घटकों में से एक घटक है जिसके अंतर्गत देश में फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है। उपर्युक्त बृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों को क्रमशः 2265.00 लाख रुपये तथा 1555.55 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

संगठनों की ओर बकाया

6396. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2004 तक विभिन्न संगठनों से भविष्य निधि का कुल बकाया कितना है;

(ख) उन चूककर्ताओं की संख्या कितनी है जिनका बकाया 10 लाख रुपए और इससे अधिक है तथा इस श्रेणी में कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या कुल बकाया में से 70 प्रतिशत लॉक्ड अप श्रेणी अर्थात् असंभव वसूली की श्रेणी के अंतर्गत आता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, 1,862.80 करोड़ रुपये की राशि चूककर्ता प्रतिष्ठानों से वसूल की जानी थी।

(ख) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, 1,568 प्रतिष्ठान 10 लाख रुपये या इससे अधिक की चूक में थे जिसकी कुल बकाया राशि 1513.81 करोड़ रुपये बनती है।

(ग) और (घ) जी हां, 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार 1862.80 करोड़ रुपये में से 1321.49 करोड़ रुपये (70.94 प्रतिशत) निम्नांकित कारणोंवश तत्काल वसूलनीय नहीं थे:

-	विभिन्न अदालतों द्वारा स्थगन	711.24 करोड़ रुपये
-	परिसमापनाधीन प्रतिष्ठान	142.95 करोड़ रुपये
-	अन्य*	467.30 करोड़ रुपये

*इसमें रुग्ण उद्योग, बी आई एफ आर कार्यवाहियां, डी आर टी कार्यवाहियां, किस्त सुविधा प्रदान करना आदि शामिल।

(ङ) जब कभी कोई चूक पाई जाती है, तो कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8च, 8ख से 8छ, 14(1)(क), 14(ख) तथा 7थ, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 तथा आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाईयां की जाती हैं।

[हिन्दी]

बरगी और भीमगढ़ बांध

6397. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिवनी में बरगी और भीमगढ़ बांध बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बांधों की जलधारण क्षमता घट रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(घ) बाधों से गाद निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) बरगी बांध, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है तथा बांध का निर्माण कार्य 1987 में पूरा हो गया था। ऊपरी वेनगंगा वृहद सिंचाई परियोजना का भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थिति है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 2003 में पूरा हो गया था।

(ख) बांध के निर्माण से बने जलाशय में एक निष्क्रिय भंडारण उपलब्ध कराया गया है ताकि कई वर्षों में होने वाली गाद जमने की प्राकृतिक प्रक्रिया का ध्यान रखा जा सके और जलाशय का सक्रिय भंडारण, उपयोगी भंडारण है। इन जलाशयों के सक्रिय भंडारण में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर कोएल जलाशय योजना

6398. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर कोएल जलाशय योजना को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है और इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस योजना के पूरा होने के पश्चात् बिहार और झारखंड में लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार किया गया था। चूंकि राज्य सरकार ने इन टिप्पणियों का अनुपालन नहीं किया है, अत: इस परियोजना को निवेश अनुमोदन नहीं दिया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) ऐसी अनुमोदित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मुहैया कराई जाती है जो पूरी होने की अन्तिम अवस्था में हैं। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना गैर-अनुमोदित परियोजना होने के कारण ए.आई.बी.पी. के तहत सी.एल.ए. के लिए पात्र नहीं है। इस परियोजना पर आज की तारीख तक 572.75 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इस परियोजना में पलामू (झारखंड में), औरंगाबाद और गया (बिहार में) जिलों में 105.90 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की योजना है। इस परियोजना का पूरा होना पर्याप्त संसाधनों, पुनर्स्थापना और पुनर्वास तथा जलमग्नता संबंधी मामलों के निपटारे पर निर्भर करता है।

अभयारण्य प्राधिकरण की स्थापना

6399. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की देखभाल करने के लिए कोई अभयारण्य प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्राधिकरण की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) उक्त प्राधिकरण को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एमिकस क्यूरे द्वारा रिट याचिका (सी) 202/1995 में एक अन्तर्वादीय आवदेन दायर किया गया है जिसमें संघ सरकार को कुछ संरक्षित क्षेत्रों/बाघ रिजर्वों की कार्यप्रणाली की निगरानी और निरीक्षण करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत एक प्राधिकरण नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है।

(ङ) इस चरण में प्रश्न नहीं उठता।

विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत डेयरी उत्पाद

6400. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत डेयरी उत्पाद को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2004-09 की विदेश व्यापार नीति के विशेष कृषि उपज योजना के लाभ डेयरी क्षेत्र को भी दिए हैं। इस योजना के तहत, निर्यातक प्रत्येक

लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यात के 5% एफ.ओ.बी. कीमत के बराबर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार हैं। इसके बदले में स्क्रिप तथा आयातित वस्तु आसानी से स्थानान्तरणीय होगी। ड्यूटी क्रेडिट को आसानी से आयात योग्य पूंजीगत माल सहित आदानों अथवा वस्तुओं के आयात के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य जीवों पर उत्खनन का प्रभाव

6401. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में वनों से समृद्ध कालाहांडी जिलें में कालीपैट में बॉक्साइट के प्रस्तावित उत्खनन से बाघों को एक नयी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि दिनांक 10 अप्रैल, 2005 के ''पायनियर'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या है; और

(ग) सरकार ने इन वनों में उत्खनन कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बॉक्साइट उत्खनन और एलिमुनिया परियोजना के लिए कालाहांडी में लांगीगढ़ और रायगढ़ जिलों में 755 हेक्टेयर वन भूमि के अन्यत्र प्रयोग के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्लपट वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग परियोजना क्षेत्र के चारों और 20 कि.मी. के बेल्ट में पड़ता है। परियोजना प्रभाव क्षेत्र में बाघों और अन्य जंगली जानवरों को होने वाले खतरों को कम करने के लिए परियोजना से 20 कि.मी. की त्रिज्या दूरी के क्षेत्र को शामिल करके, एक वन्यजीव प्रबंधन योजना बनाई गई है।

(ग) वनों से संबंधित उत्खनन प्रस्तावों का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परीक्षण किया जाता है और केवल स्थल विशिष्ट परियोजनाओं पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरणीय निकासी लेने की आवश्यकता होती है।

मिश्र धातु इस्पात संयंत्र में नयी भट्टी

6402. श्री सुनील खां:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एन. दस्तूर की रिपोर्ट के अनुसार सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.) को 180000 टी.पी.वाई. न्यूकलियस क्षमता वाली इस्पात भट्टी के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिश्र इस्पात धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी भट्टी स्थापित करने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) एम एन दस्तूर एंड कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) में इस्पात विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर इस समय प्रौद्योगिक-आर्थिक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में प्रति वर्ष विभिन्न श्रेणियों का 1,20,000 टन बेदाग इस्पात का उत्पादन करने के लिए एक नई हाई पावर्ड 50 टन क्षमता की विद्युत चाप भट्टी (ईएएफ) और 60 टन क्षमता की आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन (एओडी) इकाई की स्थापना की जा रही है। परियोजना की अनुमानित लागत 54.16 करोड़ रुपए और इसके पूरा होने की समय अनुसूची जून, 2006 है।

[हिन्दी]

अनुसूचित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं

6403. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली कुछ सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का केन्द्रीय जल आयोग मे तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने के पश्चात ही उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है। तत्पश्चात योजना आयोग इस परियोजना प्रस्ताव को निवेश स्वीकृति देता है।

तथापि, मल्कानगिरी, उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली एक वृहद परियोजना नामतः पोट्‌ठेरु सिंचाई परियोजना केन्द्र प्रायोजित थी और इसे तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पोट्टेरु सिंचाई-एवं-पुनर्स्थापना स्कीम के भाग के रूप में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें 61.03 हजार हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए पोट्टेरु नदी सहित बाली मेला, टेलरेस चैनल के संगम के दो किलोमिटर के अनुप्रवाह के करीब पोट्टेरु नदी सुरलीकोंडा में एक बैराज के निर्माण की योजना है। वर्ष 1973 में यह परियोजना मूल रूप से 14.18 करोड़ रुपए से अनुमोदित की गई थी और इस पूरी योजना की नवीनतम समग्र अनुमानित लागत 198.07 करोड़ रुपये है। मार्च, 2004 तक कुल 201.72 करोड़ रुपये व्यय हुआ और मार्च, 2004 तक सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 64.59 हजार हेक्टेयर है। इस परियोजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

खाद्यान्नों की आपूर्ति

6404. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को निर्धारित समय के भीतर खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के लिए खाद्यान्नों की समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री* (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने गुजरात सहित राज्यों की खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए खाद्यान्नों का 2 माह का स्टॉक रखने का मानदंड निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) राज्यों की खाद्यान्नों की प्रत्याशित आवश्यकता के आधार पर एक संचलन योजना मासिक आधार पर तैयार की जाती है। राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच अक्सर समन्वय बैठकें होती हैं।

[अनुवाद]

स्वच्छ दूध के उत्पाद के लिए सहायता

6405. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक की स्वच्छ दूध उत्पादन परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त परियोजना के लिए अनुदान के रूप में 67.72 करोड़ रुपए की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री* (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना "गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण" के तहत शुरु में 67.72 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंशदान के साथ 90.30 करोड़ रुपए की कुल लागत से 13 प्रस्ताव भेजे थे। चूंकि ये प्रस्ताव योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थे, अतः राज्य सरकार से योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों को संशोधित करने को कहा था। राज्य सरकार ने तब वर्ष 2004-05 के दौरान कुल 10.41 करोड़ रुपए की लागत से 11 संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। वर्ष 2004-05 के दौरान सभी 11 प्रस्तावों को 7.51 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंशदान के साथ कुल 9.33 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया था तथा 6.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। केन्द्रीय अंश की शेष राशि राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

सुनामी प्रभावित गांवों का विकास

6406. डा. के. धनराजू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सुनामी प्रभावित राज्यों विशेषकर तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित गांवों को आदर्श मछुआरा गांवों के रूप में विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जा रही धनराशि के अतिरिक्त इन्हें कोई अनुदान भी प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना का विस्तार अन्य तटवर्ती राज्यों में भी किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ''राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज'' में गृह निर्माण के लिए 851.40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से, तमिलनाडु के लिए 650.0 करोड़ रुपए, केरल एवं पांडिचेरी के लिए 50-50 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के लिए 2.30 करोड़ रुपए तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए 99.10 करोड़ रुपए हैं। इस पैकेज में सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मछुआरों सहित सभी लोगों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों को, शामिल किया गया है। तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना संबंधी ''आदर्श मछुआरा गांवों का विकास'' नामक घटक के तहत, घरों का निर्माण करने तथा मछुआरों के लाभ के लिए पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस घटक के तहत, गृह निर्माण के लिए 40000 रुपए की लागत, ट्यूबवैल के लिए 30000 रुपए (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 35000 रुपए) तथा एक समुदाय भवन के निर्माण के लिए 175,000 रुपए की हिस्सेदारी 50:50 आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 2004-05 के दौरान ''आदर्श मछुआरा गांवों का विकास'' नामक घटक के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1505.29 लाख रुपए की राशि दी गई है।

संस्थाओं/प्रयोगशालाओं का उन्नयन

6407. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डा. ए. आर ई.) द्वारा 25 वर्ष से भी अधिक पुरानी संस्थाओं और प्रयोगशालाओं का तत्काल उन्नयन किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें वैज्ञानिक खराब परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं तथा पुराने उपकरणों, अनुसंधान औजारों और प्रयोगशालाओं से जूझ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में कृषि क्रान्ति के लिए प्रयोगशाला उपकरणों, प्रायोगिक संयंत्रों, कृषि और प्रयोगशाला सुविधाओं, कक्षाओं और दृश्य-श्रव्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाये गय हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली स्वतंत्रता पूर्व युग से पहले की स्थापित है तथा इसके उपकरणों को अनुसंधान परियोजनाओं की प्राथमिकता और पुनः प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर बदला गया है।

(ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने मौजूदा अनुसंधान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए एक मुश्त कैचअप अनुदान हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया है। तथापि, योजना आयोग ने अलग से एक मुश्त कैचअप अनुदान आबंटित नहीं किया है, लेकिन वार्षिक योजना आबंटनों के दौरान आबंटित निधियों में से ही अनुसंधान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए निधियों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के ई.एफ.सी./एस.एफ.सी. प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय अनुसंधान सुविधाओं के उन्नयन और अद्यतन करने हेतु आबंटित निधियों में से ही उपयोग करने का ध्यान रख गया है।

नई बाघ परियोजनाएं

6408. श्री अर्जुन सेठी:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री अनन्त नायक:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक अभयारण्य में इस समय बाघों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में किन्हीं नयी बाघ परियोजनाओं/अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करने/स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(छ) क्या बाघ परियोजना की विषय निर्वाचन समिति की हाल में हुई बैठक में नयी बाघ परियोजनाओं के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है; और

(झ) इन अभयारण्यों की सीमा पर स्थित गांवों का पुनर्वास किस प्रकार किया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राज्यों में से अखिल भारतीय बाघ आकलन के 1972 से आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यह विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (च) बाघ परियोजना की संचालन समिति ने 23.1.2003 को आयोजित अपनी 37वीं बैठक में आठ नए बाघ रिजर्वों के सृजन की सिफारिश की है जैसा कि विवरण-II सूचीबद्ध है। केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

(छ) और (ज) बाघ परियोजना की संचालन समिति ने 12.3.2005 को आयोजित अपनी 38वीं बैठक में नए बाघ रिजर्वों के सृजन की सिफारिश नहीं की है। वर्तमान रिजर्वों का मानदण्डों के अनुसार समेकन करने के लिए सबकी सहमति थी।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997	2001-02**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171	192
2.	अरुणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	*	61***
3.	असम	147	300	376	376	325	458	354
4.	बिहार	85	110	138	157	137	103	76
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	****	****	227
6.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गोवा	-	-	-	2	3	6	5
8.	गुजरात	8	7	9	9	5	1	शून्य
9.	हरियाणा	-	-	1	-	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश					शून्य	शून्य	शून्य
11.	जम्मू एवं कश्मीर					शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	झारखंड	–	–	–	–	****	****	34
13.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350	401
14.	केरल	60	134	89	45	57	73	71
15.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927	710
16.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257	238
17.	मणिपुर	1	10	6	31	*	*	शून्य
18.	मेघालय	32	35	125	34	53	*	47
19.	मिजोरम	–	65	33	18	28	12	28
20	नागालैण्ड	80	102	104	104	83	*	23^
21.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194	173
22.	पंजाब	–	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
23.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58	58
24.	सिक्किम	–	–	2	4	2	*	एन आर
25.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62	60
26.	त्रिपुरा	7	6	5	–	एन आर	*	एन आर
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	****	****	251
28.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475	284
29.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361	349
	कुल	1827	3015	4005	4334	3750	3508	3642

एन आर: राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

* बाघों की गणना नहीं की गई।

** संकलन/जांच के अधीन।

*** केवल नामदाफा बाघ रिजर्व के लिए।

**** आंकड़ों में अविभाजित राज्य शामिल है।

^ संपूर्ण राज्य शामिल नहीं है।

विवरण II

प्रस्तावित नए बाघ रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	प्रस्तावित नए बाघ रिजर्व का नाम	राज्य
1	2	3
1.	अन्नामलाई पाराम्बीकुलम वन्यप्राणी अभयारण्य	तमिलनाडु और केरल
2.	उदान्ति और सीता नदी वन्यप्राणी अभयारण्य	छत्तीसगढ़

1	2	3
3.	सतकोसिया वन्यप्राणी अभयारण्य	उड़ीसा
4.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	उसम
5.	अचानकमार वन्यप्राणी अभयारण्य	छत्तीसगढ़
6.	डांडेली अंशी अभयारण्य	कर्नाटक
7.	संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
8.	मुदुमलाई अभयारण्य	तमिलनाडु

समुद्री दीवारों का निर्माण और अनुरक्षण

6409. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को कर्नाटक सरकार से राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नयी समुद्री-दीवारों के निर्माण और मौजूदा दीवारों के अनुरक्षण के संबंध में वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी) में शामिल करने के लिए मार्च, 2002 में 135.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में 49.875 कि.मी. नई समुद्री दीवार के निर्माण और 17.605 कि.मी. लम्बी पुरानी क्षतिग्रस्त समुद्री दीवार के सुधार करने की योजना है। चूंकि राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना को बाह्य वित्तपोषण के जरिए पूरा करने की आयोजना है इसलिए तटीय संरक्षण संबंधी एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया गया है और इसे योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है। योजना आयोग ने दृष्टिकोण दस्तावेज पर विचार करने तथा बाह्य वित्तपोषण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इसे पहले ही आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.) को भेज दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 89वां सम्मेलन

6410. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के 1948 के 89वें अभिसमय में निर्धारित और 1990 में प्रोटोकॉल द्वारा स्वीकृत नियमों को कारखाना अधिनियम में महिला श्रमिकों हेतु सुरक्षा ढांचे को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इतने महत्वपूर्ण सुधार पर त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन में वाद-विवाद अथवा जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी हां।

(ख) से (घ) आई एल ओ नयाचार, 1990 के मुद्दे पर भारतीय श्रम सम्मेलन में त्रिपक्षीय समिति द्वारा कभी चर्चा नहीं की गई। तथापि विगत में, कारखाना, अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन का निर्णय लेने से पूर्व नियोक्ताओं और श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तीन बैठकें आयोजित की गई थीं।

मछली उत्पादन

6411. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) मछली उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(घ) क्या किसानों को उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक मछली बीजों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) 2006-07 तक 7.42 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन प्रतिलक्षित किया गया है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है।

(ग) दसवीं योजना के दौरान अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास संबंधी योजना सहित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं। अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि से संबंधित योजना में मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाना और जलकृषि प्रणाली के विविधीकरण करने का प्रस्ताव है। नए तालाबों को निर्माण, तालाबों/टेंकों के नवीकरण/पुनरुद्धार, आदानों, प्रशिक्षण, एकीकृत मत्स्य पालन, मत्स्य बीज हैचरी स्थापित करना आदि के लिए मछुआरों को राजसहायता दी जा रही है जिससे मत्स्य कृषक प्रोत्साहित होते हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी स्थापित करने के लिए राजसहायता प्रदान करती है। मत्स्य बीज खरीदने के लिए मत्स्य कृषकों द्वारा दी जाने वाली कीमत के संबंध में विभाग कोई आंकड़े नहीं रखता है।

जल संसाधनों के दोहन के लिए तकनीक

6412. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेसिन में जल की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए उपग्रह की सहायता से उच्च-तकनीकी तरीकों का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक बेसिन में जल का कोई नया मूल्यांकन किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) बेसिन में जल की मात्रा का आकलन करने के लिए उपग्रहों की सहायता से हाई-टेक पद्धतियों का उपयोग इस समय नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिर्च का उत्पादन

6413. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस वर्ष मिर्च का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्यवार कितने उत्पादन की खरीद की है;

(ग) अच्छी किस्म और सामान्य किस्म के क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में मिर्च उत्पादकों ने खरीद मात्रा को बढ़ाने के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में इस वर्ष के दौरान मिर्च का कुल राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) ''मण्डी हस्तक्षेप'' संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य में ए.पी. मार्कफेड द्वारा खरीदी गई लाल मिर्च की कुल मात्रा 26,969 एम.टी. है। आंध्र प्रदेश में मिर्च की खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य इस प्रकार है।

- प्रीमियम गुणवत्ता हेतु 2700/-रु. प्रति क्विंटल
- सामान्य गुणवत्ता हेतु 2500/-रु. प्रति क्विंटल

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश के किसानों के आंदोलन के संबंध में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और खरीद हेतु मिर्च की मात्रा बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

मिर्च का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र '000 हेक्टेयर, उत्पादन: '000 टन)

राज्य	क्षेत्र	उत्पादन
आंध्र प्रदेश	224.9	493.6
अरुणचल प्रदेश	1.5	2.1
असम	14.7	9.6
बिहार	3.6	3.6
छत्तीसगढ़	5.8	1.5
गुजरात	14.0	12.0
हरियाणा	1.7	1.7
जम्मू और कश्मीर	0.9	0.9
कर्नाटक	197.2	167.0
केरल	0.2	0.2
मध्य प्रदेश	42.7	19.5
महाराष्ट्र	106.8	58.7
मणिपुर	7.5	4.5
मेघालय	1.8	1.2
मिजोरम	1.5	2.1
नागालैण्ड	0.2	8.0
उड़ीसा	70.0	59.2
पंजाब	3.4	5.3
राजस्थान	32.4	48.7
तमिलनाडु	66.7	40.5
त्रिपुरा	1.6	2.2
उत्तर प्रदेश	19.1	14.5
पश्चिम बंगाल	17.0	13.5
अखिल भारत	835.2	970.1

रोजगार सृजन की दर

6414. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री पी. एस. गढ़वी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री अनंत कुमार:
श्री महबूब जाहेदी:
श्री जुएल ओराम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर संगठित क्षेत्र में रोजगार की दर में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रोजगार वृद्धि दर में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है अथवा कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की रोजगार सृजन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर को बढ़ाने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर जो कि वर्ष 1988-1994 में 2.43% थी वह वर्ष 1994-2000 में घटकर 0.98% रह गई। वर्ष 2001-2003 के दौरान संगठित क्षेत्र में भी रोजगार में गिरावट आई।

(ख) और (ग) योजना आयोग में गठित कार्य बल के साथ-साथ विशेष समूह द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी परिदृश्य की समीक्षा की गई। अर्थव्यवस्था में यथापेक्षित वृद्धि न होना रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट आने का मुख्य कारण था।

(घ) एवं (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है।

(च) सरकार का 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। सरकार ने देश

के चुनिंदा पिछड़े जिलों में कार्य के बदले अनाज नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरंभ किया है।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों का बंद किया जाना/दर्जा घटाना

6415. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत कौन-कौन से स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पताल और औषधालय चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से कुछ अस्पतालों/औषधालयों को बंद करने/दर्जा घटाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) मध्य प्रदेश में 7 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 47 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय हैं। नागदा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा के एक अस्पताल को सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जा रहा है और शेष अस्पताल तथा औषधालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने निवाड़ (कटनी) और सनवाड़ (खारगांव) स्थित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि इन दोनों स्थानों पर बीमित व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में अवैध सिंचाई परियोजनाएं

6416. श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल): क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के अंतर्गत अवैध सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले का समाधान निकालने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल तथा संसद सदस्यों ने 28 अप्रैल, 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रथम कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) द्वारा आबंटित जल के बंटवारे तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश द्वारा सिंचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में इस स्तर पर आंध्र प्रदेश को किसी परियोजना को स्वीकृत नहीं करने तथा अस्वीकृत परियोजनाओं को लेकर आंध्र प्रदेश को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि उपरोक्त मामलों से संबंधित ज्ञापन भारत के माननीय प्रधानमंत्री को उनके फरवरी, 2005 में बंगलौर दौरे के दौरान तथा इससे पहले भारत के महामहिम राष्ट्रपति को तथा जून, 2003 में भारत के तत्कालीन माननीय उप प्रधानमंत्री को दिया गया था।

(घ) बेसिन राज्यों के बीच कृष्णा के अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में शिकायतों और अनुरोध को देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अनुरूप बेसिन राज्यों में कृष्णा जल के बंटवारे से संबंधित विवादों पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 अप्रैल, 2004 को दूसरे कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया।

[हिन्दी]

बीज निदेशालय की स्थापना

6417. श्री मुन्शी राम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बीज परियोजना को बढ़ावा देकर बीज निदेशालय की स्थापना के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय की स्थापना से किसानों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में ऐसे निदेशालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरे क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां,। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसलों) को उन्नत किया है तथा दसवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के मऊ में एक बीज अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की है।

(ख) बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण में आगे बीज अनुसंधान निदेशालय कारगर साबित होगा, जो गुणवत्ता बीज की उपलब्धता के साथ किसानों के लिए अंततः लाभदायक होगा।

(ग) और (घ) निदेशालय की स्थापना इसके मुख्यालय जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश तथा प्रजनक बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान के 55 केन्द्रों के साथ ही गई है। बीज अनुसंधान निदेशालय का दसवीं योजना बजट आवंटन 3703.89 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि का पुनरुद्धार

6418. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढ़े:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चेनाब नदी में अत्यधिक जल के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि के बर्बाद होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार कृषि भूमि के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर सरकार से इन कृषि भूमियों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चेनाब नदी के बायें तट, अखनूर अनुप्रवाह के संवेदनशील स्थलों पर संस्थागत वित्त पोषण और राज्य के पास उपलब्ध निधि से बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक मास्टर योजना भी तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन एवं स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी है। इस प्रस्ताव में नदी के दोनों तटों पर मौजूदा तटबंधों के सुदृढ़ीकरण और नए तटबंधों, स्पर्स, स्टड्स, क्रेट बार्स आदि के निर्माण की योजना है और इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 80 हेक्टेयर भूमि का कटाव से बचाव होगा। इस प्रस्ताव का तकनीकी-अर्थिक मूल्यांकन जल संसाधन मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ इकाईयों द्वारा किया गया और राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी दी गई।

वर्ष 2002-03 के दौरान सहभागिता दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए झेलम, चेनाब और शिवालिक के गुणवत्ता ह्रास वाले आवाह क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के संबंध में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। झेलम और चेनाब के गुणवत्ता ह्रास वाले आवाह क्षेत्रों का नदीघाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियां के आवाह क्षेत्रों में गुणवत्ता ह्रास भूमि की उत्पादकता वृद्धि के लिए मृदा संरक्षण के जारी कार्यक्रमों के अंतर्गत उपचार किया जाएगा।

समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों का विकास

6419. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों के विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तदरी मत्स्यन पत्तन के पुनरुद्धार के लिए धनराशि जारी कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान समुद्री मात्स्यिकी, अंतः संरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों का विकास संबंधी योजना को मंजूरी दी गई थी जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(1) उन्नत डिजाइन के माध्यम से आकार के जलयानों को शामिल करना,

(2) संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयान (जलयान निगरानी पद्धति सहित)

(3) परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण

(4) समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा

(5) हाई स्पीड डीजली (एचएसडी) पर मछुआरा विकास संबंधी छूट

(6) मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों की स्थापना

(7) पोस्ट हार्वेस्ट अंत:संरचना का सुदृढ़ीकरण

(ग) और (घ) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव अधूरा पाया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस संबंध में संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वेलडेकोक्साइल दर्द निवारक दवाई को वापस लिया जाना

6420. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.डी.ए.) के अंतर्गत अमरीकी बाजारों से गठिया रोगियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दर्द-निवारक दवा को हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह दवा भारतीय बाजारों में अब भी बिक रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त दवा को बाजार से हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। वेलडेकोक्सिब, गठिया और तेज दर्द में प्रयुक्त होने वाले एक दर्दनिवारक को, जिसे अमेरिका में मेसर्स फाइजर इन्क, द्वारा बेक्स्ट्रा के ब्रांड नाम के अंतर्गत विपणित किया जाता है, अमेरिकी एफडीए की सलाह पर विनिर्माताओं द्वारा बाजार से हटा लिया गया है, चूंकि इस दवाई से त्वचा पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना पाई गई है।

(ग) से (ङ) इस औषधि को अमेरिकी बाजारों से हटा लिए जाने के मद्देनजर देश में वेलडेकोक्सिब के सतत प्रयोग की 2.5.2005 को राष्ट्रीय फार्माको सतर्कता सलाहकार समिति द्वारा जांच की गई तथा इसने सिफारिश की है कि भारत सरकार द्वारा औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत देश में इस औषध के विनिर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का पेटेन्ट

6421. **श्री बी. विनोद कुमार: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने भारतीय शाकाहारी खाद्य पदार्थों/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का पेटेन्ट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा कितने खाद्य पदार्थों/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का पेटेन्ट किया गया है;

(ग) क्या पेटेन्ट कार्य में कोई समस्याएं अथवा प्रति दावे प्रकाश में आए हैं/किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) पेटेंट अधिनियम के अनुसार, 1.1.2005 से पहले खाद्य पदार्थों का पेटेंट करने की अनुमति नहीं थी। केवल खाद्यों की तैयारी संबंधी प्रक्रिया को पेटेंट कराया जा सकता था।

(ख) से (घ) अब तक, किसी खाद्य पदार्थ को पेटेंट नहीं किया गया है। 1.4.1999 से 31.12.2004 के दौरान, खाद्य की तैयारी संबंधी प्रक्रिया हेतु प्रदत्त किए गए पेटेंटों की संख्या 130 है जिसमें सरकारी उपक्रमों समेत सरकारी संगठनों द्वारा 43 और निजी क्षेत्र द्वारा 87 शामिल हैं।

सरदार सरोवर परियोजना

6422. **श्री पी.एस. गढ़वी: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना में भागीदार राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा गुजरात को बकाया राशि का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले के समाधान के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) भागीदार राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और

राजस्थान द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के (एसएसपी) अंशदान लागत संबंधी बकायों का भुगतान गुजरात सरकार को नियमित रूप से नहीं किया गया है। तथापि, हाल में, पक्षकर राज्यों द्वारा अविवादित अंशदान लागत के भुगतान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ख) मार्च, 2005 तक सहभागी राज्यों से परियोजना के अविवादित लागत अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली 231.06 करोड़ रु. की राशि का भुगतान नहीं हो सका है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	कुल
अविवादित अंशदान लागत	1687.76	799.47	507.17	2994.40
भुगतान/ समायोजित की गई अंशदान लागत	1594.00	583.39	585.95	2763.34
शेष देय अविवादित अंशदान लागत	93.76	216.08	-78.78	231.06

गुजरात सरकार द्वारा 6343.94 करोड़ रु. की विवादित अंशदान लागत का पूरा भार निरंतर वहन किया जा रहा है। सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के जरिए गुजरात राज्य को उनके बकाया अंशदान लागतों के कम से कम अविवादित अंश का भुगतान करने के लिए केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों को राजी करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

काम के बदले अनाज योजना हेतु खाद्यान्न आवंटन

6423. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात द्वारा कुल कितनी मात्रा में अतिरिक्त खाद्यान्नों की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे खाद्यान्नों की शीघ्र आपूर्ति हेतु कोई कार्रवाई शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खाद्यान्नों को कब तक आपूर्ति किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) सूखा वर्ष 2004-05 (अगस्त, 04 से जुलाई, 05) के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक (जिसका पूर्व में नाम काम के बदले अनाज कार्यक्रम था) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई खाद्यान्नों की मात्रा और उन्हें किया गया आवंटन बताने वाला विवरण संलग्न है।

गुजरात सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन 1.00 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन करने का अनुरोध किया है। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परामर्श दिया गया है कि वे अंतर-मंत्रालयीय समूह/उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी मांग का मूल्यांकन कराने के लिए कृषि और सहकारिता मंत्रालय से संपर्क करें।

(ख) से (घ) संबंधित राज्यों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य निगम और रेलवे प्रत्येक उपभोक्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इष्टतम व्यवहार्य स्तर पर प्रति माह खाद्यान्नों की अपेक्षित संख्या की रैक भेजने की योजना बनाने और उन्हें भेजने तथा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कोई विशेष समस्या को हल करने के लिए रैकों के संचलन को प्राथमिकताबद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं	राज्य	मांग की गई खाद्यान्न	आंवटित किए गए खाद्यान्न
1.	आंध्र प्रदेश	22.50	2.20
2.	बिहार	12.93	2.00
3.	छत्तीसगढ़	7.20	0.90
4.	झारखंड	निर्दिष्ट नहीं	0.67
5.	कर्नाटक	4.53	1.14
6.	मध्य प्रदेश	7.64	1.00
7.	महाराष्ट्र	2.00	-
8.	राजस्थान	28.80	6.99
		19.23	4.00
9.	तमिलनाडु	5.40	1.50
	जोड़	110.03	20.40

बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय

6424. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाल श्रम को रोकने हेतु कोई नया कानून बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने बाल श्रमिकों हेतु विद्यालयों की स्थापना करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(च) शेष प्रस्तावों की कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) देश में बाल श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार आकलन भारत के महापंजीयक द्वारा करायी गई जनगणना के आधार पर किया जाता है। भारत के महापंजीयक द्वारा जनगणना प्रत्येक दस वर्षों में एक बार करायी जाती है और बाल श्रम की राज्य-वार मौजूदगी के संबंधी में वार्षिक आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से नौंवी योजना के दौरान 100 जिलों से बढ़ाकर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 250 जिलों को दायरे में लेने के लिए विस्तारित किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा एक बार किसी जिले का चयन कर लिए जाने पर, संबंधित राज्य सरकार को जिले में इस स्कीम को लागू करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजना अपेक्षित होता है। प्रस्तावों की जांच भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाती है। हर तरह से पूर्ण प्रस्ताव को क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दे दी जाती है।

[हिन्दी]

कृषि प्रदर्शनी

6425. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात के जामनगर जिला सहित पूरे देश में राज्यवार कृषि प्रदर्शनी और कृषि मेले आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक आयोजित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार कृषि प्रदर्शनियां और मेले केवल राष्ट्रीय स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्र की कृषि संस्थाओं/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए आयोजित करती है।

[अनुवाद]

सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना

6426. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय 2000-2003 के दौरान प्रत्येक वर्ष सतलुज-यमुना लिंक नहर (एस वाई एल) हेतु राज्य सरकारों को निधियां प्रदान कर रहा है परन्तु सम्पूर्ण धनराशि का या तो अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया या उन्हें लौटा दिया गया जिसकी वजह से वह उद्देश्य ही विफल रहा है। जिसके लिए ये बजट प्रावधान अनुमोदित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि पुनर्विनियोजित की गई और कितनी धनराशि वापस लौटायी गयी;

(ग) क्या सतलुज-यमुना लिंक नहर अभी भी पूरी नहीं हुई है और इसे दिल्ली में जल की आपूर्ति हेतु मोड़ा गया है तथा

सरकार एस.वाई.एल. को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) चूंकि नहर से संबंधित ये मामले या तो न्यायालय के विचाराधीन थे या पंजाब सरकार की कार्रवाई के लिए लंबित थे। इसलिए संबंधित तीन वित्तीय वर्षों 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान आवंटित की गई संपूर्ण धनराशि को या तो पुनर्विनियोजित किया गया अथवा उन्हें वापस लौटा दिया गया था।

(ख) तीन वर्षों के दौरान पुनर्विनियोजित अथवा वापस लौटाई गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन	पुनर्विनियोजित राशि	वापस लौटाई गई राशि
2000-01	800.00	256.65	543.35
2001-02	800.00	0.00	800.00
2002-03	800.00	0.00	800.00

(ग) और (घ) सतलुज यमुना संपर्क नहर को अभी पूरा नहीं किया गया है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, रावी व्यास जल में 0.2 मिलियन एकड़ फीट के दिल्ली के हिस्से को जनवरी से जून तथा अक्टूबर से दिसम्बर तक 371 क्यूसेक की दर से भाखड़ा प्रणाली से आपूर्ति की जा रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.6.2004 के आदेशों के अनुसरण, में केन्द्र सरकार ने नहर संबंध कार्यों को प्रारंभ और पूरा करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को नामित किया है तथा निर्देशानुसार एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की अनुपालना में नहर संबंधी कार्यों के विवरण को अंतिम रूप देने तथा हस्तांतरण/ग्रहण संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ संपर्क करने के वास्ते पंजाब सरकार से भी अनुरोध किया गया था। पंजाब राज्य विधान सभा के पंजाब निरस्तीकरण समझौता अधिनियम, 2004 को अधिनियमित किए जाने तथा यह सूचित किए जाने के बाद कि दिनांक 31.12.1981 के रावी व्यास जल संबंधी समझौते के विस्तार में उठाया गया कोई भी कदम अधिनियम के कानूनी आदेश के विरुद्ध होगा। इस अधिनियम के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को एक राष्ट्रपतीय संदर्भ भेजा गया था। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेशों के अनुसार मामला सुनवाई के लिए तैयार है और तदनुसार इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली कार्रवाई इसके निर्णय पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पिपरमेंट का उत्पादन

6427. श्री लालमणि प्रसाद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिपरमेंट की व्यापक स्तर पर खेती करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में पिपरमेंट उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार ऐसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार जो 50% हानि वहन करने के लिए तैयार है (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%), के अनुरोध पर बागवानी जिन्सों और सुव्यवस्थित कृषि जिन्सों की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) कार्यान्वित कर रही है। मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन व्यस्ततम (अधिक) आवक अवधि, जब मूल्य आर्थिक स्तरों से नीचे गिर रहे होते हैं, के दौरान भरी-पूरी फसल होने पर मजबूरी में की जाने वाली बिक्री से बागवानी जिन्सों के उत्पादकों का संरक्षण करने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

केरल में धान की खरीद

6428. श्री के.एस. मनोज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान धान खरीद नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल सरकार किसानों से धान की खरीद करने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों को धान का संचयन/इसे औने-पौने दामों पर बेचना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की परेशानियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) धान की वसूली की मौजूदा नीति के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां किसानों द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पेशकश किए गए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीदारी करती हैं। किसानों के पास अपने धान को भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभदायक हो, बेचने का विकल्प होता है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। केरल में धान की खरीद कृषि सहकारी समितियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई थी।

कन्वेंशन केन्द्र

6429. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कन्वेंशन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने वाएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अंतर्गत निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से देश में वैश्विक स्तर के कन्वेंशन केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। पर्यटन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से स्थापना हेतु दो श्रेणियों में पांच केन्वेंशन केन्द्रों की पहचान की है, जो निम्न प्रकार से है:

श्रेणी-I: मुंबई, दिल्ली तथा बंगलौर में प्रदर्शनी सुविधाओं के साथ बड़े कन्वेंशन केन्द्र।

श्रेणी-II: गोवा तथा जयपुर में छोटी कन्वेंशन सुविधाएं।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के भविष्य निधि ट्रस्ट की हालत

6430. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे भविष्य निधि (पी. एफ.) ट्रस्ट सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निजी क्षेत्र की भविष्य निधि ट्रस्टों की स्थिति सुधारने हेतु कोई कार्य योजना तैयार कर रही है/ तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ब्याज और अथवा मूलधन की राशि का भुगतान न किये जाने के बारे में निजी क्षेत्र के भविष्य निधि न्यासों से यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्याज तथा/अथवा मूलधन की राशि का भुगतान न किये जाने संबंधी चूक के मामले में, भविष्य निधि न्यास, न्यायालय में सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं तथा सरकारी गारंटी, यदि कोई हो, के लिए निवेदन कर सकते हैं।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में युवाओं हेतु प्रशिक्षण

6431. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मुन्शी राम:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण देने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो अब तक कितने ग्रामीणों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं हेतु इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें धनराशि खर्च करती हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुपात क्या है;

(ङ) उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें ऐसे ग्रामीणों तथा अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के युवाओं को अब तक प्रशिक्षित किया गया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वजीराबाद जैव विविधता पार्क में वनस्पति

6432. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वजीराबाद जैव विविधता पार्क प्रदूषित हो गया है तथा वहां पक्षियों हेतु अत्यंत कम वनस्पति बची है जैसा कि 8 जनवरी, 2005 के "द इंडियन इक्सप्रेस" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस पार्क में वनस्पति बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) इंडियन एक्सप्रेस के 8 जनवरी 2005 के अंक में छपी खबर में उल्लेख है कि दिसम्बर के पहले सप्ताह से वजीराबाद जैव-विविधता उद्यान में 700 से 1000 साइबेरियन पक्षी देखे गए हैं और इनके इस वर्ष मार्च तक वहां रहने की संभावना है। यह समाचार उथली नम भूमियों और चरागाहों की पारि व्यवस्था के कृत्रिम मनोरंजन स्थल पर पक्षियों के आगमन की ओर संकेत करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जैव-विविधता उद्यान ने दिसंबर, 2004 से मार्च, 2005 के बीच 700-2000 पक्षियों को आकर्षित किया है।

(ग) जैव विविधता उद्यान का दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकास किया जा रहा है और वानस्पतिक आवरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पौध प्रजातियां रोपी जा रही है।

फ्रांस के साथ सहयोग

6433. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके और फ्रांस के कृषि मंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक में कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में फ्रांस द्वारा किसी निवेश पर चर्चा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है तथा कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) जी, हां। कृषि क्षेत्र में परस्पर सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए भारतीय और फ्रांसीसी पक्षों के बीच 14 अप्रैल, 2005 को संयुक्त कार्य दल की बैठक हुई थी। सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया था।

कृषि उत्पादों का व्यापार, पशुचिकित्सा, पादपस्वच्छकता और खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादों का परिरक्षण तथा कृषि-खाद्य क्षेत्र में शीत श्रृंखला का संघटन, भौगोलिक संकेतकों, फल और सब्जी

क्षेत्र, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास का संवर्धन। इनमें कोई निवेश शामिल नहीं होता।

लाने-ले जाने में नुकसान

6434. श्री एम. अंजन कुमार यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और रेल मंत्रालय के बीच चल भार-मापक पुलों की स्थापना करने तथा लाने-ले जाने में होने वाले नुकसानों के लिए जिम्मेवारी निर्धारण का मुद्दा निपटाया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाने-ले जाने और भंडारण में होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) मार्गस्थ हानियों तथा सचल तौल सेतु स्थापित करने से संबंधित मुद्दे रेलवे द्वारा अपने अनुदेशों और प्रक्रियाओं के आधार पर तय किए जाते हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए अधिक प्रभावी समन्वय करने हेतु रेलवे के साथ लगातार संपर्क में है।

(ग) मार्गस्थ और भण्डारण हानियां कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए और प्रस्तावित पग निम्नानुसार हैं-

* 50 किलोग्राम की उन्नत गुणवत्ता की बोरियों का उपयोग करना;
* हुकों के इस्तेमाल से बचना;
* बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई करना;
* प्रेषण/गंतव्य केन्द्रों पर स्टॉक की औचक जांच/निरीक्षण करना;
* स्टॉक का आवधिक रोगनिरोधी और रोगहर उपचार करना;
* मानसून पूर्व प्रधूमन करना;
* चुनिंदा रेल शीर्षों पर विशेष दस्तों द्वारा जांच करना;
* बट्टे खाते के मामलों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना;
* अधिकारियों द्वारा डिपुओं का औचक निरीक्षण किया जाना;
* प्रथम आमद प्रथम निर्गम के सिद्धांत का अनुसरण करना; और
* खाद्यान्नों की उचित तुलाई और गणना सुनिश्चित करना।

डी.पी.एल.आर.सी. द्वारा दवा कंपनियों की देनदारियां निर्धारित करना

6435. श्री मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध मूल्य देनदारी समीक्षा समिति (डीपीएल आरसी) द्वारा मात्र 22 कंपनियों की देनदारियां निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) डी.पी.एल.आर.सी. द्वारा केवल भारतीय कंपनियों की ही चुनने और कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की राशि का निर्धारण नहीं करने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) औषध मूल्य देयता समीक्षा समिति (डीपीएलआरसी) द्वारा अब तक 24 कंपनियों के संबंध में डी पी ई ए देयता का निर्धारण किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित औषध कंपनियों से देयता राशि वसूल करने संबंधी कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

(ग) डीपीएलआरसी द्वारा यथासंभव रूप से औषध कंपनियों की देयताओं का प्रपुंज औषध-वार निर्धारण किया जाता रहा है। देयताओं का निर्धारण करते समय समिति द्वारा भारतीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता है।

विवरण

कंपनियों के नाम और डीपीएलआरसी द्वारा निर्धारित देनदारियां राशि

क्र. सं.	कंपनी का नाम	प्रपुंज औषध का नाम	डीपीएलआरसी द्वारा निर्धारित देनदारी राशि (लाख रु.)
1.	मेसर्स मेरिन्ड लि.	डेक्सट्रोज एनहाइड्रस	6772.81
2.	बायोकेम फार्मा इंडस्ट्रीज	रिफाम्पिसीन	99.76
3.	लुपिन लेबोरेट्रीज	रिफाम्पिसीन	1065.09
4.	यूनिक फार्मास्युटिकल्स	आक्सीफेनाबूटाजोन	591.05
5.	अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइसेज	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	84.13
6.	गुफिक लि.	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	73.86
7.	लायका लैब्स	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	70.37
8.	यूनिक फार्मा लैब्स लि.	मेट्रोनिडाजोल	461.47
9.	रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि.	एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	416.84
10.	लायका लैब्स	रिफाम्पिसीन	148.38
11.	लायका लैब्स लि.	इथम्बुटोल	38.50
12.	डालफिन लैब्स लि.	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	51.53
13.	मैसर्स अस्ट्रा आईडीएल लि.	ब्रूफेन	174.86
14.	रैनबैक्सी लैब्स लि.	रिफाम्पिसीन	203.00
15.	थैमिस केमिकल्स	रिफाम्पिसीन	126.07
16.	सिपला लि.	मेट्रोनिडाजोल	22.81
17.	लायका लैब्स लि.	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	13.95
18.	नोल फार्मास्युटिकल	ब्रेफेन	346.64/57.67@
19.	थैमिस केमिकल्स	इथाम्बुटोल	200.00
20.	लायका लैब्स	फ्लूसिनोलोन एसिटोनिड	1804.65/ शून्य@
21.	डालफिन लैब्स लि.	मैट्रोनिडाजोल	28.66
22.	तमिलनाडु डाढा	कैल्शियम लैक्टेट	130.34/120.90@
23.	यू.एस. विटामिन्स (आई) लि.	डाक्सिलीन	132.62/125.19@
24.	बोहरिंगर मेनिम (इंडिया) लि.	इग्लोकोन	313.17

@डीपीएनआरसी के सदस्यों के बीच मत संबंधी भिन्नता है।

समुद्र के किनारे दीवार बनाना

6436. श्री पी. करुणाकरन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी पीड़ित राज्यों ने समुद्र के किनारे दीवार बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने राज्यों ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो समुद्र के किनारे एक किलोमीटर लम्बी दीवार बनाने पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रस्तावों के संबंध में उनके लिए किन वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सुनामी त्रासदी के बाद तमिलनाडु, पाण्डिचेरी और कर्नाटक ने अपने राज्यों में क्षतियों के कारण हुए नुकसान के पुनरुद्धार, तटीय अवसंरचना की पुनर्स्थापना और तटीय सुरक्षा कार्यों को पूरा करने संबंधी प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात क्षेत्र के संबंध में भारत और चीन के बीच समझौता

6437. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की कतिपय कंपनियों ने संभावित संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकीय सहयोग हेतु भारतीय इस्पात कंपनियों के साथ बातचीत शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चीन और भारत दोनों में इस्पात उद्योग का विकास करने हेतु मदद करने के लिए किस हद तक सहमति हुई है;

(ङ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान चीन में इस्पात की मांग में काफी वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो भारत इस्पात क्षेत्र में चीन की मांगों को किस हद तक पूरा करने में समर्थ होगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) यह मंत्रालय अलग-अलग भारतीय और विदेशी इस्पात कंपनियों के बीच होने वाले करारों का प्रबोधन नहीं करता है। हाल ही में चीन के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के दौरे के दौरान भारत और चीन के बीच लोहा और इस्पात क्षेत्र में भारत और चीन की सरकारों के बीच सहयोग के लिए कोई करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यह सर्वविदित तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा इस्पात की मांग में खासी वृद्धि हुई है। इस्पात कंपनियां आमतौर पर चीन तथा अन्य देशों को इस्पात सामग्री का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि निर्यात करने से पहले घरेलू आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

6438. श्री मो. मुकीम: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारों इस्पात संयंत्र सहित अनेक इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) उनके अस्पतालों हेतु निर्धारित वार्षिक बजट संयंत्र-वार कितना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रत्येक अस्पताल हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) उपरोक्त अस्पतालों में चिकित्सक, विशेषज्ञों के रिक्त पड़े स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन पदों को भरने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक हैं। प्राइमरी, सेकंडरी और साथ ही टर्शियरी स्तर की पेशेंट केयर के लिए सुविधाओं सहित सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां तक निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का संबंध है, सरकार इनका प्रबोधन नहीं करती है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इन अस्पतालों के लिए निर्धारित वार्षिक बजट/आबंटित निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(च) चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पड़े स्वीकृत पदों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(छ) रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यह पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। तथापि, कई बार ऐसा होता है कि चुने गए अभ्यर्थी चयन के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इन अस्पतालों के लिए निर्धारित वार्षिक बजट/आबंटित निधियां

(लाख रुपए)

संयंत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम)
भिलाई इस्पात संयंत्र	5344	5670	6164	6500
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	864	1171	1534	1100
राउरकेला इस्पात संयंत्र	2938	2993	3088	3100
बोकारो स्टील लि.	1100	1023	1100	1231
मिश्र इस्पात संयंत्र	7.77	7.53	11.37	12.17
सेलम इस्पात संयंत्र	157.00	233.40	227.45	316.7
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	156	187	223	250
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	874.6	1023.90	1321.52	1698.10

विवरण II

चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पड़े स्वीकृत पदों की संख्या

संयंत्र	पदों की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र	6
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	4
राउरकेला इस्पात संयंत्र	3
बोकारो स्टील लि.	10
मिश्र इस्पात संयंत्र	0
सेलम इस्पात संयंत्र	2
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	0
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	8

[अनुवाद]

समेकित कृषि बाजार की स्थापना

6439. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में समेकित कृषि बाजार की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के बारे में कोई कानून लाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु राज्य स्तर पर कानून बनाने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) यह मंत्रालय आधुनिक समेकित मण्डियों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने में राज्यों की सहायता कर रहा है।

(ख) देश में ऐसी मजबूत कृषि विपणन संरचना की स्थापना करने की आवश्यकता है जो गुणवत्ता और वर्धित उत्पादकता हेतु प्रेरकों को कायम रख सके। महत्वपूर्ण केन्द्रों में आधुनिक समेकित मण्डियां फारमर्स एसोशिएशन के जरिए पश्च सम्पर्कों (बैकवर्ड लिंकेजिज) तथा थोक विक्रेताओं और वितरण केन्द्रों के जरिए अग्र सम्पर्कों (फारवर्ड लिंकेजिज) सृजित करके ऐसी संरचना प्रदान कर सकीं।

(ग) और (घ) कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम (ए.पी.एम.सी. अधिनियम), जो कृषि मण्डियों से संबंधित विद्यमान विधान है, के अंतर्गत केवल राज्य सरकारों को ही अधिसूचित क्षेत्रों के कृषि जिंसों के लिए मण्डियों स्थापित करने के प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। इसके परिणामस्वरूप निजी और सहकारी क्षेत्र समेकित मण्डियों की स्थापना में पहले नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र ही केवल ऐसे राज्य हैं जहां समेकित कृषि उत्पाद मण्डियों की स्थापना को अनुमति देने के लिए ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन किए गये हैं। अन्य राज्यों द्वारा इसी तर्ज पर ए.पी.एम.सी. अधिनियम संशोधित करने की आवश्यकता है। इस मंत्रालय द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों के विकास हेतु ए.पी.एम.सी. अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए सभी राज्यों के मार्ग दर्शन के लिए एक आदर्श कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम परिचालित किया गया है।

(ङ) ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधारों पर दिनांक 7.1.2004 को दिल्ली में और दिनांक 19.11.2004 को बंगलौर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ चर्चा हुई थी। कई राज्यों ने सुझाई गई तर्ज पर इसके संशोधनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पर्यटन क्षेत्र में कंपनियों को शामिल करना

6440. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्टार क्रूज से पर्यटन उद्योग में इसके क्रियाकलापों हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की साझेदारी बढ़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी क्रूज चालकों, जो भारत में क्रूज संचालन आरंभ करने के इच्छुक हैं, द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए कर एवं अन्य संबंधित कानूनों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जहाजरानी मंत्रालय में मेसर्स स्टार क्रूज से एक पत्र प्राप्त हुआ था। जहाजरानी मंत्रालय ने उन्हें जबाब दे दिया है।

(ग) भारतीय कंपनियों की साझेदारी के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई-चार महानगर के शहरों को छोड़कर देश में 1-सितारा से 3-सितारा और हैरिटेज बेसिक श्रेणियों में अनुमोदित नई होटल परियोजनाओं को पूंजी इमदाद दी गई है।

(2) विभिन्न सितारा श्रेणियों में होटलों के निर्माण के लिए भारत सरकार इपीसीजी योजना के अंतर्गत मालों के आयात, 0% शुल्क निर्यात योजना आदि जैसी छूट देती है।

शुल्क मुक्त दुकानें

6441. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जा रही शुल्क मुक्त दुकानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये शुल्क मुक्त दुकानें घाटे में चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) भारत पर्याटन विकास निगम (आईटीडीसी) 10 अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू हवाई अड्डों पर 37 शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है, जो कि नीचे दिए अनुसार:

स्थान	दुकानों की संख्या
दिल्ली	10
मुम्बई	11
कोलकाता	02
चेन्नई	02
त्रिवेन्द्रम	02
गोवा	02
बंगलौर	02
कालीकट	02
हैदराबाद	02
अहमदाबाद	02
कुल	37

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों में शुल्क मुक्त दुकानों के संबंध में वास्तविक लाभ/हानि की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	वास्तविक लाभ/हानि (करोड़ रु. में)
2000-2001	21.35
2001-2002	(-) 2.66
2002-2003	9.37*
2003-2004	5.75*
2004-2005 (अनंतिम)	1.87*

*यदि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी को जोड़ा जाता है, तो ये लाभ के आंकड़े हानि में परिवर्तित हो जाएंगे।

शुल्क मुक्त दुकानों के लाभ में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- उत्पादों का बिक्री संवर्धन सुनिश्चित करना;
- कीमतों पर तथा माल के स्टॉक पर कड़ा नियंत्रण रखना;
- दुकानों का नवीकरण करना।

सिंचाई योजनाएं

6442. श्री तापिर गाव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई स्कीमों के लिए प्राप्त की गयी विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 24 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता लगभग 2761 करोड़ रुपये है। इस अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश की किसी परियोजना को विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(ख) यह बाह्य सहायता कार्यों के पूर्व होने के पश्चात परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पी.आई.ए.) को प्रतिपूर्ति के रूप में ही प्राप्त हो पाती है।

पर्यावरणीय और वानिकी संबंधी लम्बित मामले

6443. श्री गिरिधारी यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार न्यायालयों में पर्यावरण और वानिकी संबंधी लम्बित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब के कारण पर्यावरण और वानिकी संबंधी कानून अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों का शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसे कदम उठाए जाने के पश्चात् किस सीमा तक सफलता हासिल हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों द्वारा आस-पास के क्षेत्रों का विकास

6444. श्री अनन्त कुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में स्थापित निजी क्षेत्र के कतिपय इस्पात संयंत्र अपने आस-पास के क्षेत्रों के विकास हेतु ध्यान नहीं दे रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उन सड़कों के पुनरुद्धार, मरम्मत और रखरखाव हेतु कुछ योगदान नहीं कर रहे हैं जो इन इस्पात संयंत्रों हेतु कच्चे माल की ढुलाई में ट्रकों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन इस्पात संयंत्रों हेतु सड़कों के विकास में योगदान देना अनिवार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाली सभी कंपनियों को उन क्षेत्रों में परिसरीय विकास करने के लिए कहा जाता है जिन क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समझौता ज्ञापनों में यह बताते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि सभी कंपनियां सभी लागू कानूनों तथा भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की सभी नीतियों विशेष रूप से पर्यावरण और परियोजना के समीपवर्ती क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों का अनुपालन करेंगी।

औषध मूल्य

6445. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन आवश्यक औषधियों के नाम क्या हैं जिनके मूल्य भेषज नीति, 2002 के अंतर्गत औषध मूल्य पर नियंत्रण आदेश (डी.पी.सी.ओ.) के द्वारा विनियंत्रित किए गए थे; और

(ख) इन आवश्यक औषधियों को आम आदमी की पहुंच से दूर करने के क्या कारण हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सरकार ने 'भेषज-नीति 2002' फरवरी, 2002 में घोषित की। तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर में दायर एक जनहित याचिका के फलस्वरूप 12.11.02 के आदेश के जरिए सरकार को भेषज नीति 2002 के मूल्य नियंत्रण तंत्र को लागू करने से रोक दिया गया। इस विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की जिसे एसएलपी (सी) सं. 3668/2003 के रूप में स्वीकृत किया गया है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाए किए जाते हैं।

कृषि विपणन प्रणालियों का विकास

6446. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के कृषि विभाग और यू.एस.ए.आई.डी. के एक उच्चस्तरीय दल ने कृषि विपणन प्रणालियों के विकास हेतु क्षमता निर्माण और व्यावसायिक दृष्टि से तैयार शिक्षा प्रणाली के लिए अनेक कदमों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गयी अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कृषि विपणन प्रणालियों को विकसित करने हेतु अमरीका के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एन.आई.ए.एम.), ने संयुक्त राज्य की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (यू.एस.ए.आई.डी.) के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी जिसके बाद संयुक्त राज्य के कृषि विभाग (यू.एस.डी.ए.) के प्रतिनिधि मंडल ने यू.एस.डी.ए. और मंत्रालय के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एन.आई.ए.एम. का दौरा किया। चर्चा प्रारंभिक चरण में है।

[हिन्दी]

समर्थन मूल्य की घोषणा

6447. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
मो. शाहिद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किन फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी है;

(ख) क्या सरकार ने धान के मूल्यों के निर्धारण हेतु किसानों के लागत लक्ष्यों का अनुमान लगाया है;

(ग) क्या सरकार उक्त फसलों के स्थान पर सूरजमुखी, दालों और तिलहन जैसी फसलें उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन दे रही है;

(घ) क्या सूरजमूखी के बीजों के मूल्य में 160 रु. की वृद्धि की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सूरजमूखी के बीजों के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार ने धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर (तुर), मूंग, उड़द, कपास, छिलके सहित मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल और रामतिल के बीजों के संबंध में वर्ष 2005-06 मौसम की खरीफ फसलों हेतु दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित कर दिए हैं।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय विस्तृत आंकड़ों का विश्लेषण करता है जिसमें खेती/उत्पादन की लागत शामिल है। खेती/उत्पादन की लागत के अनुमान बीज, उर्वरक, कृमिनाशी, सिंचाई, बिजली, विद्युत, भूमि की लागत पर ब्याज, उपकरण और मशीनरी पर मूल्य ह्रास आदि सहित कृषि आदानों पर किए गए खर्च पर आधारित है। इस लागत में न केवल लगाई गई (पेड-आउट) लागत (पट्टे पर ली गई भूमि हेतु किराया सहित नकद और किस्म में किया गया वास्तविक खर्च) अपितु भूमि और पारिवारिक श्रम जिसके लिए किसानों को नकद खर्च नहीं करना पड़ता है, सहित स्वधिकृत परिसम्पत्तियों का आकलित मूल्य भी कवर किया गया है।

(ग) दलहन और तिलहन, जिसके लिए घरेलू मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है, की खेती को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक मूल्य संकेत देने के उद्देश्य से सरकार अन्य फसलों खासकर अनाजों की तुलना में दलहन और तिलहन के लिए अपेक्षाकृत उच्चतर समर्थन मूल्यों की घोषणा करती रही है।

भारत सरकार देश में तिलहन और दलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 14 मुख्य तिलहन और दलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों, पादप रक्षण रसायनों और उपकरणों, खरपतवारनाशियों, जिप्सम/पाइपराईट/लाइमिंग/डोलोमाईट, स्प्रिंकलर सेटों और जल वाहक पाईपों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट सोल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया आदि की आपूर्ति हेतु सहायता दी जाती है ताकि किसानों को तिलहन और दलहन उगाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) और (ङ) तिलहन जिसके लिए भारत घरेलू मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए आयात पर निर्भर करता है, की खेती को बढ़ावा देने के लिए सूरजमुखी के बीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2004-05 मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में वर्ष 2005-06 मौसम के लिए 160 रु. प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।

(च) और (छ) अन्य फसलों की तुलना में तिलहन के लिए अपेक्षाकृत उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति से सूरजमुखी के बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली है। इसका उत्पादन वर्ष 2002-03 में 8.73 मिलियन टन और वर्ष 2003-04 में 9.92 मिलियन टन हुआ जो वर्ष 2004-05 में बढ़कर 14.15 मिलियन टन हो गया (तृतीय अग्रिम अनुमान)।

बाघों की गणना करने की प्रक्रिया

6448. श्री जीवाभाई ए. पटेलः
श्री हरिसिंह चावड़ाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बाघों की गणना करने की विद्यमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या प्रक्रिया में बहुत सी कमियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) पग-निशान के माध्यम से बाघों की संख्या का अनुमान लगाने की प्रचलित पद्धति से सांख्यकी अनुमान की तुलना में कुल संख्या का पता चलता है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इसमें सुधार किया गया है और अब इस सुधार से बाघ की उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति के लिए पग निशान को एक मापदण्ड के रूप में प्रयोग के द्वारा बाघ वितरण का नक्शा तैयार करके समस्या का निपटान किया गया है। कुल अनुमानित संख्या वैज्ञानिक रूप से अनुमोदित और श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा समीक्षित तकनीकों के प्रयोग द्वारा सैम्पल ब्लाक में सैम्पलिंग और गहन अनुसंधान स्तर डाटा संग्रह करके निकाली गई है। भारत सरकार ने पहली बार आंतरिक विशेषज्ञों के साथ-साथ बाह्य विशेषज्ञों के माध्यम से फील्ड में प्राथमिक डाटा संग्रह देखने के उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

लंबित विमानपत्तन परियोजनाओं को स्वीकृति

6449. श्री टी.के. हमजाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन प्राधिकरण की विस्तार परियोजना से संबंधित कोई आवेदन पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कालीकट से कालीकट विमानपत्तन के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव 29.4.2005 को प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई और स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गई है जिसमें केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना शामिल है।

[हिन्दी]

अनुसंधान केन्द्र तथा परियोजना

6450. श्री रामदास आठवलेः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाये जा रहे अनुसंधान केन्द्रों तथा परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित प्रत्येक केन्द्र तथा परियोजना के संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/खर्च की गई;

(ग) उक्त केन्द्रों द्वारा राज्यवार क्या उपलब्धियों प्राप्त की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में कृषि उपज पर उक्त केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, को आवंटित/उनके द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल खाद्यान्नों की उत्पादकता/पैदावार में 1562 कि.ग्रा. प्रति. हैक्टर (2002-03 के दौरान) से 1707 कि.ग्रा. प्रति. हैक्टर (2003-04 के दौरान) का सुधार हुआ

है। पीबीडब्ल्यू-343 गेहूं की मशहूर किस्म देश के लगभग 70 लाख हैक्टर में उगाई जाती है। इसी तरह, देश में इस समय लगभग 5.5 लाख हैक्टर में उगाई जा रही चावल की वर्तमान किस्मों की तुलना में चावल की संकर किस्म की उपज एक टन से भी अधिक है। दूध का उत्पादन 87.3 मिलियन टन (2002-03 के दौरान) से बढ़कर 91.1 मिलियन टन (2003-04 के दौरान) हो गया है। अण्डे का उत्पादन भी 40.3 बिलियन अण्डों की संख्या (2002-03 के दौरान) से बढ़कर 91.1 बिलियन अण्डों की संख्या (2003-04 के दौरान) हो गई है। इसी तरह, मछली उत्पादन भी 59.66 लाख टन (2001-02 के दौरान) से बढ़कर 62.00 लाख टन (2002-03 के दौरान) हो गया है। तथापि, वर्ष 2003-04 के लिए मछली उत्पादन के आंकड़ों और वर्ष 2004-05 के लिए उपर्युक्त उल्लिखित शेष जिंसों के उत्पादन के आंकड़ों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण I

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 के लिए स्कीमवार बजट आकलन, संशोधित आकलन तथा वास्तविक

(रु. लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम तथा स्थान	2002-03			2003-04			2004-05	
		बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आकलन	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आकलन	बजट आकलन	संशोधित आकलन एवं प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. फसल विज्ञान								
1.	**राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली**								
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	200.00	255.00	256.35	200.00	210.00	315.59	686.94	494.00
1.	अ.भा.सं.अ.प.-अल्पदोहित फसलें	60.00	77.00	59.99	77.00	94.00	93.93	115.76	115.00
2.	एनआरसी-डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, नई दिल्ली	70.00	एन बी पी जी आर में	एन बी पी जी आर में	100.00	100.00		244.50	135.00
2.	**भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली**								
	भारत कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	940.00	895.00	730.06	875.00	400.00	411.57	2108.94	900.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-कीटनाशी अवशिष्ट	230.00	230.00	283.48	230.00	285.25	225.50	557.94	225.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-नेमाटोड	200.00	200.00	143.38	200.00	200.00	119.65	218.36	213.00
3.	एन आर सी-पादप जैव प्रौद्योगिकी	100.00	आई ए आर आई में	आई ए आर आई में	160.00	160.00	95.80	350.00	400.00
4.	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	250.00	225.00	217.72	210.00	208.50	207.71	346.84	320.00
5.	अ.भा.स.अ.प.-मक्का	350.00	400.00	523.22	400.00	466.00	473.18	320.00	308.00
6.	राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध	40.00	20.00	19.95	30.00	32.00	32.01	45.00	34.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**अ.भा.स.अ.प.-पुष्प कृषि**								
	कीट जैव प्रणालीबद्ध नेटवर्क कार्यक्रम; भा.कृ.अ.सं. का हिस्सा				नई			101.46	0.00
	पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना-एन आर सी पादप जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा				नई			270.00	0.00
3.	**केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक**								
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	300.00	250.00	189.32	250.00	153.00	140.18	405.75	400.00
1.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	120.00	120.00	119.50	130.00	130.00	129.70	310.97	324.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-चावल, हैदराबाद	500.00	600.00	704.36	600.00	675.00	676.39	626.08	620.00
4.	**विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा**	180.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	184.00	200.00
5.	**भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर**								
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	200.00	200.00	199.67	200.00	200.00	199.98	463.50	340.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-चना	475.00	475.00	476.44	475.00	475.00	474.36	309.59	287.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-मुलार्प	600.00	600.00	605.86	600.00	600.00	600.56	500.80	448.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-अरहर	400.00	400.00	399.29	400.00	400.00	399.51	448.83	400.00
4.	अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फलियां	125.00	135.00	112.51	135.00	135.00	135.46	160.00	140.00
6.	**गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल**								
	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	100.00	80.00	79.83	90.00	90.00	89.68	111.50	150.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-गेहूं एवं जौ सुधार परियोजना करनाल	560.00	600.00	899.88	600.00	732.00	732.00	470.00	470.00
7.	**राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद**								
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	100.00	110.00	109.66	120.00	120.00	113.99	219.15	350.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-ज्वार, हैदराबाद	270.00	277.00	298.91	277.00	300.00	302.29	265.00	350.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-बाजरा, जोधपुर	250.00	215.00	202.92	215.00	152.00	151.53	264.21	225.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-गौण अनाज, बंगलौर	300.00	180.00	151.15	180.00	154.00	160.25	231.62	243.00
8.	**भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी**								
	भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	250.00	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	402.88	400.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-चारा फसलें	290.00	370.00	470.00	370.00	366.00	366.00	400.00	400.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-कृषि वानिकी								
3.	एन आर सी-कृषि वानिकी								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	**केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री**								
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	125.00	100.00	90.00	100.00	125.00	124.99	236.00	250.00
1.	नेटवर्क परियोजना-तम्बाकू	100.00	100.00	103.15	100.00	135.00	135.00	137.14	125.00
10.	**भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ**								
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	150.00	190.00	189.76	190.00	173.00	146.23	244.00	250.00
1.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	125.00	125.00	84.60	125.00	86.00	89.57	373.86	400.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-गन्ना, लखनऊ	240.00	240.00	207.95	240.00	275.00	274.77	262.29	250.00
11.	**केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर**								
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	120.00	120.00	120.00	120.00	102.00	101.99	208.00	250.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-कपास, कोयम्बटूर	390.00	410.00	410.00	410.00	472.00	471.86	428.00	400.00
2.	केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	200.00	175.00	141.74	175.00	100.00	99.70	311.00	380.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-जूट एवं संबद्ध रेशा	200.00	150.00	149.95	150.00	150.00	149.99	75.00	64.00
4.	प्रौद्योगिकी मिशन-कपास (टी एम सी)	380.00	380.00		380.00	420.00	392.55	255.00	318.00
5.	प्रौद्योगिकी मिशन-जूट (टी एम जे)								
12.	**तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद**								
	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	100.00	136.00	136.00	146.00	115.79	115.79	354.94	260.00
1.	एन आर सी-मूंगफली, जूनागढ़	100.00	80.00	86.52	90.00	90.00	84.12	277.00	190.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-मूंगफली, जूनागढ़	250.00	250.00	248.48	250.00	392.48	350.71	280.09	254.00
3.	एन.आर.सी.-सोयाबीन, इंदौर	120.00	100.00	73.31	110.00	88.70	79.27	126.00	276.00
4.	अ.भा.स.अ.प.-सोयाबीन, इंदौर	175.00	195.00	139.72	195.00	202.00	201.46	185.50	192.00
5.	एन.आर.सी.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	100.00	80.00	69.90	95.00	45.00	45.00	224.17	100.00
6.	अ.भा.स.अ.प.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	300.00	360.00	360.00	360.00	410.00	422.24	345.01	345.00
7.	अ.भा.स.अ.प.-सूरजमुखी, कुसुम, अरण्डी, हैदराबाद	400.00	400.00	398.43	400.00	400.00	399.81	381.16	270.00
8.	अ.भा.स.अ.प.-अलसी, कानपुर	160.00	160.00	110.62	160.00	175.77	130.68	230.72	200.00
9.	अ.भा.स.अ.प.-तिल एवं रामतिल, जबलपुर	160.00	160.00	138.30	160.00	275.80	237.64	265.80	235.00
13.	**जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर**								
	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर	70.00	40.00	31.00	50.00	25.80	25.80	25.80	190.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-जैविक नियंत्रण, बंगलौर	100.00	100.00	87.65	100.00	146.80	146.80	171.43	144.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अ.भा.स.अ.प.-मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, हिसार	160.00	160.00	105.29	160.00	145.00	180.35	146.66	126.00
3.	सफेद सूंडी एवं अन्य मृदा आर्थोपोड्स पर नेटवर्क, जयपुर	100.00	100.00	52.31	[illegible].00	100.00	82.63	100.87	115.00
4.	नेटवर्क कृषि एकोलोजी, बंगलौर	100.00	100.00	35.28	100.00	100.00	90.33	141.02	150.00
5.	नेटवर्क आर्थिक आर्निथोलोजी, हैदराबाद	100.00	100.00	51.86	100.00	100.00	97.64	107.41	100.00
14.	**बीज अनुसंधान निदेशालय, माउ**								
	बीज अनुसंधान निदेशालय, माउ		अद्यतन					351.05	250.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-एन एस पी फसल का घटक	700.00	710.00	777.38	710.00	700.00	703.22	686.89	555.00
15.	**राष्ट्रीय कृषि महत्व के माक्रोआर्गेनिज्म से संबंधित ब्यूरो, (एन बी ए आई एम) नई दिल्ली**	100.00	80.00	43.70	115.00	112.68	112.51	308.57	350.00
1.	कृदन्त नियंत्रण पर नेटवर्क, जोधपुर (एन आर एम में दर्शायी गई)	115.00	115.00	74.18	115.00	118.22	97.95	120.00	120.00
	कुल फसल विज्ञान	12900.00	12800.00	12190.53	13100.00	13089.79	12707.41	18500.00	16000.00
	II. बागवानी								
16.	**भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर**								
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	300.00	300.00	250.00	300.00	390.00	390.00	450.00	450.00
1.	अ.भ.स.अ.प.-उष्णकटिबंधीय फल, लखनऊ	160.00	160.00	481.75	157.00	203.75	202.06	260.00	260.00
2.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	230.00	200.00	200.00	200.00	220.00	220.00	300.00	275.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-उपोष्ण फल, बंगलौर	120.00	120.00	250.00	127.00	194.60	194.60	200.00	135.00
4.	एन.आर.सी.-लीची, मुजफ्फरपुर	175.00	150.00	61.00	225.00	75.00	71.98	220.00	150.00
5.	एन.आर.सी.-नीबूवर्गीय फल, नागपुर	160.00	160.00	109.99	160.00	295.00	294.94	220.00	210.00
6.	एन.आर.सी.-अंगुर, पुणे	240.00	145.00	144.99	145.00	145.00	144.99	180.00	180.00
7.	एन.आर.सी.-केला, त्रिच्चि	220.00	150.00	95.40	150.00	166.50	159.12	170.00	190.00
17.	**केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर**	150.00	175.00	112.97	175.00	154.00	154.00	225.00	175.00
18.	**केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर**	200.00	200.00	102.00	250.00	121.90	121.72	360.00	220.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फल	90.00	90.00	132.76	105.00	150.86	150.49	120.00	105.00
19.	**भारतीय सब्जी अनसुंधान संस्थान, वाराणसी**								
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	240.00	200.00	175.15	225.00	225.00	222.22	365.00	340.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**एन.आर.सी.-खुम्बी, सोलन**	180.00	150.00	85.29	120.00	123.80	123.79	150.00	130.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-खुम्बी, सोलन	80.00	80.00	78.84	88.00	93.00	64.41	105.00	95.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-सब्जी वाराणसी	230.00	260.00	249.80	256.00	261.00	259.90	325.00	350.00
4.	राष्ट्रीय सब्जी बीज परियोजना, वाराणसी	130.00	100.00	94.00	97.00	97.00	96.56	120.00	140.00
5.	एन.आर.सी.-प्याज एवं लहसुन, पुणे	230.00	160.00	84.72	130.00	110.00	104.32	180.00	180.00
20.	**केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला**								
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	240.00	210.00	209.30	200.00	297.07	281.56	450.00	406.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-आलू	125.00	125.00	125.03	122.00	159.40	164.12	235.00	235.00
2.	केन्द्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	160.00	170.00	203.30	190.00	230.00	228.41	250.00	250.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-केन्द्रीय फसलें	80.00	80.00	80.00	78.00	67.00	67.00	100.00	103.00
21.	**केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़**								
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़	225.00	230.00	229.94	220.00	205.00	204.99	380.00	340.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-ताड़	120.00	120.00	99.69	118.00	97.12	97.12	110.00	127.00
2.	एन.आर.सी.-काजू, पुतुर	90.00	90.00	89.95	100.00	87.00	86.38	140.00	100.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-काजू	80.00	80.00	57.49	77.00	77.00	58.09	80.00	90.00
4.	एन आर सी-तेलताड़, पेडावेगी, आंध्र प्रदेश	120.00	150.00	159.94	160.00	160.00	132.94	200.00	175.00
22.	**केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर**	240.00	240.00	291.11	250.00	270.00	267.79	300.00	300.00
23.	**भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट**								
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	200.00	190.00	189.99	190.00	125.00	124.88	190.00	150.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-मसाले, कालीकट	120.00	120.00	157.00	117.00	151.00	151.00	150.00	30.00
2.	एन.आर.सी.-बीज प्रजाति, अजमेर	175.00	165.00	61.94	210.00	170.00	170.00	200.00	175.00
24.	**एन.आर.सी.-औषधीय एवं सगंधीय पादप, आनन्द**	250.00	200.00	195.00	200.00	175.00	175.00	315.00	175.00
1.	नेटवर्क-औषधीय एवं सगंधीय पादप	110.00	120.00	165.80	138.00	148.00	148.00	160.00	130.00
2.	नेटवर्क-पान	90.00	70.00	51.00	57.00	62.00	62.00	115.00	120.00
3.	पुष्पोत्पादन पर ए.आई.सी.आर.पी. (फसल विज्ञान के सं. 2 में दर्शायी गई)	110.00	120.00	135.66	138.00	143.00	142.86	165.00	135.00
	एन.आर.सी.-मखाना (एन.आर.एम.के. सं. 29 में दर्शायी गई) (पूर्वी क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. के केन्द्र के रूप में समेकित की गई)	110.00	50.00	6.76	225.00	120.00	59.01	200.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	एन.आर.सी.-आर्किड (एन आर एम के सं. 36 में दर्शायी गई)	170.00	170.00	93.92	240.00	140.00	140.00	310.00	130.00
	एन आर सी-अनार (स्कीम अनुमोदित नहीं हुई	50.00							
	कुल बागवानी	6000.00	5500.00	5311.48	6000.00	5910.00	5736.24	8000.00	6956.00
	III. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन								
25.	**राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर**	400.00	380.00	324.67	425.00	332.00	329.71	489.50	340.00
26.	**केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून**	400.00	250.00	220.00	350.00	310.00	308.67	450.00	400.00
27.	**भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल**								
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	200.00	197.00	137.46	225.00	95.00	91.86	420.00	200.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-मृदा एवं पादपों में माइक्रो सेकेण्डरी एवं प्रदूषण तत्व	150.00	140.00		150.00	199.00	197.44	200.00	200.00
2.	नेटवर्क -जैव उर्वरक	100.00	35.00	32.39	100.00	32.00		92.00	100.00
3.	अ.भा.स.अ.प.-फसल अनुक्रिया के साथ मृदा परीक्षण	200.00	200.00	179.92	200.00	195.00	188.85	195.00	210.00
4.	अ.भा.स.अ.प.-दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	85.00	95.00	154.62	85.00	142.00	139.65	98.00	100.00
28.	**केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल**								
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	300.00	100.00	90.00	325.00	226.68	226.67	38.00	205.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-लवण प्रभावित मृदा और लवणीय जल का कृषि में उपयोग	150.00	220.00	204.96	150.00	175.00	175.00	175.00	175.00
29.	**पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना**								
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना	500.00	250.00	199.59	500.00	289.00	287.49	500.00	500.00
1.	एन.आर.सी.-मखाना, दरभंगा				बागवानी में				
30.	**पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर**								
	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर	250.00	165.00	134.27	265.00	102.00	97.81	200.00	150.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-जल प्रबंध अनुसंधान, भुवनेश्वर	460.00	510.00	508.52	460.00	460.00	460.00	530.00	450.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-भूजल उपयोग, भुवनेश्वर	100.00	100.00	59.58	100.00	89.71	89.71	145.00	145.00
31.	**केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद**								
	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान हैदाराबाद	175.00	165.00	101.49	185.00	195.00	183.18	300.00	215.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-बारानी कृषि, हैदराबाद	500.00	850.00	950.00	500.00	610.00	610.00	665.00	860.00
2.	अ.भा.स.अ.प.-कृषि मौसम विज्ञान, हैदराबाद	170.00	190.00	190.00	170.00	234.00	234.00	230.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	नेटवर्क-भारतीय कृषि पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव, अंगीकरण और महत्व		नई		नई			163.05	163.00
32.	**केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर**								
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	250.00	100.00	88.00	250.00	190.00	189.95	300.00	248.00
1.	नेटवर्क परियोजना-रोडेन्ट नियंत्रण								
33.	**फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम**								
	फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	200.00	130.00	165.87	200.00	128.00	128.00	270.00	265.00
1.	अ.भा.स.अ.प.-फसलीय प्रणाली अनुसंधान	520.00	800.00	1050.00	520.00	804.00	804.00	760.00	760.00
	नेटवर्क-जैविकी कृषि		नई	नई					
34.	**एन आर सी-खरपतवार विज्ञान, जबलपुर**								
	एन आर सी-खरपतवार विज्ञान, जबलपुर	145.00	145.00	128.00	145.00	145.00	128.17	266.95	267.00
1.	अ.भा.सं.अ.प.-खरपतवार नियंत्रण, जबलपुर	200.00	465.00	0.27	200.00	270.00	269.93	420.00	430.00
35.	**भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोवा**	125.00	90.00	89.75	125.00	205.00	204.97	360.00	262.00
36.	**उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ अ.प. अनुसंधान परिसर, बारापानी**								
	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बारापानी	450.00	500.00	493.36	600.00	600.00	597.45	800.00	800.00
1.	एन आर सी-याक								
2.	एन आर सी-मिथुन मेदजीफेमा, नागालैण्ड								
3.	एन आर सी-आर्किड, पैकयोंग, सिक्किम								
	एन आर सी-वानिकी (फसल विज्ञान के सं. 8 में दर्शायी गई)	170.00	150.00	125.98	170.00	110.00	109.99	245.00	160.00
	एन आई सी आर पी-वानिकी (फसल विज्ञान के सं. 8 में दर्शायी गई)	300.00	300.00	323.99	300.00	300.00	299.99	345.50	345.00
		–	23.00	7.22	–				
	कुल (एन आर एम)	6500.00	6550.00	5959.91	6700.00	6438.39	6352.49	9000.00	8100.00

IV. कृषि अभियांत्रिकी

37.	**केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल**								
	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल	295.00	225.00	188.18	285.00	287.00	284.93	256.50	258.00
1.	आर एन ए ई एम, भोपाल पर नेटवर्क योजना, भोपाल	12.50	12.50		12.50	12.50		12.50	7.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	एफ आई एम पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भोपाल	295.00	320.00	427.05	300.00	500.00	555.98	449.00	405.00
3.	कृषि में मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा पर अ.भा.स.अनु. परियोजना, (एच ई एस ए) भोपाल	80.00	80.00	79.95	80.00	73.00	72.99	114.31	93.00
4.	कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए ऊर्जा के पुनर्नवीकरण संसाधनों पर अ.भा.स.अनु. परियोजना	195.00	225.00	224.42	198.00	255.43	255.05	227.48	161.00
5.	पशु ऊर्जा के उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (यू.ए.ई.), भोपाल	87.50	92.00	90.74	91.50	92.07	92.08	104.22	89.00
38.	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना								
	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	340.00	167.00	134.62	335.00	130.00	129.62	371.00	320.00
1.	फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अनु. परियोजना	45.00	51.00	54.67	47.00	47.00	46.89	95.00	76.00
2.	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर अ.भा.स.अनु. परियोजना	295.00	321.50	299.51	299.00	299.00	290.68	833.84	677.00
3.	गुड़ एवं खांडसारी के संसाधन का रख-रखाव एवं भंडारण पर अ.भा.स.अनु. परियोजना	45.00	50.00	25.03	47.00	50.00	40.31	पी एच टी में	पी एच टी में
39.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	125.00	100.00	46.16	125.00	103.00	98.16	134.00	124.00
40.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई	220.00	206.00	172.91	215.00	225.00	224.91	255.15	235.00
41.	राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता	165.00	150.00	97.03	165.00	126.00	125.40	147.00	137.00
				1.17					
	कुल (कृषि अभियांत्रिकी)	2200.00	2000.00	1861.44	2200.00	2200.00	2216.91	3000.00	2582.00

V. पशु विज्ञान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल								
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	400.00	365.00	184.26	190.00	367.25	240.90	360.00	300.00
1.	पशु आनुवंशिकी संसाधन पर नेटवर्क करनाल		एन बी पी जी आर में	150.13	230.00	एन बी पी जी आर में	116.18	210.00	210.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	**राष्ट्रीय पुश जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र सहित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल**								
	राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र सहित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	700.00	700.00	640.02	750.00	711.90	712.15	825.00	700.00
1.	औद्योगिक कार्यों के लिए देशी दुग्ध उत्पाद की उन्नयन प्रक्रिया के लिए आर एंड डी सहायता पर नई योजना	150.00	150.00	52.36	180.00	150.00	105.99		
2.	डेयरी उद्योग पर आधारित समेकित ग्रामीण विकास की पायटल परियोजना		नई		नई		17.13	275.00	275.00
44.	**केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर, राजस्थान**								
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर, राजस्थान	475.00	385.00	385.00	430.00	375.00	374.82	400.00	300.00
1.	भेड़ सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम		90.00	71.43	110.00	100.00	100.27	280.00	200.00
45.	**केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र, मखदूम**								
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र, मखदूम	345.00	300.00	490.00	315.00	360.00	359.99	460.00	300.00
1.	बकरी सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	80.00	100.00	83.71	110.00	110.00	108.87	210.00	210.00
46.	**केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार**								
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	250.00	200.00	160.00	240.00	100.00	100.00	200.00	200.00
1.	भैंस सुधाद्ध पर नेटवर्क परियोजना	175.00	225.00	160.86	225.00	320.00	328.70	450.00	300.00
47.	**राष्ट्रीय पुश पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान**								
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	470.00	400.00	249.31	400.00	356.00	355.42	500.00	300.00
1.	पशु उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य संसाधन एवं पोषण उपयोग के सुधार पर अ.भा.स. अनु. परियोजना	250.00	210.00	378.72	290.00	258.00	277.47	335.00	255.00
48.	**राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर**	200.00	200.00	167.62	200.00	209.81	209.80	360.00	300.00
49.	**राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र हिसार**								
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (इसमें पशु चिकित्सा टाइप कल्चर भी शामिल है)	225.00	200.00	109.96	200.00	160.00	159.26	525.00	350.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	**पशु परियोजना निदेशालय**								
	पशु परियोजना निदेशालय	300.00	300.00	329.84	350.00	350.00	326.59	500.00	300.00
1.	पशु अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना		पीडी में	पीडी में	पीडी में	पीडी में		पीडी में	
51.	**खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय**	150.00	175.00	22.55	200.00	200.00	202.62	300.00	245.00
52.	**केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर**								
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	300.00	230.00	207.57	240.00	305.00	304.99	495.00	350.00
1.	मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	350.00	220.00	148.81	400.00	410.00	144.02	200.00	200.00
2.	मुर्गी पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना निदेशालय		175.00	211.25	in PD	in PD	280.82	355.00	355.00
53.	**भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर**								
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	875.00	800.00	797.99	825.00	825.00	1084.39	1250.00	1100.00
1.	गैस्ट्रों इंटेस्टाइनल पैरोसिटिज्म (जी आई पी) पर नेटवर्क	200.00	225.00	84.71	280.00	280.00	135.97	275.00	275.00
2.	हैम्रेजिक सेप्टसेमिया पर नेटवर्क	जीआईपी में		52.65	जीआईपी में	80	81.98	जीआईपी में	जीआईपी में
3.	नीली जीभ रोग पर नेटवर्क कार्यक्रम	जीआईपी में		63.96	जीआईपी में	70	75.74	जीआईपी में	जीआईपी में
4.	पशु रोग मॉनीटरिंग और सर्वेक्षण पर परियोजना निदेशालय	200.00	200.00	147.37	200.00	59.75	75.08	390.00	390.00
	उच्च सुरक्षा पशु रोग	300.00	275.00	193.96	275.00	275.00			
54.	**राष्ट्रीय मांग एवं मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद**	275.00	175.00	52.61	200.00	226.00	226.00	400.00	150.00
55.	**राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र**								
	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र	330.00	200.00	41.96	210.00	340.00	57.15	180.00	180.00
1.	सूअर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना		100.00	11.45	130.00	एनआरसी में	10.65	290.00	260.00
	एन आर सी-मिथुन (एन आर एम में दर्शायी गई)	250.00	250.00	84.55	220.00	191.00	190.89	210.00	210.00
	एन आर सी-यॉक (एन आर एम में दर्शायी गई)	250.00	250.00	243.87	300.00	270.00	260.56	285.00	285.00
				-5.27					
	कुल (पशु विज्ञान)	7500.00	7100.00	5973.21	7700.00	7289.71	7024.38	10500.00	8500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VI. मात्स्यिकी								
56.	**केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन**								
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन	325.00	325.00	309.98	380.00	333.00	333.00	577.00	404.00
1.	केन्द्रीय खारा जल जन्तु पालन संस्थान, चेन्नई	225.00	222.12	97.50	250.00	240.04	247.76	269.00	264.00
57.	**केन्द्रीय अन्त:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर**								
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	400.00	400.00	289.70	440.00	465.00	465.03	408.00	408.00
1.	राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, नैनीताल	263.00	263.00	101.78	220.00	93.00	90.71	223.00	181.00
58.	**केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन**	330.00	332.00	246.23	350.00	348.00	347.93	550.00	523.00
59.	**केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई**	697.00	797.88	1287.72	860.00	1041.00	1087.41	1041.00	798.00
60.	**केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर**	260.00	260.00	165.39	285.00	281.50	281.10	490.00	480.00
61.	**राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ**	200.00	200.00	168.67	215.00	188.50	188.41	442.00	442.00
	कुल (मात्स्यिकी)	**2700.00**	**2800.00**	**2666.97**	**3000.00**	**2990.04**	**3041.36**	**4000.00**	**3500.00**
	VII. कृषि सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र								
62.	**भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली**								
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	200.00	200.00	134.49	200.00	88.53	88.52	250.00	200.00
1.	राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	100.00	50.00	39.70	50.00	49.55	48.23	250.00	200.00
	कुल (ई एस एम)	300.00	250.00	174.19	250.00	138.08	136.75	500.00	400.00
	VIII. कृषि विस्तार								
63.	**कृषि विज्ञान केन्द्र (नए + पुराने)**	9465.86	8983.75	8866.59	9350.00	9342.80	8911.58	16730.00	16318.00
64.	**कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर**	384.14	366.25	153.90	200.00	200.00	198.21	170.00	137.00
65.	**कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा)**	150.00	150.00	23.15	50.00	24.00	23.96	100.00	45.00
	कुल (कृषि विस्तार)	**10000.00**	**9500.00**	**9043.64**	**9600.00**	**9566.80**	**9133.76**	**17000.00**	**16500.00**
	IX. कृषि शिक्षा								
66.	**कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण**								
	कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण			6094.00					
	गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	333.00	563.00		250.00	435.00	414.82	350.00	350.00
	राज्य कृषि विश्वविद्यालय का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	5490.00	5020.44		5770.00	5972.00	5938.19	9145.00	8445.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मानद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	185.00	210.97		250.00	246.00	244.15	300.00	234.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	130.00	99.52		90.00	87.00	85.00	150.00	150.00
	ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव (आर ए डब्ल्यू ई)	250.00	316.69		120.00	185.34	183.19	300.00	230.00
	सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार	5.00	5.00		5.00	3.45	2.92	5.00	1.00
	प्रत्यायन बोर्ड	50.00	5.00		40.00	2.50	2.05	10.00	5.00
	विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना	15.00	10.00		15.00	2.50	2.20	10.00	5.00
	इमेरिट्स विज्ञान योजना	60.00	58.00		75.00	56.21	55.86	130.00	80.00
	एडवांस अध्ययन केन्द्र	200.00	125.00		235.00	160.00	157.89	300.00	250.00
	जम्मू विश्वविद्यालय की स्थापना	200.00	94.38						
	उत्कृष्टता केन्द्र	32.00	32.00	22.79			-0.13		
	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद								
67.	**केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल**	250.00	250.00	227.73	250.00	238.00	198.73	300.00	150.00
	कुल (कृषि शिक्षा)	7200.00	6790.00	6344.52	7400.00	7388.00	7284.87	11000.00	9900.00
	10. कृषि विश्वविद्यालय								
68.	**केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल**								
	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	2300.00	3300.00		2500.00	1715.00	1760.93	3829.00	3829.00
1.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	50.00	50.00		50.00	47.66	47.65	50.00	50.00
	कुल (सी ए यू + डेयर)	2350.00	3350.00	1822.00	2550.00	1762.66	1808.58	3879.00	3879.00
	11. भा. कृ. अ. प. मुख्यालय								
69.	**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण**								
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण				20.00				
	कार्यालय स्थान और सुविधाओं का आधुनिकीकरण			67.35			226.15	200.00	60.00
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुस्तकालय						5.80		
	प्रचार एवं जनसंपर्क	90.00	40.00	28.33	40.00		31.03	70.00	40.00
	बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.)	30.00	27.00	0.87	20.00		2.26	70.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	एन.ए.ए.एस. सहित प्रो. सो. को सहायता	220.00	195.00		200.00			160.00	160.00
	कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड	10.00			10.00				
	एन.ए.एस.सी. पर सुविधाओं सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय	600.00	188.00						
	कुल (मुख्यालय)	950.00	450.00	96.55	500.00	268.00	265.24	500.00	300.00
	नौंवी योजना की समाप्त की गई स्कीमें + मार्गस्थ + एकमुश्त अनुदान राष्ट्रीय रणनीति अनुसंधान बोर्ड								
	कुल (डी बी एस)						55707.99	85879.00	76617.00
	XII. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं								
70.	**राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (विश्व बैंक)**	15350.00	15360.00	16570.08	18400.00	17012.00	14385.41	14000.00	13200.00
71.	**इण्डो-फ्रेंच प्रस्ताव पर सीबास प्रजनन और पालन, चेन्नई**	50.00	50.00	41.52	100.00	100.00	84.62	121.00	121.00
72.	**राष्ट्रीय रणनीति अनुसंधान बोर्ड**	(कार्यान्वित किया जाना बाकी है)							
	मार्गस्थ परियोजनाएं/नई पहलों के लिए एक मुश्त राशि की आवश्यकता उ.पू.प. क्षेत्र के लिए आधिक्य राशि (बागवानी से 43.98 लाख रु. तथा अभियांत्रिकी से 18 लाख रु.)	3500.00							61.98
	कुल योग (I से XII)	77500.00	72500.00	68056.04	77500.00	74153.47	70178.02	100000.00	90000.00
	एक मुश्त कैचअप अनुदान							4211.00	

विवरण II

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की उपलब्धियां

फसल विज्ञान

पादप आनुवंशिक संसाधन

* कुल 37 अन्वेषण मिशन किए गए और 1,598 प्रविष्टियां संकलित की गई।
* लगभग 14,000 प्रविष्टियों का आकृति और जैव-विज्ञानिक परीक्षणों के लिए मूल्यांकन किया गया।
* राष्ट्रीय जीन बैंक में कुल 34,994 प्रविष्टियां बढ़ाई गई (बीज जीन बैंक-34,374 प्रविष्टियां) क्रायोजीन बैंक-480 प्रविष्टियां तथा यथा स्थान जीन बैंक 90 प्रविष्टियां।
* परीक्षण सामग्री और जननद्रव्य वंशक्रमों सहित कुल 19,782 प्रविष्टियों (43,300 नमूने) का विनिमय (19,645 आयातित तथा 117 निर्यात) किया गया तथा संगरोध निपटान के लिए संसाधित किया गया।
* विभिन्न फसल सुधार कार्यक्रमों में उपयोग हेतु देशी सक्रिय संकलनों की 4,863 प्रविष्टियां प्रजनकों और अन्य पीजीआर अनुसंधानकर्त्ताओं को दी गई।
* पी जी आर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
* अनुक्रम टैग्ड माइक्रोसेटेलाइट्स (एस टी एम एस) फिंगर प्रिंटिंग इस प्रकार की गई-चावल (164 प्रविष्टियां), गेहूं

(69 प्रविष्टियां), कपास (60 प्रविष्टियां), फ्रेंच बीन (22 प्रविष्टियां), सोयाबीन (32 प्रविष्टियां), बैंगन (96 प्रविष्टियां) तथा ब्रैसिका (80 प्रविष्टियां)।

* ऐंप्लिफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पौलिमौफिज्म (एफ एल पी) तथा इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट प्रोफाइलिंग का कार्य फिंगरमिटल (94 प्रविष्टियां), मटर (38 प्रविष्टियां), बैंगन (48 प्रविष्टियां), प्लैंटैगो (50 प्रविष्टियां) तथा वेटिवर (25 किस्में) में पूरा किया गया।

* बीज सामग्री में पराजीनी वंशक्रमों के निर्धारण के लिए प्राइमर डिजाइन किए गए।

* क्री अनुक्रम के लिए विशिष्ट परीक्षण विधि का उपयोग करते हुए कपास, गेहूं और चावल पराजीनी वंशक्रमों में टर्मिनेटर जीन परीक्षण किया गया।

खाद्य फसलें

* चावल में 19 किस्में और एक संकर जारी की गई। चावल की नई किस्मों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक व तमिलनाडु के उथली निचली भूमियों के लिए धनराशि, आँध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों के लिए एक संकर आर एच-204 जारी की गई।

* विभिन्न कृषि पारिस्थतिकीय क्षेत्रों के लिए गेहूं की 11 किस्में जारी की गईं जैसे-वी एल-832, पी वी डब्ल्यू-502, एच डी-2824, राज-403, एन डब्ल्यू-2036, डी बी डब्ल्यू-14, एच एस-420 (शिवालिका), एच एस-375, एच आई-1500, एम पी-4010 तथा वी एल-829।

* मक्के की 11 किस्में-प्रताप कम्पोजिट, पूसा, जल्दी तैयार होने वाली संकर-5, प्रगति, डेकन सकर 115, बी एच-2187, पीआर ओ-345, जे के एम एच-68-2, बायो-9682, प्रताप मक्का, विवेक कौम्प जारी की गई। डी एस एच-4 (एस बी-401 ए X एस पी वी 570), रबी के मौसम की ज्वार की एक संकर जारी की गई और उत्तर कर्नाटक में खेती के लिए संस्तुत की गई।

* राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की चार संकर किस्मों का पता लगाया गया और उन्हें जारी किया गया तथा राज्य स्तर पर 5 परागति किस्में और संकर जारी की गई।

* फौक्स मिलट की एस आर-51 किस्म राजस्थान में खेती के लिए अधिसूचित की गई, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए प्रौसो-मिलट किस्म जी पी यू-21 का पता लगाया गया।

* मूंग, मटर और राजमा व मसूर की 5 उन्नत किस्मों का पता लगाया गया।

* संकर प्रजनन कार्यक्रम में प्रयोग के लिए अरहर के 7 वंशक्रम सी जी एम एस पृष्ठभूमि में परिवर्तित किए गए।

* चना (5), अरहर (12), मूंग (1) और उड़द (10) का उत्कृष्ट वंशक्रमों का पता लगाया गया जो विशेष रोगों/सूत्रकृमी की प्रतिरोधी है।

* चना और अरहर में आनुवंशिकी परिवर्तक संसाधित बार (मार्कर जीन) और बीटी (क्राई-1 ए बी, क्राई-1 ए ए) का पृथक्करण, विशेषकरण और पुष्टिकरण किया गया।

* चावल-गेहूं प्रणाली में गेहूं के बाद उत्पादक और आर्थिक लाभ देने वाली फसल के रूप में मूंग की सम्राट किस्म (55-60 दिन) को उपयुक्त पाया गया।

व्यावसायिक फसलें

* कपास में महाराष्ट्र के लिए पी के वी एच वाई-5 (इंट्रा-हिर्सुटम) तथा पी के वी डी एच। (इंट्रा अर्बोरियम) नामक दो संकर, परभनी तुरब (पी ए-255) (जी. अर्बोरियम) तथा एन एच-545 (जी. हिर्सुटम) नामक दो परागित किस्में अधिसूचित की गई। राजस्थान में बांसवाड़ा और आंध्र प्रदेश में खेती के लिए क्रमशः मुक्त परागित किस्में प्रताप कपि-1 (आरबीडीवी-1 तथा वीना किस्में अधिसूचित की गई।

* अच्छी उपज, रेशे की लम्बाई और बेहतर ओटाई के लिए उन्नत/इलाइट जीनोटाइप का पता लगाया गया जिसमें जी. हिर्सुटम में आई सी-336182, पी एस बी सी टी-8, यू पी एल सी-2, पी सी बी सी टी-10, एन एम-970513 तथा जी. अर्बोरियम में सी आई एन ए-316, 318, 343 और 344 शामिल की गई।

* उपजाऊं भूमि में उगाई जाने वाली कपास में लम्बे रेशे के लिए 8 जीनोटाइप, मजबूत रेशे वाले 5, बेहतर ओटाई योग्य-16 जीनोटाइपों का पता लगाया गया।

* केन्द्रीय अंचल में हेलोकोवर्पा के लिए पूर्वानुमान करने वाला नमूना विकसित किया गया है और उसे वैधित किया गया।

* कीटनाशी दवाओं की गुणवत्ता देखने और उनमें एच. आर्मिगेरा प्रतिरोधिता देखने व मॉनीटरन करने के लिए इम्यूनोक्रोमैटोग्राफी और एलिसा किट विकसित किए गए।

* गन्ने में, उत्तर पश्चिमी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में खेती के लिए सी ओ एस-94270 (स्वेटा) किस्म का पता लगाया गया।

* गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर के तीन अनुसंधान केन्द्रों से विभिन्न परिपक्व होने वाली अवधि की 24 उन्नत किस्में-कोयम्बटूर (शीघ्र परिपक्व होने वाली-5, मध्यम अवधि वाली-12), मोतीपुर (शीघ्र तैयार होने वाली-3, मध्यम अवधि वाली-2) तथा करनाल (शीघ्र तैयार होने वाली-1, मध्यम अवधि वाली-1) में विकसित की गई।

* एफ वाई एम आधारित कैरियर 10^8-कालोनी बनाने वाले यूनिटों (सी एफ यू) में ग्लूकोनैकेटोबैक्टर डाइएजोट्रॉफिक्स (ए डी आई एस-100) मिलाकर एक जैव-उर्वरक तैयार किया गया तथा प्रगति ग्राम के हिसाब से उसका मानकीकरण किया गया है।

* तम्बाकू में, उत्तरी बंगाल क्षेत्र में खेती के लिए एक चामा टाइप उच्च उपज देने वाली, बेहतर गुणवत्ता वाला जाति तम्बाकू की किस्म ''मनासि'' जारी की गई।

* एनएलएस स्थितियों में तम्बाकू के संकरों से अच्छी पत्ती वाली बेहतर उपज लेने के लिए पहले ली जाने वाली फसलों में काला चना, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें उत्तम पाई गई।

* आईपीएम वाले भूखंडों में किसानों द्वारा फसल संरक्षण विधि की तुलना में कीट-रोगों का प्रकोप कम रहा।

* निपानी स्थितियों के अंतर्गत खरीफ में सोयाबीन वाली फसल पद्धति और रबी के मौसम में ज्वर वाली फसल पद्धति से सबसे अधिक शुद्ध प्राप्ति रिकार्ड की गई। मूंगफली-रबी ज्वार पद्धति द्वितीय सर्वोत्तम पद्धति पाई गई।

* पटसन और संबद्ध रेशों में चार उन्नत वंशक्रम जैसे टौसा पटसन-एस-19 (सुभाला), सन्हेम्प एस एच-4 (सैलेश), केनफ एम टी-150 (निर्मल) तथा स्वाइट जूट-सी-80 (मिताली) की व्यावसायिक रूप से जारी करने हेतु पहचान की गई।

* महाराष्ट्र गोवा और तमिलनाडु के अपारम्परिक क्षेत्रों में रेशों संबंधी उपज के लिए रैमि पौध रोपण करना।

* रैमि रेशा डिगम्मिंग की कम लागत वाली पर्यावरणानुकूल हरित प्रौद्योगिकी हेतु नयाचार।

* जूट की रेटिंग के लिए कम लागत वाली पर्यावरणानुकूल व कम समय लेने वाली प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक उपयोग हेतु मानकीकरण किया गया है।

* पटसन संबंधी फसल अनुक्रमण में कीट व्याधियों के प्रबंध हेतु आई पी एम मॉड्ययूलों का मानकीकरण किया गया और किसानों के खेतों पर उन्हें वैधित किया गया।

तिलहन

* देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अरंडी की एक संकर और अन्य तिलहनों की 15 उन्नत किस्मों की पहचान की गई जैसे सूरजमुखी (1), कुसुम (1), सरसों (3), गोभी सरसों (1), मूंगफली (5), सोयाबीन (1) तथा रामतिल (3)।

* सूरजमुखी के 9 नये संकर तथा भारतीय सरसों में 6 प्रायोगिक संकरों की उन्नत किस्मों के रूप में पहचान की गई।

* तिलहना फसलों में फ्यूजैरियम विल्ट, बौटाइट्रिस ग्रेरौट, सफेद रतुआ, चूर्णक फफूंद, स्क्लेराटिनिया व स्टैगहेड फॉर्मेशन की प्रतिरोधिता के लिए प्रजनन वंशक्रम/डोनरों की पहचान की गई।

* लेपिडोप्टेरन नाशक कीटों के प्रति उपयोग हेतु सी आर वाई/ए सी जीन प्रोमोटर के माध्यम से प्राप्त किए गए।

पादप जैव-प्रौद्योगिकी

* जीनों व प्रोमोटरों के एक सेट का क्लोन बनाने में सफलता मिली है जिनमें शामिल हैं-(1) लेंटिल से लेक्टिन जीन, (2) मृदा बैक्टेरियम बैसिल्स थ्रिंगिंसिस के नेटिव स्ट्रेनों से नये बीटी (सी आर वाई) जीन, (3) भारतीय पिपरमेंट से बी-फर्नैसेंस सिंथनेस जीन, (4) सूक्ष्म किरणों के उपयोग से फल पकने संबंधी सी डी एन ए, (5) गेहूं से ऐस्कोर्बेट परऑक्सिडेज जीन, (6) गेहूं के लिए अजैविक दबाव बनाकर ट्रांसक्रिप्शन घटक तथा (7) लोबिया से एक प्रॉटीज इंट्रिबिटर जीन हेतु प्रमोटर।

* सी आई वाई 2 ए ए तथा सी आर वाई-1 एफ डेल्टा-इंडोटॉक्सिन बैसिलस थरिंगिंसिस के इनकोडिंग से क्रमशः दो सिंथेटिक जीन निर्मित किए गए। ये दोनों जीन क्रमशः कपास के बॉलवर्म (हेलिकोवर्पा ऐर्मिगेरा) तथा तम्बाकू परजीनी में तम्बाकू के कैटर पिल्लर (स्पौडोप्टेरा लिटुरा) के प्रति कारगर पाए गए।

* जिनके पराजीनी विकसित किए गए तथा मूल्यांकन किया गया उसमें शामिल हैं-(1) सी ए एम वी 355 प्रमोटर के अंतर्गत सिंथेटिक सी आर वाई आई, ए सी जीन वाला

पराजीनी अरहर, (2) औस्मौटिन जीन के प्रयोग से पराजीनी भारतीय सरसों तथा (3) औस्मौटिन जीन के प्रयोग से पराजीनी टमाटर।

* खेत में इंडिका चावल की किस्म आई आर-64 के दो जीन पराजीनियों का परीक्षण किया गया तथा कुछ वंशक्रमों में पीले तना छेदक कीट के सामान्य प्रकोप की अच्छी प्रतिरोधिता दिखाई दी है व इनकी पहचान की गई।

* स्पोडोप्टेरा लिटुरा (तम्बाकू का कैटर पिलर) के पहले छोटे लार्वा पर कीट बायोऐस्सेज के प्रयोग में पता लगा कि यह तम्बाकू पराजीनी में बीटी जीन वी आई पी-3 ए ए-14 की कीटनाशी दवाओं संबंधी कार्यकलापों में महत्वपूर्ण होता है।

* 57 बड़े क्लोनयुक्त (1 पी ए सी, 54 बी ए सी तथा 2 फौस्मिड) चावल के क्रोमोसोम 11 क्षेत्र का डी एन ए अनुक्रमण का कार्य पूरा किया गया और एकल कंटिग्स में अनुक्रमणिकाएं एकत्र की गई। ये डी एन ए अनुक्रमणिकाएं बहुत ही बढ़िया हैं और इनमें कोई बड़ा दोष नहीं है। इनमें से 48 क्लोनों के लिए जीनों का पूर्वानुमान किया गया है तथा सभी क्लोनों में एकदम समान धनत्व वाले जीन पाए गए।

* ई एस टी तथा माइक्रोसेटेलाइट मार्करों के पृथक्करण के लिए गन्ने के जीनोमिक तथा सी डी एन ए लाइब्रेरियां निर्मित की गई। इसके अतिरिक्त, जन अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध 4773 ई एस टी आधारित समजीनों से 435 माइक्रोसेटेलाइट मार्कर विकसित किए गए।

* आण्विक मार्कर के संयोग वाले चयन द्वारा बासमती गुणवत्ता परीक्षणों में दो बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधिता वाले जीनों एक्स ए 13 तथा ए-21 के साथ संयोजित किया गया। दो उन्नत वंशक्रमों का चयन किया गया तथा उन्हें बहु-स्थानीय मूल्यांकन हेतु अखिल भारतीय समन्वित परीक्षण में शामिल किया गया।

* सी ए पी एस तथा एस टी एम एस मार्करों के प्रयोग से चावल में ब्लास्ट प्रतिरोधिता के लिए पी आई के एच की आण्विक टैगिंग की गई।

* सरसों की जंगली प्रजातियों मौरिकैंडिया ऐवेंन्सिस पर आधारित वंशक्रम में नर-बंध्यता उर्वरता नियमन हेतु जीन के साथ ए एफ एल पी मार्कर संयोजित किया गया तथा इसकी पहचान की गई।

* ब्रैसिका ज्यूंसी का एक नया वंशक्रम जंगली प्रजाति डिप्लोटैक्सिस इरुकोइड्स के साइटोप्लाज्म के आधार पर विकसित किया गया। यह नर-बंध्यता वंशक्रम मिटोकौड्रिया के ए टी पी ए जीन के परिवर्तित प्रतिरूप सहित पाया गया।

राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसल)

* अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान बीज परियोजना (फसल) का विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में एक नेटवर्क है जिसमें 35 प्रजनक बीज उत्पादन यूनिट तथा 22 बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान यूनिट हैं।

* इस परियोजना की हाल ही के वर्षों में हुई प्रगति और विश्व व्यापार के युग में बीज के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद ने दसवीं योजना में इस परियोजना को निदेशालय के स्तर तक बढ़ा दिया है और इसका नाम बीज अनुसंधान निदेशालय कर दिया है। वर्ष 2004-05 में इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

* प्रजनक बीज उत्पादन: कुल 4021.38 टन प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया, जिसमें सर्वाधिक मात्रा तिलहन (1811.57) तथा अनाज (1469.54 टन) तथा इसके बाद दलहन (674.58), चारा (38.57 टन) व रेशा फसलें (27.12 टन) रहा। इसके अलावा, राज्य वित्तीय स्तरीय किस्मों की मांग के आधार पर अतिरिक्त प्रजनक बीज भी उत्पादित किए गए।

* बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान: गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, अरंडी तथा कपास जैसी प्रमुख 14 फील्ड फसलों का रूपात्मक विशिष्टीकरण, रासायनिक परीक्षणों और इलेक्ट्रोफौरैसिस के आधार पर किस्म विशिष्टीकरण संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। पी पी वी तथा एफ आर विधान के अंतर्गत बढ़िया उत्पादन और डी यू एस परीक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिपादित सूचना अत्यधिक उपयोगी और लाभकारी रहेगी। इन फसलों में से अधिकांश के संबंध में मैनुअल प्रकाशित किए गए और उन्हें उपयोगकत्ताओं व फसल प्रजनकों में वितरित किया गया। शेष फसलों के बारे में कार्य/प्रकाशन पूरा होने वाला है। इस परियोजना की अन्य उपलब्धियां संकर बीज उत्पादन का अर्थशास्त्र, संग्रहण, बीज सुरक्षा और संसाधित करने के कार्य हैं।

बागवानी

फसल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न फसलों की 28 किस्में उपज और गुणवत्ता में बेहतर पायी गई। केले में तमिलनाडु के कोडईकैनाल पहाड़ी से इन्सेट की एक ई प्रजाति तथा पश्चिमी घाट के अनैमलाई पहाड़ी से म्यूसा ऐक्युमिनैटा की नई उप-जातियां संकलित की गई और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व उत्तर पूर्वी राज्यों से 138 प्रविष्टियां संकलित की गई। 61 विदेशी संकलन भी जमा किए गए। आम, नागपुरी संतरे और अनार में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मानकीकरण किया गया। फलोत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग पलवार के साथ करने पर उपयुक्त पाया गया तथा अनार व अंगूर में जल उपयोग क्षमता उपयुक्त रही। प्रमुख कीट व्याधियों के प्रबंध के लिए आम, केला, नीम्बू वर्गीय फलों और अंगूर में जैव एजेंटों सहित आई पी एम शुरू किया गया। आम के फलों को माइक्रोपरफौरेटेड पोलिथीन अथवा पोलिप्रौपिलीन फिल्मों में अलग-अलग पैकिंग करने से 8 डिग्री से. तापमान पर इसकी संग्रहण क्षमता 30 दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

नारियल और कोकोआ में आर ए पी डी, ए एल एफ पी तथा माइक्रोसेटेलाइट मार्करों का प्रयोग करते हुए आनुवंशिकी विविधता के आण्विक विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचना मिली है। नारियल और सुपारी के पौधों के लिए रोगमुक्त पौधों के व्यापक उत्पादन हेतु ऊत्तक संवर्धन नयाचारों का मानकीकरण किया गया। उच्च मूल्य वाले औषधीय नकदी व शोभाकारी पौधे मुख्य भूमि, उप-हिमालयन तराई क्षेत्र और लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए पाम आधारित बागों में उपयुक्त अंत:फसल के रूप में खेती करने के अच्छे परिणाम रहे हैं। एकीकृत कीट-व्याधि प्रबंधन प्रौद्योगिकियां किसानों के लिए अनुकूल पैकेज के रूप में सफल सिद्ध हुई हैं। पाम में सूखा सहिष्णुता संबंधी और सूखा प्रबंध कार्यों में कायिक और आण्विक निर्धारकों के लिए पूरे प्रयास किए गए। नारियल के उत्पादों के लिए बहु-जिन्स ड्रायरों, पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों की संरचना, सुपारी के क्षारोदों का दवाओं में उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, आर्थिक विश्लेषण रोपण फसलों के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय डिजाइन विकसित किए गए। उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे-पाम अपशिष्टों में वर्मिकम्पोस्ट और खुम्भी उत्पादन, नारियल चिप्स और स्लोबॉल टेंडरनल उत्पादन के अलावा नारियल से कई अन्य खाद्य उत्पाद किए जाने के कार्य भी किए गए, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केन्द्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता लगा कि जननद्रव संकलन संबंधी लगभग 6943 कुल प्रविष्टयों में 12 प्रजातियों का संकलन शामिल किया गया। विभिन्न मसाला फसलों में प्रमुख कीट-व्याधियों की प्रतिरोधिता वाली 58 प्रविष्टियों की पहचान भी की गई। बीज मसालों में वाष्पशील तेल के संदर्भ में गुणवत्ता मूल्यांकन से अत्यधिक चमत्कारिक गुणवत्ता युक्त प्रविष्टियां की गई। बीज मसालों में जीरे की आर जेड-223, मेथी की आर एम टी-305, धनिये की हिसार-सुरभि, सौंफ की गुज-फेंनल-II जैसी 6 नई किस्मों की जारी करने हेतु पहचान की गई। कम ऊंचाई वाले स्थानों के लिए उपयुक्त दालचीनी की पी पी आई (सी)-1 नई किस्म, जो अच्छी उपज देने वाली है, जारी की गई। मेथी की 780 कि.ग्रा./है. उपज स्तर की एक जीनोटाइप आर एम-5/90 की पहचान की गई, जो बिहार के असिंचित क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। इलायची की अच्छी उपज देने वाली क्लोन सी एल-692 की पहचान की गई जिसका फार्म मूल्यांकन किया जा रहा है। जीरे में संकरण सफल पाया गया। अधिकांश मसाला फसलों में अजैविक नाइट्रोजन और एफ वाई एम के साथ ऐजोस्प्रिलियम के संयोजन का प्रयोग करने से उपज में वृद्धि होती है। अदरक और धनिये में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका से उपज में वृद्धि होती है, यह सुनिश्चित किया गया। काली मिर्च के पौधों की कलमें धूपयुक्त मिट्टी में लगाने तथा त्रिकोडर्मो हर्जिएनम व वी ए एम का प्रयोग करने से फइटोफ्थोरा रोग का प्रकोप कम होता है और कलमों में अंकुरण बढ़ जाता है। काली मिर्च में फाइटोफ्थोरा के नियंत्रण के लिए मेटालैक्सी गोल्ड एम जेड तथा ट्रिकोडर्मा हैर्जिएनम मिलाकर उपयोग करने से बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया। इलायची में कार्बोफ्यूरन (100 ग्राम पौधा-1) का उपयोग और उसके बाद इमिडैक्लोप्रिड (0.5 मि.ग्रा./लि.) प्रयोग रूट ग्रव के प्रकोप को रोकने में कारगर सिद्ध हुआ। अदरक में राइजोम रॉट रोग को कम करने के लिए गर्म पानी में बीज राइजोम का उपचार + टी. हैर्जिएनम व नीम की खली का उपयोग लाभकारी रहा। अदरक और हल्दी की पत्तियों के राइजोम रॉट हल्दी में लीफ ब्लॉच, धनिया मुरझान रोग के लिए प्रबंध प्रौद्योगिकियां विकसित की गई। रोग प्रकोप को कम करने के लिए अदरक और हल्दी के लिए दो वर्षीय नियमन कार्यक्रम संस्तुत किया गया।

प्ररोह कलियों को ऐक्सप्लांट के रूप में प्रयोग करने से ऐलोई का बड़े पैमाने पर सम्वर्धन करने हेतु एक ऊत्तक सम्वर्धन विधि विकसित की गई। सघन, सामान्य और सूक्ष्म पर्णिलों जैसे तीन मॉर्फोटाइपों की पहचान की गई। सफेद मुसली के दो वंशक्रमों (एन आर सी सी बी-1 तथा एन आर सी सी बी-2) की पहचान की गई तथा क्लोनल चयन द्वारा उन्हें विकसित किया गया। इन वंशक्रमों का सम्वर्धन किया जा रहा है। सफेद मुसली के लिए दोहरी कतार वाली क्यारी प्रणाली सबसे उपयुक्त पायी गई, जो रिज व फरो विधि और तिहरी कतार वाली क्यारियों के पौधरोपण प्रणाली की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

* जिला स्तर पर परिप्रेक्ष्य भूमि उपयोग नियोजन हेतु मृदा संसाधन मानचित्रण विकसित किया गया।

* भूमि उपयोग नियोजन के लिए बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा की मृदा श्रृंखलाओं को अंतिम रूप दिया गया।

* पटना में बीरांचक गांव के आस-पास जलजीव पालन आधारित फार्मिंग प्रणाली, भागीदारी तरीके से विकसित की गई।

* शून्य जुताई प्रणाली गेहूं के बाद चावल के अलावा कई शीतकालीन फसलों के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हुई है। न्यूनतम जुताई से फसल अपशिष्ट पलवार वास्तविक रूप से रन ऑफ (14 प्रतिशत) और मृदा हानि (35 प्रतिशत) कम रही है।

* प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में जल कटाव के कारण मृदा क्षति प्रतिवर्ष 5 से 40 टन/है. रही। गोवा के समुद्र तट पर काजू के पौधों की वृद्धि जैव-इंजीनियरिंग उपायों के अंतर्गत वानस्पतिक बैरियर की अपेक्षा बेहतर रही।

* उड़ीसा में पूर्वी घाटों के कम उपजाऊ टीलों पर गड्ढों में स्टाईलों-सैन्थेस हमाटा (फलीयुक्त चारा) के साथ अमरूद के वृक्षारोपण से फल घटक का निष्पादन बेहतर रहा।

* चावल-गेहूं प्रणाली में सल्फिटेशन (एस पी एम) और उप औप्टिमल उर्वरक एन पी के सहित एफ वाई एम के प्रयोग से एकीकृत पोषण प्रबंधन से वार्षिक उतपादकता में वृद्धि हुई है।

* तिलहनों में मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रयोग संबंधी उपयोगिता को प्रदर्शित करने के प्रयोजन से किसानों के खेतों पर अग्रवर्ती प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

* टमाटर व बैंगन में एकीकृत पोषण प्रबंध से 25 प्रतिशत एन पी उर्वरक की बचत की जा सकती है।

* लिग्नाइट और वर्मिक्यूलाइट कैरियर आधारित सम्वर्धनों में ह्यूमिक एसिड (2 प्रतिशत) के साथ प्रयोग करने से जैव-उर्वरक संग्रहण क्षमता में सुधार आया है।

* सोयाबीन-गेहूं फसल प्रणाली के एकीकृत पौध पोषण आपूर्ति वाले मॉडल का मानकीकरण किया गया।

* खेती के योग्य बनाई गई क्षारीय मृदा संबंधी निकासी वाले गंदले पानी के उपयोग संबंधी प्रदर्शन किए गए।

* *वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए देर से मानसून आने की स्थिति में कारगर फसल रोपण प्रणाली शुरू की गई।*

* चावल-आलू-गेहूं प्रणाली चावल-गेहूं प्रणाली से ज्यादा आर्थिक लाभ देने वाली पायी गई।

* जबलपुर, मध्य प्रदेश में गेहूं में बुआई के बाद क्लौडिनैफैप (टी ओ पी आई सी) का 60 ग्रा./है. 3-4 सप्ताह के हिसाब से अंकुरण के बाद एक बार उपयोग करने से जंगली ओट का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है।

* शुष्क क्षेत्र में हर्बल फार्मिंग के लिए 131 प्रजाति के पौधों की पहचान की गई है, जिसमें हर्ब (37.2 प्रतिशत), शर्ब (22.1 प्रतिशत) और वृक्ष (19.9 प्रतिशत) शामिल है।

* प्याज में कम लागत से खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण के लिए अंकुरण से पूर्व 1.0 कि.ग्रा./है. के हिसाब से पैंडिमेथालिन के छिड़काव और पौध लगाने के 30 दिन बाद बालू मिश्रित करना उपयुक्त सिद्ध हुआ।

* सोडिक मिट्टी में सिट्रोनेला मैरिटिनी (पामैरोजा) एक उपयुक्त सगन्ध पौधा पाया गया।

* 9 वर्ष पुरानी शिस्म (दलबर्गिया सिस्सू) वृक्ष के अंतर्गत सामान्य जुताई की अपेक्षा गहरी जुताई से फसल उपज (काला चना) 12.7 प्रतिशत अधिक हुआ।

* आंवला (इम्बलिका ऑफिसिनलिस) आधारित कृषि बागवानी पद्धति में सामान्य स्थिति की अपेक्षा यथास्थान नमी संरक्षण तरीकों से 10 से 15 प्रतिशत तक नमी का अधिक नियंत्रण किया गया और यह पेड़ की वृद्धि में सहायक रहे हैं।

* बकरी और भेड़ (प्रत्येक 10) के निष्पादन और 2 हैक्टयर सिल्विपास्टोरल पद्धति में अध्ययनों से विदित हुआ कि 10 प्रतिशत की घटी दर से 1.07 के अनुपालन में लागत में लाभ होता है।

* केन्द्रीय भारत से ऐकेसिया निलोटिका प्रजाति इंडिका के उन्नीस प्रूवनैंस संकलित किए गए। इसके अलावा ऐकेसिया निलोटिका के 21 से अधिक पेड़ों को आकार अच्छा और पांच पेड़ों को गोंद निकालने के लिए चयनित भी किया गया।

* असम (107) और त्रिपुरा (48) संबंधी मृदा अनुक्रमों को मुद्रण हेतु अंतिम रूप दिया गया। असम के कामरूप, नलबारी और बारपेटा जिलों के लिए भूमि उपयोग मानचित्रों को विकसित किया गया।

* उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में गहन एकीकृत फसल प्रणाली विकसित की गई।

* पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में झूम फैल्लो/अनुर्वर हुई भूमि के सुधार के लिए स्लोपिंग कृषि भूमि प्रौद्योगिकी (एस ए एल टी) भूमि सुधार के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है।

* रोगग्रस्त पशुओं के सीरम से गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल परजीवियों के त्वरित निदान के लिए गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल परजीवीय संक्रमण त्वरित निर्धारण संबंधी इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट विकसित किया गया।

* पशु रोगों के लिए डी एन ए आधारित निदान संबंधी तकनीकें विकसित की गई और उनका मानकीकरण किया गया।

कृषि अभियांत्रिकी

फार्म उपकरण एवं मशीनरी (एफ आई एम)

* निम्नलिखित उपस्करों/उपकरणों के डिजाइन बनाए गए और उन्हें विकसित किया गया जैसे-हल्का पावर टिलर का प्रोटोटाइप, ट्रैक्टर चालित लग व्हील पडलर, पशु द्वारा खींचे जाने वाला बेड फॉर्मर, स्वचालित बियासी कल्टिवेटर, बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित छिड़काव यंत्र, ट्रैक्टर संचालित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन, वर्टिसोल के लिए ट्रैक्टर चालित मोल प्लो, सोलर टनल ड्रायर, फ्रूट ग्रेडर और सोया से बनाए जाने वाला कोडो बिस्कुट।

* एफ वाई एम संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित उपकरणों का डिजाइन और विकास जैसे-हस्त परिचालित सीड ड्रिल, गन्ना संबंधी बहु-प्रयोजन वाला उपस्कर, केले के ढेर हटाने वाला यंत्र, तीन पंक्ति वाला रोटरी वीडर, इंजिन से परिचालित गन्ने की पत्ती का स्ट्रिपर, चावल के भूसे को न्यौपर, पावर टिलर से परिचालित वायु चालित सीड ड्रिल, बाग में छिड़काव के लिए टिलर परिचालित टर्बोनौजिल वाला उपकरण, स्टाक श्रेडर तथा उच्च क्षमतावान अरहर थ्रेशर।

* विभिन्न केन्द्रों द्वारा बहुत से उपकरणों का प्रोटोटाइप औचित्य परीक्षण किया गया।

* किसानों के खेतों पर उन्नत उपकरणों के कई अग्रवर्ती प्रदर्शन किए गए।

* सी आई ए ई, भोपाल द्वारा कृषि उपकरणों और यंत्रों के कम्प्यूटर से डिजाइन बनाए गए। सी आई ए ई ने प्रोटोटाइपों को निर्मित किया और उनकी आपूर्ति की तथा विषय विशेषज्ञों, किसानों, ग्रामीण युवकों को कृषि क्लीनिक व कृषि व्यापार व उद्यम विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया।

* गेहूं के भूसे से युक्त खेतों में न्यूनतम जुताई से चावल के सूखे बीज की यांत्रिक खेती संबंधी अध्ययन किए गए तथा टिल ड्रिल व आनुपातिक टिल ड्रिल के परिणामस्वरूप अनाज उपज में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि और परिचालनात्मक ऊर्जा की 15.5 प्रतिशत तक बचत की जा सकी तथा भूसा रहित अवस्था में उत्पादन लागत में 9.6 प्रतिशत बचत हुई है। चावल के संयोजित फसल कटाई के बाद गेहूं की बिना जुताई और न्यूनतम जुताई वाली खेती में पता लगा कि बिना जुताई की ड्रिलिंग से 70.15 प्रतिशत समय, 67.16 प्रतिशत ऊर्जा और 66.39 प्रतिशत लागत की बचत हुई।

* मुलखेद, तालुका मुलशी, महाराष्ट्र में स्वचालित चौपर टाइप गन्ना संयोजित हार्वेस्टर पर प्रारम्भिक परीक्षणों से संतोषजनक निष्पादन मिला।

* 2883 कृषि कार्यकर्त्ताओं का ऐंथ्रोपॉमीट्रिक आंकड़ा संकलित किया गया (1536 पुरुष व 1348 महिलाएं)।

* पावर टिलर और ट्रैक्टर परिचालकों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रतिकम्पन्न यंत्र विकसित किए गए।

* महिला कार्यकर्ताओं की अनुकूलता के मूल्यांकन के लिए 6 उपकरणों का एर्गोनॉमिक मूल्यांकन किया गया।

सस्योतर इंजीनियरिंग

* टमाटर ग्रेडर, वाष्पीकरणयुक्त कूलिंग के लिए पौरॉस ब्रिक्स, डिह्यूमिडिफाइड एअर ड्राइंग प्रणाली, कस्टर्ड पप्प ऐक्सट्रैक्टर, परिपक्वता मापने के लिए गैर-क्षति-कारक विधि, कसावा स्टार्च वाले दूध की सान्द्रता और आम की मिठास के लिए हाइड्रो-साइक्लोन प्रणाली तथा सोलर एअर हीटर के डिजाइन बनाकर उन्हें विकसित किया गया।

* टमाटर के समग्र रखरखाव तथा पैकेजिंग व्यवस्था संबंधी प्रमुख संयंत्र।

* सस्यपूर्व उपचारों से प्रभावित प्याज, आलू, टमाटर, ब्रोकोली व शिमला मिर्च की फसलों में सस्योतर लक्षण।

* किसानों द्वारा अपनाई गई वाष्पयुक्त कोल्ड रूम प्रणाली संबंधी कम लागत वाली संग्रहण प्रौद्योगिकी।

* हेलिकोवर्पा ऐर्मिगेरा (हबनर) के प्रति किन्नो के छिलके का प्रभाव तथा अनाजों के संग्रहण संबंधी प्रमुख नाशक जीवों की व्यवस्था।

* टर्मेरिक बॉयलर का व्यावसायीकरण।

* गुड़ को ठंडा रखने की यांत्रिकी विकसित की गई।

* ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण केन्द्र की व्यवस्था की गई।

* गन्ने के रस से सुरा उत्पादन संबंधी सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक अध्ययन और पान के पत्तों को संसाधित करने, पैकेजिंग और संग्रहण संबंधी अध्ययन किए गए।

* ग्रीन हाउस में फूलगोभी, टमाटर और मिर्च की खेती में सामान्य स्थितियों में की गई खेती की तुलना में क्रमशः 330.40 प्रतिशत, 250.00 प्रतिशत तथा 221.00 प्रतिशत अधिक उपज रिकार्ड की गई।

* ग्रीन हाउसों के लिए माइक्रो-सिंचाई प्रणाली के लिए कम क्षमता वाला एक स्क्रीन फिल्टर विकसित किया गया।

* डाई उत्पादन क्षमता के लिए तीन सूक्ष्मजीवों से सैरैटिया प्रजाति, मौनेस्कस प्रजाति और ऐनीरौबिक बैक्टीरिया से एक रंग बनाने वाले पिगमेंटों पर अध्ययन किए गए और उनकी उपयोग विधियों का मानकीकरण किया गया।

* सी आई आर सी ओ टी द्वारा किए गए कार्यों से पता लगा कि जब तेल निकालने की प्रक्रिया में ऐंजाइमों का प्रयोग किया जाए जो कपास के बीजों से 24 घंटे में कुल तेल तत्व का अधिकतम लगभग 80 प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। इस ऐक्सट्रैक्शन प्रक्रिया से पाउडरयुक्त पेप्टोन भी प्राप्त होता है जिसके लक्षण वही हैं जो पारस्परिक सॉल्टवेंट ऐक्सट्रेक्शन साधनों से प्राप्त होता है।

* सी आई आर सी ओ टी ने कपास के रेशों के संसाधन के लिए प्लाज्मा युक्त एक विधि विकसित की है जिसमें संसाधन प्रक्रिया से पहले भिगोकर रखने के उपचार के स्थान पर इसे प्रयोग लाने की संभावना तलाशी जा सके। सफेदी, पीलेपन, जल अवशोषणता, कपास रेशों की विस्कोसिटी और रंगने की प्रक्रिया पर प्लाज्मा के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। पारम्परिक क्षार, स्कोरिंग ओर ब्लीचिंग, उपचार वाली विधि के स्थान पर प्लाज्मा उपचार विधि प्रयोग की जा सकती है तथा इससे रंगाई की विशेषताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

* कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के आस-पास एक सर्वेक्षण किया गया जिसका उद्देश्य उच्च वौल्यूम वाले उपकरणों की उपयोगिता पता लगाना और उन्नत रेशा सूचना प्रणाली को निर्यात यूनिटों के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से कच्ची सामग्री और अन्तिम उत्पाद की गुणवत्ता के मॉनीटरन करने की व्यवस्था को देखना था। निर्यात संबंधी यूनिटों (ई औ यू) द्वारा सूत के मामले में उपलब्धि लगभग 70 है।

* संस्थान परिसर में पटसन के पौधों से 100 कि.ग्रा. पटसन के रिब्बन का रासायनिक गलन संबंधी परीक्षण बड़े पैमाने पर सफल रहे। प्राप्त किया गया रेशा मजबूत, बढ़िया, चमकदार और डब्ल्यू-3 ग्रेड से ऊपर था। हुगली जिलें में किसानों के खेतों पर पटसन के पौधों के रासायनिक गलन संबंधी दो फील्ड परीक्षण किए गए। इस प्रकार प्राप्त पटसन रेशा पारम्परिक रूप से सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा किए गए प्राप्त रेशे की अपेक्षा काफी बेहतर रहा।

* एनआरआरजेएएफटी ने पटसन व संबद्ध रेशों के लिए रैमी, बांस केबड़ा, सनहेम्प, केला रेशा आदि के प्रयोग से कई तकनीकें विकसित की हैं। यहां पर पटसन के कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के उपयोग से पल्प, कागज, बोर्ड, ब्रिकेट आदि बनाने की प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गईं।

* पटसन रेशे के उपयोग से बहुत सी प्रौद्योगिकियां और उत्पाद विकसित किए गए जैसे-पटसन रेशे की विशेषताओं और उसकी समग्र ग्रेडिंग का मूल्यांकन, थोड़े से पानी में पटसन के रेशे निकालना जैसे-रिब्बन गलन, रासायनिक और शुष्क गलन विधि, रिब्बनर मशीन व भाप लेने वाले उपकरण का आधुनिकीकरण जैसे बंडल की संख्या देखने, गुणवत्ता देखने वाला मीटर, ब्रेकर कार्ड का उपयोग और उसे अनुकूल बनाना आदि।

कृषि में ऊर्जा प्रबंधन

* आर ई सी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण और प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं जैसे-द्रव कचरे का उपयोग; धान के भूसे के लिए 100 कि.ग्रा./डी क्षमता वाला सौलिड स्टेट ऐनैरौबिक डाइजेशन सिस्टम, पाउडरयुक्त उत्पादों के लिए सोलर ड्रायर तथा साबूदाना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर बायोमिथैनेशन संयंत्र का प्रदर्शन।

* जनता डिजाइन के बायोगेस संयंत्रों के सौलिड-स्टेट किण्वन, दोहरे बर्तन वाले व धुआं रहित टिकाऊ कुक स्टोव, डोमेस्टिक सोलर ड्रायर, हिमशक्ति बायोगैस संयंत्र, पंत तराई बायोगैस संयंत्र और बायोमास गैस स्टोवों का व्यावहारिक अनुसंधान प्रदर्शन किए गए।

* सी आई इंजिनों के लिए एकान्तर ईंधन के रूप में चयनित वनस्पति तेलों के मूल्यांकन के लिए इंजिन परीक्षण व ईंधन विशेषता निर्धारण संबंधी सुविधाएं विकसित की गईं।

अन्य उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं

* के वी के/टी टी सी ने 1290 किसानों/खेतिहर महिलाओं के लिए 63 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर सुलभ कराने संबंधी 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम 401 ग्रामीण युवकों के लिए, 27 प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 965 प्रतिभागियों के लिए तथा 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 129 विषय विशेषज्ञों के लिए आयोजित किए।

* एस पी यू केन्द्र ने उभरते हुए 87 उद्यमों के लिए 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 125 ग्रामीण महिलाओं के लिए सोया आधारित खाद्य पदार्थ बनाने संबंधी 7 प्रशिक्षण आयोजित किए।

* सी आई ए ई, भोपाल द्वारा चावल उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने हेतु यंत्रीकरण पर ग्रीष्म स्कूल और सोयाबीन पर आधारित मूल्यवर्धन व उद्यम विकास संबंधी शीतकालीन स्कूल आयोजित किए गए।

* प्रोटोटाइप उत्पादन केन्द्र में 38 विभिन्न डिजाइनों के 466 प्रोटोटाइपों का उत्पादन किया गया, जिनकी लागत 18,28,400/-रु. है तथा स्थानीय निर्माताओं के माध्यम से विभिन्न केन्द्रों और संगठनों को आपूर्ति के लिए विभिन्न डिजाइनों के 3017 प्रोटोटाइपों का उत्पादन किया गया, जिनकी लागत 46,39,500/-रु. है।

* 71 विभिन्न डिजाइनों के 3358 प्रोटोटाइप, जिनकी लागत 56,62,560/-रु. थी, की विभिन्न संगठनों/ किसानों/उद्यमों को आपूर्ति की गई।

* भा. कृ. अ. प.-डी आर डी ओ के सहयोग के अंतर्गत खेत अनुसंधान प्रयोगशाला में पौष्टिक सोय उत्पादों पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

* उद्योग संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के प्रयास कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि, प्रौद्योगिकी और ऐपैरल पार्कों के रूप में चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों से इस क्षेत्र में निजी पहलों के लिए एक सहक्रियात्मक प्रोत्साहन मिलता है जिससे इसे स्पर्द्धता के अनुकूल उन्नत बनाया जा सके।

पशु विज्ञान

* मिलिट्री फार्मों के सहयोग से 15,080 फ्रीसवाल गायों को तैयार किया गया है जिनमें स्थानीय आधार पर 3069 कि.ग्रा. उत्पादन तथा चरम उत्पादन लगभग 14.27 मि.ग्रा. रहा है।

* फील्ड संतति परीक्षण परियोजना के अंतर्गत बी ए आई एफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन उर्लिकंचन, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी में वीर्य की 12 लाख मात्राओं का शीतीकरण किया गया और 6 लाख मात्राओं का वितरण विभिन्न मिलिट्री फार्मों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य पशु-पालन विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और किसानों को किया गया।

* अब तक 61 फ्रीसवाल बैलों का सन्तति परीक्षण किया गया है और उनमें से कुछ स्थानीय गोपशुओं के आनुवंशिक सुधार हेतु किसानों को उपलब्ध कराए गए।

* देशी नस्ल परियोजना के अंतर्गत अब तक परीक्षण जोड़ों के लिए ऑंगोल और हरियाणा बैलों का उपयोग किया गया है।

* तटवर्ती जिलों में बत्तख की उन्नत फार्मिंग के लिए लगभग 5000 बत्तख चूजों की आपूर्ति की गई।

* घरेलू कुक्कुट फार्मिंग के लिए अनुकूल सात नस्लों का चयन किया गया जैसे-सी ए आर आई-निर्भीक, सी ए आर आई-श्यामा, हितकारी, उपकारी, वनराजा, ग्राम प्रिया (सफेद), ग्रामरिया (बहुरंगी) तथा उन्हें कुक्कुट पालक किसानों के लिए जारी किया गया।

* भेड़ की 6 नस्लों (गद्दी, मालपुरा, जैसलमेरी, कर्णा और गुरेज), बकरी की 4 नस्लों (चेगु, ब्लैक बंगाल, पर्वतसारी और गद्दी), घोड़े की दो नस्लों (स्पीति और मारवाड़ी) का पूर्ण विशेषीकरण किया गया।

* खनिजों की कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण विकसित किया गया।

* अभाव ग्रस्त और सूखे की स्थितियों में पशुओं के आहार के लिए पूर्ण आहार ब्लॉक विकसित किए गए।

* विकसित होने वाले और दुधारू पशुओं के लिए 40 से अधिक गैर-पारम्परिक आहार और 100 पूर्ण आहारों का पता लगाया गया।

* यॉक के लिए देशी चारे की 9 किस्मों की पहचान की गई और उनके टैनिन व फेनोलिक तत्वों, खनिज प्रोफाइल व प्रॉक्जिमेट तत्वों का विश्लेषण किया गया।

* मृग के वीर्य शीतीकरण के लिए नयाचार विकसित किए गए।

* ऊंट, मिथुन और यॉक के वीर्य संबंधी अध्ययन और यॉक, मिथुन व दो कूबड़ वाले ऊंट के शरीर क्रिया विज्ञान व्यवहार पर अध्ययन किए गए।

* गोपशुओं में प्रजनन क्षमता संबंधी प्रजनक चक्र पर मूलभूत आंकड़े तैयार करने के लिए लिए प्रोगेस्टेरोन की रेडियो इम्यूनोसरी विकसित की गई।

* रोमकूप विकास और दोबारा प्रजनन जैसी बीमारियों के मॉनीटरन के लिए अल्ट्रा-सोनोग्राफी का प्रयोग किया गया।

* पीलिया रोग (यकृत संबंधी) के शीघ्र निदान के लिए एक पोटेंट इम्यूनो डायग्नोस्टिक ऐन्टिजन और गैस्ट्रो-इंटेस्टिनल परजीवी की पहचान की गई। हीमौनचौसिस के नियंत्रण के लिए फफूंद द्वारा एक नयी-जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण विधि विकसित की गई।

* गोपशुओं और भैंसों में बॉवाइन इम्यूनों की कमी के निदान के लिए एक परीक्षण विधि विकसित की गई।

* देश में रोग संक्रमण और विषाणु के प्रकोप के मूल्यांकन के लिए एफ एम डी का आण्विक मरक विज्ञान तैयार किया गया। भारत में एफ एम डी विषाणु एशिया एक के दूसरे सबसे सामान्य सीरोआइप का पूरी लम्बाई वाला सी डी एन ए तैयार किया गया और उसका अनुक्रमण कर न्यूक्लिओटाइड आंकड़ा निकाला गया।

* क्लासिकल स्वाइन बुखार विषाणु (हौग कौलरा), का पता लगाने के लिए पी सी आर आधारित नैदानिक विधि का मानकीकरण, खाद्य मूल का लिस्टोरिया, भेड़ व बकरी चेचक विभेदीकरण तथा पशु प्लेग (रिन्डर पेस्ट) व पी पी आर विभेदीकरण किया गया।

* आस्ट्रेलिया से आयातित गोपशुओं से एम सी एफ और बी वी डी एटिजन/जेनोम तथा देश में पहली बार पक्षी इन्फ्लूएंजा सब टाइप एच-9 का एच ए और एच आई द्वारा पता लगाया गया तथा विदेशों में होने वाली बीमारियों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया।

* बड़े पशुओं में हड्डी टूटने के उपचार के लिए नये डिजाइन लाइनियर स्केलनलेटल फिक्सेटर पर अध्ययन किए गए तथा इससे टूटी हुई हड्डी का जुड़ाव पारम्परिक फिक्सेटर की तुलना में बेहतर व स्थाई रूप से हो जाता है।

* अश्व जरायु गौनैडॉट्रौपिन (ई सी जी) के प्रयोग से अश्वों में गर्भ निदान विधि का मानकीकरण किया गया तथा एक ऐसी तकनीक को विकसित किया गया, जिससे घोड़ियों के गर्भाधान के 30 दिन बाद गर्भ परीक्षण जल्दी से जल्दी हो सकता है।

* देश में खुरपका एवं मुंहपका रोग संबंधी टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए इस रोग के विषाणु स्टेनों का व्यावसायीकरण किया गया तथा साइटोस्कोप की प्रौद्योगिकी का भी व्यावसायीकरण किया गया।

* बसुन्डी के यांत्रिकी उत्पादन के लिए कौनिकल प्रौसेस वैट के उपयोग से प्रौसेस पैरामीटरों का मानकीकरण किया गया।

* गाय के दूध से बढ़िया खोया बनाने की विधि गाय के दूध को छानकर इसमें दही के पानी वाला प्रोटीन सान्द्रण मिलाकर विकसित की गई।

* दही की पैकेजिंग के लिए पर्यावरणानुकूल मिट्टी के बर्तन विकसित किए गए। मिट्टी के इन बर्तनों का भार विशेष तरह की मिट्टी के प्रयोग से कम हो जाता है और बर्तन को शेलैक का लेप करने से दही की मात्रा कम नहीं होती है। पौलिस्टिरीन कपों की अपेक्षा इन बर्तनों के उपयोग से दही की संग्रहण क्षमता काफी अधिक पायी गई।

* रसमलाई और बूंदी मिक्स शीघ्र तैयार करने के लिए परासरणी निर्जलीकरण पर आधारित एक तकनीक विकसित की गई।

* घी युक्त मक्खन के यांत्रिक उत्पादन के लिए एक प्रोटोटाइप दो स्क्रू वाली कूलिंग और कार्य प्रणाली का डिजाइन तैयार किया गया और उसे विकसित किया गया।

* डेरी वाले गाय व भैंसों के लिए एक पूरक खनिज मिश्रण विकसित किया गया। किसानों के फील्ड पर इस पूरक से दुग्ध उत्पादन में 0.5 से 0.6 मि.ग्रा./पशु/दिन तक वृद्धि हुई, प्रजनन समस्याएं कम हुई तथा प्रजनन क्षमता में सुधार आया है।

* केरल के दीर्घावधि वाले कलान-पारम्परिक दही आधारित उत्पाद के लिए विधि का मानकीकरण किया गया।

* सुपारी के उपयोग से भैंस के मांस का सुधार करना तथा मांस को मुलायम बनाना।

* एसेटिक एसिड के उपचार से चिकन मांस की संग्रहण क्षमता में सुधार

* हैदराबाद के हलीम पारम्परिक मांस का गुणवत्ता मूल्यांकन

मात्स्यिकी

* भारतीय मोती ओयस्टर पिंकटैडा फ्यूकैटा और ऐबैलोन हैलिओटिस वैरिया में ऊतक सम्वर्धन तकनीक द्वारा यथास्थान समुद्री मुक्ता उत्पादन सफलतापूर्वक किया गया।

* सैंड लॉबस्टर (थनेस ओरिएन्टैलिस, साइलारस रयूगॉसस) का प्रजनन कैप्टिविटी और लारवल चक्र में तीन से चार सप्ताह के समय में पूरा किया गया।

* कुरूमा श्रिम्प मैटपिनैइअस जैपोनिकस का घरेलू पालन और बन्ध प्रजनन एफ-3 वंशक्रम तक सफलतापूर्वक किया गया।

* द्वीप के खारे पानी के प्रयोग से बंध प्रणाली में ताजे जल के बड़े झींगों, मैक्रोब्रैचियम रॉसेन्बर्गी का प्रजनन किया गया तथा लार्वा के बाद की स्थिति में उन्हें समुद्र के पानी के प्रयौग के बिना उपयुक्त विधि से सम्वर्धित किया गया।

* ताजे जल वाली मछली कतला कतला से धूम्रित उत्पाद बनाए गए।

* मथुरा झील में झींगा और कार्प का पेन सम्वर्धन करके 130 दिन के अंतर्गत 675 कि.ग्रा./है. उत्पादन प्राप्त किया गया।

* नागालैंड में दोयांग जलाशय का पारिस्थितिकीय सर्वेक्षण किया गया जिससे पता लगा कि मछली पालन के लिए इस जलाशय का पानी बहुत ही अनुकूल है।

* समाप्तप्राय लाल पूंछ वाली बर्ब गौनोप्रोक्टेरस क्यूर्म के लिए स्पर्म कायोप्रवर्धन तकनीकें विकसित की गई हैं।

* ऊंचाई वाले स्थानों में ग्रास कार्प सम्वर्धन के लिए उपयुक्त प्रणाली निर्मित करके अंड प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया।

कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान अनुसंधान शिक्षण, और प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है और कृषि सांख्यिकी और कम्प्यूटर अनुप्रयोग संबंधी विषयों में सलाहकार सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। अलसी और सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के अंतर्गत और उनके बीच आंकड़ों का विश्लेषण करने की समस्या को भी देखा गया। इन स्थानों के बीच और इनके अंतगर्त विषमताएं थीं। आंकड़ा भी गैर-सामान्य था। बौक्स-कॉक्स संबंधी परिवर्तन व्यावहारिक था और आंकड़ा विश्लेषण किया गया। किन्तु कुछ मामलों में परिवर्तन के बाद भी आंकड़ा गैर सामान्य रहा। इस तरह के आंकड़े के विश्लेषण की समस्या की भी जांच की गई।

पी डी सी एस आर, मोदीपुरम के लिए एक दीर्घावधिक प्रयोग की योजना में यह सुझाव दिया गया कि एक विखंडित भूखंड के डिजाइन का उपयोग किया जाए। यह सिफारिश की गई कि यदि आवश्यक हुआ तो भूखंड के मध्यावधि पाठ्यक्रम को दो शाखाओं में विभाजित करने के लिए बड़े आकार के भूखंड को लिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि प्रयोग करने के दौरान किसी अन्य उपचार को समयोजित करने के लिए डिजाइन में किसी खाली भूखंड को भी शामिल किया जाए।

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा संकरों/जीनोटाइपों के 81 संयोजनों में एक साधारण जाली के रूप में एक प्रयोग किया गया। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक विविधताओं व सह-विविधताओं जैसे अनेक तरह के घटक प्राप्त करने के लिए असंतुलित आंकड़ों के विश्लेषण की विधि का सुझाव दिया गया। केरल में नारियल के उत्पादन की लागत का आकलन करने हेतु प्रणाली विकसित करने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण किया गया। यह अध्ययन नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि, केरल द्वारा प्रायोजित था।

कृषि फील्ड प्रयोग के सांख्यिकीय मूल्यांकन के लिए इन्डाइस विकसित किए गए। ये इंडाइस पहले विकसित किए गए इन्डाइसों का इस आशय से सुधरा रूप है कि इनसे डिजाइन के बारे में अधिक सूचना प्राप्त होती है। तीन सह श्रेणी वाले व आंशिक रूप से संतुलित अपूर्ण ब्लॉक डिजाइन विकसित किए गए और लाइनों की सामान्य संयोजन योग्यता का आकलन करने के लिए डायलल क्रौसों में उनका उपयोग किया गया। इन डिजाइनों को सृजित करने तथा सृजित आंकड़ो के विश्लेषण के लिए ''ऐग्रि डिजाइनर'' नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। ऐसी प्रयोगात्मक स्थितियों के लिए उपचारों का स्पर्द्धा प्रभाव के अध्ययन हेतु कारगर डिजाइन तैयार किए गए, जहां साथ वाले भूखंडो से उपचार में एक दूसरे से संसाधनों के लिए स्पर्द्धा रहती है तथा इस प्रकार प्रच्छादन अथवा उपचारों का अधिक प्रभाव होता है। स्पर्द्धा दांई या बांई अथवा दोनों तरफ से हो सकती है। गन्ने की उपज में बहु-उपयोगी पूर्वानुमान संबंधी एक मॉडल विकसित किया गया। इस मॉडल से उपज के बारे में कार्फी सूक्ष्मता से पूर्वानुमान हो जाता है। इसी प्रकार, खरपतवार के कारण उपज क्षति के पूर्वानुमान के लिए एक मॉडल विकसित किया गया। वंशानुगतता के आकलनों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने के लिए प्रयोगाश्रित जांच की गई। जीनोटाइपों के चयन के साथ-साथ उपज व टिकाऊपन के लिए सांख्यिकीय विधियां विकसित करने हेतु एक अध्ययन किया गया। दूसरे अध्ययन में, पंजाब में चावल-गेहूं प्रणाली के तकनीकी क्षमता संबंधी विश्लेषण किए गए। किसानों के आकलन (सामान्य आकलन) को सहायक सूचना के रूप में उपयोग से छोटे क्षेत्र स्तर (ब्लॉक स्तर) पर फसल उपज के आकलन लगाने हेतु एक प्रणाली विकसित की गई। यह देखा गया कि किसानों के आकलन को उपयोग में लाने से ब्लॉक स्तर पर फसल उपज में आकलन करने की दोहरे नमूनों वाली पद्धति से सूचना की स्पष्टता में काफी सुधार आया है जिसकी तुलना किसानों के आकलन के बिना किए गए

आकलनों से की गई। दूसरा सर्वेक्षण, बड़े पैमाने पर फसल कटाई और सस्योत्तर हानि के मूल्यांकन के लिए किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्मिक प्रबंधन पर ऑन लाइन सूचना प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। यह सॉफ्टवेयर बहुत ही उपयोगी है। विशिष्ट विविधता और इंटरपॉलेशन के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का एक बीटा संस्करण विकसित किया गया है। कृषि अनुसंधान (विन्डोज वर्जन) एस पी ए आर 2.0 के लिए सांख्यिकीय पैकेज विकसित किया गया। यह पूर्व वर्जन एस पी ए आर-1 का उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें कुछ नये मॉड्यूल शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में अनेक अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

पुस्तकालय को देश की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत एक क्षेत्रीय पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया है। घरेलू उपयोगकर्त्ताओं तथा एन ए आर एस के उपयोगकर्त्ताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इसकी महती भूमिका है। इससे वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों व अनुसंधानकर्त्ताओं को पुस्तकालय, दस्तावेजीकरण और सूचना सेवाएं उपलब्ध होती हैं। रिपोर्ट वाली अवधि में संस्थान द्वारा निम्नलिखित वेबसाइट विकसित/संशोधित की गई हैं।

वेबसाइट का नाम	वेबसाइट इन
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों से मौसम संबंधी आंकड़ों से संबंधित मौसम विज्ञान आंकड़े	http://www.iasri.res.in/meteorology/default.htm
कृषि आंकड़ा पुस्तक	http://www.iasri.res.in/agridata
हिन्दी सेवा सम्पर्क	http://www.iasri.res.in/hindex.asp
एकीकृत राष्ट्रीय कृषि संसाधन सूचना प्रणाली	http://www.inaris.gen.in
प्रसार की विशेषज्ञ प्रणाली	http://www.iasri.res.in/exsyex
परियोजना सूचना और प्रबंधन प्रणाली	http://www.pimsnet.gen.in
पशु प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय सूचना प्रणाली	http://www.172.16.3.161:8080/nisae/jsp/signproc.jsp

कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान (एन सी ए पी) संबंधी राष्ट्रीय केन्द्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्था है। इस केन्द्र ने अपने अनुसंधान क्षेत्रों और संपर्क सूत्रों को अन्य संगठनों तक प्रसारित किया है और एन ए आर एस के अंतर्गत इसने अनुसंधान उपलब्धियों के संदर्भ में अपना एक विशेष रिकार्ड कायम रखा है, एन ए आर एस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान संपर्क सूत्रों को सुदृढ़ बनाकर क्षमता विकसित की है और कृषि नीति निर्णयों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भागीदारी को बढ़ाया है। अद्यतन व उभरते हुंए क्षेत्रों में बढ़िया परिणामों पर नीति-सम्मत अनुसंधान निर्धारित ध्यान केन्द्रीत करके समयावधि के अंतर्गत पूरा किया है। विशिष्ट अनुमंधान उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

* प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का मूल्यांकन;
* आगामी वर्षों में पानी की असुरक्षा का मापन तथा पानी की कमी वाले सर्वोत्तम स्थानों के लिए नियम निर्धारित करना;
* राज्य जल नीतियों का मूल्यांकन करना;
* भारतीय अनुसंधान व विकास प्रणाली के सुधार हेतु चीन से सीख लेना;
* भारत के पूर्वी व शुष्क तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास विनिवेश को बढ़ाने का महत्व, परिवर्तन लाने वालों की पहचान।
* डेरी संविदा फार्मिंग और छोटे पशुधन धारक
* डेरी उद्योग को बढ़ाने के गुर
* उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम प्रभावित जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील व उसे अपनाना।
* खाद्य सुरक्षा उपायों के अनुपालन की लागत
* विकास के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभावी फैलाव के सिद्धांत

* वर्षा बीमा से लाभ
* ग्रामीण भारत में आई सी टी नवीनीकरण
* संस्थागत कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास प्रणाली में ओ एंड एम सुधार
* महिला कृषकों आदि के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु स्वयंसेवी दलों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त व्यवस्था, आदि।

अधिदेशित कार्य क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्रित करने के अलावा एन ए आर एस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान संबंधी सम्पर्क सूत्रों को सुदृढ़ बनाने के केन्द्र में मानव संसाधन विकास अधिदेश को पूरा करने के लिए कुछ नई पहले भी की गई। इस अवधि में एन सी ए पी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान एन ए आर एस में पी एम ई व्यवस्था के संस्थाकरण से संबंधित है। इस केन्द्र की वेबसाइट को नियमित रूप से बेहतर मूल्यवर्धन करके अद्यतन किया जाता है जैसे वेबसाइट में एन सी ए पी प्रकाशनों की सौफ्ट प्रतियां बढ़ाना। एन सी ए पी भारत सरकार की कोलम्बो योजना के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र है तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए कृषि नीति अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। एन सी ए पी कृषि और खाद्य सुरक्षा में नीति अनुसंधान नेटवर्किंग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रमुख संस्था है।

कृषि विस्तार

उपलब्धियां

* कृषि प्रसार, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि वानिकी, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, फसल उत्पादन, मात्स्यिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, बागवानी, मृदा उर्वरता, कृषि में महिलाएं और अन्य क्षेत्रों में 21,864 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 6.1 लाख किसानों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
* कृषि प्रसार, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि वानिकी, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, फसल उत्पादन, मात्स्यिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, बागवानी, मृदा उर्वरता, कृषि में महिलाएं और अन्य क्षेत्रों में 5,952 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके 1.39 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया गया।
* ग्रामीण दस्तकारी और आय बनाने संबंधी गतिविधियां।
* 2,701 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 68,708 प्रसार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।
* किसानों के लिए 7,490.7 टन बीज और 59.89 लाख सैपलिंग/पौदों का उत्पादन किया गया और उन्हें उपलब्ध कराए गए।
* प्रौद्योगिकियों के प्रसार की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए 16,662 प्रसार कार्यकलाप आयोजित किए गए जिसमें 14,13 लाख किसान और ग्रामीण युवकों ने भाग लिया।
* विभिन्न विषयक क्षेत्रों में 1999 देशी तकनीकी ज्ञान संबंधी दस्तावेजीकरण।
* कृषि में महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा 1275 फार्म महिलाओं को प्रशिक्षण।
* 582 गांवों में 1.0 लाख तक किसान परिवारों के लिए संस्था ग्राम-संपर्क कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
* कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र द्वारा उन्नत किस्मों के 736.3 टन बीज और 7.83 लाख पौध सामग्री उपलब्ध कराना।

संस्था-ग्राम संपर्क कार्यक्रम (आई.वी.एल.पी.)

यह कार्यक्रम 582 गांवों में कार्यान्वित किया गया जिसमें 1.0 लाख किसानों और कृषक महिलाओं को लाभ मिला।

कृषि संबंधी महिलाओं के लिए कार्यक्रम

कृषि में महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ने वर्ष में 16 अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं तथा इसके अतिरिक्त 37 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 1257 कृषक महिलाओं ने भाग लिया।

कृषि शिक्षा

देश में आजीविका सुरक्षा और टिकाऊ विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उपलब्धि में श्रेष्ठता अर्जित करने के साथ परिषद की कृषि शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी है। जिन चुनौतियों से निपटा जा रहा है वो हैं-(क) सेवा कार्यों का सृजन और उद्यमिता के साथ शिक्षा का तालमेल, (ख) मानव संसाधन विकास के माध्यम से मृदा, जल, वनस्पति और वायु के संरक्षण के लिए प्रयास करना तथा 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र की मदद करना, (ग) उपभोक्ता समूहों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह बनना, (घ) विश्व व्यापार संगठन ओर जी ए टी ओ के समझौतों और अन्य वैश्विक परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के अनुसार कार्य करना तथा (ङ) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के निर्देशानुसार उपयुक्त संसाधनों की कमी की समस्याओं का समाधान करना।

कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाएं: भा. कृ. अ. प. द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगी परिक्षाओं के आयोजन से विभिन्न कार्यक्रमों में 1004 पूर्व स्नातक

छात्रों और 1252 स्नातकोत्तर छात्रों को प्रवेश दिया गया। वर्ष के दौरान पूर्व स्नातक छात्रों में कुल 992 प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति मिली। कुल 930 योग्य स्नातकोत्तर छात्रों को भा.कृ.अ.प. वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई।

राष्ट्रीय प्रौफेसरशिप तथा राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति: भा. कृ. अ. प. के राष्ट्रीय प्रौफेसरों के कुल दस पदों में से दो ही पद विद्यमान थे। राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति के कुल 25 स्थान हैं, जिनमें से इस अवधि के दौरान 15 विद्यमान रहे है।

प्रत्यायन: भा. कृ. अ. प. के दो मानद विश्वविद्यालयों जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर व केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई तथा 8 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसे-सी एस एच पी के वी, पालमपुर, बी एस के के वी, डपोली, वाई एस पी यू एच तथा एफ, सोलन, जी बी पी यू ए टी, पंतनगर, के ए यू, त्रिचुर, पी ए यू, लुधियाना, यू ए एस, बंगलौर, यू ए एस, धारवाड़ को भा. कृ. अ. प. प्रत्यायन की स्वीकृति दी गई।

उत्कृष्टता वाले आला क्षेत्र: मानव संसाधन विकास और छात्रों के रोजगार के अवसरों में उपयुक्त सुधार के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा. कृ. अ. प. के मानद विश्वविद्यालयों के कार्मिकों की वर्तमान संख्या और सामर्थ्य पर समायोजन करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा. कृ. अ. प. के मानद विश्वविद्यालयों को क्षेष्ठता के अलावा क्षेत्र में सहायता देने की एक योजना की पहल की गई थी।

अग्रत अध्ययनों के केन्द्र: कार्यदक्षता में सुधार लाने संबंधी कुल 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 445 संकाय सदस्यों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया। ऐसे सभी केन्द्रों ने उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षणों के प्रभाव विश्लेषणों की पहल की।

विदेशी छात्रों का प्रवेश: इस वर्ष कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी ए डी संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में 23 देशों के 154 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन स्कूल और लघु पाठ्यक्रम: इस वर्ष 10 दिनों और 30 दिनों की अवधि के लिए 95 ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन स्कूल और लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 2375 वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी गई।

सर्वोत्तम अध्यापक पुरस्कार: इस वर्ष दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा. कृ. अ. संस्थान के 11 संकाय सदस्यों को सर्वोत्तम अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए गए।

विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तक लेखन: इस वर्ष दो पाठ्यपुस्तकें दीपा को प्रकाशनार्थ भेजी गईं। पाठ्यपुस्तक के तीस शीर्षक प्रकाशन हेतु उनके अनुमोदन के बारे में अन्तिम निर्णय हेतु कार्रवाई चल रही है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों को विकासात्मक अनुदान: राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों को विकास संबंधी अनुदान देने की योजना एक सतत् कार्यकलाप के रूप में शुरू की गई थी, जिसमें आर ए डब्ल्यू ई तथा अन्य योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करना भी शामिल है।

अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक योजना: अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों के 50 स्थान हैं। शिक्षा प्रभाग में सतत् कार्यकलाप के रूप में यह योजना चल रही है। वर्ष के दौरान इन सभी में 22 अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों का चयन किया गया। मौजूदा परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित रिक्तियों हेतु नये आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किए गए हैं।

कृषि उत्पाद उपकर योजनाएं और एन ए टी पी: इस वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों के लिए कुल 12 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिसमें एक प्रमुख संस्थान के रूप में आई आई एस आर तथा सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रों के रूप में एक नेटवर्क परियोजना की स्वीकृति शामिल है। नई परियोजनाओं के कुल 75 प्रस्ताव प्राप्त किए गए।

गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना: विभिन्न आयु समूहों के लिए पोषणिक सुरक्षा के एक उपकरण के रूप में एक पोषणिक गाइड को विकसित करने में सफलता मिली। अपनाए गए गांव के प्रत्येक केन्द्र में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वांछित लालन-पालन के लिए फार्म क्रेच स्थापित किया गया। मानव श्रम को कम करने के उपकरण विकसित किए गए। नौ राज्यों के 53 कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के लिए अनुकूल ग्रामीण कृषक महिलाओं संबंधी एक आंकड़ा आधार विकसित किया गया।

प्रबंधन तथा सूचना सेवाएं

सोसायटियों को वित्तीय सहायता:

अनुसंधान परिणामों के बढ़िया प्रकाशन और वैज्ञानिकों के बीच प्रभावी सम्पर्क को प्रोत्साहित करने के लिए भा. कृ. अ. प. ने वर्ष 2004-05 के दौरान 46 वैज्ञानिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए आंशिक सहायता प्रदान की है। वर्ष 2004-05 के दौरान

42 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एन ए ए एस)

अक्तूबर, 2004 तक आयोजित कार्यक्रम

* नई दिल्ली में दिनांक 21 व 22 मई, 2004 को मात्स्यिकी पर अन्तर्नदी बेसिन संपर्कों का प्रभाव।

* भा. कृ. अ. प. के सभागार, एन एस एस सी काम्प्लैक्स, पूसा में 4 व 5 जून, 2004 को वार्षिक सामान्य बैठक तथा स्थापना दिवस के अवसर पर अकादमी के 5 नव निर्वाचित सदस्यों और 4 युवा वैज्ञानिकों द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रस्तुतियों से इस अवसर पर पंजाब राज्य योजना बोर्ड और पुरस्कृत 4 युवा वैज्ञानिकों ने भी वैज्ञानिक व्याख्यान प्रस्तुत किए, इसके अतिरिक्त स्थापना दिवस व्याख्यान पंजाब राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष डा. एस. एस. जोहल ने दिया।

* भारतीय कृषि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आंकड़ा आधार हेतु डिजाइनिंग नीतियों पर 11 जुलाई, 2004 को एक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया गया।

* शेष वर्ष के लिए कार्यक्रम।

* जैविक खेती पर कार्यशाला-25 नवम्बर, 2004 को भारतीय कृषि के संदर्भ में प्रयास और संभावनाएं।

* 1 दिसम्बर, 2004 को खाद्य एवं आहार के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग की गई सामग्रियों की एक ध्वनि नियामक प्रणाली हेतु अनुसंधान आवश्यकताओं परन विचारोत्तेजक सत्र।

* 10 दिसम्बर, 2004 को परिवर्तित परिदृश्य में कृषि शिक्षा और कृषि प्रसार प्रणालियों को पुनर्परिभाषित करना।

* 7-8 जनवरी, 2005 को हमारे आनुवंशिकी संसाधनों को संरक्षित करने में विज्ञान और समाज की भूमिका।

* 10-11 जनवरी, 2005 को अन्तिम उपयोगकर्त्ताओं तक वैज्ञानिक जानकारी/प्रौद्योगिकियों को पहुंचाने में आई सी टी की भूमिका।

* 18 जनवरी, 2005 को जल प्रबंधन पर ज्वलंत मुद्दे-इसे कौन अपनाए-राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र अथवा समुदाय?

* जनवरी, 2005 में विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीतियों से तालमेल रखने संबंधी विचारोत्तेजक सत्र।

* लघु फार्म जीवनक्षमता: संविदा खेती की संभाव्यता विषय पर विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया जाना है।

* 16-18 जनवरी, 2005 को कृषि महाविद्यालय, पुणे में सप्तम कृषि विज्ञान कांग्रेस की बैठक होगी।

अन्य गतिविधियां

* वर्ष 2005 के लिए फेलो और ऐसोसिएटों के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई।

* अकादमी पुरस्कारों के नामांकनों की जाच पूरी की गई और पुरस्कृत किए जाने वाले लोगों की सूची को अन्तिम रूप दिया गया।

* विशेष व्याख्यान मालाओं के अंतर्गत 2 व्याख्यान आयोजित किए गए।

* केन्द्रीय एशियायी देशों से 13 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एन एस एस का दौरा किया।

* अंतर अकादमी विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत एन ए ए एस का एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन का दौरा करेगा।

कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा)

कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा) ने वर्ष 2004-05 में कुल 112 प्रकाशन निकाले हैं, जिनमें से 86 प्रकाशन अंग्रेजी के तथा 36 प्रकाशन हिन्दी हैं। आधुनिक सूचना उत्पाद को विकसित और उत्पादित करने हेतु सुविधाएं भी जुटाई गई हैं।

कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय ने शोध पत्रिकाओं (मासिक) तथा अर्ध तकनीकी प्रकाशन सहित 12 पत्रिकाएं नियमित आधार पर निकाली हैं। कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय ने विश्व खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष तथा विश्व पर्यावरण दिवस जैसे विभिन्न अवसरों पर अपने मासिक/त्रैमासिक पत्रिकाओं में विशेषांक भी निकाले हैं।

आंकड़ा प्रबंधन के अंतर्गत कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय ने भा. कृ. अ. प. द्वारा जारी फसल किस्मों सें संबंधित सूचना, परिषद द्वारा स्वीकृत एच आर डी अनुसंधान स्कीमें, भारत में कृषि

संस्थाएं, कृषि महाविद्यालय, कृषि पत्र-पत्रिकाएं, प्रतिनियुक्ति रिपोर्ट, परिषद संस्थानों की अनुसंधान परियोजनाएं, विश्व खाद्य संगठन का ए जी आर आई एस आंकड़ा आधार, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान आंकड़ा आधार संबंधी सूचना का संकलन और संसाधन किया है।

* इलैक्ट्रानिक प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय ने वर्ष 2004-2005 के दौरान निम्नलिखित 5 सी डी तैयार की हैं:
* इन्वेंटरी ऑफ इंडीजिनस टेक्निकल नोलेज इन ऐग्रिकल्चर-डॉक्यूमेंट-1
* इन्वेंटरी ऑफ इंडीजिनस टेक्निकल नोलेज इन ऐग्रिकल्चर-डॉक्यूमेंट-2
* इन्वेंटरी ऑफ इंडीजिनस टेक्निकल नोलेज एन ऐग्रिकल्चर-डॉक्यूमेंट-2 (सप्लिमेंट-1)
* वैलिडेशन ऑफ इंडीजिनस टेक्निकल नोलेज एन ऐग्रिकल्चर-डॉक्यूमेंट-3
* डेयर/भा.कृ.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट-2003-04

वर्ष 2004-2005 के दौरान लगभग 55 लाख रुपये का राजस्व तैयार किया गया।

[अनुवाद]

रेपसीड सरसों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

6451. श्री डी. विट्टल राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेपसीड सरसों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो रेपसीड सरसों पर बैठक में विभिन्न देशों के साथ विचार-विमर्श किये गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) एक गैर-सरकारी संगठन सरसों अनुसंधान और संवर्धन संघ (एम.आर.पी.सी.), नई दिल्ली ने इस मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर (एन.आई.ए.एम.) में दिनांक 28 और 29 मार्च, 2005 को तोरिया-सरसों संसाधन विकास और विपणन पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन को सुकर बनाने के लिए एन.आई.ए.एम. की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी थीं।

रिपोर्ट मिली है कि इस सम्मेलन में फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, कटाई पश्चात संभाल, मूल्य वर्धन, स्वास्थ्य और पौषणिक पहलुओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहित बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन ने कई सिफारिशें की हैं।

रसायनों तथा उर्वरकों का उत्पादन

6452. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायनों तथा उर्वरकों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना वार्षिक उत्पादन हुआ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान रसायनों तथा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) (1) रसायन

चूंकि रसायन उद्योग को विनियंत्रित कर दिया गया है, इसलिए उन रसायनों के उत्पादन पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है जो बाजारी शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों, लघु स्तरीय उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्रों की बहुत सी रासायनिक इकाईयां कार्बनिक एवं अकार्बनिक उर्वरकों, रंजक-सामग्रियों और कीटनाशकों का उत्पादन कर रही हैं।

विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान मुख्य रसायनों (कार्बनिक, अकार्बनिक, रंजक सामग्री और कीटनाशक) का उत्पादन 70.62 लाख टन था और वर्ष 2004-05 के मुख्य रसायनों का उत्पादन 74.03 लाख होने का अनुमान है। इसमें लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्रों की इकाइयों के आंकड़ें शामिल नहीं हैं।

(2) उर्वरक

पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्य उर्वरकों की क्षमता और उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सरकार ऐसी नीतियां अपनाती रही है जो उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें ताकि देश में मुख्य उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके यूरिया के मामले में, सरकार ने हाल ही में (क) यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं तथा

(ख) विद्यमान गैर-गैस आधारित इकाईयों को फीडस्टाक/ईंधन के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी में परिवर्तित करने में किए जाने वाले निवेश के लिए मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा की है। यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता बढ़ाने के लिए 'इफको' और 'कृभको' जैसी बहुराज्य सरकारी समितियां, ओमान आयल कम्पनी, सुर, ओमान में एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही है और 16.52 लाख मीट्रिक टन का पूरा उत्पादन सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। दूसरी ओर, फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की संस्थापित क्षमता (पोषक तत्वों की दृष्टि से 54.20 एमटी) वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। (पिछले तीन वर्षों की औसत खपत 46-47 लाख मी. टन है)

विवरण

वर्ष 2002-05 के लिए देश में यूरिया, डीएपी और मिश्रित श्रेणी के मुख्य उर्वरकों की पोषक तत्वों की दृष्टि से राज्यवार संस्थापित क्षमता और उत्पादन

राज्य का नाम	31.3.05 को संस्थापित क्षमता		उत्पादन 2004-05	
	नाइट्रोजन	फॉस्फेट	नाइट्रोजन	फॉस्फेट
असम	144.9	0.0	94.8	0.0
पंजाब	535.4	0.0	495.5	0.0
तमिलनाडु	794.6	409.3	719.6	279.0
केरल	174.0	126.7	157.0	115.2
गोवा	288.7	197.4	307.5	178.0
महाराष्ट्र	1109.9	173.0	942.9	68.8
कर्नाटक	207.2	82.0	192.4	84.3
मध्य प्रदेश	795.4	0.0	858.4	0.0
राजस्थान	969.8	0.0	1028.1	0.0
गुजरात	2218.7	1537.7	2208.9	1392.6
आंध्र प्रदेश	794.2	474.2	950.3	590.1
उत्तर प्रदेश	2971.8	0.0	2748.1	0.0
हरियाणा	235.3	0.0	244.4	0.0
झारखण्ड	120.00	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	454.8	1143.6	299.0	690.0
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	121.5	310.5	78.1	220.4

समुद्री मत्स्यन का विकास

6453. श्री सनत कुमार मंडलः
श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में समुद्री मत्स्यन के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार ने समुद्री मत्स्यन के लिए व्यापक नीति तैयार कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने मत्स्यन बंदरगाहों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत मांस का निर्यात

6454. मोहम्मद शाहिदः क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रसंस्करित मांस तथा इससे बने उत्पादों के निर्यात में लगे राज्यों को उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 में उक्त उत्पादों का अधिकतम मात्रा में निर्यात करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा 2003-04 से अनुदान स्वरूप देश में उत्तर प्रदेश सहित, राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इन इकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए अनुदान देने के लिए कुछ योजनाएं चालू करने का है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ङ) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जिनमें निर्यात हेतु प्रसंस्कृत मांस निर्माण यूनिटें शामिल हैं, के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

इन स्कीमों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और विकास संबंधी स्कीम आदि शामिल हैं।

(ख) राज्य-वार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में मांस और मांस उत्पाद निर्माण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए क्रमशः 235.75 लाख रु. और 277.90 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी है जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ऐसी यूनिटों को क्रमशः 50 लाख रु. और 98.80 लाख रु. दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6455. श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीरावः
श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कृषि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सहमति बनी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा इनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पाद तथा विपणन समिति अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) कृषि एवं संवर्गीस क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित स्थितियों और सेवाओं के अधीन पुष्प कृषि, बागवानी, बीजों के विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन और सब्जियों, खुम्बी आदि की खेती आदि को छोड़कर तथा बागानों (चाय बागान के अलावा) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है।

खुदरा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। व्यापार के लिए आटोमेटिक रूप के अधीन 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि मुख्य रूप से ये निर्यात गतिविधियां हों, और यह उपक्रम एक एक्सपोर्टस हाउस/ट्रेडिंग हाउस/सुपर ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस हो। 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की होलसेल कैश एवं कैरी ट्रेडिंग के लिए भी अनुमति दी जाती है।

(ङ) जी, हां। सीधे विपणन और ठेका कृषि को अनुमति देने तथा प्रतिपर्धी मण्डियों के विकास के लिए राज्यों को ए.पी.एम.सी. अधिनियम में परिवर्तन करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को एक आदर्श कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) परिचालित किया गया है।

(च) 7.1.2004 को दिल्ली में और 19.11.2004 को बंगलौर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में ए.पी.एम.सी. अधिनियम पर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। कई राज्यों ने सुझाए गए तरीकों के अनुसार इसमें संशोधनों के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क में छूट

6456. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष 20 लाख बीड़ी उत्पादन करने वाले बिना ब्रांड वाले बीड़ी विनिर्माता उत्पाद कर में छूट के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उप-कर, भविष्य निधि, उपदान, बोनस तथा अन्य श्रम कानूनों के तहत बीड़ी विनिर्माताओं द्वारा कामगारों को लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में योजनाएं एवं नियम क्या हैं; और

(ग) बीड़ी कामगारों का उनके नियोक्ताओं द्वारा शोषण रोकने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) लघु इकाईयों के लिए, मशीनों की सहायता के बिना विनिर्मित बीड़ियों के लिए एक वित्त वर्ष में (कागज पर लपेटी गई बीड़ियों के अलावा) 20 लाख बीड़ियों की सीमा तक उत्पाद शुल्क में छूट है।

(ख) बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित उपकर का उपयोग विभिन्न कल्याण स्कीमों के अंतर्गत बीड़ी कामगारों और उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और परिवार कल्याण के लिए किया जाता है।

पात्र बीड़ी कामगार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आते हैं।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 उन प्रत्येक कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। जिनमें एक लेखा वर्ष के दौरान किसी दिन 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं। किसी उद्योग में 3500/-रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन/मजदूरी न पाने वाला नियोजित कोई व्यक्ति वर्ष के दौरान स्वयं द्वारा अर्जित वेतन/मजदूरी के 8.33% का बोनस पाने का पात्र है। ये उपबंध बीड़ी कामगारों पर भी लागू हैं।

चूंकि बीड़ी बनाना राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजन में है, अत: राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समयोपरि, कार्य घण्टे अधिकृत कटौतियों आदि सहित न्यूनतम

मजदूरी को निर्धारित करने और संशोधित करने तथा तत्संबंधी भुगतान को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित सरकारें हैं।

(ग) सरकार ने नियोजकों के शोषण से बीड़ी कामगारों की सुरक्षा करने के लिए बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 बनाया है। यह अधिनियम सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर लागू है तथा इसे राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पशुपालन, डेयरी फार्म तथा मत्स्यन बंदरगाहों के लिए धनराशि

6457. **श्री ए. साई प्रतापः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश में पशुपालन, डेयरी कार्य तथा मत्स्यन बंदरगाहों के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विभाग पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी से संबंधित किसी योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन नहीं करता है। तथापि, धन की उपलब्धता, राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा धन की पूर्व उपयोगिता के आधार पर राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है। 2004-05 के दौरान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यन बंदरगाहों (7 मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए) के लिए आंध्र प्रदेश को क्रमशः 1927.01 लाख रुपए, 39.37 लाख रुपए तथा 123.18 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश को अब तक इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन परत का क्षय

6458. **श्री ई. पोन्नुस्वामीः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विशेषकर अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन परत में कोई बदलाव देखने को मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में हुए अध्ययन के क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) इस क्षेत्र में ओजोन परत के और अधिक क्षय को रोकने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय किये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी हां। भारतीय मौसम विभाग अंटार्कटिका में ओजोन परत की खड़ी परिच्छेदिका को मापने के लिए अध्ययन कर रहा है। यह माप यह दर्शाते हैं कि ओजोन सांद्रता मौसमी बदलाव दिखाती है। प्रत्येक वर्ष अन्य माह के दौरान औसतन ओजोन सांद्रता की तुलना में सितम्बर-अक्टूबर माह में ओजोन सांद्रता में लगभग 80 प्रतिशत की कमी हुई है। कुल ओजोन आंकड़ों के विश्लेषण भी यह दर्शाते है कि सितम्बर-अक्टूबर के दौरान कुल ओजोन लगभग 60 प्रतिशत कम हुआ है जब इसकी शेष माह में औसत मान से तुलना की गई। ओजोन परत, विशेषकर अंटार्कटिका के ऊपरी क्षेत्र में इसमें परिवर्तन के मुख्य कारण पूरे विश्व में ओजोन ह्रास पदार्थों का उत्सर्जन होना है।

(घ) ओजोन ह्रास के मामले से निपटने के लिए ओजोन परत की सुरक्षा हेतु वियना कन्वेंशन और ओजोन परत ह्रासकारी पदार्थों पर मांट्रियल प्रोटोकाल दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। इन समझौतों में विकासशील देशों सहित विकसित देशों में ओजोन ह्रासकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के उपाय शामिल हैं। भारत वियना कन्वेंशन और मांट्रियल प्रोटोकाल दोनों का पक्षकार है और इन समझौतों के उपबंधों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ओजोन ह्रासकारी पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के आवश्यक उपाए किए हैं। विभिन्न ओजोन ह्रासकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है और भारत में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता कार्यक्रमों के लिए सहायता

6459. **श्री कैलाश मेघवालः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता मंचों की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने, जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना तथा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राजस्थान सरकार को वर्ष-वार तथा शीर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान राज्य को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (आज की तारीख तक)
उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु	शून्य	शून्य	45,00,000 रु. (राज्य सरकार को)	शून्य
उपभोक्ता कल्याण कोष से जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना हेतु	जिला परिषद दौसा तथा अजमेर प्रत्येक को 2,50,000 रु.	शून्य	शून्य	शून्य
उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम चलाने हेतु	2,48,100 रु. (गैर-सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को)	4,40,000 रु. (गैर-सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को)	73,50,000 रु. राज्य सरकार) 8,20,500 रु. (गैर-सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को	शून्य

[अनुवाद]

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की मर्यादा

6460. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय वनों तथा वन्य जीवों को बचाने के लिए बने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में वन्य जीवों तथा वनों का सुरक्षित बना रहना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। इसके विपरीत ये अधिनियम हमारे वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में सहायक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:

(1) वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण पर्यावासों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। भारत सरकार ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराती है।

(2) संकटापन जानवरों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और इन्हें अधिकतम सुरक्षा प्राप्त है।

(3) जंगली वनस्पतिजात और प्राणिजात के स्व-स्थाने संरक्षण के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(4) पर्यावरणीय जागरुकता पैदा करने के लिए योजनाएं शुरु की जा रही है।

किसानों के लिए नई योजना

6461. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को कम दरों पर बिजली, पानी, उर्वरक तथा बीज आदि प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडों तथा मांस का उत्पादन

6462. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडों तथा मांस के उत्पादन में विश्व में भारत का पांचवां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्राजील के बाद अंडों तथा मांस का निर्यात मूल्य सर्वाधिक है जो कि सबसे कम है तथा अति चिंता का विषय है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उपयुक्त जांच प्रणाली बनाकर कठोर तथा बदलते हुए सुरक्षा मानकों को समायोजित करने हेतु क्षमता विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास/सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) चिकिन मीट उत्पादन में भारत का स्थान पांचवां तथा अंडा उत्पादन में छठा है।

(ख) और (ग) 2002-03 तथा 2003-04 के लिए कुल कुक्कुट उत्पादों का निर्यात मूल्य क्रमश: 156.47 करोड़ रुपए तथा 202.40 करोड़ रुपए है। 2000-2001, 2001-02 तथा 2002-03 के लिए अंडे तथा अंडे उत्पादों का निर्यात मूल्य क्रमश: 80.98 करोड़ रुपए, 127.54 करोड़ रुपए तथा 152.99 करोड़ रुपए है।

2003 के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील तथा भारत के लिए चिकन मीट तथा अंडों का आयात मूल्य निम्नलिखित है:

(मूल्य हजार $ में)

उत्पाद	संयुक्त राज्य अमरीका	ब्राजील	भारत
चिकन मीट	1517377	1709347	4422
मुर्गी के अंडे	121035	4183	29912

संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्राजील सबसे बड़े चिकन उत्पादक देश हैं। मूल्य के संदर्भ में नीदरलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमरीका सबसे बड़े मुर्गी अंडा निर्यातक देश है (एफएओ आंकड़े)।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) कतिपय कुक्कुट उत्पादों को वायु भाड़ा तथा समुद्री भाड़ा संबंधी राजसहायता दे रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, संरक्षण तथा विपणन के उद्देश्य से मूलभूत सुविधाओं के लिए सहायता देता है। ढांचागत विकास संबंधी योजना के तहत प्रशीतन भंडारण सुविधाओं के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत मीट तथा मीट उत्पादों एवं कुक्कुट उत्पादों के निर्यात के लिए मानकों को अधिसूचित किया गया है।

(2) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) ने जोखिम विश्लेषण संकटकालीन नियंत्रण केन्द्र (एचएसीसीपी) के क्रियान्वयन के लिए छ: एजेंसियों तथा जोखिम विश्लेषण संकटकालीन नियंत्रण केन्द्र (एचएसीसीपी) के प्रमाणीकरण के लिए तीन एजेंसियों को मान्यता दी है।

(3) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के पास प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। मुख्य खाद्य प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, कोची तथा मुम्बई में स्थित हैं। दिल्ली स्थित एक प्रयोगशाला (जो खाद्य अनाज परीक्षण के लिए है)

के अलावा मुख्य प्रयोगशालाएं कुक्कुट उत्पादों की विश्लेषणात्मक अपेक्षाओं की पूर्ण रूप से पूर्ति करती हैं।

(4) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति आधारित प्रमाणीकरण अंडे तथा कुक्कुट उत्पादों सहित बहुत से उत्पादों के लिए लागू होता है।

जल संसाधनों का विकास

6463. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के जल संसाधनों के त्वरित विकास के लिए धनराशि तथा प्रौद्योगिकी अद्यतनीकरण के संबंध में संसाधनों की कमी दूर करने के लिए विभिन्न वित्तपोषण एजेन्सियों से विदेशी सहायता के लिए समझौता कराने में राज्य सरकारों का सहयोग करती है; और

(ख) यदि हां, तो वित्त पोषण प्रदान करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को परियोजना वार तथा वर्ष-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) वित्तपोषण अभिकरणों का ब्यौरा देने वाला विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत प्राप्त संवितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	के दौरान प्राप्त संवितरण			स्थिति
		2002-2003	2003-2004	2004-2005	
1	2	3	4	5	6
	विश्व बैंक	(राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)			
1.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना (सिंचाई घटक)	26.77	28.02	13.33	निर्माणाधीन
2.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III	67.61	38.29	11.33	पूर्ण
3.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	11.74	-	-	पूर्ण
4.	जल विज्ञान परियोजना-बहु राज्य	19.23	9.55	1.51	पूर्ण
5.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	3.01	2.16	9.91	निर्माणाधीन
6.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	-	-	21.97	निर्माणाधीन
7.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	25.31	27.81	17.36	पूर्ण
8.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	5.40	5.10	18.42	निर्माणाधीन
9.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	37.42	13.98	8.82	पूर्ण
10.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	5.50	2.28	11.54	निर्माणाधीन
	ईईसी	(राशि मिलियन यूरो में)			
11.	उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	-	2.36	-	निर्माणाधीन
12.	पांडिचेरी टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	0.43	0.00	0.55	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
	जेबीआईसी-जापान	(राशि मिलियन येन में)			
13.	आंध्र प्रदेश कुर्नूल-कुडप्पा नहर परियोजना (ट्रैंच-2) का आधुनिकीकरण	3855.387	4325.924	2350.793	निर्माणाधीन
	(ट्रेंच-2)	-	-	822.064	निर्माणाधीन
14.	मध्यप्रदेश-राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	1738.816	1686.264	1385.984	निर्माणाधीन
15.	उड़ीसा रेंगाली सिंचाई परियोजना (ट्रेंच-1)	1210.606	1193.941	606.067	निर्माणाधीन
	(ट्रेंच-2)			177.318	निर्माणाधीन
	केएफडब्ल्यू-जर्मनी	(राशि मिलियन यूरो में)			
16.	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	0.350	1.360	0.731	निर्माणाधीन
17.	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	0.033	0.018	0.014	पूर्ण
	फ्रांस				
18.	गुजरात हाइड्रोप्लस फ्यूजगेट सिस्टम	-	0.137	0.087	पूर्ण
	नीदरलैंड				
19.	आंध्र प्रदेश-एपीडब्ल्यूईएलएल परियोजना	0.305	0.788	-	पूर्ण
20.	केरल सामुदायिक सिंचाई परियोजना	-	0.022	-	पूर्ण
21.	उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना	-	1.787	0.330	पूर्ण
	कनाडा	(राशि मिलियन कनाडियन डालर में)			
22.	राजस्थान कृषि एवं जलनिकास परियोजना	0.398	-	-	पूर्ण

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा मानकों का अनुपालन

6464. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकम्प और क्रूर सुनामी लहरों द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में हुई तबाही और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में हो रहे विशेष भौगोलिक परिवर्तनों के मद्देनजर देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं विशेषत: हिमाचल प्रदेश में कोल बांध और पार्वती जल विद्युत परियोजना जैसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय, भूकम्प संबंधी भौगोलिक परिवर्तन हेतु निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से की गई निगरानी से देश में निर्माणाधीन

पनविद्युत परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों के किसी गंभीर उल्लंघन की बात ध्यान में नहीं आई है। इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम निगरानी रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में पार्वती पनविद्युत परियोजना चरण-II और कोल बांध के मामले में अनुबद्ध पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों का संतोषजनक ढंग से अनुपालन किए जाने का पता चला है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार से अप्रैल, 2005 में पार्वती पनविद्युत परियोजना चरण II के चल रहे निर्माण कार्यों के कारण हुई पारिस्थितिकीय हानि के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन एच पी सी) के साथ पार्वती पन विद्युत परियोजना चरण-II स्थल के पर्यावरणीय पुनरुद्धार कार्यों के लिए मामला उठाया है।

[अनुवाद]

बाढ़ तथा भूमि कटाव नियंत्रण योजनाओं के लिए आबंटन

6465. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों को बाढ़ तथा भूमि कटाव निरोधी योजनाओं के लिए आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा कितना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि कटाव निरोधी कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च हुई तथा पिछले वर्ष की तुलना में बाढ़ से विनाश किस सीमा तक कम हुआ है तथा कितनी धनराशि का उपयोग नहीं हुआ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने के कारण, बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोधी कार्यों संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त-पोषण, एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, प्रेरणात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया करायी जाती है।

बहुत से राज्यों के लिए बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के वास्ते वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए, इस स्तर पर तुलना करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2002-03 के लिए वास्तविक व्यय/संशोधित परिव्यय और वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.75	13.75	3.75
2.	असम	21.41	33.70	35.13
3.	मणिपुर	3.09	11.20	10.20
4.	मेघालय	1.06	1.62	1.45
5.	मिजोरम	-	-	-
6.	नागालैण्ड	0.05	4.03	7.54
7.	सिक्किम	0.05	5.50	4.00
8.	त्रिपुरा	4.03	7.36	6.66

राज्य सरकारें प्रभावी नियंत्रण उपायों के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपाय प्रारंभ कर रही हैं। राज्यों ने वार्षिक योजना में निवेश के कारण बाढ़ सुरक्षा में वर्ष दर वर्ष उपयुक्त प्रगति की सूचना दी है।

असम में इफ्को विस्तार सेवाएं

6466. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक कॉरपोरेशन लिमिटेड (इफ्को) असम में विस्तार सेवाएं प्रदान करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में अपने नेटवर्क के माध्यम से इफ्को उत्पादों के वितरण हेतु इस कार्य में लगी सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य एजेन्सियों का शामिल करने की इफ्को की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां। इफ्को उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम के भाग के रूप में असम के किसानों के लिए विस्तार सेवाओं का आयोजन कर रही है।

(ख) इफ्को राज्य सहकारी विपणन संघ लि. (एसटीएटीएफईडी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) और असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एएआईडीसी) के अलावा ग्रामीण स्तर पर 20 सदस्यीय सहकारी समितियों के माध्यम से असम राज्य में अपने उर्वरकों का वितरण करती है।

(ग) और (घ) इफ्को का अन्य एजेंसियों को शामिल करने की योजना नहीं है। तथापि, सहकारी समितियां, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि एवं सहकारिता विभाग इन कार्यक्रमों से संबद्ध हैं।

आधुनिक भांडागारों की स्थापना

6467. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आधुनिक भांडागारों की स्थापना के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य भांडागर निगम के बीच कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल क्षमता में कितनी वृद्धि हुई तथा इस क्षमता में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी क्षमता का अधिग्रहण किया गया;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम इस समझौते का पूर्णत: पालन करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य भांडागार निगम आंध्र प्रदेश द्वारा कितनी राजसहायता का दावा किया गया;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को उक्त राजसहायता जारी करने का निदेश देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश सिंह): (क) जी, नहीं। तथापि, सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन पारंपरिक भंडारण क्षमता के सृजन के लिए आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और राज्य भांडागारण निगम के बीच एक समझौता हुआ था।

(ख) कुल 17.60 लाख टन क्षमता सृजित की गई थी और इसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस योजना में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजसहायता का कोई भुगतान शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

धान की भूसी का तेल

6468. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में धान की भूसी से खाद्य तेल उत्पादित करने के लिए स्थापित तेल मिलों की कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान तथा आज तक धान की भूसी का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार से प्रोत्साहन के अभाव में धान की भूसी से तेल निकालने वाली मिलें बंद होने के कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में चावल की भूसी के तेल सहित विभिन्न विलायक निष्कर्षण तेलों का उत्पादन करने के लिए स्थापित विलायक निष्कर्षण यूनिटों की कुल अनुमानित स्थापित क्षमता तेलयुक्त सामग्री के रूप में 310 लाख टन प्रतिवर्ष है।

(ख) 2003-04 और 2004-05 के दौरान उत्पादित चावल की भूसी के तेल की मात्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष (नवम्बर-अक्टूबर)	उत्पादित चावल की भूसी का तेल (अनुमानित)
2003-04	6.0
2004-05 (नवम्बर, 04-मार्च 05)	2.7

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक पेड़ों को काटने पर लगे प्रतिबंध से राजस्व नुकसान

6469. प्रो. चन्द्र कुमारः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान वाणिज्यिक प्रयोग वाले पेड़ों को काटने पर लगे प्रतिबन्ध के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रभावित राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से वाणिज्यिक प्रयोग वाले पेड़ों को काटने पर लगे प्रतिबंध से राजस्व नुकसान होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में लगभग 220.5 करोड़ रु. का राजस्व नुकसान हुआ है।

(ख) और (ग) बारहवें वित्त आयोग ने वनों के रखरखाव हेतु राज्यों को 1,000 करोड़ रु. का अनुदान देने की सिफारिश की है। यह राशि राज्यों के वन क्षेत्र के आधार पर बांटी गई है और इसे उनकी वन-सम्पदा के रखरखाव पर खर्च किया जाना अपेक्षित है। इस अनुदान का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वनों के रखरखाव के लिए दिए गए सहायता अनुदान का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2005-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	65.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
3.	असम	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00
4.	बिहार	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
5.	छत्तीसगढ़	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	85.00
6.	गोवा	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00
7.	गुजरात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
8.	हरियाणा	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
11.	झारखंड	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
12.	कर्नाटक	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	55.00
13.	केरल	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	115.00
15.	महाराष्ट्र	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	70.00
16.	मणिपुर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
17.	मेघालय	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
18.	मिजोरम	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
19.	नागालैण्ड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
20.	उड़ीसा	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00
21.	पंजाब	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
22.	राजस्थान	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
23.	सिक्किम	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	8.00
24.	तमिलनाडु	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
25.	त्रिपुरा	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
26.	उत्तर प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
27.	उत्तरांचल	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
28.	पश्चिम बंगाल	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
	कुल	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1000.00

जल ग्रहण क्षेत्र का विकास

6470. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): कृषि एवं सहकारी विभाग, कृषि मंत्रालय देश में आवाह क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

1. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों (आरबीपी एवं एफपीआर) के आवाहों में जलगुणवत्ता ह्रास वाले वाटरशेडों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण।

2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के झेलम, चेनाब और शिवालिक के आवाहों में ह्रास भूमि की पारिस्थितिकी-पुन: स्थापन परियोजना (प्रधानमंत्री का पैकेज)-वृहद प्रबंधन विधि के तहत निधि अलग से आबंटित की जाती है।

इन दो कार्यक्रमों को वृहद कृषि प्रबंधन (एमएमए) की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत शामिल किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार एमएमए के तहत उपलब्ध कराए गए आबंटन के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए इन स्कीमों के वास्ते निधि आबंटित कर रहे हैं। तमिलनाडु सहित सरकार आवाह क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में आवाह क्षेत्रों के विकास के लिए निधि का आबंटन

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2002-03 आबंटन	2003-04 आबंटन	2004-05 आबंटन
1	2	3	4	5
(क) आरवीपी एवं एफपीआर				
1.	आंध्र प्रदेश			
	(क) वन	391.76	518.92	467.10
	(ख) कृषि	288.00	351.00	300.00
	उप-जोड़	679.76	869.92	767.10
2.	अरुणाचल प्रदेश			25.00
3.	असम	220.00	30.00	60.00
4.	बिहार	73.50	73.50	49.49
5.	छत्तीसगढ़	289.00	130.00	111.22
6.	गुजरात (क) वन	126.66	125.00	118.00
	(ख) कृषि	450.00	332.00	749.00
	उप जोड़	576.66	457.00	867.00
7.	हरियाणा	70.00	120.00	150.00
8.	हिमाचल प्रदेश	617.77	659.17	678.62
9.	जम्मू-कश्मीर (आरवीपी)	443.11	339.65	628.00
10.	झारखण्ड			
11.	कर्नाटक	1500.00	1074.68	800.00
12.	केरल	230.00	300.00	300.00
13.	मध्य प्रदेश (क) कृषि	500.60	622.22	681.12
	(ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए)	200.00	500.00	312.22
	उप जोड़	700.60	1122.22	993.34
14.	महाराष्ट्र	900.00	700.00	700.00
15.	मणिपुर			
16.	मेघालय		5.00	15.00

1	2	3	4	5
17.	मिजोरम	100.00	100.00	132.28
18.	नागालैण्ड			60.00
19.	उड़ीसा	206.67	80.00	80.00
20.	पंजाब	88.88	27.78	40.00
21.	राजस्थान	1300.00	1300.00	1700.00
22.	सिक्किम		20.00	60.00
23.	तमिलनाडु	495.00	500.00	700.00
24.	त्रिपुरा	48.00	50.00	52.35
25.	उत्तर प्रदेश	1613.00	1610.29	1690.00
26.	उत्तरांचल	400.00	227.00	302.00
27.	पश्चिम बंगाल	203.34	350.00	270.80
28.	दामोदर घाटी कारपोरेशन	500.00	500.00	391.00
	मुख्यालय	40.00	39.00	40.00
	कुल	11295.29	10685.21	11663.70
(ख)	जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का विशेष पैकेज		732.00	3000.00
	कुल जोड़ (क + ख)	11295.29	11417.21	14663.70

[हिन्दी]

आम के पेटेंट के लिए कदम उठाना

6471. **श्री राजेन्द्र कुमारः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में आम के उत्पादन में वृद्धि के मद्देनजर आम के पेटेंट के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया)ः (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंद औद्योगिक इकाईयों के उपदान के भुगतान के मामले

6472. **कुंवर मानवेन्द्र सिंहः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उत्तर प्रदेश सहित बंद हुई औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य संस्थानों के कामगारों को बकाया उपदान तथा अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान से संबंधित राज्य-वार कितने मामले हैं;

(ख) बकाया धनराशि की स्वीकृति के लिए राज्य-वार कुल कितने कामगारों के मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या उपाए किये गए हैं या किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के निपटान के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये हैं या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (च) उपदान संदाय अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है जिसे केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम को मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के माध्यम से और राज्य क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है। राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र की बंद हुई औद्योगिक इकाईयों के उपदान तथा अन्य वित्तीय हितलाभों के भुगतान के मामलों की संख्या केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

नदियों के जल प्रवाह को मोड़ना

6473. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को कलासा तथा बांडूरा नालों के बीच बांध के निर्माण द्वारा मालाप्रभा बांध के लिए 7.56 टी एम सी पानी छोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने 2003 के दौरान महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा से विचार विमर्श के बाद महादयी/मानडोवी नदियों के जल मात्रा का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने अप्रैल, 2002 में हुबली/धारवाड़ नगरों की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कलसा और बंदूरीनाला स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से महादयी बेसिन से मालप्रभा बेसिन तक 7.56 टीएमसी जल के व्यपवर्तन के लिए अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से उनके प्रस्ताव की स्वीकृति के वास्ते केन्द्र सरकार से अनुरोध किया।

(ग) और (घ) मंडोवी (महादयी) जल विवाद पर चर्चा करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2002 में बुलाई गई अन्तर्राज्यीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग तीन बेसिन राज्यों के परामर्श से 31.3.2003 तक मंडोवी बेसिन का उत्पादन अध्ययन करेगा तथा उसे पूरा करेगा। तद्नुसार, सीडब्ल्यूसी द्वारा ये अध्ययन दिए गए। इस बेसिन की 75% विश्वसनीय उपलब्धि 5652 मि.घन मी. (199.6 टीएमसी) आंकी गई है।

(ङ) से (छ) जल संसाधन मंत्रालय ने 30 अप्रैल, 2002 को जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से हुबली/धारवाड़ की पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रस्ताव को ''सिद्धांत'' स्वीकृति दे दी। गोवा सरकार ने जुलाई, 2002 में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई इस स्वीकृति पर कड़ी आपत्ति जताई और इस विवाद का समाधान करने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया। इसके मद्देनजर, दोनों राज्यों के बीच समझौते द्वारा अथवा अधिकरण के अधिनिर्णय द्वारा इस मामले का समाधान करने की दृष्टि से इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई ''सिद्धांत'' स्वीकृति को सितम्बर, 2002 में 'आस्थगित' कर दिया गया। दोनों राज्यों ने महादयी जल के बंटवारे के संबंध में अभी तक कोई समझौता नहीं किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई का प्रबंधन

6474. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिंचाई प्रणाली को विकसित करने का है जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए कोई लक्ष्य ,निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं योजना के अंत तक कितने भू-क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) दसवीं योजना में पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वार्षिक औसत 8% वृद्धि दर की योजना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्राक्कलन किया गया है कि कृषि में 4% तक की वृद्धि करनी होगी। कृषि के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण एवं जीवनाधार निवेश है और कृषि में अनुमानित वृद्धि दर हासिल करने के लिए सिंचाई में आनुपातिक गति से वृद्धि करनी होगी।

(ग) और (घ) दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों ने सिंचाई क्षमता सृजन के लिए 16.743 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य का उल्लेख किया है। तथापि, दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में राज्यों के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए वास्तविक उपलब्धि 63% के लक्ष्य के करीब होने की संभावना है।

(ङ) दसवीं योजना के अंत में लगभग 104.31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मुहैया कराये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चावल और केरोसीन की उपलब्धता

6475. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आज की स्थिति के अनुसार खाद्यान्न विशेषकर चावल तथा केरोसीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में उक्त वस्तुओं की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के समान है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003-04 के लिए चावल सहित खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 169.1 किलोग्राम प्रति वर्ष और चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 71.1 किलोग्राम प्रति वर्ष आंकी गयी है। जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है, वर्ष 2005-06 के लिए इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 8.92 किलोग्राम प्रति वर्ष है। चावल सहित खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की गणना केवल राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। वर्ष 2005-06 के लिए विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल का प्रति व्यक्ति आंवटन 7.48 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो राष्ट्रीय औसत अर्थात 8.92 किलोग्राम प्रति वर्ष से कम है। विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल का आवंटन "हिस्टॉरिकल्स" आधार पर किया जाता है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिए गए रसोई गैस के नये कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए वर्ष 2001-02 से राज्यों को मिट्टी के तेल का आवंटन कम कर दिया गया है।

विवरण

(किलोग्राम प्रति वर्ष)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ष 2005-06 के दौरान मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.32
आंध्र प्रदेश	6.83
अरुणाचल प्रदेश	8.48
असम	9.69
बिहार	7.81
चण्डीगढ़	14.50
छत्तीसगढ़	7.07
दादरा और नगर हवेली	12.62
दमन और दीव	13.40
दिल्ली	12.22
गोवा	14.29
गुजरात	14.70
हरियाणा	6.91
हिमाचल प्रदेश	8.32
जम्मू और कश्मीर	7.55
झारखंड	7.85
कर्नाटक	8.75

1	2
केरल	6.79
लक्षद्वीप	13.12
मध्य प्रदेश	8.09
महाराष्ट्र	13.20
मणिपुर	8.33
मेघालय	8.85
मिजोरम	6.98
नागालैण्ड	6.69
उड़ीसा	8.58
पांडिचेरी	12.59
पंजाब	9.77
राजस्थान	7.06
सिक्किम	10.33
तमिलनाडु	9.00
त्रिपुरा	9.66
उत्तर प्रदेश	7.48
उत्तरांचल	10.60
पश्चिम बंगाल	9.38
कुल	8.92

[हिन्दी]

वर्षा जल संचयन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, किसानों को सहायता

6476. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री अजीत जोगी:
श्री मो. ताहिर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय जल संचयन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत 2004-05 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, किसानों सहित राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को भी अपना हिस्सा देना होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने किसानों को लाभ हुआ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.) किसानों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित वर्षा जल संचयन स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति में निवेश लागत तथा बैंक से ऋण के रूप में बकाया राशि का 50% की दर से सब्सिडी की व्यवस्था है। इस स्कीम का वास्तविक और वित्तीय कार्यक्रम निम्नानुसार है:

वर्ष	यूनिटों की संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	भारत सरकार की सब्सिडी (50%)	बैंक ऋण (50%)
			(रुपये लाख में)	
2004-05	20,000	4,000	2,000	2,000
2005-06	40,000	8,000	4,000	4,000
2006-07	40,000	8,000	4,000	4,000
कुल	100,000	20,000	10,000	10,000

इस स्कीम के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 की पिछली तिमाही में कार्यान्वयन बैंकों ने इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण प्रारंभ कर दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31 मार्च, 2005 को 64.67 लाख रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से 293 यूनिटों को वित्तपोषित किया जा चुका है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त पोषित यूनिटों की संख्या	दिया गया बैंक ऋण (50% की सब्सिडी सहित) (रुपये लाख में)
1.	त्रिपुरा	157	31.40
2.	उड़ीसा	72	21.60
3.	उत्तरांचल	59	10.78
4.	राजस्थान	4	0.60
5.	छत्तीसगढ़	1	0.29
	कुल	293	64.67

(ङ) और (च) जी नहीं, यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है।

इस वित्तपोषण पद्धति में राज्य सरकार का कोई अंशदान शामिल नहीं है। प्रत्येक राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या निम्नानुसार दी गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या
1.	त्रिपुरा	157
2.	उड़ीसा	72
3.	उत्तरांचल	59
4.	राजस्थान	4
5.	छत्तीसगढ़	1
	कुल	293

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के वास्तविक और वित्तीय कार्यक्रम के लिए केन्द्र प्रायोजित जल संचयन स्कीमें

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	इकाईयों की संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	सब्सिडी 50%	बैंक ऋण (50%)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7000	1400	700	700
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	60	30	30
3.	असम	2700	540	270	270
4.	बिहार	5000	1000	500	500
5.	छत्तीसगढ़	7000	1400	700	700
6.	गोवा	100	20	10	10
7.	गुजरात	5000	1000	500	500
8.	हरियाणा	1500	300	150	150
9.	हिमाचल प्रदेश	1000	200	100	100
10.	जम्मू और कश्मीर	500	100	50	50
11.	झारखंड	5000	1000	500	500
12.	कर्नाटक	4500	900	450	450
13.	केरल	1500	300	150	150

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	7000	1400	700	700
15.	महाराष्ट्र	7500	1500	750	750
16.	मणिपुर	400	80	40	40
17.	मेघालय	1000	200	100	100
18.	मिजोरम	200	40	20	20
19.	नागालैण्ड	600	120	60	60
20.	उड़ीसा	7000	1400	700	700
21.	पंजाब	2000	400	200	200
22.	राजस्थान	4000	800	400	400
23.	सिक्किम	100	20	10	10
24.	तमिलनाडु	5000	1000	500	500
25.	त्रिपुरा	600	120	60	60
26.	उत्तर प्रदेश	8000	1600	800	800
27.	उत्तरांचल	5000	1000	500	500
28.	पश्चिम बंगाल	10000	2000	1000	1000
29.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	500	100	50	50
	कुल	100000	20000	10000	10000

[अनुवाद]

केले की नई किस्म

6477. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र (एन आर सी बी) गुणवत्ता वाले फाइबर के उत्पादन हेतु केले की एक नई किस्म तैयार करने के लिए अनुसंधान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) किस प्रयोजनार्थ इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र ने उच्च गुणवत्ता वाले रेशे के लिए रोडोक्लेम्स ग्रुप के जंगली केले की किस्म का पता लगाया है। यह सामग्री उच्च गुणवत्ता वाले रेशे के उत्पादन के लिए केले के उन्नत किस्म के विकास हेतु केले की संभावित किस्म के संकरीकरण में इस्तेमाल की जा रही है।

(ग) अच्छे केले का रेशा निर्यातपरक फैन्सी सामान जैसे डिनर मैट, वॉल-हैंग्स, बढ़िया किस्म के कोयर-रोप, मैरिन कारडेजिस क्वालिटी पेपर तथा फैब्रिक्स बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

समवर्ती सूची में पर्यटन

6478. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के बारे में छह राज्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा कुछ कानूनी मामले हैं, जिनका विधि और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके। इसे देखते हुए समय-सीमा के बारे में बताना संभव नहीं है।

लघु भेषज इकाईयां

6479. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही लघु भेषज इकाईयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त इकाइयों में से कितनी अनुबंध के आधार पर औषधियां बना रही हैं;

(ग) अपने उत्पादों जेनरिक तथा ब्रांड वाली औषधियों का अलग से विपणन करने वाली उक्त इकाइयों की संख्या कितनी है;

(घ) ब्रांड वाली तथा जेनरिक औषधियों के उत्पादन का कुल मूल्य कितना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय भेषज मांग को पूरा करने में लघु भेषज उद्योग की मुख्य भुमिका है;

(च) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र का योगदान कितना है तथा देश में आज की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा कितने रोजगार का सृजन हुआ; और

(छ) बल्क ड्रग्स फार्मूलेशन तथा विश्व व्यापार संगठन की नई व्यवस्था दोनों में लघु भेषज इकाइयों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) उद्योग स्रोतों के अनुमान से देश में लद्यु उद्योग भेषज इकाइयों की संख्या लगभग 8000 है।

(ख) और (ग) लघु उद्योग इकाइयों का पंजीकरण और दवाइयों के विनिर्माण के लाइसेंस जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(घ) भारतीय औषध विनिर्माता संघ के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्रमशः 7779 रुपए और 27692 रुपए था।

(ङ) और (च) भेषज क्षेत्र में चल रही लघु उद्योग इकाइयां सूत्रयोगों के विनिर्माण में और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी ऐसी प्रकृति के ब्यौरे मानीटर नहीं किए जाते हैं।

(छ) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत लघु उद्योग औषध और भेषज इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। कर राहत के लिए एस एस आई इकाइयों को 4 करोड़ रुपए की सीमा तक दो विकल्प हैं: 1 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृति पर पूरी छूट अथवा 1 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृति पर सेनवेट क्रेडिट सहित सामान्य ड्यूटी होगी। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग इकाइयों को कुछ सूत्रयोगों की कीमतें लागू करने से पूरी तरह छूट है जिसके लिए सरकार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के तहत राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. न. 134 (ई) दिनांक 2 मार्च, 1995 के अनुसार निर्धारित करती है।

उड़ीसा में कपास की खेती

6480. श्री अनन्त नायक:
श्री जुएल ओराम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेषकर उड़ीसा में आज की स्थिति के अनुसार कपास की खेती के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र लाया गया है;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा सहित देश में कपास को कोड़ियों के दाम पर बेचने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो देश में कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि किसान कपास की खेती को बढ़ाने के योग्य हो सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 में कपास उत्पादन के तहत राज्य-वार क्षेत्र संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) से (घ) उड़ीसा सहित देश में कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार प्रतिवर्ष कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा करती है। वर्ष 2005-06 के लिए कपास हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही घोषित किये जा चुके हैं जो (एफ-414/एच-777/जे 34 किस्म) के लिए 1760 रु. प्रति क्विंटल और (एच-4 किस्म) के लिए 1980 रु. प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से कपास मूल्य के नीचे गिर जाने के कारण निराशाजनक बिक्री को रोकने के लिए भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.), भारत सरकार की नोडल एजेन्सी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश करता है। चालू मौसम, 2004-05 के दौरान सी.सी.आई. ने सकल भारतीय स्तर पर 138.53 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है जिसमें उड़ीसा में 1.28 लाख क्विंटल कपास की खरीद भी शामिल है।

कपास का उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए सरकार वर्ष 2001 से कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2004-05 में टी.एम.सी. उड़ीसा सहित 13 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

वर्ष 2004-05 में कपास के तहत क्षेत्र

('000 हेक्टेयर)

आंध्र प्रदेश	990
असम	1
गुजरात	1994
हरियाणा	621
कर्नाटक	450
केरल	1
मध्य प्रदेश	559
महाराष्ट्र	3041
उड़ीसा	46
पंजाब	509
राजस्थान	301
तमिलनाडु	180
उत्तर प्रदेश	5
अन्य	10
अखिल-भारत	8708

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा

6481. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक ऋण सुविधाएं देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को ऋणों की कितनी धनराशि प्रदान की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में शामिल किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2003 में मार्च के अंतिम प्रतिवदित शुक्रवार को खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र की यूनिटों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया अग्रिम की राशि 4726.93 करोड़ रु. थी। वैसे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान और विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के वास्ते योजना स्कीमें कार्यान्वित गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, की दर से सहायता दी जाती है। खाद्य पार्कों संबंधी एक अन्य प्रमुख स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट बुनियादी सुविधाओं के लिए सामान्य और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के क्रमशः 25% और 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है, सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

6482. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाथी तथा वन्य जीव परियोजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता तथा अनुग्रह राहत प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित तथा जारी की गई; और

(ग) धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय सरकार, हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों द्वारा उपद्रव के शिकार लोगों को अनुग्रह-पूर्वक राहत का भुगतान करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात हाथी परियोजना, बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई कुल धनराशि, अनुग्रहपूर्वक राहत के लिए आबंटित धनराशि और विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि अभी जारी नहीं की गई है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-वन्य प्राणियों की सुरक्षा, उनके पर्यावासों का विकास, मानव-जंगली जानवरों की भिड़ंत का उपशमन, अनुग्रह-पूर्वक राहत का भुगतान, क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रचार और जागरुकता, पशु-चिकित्सा सहायता आदि।

विवरण I

हाथी परियोजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	जारी की गई कुल धनराशि			अनुग्रहपूर्वक राहत के लिए धनराशि			उपयोग की गई कुल धनराशि*		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	50.00	55.00	48.00	2.00	3.00	3.00	45.00	47.27	एन.ए.
अरुणाचल प्रदेश	52.00	61.00	59.00	7.00	7.00	7.00	60.72	61.50	एन.ए.
असम	116.00	134.10	130.00	18.00	23.00	23.00	69.10	130.35	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	45.00	93.00	105.96	20.00	20.00	27.20	43.62	92.38	132.53
कर्नाटक	93.00	149.66	186.22	10.00	20.00	20.00	117.34	157.50	एन ए.
केरल	111.88	188.28	167.40	10.00	8.00	13.00	118.39	167.11	एन.ए.
मेघालय	41.00	64.00	70.00	10.00	12.00	15.00	45.00	59.64	एन.ए.
मिज़ोरम	5.00	–	–	–	–	–	0.00	5.00	एन.ए.
नागालैण्ड	49.00	42.00	29.00	5.00	5.00	6.00	35.00	56.00	एन.ए.
उड़ीसा	108.39	116.10	137.96	39.50	30.00	45.00	114.05	76.17	150.46
तमिलनाडु	71.26	117.00	84.00	10.00	30.00	23.00	57.62	107.30	एन.ए.
त्रिपुरा	3.00	16.00	17.00	3.00	1.00	2.00	3.00	16.00	एन.ए.
उत्तरांचल	107.00	129.00	138.90	19.00	12.00	12.00	101.55	109.74	एन.ए.
उत्तर प्रदेश	–	–	12.00	–	–	1.00	–	–	एन.ए.
पश्चिम बंगाल	86.47	119.95	148.54	15.00	20.00	28.00	103.98	107.43	एन.ए.
कुल	939.00	1285.09	1333.98	168.50	191.00	225.20	914.37	1193.39	

*पिछले वर्षों की बचत राशि का उपयोग भी शामिल है।

एन.ए.: सूचना प्रतीक्षित है।

विवरण II

बाघ परियोजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	जारी की गई कुल धनराशि			अनुग्रहपूर्वक राहत के लिए धनराशि			उपयोग की गई कुल धनराशि*		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	21.10	22.89	15.00	7.50	4.00	8.00	9.99	22.86	एन.ए.
अरुणाचल प्रदेश	35.88	68.75	35.00			0.25	28.77	66.29	21.05
असम	65.70	75.00	–	0.50	5.00	5.00	29.70	79.95	एन.ए.
बिहार	25.00	50.00	85.00				24.98	66.41	एन.ए.
छत्तीसगढ़	32.48	80.25	27.75	1.20			40.91	91.52	एन.ए.
झारखंड	18.00	35.99	72.50	2.00	1.50		77.00	33.84	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	289.56	269.32	486.29	0.50	5.00		184.89	292.24	एन.ए.
केरल	63.75	120.68	105.75			0.50	59.25	80.18	एन.ए.
मध्य प्रदेश	786.44	1103.41	582.43	12.00	2.50	7.50	658.68	579.11	एन.ए.
महाराष्ट्र	621.79	228.45	323.01				221.21	187.39	एन.ए.
मिजोरम	98.32	67.56	119.69	3.00	2.00		9.80	70.94	एन.ए.
उड़ीसा	32.88	151.91	116.44	0.50	4.00	3.00	99.41	65.50	85.91
राजस्थान	294.92	158.33	75.00	23.50	4.00		179.61	236.47	196.00
तमिलनाडु	125.00	35.00	80.00	1.50	2.00		102.53	63.40	एन.ए.
उत्तर प्रदेश	32.75	173.59	175.22	1.00		7.00	30.00	162.74	एन.ए.
उत्तांचल	168.00	200.91	200.12		5.00	3.00	157.52	188.29	एन.ए.
पश्चिम बंगाल	168.33	225.17	325.49	1.00	3.00	3.00	180.12	217.59	एन.ए.
कुल	2879.90	3067.21	2824.69	54.20	38.00	37.25	2094.37	2504.72	

*पिछले वर्षों की बचत राशि का उपयोग भी शामिल है।

एन.ए.: सूचना प्रतीक्षित है।

विवरण III

'राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास' योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	जारी की गई कुल धनराशि			अनुग्रहपूर्वक राहत के लिए धनराशि			उपयोग की गई कुल धनराशि*		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान एव निकोबार द्वीपसमूह	20.75	0.00	69.40	1.00		1.25	0.00	0.00	एन.ए.
आंध्र प्रदेश	82.73	89.31	71.70	0.50	3.25	0.50	83.24	70.54	एन.ए.
अरुणाचल प्रदेश	105.04	151.05	111.09	2.00	1.80		61.01	107.61	एन.ए.
असम	162.14	93.68	213.45				48.25	227.89	एन.ए.
बिहार	0.00	24.65	0.00				0.00	0.00	एन.ए.
चंडीगढ़	14.00	0.00	0.00				14.00	0.00	एन.ए.
छत्तीसगढ़	92.03	295.94	227.29	1.00	12.95	1.75	91.17	255.98	एन.ए.
दादरा एव नगर हवेली	15.25	0.00	20.00				8.69	0.00	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	0.00	36.46	37.50			0.25	0.00	9.68	एन.ए.
गुजरात	90.37	52.14	223.93				29.04	222.81	एन.ए.
हरियाणा	18.75	24.84	45.10				29.14	38.49	एन.ए.
हिमाचल प्रदेश	93.85	168.96	343.52		2.00		74.67	182.89	एन.ए.
जम्मू-कश्मीर	99.90	138.83	63.20		2.91		62.10	76.91	एन.ए.
झारखंड	29.89	54.62	77.59				29.89	21.50	एन.ए.
कर्नाटक	599.02	693.96	546.24				225.79	719.64	एन.ए.
केरल	198.98	188.37	238.79				240.60	220.66	एन.ए.
मध्य प्रदेश	196.33	344.36	268.48	0.63	0.43	3.00	195.72	273.58	एन.ए.
महाराष्ट्र	168.20	165.25	108.05		2.00	1.50	169.52	129.79	एन.ए.
मणिपुर	64.50	57.80	110.59	1.00			64.50	49.50	एन.ए.
मेघालय	40.25	93.07	84.82			0.50	57.64	96.25	एन.ए.
मिजोरम	235.60	231.84	315.04	5.60	1.00	8.60	201.42	214.89	एन.ए.
नागालैण्ड	107.84	42.70	32.32	0.50			76.00	39.63	एन.ए.
उड़ीसा	82.57	187.25	370.27	2.15	2.70	7.50	92.26	115.91	एन.ए.
पंजाब	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	एन.ए.
राजस्थान	366.27	214.82	246.62	0.25	4.45	1.57	208.76	328.46	एन.ए.
सिक्किम	132.76	108.92	74.40	0.50			119.16	102.30	एन.ए.
तमिलनाडु	136.11	139.76	158.75	3.00	2.00	2.00	118.41	143.93	एन.ए.
त्रिपुरा	101.88	245.27	49.13	2.00	1.00	0.20	71.28	54.09	एन.ए.
उत्तर प्रदेश	137.36	164.37	287.53	0.20	0.20	0.25	118.28	177.12	एन.ए.
उत्तरांचल	77.99	96.39	68.20	12.89	10.55	4.50	61.21	63.34	एन.ए.
पश्चिम बंगाल	223.67	214.17	317.24	4.00	4.00		235.29	231.82	एन.ए.
कुल	3694.03	4318.78	4780.24	37.22	51.24	33.37	2787.04	4175.21	

*पिछले वर्षों की बचत राशि का उपयोग भी शामिल है।

एन.ए.: सूचना प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति जल की खपत

6483. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औसतन प्रति व्यक्ति जल की खपत का अनुमान 91.6 लीटर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल खपत तुलनात्मक रूप से भारत से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में वर्षा तथा नदियों से देश को जल की कितनी मात्रा प्राप्त होती है; और

(च) कुल उपलब्ध जल में से जल की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति जल की खपत नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं.	शहरों/नगरों का वर्गीकरण	संस्तुत अधिकतम जल आपूर्ति स्तर (एलपीसीडी)
1.	ग्रामीण आपूर्ति	40
2.	पाइप से जल आपूर्ति वाले परन्तु सीवरेज प्रणाली रहित शहर	70
3.	शहर जहां पाइप से जल आपूर्ति है एवं सीवरेज प्रणाली उपलब्ध/अपेक्षित है।	135
4.	पाइप से जल आपूर्ति वाले मैट्रोपोलिटन तथा महानगर जहां सीवरेज प्रणाली उपलब्ध/अपेक्षित है।	150

(ग) और (घ) जल तथा स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यू.एस.पी.एस.ए.) की रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों के अलग-अलग शहरों में प्रति व्यक्ति खपत में उल्लेखनीय रूप से 80 एलपीसीडी से 424 एलपीसीडी की भिन्नता है।

(ङ) और (च) देश में औसत वार्षिक वर्षण 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता का आकलन 1869 बीसीएम है। जिसमें से स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक तथा अन्य प्रतिबंधों के चलते प्रयोज्य प्रवाह 1122 बीसीएम रह जाता है जिसमें 432 बीसीएम पुनर्भरणीय भू जल है।

नदियों के जल का उपयोग

6484. **श्री नीतीश कुमार:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल के उपयोग हेतु परियोजनाओं के निर्माण के लिए पड़ोसी देशों के अनुमोदन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशवार वे नदियां कौन-कौन सी हैं जिनके लिए पड़ोसी देशों से संपर्क किया गया है; और

(घ) भारत सरकार तथा पड़ोसी देशों के बीच देशवार कितनी परियोजनाएं विचाराधीन हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) देश के भीतर और हिमालय से निकलने वाली नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में पड़ोसी देशों से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, जहां ऐसी परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं अथवा देश की ऊपरी तटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किया जाना हो, वहां ऐसे देशों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण के लिए शहरी सरकार नेपाल के साथ संपर्क किया गया है;

1. महाकाली/शारदा-पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

2. करनाली/घाघरा-करनाली बहुउद्देश्यीय परियोजना

3. राप्ती-भालूबंग बहुउद्देश्यीय परियोजना

4. बागमती-बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना

5. कमला-कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना

6. कोसी-सप्त कोसी उच्च बांध-सन कोसी भण्डारण सह डायवर्जन स्कीम

जहां तक पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना का संबंध है, संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। परियोजना की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श जारी है।

जहां तक सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन-कोसी भण्डारण एवं डायवर्जन स्कीम का संबंध है, परियोजना के क्षेत्र अन्वेषण प्रारंभ करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अगस्त, 2004 में नेपाल में भारत और नेपाल के एक संयुक्त परियोजना कार्यालय (जेपीओ) की स्थापना की गई है। भारत, में अक्टूबर, 2004 में नेपाल की सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। नेपाल इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए सप्तकोसी-सन कोसी परियोजना के संयुक्त परियोजना कार्यालय द्वारा कमला पर व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ करने और बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए सहमत हो गया है ताकि इस पर समुचित रूप से ध्यान दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक संधि भी हुई है जिसे ''सिंधु जल संधि, 1960'' के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार संधि में उल्लिखित कुछ प्रावधानों के अलावा, पूर्वोत्तर नदियों (सतजल, व्यास और रावी) का जल भारत के लिए निर्बाध उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, संधि के अनुसार, पाकिस्तान पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चेनाब) का सभी जल प्राप्त करेगा जिसे भारत द्वारा अनिवार्य रूप से संधि में निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रवाहित किया जाना है। संधि के प्रावधानों के अनुसार पश्चिमी नदियों पर परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए भारत को अनुमति भी दी गई है तथा प्रावधानों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं की सूचना पाकिस्तान को देनी अपेक्षित है। इस संबंध में यदि पाकिस्तान को कोई आपत्ति हो तो वह इसकी सूचना भारत को देगा और इसे संधि में यथा विर्निदिष्ट प्रावधानों के अनुसार हल किया जा सकता है। तीन परियोजनाएं अर्थात बगलिहार जल विद्युत परियोजना, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और तुलबल नौवहन परियोजनाओं पर इस समय दोनों देशों के बीच सक्रिय विचार विमर्श रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच वर्ष 1996 में फरक्का पर नदी जल के बँटवारे के संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं। संधि के प्रावधानों के अनुसार बंगलादेश को जल जारी किया जा रहा है।

प्रायोगिक परियोजना स्कीम

6485. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटक अवसंरचना के सृजन और विकास में सहायता देता है। पर्यटन मंत्रालय ने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अभियान आदि में व्यापक प्रचार करके अपने मार्केटिंग कार्यक्रम के द्वारा पर्यटन के संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं।

खाद्यान्न का उत्पादन

6486. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल हेक्टेयर क्षेत्र कितना है, जहां इस समय खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है तथा एक वर्ष में खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) उपरोक्त में से कितना हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जोकि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है तथा जहां वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने का है जिससे कि इस पर एक से अधिक फसलें उगाई जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 1998-99 से 2002-03 से पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के अंतर्गत औसत क्षेत्र 120.78 मिलियन हेक्टेयर है तथा उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों का औसतन उत्पादन 199.40 मिलियन टन है।

(ख) उक्त में से 68.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्र का 57%) वर्षा सिंचित है, जिसमें से लगभग 42.34 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र एक फसल के अंतर्गत है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को लाने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की दृष्टि से एक अभिबल वाले क्षेत्र के रूप में सरकार ने सिंचाई को अभिज्ञात किया है। वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में सिंचाई को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से संबंधित परिव्यय वर्ष 2004-05 में 2800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 4800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-06 में छोटी सिंचाई के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य

6487. श्री सुनील खां:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य जोकि पाकिस्तान तथा अन्य सार्क देशों से कम है पेटेंट अधिनियम में संशोधन के पश्चात् अन्य देशों से भी कम मूल्य पर उपलब्ध होंगी;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के बीच जीवनरक्षक औषधियों के मूल्यों में भिन्नताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पेटेंट अधिनियम में और संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन के जरिए औषधों (दवाओं) के लिए उत्पाद पेटेंट तंत्र लागू किया गया है। देश में विद्यमान पेटेंट कानून में सशक्त और व्यापक सुरक्षा तंत्र का प्रावधान है और अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य लाइसेंसिंग के जरिए उचित मूल्य पर उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रावधान हैं। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2003 में शामिल सहित भारतीय बाजार में उपलब्ध अनेक औषध पेटेंट रहित हैं और नए पेटेंट तंत्र से उनका मूल्य-निर्धारण प्रभावित नहीं होगा। इससे दवाओं की उपलब्धता और कीमतों पर भी तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पर्यटन सुरक्षा बल

6488. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटक सुरक्षा बल की एक नई कंपनी को दिल्ली विमानपत्तन पर विदेशी पर्यटकों की सहायता करने तथा उन्हें दलालों से बचाने के लिए तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बल को पर्यटन संबंधी पक्षों संबंधी प्रबोधन प्रशिक्षण तथा अंग्रेजी वार्तालाप का प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बलों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ही नहीं परन्तु पर्यटक केन्द्रों तथा तीर्थस्थलों सहित देश के 'बीच रिजोर्टों' पर भी तैनात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने पर्यटकों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक पुलिस तैनात की है। इस बल को पर्यटन संबंधी पहलुओं में अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। चयन स्तर पर ही अंग्रेजी में वार्तालाप करने में उनकी क्षमता एक महत्वपूर्ण आधार थी।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि वे सभी महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों/गंतव्यों पर पर्यटक पुलिस तैनात करें। कई राज्यों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

मछुआरों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

6489. **श्री काशीराम राणा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने मछुआरों को राज्यवार आधुनिक मत्स्यन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की स्थिति के अनुसार मछुआरों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने मछुआरों को लाभ पहुंचा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य मत्स्य कृषकों/मछुआरों की दक्षता को बढ़ाना है। तथापि, योजना के अंतर्गत मछुआरों को मत्स्यन उपकरण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 183 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई है। विभिन्न राज्यों में इस अवधि के दौरान प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों/मछुआरों की संख्या 10415 है।

महादयी नदी का जल प्रवाह

6490. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महादयी नदी के अरब महासागर में जल प्रवाह की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने सरकार से इसके प्रस्थगन को वापस लेने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) मन्डोवी (महादयी) जल विवाद पर चर्चा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2002 में बुलाई गई अंतर-राज्यीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तीन बेसिन राज्यों के परामर्श से मन्डोवी बेसिन की जल उपलब्धता संबंधी अध्ययन 31.3.2003 तक करे और उसे पूरा करे। तदनुसार सीडब्ल्यूसी द्वारा अध्ययन किए गए। इस बेसिन की 78% विश्वसनीय जल उपलब्धता की 5652 मिलियन घन मीटर (199.6 टीएमसी) के रूप में गणना की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) आस्थगन समाप्त करने संबंधी अन्तिम निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि कर्नाटक और गोवा राज्य, महादयी जल के बंटवारे संबंधी समझौते को कितनी जल्दी संपन्न करते हैं।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र को सिंचाई परियोजनाएं सौंपना

6491. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन के लिए सिंचाई परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.पी.एफ. की नई कवरेज

6492. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.पी.एफ. की नई कवरेज संख्या में कमी आई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ताओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चूककर्ताओं की संख्या कम करने तथा उन्हें हतोत्साहित करने के लिए आवधिक निरीक्षण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नियोक्ताओं ने समय पर अपने कामगारों को ई.पी.एफ. बकाए का भुगतान नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक कितनी शिकायतें मिली है; और

(च) सरकार द्वारा चूककर्ताओं पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नयी कवरेज के साथ-साथ नामांकित किए गए सदस्यों की संख्या बढ़ी है। समय-समय पर विशेष कवरेज अभियान भी चलाए जाते हैं। जनवरी, 2005 से मार्च, 2005 की अवधि के दौरान एक देशव्यापी विशेष कवरेज अभियान भी शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, 19,854 प्रतिष्ठानों के 6,02,669 सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किया गया था।

प्रतिष्ठानों में इसके अनुपालन की नियमित निगरानी कम्प्यूटराइज्ड ट्रेकिंग सिस्टम (सी सी टी एस) नामक एक कम्प्यूटरीकृत पद्धति के माध्यम से की जाती है और चूक पाए जाने अथवा किसी विशेष शिकायत के प्राप्त होने पर, निरीक्षण किये जाते हैं, जिससे कि भविष्य में होने वाली चूक को रोका जा सके।

(घ) से (च) सांविधिक उपबंधों के अनुसार, नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों ही के हिस्से का कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान किया जाना आवश्यक है। नियोक्ता द्वारा कामगारों को सीधे बकाया राशि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होता है। तथापि, प्राप्त शिकायतों तथा उनके निपटान के ब्यौरे निम्नवत है:

	2001-2002	2002-2003	2003-2004
कुल प्राप्त शिकायतें	178364	91623	66141
निपटाए गए मामले	174525	86931	63752
शेष मामले	3839	4692	2389
निपटान का प्रतिशत	97.84%	94.87%	96.39%

जब कभी कोई चूक पायी जाती है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8च, 8ख से 8छ, 14(1)(क), 14ख और 7थ के अंतर्गत तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 एवं अपराध दण्ड संहिता की धारा 110 के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

कृषि फसलों के लिए अनुसंधान

6493. श्री पी. सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य फसलों सहित कृषि फसलों के लिए अनुसंधान पर ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कृषि फसलों के अनुसंधान और विकास में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नारियल, सुपारी, कपास तथा चावल के लिए ऐसे कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या चावल की खेती के लिए जापानी प्रौद्योगिकी हाईड्रोपोनिक्स का भारत में परीक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादन तथा उत्पादकता की लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(च) क्या इस प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा किसानों को इसकी जानकारी देने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) अंतर-संकरित किस्मों और संकरों को विकसित करने हेतु आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी तथा प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जो उच्च उपज वाली जैविक और अजैविक दबावों के प्रतिरोधी/सहिष्णु हैं, निवेश उपयोग में कारगर हैं और यंत्रीकरण के अनुकूल हैं; विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकियों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, आनुवंशिक संसाधन संरक्षण व सम्वृद्धि; बीज उत्पादन और प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन तथा मूल व नीतिगत प्रकृति के उत्कृष्ट अनुसंधान को उन्नत बनाने हेतु प्रयास किये गये हैं।

(ग) जी, हां। कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में हो रहे कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में नारियल और सुपारी पर, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर और इसके केन्द्रों में कपास पर तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक व चावल

अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में चावल की उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार लाने हेतु इसके विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है।

(घ) से (छ) हाईड्रापोनिक्स के द्वारा पूर्ण रूप से बिना मिट्टी वाले जल के अंतर्गत चावल की पौध खेती की जा रही है। पानी में चावल की पौध के लिए अपेक्षित प्रमुख व सामान्य पोषक तत्वों को मिलाकर अनुकूल बनाया जाता है तथा हवा को परिचालित करके आक्सीजन दी जाती है। पूरी व्यवस्था सामान्य पर्यावणीय चैम्बरों के अंतर्गत की जाती है। यह तकनीक बहुत ही महंगी है इसलिए इसे केवल अनुसंधान प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर खेती के लिए नहीं।

इंटेग्रेटिड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम-राइस संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

6494. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के इंटिग्रेटिड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम-राइस (आईसीडीपी-राइस) संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की राज्य-वार उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक किसानों और महिलाओं को संकर चावल उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण, प्रमाणित बीजों का कृषि उत्पादन में प्रयोग इत्यादि हेतु इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाने तथा इस महत्वपूर्ण खाद्य फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये गये?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लौह अयस्क का निर्यात

6495. श्री जुएल ओराम:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां निर्यात हेतु लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल) सहित लौह अयस्क कंपनियों द्वारा निर्धारित टर्न ओवर लक्ष्य कितना है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनीवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) क्या इन कंपनियों विशेषकर के आई ओ सी एल द्वारा लौह अयस्क के निर्यात में विशेष वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश वे राज्य हैं जहां लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है और इसका निर्यात किया जाता है।

(ख) सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्धारित कारोबार संबंधी लक्ष्यों का प्रबोधन नहीं करती है। जहां तक इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केआईओसीएल सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि सरकार निर्यात किए जाने से पहले घरेलू मांग पूरी करने को प्राथमिकता दे रही है। केआईओसीएल के मामले में पहले से ही खुदाई किए गए क्षेत्र में खनन कार्य को प्रतिबंधित करने के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30.10.2002 के आदेश के चलते निर्यात में ठहराव आ गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केआईओसीएल/एनएमडीसी/ओएमडीसी द्वारा निर्धारित कारोबार संबंधी लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

मात्रा: दस लाख टन

वर्ष	लौह अयस्क सांद्रण मात्रा		लौह अयस्क पैलेट मात्रा	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2004-05 (अनंतिम)	1.400	0.707	3.500	3.799
2003-04	1.500	1.522	3.400	3.628
2002-03	2.000	2.302	3.500	3.540

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी)

मात्राः दस लाख टन

वर्ष	लक्ष्य मात्रा	वास्तविक मात्रा
2004-05 (अनंतिम)	20.0	23.11
2003-04	20.0	20.66
2002-03	19.0	19.51

उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी (ओएमडीसी)

मात्राः दस लाख टन

वर्ष	लक्ष्य मात्रा	वास्तविक मात्रा
2004-05 (अनंतिम)	2.3	2.9
2003-04	0.96	*3.2
2002-03	0.73	1.6

[हिन्दी]

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष

6496. **प्रो. महादेव राव शिवनकरः**
श्रीमती अनुराधा चौधरीः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष से कृषि वरीयता क्षेत्रों तथा ऋण की कमी को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है;

(ख) आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत एक से आठ तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तथा इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर.आई.डी.एफ. का दायरा बढ़ाने के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है तथा इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(घ) क्या सरकार ने आर.आई.डी.एफ. का दायरा बढ़ाने के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ङ) कृषि से संबंधित किन क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जायेगी।

मानसून विफल रहने के कारण सूखे का पूर्वानुमान

6497. **श्री वी.के. ठुम्मरः**
श्री जीवाभाई ए. पटेलः
श्री एन. जर्नादन रेड्डीः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न वैश्विक पूर्वानुमानों के अनुसार भारत में वर्ष 2005 के दौरान मानसून विफल होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसा तंत्र स्थापित किया है जिससे उन जिलों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जिनके सूखाग्रस्त होने की संभावना है ताकि ऐसी समस्या से निपटने के लिए समय से पहले कार्य योजना तैयार की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौन-कौन से राज्य चार-पांच वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति झेल रहे हैं;

(च) सूखा संभावित राज्यों में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बहुत से विश्व जलवायु पूर्वानुमान केन्द्र समूचे विश्व के लिए वर्षा की मौसमिक भविष्यवाणी नियमित रूप से तैयार करते हैं। नवीनतम विश्व स्तरीय भविष्यवाणियों के

अनुसार भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा 2005 में सामान्य के करीब या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में, कोई भी मॉडलिंग समूह भारत में 2005 के दौरान मानसून की असफलता की सूचना नहीं दे रहा है। तथापि, कुछ मॉडल जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 2005 के महीनों में एल-नीनो के घटित होने की 50 प्रतिशत संभावना का पूर्वकथन कर रहे हैं; जो सम्भवतः इन महीनों में भारतीय उप-महाद्वीप में वर्षा को प्रभावित कर सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारतीय मानसून की वर्षा और एल-नीनो के बीच पूर्ण साहचर्यता का संबंध नहीं है। विश्व जलवायु पूर्वानुमान केन्द्र नवीनतम वायुमण्डलीय तथा समुद्र सतह के तापमान संबंधी आंकड़ों को शामिल करके प्रत्येक माह अपनी भविष्यवाणियों को अद्यतन बनायेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये गये दीर्घकालीन पूर्वानुमान के अनुसार 2005 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा (जून-सितम्बर) + 5% की मॉडल त्रुटि के साथ दीर्घकालीन औसत का 98% होने की संभावना है। जून, 2005 के आखिरी सप्ताह में आई.एम.डी. एक अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में एक पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना की है, जिसके जरिये सूखे से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों/उप-प्रभागों के बारे में पूर्वानुमान किया जा सकता है। तथापि, यह पूर्वानुमान प्रणाली वर्तमान में केवल अनुसंधान पद्धति के रूप में काम कर रही है तथा 2007/2008 तक इसके प्रचालित होने की संभावना है।

राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम भविष्यवाणी केन्द्र ने भी कुछ विश्व स्तरीय माडलों का उपयोग करते हुये जिला स्तरीय मीडियम रेंज पूर्वानुमान का सृजन करने के लिए कार्यवाही शुरू की है।

इसके अलावा, कृषि मंत्रालय ने भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और भारत तथा विदेश स्थित अन्य प्रमुख संस्थाओं की मदद से विकसित किये जाने के लिये कृषि में जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिये एक्सटेंडेड' रेंज पुर्वानुमान प्रणाली के विकास के लिये एक परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य हमारी कृषि प्रणाली को संसाधनों के इष्टतम उपयोग और जोखिम को न्यूनतम बनाने की आवश्यकता के अनुरूप उचित समय पर तथा स्थान के पैमाने पर विस्तृत परास पुर्वानुमान प्रणाली के विकास की ओर अनुसंधान व वैज्ञानिक क्षमताओं को उन्मुख करना है।

(ङ) विगत 4-5 वर्षों के दौरान अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा केरल के उप-प्रभागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण वर्ष भर रहने वाली समस्यायें उत्पन्न हुईं। अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में विगत 5 वर्षों के दौरान लगातार अपर्याप्त वर्षा (वर्षा में कमी 19% से अधिक) हुई। केरल में भी विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार कम वर्षा हुई। कर्नाटक के भीतरी भागों में 2002 में तथा 2003 में कम वर्षा हुई। 2002 में, जो कि एक प्रमुख सूखा वर्ष था, कुल 21 मौसम विज्ञान उप-प्रभागों में कम वर्षा हुई। लेकिन, 2003 में केवल 5 मौसम विज्ञान उप-प्रभागों में कम वर्षा हुई। सन 2004 में 13 मौसम विज्ञान उप-प्रभागों में कम वर्षा हुई। उप-प्रभागीय आधार पर किसी भी मौसम विज्ञान उप-प्रभाग में मौसम के अंत में गंभीर सूखे की स्थिति (मौसम में वर्षा में 50% से अधिक की कमी) उत्पन्न नहीं हुई। तथापि, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ तथा तेलंगाना में मध्यम सूखे की स्थितियां (मौसम में वर्षा में 25 से 50% के बीच कमी) उत्पन्न हुईं।

(च) सूखा प्रवण राज्यों में किसानों की मुसीबतों का निराकरण करने के लिये सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं। उनमें से प्रमुख ये हैं-(1) पनधारा कार्यक्रमों का विकास (2) मृदा संरक्षण विधियों का क्रियान्वयन, (3) जल भण्डारण संरचनाओं तथा फार्म पोखरों को निर्माण, (4) काम के बदल अनाज कार्यक्रम, (5) वैकल्पिक फसलन प्रणाली तथा (6) सस्य-वानिकी का विकास।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड समूचे देश में सक्षम जलभृत अंचलों की पहंचान करने के लिये तलाश करने वाले ट्यूब वेलों का निर्माण करता है। तलाश के दौरान खुदाई किये गये सफल कूपों को जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये राज्यों को सौंप दिया जाता है। सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में तलाश पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार बोर्ड ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 5983 तलाश करने वाले कूपों की खुदाई की है।

(छ) और (ज) राज्यों के राहत आयुक्तों के अधीन पर्याप्त समस्या प्रबंधन प्रणाली काम कर रही है। इन व्यवस्थाओं से सूखा प्रभावित आबादी की मुसीबतों का समय पर शमन हो सका है।

इसके अलावा, एक फसल मौसम निगरानी समूह जो केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है तथा जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं, कम वर्षा/सूखे की स्थितियों के कारण उत्पन्न स्थिति की मानीटरिंग तथा समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठक करता है।

[अनुवाद]

सूखा क्षेत्रों हेतु खाद्यान्न भंडारण के मानदंड

6498. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखाप्रवण राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में खाद्यान्नों के न्यूनतम भंडारण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है;

(ख) क्या सरकार का विचार सूखाप्रवण राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए खाद्यान्नों का दो माह का स्टॉक रखने के मानदंड निर्धारित किए हैं, ताकि वे अपनी खाद्यान्नों की आवश्यकता पूरी कर सकें।

(ख) सूखा संभावित सभी राज्यों में पर्याप्त भंडारण क्षमता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संबंधी लंबित मामले

6499. श्री सूरज सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसाधनों के अभाव में उपभोक्ता अदालतों का कार्य प्रभवित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता अदालतों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों की उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उपभोक्ता अदालतों के कार्यकरण को आधुनिक बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) राज्य तथा जिला स्तर पर उपभोक्ता मंत्रों की स्थापना करना और उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए अपनी निधि से सभी अपेक्षित आधारढांचा उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान 10.20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि फिलहाल कुछ राज्यों के उपभोक्ता मंचों के आधारढांचे को सुदृढ़ किया जा सके। इससे पहले वर्ष 1995-99 की अवधि के दौरान इसी प्रयोजन हेतु 61.80 करोड़ रुपए की राशि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई थी।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के उपभोक्ता मंचों में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

इन राज्यों के राज्य आयोगों तथा जिला मंचों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे मामलों का यथाशीघ्र निपटान करें। शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने, प्रतितोष एजेंसियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने, उन्हें अधिक शक्ति प्रदान कर मजबूत बनाने, प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा अधिनियम के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु हाल ही में वर्ष 2002 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में भी संशोधन किए गए हैं ताकि उसे और अधिक कार्यात्मक बनाया जा सके।

(घ) उपभोक्ता मंचों के आधारढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार ने उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण का आधुनिकीकरण करने और उसमें सुधार लाने के लिए "देश में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग" की स्कीम भी शुरू की है। 48.64 करोड़ रुपए की इस स्कीम को 2004-05 से तीन वर्षों में तीन चरणों में टर्न की परियोजना के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है और इस का उद्देश्य ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और सक्षमता प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकीय समाधान मुहैया कराना है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता मंचों में लंबित मामलों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	राज्य आयोग		जिला मंच	
		लंबित मामले	की तारीख के अनुसार	लंबित मामले	की तारीख के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	9	31.12.2004	40	31.12.2004
2.	असम	856	31.12.2004	884	30.9.2004
३.	मणिपुर	27	30.6.2003	35	31.12.2003
4.	मेघालय	39	30.6.2003	14	30.9.2003
5.	मिजोरम	42	30.6.2004	240	30.6.2004
6.	नागालैण्ड	7	31.12.2004	49	30.6.2004
7.	सिक्किम	2	30.6.2004	2	30.6.2004
8.	त्रिपुरा	220	31.3.2005	175	31.1.2004

नष्ट हो चुके खाद्यान्न

6500. **श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में नष्ट हो गए;

(ख) खाद्यान्नों के नष्ट होने के कारण क्या थे; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के स्टॉक तथा एफ.सी.आई. द्वारा आवंटित किए गए खाद्यान्नों का ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्नों के कुल स्टॉक में से 65,330 टन खाद्यान्नों की मात्रा वर्ष 2004-05 के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त हुई मात्रा के क्षेत्रवार और अनाज-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारित खाद्यान्नों का यह स्टॉक कवर और प्लिंथ के अधीन दीर्घावधि भंडारण और वर्षा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न कारकों के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के स्टॉक और इस अवधि के दौरान निपटान किए गए स्टॉक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(आंकड़े टन में)

1.4.2004 की स्थिति के अनुसार अथशेष स्टॉक	32,578
2004-05 के दौरान प्राप्ति	65,330
सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार 2004-05 के दौरान निपटान किया गया स्टॉक	86,141
31.3.2005 की स्थिति के अनुसार इतिशेष स्टाक	11,767

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास रखे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को दर्शाने वाला राज्य-वार, अनाज-वार विवरण

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	गेहूं	चावल	धान	जोड़
1.	बिहार	119	219	62	400
2.	झारखंड	146	60	–	206
3.	उड़ीसा	–	1161	–	1161
4.	पश्चिम बंगाल	2236	2893	–	5129
5.	असम*	7	302	–	309
6.	उत्तर-पूर्वी सीमान्त राज्य*	9	184	–	193
7.	एन. एंड एम. क्षेत्र*	6	45	–	51
8.	दिल्ली	211	2	–	213
9.	हरियाणा	2	–	–	2
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
12.	पंजाब	6070	34588	–	40658
13.	राजस्थान	48	–	–	48
14.	उत्तर प्रदेश	144	13199	–	13343
15.	उत्तरांचल	1	1	–	2
16.	आंध्र प्रदेश	2	164	–	166
17.	केरल	27	108	–	135
18.	कर्नाटक	24	164	–	188
19.	तमिलनाडु	–	63	54	117
20.	गुजरात	181	118	–	299
21.	महाराष्ट्र	533	162	–	695
22.	मध्य प्रदेश	1876	14	–	1890
23.	छत्तीसगढ़	92	33	–	125
	जोड़	11734	53480	116	65330

*टिप्पणी:	क्षेत्र	राज्य
	असम	असम और अरुणाचल प्रदेश
	उत्तर-पूर्वी सीमान्त राज्य	मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
	एन. एंड एम. क्षेत्र	नागालैण्ड और मणिपुर

[अनुवाद]

कावेरी नदी बेसिन के तहत सिंचाई परियोजनाएं

6501. श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बेसिन के तहत उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) कावेरी नदी बेसिन में कर्नाटक और तमिलनाडु की कोई सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है। तथापि, तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा फेस-I नामक एक परियोजना का आधुनिकीकरण जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने कुछ टिप्पणियों के साथ स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की है। परियोजना की मंजूरी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा की गई तत्परता पर निर्भर करती है। केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु कावेरी बेसिन में कर्नाटक की कोई परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

फूड डेवलपमेंट फंड

6502. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु (एफपीआई) के "फूड डेवलपमेंट फंड" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नए उद्यमियों को आसान शर्तों पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण हेतु सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, की दर से सहायता दी जाती है। खाद्य पार्क संबंधी एक प्रमुख स्कीम के तहत विनिर्दिष्ट सामान्य सुविधाओं हेतु सामान्य तथा दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के क्रमशः 25% तथा 33.33% की दर से अधिकतम 4.00 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाती है। फिलहाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के लिए खाद्य विकास निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तीर्थ स्थलों का विकास

6503. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री तापिर गाव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीर्थस्थलों के विकास के लिए विशेष सहायता दिए जाने हेतु केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों की सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृति/निर्गत अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से, परिपथों एवं गंतव्यों की उत्पाद अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत, पर्यटक स्थानों/स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं का अभिनिर्धारण करता है। योजना के क्षेत्र में तीर्थ केन्द्रों का विकास भी सम्मिलित है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को मंजूर की गई/अवमुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण (लाख रुपये में)

राज्य	वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
आंध्र प्रदेश	2002-03	507.50	195.00
	2003-04	946.50	896.44
	2004-05	2827.19 (अनंतिम)	2230.38 (अनंतिम)
उड़ीसा	2002-03	47.50	15.75
	2003-04.	419.55	138.50
	2004-05	1320.74 (अनंतिम)	1059.38 (अनंतिम)

जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना

6504. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढ़े:
श्री रामदास आठवले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ''जैव उर्वरकों के विकास तथा उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' नामक केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्यों को जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दी गई ऐसी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह की कोई सहायता जम्मू और कश्मीर को भी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से जैव उर्वरक संयंत्र उगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार का विचार उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत कम्पोस्ट वर्मिकल्चर और जैव उर्वरकों को लाने हेतु मानदंड निर्धारत करने का है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) ''जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना'' संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत 9वीं योजना और 2002-03 के दौरान जैव-उर्वरक यूनिटों की स्थापना के लिये प्रति यूनिट 20.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई थी। इस स्कीम को अक्टूबर, 2004 से ''राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना'' संबंधी एक नई केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम में समाहित कर दिया गया है। इस नई स्कीम के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के जरिये ऋण से संबंद्ध बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में 20.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा में परियोजना लागत के 25% की दर पर जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नई स्कीम के तहत राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। 2004-05 के दौरान जैव-उर्वरक यूनिटों की स्थापना के लिये नाबार्ड को 40.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है तथा वर्ष 2005-06 के लिये 300.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) 9वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया था तथा जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिये ऐसे 14 प्रस्ताव मंजूर किये गये थे।

(छ) और (ज) भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पीरिलम तथा फास्फेट सोल्यूब्लाइजिंग बैक्टीरियल इन्नोक्यूलैन्ट (पी.एस.बी.आई.) नामक जैव-उर्वरकों के लिये विनिर्दिष्टताओं को अधिसूचित किया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफ.सी.ओ.) में जैविक आदानों को विनिर्दिष्टताओं को शामिल किये जाने की जांच की जा रही है।

विवरण

जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिये "जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" विषयक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत राज्यवार निर्मुक्त की गई धनराशियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04
1.	कर्नाटक*	7.00	3.00
2.	[illegible]	5.00	0.00
3.	महाराष्ट्र	30.00	0.00
4.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.00
5.	असम	10.00	0.00
	कुल	57.00	3.00

*दूसरी किस्त।

कर्नाटक में पशु नस्ल सुधार परियोजना

6505. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कर्नाटक पशुधन विकास एजेंसी (के.एल.डी.ए.) की पशु नस्ल सुधार परियोजना का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्गत की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शेष राशि निर्गत की जानी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उसे कब तक निर्गत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कर्नाटक पशुधन विकास एजेंसी 2003-04 से कर्नाटक में राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना क्रियान्वित कर रही है।

(ख) से (ङ) कर्नाटक पुशधन विकास एजेंसी को वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान क्रमशः 465.00 लाख रुपए तथा 394.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। परियोजना के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान जारी धनराशि के लिए राज्य से उपयोगिता प्रमाण पत्र, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद और निधियां जारी की जाएंगी।

अस्पतालों से पारे वाले उपस्करों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना

6506. श्रीमती मनोरमा मधवराज: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना पारे वाले विकल्पों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और विश्वभर में कड़े विनियमनों का उपबंध किया जा रहा है किन्तु पारे की हैंडलिंग हेतु ऐसे सुरक्षोपाय और विनियमन भारत में मौजूद नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 5 ग्राम पारे वाला पारा तापमापी 20 एकड़ में फैली झील को संदूषित करने में पर्याप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या अस्पताल और डेन्टल क्लिनिक प्रत्येक वर्ष पर्याप्त मात्रा में पारे को बिना कोई पूर्ण सावधानियां बरते उसे सामान्य अपशिष्ट पदार्थ की तरह बहा देते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अस्पतालों से पारे वाले उपस्करों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए तैयार की गई कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों और यू एस ए के कुछ राज्यों में मरकरी आधारित थर्मामीटर के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबन्धित करने वाली नीतियां हैं। भारत में अधिसूचित बहिस्राव मानकों के साथ ही साथ 2003 में यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण में मरकरी के निपटान को नियमित करता है।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार इन्लैण्ड सतही जल में मरकरी के निस्तारण का सामान्य बहिस्राव मानक 0.01 मिलीग्राम प्रतिलीटर है।

(घ) और (ङ) मरकरी वाले अपशिष्ट चाहे उनके जनन का स्रोत कोई भी हो, (जैसे अस्पताल, उद्योग आदि) और इनमें मरकरी और मरकरी मिश्रण 50 मि.ग्रा./कि.ग्रा. के बराबर अथवा अधिक शामिल हो, तो इनका निपटान 2003 में यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989, के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों से 2003 में यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से मरकरी और मरकरी युक्त अपशिष्टों का संग्रहण/निपटान सुनिश्चित करने को कहा है।

मशरूम खाद्य प्रसंस्करण इकाई

6507. डा. के.एस. मनोज: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित देश में राज्य-वार स्वीकृत तथा शुरू की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का ब्यौरा क्या है और इन्हें केन्द्र सरकार से कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में मशरूम प्रसंस्करण इकाई के लिए स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी कितनी इकाईयां हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान सरकार से वित्तीय सहायता दी गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता मंजूर किए गए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) खुम्बी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के तहत खुम्बी प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में दो तथा हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक खुम्बी प्रसंस्करण यूनिट को वित्तीय सहायता दी गई है।

विवरण

(2.5.2005 के अनुसार)

राज्य	यूनिटों की संख्या जिन्हें सहायता मंजूर की गई है
1	2
आंध्र प्रदेश	44
अंडमान एवं निकोबार	0
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	16
बिहार	4
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	1
गोवा	4
गुजरात	22
हरियाणा	14
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू-कश्मीर	13
झारखंड	0
कर्नाटक	28
केरल	17
लक्षद्वीप, मिनिकाय द्वीप समूह	0
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	71
मणिपुर	24
मेघालय	4
मिजोरम	2
नागालैण्ड	2
उड़ीसा	8
पांडिचेरी	3

1	2
पंजाब	47
राजस्थान	6
सिक्किम	0
तमिलनाडु	37
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	50
उत्तरांचल	6
पश्चिम बंगाल	31
कुल	484

उपभोक्ता आंदोलन की असफलता

6508. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपभोक्ता आंदोलन अपने उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए केन्द्रक विभाग होने के कारण देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए देश में एक प्रभावी धारणीय उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने के लिए मल्टी मीडिया अभियान चलाने हेतु कदम उठाए हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं की वकालत करने तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोष हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ताओं हेल्प लाइन तथा वेबसाइट भी स्थापित की है।

कृषि क्षेत्र में यांत्रिकी ऊर्जा का उपयोग

6509. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि निरंतर यांत्रिकीकृत होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेत जोतने वाले ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर और डीजल इंजिन वाले मैकेनिकल पावर का उपयोग वर्ष 1971-72 में 40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 84 प्रतिशत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों को अपने कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उन्हें ये सब सुविधाएं दी जाती हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 1971-72 में कुल शक्ति उपलब्धता में यान्त्रिकी ऊर्जा का योगदान 39.63 प्रतिशत था और यह वर्ष 2001-02 में बढ़कर 33.62 प्रतिशत हो गया।

(ग) जी, हां।

भारतीय बाघों के संरक्षण के संबंध में सीआईटीईएस के सुझाव

6510. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडैंजर्ड स्पेसिज (सीआईटीईएस) ने केन्द्र सरकार से संकटापन्न भारतीय बाघों की रक्षा के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। महासचिव सी आई टी ई एस ने भारत की सकारात्मक पहलू को स्वीकारते हुए वन्यप्राणि कानून को लागू करने और देश में बाघ से संबंधित विक्षुब्ध करने वाली रिपोर्टों पर चिन्ता व्यक्त की है। सी आई टी ई एस ने पूरे विश्व में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग को समन्वित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

(ग) एशियाई बड़ी बिल्ली प्रजातियों की खाल के अवैध व्यापार पर विशेष ध्यान देने के लिए सी आई टी ई एस प्रवर्तन कार्य बल द्वारा 17-19 मई 2005 तक नई दिल्ली में बैठक आयोजित की जा रही है। सी आई टी ई एस सचिवालय, भारत, नेपाल और चीन के प्रतिनिधियों से उक्त बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया है।

राज्यों में यात्री निवास

6511. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में राज्यों में स्थान-वार कितने यात्री निवास हैं;

(ख) क्या सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में यात्री निवास के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान पर्यटन परिपथों और गंतव्यों के उत्पाद अवसंरचना विकास की योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत अभिनिर्धारित पर्यटक गंतव्यों के एकीकृत अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 10वीं योजना में यात्री निवास के निर्माण की योजना को बंद कर दिया गया है।

ठेके की कृषि के लिए धनराशि

6512. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में विशेषकर नागपुर डिवीजन में ठेके की कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के माध्यम से उनका वित्तपोषण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी विशेष बैंक को निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

ग्लोबल अपोर्चुनिटीज फंड

6513. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूके फॉरन एण्ड कॉमन वेल्थ ऑफिस का ग्लोबल अपोर्चुनिटीज फंड एक ऐसी परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है जिसका लक्ष्य भारतीय चीनी उद्योग में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना से देश में पर्यावरण अनुकूल पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत के सृजन में मदद मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना के परिणामस्वरूप चीनी मिलों से कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री लिमिटेड संघ और भारतीय चीनी मिल संघ ने सूचित किया है कि उन्हें इस प्रकार की किसी परियोजना की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नदियों से मिट्टी का कटाव

6514. श्री मुनव्वर हसन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों से मिट्टी के होने वाले कटाव के कारण उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और तमसा नदियों के किनारे रह रहे लोगों को जान-माल का नुकसान होता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने के कारण, स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्परूप की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा, युमना, गोमती, घाघरा और तम्सा के संबंध में निम्नलिखित स्कीमों का प्रस्ताव किया है;

क्र.सं.	नदी का नाम	प्रगति पर कटाव रोधी कार्यों की संख्या	विचाराधीन कटावरोधी कार्यों की संख्या
1.	गंगा	9	16
2.	यमुना	6	8
3.	गोमती	1	2
4.	घाघरा	5	12
5.	तम्सा (जिसे टोन्स भी कहा जाता है)	–	2
	कुल	21	40

[अनुवाद]

पर्यटकों को एजेंसियों से मिलने वाली सूचना

6515. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी पर्यटक एजेंसियां स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों को सही सूचनाएं नहीं दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों का पता लगाने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय का एक शिकायत कक्ष है, जो विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित पर्यटक एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना की समीक्षा

6516. **श्री एम. अंजन कुमार यादव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इसकी कोई समीक्षा या अध्ययन कराया है या कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में मैसर्स ओआरजी सेन्टर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। सरकार को अध्ययन की 22.3.2005 को प्राप्त हुई अंतिम रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध को ऊंचा किया जाना

6517. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाले एनवायरनमेंट सब-ग्रुप (ईएसजी) ने सरदार सरोवर बांध को 121 मीटर तक ऊंचा किए जाने के मामले को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त बांध की ऊंचाई 90 मीटर से अधिक किए जाने से पहले पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) ईएसजी ने बांध को ऊंचा करने की योजना को मंजूरी प्रदान करने तथा अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले कितनी बार बांध स्थल का दौरा किया; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में आगे क्या विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पर्यावरण उप-दल ने शेष कार्यों के पूरा होने के लिए परियोजना प्राधिकरण की पर्यावरणीय कार्य योजना के वास्तविक अनुपालन और तैयारी को ध्यान में रखते हुए और उनसे आश्वासन प्राप्त करने के बाद दल ने 6 जनवरी, 2005 को हुई अपनी 41वीं बैठक के दौरान नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बांध की ऊंचाई को 121.92 मीटर स्तर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

(ग) पर्यावरणीय उप-दल बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किसी सिफारिश की मंजूरी से पहले पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति की आवधिक पुनरीक्षा करता है।

(घ) पर्यावरण उप-दल ने कोई फील्ड दौरा नहीं किया है। फिर भी पर्यावरण उप-दल के निर्देशों के अंतर्गत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं।

(ङ) बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति लेना अपेक्षित है जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.3.05 के निर्देशों के अनुपालन को पहले सुनिश्चित करना होगा।

चीन में पर्यटन को प्रोत्साहन

6518. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटक उद्योग चीन में पर्यटन की संभावनाओं की तलाश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत चीनी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए वहां की राजधानी में एक पर्यटक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में चीनी समाचार पत्रों में कोई प्रचार अभियान चलाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत वर्ष के दौरान कितने चीनी पर्यटक भारत आए और देश में चीनी पर्यटकों की बढ़ती संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस संभावित मार्केट से पर्यटक आगमनों को आगे बढ़ावा देने के लिए चीन में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू की है।

(घ) और (ङ) अगस्त 2004 में हांगकांग में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट न्यूजपेपर में एक प्रचार अभियान चलाया गया था।

(च) वर्ष 2003 के दौरान चीन (ताईवान और हांगकांग सहित) से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 34,907 थी और जनवरी से अप्रैल 2004 के सिर्फ चार महीनों की अवधि के दौरान यह संख्या 17,275 थी।

चीन में एक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने हेतु रणनीति, मेनलैंड चाइना, हांगकांग और ताईवान में महत्वपूर्ण यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने, रोड शोज और भारतीय सेमिनारों का आयोजन करने, यात्रा एजेन्टों को ब्रोशर समर्थन देने, यात्रा एजेन्टों के साथ संयुक्त विज्ञापन देने, यात्रा एजेन्टों और मीडिया हेतु भारत के फेम टूअरों, प्रिंट मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से संवर्धन और स्थानीय भाषाओं में ब्रोशरों को मुद्रण करने, पर संकेन्द्रित है।

इस्पात की गुणवत्ता और मूल्य

6519. श्री रघुनाथ झा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु इस्पात की वस्तुओं की लागत कम करने के उद्देश्य से अभी तक अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत में इस्पात उत्पादों का मूल्य अधिक होने तथा अन्य देशों की तुलना में इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता घटिया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने तथा स्टील के बर्तनों आदि के मूल्य को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) भारतीय लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का कार्य मुख्यत: इस्पात संयंत्रों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। तथापि, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य-कलापों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनुसंधान एवं विकास व्यय की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए तक व्यय करने का निर्णय लिया है। तदनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्य में समग्र मार्गदर्शन और विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूर करने/उनकी समीक्षा करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। अब तक 36 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूर किया गया है जिनमें से 20 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्पादकता, उत्पादन, प्रक्रिया दक्षता में सुधार करना, लागत में कमी करना और साथ ही गुणवत्ता में सुधार करना है।

(ग) वर्ष 1991-1992 में कीमतों पर नियंत्रण समाप्त किए जाने के बाद इस्पात की घरेलू कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। आमतौर पर घरेलू बाजार कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप रहती हैं। आमतौर पर कहा जाए तो भारतीय इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता की तुलना अन्य देशों के इस्पात की गुणवत्ता से की जा सकती है और गुणवत्ता की दृष्टि से विकसित देशों सहित अनेक देशों में भारतीय इस्पात उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

(घ) उदारीकरण के बाद सरकार ने प्रौद्योगिकी और कैपिटल गुड्स तथा साथ ही कच्चे माल का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति दे दी है। बेहतर उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए जहां मौजूदा इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है वहीं नए संयंत्रों की स्थापना नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर की जा रही है। इसके अलावा बेदाग इस्पात (जो बेदाग इस्पात बर्तनों के लिए आदान सामग्री है) सहित इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए सरकार ने इस्पात के उत्पाद में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण आदान सामग्रियों पर सीमा शुल्क कम कर दिया है। इसके अलावा गैर-मिश्र/मिश्र/बेदाग इस्पात उत्पादों पर भी सीमा शुल्क कम कर दिया गया है।

वैश्विक भोजन और पोषाहार सुरक्षा

6520. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव-विविधता पर हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय परामर्श में विशेषज्ञों ने वैश्विक भोजन और पोषाहार सुरक्षा के घटते आधार पर अपनी चिंता व्यक्त की है और पादप जैव-विविधता के बेहतर प्रयोग की जरूरत पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों द्वारा जैविक संपदा के संरक्षण और न्यायोचित प्रयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत भी महसूस की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भूख और गरीबी से मुक्ति पाने के यूनाइटेड नेशन्स मिलेनियम डिवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जैवविविधता की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श 18-19 अप्रैल, 2005 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। विशेषज्ञ कृषि में पौध प्रजातियों की संख्या में गिरावट के कारण चिन्तित थे और उन्होंने स्थानीय महत्वपूर्ण उपज और बेहतर जैवविविध पौधों को लगाने सहित जैवविविधता पौधों की खेती और प्रयोग पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों ने और बल दिया कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का आदर करते हुए जैविक सम्पदा के समान प्रयोग के लिए आनुवंशिक संसाधनों तक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और लाभ हिस्सेदारी पर और अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

(घ) आपसी सहमति की शर्तों पर जैव संसाधनों को उपलब्ध करवाने वाले और इसके प्रयोक्ताओं के बीच जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित और लाभ हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए जैवविविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत चेन्नई में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण स्थापित किया है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए घोषित की गई योजनाएं

6521. **श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:
श्री मो. ताहिर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दसवीं योजना में किसानों के लिए घोषित योजनाओं में से अब तक कुल कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या देश के किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने और केवल कागजों पर स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इन केन्द्रों का चलाने की योजना के बारे में मामले प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और आज तक कुल कितने किसानों को वास्तव में इसका लाभ मिला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) वर्तमान में ऐसी 40 स्कीमें प्रचालित की जा रही हैं। इन स्कीमों का निरूपण अनिवार्य रूप से कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किया गया है तथा इस प्रकार, ये किसानों के लिये प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है।

(घ) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार मंजूर किये गये 451 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 83 कृषि विज्ञान केन्द्र गैर-सरकारी संगठनों अर्थात स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित किये जाने हेतु मंजूर किये गये हैं।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को 15,253.73 लाख रु. की धनराशि आबंटित की गई थी। उसी अवधि के दौरान इन केन्द्रों ने फार्म पर 607 प्रौद्योगिकियों की जांच की तथा 32,339 प्रमुख प्रदर्शनों का आयोजन किया। उन्होंने विस्तार क्रियाकलापों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिससे 21.67 लाख किसान लाभान्वित हुये तथा 7491 मी. टन बीज और 50.31 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन हुआ।

गुजरात में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु किए गए प्रयास

6522. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में एफ सी आई, अरावली जिप्सन एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड से परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार वर्ष 1995-96 से क्षारीय मृदा के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, ताकि क्षारीय मृदा का सुधार करके उन्हें उपजाऊ बनाया जा सके। कार्यक्रम का कार्यान्वयन गुजरात के पांच जिलों को कवर करते हुए किया जा रहा है, नामत: बडोडरा, खेदा, अहमदाबाद, पत्तन और मेहसाना। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 12490 है. बंजर भूमि को पहले ही खेती के तहत लाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग मृदा सुधार के रूप में किया जाता है, इसकी खरीद गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी, बड़ौदा जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा की जाती है।

औषध नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली औषधियों की संख्या में कमी

6523. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपके मंत्रालय से औषध नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली औषधियों की संख्या कम करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा औषध नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली दवाओं की कीमतों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए है; और

(ग) कम कीमत वाली दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु क्या उपबंध किए गए हैं और इन उपबंधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुणवत्ता मानक और उत्तम विनिर्माण प्रद्धति (जीएमपी) आदि की अपेक्षाएं औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिशासित) के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं जिसका उनके द्वारा विपणन किए जा रहे औषधों के निरपेक्ष समान रूप से देश में सभी लाइसेंसशुदा निर्माताओं द्वारा अनुपालन किया जाना है।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. में चिकित्सा श्रेणी के रिक्त पद

6524. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशालय (चिकित्सा) ई.एस.आई., नई दिल्ली ने चिकित्सा श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली कुछ पदों को भरने के लिए जून, 2004 और फरवरी, 2005 में प्रमुख समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पदों को भरने संबंधी प्रक्रिया में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को छांटकर उनकी सूची बनाई गई है; और

(च) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी हां।

(ख) जून, 2004 में नर्सिंग अर्दली के 75 पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा फरवरी, 2005 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रिक्तियों के बेकलॉग को भरने हेतु विभिन्न पैरा मैडिकल श्रेणियों के 69 पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था।

(ग) और (घ) जून, 2004 में दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में बड़ी संख्या में (21808) आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनकी संवीक्षा/जांच-पड़ताल की जा रही है। फरवरी, 2005 के विज्ञापन के संदर्भ में इन पदों को भरने में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

(ङ) आवेदनों की संवीक्षा और जांच-पड़ताल का कार्य चल रहा है अत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो साक्षात्कार की उपेक्षा पूरी करते हों, अभी निर्धारित की जानी है।

(च) इन पदों को भरने की प्रक्रिया में निगम क्रियाशील है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

गरीब लोगों के लिए सस्ती दवाइयां

6525. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडिया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीब लोगों के लिए सस्ती दवाएं विकसित करने की वैकल्पिक अनुसंधान प्रणाली अपनाने पर बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) ऐसी कोई बीमारियां नहीं है जो केवल गरीबों को ही होती हैं। तपेदिक, आंत्रशोध/हैजा, मलेरिया, काला-जार आदि जैसी खराब स्वास्थ्य परिस्थितियों एवं कुपोषण से संबंद्ध बीमारियों को ऐसी श्रेणियों में रखा जा सकता है जो समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा गरीबों में अधिक मौजूद होती हैं।

भारतीय औषध कंपनियां इन बीमारियों के लिए विभिन्न औषधों के विनिर्माण हेतु प्रक्रियाओं के विकास तथा इन बीमारियों के उपचार हेतु भेषजीय महत्व के नए अणुओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती रही हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा भारतीय भेषज उद्योग की औषधियों की सभी पद्धतियों में क्षमताओं को सहक्रियाशील बनाने के मुख्य उद्देश्य से सहायोगात्मक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औषध विकास संबंधी "भेषज अनुसंधान एवं विकास सहयोग निधि (पी आर डी एस एफ)" कार्यक्रम [पूर्व में यह कार्यकलाप 'औषध एवं भेषजीय अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी)' के अंतर्गत संचालित होता था] तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत रिहुमेटिज्म, अतिसार, पेनक्रियाटाइटिस, गेस्ट्राइटिस, आइसचेमिक हृदय रोगों, चर्म, हृदय संबंधी व्याधियों, केंसर, नेत्र रोगों, एड्स, मलेरिया, गठिया, श्वेतप्रदर, श्वसन संबंधी व्याधियों आदि जैसे रोगों के लिए औषधों की विभिन्न आयुर्वेदिक एवं सिद्ध पद्धतियों के क्षेत्रों में हर्बल औषधों के संबंध में 15 परियोजनाएं निहित हैं।

इसके अलावा, औषधियों की पारंपरिक पद्धतियों के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में भारतीय औषध पद्धतियों एवं होम्योपैथी के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) पद्धतियों के अंतर्गत निवारात्मक, प्रोत्साहक, प्रशामक तथा उपचारात्मक उपायों के माध्यम से लोगों विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोगों तक स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य प्राप्त आयुष सेवाओं तथा सुरक्षित एवं प्रभावी औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। औषधों संबंधी अनुसंधान सहित अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए आयुष विभाग के अंतर्गत चार अनुसंधान परिषदों की स्थापना की गई है। अनुसंधान परिषदों द्वारा किए गए आंतरिक अनुसंधान के अलावा, सरकार ने विद्यमान फार्मूलेशनों के मान्यकरण के साथ-साथ नई आयुर्वेदिक औषधियों के विकास के लिए "गोल्डन ट्राएंगल पाटर्नरशिप" नामक स्कीम आरंभ की है। राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी स्तर की बीमारियों के उपचार हेतु संस्थापित आयुर्वेदिक फार्मूलेशनों के मान्यकरण हेतु आयुष विभाग, सी एस आई आर तथा आई सी एम आर मिलकर काम करेंगे। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तथा अनुसंधान तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अभिज्ञात रोग परिस्थितियों हेतु आई पी आर शक्यता वाली अनुसंधान एवं विकास आधारित सुरक्षित प्रभावी एवं मानकीकृत आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक औषधियों का विकास प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

मत्स्यन उद्योग

6526. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तटों पर मत्स्यन नौकाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण वैजाग में मत्स्यन उद्योग का काफी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और आगे क्या कदम उठाए जाएं इसका निर्णय करने के लिए नौका मालिकों की एक बैठक बुलाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार को मछुआरों से देश के किसी भी भाग में मछली पकड़ने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। उड़ीसा राज्य के जल में आंध्र प्रदेश के यांत्रिकृत मात्स्यिकी ट्रालरों को अनुमति देने के उनके अनुरोध को उड़ीसा राज्य मात्स्यिकी विभाग ने अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल उद्योग हेतु कोष

6527. श्री अधीर चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य तेल उद्योग के लिए एक पृथक कोष स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि "खाद्य तेल उद्योग विकास निधि" नामक कोई निधि (केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित) नहीं है, लेकिन खाद्य तेलों पर लगाए गए आयात शुल्क से प्राप्त राशि का एक भाग निर्धारित करके "खाद्य तेल उद्योग विकास निधि" सृजित करने का एक प्रस्ताव अगस्त, 2001 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि इस निधि का उपयोग मौजूदा खाद्य तेल यूनिटों के आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता को पूरा करने और रुग्ण खाद्य तेल यूनिटों को पुनरूज्जीवित/पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने सितम्बर, 2001 में सूचित किया था कि खाद्य तेल उद्योग विकास निधि सृजित करने का प्रस्ताव चीनी विकास निधि के समान है जिसके लिए राशि चीनी फैक्ट्री के द्वार पर लिए जाने वाले उत्पाद शुल्क के साथ लगाए गए उपकर के जरिए प्राप्त होती है। तथापि, चीनी उद्योग के विपरीत तिलहन क्रेशरों की संख्या अधिक है, इनमें संगठन का अभाव है और ये लघु उद्योग की आरक्षित श्रेणी में आते हैं। अत: वित्त मंत्रालय में ने कहा था कि इन यूनिटों पर उपकर लगाना व्यवहार्य नहीं है।

जहां तक इस सुझाव का संबंध है कि सीमा शुल्क की राशि के एक भाग को निधि के सृजन के लिए अलग रखा जाए, इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि यह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सीमा शुल्क से एकत्र की गई राशि भारत की समेकित निधि में जाती है और इस राशि का बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच होता है। अत: खाद्य तेल उद्योग विकास निधि स्थापित नहीं की जा सकी थी।

बोकारो स्टील प्लांट के स्वामित्व वाले वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना

6528. श्री रामदास आठवले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक बोकारों स्टील प्लांट के कितने वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए और वे किए तारीख को दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) प्रत्येक हवाई दुर्घटना के क्या कारण हैं और प्रत्येक हवाई दुर्घटना से कितनी हानि हुई हैं;

(ग) इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक बोकारो इस्पात संयंत्र का कोई वायुयान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आवंटित धनराशि

6529. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा देश विशेषकर बिहार में किसानों को बीज उपलब्ध कराने हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से किसी सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय बीज निगम देश में किसानों को बीज प्रदान करने के लिए राज्यों को कोष आबंटित नहीं करता है; इसके बजाय, निगम देश में गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण में लगा हुआ है। निगम द्वारा विक्रय किये गये बीज का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने विभिन्न फसलों के बीज मिनीकिटों की आपूर्ति करने के अलावा "राज्य कार्य योजना के जरिये कृषि की वृहत प्रबंध प्रणाली" और "तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का संबंधी समेकित स्कीम" (आइसोपाम) नामक विभिन्न स्कीमों के तहत बिहार को सहायता दी है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय बीज निगम लि., नई दिल्ली

विगत 5 वर्षों के दौरान बीजों की राज्य-वार बिक्री

क्र.सं.	वर्ष		योग		गुजरात	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	प. बंगाल/ सिक्किम	उड़ीसा	हरियाणा	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	दिल्ली	उत्तर-पूर्वी राज्य	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल	बिहार/झारखंड
1.	1999-00	(मात्रा क्विंटल में)	350469	8237	23094	12500	2500	9831	35888	1500	8600	16194	4750	5951	2228	12310	15787	39115	106402	22741	22841
		मूल्य (लाख रु.)	6620.06	155.3	436.25	236.13	47.23	185.71	677.9	28.34	162.5	305.9	89.73	112.41	42.09	232.54	298.22	738.88	2009.93	429.58	431.47
2.	2000-01	(मात्रा क्विंटल में)	345029	9487	22701	13756	4829	6430	26278	7015	8499	13167	4489	6561	1738	11809	8207	32205	110319	39316	18223
		(मूल्य लाख रु.)	6212.01	170.91	408.71	247.66	86.94	115.77	473.1	126.3	153	237.06	80.82	118.12	31.29	212.61	147.76	579.82	1986.18	707.85	328.09
3.	2001-02	(मात्रा क्विंटल में)	337787	8268	241.48	29400	4535	14717	19718	5879	106.5	22696	13066	5186	1931	13359	10537	25506	81218	26145	20812
		मूल्य (लाख रु.)	7366.04	180.3	526.59	641.12	98.89	320.93	430	128.2	232.2	494.93	285.36	113.09	42.11	291.32	229.78	556.2	1771.1	570.14	453.84
4.	2002-03	(मात्रा क्विंटल में)	337787	7499	20227	24772	4101	40523	16425	2801	8804	11712	13247	6717	2262	6919	7039	24390	94450	36551	9348
		मूल्य (लाख रु.)	7366.04	163.53	441.09	540.2	89.43	883.68	358.2	61.08	192	255.4	288.87	146.48	49.33	150.88	153.5	531.87	2059.65	797.06	203.85
5.	2003-04	(मात्रा क्विंटल में)	4047.46	7271	18564	24153	3134	62152	15759	2688	13216	13823	9472	2447	2067	8472	8458	20929	141741	35829	14571
		मूल्य (लाख रु.)	8641.32	155.24	396.34	515.67	66.91	1326.94	336.5	57.29	282.2	295.12	202.23	52.24	44.13	180.88	180.58	446.83	3026.17	764.95	311.09

विवरण II

विगत 5 वर्षों के दौरान बिहार सरकार द्वारा मांगी गई और भारत सरकार द्वारा जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

वर्ष	बीज एवं रोपण सामग्री सहित राज्य कार्य योजना सहायता के जरिए कृषि की वृहत प्रबंध प्रणाली		बीज सहित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम सहायता		बीज सहित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना सहायता	
	बिहार सरकार द्वारा अनुरोध किये गये/मांगी गई धनराशि	भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि	बिहार सरकार द्वारा अनुरोध किये गये/मांगी गई धनराशि	भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि	बिहार सरकार द्वारा अनुरोध किये गये/मांगी गई धनराशि	भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि
2000-01	1319.00	261.07	60.00	-	72.00	-
2001-02	4000.00	1800.00	60.00	-	100.00	-
2002-03	2500.00	1250.00	30.00	-	40.00	-
2003-04	1800.00	900.00	27.00	28.00	9.00	9.00
2004-05	1800.00	1786.51	-	-	290.00*	145.00*

*तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना को 1.4.2004 से "तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का संबंधी समेकित स्कीम" में समाहित कर लिया गया है।

	रबी 2004-05 के दौरान बिहार सरकार द्वारा मांगे गये बीज मिनीकिट	भारत सरकार द्वारा आबंटित/आपूर्ति किये गये बीज मिनीकिट	
दालें	मिनीकिटों की संख्या	मिनीकिटों की संख्या	मात्रा क्विंटल में
चना	60.000	57.500	4.600
मसूर	20.000	4.375	175
मटर	60.000	2,450	196
तिलहन			
सरसों	1,50.000	1,01.000	2.020
सूरजमुखी	-	200	4

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में पर्यटन क्षेत्र में बाधाएं

6530. श्री डी. विट्ठल राव: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में पर्यटन क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, पूर्वोत्तर में पर्यटन का विकास पर्याप्त पर्यटक अवसंरचना के अभाव के कारण धीमा रहा है। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्रदान करके, पूर्वोत्तर में पर्यटन के विकास को तेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पाद/अवसंरचना, गंतव्य विकास
2. यात्रा परिपथों का एकीकृत विकास
3. ग्रामीण पर्यटन का विकास
4. भारी राजस्व सृजक परियोजनाएं
5. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन
6. संवर्धन और प्रचार समर्थन
7. व्यवहार्यता रिपोर्टों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2004-2005 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों की स्वीकृत परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को स्वीकृत की गई धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	
	1. आलोंग का गंतव्य विकास	266.00
	2. कुपुरीजी में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	65.40
	3. गंगालेक इटानगर का विकास	243.00
	4. चांगलांग में ईको-टूरिस्ट-हट्स	83.24
	5. गंगालेक चरण-II, इटानगर का विकास	244.06
	6. जेमिंथांग का विकास	384.00
2.	असम	
	1. पूर्वोत्तर परिपथ, असम का विकास	350.00
	2. सुआलकुची, कामरूप जिले में ग्रामीण पर्यटन	384.00

1	2	3
3.	मेघालय	
	1. बारापनी, उमियम का विकास	289.15
	2. पर्यटक परिपथ, मेघालय का विकास	674.15
4.	मिजोरम	
	1. मिजोरम का गंतव्य विकास	442.35
	2. मिजोरम का परिपथ विकास	634.00
5.	नागालैण्ड	
	1. पिपहेमा में इको-टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर	351.00
	2. फुटसेरो का गंतव्य विकास	439.24
	3. कोहिमा और दीमापुर में पर्यटक लॉजों का नवीकरण	58.95
	4. प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन-चरण-II	550.00
	5. नागालैण्ड के छह स्थानों में पर्यटक परिपथों का विकास	766.50
6.	सिक्किम	
	1. मोटरोला रिपीटर स्टेशन	3.81
	2. लाचेन गांव में ग्रामीण पर्यटन	50.00
	3. बौद्ध परिपथ का विकास	181.00
	4. पर्यटन परिपथ पश्चिम सिक्किम का विकास	396.00

खाद्य तेल का उत्पादन

6531. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार तिलहन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार खाद्य-तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कितने खाद्य तेल का आयात किया गया;

(घ) क्या देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि खाद्य तेल के उत्पादन और आपूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) तिलहनों का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) खाद्य तेलों के राज्यवार उत्पादन के बारे में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन वनस्पति, वेजीटेबल आयल

और फैट निदेशालय ने रिपोर्ट किया है, संबंधित राज्यों में खरीद की गई तिलहनों पर आधारित खाद्य तेलों का राज्यवार प्राक्कलित उत्पादन संलग्न विवरण में है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दर्शायी गई है:

(लाख टन में)

वर्ष	आयातित खाद्य तेलों की मात्रा
अप्रैल 2001-मार्च 2002	43.22
अप्रैल 2002-मार्च 2003	43.65
अप्रैल 2002-मार्च 2004	52.95

(घ) से (च) भारत सरकार 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम" (आइसोपाम) कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस स्कीम के तहत प्रजनक बीज की खरीद, अधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणिक बीज के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खर-पतवार नाशियों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों और जल वाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर सूचना के प्रसार के उद्देश्य से राज्य कृषि विभाग के जरिए ब्लाक प्रदर्शनों और समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) प्रदर्शनों तथा भा.कृ.अ.प. के जरिए अग्रणी प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे 10% की वित्तीय आबंटन की सीमा तक नवीनतम उपायों या किसी विशेष घटक को शुरू कर सके और कार्यक्रम जैसे--बीज उत्पादन, आदानों की आपूर्ति, विस्तार सहायता, ब्लाक और अग्रणी प्रदर्शनों के कार्यान्वयन में 15% की वित्तीय सीमा तक निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

देश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में कार्यान्वयन से वर्ष 1985-86 में 10.83 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान 25.29 मिलियन टन तिलहन के उत्पादन में वृद्धि में मदद मिली है।

विवरण

तिलहन एवं खाद्य तेलों का राज्यवार अनुमानित उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2001-02		2002-03		2003-04*	
	तिलहन	तेल	तिलहन	तेल	तिलहन	तेल
1	2	3	4	5	6	7
क. प्राथमिक स्रोत						
आंध्र प्रदेश	16.14	4.09	12.56	3.31	16.87	4.48
असम	1.56	0.48	1.49	0.46	1.47	0.44
बिहार	1.20	0.37	1.09	0.34	1.27	0.39
छत्तीसगढ़	1.13	0.30	1.01	0.27	0.85	0.23
गुजरात	36.36	9.56	16.83	4.58	55.86	14.24
हरियाणा	8.07	2.50	7.09	2.20	9.97	3.10
हिमाचल प्रदेश	0.10	0.03	0.06	0.02	0.11	0.03
जम्मू-कश्मीर	0.42	0.13	0.98	0.30	0.41	0.13

1	2	3	4	5	6	7
झारखंड	0.28	0.08	0.22	0.07	0.38	0.11
कर्नाटक	10.20	2.69	11.12	3.02	10.39	2.86
केरल	0.02	0.01	0.01	0.00	0.05	0.01
मध्य प्रदेश	45.68	8.35	29.96	5.32	55.86	10.04
महाराष्ट्र	22.26	4.44	23.27	4.52	29.53	5.48
उड़ीसा	1.38	0.38	1.14	0.32	2.49	0.70
पंजाब	0.83	0.25	0.92	0.29	1.07	0.33
राजस्थान	31.29	8.45	17.54	4.97	39.49	11.02
तमिलनाडु	13.13	3.08	10.23	2.40	11.82	2.78
उत्तर प्रदेश	10.34	3.12	8.73	2.66	6.47	1.95
उत्तरांचल	0.18	0.04	0.23	0.05	0.31	0.06
पश्चिम बंगाल	4.95	1.49	4.76	1.44	5.98	1.81
अन्य	1.14	0.30	1.33	0.34	0.77	0.19
उपयोग	206.66	50.14	150.57	36.88	251.42	60.38
ख. द्वितीयक स्रोत						
नारियल		5.50		5.50		5.50
बिनौले		4.70		4.30		4.30
राइसब्रैन		5.50		6.00		6.00
साल्वेंट एक्सट्रैक्टेड तेल		2.80		2.00		3.30
वृक्ष एवं वन मूल		0.80		0.80		0.80
उपयोग		19.30		18.60		19.90
योग (क+ख)		69.44		55.48		80.28

*चौथे अग्रिम अनुमान
स्रोत: तिलहन: कृषि मंत्रालय
तेल: संबंधित राज्यों में उत्पादित तिलहनों के आधार पर

भर्ती नीति में परिवर्तन

6532. **श्री पी. करुणाकरन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भर्ती नीति में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय का अपनी भर्ती नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नोकिया (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा जमा की गई भविष्य निधि की धनराशि

6533. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** 6 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक एकत्र करने और सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) जी, हां। मैसर्स नोकिया (प्राइवेट) लिमिटेड को 22.9.1997 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में लाया गया है।

उक्त प्रतिष्ठान ने 22.12.2004 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पास नवम्बर, 2004 तक की भविष्य निधि राशि के रूप में 22,09,170/- रुपये की राशि जमा की है। प्रतिष्ठान ने दिसम्बर, 2004 माह के लिए भी उत्तरवर्ती अनुपालन किया है। तत्पश्चात् प्रतिष्ठान ने अपना स्थान (बेस) गुड़गांव, हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया है और 1.1.2005 से एक नयी भविष्य निधि कोड संख्या एच आर/26809 आबंटित कर दी गई है। प्रतिष्ठान द्वारा 22.12.2004 को जमा की गयी राशि सही होने का सत्यापन करने के लिए अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत जांच आरंभ कर दी गयी है।

भारतीय सारसों की संख्या

6534. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सारसों की संख्या का पता लगाने हेतु 1983 में कोई गणना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय सारसों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) भारतीय सारसों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) 1983 में गुजरात और राजस्थान राज्यों में सारस क्रेन, सामान्य सारस, डेमोसिल सारस की सीमित गणना और संख्या आकलन किए जाने की सूचना है। आंकलित संख्या 1,50,000-2,00,000 के बीच थी।

(ग) 1999-2002 के बीच की गई गणना के आधार पर उपलबध सूचना के अनुसार विभिन्न सारसों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सारस	संख्या
1.	सारस क्रेन	8000-10000
2.	सामान्य सारस	1,50,000
3.	काली गर्दन वाले सारस	70

(घ) भारतीय सारसों में कमी आने के प्रमुख कारण निम्न है:

1. अच्छे सारस पर्यावास स्थापित करने वाली नम भूमियों में कमी और उनका अवक्रमण।
2. भूमि उपयोग और कृषि फसल पद्धति में बदलाव जो सारस संख्या के अनुकूल नहीं है।
3. कृषि भू-दृश्य में कीटनाशी, पीड़कनाशी का अत्यधिक उपयोग।
4. जंगली कुत्ते और अन्य परभक्षी, सारस के अंडों और चूजों को नष्ट कर देते हैं।
5. आवारा ग्राम समुदाय द्वारा सारस के अंडों को चुराया जाना और किशोर सारसों का अवैध शिकार किया जाना।
6. उच्च शक्ति (हाई टेंशन) और विद्युत आपूर्ति पावर लाइन से सारसों का विद्युतमारण।

(ङ) इसे रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है:

1. भारतीय सारसों को भारतीय वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के तहत सुरक्षा प्राप्त है।

2. सारस संख्या वाले महत्वपूर्ण नमभूमि स्थलों को रामासर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियां घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

पारिस्थितिकीय टाउनशिप परियोजना के अंतर्गत पर्यटक-स्थलों के विकास हेतु मानदण्ड

6635. श्री देविदास पिंगले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारिस्थितिकीय टाउनशिप परियोजना के अंतर्गत देश के पर्यटक-स्थलों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन मानदण्डों के आधार पर उक्त परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश के धार्मिक स्थलों को शामिल किए जाने का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभिनिर्धारित परियोजनाओं के माध्यम से, जो मुख्य रूप से मलजल, अपवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात और परिवहन, बागान और भू-दृश्य निर्माण से संबंधित है, पर्यावरण में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य के साथ धार्मिक/पर्यटन शहरों/नगरों का विकास पारिस्थितिकीय अनुकूल शहरों के रूप में करने के लिए एक प्रदर्शन परियोजना आरंभ की है।

(ख) ऐसे 12 नगर अभिनिर्धारित किए गए हैं जिनमें पारिस्थितिकी अनुकूल शहर परियोजना (इकोसिटी प्रोजेक्ट) कार्यान्वित की जाएगी। पहले चरण में इकोसिटी प्रोजेक्ट वृन्दावन, पुरी, उज्जैन, तिरूपति, कोट्टायम और तंजाबूर नगरों के लिए आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

पेट्रो रसायन संबंधी कृतिक बल

6536. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोरसायन संबंधी कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पेट्रोरसायन संबंधी टॉस्क फोर्स की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा उक्त नीति को स्वीकृत किए जाने से पहले राष्ट्रीय नीति में प्रस्तावित नीतिगत उपायों के संबंध में अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) पर प्रतिबंध

6537. श्री अतीक अहमद: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन सी सी एफ) पर भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) का सड़ा हुआ अनाज बेचने में एक दलाल की भूमिका निभाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार ऐसे अनाज को किस प्रकार निपटाने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य के उन वास्तविक विभागों/एजेंसियों को ही बेचा जाता है जो क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के उपयोगकर्ता हैं तथा यह स्टॉक इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम के पास पंजीकृत वास्तविक अन्य पार्टियों को भी बेचा जाता है।

[अनुवाद]

बाल श्रम को हतोत्साहित करने हेतु योजना

6538. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम को प्रोत्साहित करने वाले अभिभावकों/नियोक्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रम संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम का उन्मूलन करने के उद्देश्य से, वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना प्रारम्भ की गयी थी जिसका 9वीं योजना के दौरान 100 जिलों को कवर करने तथा 10वीं योजना के दौरान 250 जिलों को कवर करने के लिए आगे विस्तार किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में रखा जाता है ताकि उन्हें औपचारिक स्कूल व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जा सके। इस स्कीम में विशेष स्कूल में दाखिला दिलाये गये सभी बाल श्रमिकों को प्रति बच्चा 100/- रुपये प्रतिमाह की दर से वजीफे के वितरण, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक सामग्री तथा पोषणाहार की मुफ्त आपूर्ति का प्रावधान है।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है, में यह प्रावधान है कि इस अधिनिमय का उल्लंघन करके किसी भी बच्चे को नियोजित करने वाला नियोजक, कम से कम तीन माह से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के कारावास अथवा कम से कम 10,000/- रुपये से अधिकतम 20,000/- रुपये के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6539. श्री निहाल चन्द: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने गत एक वर्ष के दौरान अपने कर्मचरियों/अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ देने हेतु अधिसूचना जारी कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अधिसूचना के कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस योजना के लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को यथाशीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम ने जनशक्ति को युक्तियुक्त बनाने और स्थापना लागत कम करने तथा प्रचालनात्मक कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के अनुमोदन से 29 जून, 2004 से अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की थी।

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

श्रेणी-I	96
श्रेणी-II	2057
श्रेणी-III	4591
श्रेणी-IV	2033
जोड़	8777

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

श्रेणी-I	4
श्रेणी-II	159
श्रेणी-III	235
श्रेणी-IV	139
जोड़	537

(च) भारतीय खाद्य निगम ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित देय राशि का तत्परता से भुगतान करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

6540. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने अपनी-अपनी राज्य जल नीतियां बनाई हैं जिसकी अभिकल्पना राज्यों की बैठक में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी नदी बेसिन के पूर्ण रूप से अथवा उपबेसिनों के रूप में योजनागत विकास और प्रबंधन हेतु नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कुछ राज्यों ने अपनी जल नीति तैयार की है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने अपनी जल नीति तैयार की है:

(क) छत्तीसगढ़

(ख) गोवा

(ग) गुजरात

(घ) हरियाणा

(ङ) हिमाचल प्रदेश

(च) झारखंड

(छ) केरल

(ज) कर्नाटक

(झ) मध्य प्रदेश

(ञ) महाराष्ट्र

(ट) उड़ीसा

(ठ) पंजाब

(ड) राजस्थान

(ढ) तमिलनाडु

(ण) उत्तर प्रदेश

मेघालय की राज्य जल नीति तैयार की जा रही है संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव तथा नगर हवेली ने सूचना दी है कि वे राष्ट्रीय जल नीति 2002 का अनुपालन कर रहे हैं।

(ग) भारत सरकार ने सम्पूर्ण नदी बेसिन अथवा उप बेसिनों की आयोजना विकास और प्रबंधन के लिए कोई नदी बेसिन संगठन स्थापित नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अनुदान

6541. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए ऋण और अनुदान का संघटक क्रमशः 70 तथा 30 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ऋण और अनुदान का संघटक 10 और 90 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य सामान्य श्रेणी और फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत है; और

(ग) ऋण का अनुदान में परिवर्तन करके प्रोत्साहन श्रेणी-वार कितने राज्यों में लागू किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 70% ऋण और 30% अनुदान तथा विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10% ऋण और 90% अनुदान से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में अनुदान घटक को 1.4.2004 से शामिल किया गया था। ऐसी परियोजनाएं जो फास्ट ट्रैक के अंतर्गत नहीं आती हैं यदि वे समय पर पूरी कर ली जाती हैं तो उन्हें उपर्युक्त के अनुसार ऋण को अनुदान में बदल कर के प्रोत्साहन भी दिया गया था। तथापि, मंत्रिमंडल ने 16 मार्च, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में फास्ट ट्रैक परियोजनाओं तथा एआईबीपी के फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत नहीं आने वाली परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता जारी किए जाने की अवस्था में एआईबीपी के तहत अनुदान घटक को अनुमति प्रदान करते हुए एआईबीपी के मानदंड में और छूट दी है।

तदनुसार, 26 राज्यों को अनुदान मुहैया कराया गया था जिन्हें 2004-05 में एआईबीपी के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई थी।

संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना

6542. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का विचार तुना मत्स्य उद्योग के दोहन के लिए वर्ल्ड तुना डेवलपमेंटस इंटरनेशनल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को अनुमति पत्र कब जारी करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने गहरे समुद्र में टूना मात्स्यिकी के दोहन के लिए वर्ल्ड टूना डेवलपमेंट इंटरनेशनल (डब्ल्यू टी डी आई), संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) में संचालन के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा 12 टूना लॉग लाइन मत्स्यन जलयानों का आयात करना शामिल है।

(घ) और (ङ) अक्टूबर, 2004 में सरकार द्वारा व्यापक समुद्री मत्स्यन नीति की घोषणा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि गहरे समुद्र मत्स्यन जलयानों के अधिग्रहण के लिए संबंधित प्रसंस्करण शुल्क सहित भारतीय उद्यमियों द्वारा दोबारा नए सिरे से आवेदन किया जा सकता है। संयुक्त उद्यम के लिए आवेदन में इस बात के कुछ प्रमाण होने आवश्यक हैं कि उसमें कम से कम 51% भारतीय इक्विटी और तट आधारित प्रसंस्करण क्षमता है।

चीनी इकाईयों का विकास

6543. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के बाद और आज तक चीनी इकाईयों के विकास/विस्तार हेतु कितने औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जारी/स्वीकृत किए गए; और

(ख) महाराष्ट्र में उक्त इकाइयों की स्थानवार क्षमता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त किए जाने के पश्चात 31.3.2005 तक नई चीनी इकाइयों की स्थापना/विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए जारी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	फाइल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	62
बिहार	6
गुजरात	13
हरियाणा	11
जम्मू-कश्मीर	1
कर्नाटक	150
मध्य प्रदेश	21
महाराष्ट्र	1101
नागालैण्ड	1
उड़ीसा	2
पंजाब	16
तमिलनाडु	34
उत्तर प्रदेश	357

1	2
पश्चिम बंगाल	5
छत्तीसगढ़	3
झारखंड	2
उत्तरांचल	21
पांडिचेरी	2
जोड़	1808

(ख) सूचना संकलित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास

6544. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा योजनावार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस धनराशि के उपयोग की निगरानी करती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में डेयरी विकास के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी), सहकारिताओं को सहायता तथा गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को डेयरी विकास के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना	2002-03	2003-04	2004-05
1.	सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.)	–	325.09	364.82
2.	सहकारिताओं को सहायता	351.04	46.00	443.41
3.	गुणवत्ता एवं स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	–	–	96.64

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा योजना के तहत गठित तकनीकी प्रबंधन समितियों की बैठकों के माध्यम से की जाती है। योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जारी निधियों की उपयोगिता की निगरानी करने के लिए मुख्यालयों से विशेषज्ञों के निरीक्षणों के साथ-साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों/वीडियो सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है।

(ग) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 31.12.2004 तक 1 लाख से भी अधिक कृषक सदस्यों के साथ 1600 ग्रामीण स्तरीय डेयरी विकास सहकारी समितियों का गठन किया गया है जो प्रतिदिन लगभग 74000 लीटर दूध की खरीद करते हैं। ''गुणवत्ता तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' नामक योजना के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करने के लिए बेहतर स्वास्थ्यकर प्रणालियों को अपनाने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 के दौरान 3300 कृषक सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान चार जिला दुग्ध संघों अर्थात, मथुरा, मुरादाबाद, वाराणसी तथा अलीगढ़ को सहायता प्रदान की गई है। मथुरा दुग्ध संघ का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है जबकि मुरादाबाद तथा वाराणसी दुग्ध संघ का कार्य निष्पादन आंशिक रूप से संतोषजनक पाया गया है। अलीगढ़ दुग्ध संघ की पुनर्वास योजना को मार्च, 2005 में ही मंजूरी दी गई थी।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना

6545. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर कर्नाटक में भेड़ पालन करने वाले लोगों के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनका स्थानवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना

6546. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकरण के कौन-कौन सदस्य हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) उक्त अधिकरण के पास अब तक कितने मामले भेजे गए हैं और इसके द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(घ) मामलों को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कार्य का अत्यधिक भार

6547. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो के अधीन केन्द्रीय प्रयोगशाला (सीएलबीआईएस) साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश को तकनीशियनों की कमी और कार्य के अत्यधिक भार की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंसधारियों को तत्काल सेवा प्रदान करने और भारतीय मानक ब्यूरो की शिकायतों को निर्धारित समय-सीमा में दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या निजी प्रयोगशालाओं और देश की केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण कागज और कागज उत्पादों की पैकेजिंग किए जाने और सीएलबीआईएस से संबंधित कार्यों को करने हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो क्या परीक्षण की विधि के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो केन्द्रीय प्रयोगशाला में पारदर्शिता की कमी है; और

(च) यदि हां, तो सीएलबीआईएस में भ्रष्टाचार रोकने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला को तकनीशियनों की कमी और अत्यधिक कार्य-भार की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, इस समस्या से निपटने हेतु नमूनों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से आउटसोर्स करवाने की व्यवस्था की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला लाइसेंस धारकों और आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा मुहैया कराती है और बाहरी प्रयोगशालाओं की सेवाएं लेकर इस सेवा का आगे और विस्तार किया जा रहा है। ये प्रयोगशालाएं भी निर्धारित समय सीमाओं का पालन करती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला कागज एवं लिखाई/छपाई के कागज, कार्बन पेपर, कंपयूटर पेपर, एमआईसीआर पेपर जैसे कागज-उत्पादों के परीक्षण हेतु पूरी तरह सज्जित है। भारतीय मानक ब्यूरो कागज के परीक्षण हेतु अपेक्षित सीमा तक केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान जैसी अन्य विशिष्ट प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करती है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला में संगत भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट परीक्षण पद्धति का पालन किया जाता है। इस प्रयोगाशाला ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को भी अपनाया है तथा यह राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित है।

नदियों को आपस में जोड़ना

6548. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निजी भागेदारी आमंत्रित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ईंट-भट्टा श्रमिकों हेतु कानून

6549. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ईंट-भट्टा श्रमिकों हेतु एक अलग कानून बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय भट्टा और टाइल निर्माता परिसंघ, नई दिल्ली और जनप्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल विनिर्माता परिसंघ, नई दिल्ली से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस परिसंघ के परामर्श से कोयला नीति बनाने का अनुरोध किया गया था ताकि ईंट-भट्टों के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, ईंटों के विनिर्माण में 25% राख उपयोग करने के निर्धारण के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14.9.1999 की अधिसूचना संख्या 763 को रद्द किया जा सके, और ईंट-भट्टा मजदूरों के लिए अलग से एक श्रम कानून बनाया जा सके।

(ङ) सरकार, असंगठित क्षेत्रों में ईंट-भट्टा सहित विभिन्न व्यवसायों में लगे मजदूरों के लिए अलग से कानून बनाए जाने को व्यावहारिक एवं व्यवहार्य नहीं मानती है। मुख्य बल विद्यमान श्रम कानूनों के यौक्तिकीकरण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर है। इसके अतिरिक्त, चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय जनहित वाद सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2145/99 में दिनांक 14.9.1999 की अधिसूचना संख्या 763 के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रहा है, अतः सरकार के लिए इस संबंध में उनके अनुरोध पर विचार करना संभव नहीं है। ईंट-भट्टों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति संबंधी अनुरोध के बारे में, अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल्स विनिर्माता परिसंघ, नई दिल्ली के अनुरोध पर कोयला नीति में अनेक बार संशोधन किया गया है। हाल ही के एक निर्णय में कोलकाता उच्च न्यायालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को निदेश दिया है कि खुली विक्री योजना के अंतर्गत गैर-कोर उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु उद्योगों तथा छोटे उपभोक्ताओं को कोयले के वितरण हेतु मैसर्स एन.सी.सी.एफ. को 2 एम.टी.पी.ए. कोयले का आबंटन करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को पांच लाख टन कोयले के आबंटन का भी निर्णय लिया गया है ताकि ईंट-भट्टा इकाइयों को आगामी जून माह 2005 तक के लिए वितरण किया जा सके।

सब्जियों और फूलों का उत्पादन

6550. श्री सुरेश चन्देल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक मुक्त व्यापार के नाम पर अब यह सुझाव दे रहा है कि भारतीय किसानों को खाद्यान्नों का उत्पादन करने की बजाय केवल सब्जियां और फल उगाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विश्व बैंक की सहायता से सब्जियों एवं फूलों सहित बागवानी फसलों की खेती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है- (1) कृषि में वृहत प्रबंधन कार्य योजना के जरिये राज्य के प्रयासों को संपूरण/अनुपूरण, (2) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास के लिये प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एन.ई.)। इन स्कीमों के तहत सब्जियों एवं फूलों सहित बागवानी के विकास के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि इन फसलों के विकास पर और अधिक ध्यान दिया जा सके।

[अनुवाद]

नारियल के समेकित विकास हेतु परियोजना

6551. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सुरेश अंगड़िः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक सरकार की राज्य में नारियल के समेकित विकास हेतु परियोजना गत दो वर्षों से मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अतंर्गत नारियल विकास बोर्ड को कर्नाटक में नारियल के समेकित विकास एवं कीटों व रोगों के प्रबंध के बारे में निम्नलिखित पांच परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	परियोजना का नाम	लागत (लाख रुपये)
1.	नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार	475.00
2.	कर्नाटक में नारियल के कीटों तथा रोगों पर समेकित नियंत्रण	1760.00
3.	कर्नाटक में इरियोफाइड माइटस का प्रबंधन	1946.00
4.	चिक्कानयाकनाहल्ली तालुका, जिला तुमकूर, कर्नाटक में नारियल के कीटों एवं रोगों पर नियंत्रण एवं नारियल के वृक्षों को पुनर्जीवित करना	673.00
5.	तुरूवेकेरे तालुका जिला तुमकूर, कर्नाटक में नारियल के कीटों एवं रोगों पर नियंत्रण एवं नारियल के वृक्षों को पुनर्जीवित करना	663.00
	कुल	5517.00

कृषि मंत्रालय द्वारा नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रमों के माध्यम से दो स्कीमों अर्थात भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास एवं नारियल प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कीटों व रोगों पर नियंत्रण सहित नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने हेतु प्रबंधन कार्य पद्धतियां अपनाने के लिए कर्नाटक सरकार को सहायता दी जाती है। कर्नाटक में कीटों व रोगों के नियंत्रण सहित नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने हेतु निर्गत धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना के माध्यम से नारियल बागानों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 140.00 लाख रुपये की राशि निर्गत की गई।

2. इरियोफाइड माइट के नियंत्रण के लिए 13.50 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई, जिसमें से 4.60 करोड़ रुपये की राशि राज्य में नारियल की खेती वाले तथा कीटों से गंभीर रूप से प्रभावित 22 जिलों में ''इको फ्रेंडली'' समेकित कीट प्रबंध पद्धतियों के प्रदर्शन हेतु प्रदान की गई।

3. प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्म, माण्ड्या में परजीवी प्रजनन प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए 27.8 लाख रुपये तथा नारियल विकास बोर्ड के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जैविकीय नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं के अंतर्गत रोग की बार-बार संभावता वाले क्षेत्रों में पैरासिटॉइड के बड़े पैमाने पर बहुगुणन तथा उन्हें छोड़ने तथा काली सिर वाली इंल्लियों के जैविकीय नियंत्रण हेतु कृषक सहभागिता प्रदर्शन आयोजित करने का कार्य किया जा रहा है।

4. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय को विकास कार्यान्वयन, प्रशिक्षण एवं नारियल की काली सिर वाली इल्ली के प्रबंधन हेतु समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने संबंधी परियोजना हेतु 29.47 लाख रुपये- स्वीकृत किए गए।

5. रोग की बार-बार संभावना वाले क्षेत्रों में पैरासिटॉइड्स के बहुगुणन एवं उन्हें पेड़ों पर छोड़ने के माध्यम से पत्ती खाने वाली इल्ली के जैविकीय नियंत्रण से संबंधित परियोजना के लिए बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार को 20.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मृदा पोषक तत्वों की कमी में वृद्धि

6552. श्री तथागत सत्पथी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में मृदा पोषक तत्वों की कमी में त्वरित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनुष्य तथा पशुओं द्वारा पोषक तत्वों की कमी वाले भोजन/खाद्य सामग्री के नियमित उपयोग से उनमें उपापचयी विसंगतियां पैदा होती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या सहायता प्रदान की गई; और

(घ) मृदा पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) खास तौर से गंगा के मैदानी भागों (इण्डो-गैंजैटिक प्लेन्स) में फसलों की अत्यधिक खेती होते रहने के कारण अनेक भागों में मृदा में पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। पोषक तत्व तथा जैविकीय पदार्थ मृदा में जितनी मात्रा में जाने चाहिए उससे कहीं अधिक दर से वे मृदा से घटते जा रहे हैं। पोषक तत्व पौधों की वृद्धि की दृष्टि से अनिवार्य हैं और इनकी कमी के परिणामस्वरूप फसलों की उपज भी कम हो जाएगी, जिससे पशुओं और मनुष्यों में कुपोषण की समस्या उत्पन्न होगी।

(ग) और (घ) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम.) को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें मृदा में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों के संतुलित व युक्तिसंगत प्रयोग के साथ-साथ जैविक उर्वरकों जैसे खेत में ही बनाई गई खाद, हरी खाद, फास्फो कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरकों आदि का उपयोग शामिल है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

6553. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाराखंबा रोड, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बदहाल स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने संग्रहालय के प्राधिकारियों से इस स्थान को खाली करने को कहा है है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संग्रहालय के परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय वनस्पतिजाति, प्राणिजाति और स्थलीय संसाधनों के बारे में बाह्य स्थान संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। इसकी चार मुख्य विषयों नामतः प्राकृतिक विज्ञान का

परिचय, पारिस्थितिकी, संरक्षण एवं सेल-जीवन की मूलभूत इकाई और तीन विमीय प्रदर्शक परियोजनाओं के लिए पांच डायरामास पर चार गैलरियां हैं। औसतन 50,000 दर्शक प्रतिमाह संग्रहालय में आते हैं। यह संग्रहालय सोमवार और वर्ष में 7 छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन खुला रहता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का क्षेत्रीय नेटवर्क है जिसमें मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में तीन क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है। अंतिम संग्रहालय अगस्त, 2004 में खोला गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, मैसूर में नेत्रहीनों के लिए सेंसरी ऐरोमैटिक गार्डन, एक अनुपम एवं नयी परियोजना, स्थापित कर रहा है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्कूली बच्चों के बीच पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष भर कई लोकप्रिय कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अतः इस कथन का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय क्षीण अवस्था में है।

(ग) और (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर महासंघ (फिक्की) ने अपने निजी परिलक्षित आवश्यकताओं के आधार पर मंत्रालय से संग्रहालय परिसर को खाली करने का अनुरोध किया है।

(ङ) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का उचित बजटीय आवंटन के माध्यम से संरक्षण करना अपेक्षित है। इसके पास दसवीं योजना अवधि के दौरान संरक्षण एवं शैक्षणिक कार्यों की इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ने हाल ही में शैक्षणिक एवं प्रचार कार्यों को पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आसपास के क्षेत्र का विकास

6554. श्री जुएल ओराम:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) इस धनराशि में से कितनी धनराशि वास्तव में आसपास के क्षेत्र के विकास पर खर्च की गई;

(ग) आसपास के क्षेत्र के हुए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के दुरूपयोग की घटना हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(च) धनराशि के इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा परिसरीय विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए आबंटित और व्यय की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय की गई धनराशि (लाख रुपए)			
	निगमित आबंटन में से	खर्च की गई आबंटित राशि	केएफडब्ल्यू विभाजित ब्याज प्रोदभवन निधि*	योग
2002-03	10.00	9.62	28.76	38.38
2003-04	10.00	10.47	97.81	108.28
2004-05**	96.00	94.75	92.00	186.75

*जर्मनी की केएफडब्ल्यू (क्रिडियालन फिलफ्यू वाईडरआफल्यू) के साथ हुए ऋण करार के अनुसार आरएसपी द्वारा केएफडब्ल्यू को देय ब्याज का एक भाग परिसरीय विकास पर व्यय किया जाता है।

**अनंतिम

(ग) (1) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वर्ष 2003-04 तक किए गए परिसरीय विकास कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए परिसरीय विकास कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राउरकेला इस्पात संयंत्र की सामुदायिक विकास इकाई के माध्यम से निधियों के इष्टतम उपयोग का समुचित ध्यान रखा जाता है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 तक राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए परिसरीय विकास कार्यों का ब्यौरा

योजना:

1. पेयजल
2. स्वास्थ्य देखभाल
3. संचार
4. शिक्षा
5. सामुदायिक विकास

किए गए कार्यों का ब्यौरा:

1. पेयजल

(1) 195 ट्यूब वैल

(2) 6 कुंए खोदे गए हैं।

(3) 4 तालाब बनाए गए हैं।

(4) 2 ओवरहैड टैंक बनाए गए हैं।

2. स्वास्थ्य देखभाल

- सभी ब्लॉकों में आस-पास के 10-12 गांवों को शामिल करते हुए 15 साप्ताहिक चिकित्सा सहायता केन्द्र चलाए जा रहे हैं।
- 5 अस्पतालों की बिल्डिंग बनाई गई हैं।
- नेत्र शिविर-79 मोतिया बिंद मरीजों का ऑपरेशन किया गया है, जिनको निःशुल्क दवाईयां, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- विभिन्न परिसरीय गांवों के 30 पुरूषों और 30 महिलाओं को क्रमशः इस्पात जनरल हॉस्पिटल में गांव स्वास्थ्य कर्मचारी और दाई के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

3. संचार

- विभिन्न गांवों में 44.25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है।
- 4 पुलियां बनाई गई हैं।
- 1 पुल बनाया गया है।

4. शिक्षा

- एम ई स्कूलों/हाई स्कूलों/कॉलिजों में 262 क्लास रूम बनाए गए हैं।
- परिसरीय हाई स्कूलों के 58 छात्रों को मैरिट पुरस्कार दिए गए हैं।

5. सामुदायिक विकास

- 31 गांव विकास केन्द्रों का निर्माण किया गया है।
- 7 गांव विकास केन्द्रों को 7 टी.वी. सैट दिए गए।
- 51 गांवों/क्लबों को प्रतिवर्ष खेलकूद की सामग्री दी गई।
- 10 फील्ड विकास/गोल पोस्ट बनाए गए।
- 7 गांवों में आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- प्रत्येक वर्ष 6 गांवों के जोनों में लड़कों और लड़कियों के लिए रूरल हॉकी टूर्नामेंट कराए गए।
- 5 गांवों के सामुदायिक केन्द्रों का विद्युतीकरण किया गया है।
- 31 गांवों के विकास केन्द्रों को दरी और इंडोर खेलों के लिए सामग्री दी गई।
- मंदिरा बांध में मत्स्य पालन विकास किया गया (26.69 लाख बीज छोड़े गए)
- गांव की विभिन्न महिला मंडलियों को 89 सिलाई मशीनें दी गईं।
- 3 गांव के बाजारों का विकास/मरम्मत की गई।

विवरण II

वर्ष 2004-05 तक राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए परिसरीय विकास कार्यों का ब्यौरा

योजना:

1. पेयजल
2. स्वास्थ्य देखभाल
3. संचार
4. शिक्षा
5. सामुदायिक विकास

किए गए कार्यों का ब्यौरा:

1. पेयजल

- 6 कुंए खोदे गए हैं।

2. स्वास्थ्य देखभाल

- सभी ब्लॉकों में आस-पास के 10-12 गांवों को शामिल करते हुए 15 साप्ताहिक चिकित्सा सहायता केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

3. संचार

- विभिन्न गांवों में 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है।

4. शिक्षा

- 2 हाई स्कूलों में 4 क्लास रूप बनाए गए हैं।
- 15 प्राईमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को अध्ययन संबंधी सामग्री जैसे स्लेट, चाक, स्कूल बैग दिए गए।
- 15 हाई स्कूलों के विद्यार्थियों को अध्ययन संबंधी सामग्री जैसे साईंस चार्ट, भौगोलिक मानचित्र, ग्लोब, शब्दकोश आदि दिए गए।
- विभिन्न परिसरीय गांव के 13 हाई स्कूलों को विज्ञान उपकरण जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, रिहोस्टेट, पस्खनलियां, स्प्रिट लैंप, उत्तल तथा अवतल दर्पण, लैस, प्रिज्म, ब्यूरेट, पिपेट आदि दिए गए।
- अन्धे छात्रों के लिए एक विद्यालय को विभिन्न उपयोगी सामग्री जैसे गद्दे, बैड सीट्स, कंबल और चश्में (छोटे और मध्यम) आदी दिए गए हैं।

5. सामुदायिक विकास

वेदव्यास में विकास कार्य

वेदव्यास कोल व संख नदी के संगम पर स्थित है और ब्राह्मणी नदी वेदव्यास से निकलती है। इसके स्थान पौराणिक कथाओं और भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर के कारण इसका काफी धार्मिक महत्व है। उड़ीसा और उड़ीसा के अलावा अन्य राज्यों के लोग यहां तीर्थयात्री और पर्यटक के रूप में यहां आते हैं। यह राउरकेला और इसके आस-पास के गांवों के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक विरासत भी है। प्रतिवर्ष शिव रात्रि त्यौहार के अवसर पर उड़ीसा और विभिन्न राज्यों के 3 लाख से भी अधिक भक्त यहां आते हैं और वेदव्यास नदी में स्नान करते हैं। सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए कुछ विकास कार्य जैसे स्नान घाटों को निर्माण पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क और मंदिर के आस-पास रास्ते बनाए गए हैं, पूजा सामग्री बेचने के काउंटर बनाए गए हैं, खुले बाग का सज्जीकरण किया गया है, स्वर्ग द्वार (श्मशान भूमि) में स्वास्थ्यकर स्थिति, पानी निकासी की उचित सुविधाएं और विद्यमान बिल्डिंग आदि का सुधार करते हुए मरम्मत की गई है।

वेदव्यास में राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उपरोक्त विकास कार्य जिला प्राधिकारियों विशेष रूप से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राउरकेला, जो वेदव्यास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, के विशेष अनुरोध पर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

- एक गांव विकास केन्द्र का निर्माण किया गया।
- 51 गांवों/क्लबों को खेलकुद सामग्री दी गई।
- 6 गांव जोनों में लड़कों और लड़कियों के लिए रूरल हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए गए।
- परिसरीय गांवों/पुनर्वास कालोनियों के 15 एम ई स्कूलों को हॉकी स्टिक और हॉकी बॉल दी गई।

जल संवर्द्धन योजना

6555. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल संवर्द्धन योजना से संबंधित नीति, संस्थागत प्रबंधों और मात्रा संबंधी सुधार करने और इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं; और

(घ) प्रस्तावित सुधार कार्य कब तक पूरे होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार "जल संवर्द्धन योजना" नामक कोई कार्यक्रम/स्कीम नहीं कार्यान्वित कर रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में मत्स्य आश्रय-2 का निर्माण

6556. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में मत्स्य आश्रय-2 के अंतर्गत 5000 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो धनराशि कब तक जारी किए गए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के तहत मछुआरों घरों के निर्माण की लागत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन की जाती है। भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य के लिए 2004-05 में 1500 लाख रुपए की कुल लागत से जिसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 750 लाख रुपए है, 5000 मछुआरा घरों को स्वीकृत किया है। मत्स्य आश्रय-2 के तहत मछुआरा घरों के निर्माण के लिए अब तक 300 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी कर्नाटक को जारी कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी विकास कोष से ऋण हेतु प्रस्ताव

6557. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्यों की ओर से चीनी विकास कोष से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात, 2002-03 से 2004-05 तक के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के लिए 133 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(1) गन्ना विकास: 97 आवेदन (गुजरात से एक सहित) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 41 आवेदन चीनी विकास निधि से ऋण के लिए क्लीयर कर दिए गए थे और 36 आवेदन उनकी निगेटिव नेटवर्थ सहित विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए थे।

(2) मिल का आधुनिकीरण: 9 आवदेन प्राप्त हुए थे जिनमें से 8 आवेदन चीनी विकास निधि से ऋण के लिए क्लीयर कर दिए गए थे और एक आवदेन अस्वीकृत कर दिया गया था।

(3) खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन: 21 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 16 आवेदनों के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया था और एक आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था।

(4) इथानॉल उत्पादन: 7 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से इसी अवधि के दौरान 6 आवेदनों के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया था।

(ग) आवेदन प्राप्त होना और ऋण मंजूर करना वर्ष भर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। आवेदनों की सर्वप्रथम स्क्रीनिंग समिति/उप समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है और इसके बाद स्थायी समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, स्थायी समिति की सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और इन्हें स्वीकार करने पर चीनी विकास निधि से ऋण के लिए अनुमोदन जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निजी क्षेत्र को लौह अयस्क की बिक्री

6558. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को निजी क्षेत्र के भारतीय इस्पात निर्माताओं को लौह अयस्क बेचने की अनुमति दी है जिसके वर्ष 2005 में 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका इस्पात जो कि आवास आदि सहित अधिकांश अन्य उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है के निर्माण की आर्थिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) के वाणिज्यिक कार्य-कलापों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। अत: एनएमडीसी द्वारा निजी क्षेत्र के भारतीय इस्पात विनिर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर लौह अयस्क की बिक्री करने की सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2005 में 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किए जाने की उम्मीद है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लौह अयस्क के अलावा कोयला तथा अन्य कच्चा माल आदान भी इस्पात के उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं। पिछले दो वर्षों में इन सभी आदनों की कीमतों में खासी वृद्धि हुई है जो इस्पात की कीमतों में वृद्धि के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकती है।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को छूट

6559. डा. के.एस. मनोज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कई पारम्परिक इकाइयों को बंद होने से रोकने तथा हजारों कर्मचारियों की रोजगार की समस्या को रोकने के लिए दिशानिर्देशों में कुछ छूट देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) छूट देने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुर्गी पालन क्षेत्र

6560. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि मुर्गीपालन क्षेत्र को कृषि माना जाए ताकि इसे कृषि क्षेत्र के सभी लाभ मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें बिक्री कर, चुंगी, भूमि, श्रम और विद्युत पर छूट शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान में मुर्गीपालन को न तो कृषि माना जाता है और न ही उद्योग माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों को स्वदेशी मुर्गीपालन के लिए कोई प्रजनन नीति बनाने के लिए कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों से कुक्कुट क्षेत्र को कृषि के रूप में मानने के लिए अनुरोध किया गया है जिससे बिक्री कर, चुंगी, भूमि तथा श्रम कानून, विद्युत तथा संस्थागत वित्तपोषण इत्यादि कृषि के समान हो सकें।

(ग) और (घ) कुक्कुट राज्य का विषय है और कई राज्यों में इसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि यह कृषि के अंतर्गत आता है अथवा उद्योग के अंतर्गत।

(ङ) और (च) पिछले दो वर्षों में, इस विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन कार्य कर रहे सभी केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनों में स्वदेशी कुक्कुट के प्रजनन पर ध्यान दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, बेहतर स्वदेशी नस्ल की नई प्रजातियों को विकसित किया गया है। राज्यों को उनके राज्य प्रजनन फार्मों में स्वदेशी कुक्कुट के लिए ऐसी प्रजनन नीति अपनाने के लिए कहा गया है।

भारतीय और चीनी भेषज कंपनियों के बीच समझौता

6561. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा चीन के प्रधान मंत्री के हाल के दौरे के दौरान चीन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय और चीनी भेषज कंपनियों द्वारा कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय भेषज कंपनियों की सहायता के लिए चीन किस सीमा तक सहमत हुआ है और चीन द्वारा अपने रास्ते खोले गए है ताकि दोनों देशों को भेषज मुद्दों पर अनुभव मिल सकें?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का अवैध शिकार

6562. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों का काफी अवैध शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मघधी, कटवा तथा खटौली रेंजेज के रखरखाव पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित समिति के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या टाइगर ट्रस्ट द्वारा उद्यान में अवैध गतिविधियों की गंभीर शिकायतें न्यायालय के सामने रखी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) यद्यपि, मध्य प्रदेश के बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के भीतर और उसके आसपास जंगली जानवरों के अवैध शिकार की छुटपुट घटनाएं प्रकाश में आई हैं, परन्तु इस क्षेत्र में निरंकुश अवैध शिकार के बारे में कोई सूचना नहीं है। राज्य से मिली सूचना के अनुसार इस राष्ट्रीय उद्यान में अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक अवैध शिकार के मामलों का ब्यौरा संग्लन विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने श्री मंजीत सिंह अहलूवालिया और एक गैर सरकारी संगठन-'टाइगर ट्रस्ट' द्वारा दाखिल आई ए (एस) 543 और 593 के संबंध में फरवरी, 2005 में बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। मघधी और खटौली रेंजेज के बारे में अध्यक्ष की अभ्युक्तियां संलग्न विवरण-II में हैं।

(च) बंधवगढ़ की खटौली और मघधी रेंजेज को अंतिम रूप से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है और बस्तियां उनके अंदर मौजूद हैं। बाघ परियोजना के दिशानिर्देशों और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के दायरे में इस आरक्षित क्षेत्र (रिजर्व) में पर्यावास और वन्यजीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राज्य को कई बार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

अवैध शिकार के मामलों का ब्यौरा
(बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान)

क्र.सं.	रेंज	मामला संख्या	तारीख	जानवरों की प्रजातियां
1.	तला	140/24	5.5.2004	लंगूर
2.	तला	1542/14	27.12.2004	बार्किंग डीयर
3.	मघधी	1964/23	5.8.2004	नेवला
4.	खटौली	1975/20	10.10.2004	खरगोश
5.	खटौली	3936/25	2.11.2004	चितकबरा हिरण
6.	पंपथा	1530/20	12.7.2004	चिंकारा

विवरण II

केन्द्रीय शक्तिसंपन्न समिति के अध्यक्ष की अभ्युक्तियां

(क) मघधी- यह तो स्पष्ट है कि यह रेंज भयंकर अवक्रमित है और उजाड़ है। उसके आसपास गाड़ी में सफर करते हुए यह देखा गया कि वन के चौकीदार के सामने घास काटी जा रही थी। अधिकांश क्षेत्र गाय के गोबर से भरे हुए थे और झाड़-झंखाड़ बहुत पतला था। इस रेंज में सुधारक उपाय शीघ्र किए जाने की आवश्यकता है। मघधी और तला रेंज में बड़ा अंतर है।

(ख) खटौली- यद्यपि, खटौली, मघधी से थोड़ा बेहतर था, फिर भी वन का वही पतलापन और अवक्रमण दिखाई देता था। स्थल का निरीक्षण करने पर हमने यह देखा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक 36 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा था और पानी की नालियों के दोनों तरफ के किनारों के बांस और अन्य वृक्षों की कटाई के संकेत मिले। बीच में बिना सिरे और अन्त की इस सड़क को बनाने के लिए तीन लाख रुपये की एक स्वीकृति का इस्तेमाल किया जा रहा था। बांस के कम से कम 80 झुरमुट प्रभावित हुए थे। निदेशक को इस सड़क के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने इसे बंद करने का आदेश दे दिया। (राष्ट्रीय उद्यान में डमडम-तिरका मुनारी मार्ग-1550 मीटर)। इस तरह के प्रबंधन के निर्णय कभी भी नहीं किए जाने चाहिए।

यह स्पष्ट था कि गंभीर रूप से उपेक्षित अन्य रेंजों-मघधी, खटौली तथा कटवा पर गहन रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ध्यान न देने से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के भविष्य पर प्रश्नचिह्न बना रहेगा।

विशेष मुद्दा (प्वाइंट)

उपर्युक्त वन रेंज प्रभागों में ग्रामीण पुनर्वास पर तत्काल बल दिया जाए-इस क्षेत्र में थोड़े प्रयास किए गए हैं।

निष्कर्ष

बांधवगढ़ आज अत्यधिक नाजुक और संवेदनशील स्थिति में है। तथापि, तला पर्यटन रेंज में बाघ ठीक-ठाक हालत में हैं, बाकि रेंजें पूर्णतया उपेक्षित और अस्त-व्यस्त हैं। इस उद्यान की सुरक्षा और इसके बाघों के भविष्य की रक्षा के लिए पर्यटन के बाहर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान केन्द्रीय किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

मांस उत्पाद संबंधी परामर्शदात्री समिति

6563. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 के अनुसार मांस उत्पाद संबंधी परामर्शदात्री समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान मांस उत्पादकों की समस्या सुलझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मांस उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मांस उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) मांस खाद्य उत्पादन परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन जुलाई, 2004 में किया गया है और वर्ष 2004-05 के दौरान इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) से (छ) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के अंतर्गत मांस खाद्य उत्पादों के निर्माण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। वैसे, मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें मांस खाद्य उत्पाद निर्माता भी शामिल हैं। सहायता की मात्रा सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 50 लाख रुपये और 75 लाख रुपये है।

बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है।

एशियाई देशों के साथ नदियों के जल से संबंधित समझौता

6564. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नदियों के जल के बटवारे के संबंध में एशियाई देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जैसा कि दिनांक 19 अप्रैल, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इन देशों के बीच किन-किन वर्षों के लिए गंगा जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) क्या गंगा जल समझौते तथा टिपाईमुख परियोजना के संबंध में बांग्लादेश द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या बांग्लादेश द्वारा गंगा के जल को छोड़े जाने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों को कुल कितना क्यूबिक जल मिलेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच 12 दिसम्बर, 1996 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि 30 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

(ग) फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे संबंधी संधि के संबंध में बंग्लादेश सरकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना के संबंध में बंग्लादेश सरकार ने कार्यान्वयन के विरुद्ध आशंकाएं व्यक्त की हैं।

(घ) और (ङ) इस संधि के प्रावधानों के अनुसार बंग्लादेश के लिए जल छोड़ा जाता है। दोनों सरकारों द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर या इससे पहले इस संधि की समीक्षा के लिए प्रावधान है। तथापि, अभी तक, बंग्लादेश ने इस संधि की समीक्षा के लिए नहीं कहा है।

इस संधि के तहत फरक्का पर आने वाले 75,000 क्यूसेक्स या उससे अधिक प्रवाह में से भारत 40,000 क्यूसेक्स जल लेगा और शेष प्रवाह बंग्लादेश के लिए छोड़ दिया जाएगा। आने वाले प्रवाहों के 70,000 क्यूसेक्स से 75,000 क्यूसेक्स के बीच होने पर 35,000 क्यूसेक्स जल बंग्लादेश के लिए छोड़ा जाएगा और शेष प्रवाह को भारत की ओर मोड़ दिया जाएगा। आने वाले प्रवाहों के 70,000 क्यूसेक्स अथवा कम होने पर भारत और बंग्लादेश के बीच जल का बंटवारा समान रूप से (50% प्रत्येक) किया जाएगा। ये निर्धारण इस शर्त के अधीन होंगे कि भारत और बंग्लादेश प्रत्येक प्रति वर्ष 11 मार्च से 10 मई तक की अवधि के दौरान 10 दिन की तीन एकान्तर अवधियों में निश्चित तौर पर 35,000 क्यूसेक्स जल प्राप्त करें।

[अनुवाद]

विदेशी विमान कंपनियों तथा टूर ऑपरेटरों द्वारा दिए गए पैकेज

6565. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी विमान कंपनियों तथा टूर ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न पैकेजों की पेशकश की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के घरेलू पर्यटन पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) देश के विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) विदेशी एयरलाइनों और टूअर ऑपरेटरों द्वारा पेशकश किए जा रहे संवर्धनों तथा पैकेजों के परिणामस्वरूप, आउटबाउंड ट्रैफिक में वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू पर्यटन पर इसका प्रभाव न्यूनतम रहा है। वर्ष 2003 में 309 मिलियन घरेलू पर्यटक आगमन की तुलना में आउटबाउंड ट्रैफिक 5.35 मिलियन था। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2004 में घरेलू पर्यटक आगमन में लगभग 20% की और वृद्धि हुई है, जबकि आउटबाउंड ट्रैफिक में 16% की वृद्धि हुई है।

(घ) घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षिक करने के लिए उठाए गए कदमों में, अवसंरचना का विकास, विज्ञापन, व्यापर प्रदर्शनियों में भागीदारी, ब्रोशरों और सी डी रोम्स के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त संवर्धन, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों की कालाबाजारी

6566. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रबी की फसलों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कालाबाजारी को किस प्रकार रोकने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के खण्ड 21 के अंतर्गत सभी प्रकार के उर्वरकों चाहे वे सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन हों या सांविधिक मूल्य नियंत्रण से बाहर हों, के बोरों पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बोरी पर मुद्रित मूल्य से अधिक दाम नहीं ले सकता। उर्वरक नियंत्रण आदेश के इस अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश और अनिवार्य वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासनिक/दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकारें प्रवर्तन अभिकरण हैं और किसी प्रकार के कदाचार में संलिप्त अपराधी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उनके पास समुचित अधिकार हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगारी की दर

6567. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री बृजेश पाठक:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2005 के बिजनस स्टैन्डर्ड में हाल में प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार शहरों में बेरोजगारी की दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा सर्वेक्षण करने के लिए उक्त संगठन द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं: और

(घ) उक्त सर्वेक्षण के बाद देश में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उभरी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) दिनांक 4 अप्रैल, 2005 के बिजनेस स्टैण्डर्ड ने वर्ष जनवरी-दिसम्बर, 2003 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण का हवाला दिया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दरें निम्नानुसार थीं:

श्रेणी	जनवरी-दिसम्बर 2003 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर (%)
ग्रामीण पुरूष	1.9
ग्रामीण महिला	1.0
शहरी पुरूष	4.3
शहरी महिला	4.4

सरसरे प्रतिदर्श सर्वेक्षण के कारण अनुमानों में बड़ी गलतियां हो सकती हैं।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अपने वार्षिक सर्वेक्षणों में रोजगार एवं बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने के लिए जिस प्रकार के दो दृष्टिकोण अपनाता है वे इस प्रकार हैं, 365 दिन की संदर्भ अवधि का सामान्य स्थिति दृष्टिकोण तथा 7 दिन की संदर्भ अवधि का चालू साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण।

(घ) सरकार का लक्ष्य 10वीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का है। इसके अतिरिक्त, सरकार शहरी क्षेत्रों में विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) आदि शामिल हैं।

उड़ीसा की रेंगली बहुउद्देशीय परियोजना

6568. श्री अनन्त नायक: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में रेंगली बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन पर कई परिवारों को विस्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उचित पुनर्वास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में रेंगाली बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन से 11,289 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) उड़ीसा सरकार ने विस्थापित परिवारों को उपयुक्त पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) 11,289 विस्थापित परिवारों में से, 11,107 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सहायता प्राप्त हुई है। 5064 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सहायता भूमि के रूप में प्राप्त हुई है, 3830 को नकद के रूप में तथा 2213 को भूमि एवं भूमि के बदले में नकद दोनों प्राप्त हुए हैं।

(2) 3489 विस्थापित परिवारों को 61 कालोनियों में बसाया गया, 3737 को 95 क्लस्टरों में तथा शेष स्वयं 485 राजस्व गांवों में बस गए।

(3) कालोनियों तथा क्लस्टरों में पेय जल, सिंचाई, संचार, जल-निकास, बिजली, स्वास्थ्य आदि के प्रावधान के लिए अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

(4) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से ग्राम विकास समिति तथा महिला स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए।

(5) आर्थिक क्षतिपूर्ति के तहत महिला स्वयं-सहायता समूहों को 10,000 रुपये प्रति स्वयं-सहायता समूह की दर से रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई। 100 स्वयं-सहायता समूहों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से जोड़ा गया तथा उन्होंने कुल 19.00 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त किया है। प्रांगण में वृक्षारोपण के लिए 202 स्वयं-सहायता समूहों को फल देने वाले वृक्षों के पौधे उपलब्ध कराए गए।

(6) जलाशय को लगातार तीन वर्ष तक आंगुलिकों से भरा गया ताकि मछलियों की अच्छी पैदावार हो। विस्थापित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में लेकर 4 मत्स्य को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई तथा मोटर युक्त बोट एवं जाल उपलब्ध कराए गए।

राष्ट्रीय कृषि नीति

6569. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की कल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(घ) कृषि क्षेत्र में लक्षित वृद्धि प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कृषि क्षेत्र में लक्षित वृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% से अधिक वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय कृषि नीति में संसाधनों के क्षमतापूर्ण उपयोग पर आधारित वृद्धि तथा क्षमता सभी क्षेत्रों और किसानों की व्यापक वृद्धि के महत्व को भी रेखांकित किया गया हे। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में 2002 से 2007 के दौरान कृषि में 4.0% प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए निर्धारित वार्षिक औसत वृद्धि दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वानिकी एवं काष्ठ तथा मत्स्यपालन से संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि की वृद्धि दर वर्ष 2002-03 में ऋणात्मक (-7%) थी, जबकि वर्ष 2003-04 में यह 9.6% थी। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार संबंध क्षेत्रों सहित कृषि की वृद्धि दर वर्ष 2004-05 में 1.1% है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.2% बनती है।

(घ) चूंकि निवल बुआई क्षेत्र में से लगभग 60% क्षेत्र वर्षा सिंचित है, अतः कृषि उत्पादन वर्षा से अत्यधिक प्रभावित होता है। वर्ष 2002-03 में पड़े भीषण सूखे ने देश के अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था। वर्ष 2003-04 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनुकूल वर्षा से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में समय एवं स्थान के अनुसार कमी आई। यद्यपि, दक्षिण-पश्चिम मानसून से हुई वर्षा पूरे मौसम और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण जुलाई माह में वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 के दौरान कम रही, तथापि 2004-05 के खरीफ उत्पादन पर कम वर्षा होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ङ) कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने प्राथकिमता के आधार पर ध्यान देने के लिए कुछ क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है, जिनमें कृषि ऋण, सिंचाई, बागवानी तथा विपणन में सुधार शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का ध्यान ऋण देने, खास तौर से किसान परिवारों को उत्पादन ऋण देने के प्रयासों पर केन्द्रित करने के महत्व पर दिलाया गया है। बजट में बताए गए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में छोटी सिंचाई प्रौद्योगिकी, जिसने ड्रिप तथा छिड़काव सिंचाई आती है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसमें बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों पर ध्यान दिया गया है तथा कृषि विपणन के आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण/विकास, ग्रेडिंग, मानकीकरण शामिल है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए वृद्धि संबंधी राज्यवार लक्ष्य

(वार्षिक औसत % में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कृषि
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00
आंध्र प्रदेश	3.05
अरुणाचल प्रदेश	4.00
असम	3.82
बिहार	3.75
चंडीगढ़	-2.00
छत्तीसगढ़	3.00
दिल्ली	-12.21
गोवा	-0.90
गुजरात	4.03
हरियाणा	4.07
हिमाचल प्रदेश	4.55
जम्मू व कश्मीर	4.20
झारखंड	3.00
कर्नाटक	4.99
केरल	3.05
मध्य प्रदेश	4.00
महाराष्ट्र	3.56
मणिपुर	3.59
मेघालय	4.00
मिजोरम	2.00
नागालैंड	4.00
उड़ीसा	4.07
पांडिचेरी	1.10
पंजाब	4.07
राजस्थान	4.50
सिक्किम	5.00
तमिलनाडु	3.54
त्रिपुरा	3.90
उत्तरांचल	3.50
उत्तर प्रदेश	4.67
पश्चिम बंगाल	5.09
अखिल भारत	4.00

[हिन्दी]

मत्स्य परिरक्षण और प्रसंस्करण

6570. श्री रामदास आठवले: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी अवसंचरना के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मत्स्य प्रसंस्करण हेतु मशीनें खरीदने तथा शीतागारों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों तथा अन्य एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुदान सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) मत्स्य प्रसंस्करण मशीनों को खरीदने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र की उन कंपनियों/निजी उद्यमियों तथा एजेंसियों के नाम क्या है जिसके लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है; और

(च) इस संबंध में अन्य राज्यों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जल्दी खराब होने वाली उपज के भंडारण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों जिनमें निजी उद्यमी शामिल हैं, को वित्तीय सहायता देता है ताकि मौजूदा शीतागारों की व्यवहार्यता बेहतर हो सके और अचल के साथ-साथ चलती फिरती शीतागार संबंधी कुल क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मछली प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी ओर मात्स्यिकी विभाग तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी अपनी स्कीमों के अंतर्गत मछली के प्रसंस्करण और परिरक्षण हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के वास्ते वित्तीय सहायता देते हैं।

(घ) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मछली प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण तथा मछली परिरक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी है:

क्र.सं.	नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	ससूनडॉक मत्स्य उद्योग लिमिटेड	25.00
2.	अलाना इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी	50.00
3.	मैसर्स पार्टीटाइम आइस प्रा. लि.	50.00

मछली के प्रसंस्करण और परिरक्षण हेतु बुनियादी सुविधा तथा संयंत्र और मशीनरी के वास्ते पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए राज्य-वार सहायता अनुदानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण. उद्योग मंत्रालय द्वारा मछली के प्रसंस्करण और परिरक्षण हेतु बुनियादी सुविधा तथा संयंत्र और मशीनरी के वास्ते स्वीकृत वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्योरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या	राशि
1	2	3	4
वर्ष 2002-03			
1.	महाराष्ट्र	2	50.00
2.	केरल	5	396.00
3.	आंध्र प्रदेश	7	173.19
4.	मणिपुर	1	3.24
5.	तमिलनाडु	3	71.74
वर्ष 2003-04			
1.	महाराष्ट्र	2	50.00
2.	केरल	7	104.18
3.	आंध्र प्रदेश	12	364.69
4.	मणिपुर	1	3.21
5.	तमिलनाडु	2	24.95
6.	कर्नाटक	1	6.19
7.	पश्चिम बंगाल	2	225.00
वर्ष 2004-05			
1.	महाराष्ट्र	1	25.00
2.	केरल	3	48.36
3.	आंध्र प्रदेश	7	216.88
4.	गोवा	1	25.00
5.	तमिलनाडु	2	30.98
6.	कर्नाटक	3	69.00
7.	पश्चिम बंगाल	4	204.41
8.	उड़ीसा	1	25.00
9.	गुजरात	1	24.12

अशोक होटल की बिक्री

6571. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशोक होटल का निर्माण बिहार सरकार की भूमि पर किया गया है जो भारतीय पर्यटन विकास निगम को पर्यटन सूचना केन्द्र खोलने के लिए आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम से किरायास्वरूप नौ करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है यदि भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार इसे बेचने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को कब तक कर दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां। होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना का निर्माण बिहार सरकार की भूमि पर किया गया है, जिसे बिहार सरकार ने पर्यटक स्वागत कक्ष के निर्माण के लिए 1972 में पर्यटन विभाग, भारत सरकार को दे दिया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों में आग

6572. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान में भयंकर आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप कोई जानवर प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी आग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। राज्य ने सूचित किया है कि गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में मार्च 13, 2005 को आकस्मिक आग लग गई थी। आग से 84.8 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

(ग) और (घ) जानवरों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(ङ) और (च) जी हां। वन विभाग ने जांच की है और प्रथम अपराध रिपोर्ट तैयार की गई है।

(छ) क्षति पूर्ति और आगामी नुकसान से उसकी सुरक्षा व संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वनों में मार्गों के साथ-साथ और वनों के आस-पास फायर-लाईन्स लगाई गई हैं।

(2) संवदेनशील स्थलों पर अग्निशमन दल तैनान किये गए हैं।

(3) दावानल का जल्दी पता लगाने के लिए पहाड़ियों पर फायर वाचर्स को तैनात किया गया है।

(4) दावानल का पता लगाने के लिए फायर टावर्स बनाए गए हैं।

(5) वन क्षेत्र आधुनिक वायरलेस नेटवर्क से भली-भांति जुड़ा हुआ है।

(6) वनों में आग लगने वाले स्थलों पर पहुंचने के लिए क्षेत्राधिकारियों और कर्मचारियों को वाहन मुहैय्या कराए गए हैं।

(7) प्रकृति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु शिविर और ग्रामवासियों के साथ बैठकों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(8) वन कार्मिकों को अग्नि से रोकथाम और दावानल का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(9) स्टाफ द्वारा गहन गश्त की जाती है।

(10) स्टाफ द्वारा आवागमन (ट्रैफिक) को विनियमित किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की इन्दिरा सागर गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना

6573. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की इन्दिरा सागर गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत आयोग को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों को कुल कितनी राशि जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना को पूर्ण करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, कार्यान्वयन तथा वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में गोसीखुर्द परियोजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत आयोग/निगम के माध्यम से कराने का निर्णय लेना राज्य सरकार पर निर्भर है।

(घ) वर्ष 2004-05 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रस्ताव के अनुसार इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 3949.15 करोड़ रुपये है। परियोजना को मार्च, 2005 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में 189.148 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2005-06 में परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कोई केन्द्रीय ऋण सहायता प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार ने बताया है कि परियोजना को वर्ष 2012 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों का विस्तार

6574. श्री दुष्यंत सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के विस्तार पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 1.4.2003 से प्रभावी यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना में ऊर्जा संरक्षण के उपायों और नई प्रौद्योगिकी में दक्षता पर जोर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 10वीं योजना के दौरान विभाग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के निधियन के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। उर्वरक विभाग द्वारा प्रमुख अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना का नाम	संस्था का नाम	परियोजना की लागत
1.	क्वायल्ड फ्लो इनवर्टरी के संबंध में प्रायोगिक परियोजना	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली	2.46 करोड़ रुपए
2.	समाप्त उत्प्रेरकों का निपटान और कीमती धातुओं की प्राप्ति	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली	2.00 करोड़ रुपए
3.	हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए माइक्रो रिएक्ट के उपयोग करते हुए मीथेन को संश्लेषित गैस में परिवर्तित करने के लिए अध्ययन	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर	0.50 करोड़ रुपए
4.	वर्ष 2004-05 के दौरान CO_2 (कार्बन डाईऑक्साइड) की प्राप्ति पर आधारित नया आमेलन	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, मोखमपुर, देहरादून	1.01 करोड़ रुपए
5.	वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) N_2, पानी (H_2O) और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर यूरिया का फोटोकैटेलिक सिन्थिसीस	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	0.47 करोड़ रुपए
6.	पैक्ड कॉलमों में कार्बन डाईऑक्साइड के रासायनिक डिसपोर्शन के संबंध में अध्ययन	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली	1.00 करोड़ रुपए
7.	मेम्ब्रेंस रिएक्टर में स्थानत: प्रतिक्रिया तथा स्टीम रिफार्मिंग हाइड्रोकार्बन उत्पाद मिश्रण का पृथक्करण	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर	0.72 करोड़ रुपए

रोजगार की गुणवत्ता में कमी

6575. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में रोजगार की गुणवत्ता में कमी की अपेक्षित आशाएं पूरी न होने के कारण तथा नौकरियों के उपलब्ध न होने से कुशल श्रम शक्ति को विदेश में अवसर तलाशने पड़ रहे हैं जैसा कि दिनांक 18 मार्च, 2005 के 'द स्टेट्समेन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए देश में गुणवत्ता से जुड़े रोजगार प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित कार्य बल एवं विशेष समूह ने शिक्षित वर्ग में तुलनात्मक रूप से उच्च बेरोजगारी दर हेतु उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार की कमी की एक प्रमुख कारण के रूप में पहचान की है। फिर भी, विशेषकर वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के परिपेक्ष्य में तकनीकी दृष्टि से कुशल जनशक्ति बेहतर संभावनाओं हेतु विदेश में भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकती है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना का एक मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तात्मक रोजगार सृजन करना है।

फलों व सब्जियों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

6576. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के समान फलों व सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) फलों व सब्जियों को बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत लाने और इन शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को विपणन सहायता देने के लिए भी सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार के पास खाद्यान्नों की तरह फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी और अन्य कृषि फसलों को कवर किया जाता है। बागवानी वस्तुओं के उत्पादकों को बम्पर फसल की स्थिति में मजबूरी में बिक्री से संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी विशेष वस्तु हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है।

[हिन्दी]

प्रवासी साइबेरियाई पक्षियों का अवैध शिकार

6577. श्री मुनव्वर हसन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जमुआंवा ग्राम सभा के 989 बीघा तालाब में अबाध रूप से प्रवासी साइबेरियाई पक्षियों का अवैध शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें संलिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अक्टूबर, 2004 से मार्च, 2005 तक इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ङ) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) साईबेरियाई पक्षियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) अवैध शिकार कब तक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) जी, नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) साईबेरियाई सारसों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं-

(1) भारतीय सारस प्रजातियों की भारतीय वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के तहत सुरक्षा की जाती है।

(2) सारस संख्या वाले प्रमुख नमभूमि स्थलों को रामसर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों के रूप में घोषित किया गया है।

(3) प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा कड़ी चौकसी की जाती है।

(छ) प्रवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और अवैध शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2125/05]

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2126/05]

(तीन) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2127/05]

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2128/05]

(पांच) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2129/05]

(छह) एमईसीओएन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2130/05]

(सात) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2131/05]

(आठ) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2132/05]

(नौ) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2133/05]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2134/05]

(ख) (एक) पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड कैमिकल्सस लिमिटेड का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2135/05]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2136/05]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2137/05]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2138/05]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1988-1989 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1988-1989 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2139/05]

(ख) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2001-02 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2001-02 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2140/05]

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2003-04 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2141/05]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तस्लीमुद्दीन—उपस्थित नहीं। श्री तस्लीमुद्दीन के स्थान पर श्रीमती कांति सिंह—वह भी उपस्थित नहीं हैं। यह बात ठीक नहीं है। माननीय मंत्री को अपने समय पर उपस्थित होना चाहिए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सलीम अली सेंटर फार ओर्निथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2003-04 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फार ओर्निथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2145/05]

(3) (एक) वाइल्डलाईफ इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2003-04 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्डलाईफ इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2146/05]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 जो 15 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी-33(1)/97-खंड 2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2147/05]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश
तथा
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 6 मई, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 6 मई, 2005 को यथापारित इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को सभापटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सबको पता है कि हमें कार्यसूची के अनुसार मामलों को उठाना

चाहिए। मैंने श्री बसुदेव आचार्ग को माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आमंत्रित किया है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जायें।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयः इस पर मैं केवल अपना गहन क्षोभ व्यक्त कर सकता हूं। कृपया बैठ जाइये। जब मैं खड़ा हूं तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब मुझे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयः आप शीघ्र ही मुसीबत में फंस सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मिस्टर पोन्नुस्वामी, आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या संसद में इसी तरह का आचरण किया जाता है? अब तक आपको यह पता लग जाना चाहिए कि 'प्रश्न काल' तथा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होती है। मैं इस सभा के सुस्थापित नियम और प्रक्रियाओं का असरण कर रहा हूं। आपके पास थोड़ा भी धैर्य नहीं है। क्या आपके इस व्यवहार को जिम्मेदाराना व्यवहार कहा जा सकता है। हां, श्री बसुदेव आचार्य कृपया शुरू करें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री वीर चन्द्र पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आवर में एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मिस्टर मार्शल, इन सदस्य का नाम लिख लीजिए। अब बहुत हो चुका। मैं अब और अधिक बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोगों को सभा से बाहर रहना पड़ेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदय, मैं श्री तस्लीमुद्दीन के स्थान पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उनके स्थान पर सभा पटल पर पत्र रखने से पूर्व माननीय मंत्री को यहां सभा में आकर खेद व्यक्त करना होगा।

अपराह्न 12.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-VII को अंतिम रूप नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं माननीय कोयला मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें:

"राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-VII को अंतिम रूप नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव):** अध्यक्ष महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पूर्व सीमान्त लाभों सहित वेतन ढांचा तथा अन्य सेवा शर्तों का कोयला खनन उद्योग के केन्द्रीय कोयला वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अंतर्गत शामिल किया गया था। तथापि, 1971-73 के दौरान कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद चूंकि निजी पार्टियों को कोयला खनन उद्योग से हटा दिया गया था, अत: यह महसूस किया गया कि वेतन बातचीतों के लिए एक द्विपक्षीय मंच अधिक कार्यात्मक होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम कामगारों (ट्रेड यूनियनों) के साथ सीधे बातचीत करेंगे। तदनुसार, 1973 में भारत सरकार ने वेतन संरचना की समीक्षा करने का निर्णय लिया और कोयला उद्योग के लिए एक संयुक्त द्विपक्षीय वेतन बातचीत समिति (जे.बी.सी.सी.आई) का गठन किया। जे.बी.सी.सी.आई. में प्रबंधन तथा ट्रेड यूनियनों के समान प्रतिनिधि हैं। जे.बी.सी.सी.आई. में हुए समझौते को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया। अब तक इस पद्धति पर 6 वेतन समझौते हो गए हैं। वेतन समझौतों की अवधि पांच वर्ष की होती है। अंतिम वेतन समझौता, एन.सी.डब्ल्यू.ए.-VI 30.6.2001 को समाप्त हो गया है और नया वेतन समझौता 1.7.2001 से अपेक्षित है।

इस अवधि के दौरान निजी क्षेत्र की कई कंपनियों ने कैप्टिव प्रयोजनों के लिए कोयला खनन में प्रवेश किया तथा इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इन्हें भी जे.बी.सी.सी.आई. की परिधि के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। जे.बी.सी.सी.आई.-VII 28.7.2003 को गठित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने इंटिग्रेटिड कोल माइनिंग प्राइवेट लि. (आई.सी.एम.एल.), बंगाल एम्टा कोल माइनिंग प्रा.लि. (बी.ई.सी.एम.एल.) तथा जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. (जे.एस.पी.एल.) जैसी निजी कंपनियों को बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तथापि, इन कंपनियों और टिस्को और इस्को जैसी कंपनियों ने भाग लेने से इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप, आगे की बातचीतें केवल सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों और ट्रेड यूनियनों के बीच हुई हैं।

लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में मजदूरी संबंधी समझौता वार्ताओं के लिए दिनांक 11.2.2004 को मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित किए। अन्य बातों के साथ-साथ इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को तब तक वेतन संबंधी समझौता वार्ता आरंभ नहीं करनी चाहिए जब तक बी.आई.एफ.आर. पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन न कर दे और शत-प्रतिशत महंगाई भत्ते (डी.ए.) के निष्प्रभावन की अनुमति 10 वर्ष के वेतन समझौते के मामले में ही दी जाती है। कई विचार-विमर्श के पश्चात् जे.बी.सी.सी.आई.-VII विभिन्न मुद्दों वाले स्वीकार्य पैकेज को हल करने में सफल रही। किन्तु कुछ अन्य मुद्दों को हल नहीं किया जा सका।

मैंने सितम्बर, 2004 में कोल इंडिया प्रबंधन तथा सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ दो बार चर्चाएं की और मूल वेतन के मुद्दे को हल निपटाया गया। तथापि, शत-प्रतिशत महंगाई भत्ते के निष्प्रभावन, घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वेतन समझौते को लागू करने जैसे कुछ मुद्दों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकार के विचार जानने की आवश्यकता है। तदनुसार सरकार ने उद्योग, श्रम तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में चल रही वेतन संबंधी समझौता वार्ता संबंधी बड़े मुद्दों की जांच करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2004 को मंत्रियों का एक समूह (जी.ओ.एम.) गठित किया गया। दिनांक 24.3.2005 को हुई पहली बैठक में मंत्रियों के समूह ने प्रबंधन को अपने विचार प्रस्तुत करने का एक मौका दिया। दिनांक 13.4.2005 को हुई अगली बैठक में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने मंत्रियों के समूह को अपने विचार प्रस्तुत किए। दिनांक 29.4.2005 को हुई तीसरी बैठक में मंत्रियों के समूह ने विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया और मुझे ट्रेड यूनियनों तथा प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ आगे चर्चा करने की सलाह दी। मैंने 3 मई, 2005 को इन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुझे इस सदन में यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी विवादित मुद्दों पर समझौता हो गया है। इस बैठक के सकारात्मक परिणाम की रिपोर्ट, आगे विचार हेतु मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष को दे दी गई है। प्रबंधन तथा सेंट्रल ट्रेड यूनियन दोनों 18-19 मई को कोर ग्रुप की बैठक और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 29-30 मई, 2005 को समग्र जे.बी.सी.सी.आई. की बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

मैं माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि इन मुद्दों को हल करने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं ताकि स्वीकार्य वेतन समझौता उत्पन्न हो सके। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह तदनुसार राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VII के शीघ्र निपटान को सुकर बना रही है।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को और इस मुद्दे को उठाने के लिए माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका पूरा उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कोयला राज्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य संतोषजनक नहीं है ...*(व्यवधान)* पिछला वेतन समझौता, एन.सी.डब्ल्यू.ए. 30.6.2001 को समाप्त हो गया था। उसे चार साल बीत चुके हैं। यह सरकार गत ग्यारह माह से सत्ता

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2148/05]

[श्री बसुदेव आचार्य]

में है। जैसा कि इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कोयला राज्य मंत्री द्वारा सितम्बर माह में केवल दो बैठकें आयोजित की गई हैं। जे.बी.सी.सी.आई. का गठन वर्ष 2003 में किया गया था। अतः वर्ष 2003 से भी, इन दो वर्षों के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VII के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया।

यहां बहुत से विवादास्पद मुद्दे हैं। यह केवल मूल वेतन के बारे में ही नहीं है। मूल वेतन की अवधारणा के संबंध मे भी भेद हैं लेकिन यहां महंगाई भत्ते के शत-प्रतिशत निष्प्रभावन जैसे मुद्दे भी हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. नामक दो अनुषंगी इकाईयों के मामले में जब तक 10 वर्षों तक के लिए एक समझौता नहीं हो जाता तब तक महंगाई भत्ते का निष्प्रभावन नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिकारियों के मामले में पहले से ही 100 प्रतिशत महंगाई भत्ते की निष्प्रभावन का प्रावधान है। श्रमिकों को उससे वंचित क्यों किया जा रहा है? मंत्रीजी को सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वह इस बात से सहमत है कि महंगाई भत्ते का 100 प्रतिशत निष्प्रभावन किया जाना चाहिए या नहीं। यदि वह सहमत है तो इसे मंत्रियों के समूह को अनुशंसित करने की क्या आवश्यकता है?

हम जानते हैं कि ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. दोनों घाटे में चल रही हैं। ये दोनों अनुषंगी इकाईयां घाटे में क्यों चल रही हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. दोनों में बड़ी संख्या में भूमिगत खदानें बंद हो गई हैं। ई.सी.एल. में उपलब्ध कोयला हमारे देश में सर्वोत्तम है। हम ऐसी भूमिगत खदानों को बंद नहीं कर सकते। भूमिगत खादानों में बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध है। यदि हम और गहराई में जाते हैं तो हमें और बेतहर गुणवत्ता वाला कोयला मिलेगा।

जैसाकि मंत्री जी द्वारा बताया गया है, सरकार ने अभी तक ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. के पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। ई.सी.एल. ने पहले ही अपना पुनरुद्धार पैकेज भेज दिया है और यह पुनरुद्धार पैकेज सभी मजदूर संगठनों से परामर्श के पश्चात तैयार किया गया था। सभी केन्द्रीय मजदूर संगठन सहमत थे और उन्होने ई.सी.एल. के पुनरुद्धार के संबंध में कुछ उपाय भी आरंभ किये थे। यह सरकार के पास गत 10 माह से लंबित है क्योंकि मेरे विचार से इसे अगस्त के महीने में भेजा गया था। सरकार को अभी ई.सी.एल. के पुनरुद्धार पैकेज पर निर्णय लेना है।

अब, मंत्री जी पहली बार यह बता रहे हैं कि इन दो अनुषंगी इकाईयों को वेतन समझौते से बाहर किया जा रहा है। दो लाख से अधिक श्रमिकों के वेतन समीक्षा संबंधी वेतन समझौते के बारे में कुछ शर्तें रखी जा रही हैं। आज ई.सी.एल. में एक लाख सात हजार श्रमिक हैं और बी.सी.सी.एल. में एक लाख पांच हजार श्रमिक हैं।

दो लाख से अधिक श्रमिकों को इस वेतन समझौते से बाहर रखा जा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एन.सी.डब्ल्यू.ए.-VI तक, ऐसा कभी नहीं कहा गया था। पिछले वेतन समझौते के दौरान भी ये दो अनुषंगी इकाईयां और सेन्ट्रल कोल फील्ड (सी.सी.एफ.) घाटे में चल रही थी। इसके बावजूद भी इन अनुषंगी इकाईयों के संबंध में किये गये वेतन समझौते को कार्यान्वित किया गया था। क्यों? एनसीडब्ल्यूए-VII के लिए, इन दो सहायक कम्पनियों-ईसीएल और बीसीसीएल को अलग किया जा रहा है और इसके कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मई के माह में 18-19 मई को और इसके बाद अंतिम सप्ताह अर्थात् 29-30 मई 2005 को जेबीसीसीआई की पूर्ण बैठक होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वेतन समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा तो ईसीएल और बीसीसीएल को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

महोदय, आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों को किसी भी वेतन समझौता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। कई कोयला खानें टिस्को से सम्बद्ध हैं। जब 1972 और 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इस्को की कोयला खानों को छुआ तक नहीं गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: टिस्को यहां नहीं आता है।

श्री बसुदेव आचार्य: कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के संशोधन के पश्चात् कई केप्टिव कोयला खानें अस्तित्व में आयी हैं और वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों का आज शोषण किया जा रहा है। उन्हें निर्धारित किये गये वेतनमानों के अनुसार वेतन नहीं मिलता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अन्य प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: आरम्भ में प्रयास किया गया था और सभी कोयला कम्पनियों को अधिसूचना जारी की गई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री आचार्य आप आवश्यकता से अधिक बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को ही नहीं बल्कि टिस्को बंगाल ईएमटीए और सिंगरेनी कोयला कम्पनियों जैसी कम्पनियों को भी जारी की गई थी। लेकिन उन्होंने

प्रयास नहीं किया। सरकार ने उन कम्पनियों को शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? उनका शोषण किया जाता है और उन्हें वेतन समझौते के अनुसार वेतन भी नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या वह अन्य निजी कम्पनियों को भी सम्मिलित करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ताकि कर्मकारों को वेतन करारों के अनुरूप वेतन मिल सके ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीडब्ल्यूए-VI में, कोयला कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के लिए प्रावधान था। उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समझौता पूरा करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा है कि वे सब सहमत हैं। यह तो बस समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देने का प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इसमें कुछ मतभेद हैं। मैंने कार्यवाही सारांश का अध्ययन किया है। मेरे पास कार्यवाही-सारांश की प्रति है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उसका जिक्र कर चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे पास पांच केन्द्रीय मजदूर संघों की प्रतिक्रियाएं हैं जो उन्होंने कोयला मंत्रालय के माननीय मंत्री और सचिव को लिखकर भेजी थी। महोदय, इसमें समझौते की बात कही है। एनसीडब्ल्यूए-VI में, एक खंड में कहा गया है कि "दुर्घटना में मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं क्या वही खण्ड एनसीडब्ल्यूए-VII में भी सम्मिलित किया गया है।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है। जैसाकि पहले ही चार वर्ष बीत चुके हैं और सात लाख कोयला श्रमिकों को अभी तक संशोधित वेतन नहीं मिला है जो कि चार वर्ष पहले देय हो गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कह दिया है क्या वे मई में इसे अंतिम रूप देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें नहीं दिया गया है। क्या सरकार अंतिम निर्णय लेगी और क्या सरकार चालू माह के अन्त तक एनसीडब्ल्यूए-VII को अंतिम रूप दे देगी?

अध्यक्ष महोदय: कोई अन्य सूचना नहीं है लेकिन मैं श्री शैलेन्द्र कुमार का अनुरोध स्वीकार करूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। कोई भाषण मत दीजिएगा। हमें नियमों का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के हर नागरिक को रोजगार के अवसर ढूंढने का मौका मिलना चाहिए। उत्तर भारत की बहुतायत जनसंख्या वाले राज्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र और नागपुर की कोयला खदानों के ठेकेदार लाखों मजदूरों को सस्ती दर पर लाए हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वहीं पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने घर बसा लिए, शादी कर ली, लेकिन उनको न्यूनतम मजदूरी बहुत कम दी जा रही है। इसके साथ-साथ जो बस गए हैं, उनको दोयम नागरिकता की दृष्टि से देखा जाता है और बाहर निकालने की बात कही जाती है। ...*(व्यवधान)* उनके बच्चों से 50 वर्षों की स्थायी नागरिकता का प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वे भरातवर्ष के नागरिक नहीं हैं? ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको दोयम नागरिकता की दृष्टि से न देखा जाए और उनके बच्चों को शैक्षिक और आर्थिक आधार पर सुविधा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुधाकर रेड्डी, आप कोई भाषण दिए बिना केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। हालांकि, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों में से कोयला एक स्रोत है ...*(व्यवधान)* जैसाकि मैं समझता हूं यह समझौता यूनियन और मंत्रालय के बीच 5 वर्षों के लिए होगा यह समझौता 1.7.2001 को हुआ था और इसका तात्पर्य यह हुआ कि आगामी वर्ष में इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। अत: क्या यह अत्यन्त गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है? मैं वर्तमान सरकार को दोष नहीं देता हूं। लेकिन पिछले 5 वर्षों से यह चल रहा है और 2006 में पुन: नया समझौता किया जाएगा। यह प्रक्रिया नहीं है कि जैसाकि आदर्श नियोजक के रूप में सरकार को करना चाहिए। सिंगरोनी कोयला खानों में हड़ताल थी। इसे रोका जा सकता था मैं आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेदापल्ली): अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसके एग्रीमैंट में सिंगरेनी कोलियरीज भी है या नहीं, अगर है तो उसका जिक्र क्यों नहीं आया? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि सिंगरेनी में अभी 15 दिन पहले स्ट्राइक भी हुई थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसे इनक्लूड किया गया है या नहीं? यदि किया है तो उस बारे में बताएं।

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री बसुदेव आचार्य के संबंध में मैं अपेक्षा कर रहा था कि वह मुझे बधाई देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे लेकिन इसके स्थान पर उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपने कार्यालय में चाय के लिए आमंत्रित कीजिए।

डा. दासरि नारायण राव: उनका कहना है कि इसमें बहुत देर कर दी गई है। एनसीडब्ल्यूए-V पर छः माह पहले ही हस्ताक्षर किये गये हैं और एनसीडब्ल्यूए-VI पर समझौता समाप्ति के पांच माह पूर्व हस्ताक्षर हुए थे लेकिन जैसे ही मई में यूपीए सरकार सत्ता में आई तो जून, जुलाई और अगस्त माह में कोल इंडिया के साथ समझौते की कुछ बातचीत हुई। यह बातचीत असफल रही। मैंने पदभार संभालने के बाद स्वैच्छिक तौर पर 22 सितम्बर 2004 को यूनियन नेताओं की बैठक बुलाई और बड़े मुद्दों को सुलझाया।

बेसिक के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले संशोधन के पश्चात् मूल वेतन 3300 रु. था कोल इंडिया के इतिहास में अब पहली बार मूल वेतन 3300 रु. से बढ़ाकर 5500 रु. कर दिया गया है अब तक किसी भी सरकार ने इतनी बढ़ोत्तरी नहीं की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनसीडब्ल्यूए-VI समझौता के अनुसार निम्नतम श्रेणी के कर्मकार को 8139 रु. प्रति माह मिलना अपेक्षित था लेकिन आज वह 10,054 रु. प्रति माह प्राप्त करेगा। एनसीडब्ल्यूए-VI समझौता के अनुसार उच्च श्रेणी के कर्मकार को 17,695 रु. प्रति माह मिलने चाहिए थे लेकिन अब वह 19,734 रु. प्रतिमाह प्राप्त करेगा। इस प्रकार सभी वेतन समझौतों में यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।

अब मैं महंगाई भत्ता शत प्रतिशत निष्प्रभावी करने पर आता हूं। यह अत्यन्त स्पष्ट है। इसके लिए डीपीई के मार्गनिर्देश हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिन्होंने दस वर्षों के लिए समझौता किया है। उनका शत प्रतिशत महंगाई भत्ता निष्प्रभावी है। तथापि, 5 वर्षों के लिए किये गये वेतन समझौते में यह नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि आपने केल अधिकारियों को इसे दिया है न कि कामगारों को।

...*(व्यवधान)*

डा. दासरि नारायण राव: महोदय वे ठीक कह रहे हैं। चर्चा के दौरान भी मैंने कभी भी मंत्री जैसा बर्ताव नहीं किया। मैंने मजदूर संघ के नेता की तरह व्यवहार किया। मजदूर संघ के नेता यह जानते हैं। छः नेता थे। मैंने कहा, ये छः नहीं सात हैं। छः और एक। 6550 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता का निष्प्रभावन लागू होगा। 82 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित हैं। इसलिए मैं जी.ओ.एम. से जोरदार शब्दों में इसकी सिफारिश करता हूं। कोयले की आपूर्ति और मांग में बहुत अंतर है। इसलिए, मैंने संघ के सदस्यों से उत्पादन में सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने उत्पादन के लिए आश्वासन दिया था। मैं समझता हूं कि आज शाम को हम एक बैठक करने जा रहे हैं। मैं मंत्री समूह से महंगाई भत्ते के 100 प्रतिशत निष्प्रभावन की सिफारिश करता हूं। ...*(व्यवधान)*

बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के संबंध में, जैसाकि आप जानते हैं, दोनों बी.आई.एफ.आर. के अधीन हैं। फरवरी, 2004 के डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों में तब तक उन कम्पनियों में मजदूरी संशोधन की मनाही की गई है जब तक उनकी पुनरुद्धार योजनाओं का अनुमोदन नहीं हो जाता है। जिन पर बी.आई.एफ.आर. विचार कर रहा है। मजदूर संघ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड में मजदूरी संबंधी समझौते के क्रियान्वयन के बारे में जोर दे रहा है। मैंने इस विषय के कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। अंततः दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो गए कि एन.एस.डब्ल्यू.ए. VII इन दोनों बीमार कम्पनियों में भी लागू होगा। लेकिन बकायों के भुगतान के तरीके बी.आई.एफ.आर. द्वारा विचार किये जा रहे पुनरुद्धार योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किये जायेंगे। दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों को समाहित करने की सकारात्मक भावना के प्रदर्शन के लिए मैं संघ तथा प्रबंधन दोनों की सराहना करता हूं।

दूसरी बात यह है कि मंत्री द्वारा मंत्रीसमूह को पुनः क्यों सूचित किया जाना चाहिए। इसका कारण है कि मंत्री समूह द्वारा मजदूर संघों के नेताओं से समझौता करने के लिए मुझे प्राधिकृत किया गया है। इसलिए बदले में मैंने वह काम पूरा कर लिया है और मैं आज मंत्रीसमूह को रिपोर्ट कर रहा हूं। तत्पश्चात, मंत्री समूह इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपको सभी ब्यौरा नहीं देना है।

...*(व्यवधान)*

डा. दासरि नारायण रावः जहां तक बी.सी.सी.एल और ई.सी.एफ. के पुनरुद्धार का प्रश्न है, मजदूरी संबंधी समझौता के बाद हम बहुत ही गंभीरता से उस पर कार्य करेंगे। हमें श्रमिकों और प्रबंधन के सहयोग की जरूरत है। इसलिए जब तक इन दोनों कंपनियों का पुनरुद्धार नहीं हो जाता मैं नहीं समझता कि उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए हम इसको करना चाहते हैं।

29 मई को हमारी दूसरी बैठक होने जा रही है और अन्य तरीकों के निर्धारण के लिए ने बी.सी.सी.आई. की यह अंतिम बैठक होगी। हमने छः या सात अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। प्रोत्साहन संबंधी अन्य छोटे मुद्दे भी है जिन पर चर्चा करनी है और इसके बाद वे समझौते को अंतिम रूप देंगे। मैंने उनसे अनुरोध किया था। पूर्व में मैंने समझौते के लिए 22 मई की तारीख तय की थी क्योंकि मैंने पद का कार्यभार 22 मई को ग्रहण किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नेता उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे 29 या 30 मई को बैठक करेंगे और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने बैठक में देरी की।

...*(व्यवधान)*

डा. दासरि नारायण रावः जी हां, अब, समझौते पर हस्ताक्षर मई के अंत तक हो सकते है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसे 22 मई, से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

डा. दासरि नारायण रावः जी, हां, महोदय।

श्री बसुदेव आचार्यः अन्य निजी कंपनियों के बारे में क्या राय है? मैं जानना चाहूंगा कि वे इस मजदूरी समझौते के तहत शामिल की जाएंगी अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

डा. दासरि नारायण रावः मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है इसके लिए कोई विधिक तंत्र नहीं है जो उन पर प्रतिबंध लगाता हो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वे सरकारी कर्मचारी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

डा. दासरि नारायण रावः जी हां।

जहां तक श्री शैलेन्द्र कुमार के प्रश्न का संबंध है, मैं नहीं समझता कि उसका इस प्रश्न से कोई संबंध है। जहां तक श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी के प्रश्न का संबंध है तो इस समझौते पर देर से हस्ताक्षर करने की परिपाटी बन गई है। अब, हम निश्चित रूप यह प्रयास करने जा रहे है कि आठवां मजदूरी संबंधी समझौता शीघ्र शुरू हो।

श्री बसुदेव आचार्यः आई.आई.एस. सीओ. 'इसको' एक सरकारी कंपनी है। इसके पास तीन कोयला खाने है। यह 'इसको' के खान मजदूरों को भी क्यों नहीं दिया जा सकता?

अध्यक्ष महोदयः इस पर चर्चा हो रही है।

श्री बसुदेव आचार्य जी अब आगे कोई प्रश्न मत पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः जब इसमें निजी तथा सरकारी क्षेत्र सभी सम्मिलित हैं तो इसमें 'इसको' के श्रमिकों को क्यों नहीं शामिल किया जाता?

डा. दासरि नारायण रावः महोदय, 'इसको' एक खान कंपनी है। पुनः यह बीआई.एफ.आर. से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वही आचरण का प्रश्न है।

डा. दासरि नारायण रावः महोदय, श्री जी. वेंकट स्वामी के प्रश्न के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सिंगरैनी के लिए भी हर बात लागू है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब और प्रश्न नहीं। श्री चटर्जी, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री कांतिलाल भूरिया जी, मुझे खेद है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो सही नहीं है। मेरे पास जानकारी नहीं थी। पहले मेरा विश्वास था कि श्रीमती कांति सिंह सभा पटल पर पत्र रखेन वाली है। अब इसे ठीक कर लिया गया है। श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से आप श्री कांतिलाल भूरिया, सभा पटल पर पत्र रखेंगे इस गलती के लिए मुझे खेद है।

मद सं. 6, श्री कांतिलाल भूरिया।

अपराह्न 12.32 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2142/05]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) (संशोधन)नियम, 2005 जो 5 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2143/05]

(4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 10 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 64(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 11 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2144/05]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों अब आप सभी को तथा इसी क्रम में इस सभा के समुचित रूप से कार्य संचालन में मुझे मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूं आप संवैधानिक अधिकार के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसकी समाचार पत्रों में काफी चर्चा है, लेकिन हमारे नियम बिल्कुल सुस्पष्ट हैं और सुव्यक्त है लेकिन यहां प्राप्त सुचनाओं की अधिकता के कारण और आपने पहले से ही सूचना दी हुई है

मैं उन्हें अभी तक शामिल हीं नहीं कर पाया हूं। हमारे नियमों में कहां गया है कि एक विशिष्ट प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्यथा आप ऐसे प्राधिकारियों के आचरण के बार में चर्चा कर ही नहीं सकते। आपको यह सब ज्ञात है। आप सभी माननीय सदस्यों को यह सब अवगत है। इसलिए यदि आप लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो जैसा कि नियमों में साफ-साफ कहा गया है आपको नियमों के अंतर्गत प्रस्ताव देना होगा तभी मैं इस पर विचार कर सकता हूं। अन्यथा, मैं न केवल स्थापित प्रथा से बल्कि नियम से भी दूर अलग नहीं जा सकता जो हम सभी पर लागू है। इसलिए, यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपको उद्‌वेलित कर रहा है, उठाया जाना है तो आप नियमों के तहत प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं आपको कम महत्व नहीं दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप चिंतित नहीं हैं। लेकिन मेरी एक मात्र चिंता इस बात से है कि सभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलायी जाए। इसलिए मैं आप सभी से ईमानदारी पूर्वक अपील करता हूं विषय की योग्यता पर बिना किसी टिप्पणी के-इस समय यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया नियमों का पालन कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, हमने यहां चर्चा की है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी को बारी-बारी से बोलने को कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: हमने चुनाव संबंधी सुधारो पर यहां विस्तृत चर्चा की थी। स्पष्ट तौर पर सदस्य कुछ मुद्दों के बारे में चिंतित थे, कुछ बिंदु यहां उठाए गए थे। तत्पश्चात् मैंने जो कुछ देखा वह यह था कि उन संवैधानिक प्राधिकारियों का उल्लेख यहां चर्चा के दौरान किया गया। क्या इसकी अनुमति है। वहां जो कुछ

किया गया उसकी चर्चा यहां सभा में वाद-विवाद के दौरान की गई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, मैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, उसी संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें वह प्रश्न पूछने की कृपया अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, आप कुछ कहना चाहते थे

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है। जहां तक संवैधानिक प्राधिकारों का संबंध है आप कोई भी वक्तव्य या आरोप या अभियोग उल्लेख नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: एक वरिष्ठ अधिकारी, महानिदेशक, ने कानून मंत्री को एक पत्र लिखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): यह तत्काल महत्व का विषय हैं। इसमें क्या हो सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या केवल आपको ही इस देश की चिंता है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीर चन्द्र पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गंभीर मामला कहने से क्या होगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर बार आप विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पासवान, आप विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, माननीय सदस्यों को सुन लिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम एक-एक करके बुलाने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मुझे यह देखना है कि इसकी अनुमति दी गई है या नहीं। मैं यहां बैठकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो यह दर्शाता हो कि मैं नियमों और भारत के संविधान के अंतर्गत जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं हूं। क्या आप चाहेंगे के मैं यह न करूं। यह कोई मुद्दा उठाने का तरीका नहीं है और केवल इसलिए अध्यक्षपीठ को न सुनना उचित नहीं है कि उस पक्ष के मेरे साथी यहां नहीं हैं। कृपया मुझे बताएं कि कौन से मुद्दे हैं जिन्हें मैं नियमों के अंतर्गत अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, हम सुनेंगे, लेकिन बोलने का भी कोई तरीका होगा। सब एक साथ खड़े होकर बोलेंगे, तो क्या फायदा है?

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास: महोदय, कृपया मुझे एक बात कहने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको तब तक नहीं सुनूंगा जब तक मैं बैठ नहीं जाता और आपका नाम नहीं पुकारता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम इतनी कोशिश कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप छ:-सात-आठ-दस बजे तक बैठिए, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, पहले आपने मेरा नाम पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय: हर कोई पहले बोलना चाहता है। मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं बहुत सावधानीपूर्वक कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* अपकी जो शंका है, आप इधर एप्रीहैंड कर रहे हैं, चूंकि यह संवैधानिक संस्था है, हम लोगों को यह भी मालूम है।...*(व्यवधान)* यह स्वायत संस्था भी है और पूरे देश की इस लोकतांत्रित संस्था में हम लोग बड़ी सावधानीपूर्वक अपनी बात को रखना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद: यह निर्वाचन आयोग का अभिन्न अंग है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से ही सदन में इस पर काफी चर्चा हुई थी। हम लोगों ने बड़ी सावधानीपूर्वक इलैक्टोरल रिफार्म्स पर चर्चा की थी, एक बार भी किसी माननीय सदस्य ने मौका नहीं दिया था, जो आप शंका कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विगत लोक सभा चुनाव के दौरान बिहार में जो पर्यवेक्षक रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी ने केन्द्रीय कानून मंत्री को पत्र लिख कर, दो चुनाव आयुक्तों के विरुद्ध, छपरा लोक सभा क्षेत्र, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी उम्मीदवार थे, उस छपरा संसदीय क्षेत्र में बिना कारण चुनाव रद्द कराने का आरोप लगाया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अफसोस, लेकिन यह अंश प्रक्रिया का भाग नहीं बनेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं उन पत्रों का जिक्र कर रहा हूं, जिनमें आरोप लगाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री डी.पी. यादव, सिर्फ इस करण कि किसी ने कानून मंत्री को पत्र लिखा है, यह सभा के पटल पर रखने के लिए अनुमेय नहीं हो जाता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, यह पार्ट ऑफ द इलैक्शन कमीशन है।...*(व्यवधान)* यह निर्वाचन आयोग का अभिन्न अंग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने जब इसका उल्लेख किया था तभी आपको मैंने रोका था क्योंकि आप इसका यहां उल्लेख नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं इस भाग का यहां उल्लेख क्यों नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह आफिसर आज भी अपने आरोप पर शपथ-पत्र देने के लिए तैयार है, यह मैं कहना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा इस विषय पर तब तक विचार नहीं कर सकती जब तक इस सभा में इस मुद्दे पर विशिष्ट प्रस्ताव नहीं लाया जाता। आप अधिकारियों के विरुद्ध आरोप का उल्लेख कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं संस्था के हक में बोलना चाहता हूं। इलैक्शन कमीशन की जो संस्था है, वह सर्वोच्च है और खास करके वह संवैधानिक संस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, हम उसके हक में बोलना चाहते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगाया है, वह गंभीर है। उन्होंने पत्र में कहा है कि पर्यवेक्षक के रूप में उनकी जो रिपोर्ट थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, *........* *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब इस विषय पर आगे और कुछ नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, दोनों आयुक्तों ने, *........* छपरा का चुनाव दोबारा करा कर लोक सभा संविधान की मर्यादा..., यह मैं कहना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अफसोस है, लेकिन इसे नोट नहीं किया जाएगा। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

.... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं पूरी नम्रता के साथ कुछ कह सकता हूं। आप नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं यदि आप कोई बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहते है? मैं आपसे और क्या करने को कह रहा हूं? यदि आप कोई महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो इसे करने के लिए एक प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अफसोस मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रकरण से संवैधानिक स्वायत्त संस्था की विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है, यह सवाल है। आज देश में करोड़ों लोग देख रहे हैं। इस पत्र का प्रकाशन एवं मीडिया में क्या जा रहा है, इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो या समाचार-पत्र हो। इसलिए जो शंका है, उसे मैं सदन में उठाना चाहता हूं। इसे निर्मल किया जाए। इसे निर्मूल करने की दिशा में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा और उन सभी बातों का लोप कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, इस पत्र में वर्णित तथ्यों की न्यायिक जांच की मांग करता हूं। ताकि इस संस्था में जो निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा है और...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि विपक्ष उपस्थित नहीं है। मैं सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा वे तय करें कि यह सभा कैसे चलेगी। मैं यह जानना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एक दिन आप परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं अभी आपका नाम लेकर चेतावनी दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: दोनों इस तरह के चुनाव आयुक्तों को तुरंत वहां से हटाना चाहिए, मैं यह मांग करता हूं और...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मजाक का विषय नहीं है यह हंसी ठिठोली का विषय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्था अगर संदेह के घेरे में हो...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये, आज संवैधानिक संस्था ही संदेह के घेरे में आ गई है, इसलिए एक कमीशन बहाल करके इसकी न्यायिक जांच हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आप तो अब भी परमीशन दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस तरह अनुमति नहीं दे सकता। एक नियम है और आपको उसका बहुत अच्छी तरह पता है। यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसी पर हम नोटिस दे सकते हैं, इस पर चर्चा चलाई जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या मुझे इसीलिए अनुमति देनी पड़ेगी कि एक सूचना दी जाएगी? नियम में कहा गया है:

> "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो"

आप इसे अच्छी तरह जानते हैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। मैं आप से केवल नियमों का पालन करने का अनुरोध कर रहा हूं और फिर मैं देखूंगा कि क्या यह अनुमत्य है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप चेयर से भी परमीशन दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठे हैं। सदन सर्वोपरि है, अब भी सदन में सेंस लिया जा सकता है, इसकी सहमति ले ली जाये। यदि सदन इस पर निदान चाहता है तो इसको संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए मैं स्पेशल प्रीसीडेंस नहीं, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सदन की सेंस ले ली जाये और सदन यदि असहमत हो तो इसे रोक दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन की सेंस से हाउस में रूल्स में एमेंडमेंट नहीं होता है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना का आदर किया जाये। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, आप सुनिये तो सही। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अजीब है। आप मामले को बहुत गंभीर मानते हैं और मैं कह रहा हूं कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए। यदि मेरा एकमात्र अपराध है। आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं। क्या आप उस तरीके से कार्य कर रहे हैं जैसे लोग हमसे चाहते हैं। चुनाव सुधारों के बारे में मैंने स्वयं बहस को प्रोत्साहित किया था। मैंने स्वयं कहा था कि जब चुनाव सुधारों के संबंध में बहस हो रही थी तो मैं बहुत खुश था। अब, आप एक विशेष मामला उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो हम आपके पास मोशन नियमत: पुट करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप पुट कीजिए, हम देखेंगे, सोचेंगे। नहीं तो बोलिये, रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदासः महोदय, मैं जो मामला उठाना चाहता हूं वह प्रत्यक्ष रूप में संवैधानिक संशोधन से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः केवल प्रत्यक्ष रूप में ही नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप में भी यह संवैधानिक अधिकारों से संबंधित नहीं होना चाहिए।

प्रो. एम. रामदासः मुझे नहीं पता कि क्या यह अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित है अथवा नहीं परन्तु यह इससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मैंने 'शून्य काल' में विचार करने के लिए एक सूचना दी है। मेरे विचार से यह अविलम्बनीय राष्ट्रीय महत्व का मामला है।

अध्यक्ष महोदयः हम देखते हैं कि मामला क्या है?

प्रो. एम. रामदासः एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप भारत में एक विशेष समुदाय अथवा जाति को बदनाम करते हैं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रो. रामदास, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आप बोल सकते हैं परन्तु इस तरह से इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। अब, मैं श्री गुरूदास दासगुप्त को बुलता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अगर आप हमें सेव नहीं कीजिएगा, तो कौन करेगा।

अध्यक्ष महोदयः हम सेव करना चाहते हैं, आप डिस्ट्राय करिये।

[अनुवाद]

इस संस्था को मत उजाड़िये।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः यह पार्लियामेंट किसलिए है, क्या हम यहां अपनी बात नहीं कह सकते।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष जी, अपासे यह उम्मीद की जाती है कि आप हम लोगों की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री राम कृपाल यादव, आपने दिल्ली में आत्महत्याओं पर सूचना दी है और मैं आपको उस पर बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपको उनकी वकालत करने की आवश्यकता नहीं है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप जो बोल रहे हैं उसकी एक लाइन, एक शब्द भी रिकार्ड नहीं होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या आप समझते हैं आप इस प्रकार गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करके प्रजातंत्र के हित में कार्य कर रहे हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी शंकाएं सही प्रतीत हुई हैं।

अध्यक्ष महोदयः कृपया कोई आरोप मत लगाइए क्योंकि इस पर पूर्ण चर्चा हुई है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं तो केवल सी जी ए रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

हमारी आशकाएं सच हुई हैं। नयी लोक सभा के गठन के पश्चात् हमने बार-बार आपका ध्यान आकृष्ट कराया था कि पूर्व सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का विनिवेश और निजीकरण करते हुए कुछ अनियमितताएं की गई हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप नियमों और संविधान को अनदेखा कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, हमने सभा में यह मुद्दा बार-बार उठाया था कि पूर्व सरकार ने कुछ गंभीर अनियमितताएं की हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः इसकी चर्चा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी। आप केवल अब दी गई सी जी ए रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः सेन्टूर नहीं। हमने उल्लेख किया था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर बहस होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए मेरी अनुमति के बिना बोलने वाले किसी व्यक्ति का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्तः सर, यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

क्या इसमें सबको बोलने की अनुमति है?

अध्यक्ष महोदयः कृपया संक्षेप में बोलिए। हमने इस पर पहले ही 45 मिनट ले लिए हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः अध्यक्ष महोदय, हमने बार-बार आपका ध्यान इस ओर दिखाया कि वहां पर पृछन्न संदेह था कि पूर्व शासनकाल के दौरान विनिवेश की नीति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के निजीकरण और बिक्री करते हुए कई अनियमितताएं की गई हैं। इस देश के लोगों और इस सभा के कुछ सदस्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हम किसी विशेष राजनीतिक गठबंधन की छवि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अथवा हम उन व्यक्तियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो पूर्व शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हमें कभी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। यह भी कहा गया कि यह राजनीति से प्रेरित मिथ्या अभियान था। हमें यह कहा गया था। हम पर यह आरोप लगाया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदयः कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री गुरूदास दासगुप्तः भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक एक सांविधिक नियम है और इसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है। आपकी अनुमति में मैं उस रिपोर्ट की कुछ पक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने रिपोर्ट का उल्लेख किया है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, मुझे कुछ पक्तियां पढ़ने की अनुमति दीजिए मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इसमें कहा गया है

> "दो होटलो-जुहू सेंटूर और एयरपोर्ट सेंटूर को बिक्री सौदों को प्रतिस्पर्धा के अभाव में एकल निविदाओं के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। परिसम्पतियों के मूल्य निर्धारण के दौरान किए गए पूर्वानुमानों और एयरपोर्ट सेंटूर का सुरक्षित मूल्य का निर्धारण पूर्व मामले में मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। बिक्री का बार-बार समय बढ़ाया गया था।"

अध्यक्ष महोदयः वह रिपोर्ट में है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः वहां एक और बात है किसी ने रिपोर्ट नहीं देखी है।

रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि 'भारत उदय' अभियान के दौरान 63 करोड़ रुपयों का दुरूपयोग किया गया था।

भारत का उदय नहीं हुआ लेकिन कुछ लोगों का उदय हुआ। यह अत्यन्त गंभीरतापूर्वक कहा गया है कि सुरंग (विस्फोट) हटाने वाली मशीनें बहुत देरी से प्राप्त हुई थी जिससे मानव जीवन को क्षति हुई है सीएजी ने भी यही बात कही है। मैं इसे क्यों उठा रहा हूं? मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जबाब देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट आने दीजिए तब हम निर्णय लेगें। मैं मांग करता हूं और पूरा सदन मेरे साथ होगा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए उचित जांच कराई जाए जिन्होंने गरीब भारत का लाखों रुपया फूंक दिया है। हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं ...*(व्यवधान)* सभा के माननीय नेता पक्ष उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने इस सुना है। मैं मंत्री जी को मजबूर नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं सभा के माननीय नेता से अनुरोध करूंगा कि वह इस मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें और उपयुक्त जांच की जाए अपराधियों को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाना चाहिए जिन्होंने भारत का करोड़ों रुपया फूंक दिया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। विस्तार में मत जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप केवल उनके साथ स्वयं को संबद्ध कर सकते है।

श्री बसुदेव आचार्य: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि सरकार विचार करेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस प्रकार व्यवहार करते हैं तो मुझे आपको जाने को कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रकार के व्यवहार की पूर्णत: निन्दा करता हूं यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो मैं कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। चौधरी लाल सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

(एक) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेब की उपज को बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश "सेब-राज्य" के नाम से जाना जाता है और मेरे संसदीय क्षेत्र शिमला में फल-उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसे दुखद अनुभव देखने को मिले हैं कि प्रकृति के प्रकोप-वश कभी ओला-वृष्टि, हिम वृष्टि, कभी अति-वृष्टि या अनावृष्टि तो कभी आंधी तूफान इस प्रकार की आंख-मिचौनी होती रही है। कुछ क्षेत्रों में तो प्रकृति का यह प्रकोप इतना भयानक था कि ओलावृष्टि के कारण बागवानों को उनकी बीज की लागत भी हाथ न लगी और इस प्रकार ऐसे किसान-बागवानों को कर्जा उठाकर क्षति की भरपाई करनी पड़ी।

मान्यवर, इस प्रकार की दयनीय अवस्था में किसी भी बागवान का आना अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार प्रदेश सरकार की समर्थन मूल्य नीति से ऐसे किसानों-बागवानों को कुछ राहत अवश्य मिली है परन्तु जब किसानों को इतनी भारी क्षति का सामना करना पड़े तो ऐसी अवस्था में इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ना अनिवार्य है। सेब-उत्पादन जहां प्रदेश के बागवानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम है, वहीं इससे भूमि संरक्षण, पर्यावरण-सुरक्षा जैसे लाभों द्वारा पूरे देश को भी लाभान्वित किया है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह रहेगा कि इस प्रकार के प्रकृति के प्रकोप से किसानों, बागवानों को संरक्षण दिया जाए। सेब-उत्पादन राष्ट्रीय कृषि-नीति के अंतर्गत लाकर उसे राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि प्रदेश का सेब-उत्पादन इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सके और सेब-उत्पादन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में बेचा जा सके।

(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय क्षेत्र में एफ.एम. कार्यक्रमों का प्रसारण शीघ्र आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर आधारित है जहां पर किसानों के लिए मनोरंजन के साधन नहीं हैं और महंगे मनोरंजन साधन खरीदने में वह सक्षम नहीं है। रेडियो एक साधन है जिसे किसान खरीद सकता है और मनोरंजन के साधनों एवं प्रसारणों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है जिसमें एफ. एम. एक नया साधन है और इसे सरकार अच्छे ढंग से लागू भी कर रही है और देश में एफ. एम. के प्रसारण स्टेशन की स्थापना भी की जा रही है। इन सब कारणों से अमरेली में एफ. एम. कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि लोगों की यहां पर एफ. एम. की काफी मांग है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एफ. एम. प्रसारण जल्द शुरू किया जाए।

(तीन) इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हापुड़, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी है। राजधानी दिल्ली के समीप ही अनेक नई-नई कॉलोनियां जैसे वसुन्धरा, इन्दिरापुरम, वैशाली आदि विकसित हुई हैं। जहां केन्द्रीय कर्मचारियों की काफी तादाद है, किन्तु यहां पर कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जिससे कर्मचारियों के बच्चों को सस्ती एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अतः केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि हापुड़ संसदीय क्षेत्र में विशेषकर इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय की शीघ्र स्थापना की जाए तथा पूर्व में चल रहे स्कूलों में द्वितीय पाली शुरू कराई जाए।

(चार) तमिलनाडु में डिंडीगुल से होकर मदुरै और चेन्नई के बीच द्रुत सवारी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. एस. वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, मैं निम्नलिखित करणों से मदुरै और चेन्नई इग्मूर बरास्ता कोडईकनाल और डिंडीगुल के मध्य यथाशीघ्र एक तीव्र गति से चलने वाली यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा।

चेन्नई-मदुरै मार्ग की एक्सप्रैस गाड़ियों में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए यात्री किराया वहन करना संभव नहीं है। इस व्यस्त तथा सर्वाधिक मांग वाले मार्ग पर निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा तीव्र गति की यात्री गाड़ी के अभाव को महसूस किया जा रहा है। वास्तव में, इस प्रकार की रेलगाड़ी आरम्भ करने की मांग लम्बे समय से लम्बित है। वर्तमान में दोनों शहरों के मध्य सुपर फास्ट एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी का किराया 128 रु. है जबकि उसी दूरी के लिए तीव्र गति की यात्री रेल गाड़ी में 64 रु. लगेंगे जिससे यात्री किराये में 50 प्रतिशत की कमी की जा सकेगी।

निम्न आय वर्ग के यात्री तीव्र गति से चलने वाली रेल गाड़ियों में यात्रा करने में दो से तीन घंटे का अधिक समय लगने पर संकोच नहीं करते क्योंकि एक्सप्रैस रेल गाड़ियों के किराये की तुलना में इन रेल गाड़ियों के किराये काफी कम हैं।

डिंडीगुल के रास्ते दिन में एक तीव्र यात्री गाड़ी आरंभ करने से विरामी स्टेशनों की ओर जाने वाले तथा इन स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि इस मार्ग पर एक्सप्रैस रेलगाड़ियां केवल महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ही रुकती हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से एक तीव्र गति की यात्री गाड़ी आरंभ करने का आग्रह करता हूं जिससे कि इस व्यस्त मार्ग पर एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में इस समय अनुभव की जा रही स्थान की कमी के लिए दबाव और अत्यधिक मांग में महत्वपूर्ण कमी होगी।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू के विपणन हेतु अतिरिक्त नीलामी-प्लेटफार्म की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नरसारावपेट): कर्नाटक में एफ.सी.वी. तम्बाकू फसल की मात्रा वर्ष 1985 में 85 मिलियन कि.ग्रा. से बढ़ कर वर्ष 2004 में 150 मिलियन कि.ग्रा. तथा आंध्र प्रदेश में वर्ष 1984 में 15 मिलियन कि.ग्रा. से बढ़ कर वर्ष 2004 में 90 मिलियन कि.ग्रा. हो गयी है। वर्ष 1985 के दौरान आंध्र प्रदेश में नीलामी के 21 केन्द्र तथा कर्नाटक में 8 केन्द्र थे, और वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में 20 तथा कर्नाटक में 9 केन्द्र थे। सरकार के आंकलन के अनुसार एक नीलामी केन्द्र में आदर्श रूप से 4.5 से 5.5 मिलियन कि.ग्रा. तक की मात्रा का भंडारण किया जा सकता है। तदनुसार वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में 30 तथा कर्नाटक में 18 नीलामी केन्द्र होने चाहिये थे। तम्बाकू जल्द खराब होने वाला उत्पाद है तथा उत्पादन के 90 से 100 दिनों के भीतर किसानों द्वारा इसे बेच दिया जाना चाहिए अन्यथा इसकी गुणवत्ता में गिरावट तथा भार में कमी आने लगती है। तम्बाकू बोर्ड द्वारा अतिरिक्त नीलामी केन्द्र स्थापित किए जाने में कर्मचारियों की कमी की समस्या को महसूस किया गया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश में 10 तथा कर्नाटक में 9 अतिरिक्त नीलामी केन्द्र स्थापित करने साथ ही तम्बाकू बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु स्वीकृति के संबंध में शीघ्र आवश्यक कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी. करूणाकर रेड्डी: उपस्थित नहीं हैं।

श्री गणेश सिंह: उपस्थित नहीं हैं।

श्री शिशुपाल एन. पाटले: उपस्थित नहीं हैं।

श्री सुकदेव पासवान: उपस्थित नहीं हैं।

(छह) केरल के कोल्लम जिले में सुनामी से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): सुनामी प्रभावित केरल के कोल्लम जिले में लोगों द्वारा अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी प्रभावित लोगों को अभी तक

अस्थायी आवासों स्कूलों तथा अन्य राहत कैंपों में रहना पड़ रहा है। चार माह बीतने के पश्चात भी सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल तथा नाव सुनामी में नष्ट हो चुके हैं। सरकार ने अभी तक मछुआरों को मछली पकड़ने की सामग्री वितरित करने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इन सामग्री की आपूर्ति के अभाव में मछुआरे मछली पकड़ने की स्थिति में नहीं हैं। राहत कार्यक्रम समन्वय के अनुसार नहीं चलाये जा रहे जिससे कि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। विभिन्न स्तरों पर राहत कार्यक्रमों में लोक प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस विषय में शीघ्रातिशीघ्र हस्तक्षेप करे तथा सुनामी प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री प्रशान्त प्रधानः उपस्थित नहीं हैं।

(सात) रेलवे की नई खान-पान नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): सरकार की रेल की नई खान-पान नीति कई दृष्टियों से दोषपूर्ण है और वर्तमान रेल यात्रियों को इस खान-पान नीति से कोई फायदा नहीं है, केवल बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है। रेलों एवं प्लेटफार्मों पर खाने-पीने की जो चीजें मिल रही हैं, वे अत्यंत महंगी हैं और उनका स्तर बहुत ही घटिया है। यह सब नई खान-पान नीति का परिणाम है। रेल की खान-पान नीति का उद्देश्य है उसके यह विपरीत है। रेलों में केवल अमीर वर्ग यात्रा नहीं करता है, वह 15 रुपए की चाय नहीं पी सकता, 25-25 रुपए के बर्गर नहीं खा सकता है। लगता है यह खान-पान नीति अमीर वर्ग के लिए ही है। उदाहरण के तौर पर मैं सांसद एवं पूर्व सांसद की हैसियत से दो दशकों से रेल यात्रा वैशाली रेल सेवा में कर रहा हूं, परन्तु इस रेल सेवा में खान-पान का स्तर इतना घटिया है कि खाने का मन नहीं करता है। इससे पूर्व खाना स्वादिष्ट और गुणात्मक स्तर का होता था।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस नई कार्यरत खान-पान नीति को तुरन्त समाप्त किया जाए और रेल यात्रियों के हित में नई खान-पान नीति बनाई जाए। जब तक नई खान-पान नीति नहीं बन कर आती है, तब तक इससे पहले वाली खान-पान नीति को चालू किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री चन्द्र भूषण सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

(आठ) बिहार के बांका जिला स्थित दरवसन जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव (बांका): मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में दरवासन जलाशय परियोजना बांका जिले के कटूरिया प्रखंड में 15 सालों से बन रही है। इस परियोजना के दोनों डैम बन चुके हैं, केवल रिवर क्लोज का काम बाकी है। जिसके कारण इस परियोजना से लोगों को अभी तक कोई विशेष फायदा नहीं मिला है। यहां पर बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए इस जलाशय का पूरा होना अति आवश्यक है। इस जलाशय से यहां के गरीब किसानों को सिंचाई भी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्र के विकास में सहायता भी मिलेगी।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दरवासन जलाशय परियोजना को केन्द्र सरकार अपने नियंत्रण में लेकर इस जलाशय के अधूरे काम को पूरा करने का कष्ट करे।

(नौ) उत्तर प्रदेश के शाहाबाद संसदीय क्षेत्र में सड़क निर्माण और ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): मेरा संसदीय क्षेत्र शाहाबाद उत्तर प्रदेश के दो जिलों हरदोई व खीरी में फैला है। यह संसदीय क्षेत्र दो जिलों में होने के कारण कोई भी सांसद इन जिलों के अधिकारियों को पूरी तरह संभाल नहीं पाता है और यह क्षेत्र विकास की दौड़ में पहले ही पिछड़ चुका है।

आजादी के 57 सालों में कभी केन्द्र या राज्य सरकार का क्षेत्र विकास से अलग से किसी पैकेज के माध्यम से एक रुपया भी नहीं लगा। पूरे क्षेत्र में तीन शुगर मिलों के अतिरिक्त एक भी सरकारी या निजी कारखाना नहीं है। पूरे क्षेत्र में स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, पानी और बिजली का अभाव है।

मेरा सदन के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री एवं विद्युत मंत्री से विशेष अनुरोध है कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करके अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना से रूटिन के अलावा कम से कम 50 करोड़ रुपए हरदोई जनपद व 15 करोड़ रुपए खीरी जनपद के क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए अलग प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से भी क्षेत्र के दोनों जिलों को अलग से विशेष पैकेज दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ई.जी. सुगावनम—उपस्थित नहीं हैं।

(दस) अन्य राज्यों से खड़गपुर आए प्रवासी अनुसूचित जाति की श्रेणी के लोगों को पश्चिम बंगाल में उनको दी जाने वाली प्रसुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): खड़गपुर विभिन्न समुदायों का शहर है। इस शहर में बसने वाली अधिकांश जनसंख्या देश के विभिन्न भागों से संबंधित है। इस शहर के अधिकांश मेहनतकश तथा गरीब लोग अनुसूचित जाति से संबंधित हैं इन वर्गों की संख्या लगभग 20,000 है। इस वर्ग के अधिकांश लोग अपनी पात्र सुविधा से वंचित हैं जो उन्हें, कानूनी तथा संवैधानिक रूप से दी गयी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन इन समुदायों से संबंधित परिवार के सदस्यों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर रहा है। खड़गपुर शहर में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकांश लोग निम्नलिखित जातियों से संबंधित हैं।

(1) भूनिया (2) बिंड (3) चमार, मुन्ची, रविदास, (4) धोबा, धोबी (5) डोम, धंगड (6) हरदी, मेहतर, भंगी, (7) कमी (नेपाली) (8) केवट (9) खरीक (10) लौहार (11) महार (12) नमोशूद्र (13) रजुवर, रजवर और (14) सरकी (नेपाली)। इनके अलावा काफी संख्या में अन्य राज्यों से पलायन करके आने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की मान्यता नहीं दी गयी है क्योंकि राज्य में इन समुदायों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूची बद्ध नहीं किया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि खड़गपुर शहर में रहने वाले अधिकांश अनुसूचित जाति के परिवारों के मेहनत कश लोगों को न्याय मिल सके।

(ग्यारह) अधिक रेलगाड़ियां चलाकर विरुद्धनगर जंक्शन और तेनकासी के बीच नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): महोदय, विरुद्धनगर जंक्शन से तेनकासी के बीच 98 किलोमीटर लम्बी नवनिर्मित बड़ी लाइन का उपयोग कम हो रहा है। चेन्नई इगमोर और तेनकासी के बीच चलने वाली रेल संख्या 2661 (पोढ़गई एक्सप्रैस) एक साप्ताहिक रेल है। इस मार्ग पर शिवकाशी, राजापलायम और कोउट्टातम जैसे बहुत से व्यवसायिक और पर्यटन केन्द्र हैं। इस रेल को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए और इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने हेतु तेनकासी विरुद्धनगर के बीच एक सुबह चलने वाली यात्री रेल शुरू की जानी चाहिए।

यह रेल प्रत्येक शनिवार को चेन्नई से शाम के पांच बजे चलती है और क्रमशः प्रातः 2.20 और 7.15 पर शिवकाशी तथा राजापलायम पहुंचती है जो कि बहुत शीघ्र है। इस रेल का उपयोग करने वाले लोग मुख्यतः इसी शहर के हैं अतः इस रेल के समय का कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्रातः 5.00 बजे वहां पहुंचे, तिसरंगल पर एक अतिरिक्त ठहराव दिए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। विरुद्धनगर-मानामदुरै के आमान परिवर्तन का कार्य भी शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए; तमिलनाडु के दक्षिणी जिलो से बड़ी संख्या में आये श्रद्धालुओं के लिए रामेश्वरम होकर चलने वाली रेल बहुत उपयोगी होगी।

(बारह) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष जी, प्रदेश में वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में 1944 अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। इसके पूर्व 18577 उपकेन्द्र स्थापित थे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल 20521 उपकेन्द्र ही होते हैं। वर्तमान में एक उपकेन्द्र लगभग 8,000 से 10,000 की आबादी के मध्य स्थापित है। मातृ एवं शिशु कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसामान्य में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने एवं आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश में 52028 ग्राम पंचायत हैं। अतः प्रदेश में सम्प्रति स्थापित उपकेन्द्रों तथा भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2004 में स्वीकृत अतिरिक्त उपकेन्द्रों को समायोजित करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना किये जाने हेतु अवशेष 31507 अतिरिक्त स्वाध्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति हेतु पत्र संख्या-3108/9-04-1(5)/2004, दिनांक 18.8.2004 द्वारा सचिव भारत सरकार, परिवार कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया है।

अपराह्न 2.24 बजे

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 12—दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 लेगी। माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव करें कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटिल की ओर से प्रस्ताव करता हूं,

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

कुछ समय से जांच तंत्र और प्रक्रिया अभियोजन से संबंधित तंत्र को सुदृढ़ बनाने, प्रक्रियाओं को सुचारू और बेहतर बनाने विशेषकर निचली अदालत की प्रक्रियाओं को तीव्र बनाने, विचाराधीन कैदियों की समस्याओं तथा जमानत देने से जुड़े मामलों से निपटने व अन्य छोटे-बड़े सुधार करने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तदनुसार, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को अग्रेषित किया गया था और उसने 28 फरवरी 1996 को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था। गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रतिवेदन पर विचार किया गया पूर्ववर्ती सरकार इस समिति की सिफारिशों पर अपने विचारों को अंतिम रूप प्रदान नहीं कर सकी। हमारी सरकार ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की आगे समीक्षा करने उन पर विचार किया और उन सिफारिशों के आधार पर इस विधेयक में अधिकारिक संशोधनों की एक सूची बनाई जो पहले ही राज्य सभा में पुर:स्थापित और पारित हो चुकी है और अब उसे यहां पुर:स्थापित किया जा रहा है। उस समिति की सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

इस विधेयक में निम्नलिखित बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है:

(एक) जांच तंत्र और प्रक्रिया को दुरूस्त बनाना;

(दो) अभियोजन और उससे संबंधित तंत्र को सुदृढ़ बनाना;

(तीन) प्रक्रियाओं, विशेषकर निचली अदालत की प्रक्रियाओं की गति तीव्र करने के दृष्टिकोण से, को सुचारू और बेहतर बनाना;

(चार) विचाराधीन कैदियों और जमानत देने से संबंधित मामलों की समस्याओं से निपटना;

(पांच) छोटे-बड़े सुधारों को प्रभावी बनाना।

इस विधेयक में सम्मिलित महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखिम हैं।

(क) अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर सूर्यास्त के प्रश्चात और सूर्योदय से पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी पर निषेध।

(ख) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गए व्यक्ति और उसकी गिरफ्तारी के स्थान के बार में वह व्यक्ति जिस किसी भी व्यक्ति को इसके लिए नामनिर्दिष्ट करे उसे ऐसी सूचना दी जाए;

(ग) किसी व्यक्ति की हिरासत में मृत्यु होने या गायब होने अथवा किसी महिला के साथ पुलिस हिरासत में बलात्कार होने की न्यायिक जांच को आवश्यक बनाना। मृत्यु होने के मामले में मृत्यु होने के 24 घंटे के अंदर-अंदर मृत शरीर की जांच को भी अनावश्यक बनाना;

(घ) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानती अपराध का आरोपी है और वह गरीब है तथा अपनी जमानत नहीं दे सकता तो न्यायालय द्वारा उसे बिना जमानत के उसके द्वारा एक बांड भरे जाने पर उसे छोड़ने का बाध्यकारी प्रावधान;

(ङ) एक विचाराधीन कैदी को जो किसी ऐसे अपराध का आरोपी नहीं है जिसके लिए मृत्युदण्ड का भी प्रावधान है, जमानती या उसके बिना किसी भी निजी मुचलके पर उस मामले में छोड़ा जा सकता है जब वह कथित अपराध के लिए अधिकतम जितनी सजा का प्रावधान है उसकी आधी अवधि तक कैद में रहा हो।

(च) किसी भी मामले में एक विचाराधीन कैदी को उस कथित अपराध के लिए अधिकतम जितनी सजा का प्रावधान है उससे अधिक अवधि तक कैद में नहीं रखा जाएगा।

(छ) दुर्दांत अपराधियों के लिए जमानत और अग्रिम जमानत के प्रावधानों को कठोर बनाना;

(ज) राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अभियोजन संबंधी निदेशालय की स्थापना करके राज्य सरकारों को सशक्त बनाया जा रहा है;

(झ) समाज में शांति, सौहार्द और सुख-चैन सुनिश्चित करने हेतु वैधानिक प्रावधानों को सुदृढ़ बनाना।

महोदय, चूंकि यह विधेयक मुख्यत: अत्यावश्यक सामाजिक मुद्दों को हल करने और हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए है अत: मैं इस प्रतिष्ठित सभा में इस विधेयक पर विचार किए जाने तथा पारित करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय मेरे विचार से गृह मंत्री जी चिन्तामग्न हैं।

हमारे देश की अपराध संबंधी प्रणाली में परिवर्तन करने वाला यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कुछ बड़े परिवर्तन किए गए थे।

पूर्व में जब रा.ज.ग. सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया था तो वह असफल रहा था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय सभा में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे वे कानूनी बिरादरी के हितों के विरुद्ध थे, वे देशभर में, दिल्ली के वकीलों सहित, वे युद्धस्तर पर इसके विरोधी थे, वैधानिक भाई-चारे के हितों के विरुद्ध थे। सरकार पर ऐसे संशोधन न करने का दबाब डाला गया था। इसलिए, वे संशोधन नहीं हो सके। वे संशोधन कानून से जुड़े लोगों के समुदाय के हितों के प्रतिकूल थे। अत: वे कार्यान्वित नहीं किए गए। अब, यह तीसरा प्रयास है। सामान्य रूप से बोलते हुए मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

यह सत्य है कि भारतीय व्यवस्था में ऐसी कुछ आन्तरिक कमजोरियां हैं जिन्हें गत एक सौ वर्षों से ठीक नहीं किया गया है। एक विश्लेषण के अनुसार हमारे सभी अभियोग असफल होते हैं। सजा की दर बहुत कम है। जब हम विकसित देशों से तुलना करते हैं तो भारत में स्थिति बहुत चिंताजनक है। इस कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग ढूढ़ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। अपराध संबंधी-प्रणाली में दिखावटी परिवर्तन करना पर्याप्त नहीं होगा।

मेरे विचार से भारत सरकार को भी यह ज्ञात है। अत: इन्होंने न्यायमूर्ति मलिमथ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। न्यायमूर्ति मलिमथ आयोग ने बहुत व्यापक जांच की तथा यथासंभव साक्ष्य एकत्रित किए। उन्होंने एक प्रतिवेदन सौंपा, परन्तु वह पुस्तकालय में पड़ा है। उस आयोग की सिफारिशें मूलत: हमारे अपराध न्याय शास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। हम सभी यह जानते हैं कि भारतीय दांडिक न्याय शास्त्र इस व्यवस्था पर आधारित है कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष समझा जाए जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। न्यायमूर्ति मलिमथ ने सिफारिश की थी कि सबूत जुटाने की जिम्मेदारी आरोपी की होनी चाहिए।

जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो मूलभूत मान्यता यह है कि आरोपित निर्दोष है। न्यायाधीश मलिमथ ने प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर सौंपते हुए सिफारिश की थी कि अपने को निर्दोष साबित करना अभियुक्त की जिम्मेदारी है न कि अभियोजन पक्ष की। यह सभी प्रकार के आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए इसे क्रियान्वित नहीं किया गया यह अभी भी पुस्तकालय में पड़ा हुआ है।

हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस विधेयक को उच्च सदन के समक्ष पेश किया और इसका अनुमोदन प्राप्त किया। इन संशोधनों का संबंध अपराध न्यायशास्त्र की चार या पांच मूल विशेषताओं से है। ये हैं:-(1) गिरफ्तारी, (2) अभिरक्षा (3) जमानत संबंधी प्रावधान (4) अपीली संबंधी प्रावधान, और (5) अभियोजन। मुख्य अधिनियम में आपराधिक मामलों के संचालन के लिए किसी अभियोजन पक्ष की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब यह आवश्यक पाया गया है कि सरकारी अभियोजन पक्ष अवश्य होना चाहिए। उसे अभियोजन निदेशक कहा जाता है। खंड-4 के अनुसार अभियोजन निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। मैं इसमें पाता हूं कि इस कार्य में राज्य सरकारों को थोड़ी कठिनाई होगी। इसका कारण है अभियोजना निदेशक की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से होगी। यथास्थिति जैसी कोई नियुक्ति नहीं होगी। हमारे अपने कड़वे अनुभव रहे हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवा संबंधी मामलों की देख-रेख के लिए हम एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति के लिए सोचते रहे हैं तथा इसके लिए आंदोलन भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के कारण न्यायिक आयोग की नियुक्ति नहीं की जा सकी। बिना किसी संवैधानिक संशोधन के न्यायिक आयोग की नियुक्ति आसान नहीं है।

संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मौजूद मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा।

उन्होंने इस आशय की व्याख्या इस प्रकार से की है कि 'परामर्श' का मतलब 'सहमति' है। अंतत: उन्होंने कहा है कि 'परामर्श' का मतलब 'सहमति' ही होता है। इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना राष्ट्रपति किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नहीं हो सकती। वे अपनी सेवानिवृत्ति की आयु स्वयं तय करते हैं। वे स्वयं तय करते हैं कि उन्हें कब सेवानिवृत्त होना है। वे स्वयं तय करते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्हें कार्य करना है। ये इस 'सहमति' शब्द के कारण सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार बन गए हैं और इस कारण से मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में राज्य सरकारों को भी निश्चित रूप से कठिनाई आएगी। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेनी हो तो यह संभव नहीं होगा क्योंकि अभियोजन निदेशक की नियुक्ति दल विशेष के हित में, सरकार के हित में की जाती है। सरकारी मुकदमों की देखरेख करना सरकार के हित में है और यदि सरकार मुकदमों की देखरेख सरकार के हित को ध्यान में रख कर किया जाए तो नियुक्ति निश्चित तौर पर सरकार द्वारा की जानी

चाहिए। मैं यह समझ सकता हूं कि इस पर परामर्श लिया जा सकता है। लेकिन 'सहमति' तो स्वेच्छाचारी है जिससे भविष्य में परेशानियां पैदा होंगी। किसी राज्य के लिए किसी निदेशक की आसानी से नियुक्ति कर पाना संभव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त इसमें एक और प्रावधान है अर्थात, धारा 61 इसमें महाधिवक्ता के अधिकारों का वर्णन है। महाधिवक्ता की नियुक्ति एक राजनीतिक नियुक्ति है। उसे अभियोजक के रूप में भी कार्य करना होता है। कुछ मामलों में उसे अभियोजक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अभियोजक तथा सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। यह राजनीतिक नियुक्ति होती है और जब सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर हो जाता है तब महाधिवक्ता को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसलिए यह पूरी तरह राजनीतिक नियुक्ति है। अभियोजन निदेशक किससे आदेश प्राप्त करेगा? ये कठिनाइयां आ सकती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या अभियोजन निदेशक को महाधिवक्ता के अधीन कार्य करना होगा या महाधिवक्ता को अभियोजन निदेशक के अधीन कार्य करना होगा। दोनों स्थितियां कठिन हैं। संशोधन में यह बात स्पष्ट नहीं है। हमें यह बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट करनी होगी कि अभियोजन निदेशक के अधिकार क्या होंगे तथा महाधिवक्ता के अधिकार क्या होंगे? महाधिवक्ता की नियुक्ति शत प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति है। अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में भी सरकार की राय ली जानी चाहिए।

यह उचित नहीं है। आपको 'सहमति' शब्द क्यों लिखनी चाहिए उसके अधीन कई उपनिदेशक होते हैं जिन्हें संबंधित न्यायपालिका से परामर्श किए बिना नियुक्त किया जाता है। कई सरकारी अभियोजक तथा ए.पी.जी. होते हैं। अब उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। विशुद्ध परिणाम क्या रहा? सरकार को इस पहलू पर सोचना होगा। इसके अतिरिक्त विधेयक में 'भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने' का प्रावधान है अभियोजन की नियुक्ति 18 दिसम्बर 1978 से लागू मानी चाएगी। अब हम दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने वाले एक विधेयक के पारित करने जा रहे हैं जो दिसम्बर, 1978 से लागू होगा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि कुछ लोक सेवा शर्ते सामने आ सकती हैं। इसकी व्याख्या अवश्य होनी चाहिए। इस संविधि में इतना पूर्व से इसे लागू क्यों किया जा रहा है। यह दूसरा मामला है। हमें इस पर विचार करना होगा। मुझे कुछ समय चाहिए क्योंकि मैं अपनी पार्टी की ओर से बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति हूं। मुझे पूरी प्रक्रिया को बताना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से दो और वक्ता हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जहां तक महाधिवक्ता और अभियोजन निदेशक के अधिकारों का संबंध है सरकार को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी होगी क्योंकि कि अभियोजन निदेशक भी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। उसे गृह विभाग के प्रधान से आदेश प्राप्त करने होते हैं। महाधिवक्ता को भी गृह विभाग के प्रधान से आदेश प्राप्त करने होते हैं। जब किसी मामले में सरकार का हित सबसे ऊपर आता है उस स्थिति में यह कौन देगा? इस प्रकार के मामले में कौन उपस्थित होगा? क्या अभियोजन-निदेशक होगा या महाधिवक्ता होगा? कुछ कठिनाइयां आए भी इसलिए इस संविधि में इसे अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह मेरा विचार है। अन्यथा व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भविष्य में हमें दूसरा संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे माननीय मंत्री महोदय के विवेक पर छोड़ता हूं।

दूसरा मुद्दा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में है। मैं कह सकता हूं कि खंड-6 संगत खंड है। प्रश्न महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़ा है। उन्हें केवल दिन में ही या रात्रि में भी गिरफ्तार किया जा सकता है? एक विशिष्ट आदेश है कि महिला की गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए। यह अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन सामान्यत: महिला पुलिस अधिकारियों के साथ पुरुष पुलिस अधिकारी ही महिलाओं की गिरफ्तारी को अंजाम देता है। इसलिए संशोधन में गिरफ्तारी को स्पष्ट किया जाए। किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही सामान्य नियम है। इसके बाद, भारत में किसी भी महिला को किसी भी अपराध के लिए रात्रि में उसके निवास स्थान से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यह अच्छी बात है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में यह एक अपवाद है। कुछ अपवाद वाले मामलों में गिरफ्तारी रात्रि में भी की जा सकती है। एकमात्र शर्त यह है कि उस महिला के साथ उसका कोई संबंधी हो या कोई महिला हो या कोई महिला अधिकारी जाए और उसे गिरफ्तार करे। इसलिए, मैं इससे सहमत हूं। यह दंड प्रक्रिया संहिता में एक नया प्रावधान है। यह अच्छी बात है। लेकिन अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब कोई गिरफ्तारी की जाती है; चाहे महिला की या पुरुष की, तो तत्काल जानकारी दी जानी चाहिए। किस यह जानकारी दी जानी चाहिए? इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं। एक व्यक्ति को दिन में, रात्रि के दौरान और आधी रात्रि को गिरफ्तार किया जाता है। यहां तक कि हमारे मंत्री श्री बालू को आधी रात्रि में* 12 बजे गिरफ्तार किया गया। श्री दयानिधि मारन और डा. करूणानिधि को आधी रात्रि के समय गिरफ्तार किया गया...*(व्यवधान)* इसलिए जब कभी गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति के निकटतम संबंधी को तत्काल सूचना दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: उन लोगों का नाम सभा में नहीं लिया जाना चाहिए जो यहां उपस्थित नहीं हैं। उनके नामों का लोप किया जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. चिंता मोहन (तिरूपति): ये श्री दयानिधि मारन नहीं थे बल्कि वे श्री मुरासोली मारन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं अपनी गलती ठीक करता हूं। ये मुरासोली मारन थे। प्रश्न यह है कि भारत में जब किसी भी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तब इसे संशोधनों के लागू हो जाने पर यह पुलिस, जो गिरफ्तारी को अंजाम देती है के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति के निकटतम संबंधी या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सूचित करें। ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है। लेकिन मेरे राज्य में जब कभी किसी व्यक्ति को रात्रि में अभिरक्षा में लिया जाता है तब पुलिस यह नहीं बताती है कि वह उसे कहां ले जा रही है, उसे कहां रखा गया है, और उसे कहां नजरबंद किया गया है। यह मामला गुप्त रहस्य रखा जाता है और किसी को भी गिरफ्तार व्यक्ति के पते की जानकारी नहीं होती है। भारत में यह बड़ी ही स्वेच्छाचारिता की स्थिति है। इसके बाद न केवल निकटतम संबंधी को सूचित करना अनिवार्य होगा बल्कि गिरफ्तार व्यक्ति को भी सूचित किया जाएगा।

यह ठीक है। इस तरह घर में भी कोई अफरा-तफरी नहीं होगी। परिवार के सदस्यों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्हें पता होगा कि उसे कहां ले जाया गया है। गिरफ्तारी के समय उसे तुरन्त गिरफ्तारी का कारण और अभियोगी के रूप में उसके अधिकारों के विषय में बताना होगा ये सब बातें गिरफ्तार करते समय बतायी जानी आवश्यक होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, अब अपनी बात समाप्त करिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रावधानों के साथ-साथ इसमें काफी बचाव के रास्ते भी हैं, जिनका काफी दुरूपयोग किया जा सकता है। अत: कानून के किसी विशेष उपबंध को लागू करने में बहु सावधानी बरती जानी चाहिए। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे अभी बहुत से संशोधनों को देखना है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जल्द समाप्त कीजिए अभी आपकी पार्टी के दो-तीन सदस्य और बोलना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से कोई दूसरा सदस्य नहीं बोलेगा।

[हिन्दी]

क्या आपकी पार्टी का काई दूसरा सदस्य बोलने वाला नहीं है?

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसमें कुछ समय लगेगा। इसमें बहुत से ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात जारी रखें और दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): **महोदय, मैं अपना नाम** वापिस लेता हूं। **उन्हें ही बोलने दें।**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें पहले ही काफी समय दे चुका हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या मैं अपनी बात जारी रखूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कहना जारी रखें और कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। क्या आपने मेरी बात सुन ली है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस विधेयक में एक स्वागत योग्य प्रावधान भी किया गया है। जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उसे गिरफ्तारी के कारण और अन्य सूचनाएं दी जाएं। यदि किसी महिला से बलात्कार के मामले की जांच के संबंध में पूछताछ की जाती है तो उसे तुरन्त चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके लिए धारा-7 बनायी गई है। बलात्कार के मामलों में जब उसे परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो संबंधित अधिकारी उसे अनिवार्य रूप से प्राधिकृत चिकित्सक के पास ले जाए जो कि आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कर सके। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त उसे चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट दी जानी चाहिए, यह उसका अधिकार है।

इस मामले में अभियुक्त, जिस पर बलात्कार का अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, को भी रिपोर्ट की एक प्रति दी जानी चाहिए। यह स्वागत योग्य तरीके और परिवर्तन हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन प्रवधानों का पूरी तरह कार्यान्वयन हो। यह एक पृथक पहलू है और मैं इसे अपके सामने लाना चाहता हूं।

अब, मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। इसमें और भी कई मुद्दे हैं पर मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। अब मैं धारा 18 के अंतर्गत हिरासत में बलात्कार का अगला मुद्दा लेता हूं। किसी महिला को किसी अभियोग में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आयी हैं कि हिरासत में ऐसी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। हाल ही में, एक विदेशी महिला यहां आयी

थी। सीमा शुल्क के कुछ कर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया वहां उससे बलात्कार किया। हिरासत में बलात्कार एक गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिए कुछ अच्छे उपबंध लाए गये हैं परन्तु उसमें कुछ कठिनाई हैं। इस धारा के कार्यान्वयन के पश्चात हूं उन कठिनाइयों से भी पार पाना है। अब, बलात्कार होने के मामले में न्यायिक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जिसे इस अपराध की जांच का कार्य दिया गया है उसे अनिवार्य या बाध्यकारी रूप से हिरासत में बलात्कार के संबंध में तथ्यों की जांच करनी होगी, पूर्व अपराध के संबंध में पुलिस छानबीन जारी रह सकती है और इसको हिरासत में बलात्कार की जांच में कोई बाधा नहीं हो।

जिला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिसने इस अपराध का संज्ञान लिया है, उसे पुलिस द्वारा जांच किए गए मामले के समानांतर इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। उसे पूर्व अपराध की छानबीन खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे सीधे इस अपराध पर अपनी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसके साथ ही एक अन्य व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं सभा का ध्यान अग्रिम जमानत संबंधी व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन कृपया बैठिए। अन्य माननीय सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक अनुपूरक कार्यसूची है। अब मैं माननीय मंत्री जी कमल नाथ से एक विधेयक पुरः स्थापित करने का आग्रह करूंगा।

अपराह्न 2.52 बजे

विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.53 बजे

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005-*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की थी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात समाप्त हो गयी थी।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मुझे अग्रिम जमानत विषय पर कुछ शब्द कहने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: वरकला राधाकृष्णन जी, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है। मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता। इसलिए कृपया अपनी बात शार्ट में कहकर जल्दी समाप्त करें।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 दिनांक 9.5.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: अग्रिम जमानत के संबंध में अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के बारे में क्या प्रावधान है? अब, जब किसी पर गंभीर संज्ञेय अपराध का अभियोग लगाया जाता है तो अभियुक्त स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए बिना सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है। कोई भी अपराधी छिपते हुए भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यह वर्तमान प्रक्रिया है। वर्तमान संशोधन के माध्यम से इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। प्रारम्भिक पूछताछ, के बाद अग्रिम जमानत के लिए याचिका देते समय व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। परन्तु वर्तमान विधेयक में यदि न्यायालय द्वारा प्राथमिक आदेश जारी किया जाता है तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर रहे व्यक्ति को अनवार्यतः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। अपवादस्वरूप कुछ मामलों में केवल न्यायालय द्वारा ही इसकी अनुमति दी जा सकेगी और इसके व्यवस्था के अनुपालन को छोड़ा भी जा सकता है।

यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। इसके बाद, लोगों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में छिपे होकर जमानत के लिए आवेदन करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। इन शब्दों के साथ ही मैं दंड प्रक्रिया संहिता में लाये गए इन सभी संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ठीक 11 वर्ष पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया था। प्रद्धति के अनुसार विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर विचार किया और अपना प्रतिवेदन दिया। इसके बाद इन वर्षों के दौरान बनी सरकारें ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया। महोदय, कांग्रेस और अब सं.प्र.ग. सरकार की हमेशा यह इच्छा और चिंता रही है कि न्यायिक प्रणाली अर्थात् आपराधिक न्याय से संबंधित सभी मामलों में न्याय देने की प्रणाली सहित विभिन्न क्षेत्रों में हर संभव सुधार किया जा सके।

इसी चिंता और इच्छा के कारण इस सरकार ने स्थायी समिति की विभिन्न सिफारिशों की जांच की तथा राज्य सभा में इस विधेयक पर विचार करने का अनुरोध है तथा राज्यसभा ने यह विधेयक पारित किया और इस तरह से यह विधेयक आज हमारे सामने है।

महोदय, सबसे पहले मैं इन संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं यद्यपि आने वाले दिनों में मलीमथ समिति प्रतिवेदन और इस पर किसी तरह की अनुवर्ती कार्यवाही पर विचार सहित काफी और मामलों को शामिल किया जाना है। लेकिन जैसाकि इस मामले में बताया गया है यह कानून भी जनता का ध्यान रखता है और उसकी कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं पर ध्यान देता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी अपराध में आरोपी महिला के साथ किया जाने वाला व्यवहार यह केवल वैधानिक संघ की नहीं अपितु कुल मिलाकर जनता की पहली चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए पहला तथा उचित कदम है कि इस विधान के रूप में इस बात को भी शामिल किया जाए कि किसी अपराध में आरोपी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह बहुत ही हितकर प्रावधान है और समाज के सभी वर्गों को इसका स्वागत करना चाहिए। निःसंदेह इसके साथ ही यह प्रावधान भी है कि कुछ अपवादिक परिस्थितियों में जहां मामला इस तरह का हो कि आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक है फिर चाहे वह महिला आरोपी हो, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हमें पता चला है कि अपराधियों के समूह कई बार अपराध कराने में महिलओं का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो विशेष मामले में निश्चित रूप से महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन यह सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और अन्याय न हो।

महोदय, जब मैं एक बार में एक प्रावधान के बारे में बोल रहा हूं तो मैं इस संबंध में अपने विचार भी व्यक्त करना चाहता हूं। जैसाकि मैंने कहा, यह एक पुष्टिकर प्रावधान है लेकिन इसके साथ ही मैं महसूस करता हूं कि जब महिला को गिरफ्तार करना हो तो यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि महिला पुलिस ऑफिसर ही आरोपी महिला को गिरफ्तार करे।

अपराह्न 2.57 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

महोदय, मैं जानता हूं कि यह विधेयक 11 वर्ष पहले बनाया गया था और इस तरह से हम यहां हैं। यदि हम कई संशोधनों के बारे सोचना शुरू कर देते तो इसमें बहुत अधिक समय लगता और इसलिए इन प्रावधानों का स्वागत है लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भविष्य में सुधार करना चाहिए और इसकी आवश्यकता है।

मुझे लगता है कि मुझे ठीक से याद है कि एक बार पिछली सरकार तेरहवीं लोक सभा के दौरान इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने वाली थी लेकिन किसी कारणवश विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सका और शायद यही कारण था और मैं उस प्रावधान का उल्लेख करूंगा। दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा

144क शामिल की जा रही है जिसके अंतर्गत जिलाधीश को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह जलूस अथवा सामूहिक अभ्यास में हथियार ले जाने अथवा हथियारों से सामूहिक प्रशिक्षण निषेध करे। यह समय की आवश्यकता है। हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो देखा उसे देखकर निराशा हुई है कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र के नाम पर देश का प्रतिनिधित्व करने, देश के लोकाचार और संस्कृति पर वार्ता करने के अधिकार का बेजा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तथा गलत काम के लिए प्रेरित करने, धमकाने के लिए हर संभव तरीके अपनाए जनसंहार—मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं—में भी शामिल हुए जलूल निकाले गए और इसलिए ऐसे जलूलों में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने हेतु यह अधिकार जिलाधीश को सौंपने की मांग की गई है मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता में नई धारा भी जोड़ी गई है ताकि इसका पालन न करने वाले लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान बनाया जा सके। इसके लिए धारा 153क है जो वर्तमान विधेयक का खण्ड 44 है। इसमें 6 माह के कारावास तथा जुर्माने की व्यवस्था है और यह जुर्माना 2,000 रुपये तक हो सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

यह प्रावधान ऐसे व्यक्ति के लिए है जो जलूस में हथियार लेकर चलता है। मेरी समझ से निम्नलिखित से बेहतर और कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है:

''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144क—इसे भी अंत: स्थापित किया जा रहा है—के अंतर्गत जारी किसी आदेश अथवा सार्वजनिक सूचना के उल्लंघन में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सार्वजनिक स्थल में किसी जलूस में हथियार ले जाता है अथवा हथियारों सहित सामूहिक अभ्यास या सामूहिक प्रशिक्षण आयोजित करता है अथवा उसमें भाग लेता है तो उसे छह माह तक की कारावास की सजा और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। यह आवश्यक था।

मुझे आशा है कि इससे सरकार को उस साम्प्रदायिक समस्या को रोकने में कुछ हद तक सहायता मिलेगी जिससे हमारी शासन प्रणाली, हमारे समाज के सुंदर ताने-बाने, विविधता को खतरा है। लेकिन यहां मुझे पुन: महसूस होता है कि जब आप हथियारों के परिभाषा के बारे में स्पष्ट करते हैं तो मुझे इस तरह से परिभाषा देने में कोई बुराई नजर नहीं आती है लेकिन जब हम डंडे और लाठियों को भी हथियार बताते हैं, कुछ अति उत्साही अधिकारी कानून की व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हैं और लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज कर सकते हैं। ऐसे मामलों की कमी नहीं है। यहां बहुत से ऐसे मामले हैं तथा कई और मामले हो सकते हैं। यदि मैं किसी जलूस में लाठी पर झंडा लेकर जा रहा हूं तो मुझ पर भी मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मैं लाठी लेकर चल रहा हूं। यहां ऐसा ही है।

मैं जानता हूं कि सब बातों के लिए प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है लेकिन यह सब उस व्यक्ति के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है जिसे कानून लागू करने के दायित्व का प्रभार सौंपा गया है। यह वास्तव में उसके विवेकाधिकार, उसकी सदाशयता की भावना पर निर्भर है कि उसे किस तरह से कानून की व्याख्या करनी है। लेकिन ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां ऐसे प्रावधानों का दुरूपयोग हो सकता है। जब राजनैतिक जलूस निकाले जाते हैं और यदि लोग डंडे पर झंडे लगाकर ले जा रहे हैं तो उस समय इस प्रावधान के क्रियान्वयन अथवा मार्गनिर्देशों को जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी इस प्रकार से व्याख्या न हो कि डंडे लेकर चल रहे हैं और ऐसे मामलों में ये दो प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए।

महोदय, तीसरी बात यह है कि मैं इस विधेयक में निचली अदालतों की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के प्रयास का वास्तव में स्वागत करता हूं और समय सीमा के कारण मैं इस मामले को यहीं पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ बातें कहूंगा। जिनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं। हमने विगत में अक्सर देखा है कि न्यायालय में अत्यधिक धीमी गति से मुकदमें चलने के कारण कई मामलों में जहां कोई व्यक्ति किसी विशेष अपराध के लिए निर्धारित दंड में से अधिकांश दंड भोग रहा होता है और मुकदमा फिर भी शुरू नहीं होता है। अब इस समस्या पर ध्यान देने के लिए सावधानी बरती गई है और यहां दो अच्छे प्रावधान हैं जो अब कानून बन गए हैं।

एक प्रावधान तो यह है कि यदि व्यक्ति जांच अथवा मुकदमें अथवा अन्यथा के दौरान कुल दंड की अवधि में से कम से कम आधी अवधि तक दंड भोग चुका है, जो उसे किसी दोषसिद्ध होने पर मिली हो, तो वह जमानत पर रिहा होना चाहिए। यह एक अच्छा प्रावधान है। इसके साथ ही धारा 428 और 433क को ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान है जिसका उन्होंने आजीवन कारावास के मामले में बोलते समय शायद उल्लेख किया है। धारा 433क के मामले में पूर्व प्रावधान था कि यदि किसी मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई हो तो उसे 14 वर्ष के कारावास की अवधि बिताए बिना रिहा नहीं किया जाएगा।

अब, पहली बारी इस संशोधन के माध्यम से संविधि पुस्तिका में एक प्रावधान जोड़े जाने की मांग की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने कोई सजा भोगी है वह अवधि 14 वर्ष की अवधि में शामिल होगी। ऐसा पहले नहीं था। अन्य मामलों में क्षमादान का

[श्री पवन कुमार बंसल]

मामला था लेकिन यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास भोग रहा है अर्थात् जिसे अनिवार्य रूप से 14 वर्ष की सजा काटनी है, तो उसके लिए यह अवधि उस सजा में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

लेकिन यह कहने के बाद जब मैं यह कहता हूं कि यह दो अच्छे प्रावधान हैं विशेषरूप से पहला प्रावधान तो मेरे विचार से यदि हम ऐसा मामला लें जहां कोई व्यक्ति अपने मुकदमे के पहले ही दिन कहे—मैं बहुत काल्पनिक मामले के बारे में कह रहा हूं। यदि उस पर मुकदमा चलाया जाए और 5 साल की कारावास की सजा दी जाए तो इस अवधि के दौरान जब वह कारावास में है तो इसे कुछ माफी या छूट भी मिलेगी।

अत: 5 वर्षों के लिए वास्तव में सजा नहीं भोगेगा। यही स्थिति है जैसाकि हम सभी जानते हैं। लेकिन यहां जब हम माफी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमें उस अवधि को भी महत्व देना चाहिए जो उसने माफी के रूप में हासिल की है। जब आप उस अवधि को आरम्भ करते हैं जिसे उसने जांच होने के दौरान अथवा मुकदमा आदि के दौरान काटा है तो उसे उस अवधि का भी लाभ मिलना चाहिए जो उसे माफी के रूप में दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को सुधारना है। माफी उसको किए जाने वाले तरीकों में से एक है। प्रयास है—सुधारना, इसके लिए ही यह प्रावधान वहां पर हैं। मैं समझता हूं कि बाद में उस पर विचार किया जा सकता है कि सम्भवत: माफी अवधि का लाभ उसमें जोड़ा जाना चाहिए।

हिरासत में मृत्यु और हिरासत में महिलाओं के साथ बलात्कार की समस्या काफी लम्बे समय से चिंता का कारण रही है और इस पर हमारी जोरदार भावनाएं व्यक्त किए जाने के वावजूद यह समस्या कम नहीं हुई हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि केवल कानून ही ऐसी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। यहां मैं इसका स्वागत करता हूं कि एक बार फिर 11 वर्षों के पश्चात यह कार्य इस सरकार पर ही छोड़ दिया गया है जहां कांग्रेस इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। यह कार्य इन 11 वर्षों अथवा उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए था जब हम 8 वर्षों के लिए सत्ता में नहीं थे। प्राय: हमे इन मामलों पर देश भर में और इन सदनों में भी चर्चाएं सुनने को मिली है हमारे सदस्य कई वर्षों से अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। एन डी ए सरकार के ध्यान में कभी भी इन प्रावधानों को जोड़ने की बात नहीं आई। उन्होंने कभी इस पर काम ही नहीं किया।

इस पर काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ तो पहले के ही मौजूद था। उन्हें तो उसे बस सदन में चर्चा के लिए ही लाना था और पारित करना था लेकिन अब इसे हमारे लिए छोड़ दिया गया। इसे प्रतिष्ठित पूर्व माननीय मंत्री द्वारा माननीय मंत्री श्री शिवराज पाटील जी के लिए छोड़ दिया गया था कि वह इन प्रावधानों को पुन: लाएं। इस प्रकार अब यह प्रयास किया गया है। यह कानून बन जाएगा। हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा हिरासत के दौरान किसी महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में न्यायिक जांच कराया जाना अनिवार्य होगा। मजिस्ट्रेट इस मामले की जांच करेगा।

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): एक मंत्री होने के नाते मुझे अपनी बात कहने की अनुमति न हो लेकिन एक महिला होने के नाते मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हिरासत में किसी महिला का बलात्कार किया जाता है तो वे व्यक्ति जिन्हें इन महिलाओं की रक्षा करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार इनकी देखभाल की जानी चाहिए और किस प्रकार कानून की मर्यादा बनाए रखनी हैं—यदि वे उसका उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं श्रीमती रेनुका चौधरी के विचारों से सहमत हूं मैं उनकी भावनाओं का तहे दिल से समर्थन करता हूं लेकिन जब विगत में हमने इस मामले पर विचार किया था मैं समझता हूं कि हमने बलात्कार के लिए मृत्युदंड दिए जाने पर चर्चा की थी। इससे महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचेगा। इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति बलात्कार करेगा तो वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह न केवल उसका बलात्कार करे बल्कि उसकी हत्या भी कर दे।

श्रीमती रेनुका चौधरी: वह एक पहलू है। यदि आप मध्यपूर्व आदि देशों को देखते हैं तो वहां एक भी बलात्कार नहीं होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके बाद उनका क्या हाल होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं कि हमें इस संबंध में कठोर बनना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है 99 प्रतिशत तक मामलों का पता ही नहीं चलता है स्थिति इस प्रकार की है। इस पर कल ही समाचार-पत्रों में कुछ विस्तृत लेख प्रकाशित हुए थे। देश ने इस पर मौन साधा हुआ है। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बलात्कार की शिकार महिला इसका दुख धीरे से और दुखदायी तरीके से भोगती है। उसके बाद वह उपहास का पात्र बन जाती है। स्थिति इस प्रकार की है। इसलिए हमें इस पर ठोस कदम उठाने होंगे। यहां मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूं कि 11 वर्ष के पश्चात इस सरकार पर यह जिम्मेदारी आई है कि वह इस दोनों प्रकार के मामलों—हिरासत में मृत्यु और हिरासत में बलात्कार—के लिए कदम उठाए यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो न्यायिक जांच अनिवार्य होगी।

इस मामले को ऐसे ही दबाया नहीं जा सकता है। मृत्यु के मामले में शव को 24 घंटों के भीतर चिकित्सीय जांच, शव परीक्षा आदि के लिए भेजा जाना चाहिए इसके साथ ही एक अन्य प्रावधान भी हैं। बलात्कार के मामले में दो अच्छे प्रावधान हैं। पीड़िता की 24 घंटों के भीतर न केवल सरकारी बल्कि किसी भी हस्पताल में जो 16 कि.मी. की परिधि में है तुरन्त जांच की जानी चाहिए। यह शर्त दी गई है। यह कानून में भी है कि एक प्रफार्मा निर्धारित किया गया है जिसमें जांच करने वाला डाक्टर भर कर देता है।

इसके साथ ही पीड़िता के मामले में उसकी सहमति से ही जांच की जानी चाहिए मुझे नहीं पता ऐसा किसलिए किया गया हैं। लेकिन हो सकता है यह आवश्यक प्रावधान हो। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बलात्कार के पश्चात उसको और उत्पीड़ित न किया जाए। आप समझ सकते हैं कि उस पीड़िता को किस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। इसके बाद उसके साथ कोई उत्पीड़न या परेशानी नहीं होनी चाहिए उसकी रक्षा करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। यह समाज का अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है कि वह उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे। यह कोई परोपकार या उदारता नहीं है। यह तो उसका अधिकार है और उस अधिकार को यहां मान्यता दी जा रही है। और मैं इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन यहां पुनः मैं मालूम करता हूं कि जब हम पीड़िता की चिकित्सीय जांच की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक प्रावधान होना चाहिए कि चिकित्सीय जांच किसी महिला अथवा लेडी डाक्टर द्वारा कराई जानी चाहिए इसका प्रावधान वहां नहीं है। मैं इसे भविष्य के लिए छोड़ देता हूं कि ऐसा प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे विश्वास है कि जब तक आप वहां बैठे रहेंगे मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा।

अब, मैं एक और अच्छे प्रावधान की बात करने जा रहा हूं। हमने देखा है कि विगत में कई बार कई ऐसे मामले हुए हैं जहां छोटे-मामले गरीबों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। उनके पास सिक्युरिटी राशि जमा करने के कोई साधन नहीं होते हैं। उनकी मदद करने कोई नहीं आता है जबकि दूसरी ओर समूह कार्य कर रहे हैं। ये लोग व्यवसायिक होते हैं और इनका काम एक के बाद एक को सिक्युरिटी राशि देना होता है। यदि आप रिकार्ड की जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक-एक व्यक्ति ने कई सौ व्यक्तियों की सिक्युरिटी राशि दी हुई है। इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार के किए गए अपराधों के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार है। अब इस दोनों प्रकार के मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक गरीब व्यक्ति के मामले में जिसे बाहर आने के लिए सिक्योरिटी राशि देनी है लेकिन वह गरीब होने के कारण सिक्योरिटी राशि नहीं दे सकता तो वह सात दिन के बाद जमानत पर तभी छूट सकता है यदि वह सात दिन के भीतर सिक्योरिटी जमा नहीं कराता। तब न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालेगा कि यह एक गरीब आदमी है और कुछ अपराधों में उसे छोड़ा जा सकता है। अन्य मामलों में कोई व्यक्ति जो सिक्योरिटी राशि देता है उसे विगत के बारे में विवरण देना पड़ता है कि क्या उसने पहले भी अन्य लोगों के लिए सिक्योरिटी दी है या नहीं दी है। यह अच्छा प्रावधान है जिसे इस विधेयक में शामिल किया गया है।

महोदय, जब आप बोल रहे थे तो आपने अग्रिम जमानत का उल्लेख किया था। विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि इस पर मेरे विचार कुछ भिन्न हैं। मैं कहूंगा कि अग्रिम जमानत के लिए यहां किए गए प्रावधान अच्छे हैं केवल अंतिम प्रावधान को छोड़कर जिस पर मेरे विचार भिन्न हैं। हमने विगत में देखा है कि अग्रिम जमानत के इस प्रावधान का लोगों द्वारा प्रायः दुरुपयोग किया गया है। इसलिए मामले पर कार्यवाही करते हुए विधि में कुछ कठोर मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं कि माननीय सत्र न्यायाधीश अथवा माननीय उच्च न्यायालय इस पहलू पर विचार करेगा। यह ठीक है। लेकिन अन्त में जैसा कि आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायाधीश के पास अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के पास अग्रिम जमानत के लिए जाता है, उच्च न्यायालय भी उससे यही अपेक्षा करता है, और सत्र न्यायाधीश उसे सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित रहने को कहता है और सुनवाई के अन्तिम दिन उसे अग्रिम जमानत नहीं देता है तो उस व्यक्ति को उसी समय वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तत्पश्चात् क्या वह उच्च न्यायालय में जा सकेगा। अब यह मामला अग्रिम जमानत का नहीं होगा। इस प्रकार अग्रिम जमानत के आवेदन-पत्र का सवाल यहां समाप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया है। यह व्यवस्था यहां समाप्त हो जाएगी।

जैसाकि मैंने कहा है हम 11 वर्षों के बाद इस मामले पर कार्य कर रहे हैं। ये चीजे हैं जिन पर विस्तार में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। हो सकता है यह अनुभव है जो सही तस्वीर प्रस्तुत करेगा ...*(व्यवधान)* उसे अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार है। उसे वह अधिकार दिया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत के लिए व्यक्ति सत्र न्यायालय के पास अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है। यदि उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद उसे उच्च न्यायालय में जाने का मौका नहीं मिलेगा। यह जरुरी नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया जाए इससे सत्र न्यायाधीश को अपना दिमाग लगाना होगा और उसके बाद वह इसे अस्वीकार कर सकता है। नहीं तो आप

[श्री पवन कुमार बंसल]
उच्च न्यायालय से सम्बन्धित प्रावधान हटा दीजिए। इस बात का प्रावधान कीजिए कि वह केवल एक न्यायालय अथवा मात्र सत्र न्यायालय में जा सकता है। इसके बाद उच्च न्यायालय से भी यह अधिकार ले लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कल्पना के आधार पर कह रहा हूं। मैं इस पर तर्क नहीं कर रहा हूं मैं इसे दोनों स्थानों पर चाहता हूं।

उच्च न्यायालय के लिए एक बार इसका प्रावधान हो जाने पर उच्च न्यायालय में आवेदन करने से संबंधित प्रावधान की सार्थकता समाप्त हो जायेगी।

यह सब कहने के बाद, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजनों या जो भी उसका संबंधी हो, उसे दी जानी चाहिए। यह एक अच्छा प्रावधान है। यहां, मुझे ऐसा लगता है, कि हमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए सूचना के अलावा एफ आई आर की एक प्रति भी दी जानी चाहिए। एफ आई आर की प्रति संबद्ध व्यक्ति को दी जानी चाहिए। यही एकमात्र ऐसा उपाय बचता है जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान का दुरुपयोग नहीं कर पायेगा। हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जब अपनी व्यक्तिगत रंजिश के लिए इस तरह के प्रावधान का दुरुपयोग किया गया है। यदि आप किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के कार्यों की आलोचना करते हैं तो वह इसका बुरा मानता है। लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है। यदि उसे बुरा लगता है तो वह तुरन्त आपकी गिरफ्तारी के आदेश दे देता है। यदि किसी व्यक्ति को शुक्रवार को दफ्तर से छुट्टी के समय के बाद गिरफ्तार किया जाता है, और आगे दो दिन की छुट्टी आ जाती है तो वह व्यक्ति एफ आई आर की प्रति के बिना कोर्ट में कोई आवेदन तक नहीं कर सकता है। दुर्भावनाशील अभियोजन के लिए भी प्रावधान हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गिरफ्तारी की सूचना के साथ-साथ एफ आई आर की एक प्रति भी दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री बंसल आपको दिया गया समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, मैंने अपने पत्र रख दिये हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा सा कुछ और कहना चाहता हूं।

कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां धन से संबंधित मामलों हेतु धन सीमा में काफी वृद्धि कर दी गयी है। जिन मामलों में यह सीमा 100 रुपये थी वहां इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जहां यह 250 रुपये थी वहां इसे बढ़ाकर 2000 रुपये तथा जहां यह 500 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। इन सभी मामलों में धन की सीमा में वृद्धि करने का जो कारण बताया गया है वह यह है कि 1973 में जब दंड प्रक्रिया संहिता बना थी तब से लेकर 1994 तक, जब इसमें संशोधन पेश किया गया है की अवधि में पैसे का काफी अवमूल्यन हुआ है। पुनः इन 11 वर्षों के दौरान रुपये का फिर काफी अवमूल्यन हुआ है। इसलिए, इसी तरह के सभी मामलों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी धन की सीमा निश्चित की गयी है, वहां यह आवश्यक है कि न्याय के हित में इसमें अच्छी खासी वृद्धि कर दी जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि पुलिस हिरासत में तमाम घटनाएं होती हैं। माननीय मंत्री जी सदन में जो संशोधन विधेयक लाये हैं, जो घटनाएं घटती हैं, उन पर व्यावहारिक रूप से अमल करते हुए, उसमें संशोधन किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें यह प्रावधान भी होना चाहिए कि गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति की चिकित्सा जांच हो क्योंकि गिरफ्तारी के बाद कोई घटना घटित है या पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु होती है या कोई गंभीर चोट आती है तो उसकी पुनः जांच होनी चाहिए। पुलिस हिरासत में जो तकलीफ होती हैं खासकर अपराधियों को या जो अपराध करता है, उसमें मानवाधिकार उल्लंघन की बात भी आती है।

कई बार देखा जाता है कि दहेज के कारण बहुत सी महिलाओं को मार दिया जाता है या फांसी पर लटका दिया जाता है। यदि बाहर के लोगों को उसका पता नहीं चलता तो जल्दी ही उसको दफना भी दिया जाता है। इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि तुरंत उसे डेड बाडी की जांच 12 या 24 घंटे के अंदर होकर उन व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

जहां तक दंड प्रक्रिया में आपराधिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करने, उस पर रोक लगाने के लिए यह विधेयक में लाया गया है। अब यह सामाजिक-व्यावहारिक रूप से महत्व की भी बात है। इसके अलावा तमाम बातें जैसे महिलाओं पर अत्याचार या उनकी गिरफ्तारी के संबंध में की गयी हैं। गिरफ्तारी के संबंध में यह बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है कि दिन निकलने से पहले कोई गिरफ्तारी न होकर दिन निकलने के बाद हो या शाम को सूरज

ढलने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उससे पहले हो सकती है।

यह बहुत अच्छी बात है लेकिन महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए, खासकर महिला को ही जाना चाहिए और उसे महिला कस्टडी में रखना चाहिए। यह विधेयक जो सरकार लाई है, यह बहुत अच्छा विधेयक है और खासकर देखा जाता है कि महिलाओं की गिरफ्तारी के मामले में बहुत सी वारदातें हुई हैं। महिलाओं के ऊपर थानों के अंदर अत्याचार हुए हैं और बलात्कार तक की घटनाएं हुई हैं। यह विधेयक लाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

दूसरी बात, जहां तक आजीवन कारावास या मृत्यु-दंड देने की बात है, ऐसे तमाम कैदी हैं जिन्हें ज्यादा दिनों तक हिरासत में या जेल में रखने की जब बात होती है, ऐसे कैदियों पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि वहां पड़ा-पड़ा कैदी बिल्कुर बीमार रहता है और ज्यादातर जेल के चिकित्सालय में ही रहता है। उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह कुछ करने के काबिल नहीं रहता है। ऐसा प्रावधान रहना चाहिए कि कम से कम वृद्ध लोगों को उतनी सजा हो और थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिले कि कम से कम अंतिम समय में वे अपने परिवार के साथ दुबारा आकर पश्चाताप कर सकें कि हमने क्या गुनाह किया है और हमें क्या सजा मिली है। इस संबंध में तमाम अपीलें भी होती हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास लोग अपील करते हैं या राज्य सरकार कभी-कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी को छूट देती हैं। इन सब बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए।

तीसरी बात, जो जुलूस निकालते हैं, अगर हमारा इरादा यह हो कि हम जुलूस में हथियार लेकर जा रहे हैं या अगर हमारे विपक्ष का कोई आदमी विरोध करता है और अगर कोई विरोधात्मक कार्रवाई होती है, तब हम उसे हिंसा कहेंगे। अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो उस पर रोक लगनी चाहिए अन्यथा ज्यादातर राजनैतिक जुलूस होते हैं लेकिन कभी-कभी लोग डंडा में झंडा लगा देते हैं और तमाम तरह की छड़ी लेकर चलते हैं। लेकिन डंडे और छड़ी पर जो रोक लगाई गई है, अगर इनका इरादा गलत हो, तब तो यह रोक लगनी चाहिए और अगर इरादा गलत नहीं है तो डंडे और छड़ी से रोक उठानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लाए हैं, बड़े अच्छे-अच्छे व्यावहारिक रूप में हमारे सामाजिक जीवन की प्रक्रिया में वह राहत लेकर आए हैं, ऐसे संशोधन लाकर तमाम लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता में जो राहत दी है, जो तमाम ज्यादतियां होती हैं, उन पर रोक लगाने की बात की है, उनका मैं स्वागत करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक आज का नहीं है बल्कि सैकड़ों साल पुराना यह विधेयक बना हुआ है और इस कानून को अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों के बनाये हुए कानून को आज तक हम ढो रहे हैं जबकि आज की तारीख में इस देश की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई है।

महोदय, बीच-बीच में दंड प्रक्रिया संहिता में और दूसरे कानून बने हुए हैं, 'एवीडेंस एक्ट' और 'इंडियन पैनल कोड' में संशोधन लाये जाते रहे हैं लेकिन इन संशोधनों से काम चलने वाला नहीं है। मेरी मान्यता और मेरा सुझाव है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, भारतीय लोगों के हिसाब से कानून होना चाहिए और पूरे नये तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण होना चाहिए। आज ज्यूडिशियरी किसलिए है? ज्यूडिशियल सिस्टम इसलिए होता है कि आम लोगों को इसके अंतर्गत न्याय मिले लेकिन आज होता क्या है कि जब हम ज्यूडिशियरी के बीच में जाते हैं, तो मुकदमे होते हैं और वर्षों-वर्षों तक वे लम्बित रहते हैं। न्याय मिलने में काफी विलम्ब होता है और लोग परेशान हो जाते हैं। अभी दंड प्रक्रिया संहिता का जो प्रस्ताव आया है, इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन इसकी बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे इसकी एक धारा 145 में जो मुकदमे होते हैं, पांच कट्ठा, दो कट्ठा, चार कट्ठा और एक बीघे जमीन के जो मुकदमे होते हैं, ये मुकदमे 15-20 वर्षों तक चलते रहते हैं।

जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, इससे उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और जमीन की कीमत से दस गुना अधिक पैसा मुकदमे में व्यय हो जाता है लेकिन उसे दस-पन्द्रह वर्षों में भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कहीं अपराध करने में पकड़ा जाता है तो यदि वह निर्दोष भी हो या उस पुलिस द्वारा जानबूझकर फंसाया गया हो या पुलिस अपनी बेइमानी के कारण किसी निर्दोष को फंसा देती है तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से नए तरीके से कानून निर्माण की आवश्यकता है। मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने भी कहा है कि तमाम कानून ऐसे बनाए गए हैं जिनसे कुछ राहत मिली है, लेकिन इस देश की जो परिस्थितियां हैं और जैसी पुलिस की कार्रवाई है, उसे देखते हुए कानून में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। आज पुलिस गांव में जाती है, घर में घुस जाती है—चाहे आठ बजे रात हो, 12 बजे रात हो या 2 बजे भोर का समय हो। घर के अंदर परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें महिला सदस्य और छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन पुलिस दल में कोई भी महिला पदाधिकारी नहीं होती है। फिर भी महिलाओं के बीच में जाकर वे अत्याचार करते हैं तो इस संबंध में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

महोदय, इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शन करेगा, कोई जुलूस करेगा और वह शस्त्र लेकर चलेगा तो फिर उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा, उसे छः मास तक के कारावास की सजा दी जाएगी। यहां शस्त्र की परिभाषा पर आप गौर करें। इसमें लाठी, डंडे और छड़ी को भी शामिल किया गया है। आप देखें कि जब भी किसी पार्टी का प्रदर्शन निकलता हैं, तो वे अपने झंडे को उस डंडे में लगाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे किसान भाई जब खेत में जाते हैं तो डंडे का सहारा लेते हैं। हमारे संसद भवन में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को देखिए, उनके भी हाथ में लाठी है। आप लाठी या डंडे को शस्त्र की परिभाषा में कैसे शामिल कर सकते हैं। महोदय, डंडा शस्त्र नहीं है। इस प्रावधान को विलोपित करने की आवश्यकता है। महोदय, इसके अलावा और भी बहुत से संशोधन के प्रस्ताव किए गये हैं। इनके द्वारा लगभग बीस-पच्चीस धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। मैं माननीय गृहमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें और भी संशोधन करने की आवश्कता है। नए सिरे से कानून बनाने की आवश्यकता है और सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। जुडिशियल सिस्टम और पुलिस को जो पावर्स दी गयी हैं, उसे भी बदलने की आवश्यकता है।

महोदय, जैसा कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे, एण्टिसिपेटरी बेल का प्रॉविजन इसमें नहीं था और 1973 में संशोधन के माध्यम से इसे शामिल किया गया था। इसमें यह व्यवस्था है कि अगर किसी बेगुनाह व्यक्ति को पुलिस फंसा देती है तो उसे वहां जाने में सहूलियत मिलती है और उसे न्याय मिलता है। इसके अलावा और बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे पहले संशोधन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी सेक्शन के तहत मुकदमे में दो साल की सजा का प्रावधान है तो उस मुकदमे को कितने दिन में पूर्ण या समाप्त हो जाना चाहिए? देखने में यह आता है कि सजा दो साल की है और अपराधी पांच साल या सात साल तक जेल में बंद रह जाता है।

सेक्शन 145-146 में अगर प्रोपर्टी से संबंधित मुकदमा दर्ज होता है, तो वह वर्षों-वर्ष पेंडिंग रहता है। इसलिए ऐसी धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही समय सीमा निर्धारित करने की भी आवश्यकता है कि इतने समय के भीतर इस केस का निपटारा हो जाएगा, सभी आम लोगों को इन्साफ मिलेगा और ज्यूडिशियल उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधारकर रेड्डी (नालगौंडा): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं समझता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन समय की मांग है। गत एक दशक से, इनमें संशोधन का काम लंबित पड़ा था और अंततः अब इसका समय आ गया है। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि कई और संशोधन भी आवश्यक हैं क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश राज के समय तैयार की गयी थी। इसमें कई संशोधन जो आवश्यक थे, वे नहीं हो सके। इसलिए इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाना आवश्यक हो गया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री निकट भविष्य में इस बारे में विचार करेंगे।

प्रस्तावित संशोधनों पर विचार व्यक्त करने के पहले महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आज के इंडियन एक्सप्रेस समाचार-पत्र में प्रकाशित उस समाचार को लाना चाहूंगा जो दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में छपा है। इसमें कहा गया है कि अब एक पुलिस अधिकारी को इतनी शक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं कि वह घोषित अपराधी को गिरफ्तार करते समय संपूर्ण बल का इस्तेमाल कर सकता यहां तक कि वह उसको जान से भी मार सकता है (खंड 7) लेकिन इन संशोधनों में मुझे इस आशय की कोई बात दिखाई नहीं पड़ी है। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रेस में कैसे इस तरह की बातें छाप दी जाती हैं और वह भी कुछ इस ढंग से लिखी गयी हैं कि मुख्य विपक्षी दल संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं और बाकी सब पार्टियां मिलकर ऐसे कानून बना रही हैं जो देश के हित में नहीं है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करें। संपूर्ण संशोधन सूची पढ़ने के बाद भी मैंने इस तरह की बात कहीं नहीं पायी। यद्यपि, इस संशोधन सूची में खंड 7 भी है। अतः सरकार को इस तरह की बातों का स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह के संशोधनों की आवश्यकता के बारे में कोई गलतफहमी न हो।

जहां तक दूसरे संशोधनों की बात है, मैं यहां पर महिलाओं की गिरफ्तारी के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। केवल अपवाद स्वरूप मामलों में, यह प्रावधान किया गया है कि महिलाएं किसी महिला अधिकारी द्वारा सूर्यास्त के बाद भी गिरफ्तार की जा सकती हैं। मैं इस प्रावधान में इस आशय का संशोधन चाहता हूं, एक महिला पुलिस अधिकारी जिसका रैंक सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर से कम न हो। जितना बड़ा अधिकारी होगा उतनी ही अधिक सुरक्षा होगी।

बलात्कार के मामले में भी संशोधन आवश्यक है। माननीय मंत्री श्रीमती रेनुका चौधरी कह रही थीं कि बलात्कार के मामले में अथवा पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है और मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें।

जहां तक जमानत और पेरोल की बात है, मुझसे पहले कई दूसरे माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि अग्रिम जमानत के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति की प्रावधान उचित नहीं है कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से इसका लाभ उठाया जा सकता है। वास्तव में अग्रिम जमानत हेतु अनुरोध गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से किया जाता है और कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही अग्रिम जमानत दी जाती है। अग्रिम जमानत हेतु अर्जी दायर करने वाला व्यक्ति न्यायालय में जाने के पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द हो जाती है तो न्यायालय से निकलने के बाद उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के प्रावधान से सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं होने वाला।

सभापति महोदय: अग्रिम जमानत के लिए वर्तमान संशोधन में कुछ शर्तें लगायी हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: वह ठीक बात है।

जहां तक विचाराधीन कैदियों का सवाल है, दुर्भागयवश, लंबे समय से बहुत बड़ी संख्या में मुकदमें लंबित पड़े हैं। कई स्थानों पर तो जजों के पद रिक्त पड़े हैं। कई स्थानों पर जजों और मजिस्ट्रेटों के पद रिक्त पड़े हैं। कहा जाता है न्याय में विलम्ब न्याय न होने के समान है। इस बारे में यह सुझाव ठीक ही दिया गया है कि चूंकि ये विचाराधीन कैदी उन्हें मिलने वाली सजा की आधी सजा तो काट ही चुके हैं, इसलिए उनके इस तरह के अपराध अथवा गलती के लिए उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।

इसमें एक और प्रावधान है। यदि न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि अभियोजन के बाद इसे जारी रखा जा सकता है। तब भी मेरी समझ से आधी सजा पूरी हो चुकी होती है। यह बहुत ही गंभीर सजा है। मैं समझता हूं कि विचाराधीन कैदियों को न्याय मिलना चाहिए और इसे एक-तिहाई दंड के रूप में लेना चाहिए।

हो सकता है ऐसा करने से कई लोग रिहा कर दिये जायें या कभी-कभी किसी मुकदमे को चलाये बिना कुछ लोग कई वर्षों तक जेल में पड़े रहें। यह बात निरपवाद रूप से कही जा सकती है कि पूरे देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या काफी अधिक है। इसलिए इन विचाराधीन कैदियों की सहायता के लिए कोई बेहतर कानून होने चाहिए।

जहां तक जमानत और पेरोल देने की बात है इसे कुछ आसान बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में जमानत संबंधी प्रावधान बहुत ही जटिल हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो जमानत का प्रबंध नहीं कर सकते। इसमें गरीब लोगों को मुश्किलें हो रही है। इसलिए मामले की गंभीरता के अनुसार जमानत और पेरोल का सुगम बनाया जाना चाहिए।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 के समर्थन में खड़ा हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय गृहमंत्री को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने यह कार्य अपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन व विचाराधीन कैदियों की मदद करने तथा महिलाओं की हितों की रक्षा करने हेतु शुरू किया है।

वास्तव में यह विधेयक सभा में पूर्व गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण द्वारा 1994 में लाया गया था। इसके बाद समिति द्वारा 1996 में इसका पुनरीक्षण किया गया। वर्ष 1996 के बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं रही। अब, हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस विधेयक को कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत किया है।

सर्वप्रथम, मैं धारा 46 में संशोधन का स्वागत करना चाहूंगा। धारा 46(4) में कहा गया है।-

> ''विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी स्थिति में किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।''

मेरा सुझाव है कि इसमें पुरूषों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं दो मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, डा. एम. करूणानिधि को आधी रात्रि के 1 बजे गिरफ्तार किया गया था और पूरी रात उन्हें पुलिस स्थानों में घुमाया जाता रहा। पुलिस अधिकारी धारा 50 अ.प्र.सं. के पालन में असफल रहे। इसके बाद 11 नवम्बर, 2004 को कांचि मठ के प्रधान, शंकराचार्य को आंध्र प्रदेश में आधी रात को गिरफ्तार किया गया। एक माह के बाद एक कनिष्क धर्माध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। मेरा सुझाव है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी पुरूष को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक स्वागतयोग्य कदम है।

दूसरा महत्वपूर्ण धारा 50 है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आधारित यह नया प्रावधान है। अब इसे 50(ए)(1) से 50(ए)(4) के रूप में संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 में दी गयी व्यक्ति की गरिमा को सम्मिलित किया गया है।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

वर्तमान संशोधन के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में तथा उसे कहां रखा गया है इसके बारे में तथ्यों को उस गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार उसके संबंधी या उसके मित्रों को तत्काल बताना होगा। दूसरी बात पुलिस को उस अभियुक्त के अधिकारों के बारे में उसे बताना होगा। न्यायिक हिरासत में देते समय मैजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में देने से पूर्व अवश्य ही इस बात की जांच करेगा कि पुलिस ने धारा 50(ए)(2), 50ए(3) का पालन किया है या नहीं। हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है।

अन्य महत्वपूर्ण धाराएं धारा 53, तथा जोड़ा गया 53 (क) और धारा 164 तथा जोड़ा गया 164(क) है। वे आरोपी और पीड़ित की चिकित्सक द्वारा जांच से संबंधित है। पूर्व में सरकार अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों या स्थानीय-निकाय अस्पतालों में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सों को पीड़ित और आरोपी की चिकित्सा जांच की अनुमति थी। अब 16 कि.मी. के दायरे के कोई भी पंजीकृत चिकित्सक आरोपी और पीड़ित की चिकित्सा जांच कर सकता है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि क्या कोई आर्युवेदिक या होम्योपैथिक पंजीकृत चिकित्सक आरोपी की जांच करने के लिए अर्ह है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन धारा 176 से संबंधित है। इस धारा में हिरासत में हुई मौत की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की बात कही गई है। वर्तमान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को इसमें से विलोपित कर दिया जाएगा; जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस हिरासत में हो जाती है। महोदय, मुझे दो या तीन मिनट और बोलने की अनुमति दी जाए अब इसमें यह जोड़ा जा रहा है :

(क) कोई भी व्यक्ति मरता है या लापता हो जाता है, या

(ख) किसी महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया जाता है।

इस संशोधन में उपधारा (5) जोड़ा जा रहा है। इसमें एक खामी है जिसके कारण मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

"(5) न्यायिक मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कार्यपालक मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा जांच या अन्वेषण की जा रही हो, जो भी स्थिति हो, उपधारा (1 क) के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के 24 घंटे के भीतर शव को निकटतम सिविल सर्जन को इसकी जांच के लिए सौंप देगा।..."

लेकिन, इसमें बलात्कार पीड़ित के बारे में उल्लेख नहीं है कि उसे जांच के लिए तुरन्त भी जा रहा अथवा नहीं। इसका उल्लेख नहीं है। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य बलात्कार के मामलों को रोकने का है। इस देश में, उदाहरण के लिए, हर घंटे दो बलात्कार होते हैं। हर पांच में से एक पीड़ित 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची होती है। 20 में से 19 बलात्कार के आरोपी छूट जाते हैं। वर्ष 2002 में 132 पुलिस वालों पर हिरासत में बलात्कार के मामलों की सुनवाई हुई जिसमें से मात्र चार को सजा हुई। सजा सख्त होनी चाहिए। बलात्कारी को मुत्युदंड अवश्य दी जानी चाहिए, इसे कम नहीं किया जा सकता।

मैं धारा, 292 और 293 का भी उल्लेख करना चाहूंगा। नकली सिक्के या विस्फोटक से जुड़े मामलों में विलम्ब से बचने के लिए यह बहुत अच्छा संशोधन है। विशेषज्ञों की राय लेने में वर्षों लग जाते हैं। इससे अभियुक्त को भी अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए यह स्वागत योग्य बात है।

धारा 436 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया जा रहा है। अब, इसे 436(क) के रूप में संशोधित किया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के मुकदमे के बारे में सोचिए जो जेल में बंद है और जिसने कानून के उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट सजा अवधि का आधा समय पूरा कर लिया है। उसे जमानत या बिना जमानत के छोड़ दिया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छा संशोधन है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2.17659 लाख विचाराधीन कैदी है। जो 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार जेलों में थे। इनमें से अधिकांश लोग छोटी-मोटी मुकदमों में बंद है। सभापति महोदय, आप सैय्यद नजर मदनी के मुकदमें के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उसे 1998 में गिरफ्तार किया गया। वह कोयम्बटूर जेल में है। उसे जमानत नहीं दी गई है। मैंने जेल अधिकारियों से संपर्क किया। मैंने श्री सेतिवन, सहायक जेल अधीक्षक से पूछा, आप कृपया बताएं कि आपके केन्द्रीय जेल में श्री मदनी को कब लाया गया। उसने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि "मुझे ज्ञात नहीं है।" इस प्रकार की स्थिति है। मैं मदनी के मुकदमें का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके मुकदमें की सुनवाई आज की तारीख तक पूरी नहीं हो सकी है। इसलिए यह बहुत ही अच्छा संशोधन है और इससे विचाराधीन कैदियों को मदद मिलेगी। दूसरा संशोधन अग्रिम जमानत से संबंधित है।

सभापति महोदय: आप जानते है कि दो तरह की नजरबंदियां होती है। एक नजरबंदी में सुनवाई नहीं होती और दूसरे प्रकार की नजरबंदी बिना गिरफ्तारी की होती है। लोगों को थानों में नजरबंद किया जाता हैं और उनकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं की जाती है। यह बिना गिरफ्तारी की नजरबंदी के मामले में होता है। दूसरी नजरबंदी में सुनवाई नहीं होती है।

श्री एस.के. खारवेनथन: मैं बिना सुनवाई की नजरबंदी की बात कर रहा हूं

सभापति महोदय: आप जानते है कि हमें वास्तविक अनुभव है।

श्री एस.के. खारवेनथन: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: आप जानते हैं कि हिरासत में लेते समय ये लोग गिरफ्तारी को दर्ज नहीं करेंगे।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): लेकिन, महोदय, जहां तक नजरबंदी संबंधी गिरफ्तारी का संबंध है मेरी चिंता है कि खतरनाक आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड डॉन की गिरफ्तारी कैसे होगी यदि उन्हें आधी रात्रि के दौरान गिरफ्तार न किया जाए। मैं इस पर असहमत हूं। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमें राजनीतिक नेताओं के अधिकारों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। उनके संरक्षण के लिए हमें अवश्य कुछ कदम उठाने चाहिए लेकिन इसके साथ ही हम इसे आम बात नहीं बना सकते। अन्यथा, हमारी सेनाएं अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

सभापति महोदय: चूंकि आप एक महिला हैं, मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री एस.के. खारवेनथन: एक अपराधिक मुकदमें के वकील होने के कारण मैं अग्रिम जमानत से संबंधित धारा 438 के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि ''अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।'' कई शर्तें लगाई गई हैं। कल्पना कीजिए कि अभियुक्त एक सरकारी सेवक है। आजकल झूठे मुकदमें दायर करना बहुत आसान है। महोदय, आप भी जानते हैं कि धारा 506(क) या 326 भा.दं.सं. के अंतर्गत एक झूठा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वह जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। उसे नए प्रावधान 438 के अनुसार जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और यदि जमानत खारिज कर दिया जाता है। तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि उसे 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है तो उसकी नौकरी चली चाएगी। उसे निलंबित कर दिया जाएगा और वह फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। अभियुक्त को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसलिए, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पूरे देश की अपराधिक न्याय प्रणाली प्रभावित होगी।

इसके अतिरिक्त, बहुत से मामले मैजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। सभी मैजिस्ट्रेट न्यायालयों के पास भवन और लिपिक नहीं है। तमिलनाडु के एक मैजिस्ट्रेट ने टंकण मशीन नहीं होने के कारण विरोध जताया था। उनके पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं। अभियोजन निदेशालय में संशोधन करने का प्रावधान है। यह बहुत ही अच्छी बात है। अभियोजकों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

मेरा दूसरा विनम्र निवेदन है कि अधिकांश पुलिस अधिकारी प्राथमिकी में दर्ज बयानों के विपरीत बयान दर्ज कर रहे हैं। यदि बयान विरोधी है तो स्वतः आरोपी को लाभ मिलता है। इसलिए, सभी राज्य सरकारों से यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि वे एक जूनियर अधिवक्ता नियुक्त करें जिनके पास पुलिस थानों में आरोप दर्ज करने के कम से कम पांच या दस वर्ष का पुलिस अभियोजक रहने का अनुभव हो। इससे न केवल युवा वकीलों को नौकरी पाने का अवसर मिलेगा बल्कि इसे अपराधिक न्याय प्रदाता प्रणाली में भी सुधार होगी। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और अवसर देने के लिए आप को धन्यवाद देता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने दल की ओर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली में बदलाव लाने के लिए संप्रग सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विधेयकों और कदमों की कड़ी में से यह एक है।

जहां तक इस दंड प्रक्रिया संबंधित विधेयक का संबंध है, यह न्याय-शास्त्र के सच्चे सिद्धांतों के आवरण में लिपटा हुआ है। संशोधन विधेयक के उद्देश्य अच्छे हैं और यह भारत के समसामयिक समाज की जरूरतों के अनुरूप है। जैसा कि आपने अपने हस्तक्षेप के दौरान कहा है। इस समय वाद न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहुत से मामले लम्बित हैं। मेरे विद्वान सहयोगी श्री खारवेनथन ने अभी-अभी उद्धृत किया है कि 2,17,673 मुकदमें सुनवाई के दौरान है और मुकदमें कई वर्षों से लम्बित है। कई निर्दोष कैदी जिन पर मुकदमा चल रहा है अपराधिक मामलों में बिना निर्णय सुनाए जेलों में पड़े है। यदि उन लोगों की सामाजिक संरचना को आप देखें जो जेलों में यातना भोग रहे है तो आप नोट करेंगे कि वे सभी व्यक्ति दमित, दलित समुदाय, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं जिन्हें लम्बे समय से सामान्य न्याय से भी वंचित रखा जा रहा है। इसलिए आज सिर्फ इस बात की जरूरत है कि न्याय देने वाली प्रणाली को इस प्रकार से पुनगर्ठित किया जाए कि यह सही समय पर सही व्यक्ति को न्याय देने में सक्षम हो।

अन्य विद्वान सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस प्रणाली ने, जो ब्रिटिश काल से धरोहर को पाले हुए है, अभी तक अपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े उन सामाजिक बुराईयों को त्याग नहीं किया है जिसे अंग्रेजों ने इस देश में चलाया था। यह दंड प्रक्रिया संहिता इस देश में 1973 में लाई गई थी। हमने 1994 में इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं कर सके। हमने 2003 में भी कोशिश की। कम से कम हम अभी इसे सभा के समक्ष

[प्रो. एम. रामदास]

ला रहे है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इस विधेयक के सबसे आकर्षक पहलू इस विधेयक के उद्देश्य हैं। इसमें जांच प्रक्रिया और जांच मशीनरी को दुरूस्त करने की कोशिश की गई है। इसका दूसरा उद्देश्य अभियोजन मशीनरी को मजबूत करना है। इसलिए आज के समाज में जहां न्याय मिलने में विलम्ब होता है। तथा न्याय नहीं मिल पाता यह विधेयक एक न्याय देने वाले तंत्र की विकास की कोशिश करता है जिससे इसमें तेजी आएगी, और इसलिए मैं अपने पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता अभियोजन निदेशालय का सृजन है।

यह अच्छा विचार है। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस निदेशालय के कार्यों के बारे में तथा इसमें सदस्यों की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसलिए माननीय गृह मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाए। अभियोजन-निदेशालय का सृजन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है लेकिन इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए इसे राज्य सरकारों ने ऊपर छोड़ दिया गया है। आपको ज्ञात है कि आजकल राज्य सरकारें कैसे कार्य कर रही हैं। वे अपनी मनमानी करती हैं। इसलिए, अभियोजन निदेशालय के कार्य, शक्तियां तथा इसके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा ही विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। ताकि विभिन्न राज्यों में अभियोजन की शक्तियों और कार्यों में विभिन्नता या बदलाव न आए। वहां केवल निष्पाप, सत्यनिष्ठा तथा उद्देश्य प्राप्त करने की भावना से प्रेरित लोगों का ही पद स्थापन होना चाहिए।

इस विधेयक की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, के संबंध में है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है गिरफ्तारी को अंजाम देने वाला अधिकारी अवश्य ही पुलिस निरीक्षक के रैंक से उपर का होना चाहिए और यह महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह विशिष्ट प्रावधान केवल महिलाओं के लिए क्यो किया गया है। ऐसी भी घटनाएं है जहां पुरूषों को भी उनके द्वारा किसी अपराध के संकेत के बिना ही गिरफ्तार किया जाता है। हम तमिलनाडु के डा. कलाइगनार की आधी रात्रि में गिरफ्तारी को अभी भी याद करते हैं और वह मामला अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इसलिए, यह समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अब हम ऐसी प्रणाली विकसित करने जा रहे है जहां कानून की समानता हो चाहे यह महिला से संबंधित हो या पुरूष से संबंधित हो। हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करें। जिसमें किसी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार न किया जाए। मैं महसूस करता हूं कि कानून की नजरों में समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इस विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान बलात्कार के मामलों की जांच से संबंधित है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधेयक में भी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश की गई है जिसमें गवाह विरोधी पक्ष में आते है। अपराध के राजी नामे के प्रावधान जो यहां हुआ है, को बड़ी सावधानी से लिया जाएगा क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपराध करने और फिर अपने आपको संकट में डालने के लिए प्रेरित करता है।

दूसरा महत्वपूर्ण आकर्षक प्रावधान है उस व्यक्ति को जो गिरफ्तारी को अंजाम दे रहा है, इसकी सूचना किसी नामित व्यक्ति को देने के लिए बाध्य करना। इस प्रावधान से लोगों के मानवाधिकार की रक्षा सुनिश्चित होंगे जिसमें गरीब और दलित लोगों के मामले में अक्सर अधिकारों का हनन होता है।

अब जुलूस में हथियार ले जाना या हथियार के साथ बड़ी संख्या में प्रशिक्षण की मनाही की शक्ति उन साम्प्रदायिक ताकतों को रोकेगा जो इस देश में बर्बादी लाना चाहते है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन कैदियों सजा की अधिकतम अवधि आधी कर दी गई है। लेकिन एक प्रावधान जमानत के साथ या बिना जमानत के बांड से संबंधित है। इस समय अधिकांश विचाराधीन कैदी गरीब हुआ करते हैं और वे नकद या जिन्स के रूप में जमानत देने में अक्षम होते है। इसलिए, 'साथ' शब्द को प्रावधान से निकाला जाना चाहिए इसलिए, इन सभी पहलुओं पर हमें गंभीरता से विचार करने और हमारे अनुमोदन की जरूरत है।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तथा संप्रग के सभापति को भी धन्यवाद देता हूं जो इस देश के आर्थिक, सामाजिक और संवैधानिक मामलों में मूलभूत सुधार लाना चाहते हैं। इन सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी पार्टी की ओर से, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई और वहां इसे पारित कर दिया गया ओर अब यह विधेयक इस सभा में चर्चा के लिए तथा अनुमोदन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

यह विधेयक 1994 में भी संसद में लायी गई थी। विगत 11 वर्षों में, जहां तक इस मुद्दे के संबंध है, हमारा देश चुपचाप बैठा

था। इसका मतलब है कि न्याय में देर हुई। न्यायिक शब्दावली में हम कहते हैं कि देर से न्याय न्याय नहीं के बराबर है। इसलिए यह स्पष्ट है कि 11 वर्षों में इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है। अब आपने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। इसलिए, सर्वप्रथम इस प्रकार के सकारात्मक संशोधन लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत पुलिस अभिरक्षा से लापता होना और पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार से संबंधित है। जहां तक पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत और पुलिस अभिरक्षा से लोगों के गायब हो जाने का संबंध है, विधेयक में कहा गया है कि इस प्रकार की घटना होने की स्थिति में एक न्यायिक जांच का आदेश दिया जाएगा। पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार आरोपों के मामलें में भी न्यायिक जांच होगी।

रात्रि के समय महिलाओं की गिरफ्तारी के विषय में कहा गया है कि रात्रि के समय गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में महिला को भी रात्रि के समय गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की गिरफ्तार अधिकारियों के पूर्व अनुमति से ही की जा सकती है। यदि अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो इस प्रकार की गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो इस असाधारण परिस्थिति की व्याख्या करने की जिम्मेदारी लेता हो जिसके तहत एक महिला की रात्रि के समय गिरफ्तारी की जाती है। यह एक खतरनाक खंड है। इसका कारण है कि हम जानते हैं कि हमारे पुलिस अधिकारी बहुत ही साधारण परिस्थिति को भी असाधारण स्थिति में बदलने में पर्याप्त रूप में सक्षम है। हमारे पास उन पुलिस अधिकारियों के बारे में अनुभव है जो 25 वर्ष पुराने मुकदमें में श्री सिबूसोरेन की गिरफ्तारी के लिए चंडीगढ़ से चले आये थे। लेकिन इस मुकदमें को असाधारण बना दिया गया। इस विधेयक से इस प्रकार के खंडों को हम अलग क्यों नहीं कर पाते है। कुछ पुलिस अधिकारी कारण होने पर या बिना कारण के भी इस खंड को महिलाओं के विरुद्ध उपयोग करने में सक्षम हैं। विशेषकर महिलाओं के संबंध में पुलिसवालों के हाथ सुदृढ़ करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

हमें आए दिन देश के सभी भागों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की रिपोर्ट मिलती रहती हैं। पिछले सप्ताह, इस सभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। समाचार पत्रों में लखनऊ के एक मामलें की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जहां पुलिसकर्मी द्वारा एक महिला से बलात्कार किया गया था। जब महिला के पति ने आपत्ति की तो उसे गोली मार दी गयी और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमें लगभग रोज ही ऐसी रिपोर्टें मिलती रहती हैं। अत: बदलती परिस्थितियों में हमें ऐसे अपराधों के संबंध में अपनी कार्यवाही का तरीका बदलना होगा और कानून बनाते समय इन सभी बातों पर विचार करना होगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, विशेषकर बलात्कार के मामलों में। पुलिस के पास बलात्कार के बहुत से मामलों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करायी जाती। यदि सरकार कानून में इसके लिए कुछ कठोर प्रावधान करती है तो अपराधियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अतएव, मैं माननीय मंत्रीजी और अन्य सदस्यों के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि बलात्कार के अपराधियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।

महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने तथा देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए इस विधेयक में काफी अच्छे सुझाव दिये गए हैं। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि कानून के इन प्रावधानों का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा। यही प्रमुख मुद्दा है। हमारे यहां पर्याप्त कानून है परन्तु इन कानूनों के कई प्रावधानों को कार्यान्वित ही नहीं किया जाता। राजनीतिक इच्छा इसका प्रमुख मुद्दा है। जब हमें ऐसी रिपोर्टें मिलें तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। अन्यथा यदि हम अच्छे कानून पास भी करते हैं तो भी इन कानूनों के प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

यहां एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य विधान सभाओं और संसद द्वारा अच्छे कानून पारित किये जाने के साथ-साथ मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ किये जाने की भी आवश्यकता है। विधि आयोग के 112वें प्रतिवेदन, जो कि हाल ही में प्रकाशित हुआ है, में यह बताया गया था कि न्यायपालिका में श्रमशक्ति की आयोजना की व्यापक जांच की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार के समक्ष यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु आज की तारीख तक विधि आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर मात्र 10.5 न्यायाधीश हैं। जबकि आस्ट्रेलिया, जहां जनसंख्या भारत से कहीं कम है प्रति दस लाख जनसंख्या पर 41.6 न्यायाधीश है। कनाडा में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 75.2 न्यायाधीश है और ब्रिटेन में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 50.9 न्यायाधीश हैं। भारत की तुलना में विश्व के लगभग सभी अन्य देशों की जनसंख्या काफी कम है। न्यायालयों के समक्ष हजारों मामले लम्बित पड़े हैं। हम इसके कई उदाहरण दे सकते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन मैं केरल का उदाहरण देना चाहूंगा। 30.9.2004 को केरल के जिला और उप जिला न्यायालयों में 2,54,204 तथा

[श्री पी. करुणाकरन]

अधीनस्थ न्यायालयों में 4,06,308 मामले लम्बित हैं। कुल मिलाकर 6,60,522 मामले है जो कि लम्बित पड़े है। आप लम्बित मामलों की भारी संख्या देख सकते हैं, और इसका एक खंड व्यापक रूप से मानव अधिकार से संबंधित है। मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि इसमें कुछ सुरक्षात्मक उपाय शामिल किये गए है।

मेरे मित्रों में से किसी ने 'मधानी' के मामले के बारे में उल्लेख किया है। यह बताया गया कि उसे सात वर्षों तक जेल में रखा गया। और मेरा दल उसकी नीतियों से सहमत नहीं है। यदि उसने गलतियां की हैं तो पुलिस को उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जांच करनी चाहिए और फिर उसे सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। परन्तु बिना जांच के ही मामला घिसट रहा है और इसका कारण पुलिस द्वारा न्यायालय में दी गयी गलत रिपोर्ट है। परिणामतः खराब स्वास्थ्य होने पर भी वह जेल से बाहर नहीं आ सका। सास की मृत्यु पर भी उसे जमानत नहीं मिली आप देख सकते हैं कि केरल में कानून और व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें यह देखना चाहिए कि कानून बनाने के बाद, सरकार की तरफ से विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें गलतियों पर निगरानी रखनी होगी क्या उनका सुधार करना होगा। हमें न्यायपालिका तथा विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अन्य मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के महान युग की देन है। वर्ष 1973 में फिर से नया कानून बनाने के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता पर आज भी उपनिवेशवाद की छाया दिखाई पड़ती है। बहुत से माननीय सदस्यों ने हमारे आपराधिक विधिशास्त्र की बहुत सी कमियों की ओर इंगित किया है। अनुभव के आधार पर इन विसंगतियों को दूर करने का सरकार का यह एक विनम्र प्रयास है। हम देखते हैं कि हम इस महाधिकार पत्र की अवधि के पूर्व काल की बात करे जबकि कैदियों की जमानत का अधिकार घोषित किया गया था। हम जानते हैं कि जमानत एक नियम या व्यवस्था है और जेल में डालना एक अपवाद की बात परन्तु आजकल न्यायालय जमानत देने में आनाकानी करती है या कैदी जमानत नहीं ले पाते है और जमानत मिलने की उम्मीद में बहुत से लोग जेल में पड़े हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अब्दुल नजर मधानी के बारे में बताया जो कि पिछले सात वर्षों से भी अधिक समय से कोयम्बटर जेल में बंद है। उसका जांच चल रही है और मुकदमा अभी समाप्त नहीं हुआ है मैं समझता हूं कि नए संशोधन की भावना के मद्देनजर और विधेयक पारित होने पर अब्दुल नजर मधानी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि दंड की संभावित अवधि के समकक्ष अवधि वह जेल में बिता चुका है। बिना जमानत के वह सात वर्षों तक जेल में रह चुका है।

हमारे देश में अधिकांश गिरफ्तारियां अनुचित होती हैं और यह गिरफ्तारियां पीड़ा देने वाली तथा अपमानजनक होती है, मुकदमें को लम्बा खींचा जाता है व यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन गयी है। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा लाये गए संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि निकट भविष्य में दंड प्रक्रिया संहिता में और संशोधन व परिवर्तन किये जा सकते है क्योंकि प्रौद्योगिकी में हुए विकास को भी ध्यान में रखा जाना है। हम शीघ्र मुकदमों के निपटान और न्याय प्रशासन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते है। इन सब बातों के लिए व्यापक जांच पड़ताल की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आपराधिक प्रशासन के मुख्य मूल सिद्धांतों, जैसे 'प्ली बारगेनिंग' जो कि अमरीका में प्रचलित है, को स्वीकृति दिये जाने के बाद देश में लम्बित मामलों में कमी आयेगी। यदि 'प्ली बारगेनिंग' को स्वीकृत दी गयी तो बहुत से मामले न्यायालय की फाइलों से बाहर आ जायेंगे। लोग कम दंड दिये जाने के आश्वासन पर दोषी की वकालत कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में आपराधिक न्यायालयों में कठघरे भरे पड़े हैं। इस पीड़ादायक प्रक्रिया का कोई अंत नहीं दिखता। बहुत से अमूल्य अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। इस संबंध में मुझे बसु मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दस नियम याद आते हैं। यहां तक कि पुलिस बल द्वारा इन अनिवार्य नियमों की अवहेलना की जाती हैं। मैं इन नियमों को सांविधिक मान्यता देने का स्वागत करता हूं। मैं इस संशोधन का इस आशा से स्वागत करता हूं कि यह तो केवल शुरूआत मात्र है और दंड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण और समग्र परिवर्तन आने वाला है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दें।

गृहमंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन किया है *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैंने भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपना नाम दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव बोलना चाहते हैं। मंत्री महोदय, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: यदि आप सहमत हों तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इससे सहमत हूं।

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव, एक विशिष्ट मामले के रूप में मैं आपको बोलने की अनुमति देता है। आप दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, समय बहुत कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ दो-तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

आज जो संशोधन विधेयक आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक बात यह है कि हमारी परम्परागत पहचान लाठी और छड़ी को प्रतिबंधित करने का काम किया गया है। अगर हम लाठी या छड़ी को अपने साथ रखते हैं तो उस पर केस दायर हो सकता है। इसमें आप छह महीने की सजा भी बहाल कर रहे हैं, यह बिलकुल उचित नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी के लिए और खास तौर से हमारी पार्टी के लिए यह सिम्बोलिक चीज है। किसान भी जब खेत खलिहान में जाते हैं तो अपनी सुरक्षा हेतु उसे अपने साथ रखते हैं। यहां तक कि बोझा उठाने के लिए भी इन चीजों को सहारा बानते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं डंडा और झंडा इसके बिना कहीं नहीं जाते हैं। हम हर जगह अपने सहारे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। सांप और बिच्छू को मारने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्हें काम में लाते हैं। हमारे एक माननीय सदस्य साधु बाबा यहां छड़ी का सहारा ले कर आते हैं। उसे भी आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। कई अन्य सदस्य भी छड़ी का सहारा ले कर आते हैं जो बिना सहारे के चलने में असमर्थ हैं। उस लाठी को आप कानून के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी आप इस पर पुनर्विचार करें। ये चीजें हमारे परम्परागत गहनें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वस्त्र को हमसे अलग न करें। जब कांवड़िए देवघर जाते हैं तो वहां भी इसी का सहारा ले कर चलते हैं।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें और इसे कानून के दायरे से बाहर रखने की कृपा करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को गृह मंत्री, श्री शिवराज वि. पाटील ने सदन में प्रस्तुत किया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दंड प्रक्रिया संहिता को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अन्याय करने वालों की कमी नहीं है। हमारे देश में जाति और धर्म के आधार पर संघर्ष किया जाता है और एक दूसरे को खत्म किया जाता है। इसलिए देश में कम्युनल हारमनी को मजबूत करने तथा कम्युनलिज्म फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर बैन लगाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारा जो एक्सपीरिएंस है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जब से भारत को आजादी मिली है तब से साम्प्रदायिकता के नाम पर हमारे देश में झगड़े होते रहे हैं। महात्मा गांधी का मर्डर करने का प्रयत्न किया गया। ऐसे लोग और ऐसी ताकतें देश को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने देश में सैकुलरिज्म को मजबूत करने और ऐसी ताकतों का सामना करने के लिए, उन्हें कानून के दायरे में लाना आवश्यक है और कानून के दायरे में लाकर ऐसे लोगों को सजा देने का काम होना चाहिए ताकि वे भारत के संविधान के खिलाफ न जा सकें। इस प्रकार की जो ताकतें हैं, वे देश के विरुद्ध काम न करे सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस कानून को और मजबूत किया जाए। जो लोग जाति और धर्म के आधार पर देश में झगड़ा कराने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस कानून का उन लोगों को सजा देने में उपयोग किया जा सकेगा।

महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से इस संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारा देश मजबूत बने। जो ताकतें भारत के संविधान के विरुद्ध काम करती हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए। उन्हें खत्म करने के लिए उन्हें जेल के अंदर डालने की आवश्यकता है। हमारे देश से कम्युनलिज्म खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए देश के कानूनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: यदि ऐसे लोगों को खत्म करना है और देश को उन्नत करना है, तो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे देश-विरोधी लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने वाला जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं, मैं और मेरी पूरी पार्टी उसका समर्थन करती है।

[श्री रामदास आठवले]

...*(व्यवधान)* महोदय, यू.पी.ए. सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्रीमती तेजस्विनी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): महोदय, मैं अभियोजन के निदेशक के संबंध में पृष्ठ संख्या 2, खंड (25) (क) के बारे में दो आपत्तियां उठाना चाहती हूं। इस संशोधन में सुझाव दिया गया है कि इसके लिए 10 वर्ष से वकालत कर रहे किसी वकील की नियुक्ति की जा सकती है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं समझती हूं वकालत कर रहे वकील के स्थान पर...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेशः महोदय, मैं सरकार से अपील करूंगी कि वकालत कर रहे वकील के स्थान पर सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) की नियुक्ति की जाए। अन्यथा, जैसा कि आज हर क्षेत्र में राजनीतिकरण बढ़ रहा है या अवसरों का दुरूपयोग किया जा रहा है। जहां तक अभियोजन के निदेशन की नियुक्ति का संबंध है, मुझे 10 वर्ष की वकालत के अनुभव वाले साधारण वकील की नियुक्ति पर आपत्ति है। यह गलत है। मैं अपील करती हूं कि इन चीजों की जांच के लिए सेशन जज की नियुक्ति आवश्यक होनी चाहिये।

जहां तक बलात्कार के मामलों का संबंध है, यहां दिया गया है कि कोई भी पंजीकृत जांच कर सकता है। यहां मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए सरकारी डाक्टर का होना उचित है क्योंकि आजकल बलात्कार के मामले काफी संवेदनशील हैं। साधारण डाक्टर कतिपय विशिष्ट विवरण नहीं दे पायेगा। जहां तक डी.एन.ए. सुविधा का संबंध है, यह बहुत संवेदनशील मामला है। अतः मैं अपील करना चाहूंगी कि इन बातों की चांज करने के लिए सरकारी डाक्टर का होना अति आवश्यक है।

श्री टी. के. हमजा (मंजेरी): महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान की इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि वह इस विधेयक को इस मुकाम तक ले आये है। दस वर्ष बीत चले हैं। इस दिशा में पहली बार 1994 में प्रयास शुरू दिये गये थे। यहां तक कि वर्ष 1996 में स्थायी समिति ने यह टिप्पणी की थी कि हमने स्पष्ट रूप से आठ वर्षों तक इस मामले को लटकाये रखा। इसलिए हमारी अक्सर वाजिब शिकायत यह रहती है कि न्यायालय में न्याय दिलाने में विलम्ब होता है और लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विधायन से जुड़े मामलों में कितना अधिक विलम्ब होता है। बहरहाल, अब इस मामले को संसद के समक्ष लाया गया है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मैं इस विधेयक के दो-तीन खंडों के बारे में ही कुछेक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात खंड 6 की धारा 46 से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार न किया जाये। हम यह सुविधा पुरूषों को क्यों नहीं देते। निश्चय ही, इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है कि सत्ता का दुरूपयोग न हो पाये मैं इस बात को समझ सकता हूं। यहां पर मुख्य बात यह है कि महिलाओं की गिरफ्तारी और जमानत इनके सम्मान से जुड़ी है। तो मैं कहता हूं कि पुरूषों का भी अपना मान-सम्मान होता है। इसलिए मेरा कहना है कि किसी भी व्यक्ति को रात्रि में गिरफ्तार न किया जाये। आधी रात में एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी बातों को रोका जाना चाहिए। इसलिए इस धारा में संशोधन करते हुए यह लिखा जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार न किया जाये।

इसी तरह खंड 19 की धारा 202 (1) है। इसमें कहा गया है कि किसी निजी शिकायत के आधार पर स्वयं मजिस्ट्रेट अपनी इस संतुष्टि के लिए जांच कर सकता है कि उस शिकायत को संज्ञान में लिया जाये अथवा नहीं। मामले को पुलिस को भी सौंप सकता है। यहां पर यह सुझाव है कि यदि कथित आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो यह अच्छी बात है कि वह अपनी संतुष्टि के लिए अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। मैं इस संशोधन से सहमत हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा अगला विनम्र निवेदन खंड 36 की धारा 436क से संबंधित है जो जमानत के बारे में है। इस मामले में माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार कर सकते है। विचाराधीन कैदी को न्याय दिलाने पर अधिकतम जोर दिया जाना चाहिए। उसकी न्यायिक हिरासत कानून में उल्लखित दंड की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह ठीक बात है। हमें लोगों के हितों की, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है, मुआवजे का सुझाव दिया जाता है। तो इसके लिए न्यायिक जांच की मांग की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो जाये, तो फिर उसका क्या होगा? उसको न्याय कैसे मिलेगा?

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अब्दुल नजर मदनी मुकदमा चलाये बिना आठ वर्षों से जेल में हैं। अब मुकदमा चल रहा है लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। मान लीजिये, अंतत: देश के उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों को यह पता चलता है कि वह निर्दोष है और वह आठ वर्षों से न्यायिक हिरासत में है तो इसका हर्जाना कौन देगा। इसलिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इन्हें न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि विधानमंडल का यही आशय है, तो यह संसद जो कि देश की सर्वोच्च प्राधिकारी है, संवैधानिक निकायों में सर्वोच्च निकाय है, तो फिर हमें इस बारे में सोचना होगा। एक आदमी जेल में हिरासत में है और आठ वर्षों से उसका मुकदमा लम्बित है। अभी तक उसे जमानत नहीं दी गयी है तो मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं यह किस उद्देश्य से किया जा रहा है। यदि वह व्यक्ति हिरासत में, जेल में मर जाता है, तो फिर उसकी भरपायी सरकार कैसे करेंगी? यदि न्यायिक हिरासत में उसकी मृत्यु हो जाती है जो उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी? इसलिए इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय इसके साथ ही कुछ पहलुओं में आपराधिक दंड प्रक्रिया में भी संशेधन किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के संकट से बचा जा सके।

अंत में, माननीय मंत्री जी को एक बार फिर मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस विधेयक को सभा में पेश किया है। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: समय समाप्त हो गया है। फिर भी यदि आप एक-दो शब्द बोलना चाहें तो मैं इसकी अनुमति देता हूं क्योंकि आप विपक्ष से हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं विधेयक में संशोधन का पक्षधर हूं। माननीय मंत्री द्वारा जो भी संशोधन प्रस्तावित है मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसमें दो संशोधन किये जाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: इसका तात्पर्य है कि आप इसे और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: आप अभी महिलाओं का उल्लेख कर रहे थे। महिलाओं के स्थान पर इसमें कोई भी व्यक्ति लिखा जाये। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति के सम्मान की बात कही गयी है। आमतौर पर आधी रात में किसी पुरूष की गिरफ्तारी भी ठीक नहीं है। आखिर इतनी जल्दी किसलिए? यदि कोई असाधारण परिस्थितियां हैं, तो पुलिस जाकर किसी पुरूष को गिरफ्तार कर सकती है। तो यहां पर महिला के बजाय व्यक्ति शब्द लिखा जाना चाहिए, फिर चाहें जो कोई हो, और उसकी गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत गुजारे की है। पूर्व में, हम पत्नी और बच्चों के लिए बहुत कम गुजारा भत्ता देते थे। अब हमें मजिस्ट्रेट को 5000 रुपये तक गुजारा भत्ता दिलाने का अधिकार देना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है तो वह पत्नी और बच्चों के लिए 5000 रुपये तक गुजारा भत्ता मंजूर कर सकता है। मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी को दो सुझाव दे रहा हूं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। महोदय, पहली बात जो आपके द्वारा कही गई है वह अभियोजन निदेशालय के बारे में है। मेरी समझ से आपने अपने भाषण में कहा है कि अभियोजन निदेशालय महान्यायावादी अथवा महाधिवक्ता के अधीन होगा। अभी इस कानून के बारे में स्थिति यह है कि निदेशक की नियुक्ति राज्य के गृहमंत्री द्वारा की

जाती है और इस तरह निदेशक गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन होता है न कि महाधिवक्ता के। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है।

आपने अपने भाषण में जो दूसरी बात कही है वह निदेशक के कर्तव्यों से संबंधित है। कानून में इसका प्रावधान है और सरकार द्वारा भी इसका उल्लेख किया जायेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस बारे में नियम बनाये जायेंगे और नियमों के अनुसार निदेशक कार्य करेगा। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस बारे में एक बात और कही गयी है और वह है अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या होगी। इस बात को एक महिला सदस्य ने उठाया था।

सभापति महोदय: इसमें यह प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति दस वर्ष से वकालत कर रहा हो।

श्री शिवराज वि. पाटील: हां, महोदय, 10 वर्ष की वकालत होनी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि इस पद पर जज की नियुक्ति की जानी चाहिए न कि किसी पेशेवर वकील की। यदि जज या जिला जज की नियुक्ति भी होती है, तो भी यह तो देखा ही जायेगा कि उसकी प्रैक्टिस कितने वर्षों की रही है। कोई भी व्यक्ति, सात वर्ष की वकालत के बाद ही जज नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए, निदेशक पद पर कार्य करने के लिए भी इतने वर्षों की ही वकालत की अनिवार्यता रखी जा रही है और इसमें भी हमें कोई परेशानी है।

इस सभा में कई सदस्यों द्वारा एक बात जो और कही गयी है वह किसी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तारी न करने के बारे में है। सदस्यों ने इस प्रावधान का स्वागत किया है। कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि पुरूषों के बारे में भी यही प्रावधान होना चाहिए। हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो न केवल माननीय दृष्टिकोण रखता हो अपितु प्रभावी भी हो। यदि आप किसी कानून को इतना अधिक माननीय दृष्टिकोण वाला बना देते हैं कि वह प्रभावी ही न रहे तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं रहता। हमें यह प्रावधान रखना पड़ा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व महिला की गिरफ्तार न की जाये।

इसी कारण से विधि आयोग, न्यायविदो और कई संगठनों ने इस संबंध में सुझाव दिए है ताकि महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जा सके। क्या यह पुरूष को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई डाकू अपने घर में रात को छिप रहा है फिर क्या होगा? क्या उसे रात को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो पुलिस के लिए उसे गिरफ्तार करना अत्यन्त कठिन हो जाएगा।

अपराह्न 4.25 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* हुए]

यह कानून उन लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपराध किए है। अत: पुलिस की प्रभावशीलता को इस हद तक कम नहीं कर दिया जाना चाहिए कि वे असली अपराधियों को गिरफ्तार ही कर पायें। इसलिए कम से कम इस समय इस प्रभाव को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन हो रहा है। बाद में यदि आप न्यायविदों, न्यायाधीशों, आयोगों और हम में से कुछ सदस्यों को प्रभावित कर सकेंगे तो हम इसकी जांच कर सकते है लेकिन इस समय इस सुझाव को मानना मेरे लिए संभव नहीं है।

चिकित्सा व्यवधान करने वालों के संबंध में भी यहां आदर सहित मुद्दा उठाया गया है। विधि में प्रावधान है कि पीड़ित और बलात्कार की शिकार महिला को जांच चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। मूल विधि में प्रावधान था कि उसकी जांच सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा कराई जानी चाहिए। सभी स्थानों पर इस कार्य को कराने के लिए सरकारी अस्पताल का चिकित्सक मिल पाने में कठिनाई थी। इसीलिए वर्तमान विधि में प्रावधान है कि पहली प्राथमिकता सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से पीड़िता की जांच कराने को दी जाए केवल उस समय जब सरकारी चिकित्सक 16 कि.मी. की परिधि में उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी जांच के लिए निजी डाक्टर से संपर्क किया जाए। और यह निजी चिकित्सक भी पंजीकृत चिकित्सक होना चाहिए पीड़िता की इस पंजीकृत निजी चिकित्सक से जांच तभी कराई जा सकती है बशर्ते यह जांच कराने के लिए राजी हो अन्यथा यह जांच नहीं कराई जा सकती। अत: यह प्रावधान किया गया है ताकि साक्ष्य को सुरक्षित रखा जा सके जो कि ऐसे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

इस विधि में दिए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में मर जाता है अथवा पुलिस हिरासत में महिला का बलात्कार होता है अथवा पुलिस हिरासत में से कोई गायब होता है तो पुछताछ अथवा जांच न केवल पुलिस द्वारा की जानी चाहिए बल्कि ऐसी ऐजेन्सी द्वारा की जानी चाहिए जो पुलिस के निर्यत्रण में न होकर स्वतंत्र हो।

मूल विधि में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में पुलिस मामले की जांच करेगी अथवा ऐसे मामले की जांच पड़ताल करेंगी और कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचेगी और प्राधिकारी को बताएगी कि क्या हुआ था। अब हम एहतियात बरत रहे हैं। वह यह है कि न केवल पुलिस अधिकारियों को ही जांच करने की अनुमति दी जाएगी, बल्कि यह जांच उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में यह घटना घटित हुई है अर्थात पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है अथवा पुलिस हिरासत में महिला का बलात्कार किया गया है अथवा पुलिस हिरासत से व्यक्ति गायब हुआ है।

अत: यह अत्यन्त उपयोगी प्रावधान है और मैं समझता हूं कि हमें इस प्रावधान का स्वागत करना चाहिए। महोदय, जेल में रह रहे व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान भी अत्यन्त उपयोगी प्रावधान है। मैंने समाचारपत्र में पढ़ा है कि जांच करने के बारे में सरकार के निष्पादन के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की जाती है। इस प्रकार के मामलों की संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां किसी व्यक्ति को लम्बे समय के लिए सलाखों के पीछे रखा गया हो और उसे जमानत पर रिहा न किया गया हो अथवा न्यायाधीश द्वारा जांच का लाभ न मिला हो। महोदय, ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि जमानत अपराधों के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत हो जाएगी यह नियम है। जमानत अपराधों में पुलिस के पास कोई स्वनिर्णय की शक्ति नहीं होती है यदि आरोपी जमानत के लिए अर्जी देता है तो उसे जमानत दी जाएगी।

पुलिस जमानत के लिए मना नहीं कर सकती। गैर-जमानती अपराधों में पुलिस द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है केवल न्यायाधीश जमानत दे सकता है। लेकिन गैर-जमानतीय अपराधों में भी हत्या के मामले में अथवा बलात्कार के मामले में अथवा डकैती के ऐसे मामले में भी जिसकी जांच चल रही है। जमानत नहीं दी जाती है। अन्यथा सभी अन्य मामलों में जमानत देने का नियम है। उच्चतम न्यायालय ने एक नहीं कई बार निर्णय दिया है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने इस पर अत्यन्त विस्तृत निर्णय दिया था। अत: साधारणतया जमानत दी जाती है।

लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहां किसी व्यक्ति को जो किसी अपराध में शामिल है के संबंध में जांच करना उसे लाना तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना। जांच चलते रहने देना और उस व्यक्ति को जो कि मामले में शामिल है, को दोषमुक्त या दोषी सिद्ध करना एक कठिन कार्य होता है। ऐसे मामलों में भी अब प्रावधान किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल सजा की अवधि को आधी से अधिक अवधि जेल में रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को और अधिक अवधि के लिए जेल में रहने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए और उसे जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह उपयोगी प्रावधानों में से एक है।

दूसरा प्रावधान जो इसका स्वाभाविक परिणाम है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सजा की अवधि के बराबर की अवधि जेल में रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को समाप्त लिया जा सकता है। वह मामला समाप्त कर लिया जाएगा और उस पर आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह भी एक उपयोगी प्रावधान है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित संसद के समक्ष रखे जाने वाले अन्य संशोधनों में से एक संशोधन यह है कि यदि किसी मामले में केवल जुर्माना लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सभी कदम अपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मानवतावादी बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को स्वीकार्य बनाने हेतु हैं।

महोदय, इस संशोधन विधेयक में प्रस्तावित अग्रिम जमानत के उपबंधों के बारे में कुछ तर्क दिए गए हैं। मूल दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं था जिसके अधीन अग्रिम जमानत दी जा सके। आपराधिक न्यायालय अग्रिम जमानत देने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। किस प्रकार के अपराधों के लिए अग्रिम जमानत सामान्यतया दी जाती है? यदि किसी व्यक्ति पर राजनीतिक कारणों के लिए मुकदमा चलाया जाता है अथवा किसी ऐसे साक्ष्य के आधार पर अथवा अन्य कारणों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जो उसे सजा देने के लिए विश्वासोत्पादक नहीं होता तो न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और पुलिस द्वारा उसे सलाखों के पीछे भी नहीं रखा जा सकता है तथा उन्हें उसे अग्रिम जमानत दे दी जाती है। यह विधेयक अब इस सिद्धान्त को स्वीकार कर रहा है और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा जा रहा है।

यह सुझाव दिया गया है कि किस आधार पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सुझाव दिया

[श्री शिवराज वि. पाटील]

गया है कि असली अपराधी अग्रिम जमानत न ले पाए और बच कर न निकल जाए। यह कानून इस स्थिति से बचने के लिए है। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि अग्रिम जमानत दिये जाने वाले अंतिम दिन जब न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा मामले पर निर्णय दिया जा रहा हो तो आवेदन देने वाले व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। इस सदन में अथवा दूसरे सदन में अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह इस प्रावधान से यह अधिक कठोर नहीं बन रहा है बल्कि यह इसे अधिक न्यायसंगत बना रहा है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कानून के अनुसार, अग्रिम जमानत दी जाए तो जमानत देनी होगी तथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जमानत नहीं दी जाए क्योंकि वह गम्भीर अपराध में अन्तर्ग्रस्त है तो यह पुलिस का कर्त्तव्य बनता है कि वह देखे कि उसे गिरफ्तार किया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए।

यहां दो प्रकार के हित हैं पहला हित उस व्यक्ति से संबंधित है जो इसमें शामिल है और दूसरा हित यह है कि वास्तव में न्याय किया जाए और अपराधी को दण्ड मिले। अत: इसमें सन्तुलन रखने की आवश्यकता है और इसीलिए बहुत ही संतुलित तरीके से यह प्रावधान इस विधि में शामिल किया गया है।

यहां के एक माननीय सदस्य ने लाठी का एक शस्त्र के रूप का जिक्र किया था। मैं सभा को बताना चाहता हूं और अपने मित्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विधेयक में लाठी के संबंध में किए गए उपबंध को शायद गलत तरीके से पढ़ा गया है। यदि आप पूरे विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। लाठी या डंडा रखना वास्तविक अर्थों में कोई अपराध नहीं है। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति लेकर जा रहा है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि कोई किसान अपने खेतों में लाठी लेकर जा रहा है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जुलूस में भी यदि कुछ लोग डंडा लेकर जा रहे हैं और उसमें झंडा लगा हुआ है तो भी लाठी होने पर भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि वे लाठी लेकर चल रहे हैं।

सभापति महोदय: लेकिन हमेशा यही होता है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): आर एस एस के लोगों के बारे में क्या है जो रोज शाखा चलाते हैं और लाठी लेकर चलते हैं?

सभापति महोदय: उनके पूरा करने के पश्चात आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे बात पूरी करने दीजिए। यदि मैं उन्हें संतुष्ट करने में असमर्थ रहा तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं। बीच में यदि वे मुद्दे रोकने हैं तो मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा।

मैं कह रहा था कि एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चलता है तो उसे अपराधी नहीं समझा जाएगा। एक आदमी खेतों में लाठी लेकर जाता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एक आदमी यदि जुलूस में लाठी लेकर जाता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन कलक्टर जिले के अधिकारी, को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी रहे। उस अधिकारी को यह घोषणा करने का अधिकार है कि जुलूस में लाठी लेकर नहीं चला जाएगा, पैदल चलने वाले लाठी लेकर नहीं चल पाएंगे। यदि इस प्रकार का आदेश उस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तो लाठी लेकर चलने वाला व्यक्ति दण्ड न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्राधिकार में दोषी पाया जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यदि लोग कंधे पर लाठी रखकर चलते हैं और दूसरों को धमकाने का प्रयास करते हैं तो कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाए। जिलाधीश स्वनिर्णय करते हुए यह कह सकता है कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे छह महीने का कारावास दिया जाएगा।

मैं समझता हूं कि मैं उन माननीय सदस्यों को समझने में सफल हुआ हूं जिन्हें इन बातों पर सन्देह था। अत: मेरा उससे अनुरोध है कि आप बिहार और अन्य स्थानों पर अपने मित्रों को बताए कि वास्तविक अर्थों में यह लाठी के खिलाफ नहीं है और यह अपराध भी नहीं है। ग्वाले का लाठी लेकर चलना अथवा किसी किसान का लाठी लेकर चलना अथवा बूढ़े आदमी का लाठी लेकर चलना अथवा किसी बीमार आदमी का हाथ में लाठी लेकर चलने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। समस्या तभी होगी जब जिलाधीश आदेश जारी करता है और मुझे जुलूस, पदयात्रा और अन्य जगहों पर लाठी लेकर नहीं जाना चाहिए। यह तभी अपराध बनता है अन्यथा यह अपराध नहीं है। अत: आप इस विषय पर कोई संदेह मत रखिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले उन्हें समाप्त करने दीजिए उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस संशोधन के माध्यम से हम दो उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो हम अपने कानून को और अधिक दयामय बनाना चाहते हैं तथा दूसरा हम अपने कानून को और अधिक प्रभावशाली भी बनाना चाहते हैं।

निर्दोष लोगों के प्रति यह मानवीय होना चाहिए और अपराधियों के प्रति प्रभावशाली होना चाहिए। यहां हमारे इन दो उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। कानून में प्रावधान किया गया है कि तकनीक का उपयोग अपराध की जांच करने के लिए किया जाएगा। पुराना सिद्धान्त यह था कि जब अपराध होता था तो मौखिक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता था अपराध के चश्मदीद गवाह की गवाही रिकार्ड की जाती थी और उसे न्यायालय में पेश किया जाता था। कभी कभी यह पाया जाता था कि गवाह मजबूर कर दिया जाता था अथवा वह इतना निडर नहीं होता था कि वह अपनी गवाही पर स्थिर रहे। यह सुझाव दिया गया है कि केवल मौखिक साक्ष्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भी निर्भर होना चाहिए। पारिस्थिजन्य साक्ष्य में भी तकनीकी साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है। इस विधि में प्रावधान किया गया है कि अपराध को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जा सकता है। यदि खून की एक बूंद के डीएनए परीक्षण को विश्वस्तरीय साक्ष्य माना जाता है तो चश्मदीद गवाह की बात से फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि डीएनए उसकी गवाही के मुताबिक नहीं है तो न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भिन्न होगा। अतः एक ओर हमने कानून को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास किया है तो दूसरी ओर हमने इसी कानून को वैज्ञानिक और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास भी किया है।

इस विधेयक के संशोधन प्रावधानों पर चर्चा करते हुए एक दो भ्रांतियां व्यक्त की गई थी। एक गुजारा भत्ता को लेकर है। मैं समझता हूं कि श्री येरननायडु ने इसे उठाया था। कल परसों राज्य सभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि गुजारा भत्ते में मूलतः बहुत कम राशि दी जाती थी। मैं समझता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी अथवा बच्चों को 200 रु. अथवा 500 रु. मंजूर किये जाते थे बाद में यह सोचा गया कि यह राशि बहुत कम है अतः इसे बढ़ाकर 5,000 रु. कर दिया गया। इसके पश्चात् भी यह महसूस किया गया कि 5000 रु. की राशि भी बहुत कम है। इसलिए अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता में महिला अथवा बच्चे को गुजारा भत्ते की कितनी राशि दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए सिविल कानून और आपराधिक कानून में प्रावधान है। सिविल कानून में कोई भी राशि क्षतिपूर्ति के लिए दी जा सकती है आपराधिक विधि में यह प्रावधान यह देखने के लिए किया गया था कि जरूरतमंद अर्थात पत्नी और बच्चों को शीघ्र न्याय दिया जा सके लेकिन बाद में उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी। उस सीमा को अधिक बढ़ाने के कई बार प्रयास किये गये थे। बाद में यह पाया गया था कि वह सीमा भी उपयुक्त सीमा नहीं है इसीलिए इस सीमा को हटा दिया गया। अपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र भी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। इसके लिए मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिए उस मुद्दे पर कोई गलतफहमी न हो। मैं समझता हूं दो भ्रांतियां थी जोकि लाठी और गुजारा भत्ता थी।

इसके बाद, एक अन्य बात माननीय सदस्य द्वारा मेरे ध्यान में लाई गई है। एक समाचार-पत्र में यह कहा गया है कि इस कानून को संशोधित करके हम पुलिस को इस सीमा तक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं कि वह पुलिस की हिरासत में भाग रहे किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं। यह बात पूर्णतः गलत है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह समाचार पत्र में नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिए था और इस स्थिति में यह उचित भी नहीं है जो कानून हम बना रहे हैं।

महोदय, मूल विधेयक में एक प्रावधान था कि पुलिस को हिरासत में से भाग रहे घोषित अपराधी को मारने तक की शक्ति दी गई थी। लेकिन अब संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर इस प्रावधान को हटा दिया गया है।

इसलिए सदन के समक्ष प्रस्तुत संशोधन विधेयक में यह प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। मूल विधेयक में यह प्रावधान था। इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस प्रकार के उपबंध अन्य कानूनों में होते हैं।

अपराह्न 4.45 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

लेकिन स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि इसे नहीं रखा जाना चाहिए और इसलिए इसे हटा दिया गया। आज यह संशोधन विधेयक नहीं है। यह गलत उद्धृत किया गया है। यह एक गलत धारणा है।

आज हम दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994 पर विचार कर रहे हैं। यह 1994 में सभा में पुरःस्थापित किया गया था, वर्ष 1994 से यह राज्य सभा में लंबित पड़ा हुआ था क्योंकि

[श्री शिवराज वि. पाटील]

जो विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया जाता है वे लम्बित पड़े रहते थे जबकि लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया विधेयक लोक सभा भंग होते ही समाप्त हो जाता है लेकिन राज्य सभा में यह जारी (बना) रहता है। इसे स्थायी समिति को प्रेषित किया गया था यह लौटकर आ गया। पुन: इसे वापस लिया गया। इसको पुन: संशोधित किया गया। एक बार फिर इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया। इसे एक बार फिर पुर:स्थापित किया गया। अब जाकर हम इसको चर्चा के लिए ले पाए हैं और हम इस विधेयक को पारित करा पाए हैं। इस विधेयक के संसद में अवसाद के यही कारण थे अन्य कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि कई अच्छे उपबन्ध वाला यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो रहा है और शीघ्र ही कानून का रूप धारण कर लेगा।

एक और संशोधन विधेयक हमारे पास लम्बित है। हम इसे दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक 2003 कहते हैं उस विधेयक को भी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। श्री प्रणव मुखर्जी उस स्थायी समिति के सभापति थे। उन्होंने इस विधेयक की जांच की थी और कई सुझाव भी दिए थे। उनकी समिति ने कई सुझाव दिए थे। सरकार ने उन सुझावों को मान लिया है। हमने 80 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार कर लिया है। वे सुझाव विधेयक में शामिल किए गए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि हम इस विधेयक को इसी सत्र के दौरान सभा में लाएंगे और पारित करेंगे। हमें प्रसन्नता होगी लेकिन यदि यह सम्भव न हुआ तो हम इसे आगामी सत्र में पारित करवाएंगे। यह संशोधन संबंधी विधेयक भी बहुत अच्छा विधेयक है और इससे जिस दंड प्रक्रिया संहिता का पालन किया जा रहा है उसमें सुधार होगा।

न्यायाधीश श्री मलिमथ समितियों में से एक समिति के सभापति थे। उस समिति का नाम मलिमथ समिति था। उस समिति ने एक रिपोर्ट दी है। दूसरी सभा में इस मलिमथ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होने जा रही है-क्योंकि उनका कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने मलिमथ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है तथा दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता के संबंध में समिति द्वारा इसी रिपोर्ट में बहुत ही अच्छे सुझाव दिए गए हैं। लेकिन इस समिति द्वारा इस रिपोर्ट में कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये हैं। जनता के लिए यह सहज स्वीकार्य नहीं होंगे। इस समिति द्वारा कुछ ऐसी सिफारिशें की गई है जिसे स्वीकार करने में सरकार को भी बहुत कठिनाई पेश आ रही है। लेकिन हम यही कर रहे हैं कि इसमें से अच्छे सुझावों को छांट रहे हैं। अब मैं जिस सुझाव का उल्लेख कर रहा हूं वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है तो उसे गिरफ्तार न किया जाए जो कि इस रिपोर्ट में एक अच्छा सुझाव है। हम ऐसे सुझाव कानून में शामिल कर सकते हैं और हम ला सकते हैं। इस प्रकार हम भारत में दंड न्याय प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिए गए सुझावों में से एक यह था कि हम सभा में इन सभी संशोधनों को एक बार क्यों नहीं लाएं। वास्तव में, हमने इस मुद्दे पर सोचा था। लेकिन हमने सोचा कि यदि हम 1994 से 2005 तक इंतजार करते रहे और हमने इस संशोधन संबंधी विधेयक, 2003 को इसी विधेयक में सम्मिलित करने का इंतजार किया और तब मलिमथ समिति के इन सुझावों को इसमें शामिल किया तो इस समय हमें जितना समय चाहिए उससे ज्यादा समय लगेगा। ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसलिए, हमने सोचा कि यह विधेयक आना चाहिए और इसे इस सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा विधेयक तथा तीसरा विधेयक बाद में आएगा।

एक और बात है जिसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। माननीय सदस्य तथा आम जनता का भी सुझाव है कि पुलिस प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिए।

हम उस पर कायम हैं। देश में पुलिस की कार्य प्रणाली में हम सुधार लाना चाहेंगे।

ये भी सुझाव दिये गये थे कि न्याय संबंधी सुधार भी किए जाने चाहिए। विधि और न्याय मंत्रालय इस विषय पर गंभीर है और इस विषय पर विचार कर रहा है। गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों से जितनी रिपोर्ट आई है उन सभी में एक से सुझाव दिए गए हैं। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं लेकिन हम इसको आपस में नहीं मिलाएंगे। अपराध न्यायशास्त्र सुधार, दंड प्रक्रिया संहिता में सुधार, भारतीय दंड संहिता में सुधार तथा कुछ हद तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार का संबंध एक बात है। पुलिस प्रणाली में सुधार दूसरा मामला है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सुलझाया जाना है, न्यायिक सुधार तीसरा मामला है जिसे किया जाना है। इन सभी सुधारों का संबंध भारत में अपराध न्याय प्रणाली में सुधार लाने से है लेकिन ये अलग-अलग पहलू हैं और इन पर अलग-अलग विचार होना चाहिए। यदि सभी को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। हम व्यवस्थित ढंग से इसे कर रहे हैं।

एक और बात है जिस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। मैंने सोचा था कि मैं उस पर अपना विचार रख सकूंगा। यह मृत्युदंड के संबंध में है। एक सुझाव है कि मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक सुझाव यह भी है कि बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वर्तमान में बलात्कार के मुकदमे में 14 वर्ष के आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन उनका सुझाव है

कि उसके लिए भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यह ऐसा मामला है जिस पर हमें थोड़ी सावधानी से निर्णय लेना होगा। मेरे विचार में, अपने देश में, हमने यह निर्णय लिया है कि भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड रहना चाहिए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और न्यायविदों और यहां तक कि राजनीतिज्ञों तथा विचारकों ने भी कहा है कि विरल मामलों में भी सबसे विरल मामले में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, सामान्य मामलों में नहीं। यही सिद्धांत है और हम इसी विधि का यहां पालन कर रहे हैं। कहा गया है कि यदि बलात्कार के मामले में अपराधी को दंड देने के बजाए मृत्युदंड दिया जाता है, तो अपराध करने वाला व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की हत्या भी कर देगा। इससे, एक प्रकार से मानववध को बढ़ावा मिलेगा। यही कारण है कि कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध किया है। मेरे विचार में हमें यह निर्णय लेना होगा कि मृत्युदंड जारी रखना होगा और कभी-कभी वे लोग भी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं बहुत राहत महसूस नहीं करते। वे सोचते हैं कि यदि हम जीवन नहीं दे सकते हैं तो हम किसी का जीवन क्यों समाप्त करते हैं।

आज या कल हमें इस सवाल पर निर्णय लेना ही होगा कि आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष की सजा है या वास्तविक जीवन भर की सजा है जैसाकि अन्य देशों में है। हमें यह भी निर्णय करना होगा कि किन मामलों में मृत्युदंड दिया जाए। इन विषयों के स्पष्टीकरण से भी भारत में दंड न्याय प्रणाली में सुधार होगा। ये ऐसे विषय-क्षेत्र हैं जिन पर फैसला केवल न्यायपालिका या संसद द्वारा नहीं लिया जाएगा बल्कि इसमें हम सभी को उस आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसमें हम रह रहे हैं, निर्णय लेना होगा। जिससे कि अन्याय न हो और न्याय हो। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में यह संशोधन करने के प्रयास का मतलब है इसे और मानवीय तथा प्रभावी बनाना। मैं बहुत खुश हूं और आनंदित महसूस कर रहा हूं कि इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्यों ने हमें इस प्रयास में हमारा समर्थन किया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा स्पष्टीकरण है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 में लाठी के बारे में जो परिभाषा दी गई है, उसमें लाठी को अस्त्र में शामिल किया गया है, जबकि यह तो बेसहारों का सहारा है। लाठी एक शुभ संकेत के रूप में है, यह वस्त्र की भांति है, न कि शस्त्र है। लेकिन इसे शस्त्र में शामिल किया गया है।

श्री राम कृपाल यादव: मान्यवर, अभी आपने कुछ स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन हमारी शंका अभी भी कायम है। आपने स्पष्ट रूप में इसमें प्रावधान किया है कि "आयुध से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गयी या अपनाई गयी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शस्त्र, नुकीली धार वाला हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है।" आज भी अगर हम किसी को छड़ी से या लाठी से मारने की कोशिश करते हैं तो वह अपराध है। लेकिन अगर कोई किसान अपने सहारे के लिए लाठी का इस्तेमाल कर रहा है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। आपने यह भी कहा है कि अगर कोई लाठी का सहारा लेकर चलता है तो वह भी अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारी शंका अभी भी कायम है, आपने स्पष्ट नहीं किया है। जुलूस में अगर हम लाठी ले जाते हैं तो क्या उसे भी आप अपराध मानेंगे। हर राजनैतिक पार्टी के आदमी लाठी के साथ झंडा लेकर जाते हैं, अगर आप लाठी को प्रतिबंधित कर देंगे तो यह हमारे हक और अधिकार पर अतिक्रमण करने का काम किया जाएगा। आप इसे जरूर स्पष्ट करें, इस कानून के प्रावधान को स्पष्ट करें। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने का काम लाठी के सहारे किया था और लाठी तो अहिंसा का प्रतीक है, हिंसा कहां से आ गयी। हम लोगों के मन में इसे लेकर शंका है, इसे आप जरूर दूर करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: कोई भी आदमी हाथ में लाठी लेकर जाए तो वह गुनाह नहीं है। अगर मेरे पैर में कोई चोट लग जाए और मैं लाठी का सहारा लेता हूं तो वह गुनाह नहीं है या कोई बूढ़ा आदमी लाठी लेकर जा रहा है या अपने जानवर चरा रहा है या जानवरों को भगाने के लिए लाठी लेकर जा रहा है तो वह भी गुनाह नहीं है। कानून में यह कहा गया है कि लाठी रखना गुनाह नहीं है। मान लो कि मेरे पास रिवाल्वर है लेकिन उसका लाइसेंस नहीं है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन लाठी है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसे उस प्रकार का हथियार नहीं माना गया है। इस कानून में कहा गया है कि मान लो कि हमारे देश में 5 हजार लोग प्रदर्शन में जाते हैं और उनमें से एक हजार लाठी-झंडा लेकर चले जाते हैं तो किसी के घर पर हमला करने के लिए लाठी भी है। इस तरह से अगर कोई रोज लाठी लेकर परेड कराए तो वह हथियार माना जाएगा। आप जानते हैं कि लट्ठबाज लाठी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वे लाठी का इस्तेमाल रिवाल्वर से भी ज्यादा घातक करते हैं। वे जब लाठी घुमाते हैं तो 50 आदमी भी उनके सामने नहीं टिक सकते हैं। लाठी रखना गुनाह नहीं है लेकिन उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करना गुनाह है। हजार, दो हजार के प्रदर्शन

[श्री शिवराज वि. पाटील]

में 500-600 आदमी लाठी लेकर जा रहे हैं या रोज सुबह लाठी लेकर परेड कर रहे हैं और कलैक्टर को लगे कि उसकी वजह से डर की भावना पैदा की जा रही है और इन लाठियों को लेकर झगड़ा किया जा सकता है तो क्या उनको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कानून में बताया गया है कि ऐसे समय इसको बंद करना चाहिए। जुलूस में इसे बंद किया जाएगा, परेड में इसे बंद किया जाएगा, बाकी जगहों पर बंद नहीं किया जाएगा- यह कानून में लिखा है। आप कानून को पढ़ेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। जितना मैं आपको समझा सकता था, उतना मैंने आपको समझाया है। बाद में आप मुझे समझाएं और अगर कुछ इसमें दुरुस्ती करने की जरूरत होगी तो हम बाद में देखेंगे लेकिन आज इसे पास हो जाने दो।

उपाध्यक्ष महोदय: पुलिस इसका मिसयूज करती है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का एक कल्चर है कि मुहर्रम के अवर पर मुस्लिम भाई लाठी बांटते हैं और उसे लेकर जाते हैं तथा मोहम्मदी झंडा लेकर जाते हैं। बैसाखी के अवसर पर भी ऐसा ही प्रचलन है। आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए झंडा लेकर जाना बैन कर रहे हैं। ऐसे समय में क्या करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह गलतफहमी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर हमारे साथी और भाई यह गलतफहमी लेकर गए तो वह ठीक नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पाटील जी, आप पहले दो-चार सदस्यों की बात सुन लें और उसके बाद सभी का एक साथ जवाब दे दें वरना यह चर्चा खत्म नहीं होगी। पंजाब में भी यह प्राबलम है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं केवल इस बात का जवाब देकर, बाकी सभी सदस्यों के प्रश्नों का इकट्ठा जवाब दे दूंगा। यह चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। यहां पर कहा गया कि मुस्लिम लोग मुहर्रम के अवसर पर अगर लाठी लेकर जा रहे हैं तो क्या उन्हें रोका जाएगा? उन्हें रोका नहीं जाएगा। उस हाउस में पूछा गया कि अगर सिख भाई कृपाण लेकर जा रहे हैं तो क्या उनको रोकेंगे? मैंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 25 में प्रॉवीजन है कि कृपाण लेकर जाना सिख धर्म का एक हिस्सा है और हम उसे नहीं रोकेंगे। अगर जैन भाई लाठी लेकर या झंडा लेकर जा रहे हैं तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। हम उस समय रोकेंगे जब पॉलिटिकल प्रोसैसशन में लोग लाठी लेकर निकल रहे हैं और जिससे झगड़े होने की संभावना है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रावधान का स्वागत करते समय सिर्फ एक शंका जाहिर की थी कि इसकी व्याख्या करते समय मौजूद अधिकारी इस प्रावधान का गलत उपयोग कर सकता है। मैंने यही कहा था। हमारे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि खेत में काम करने के लिए जाते समय किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। मैंने शब्दों को पढ़ा है। खंड 16 के शब्द, जिसमें नई धारा 144 (ए) जोड़ी गयी है, केवल जुलूस के बारे में है किसी अन्य विषय के बारे में नहीं। इसलिए यदि कोई बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लिए खेत में जा रहा है तो उसे इसके तहत नहीं लिया जाएगा।

हमारा मतलब सिर्फ जुलूस के दौरान शस्त्र से है। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इसे भी साफ-साफ परिभाषित किया जाना चाहिए। अब, मुझे उसे पढ़ने दीजिए। खंड 544 में "शस्त्र" की परिभाषा दी गई है। जिसमें लिखा गया है-

> "शस्त्र का मतलब उस किसी भी वस्तु से है जिसे अपराध के लिए डिजाइन किया गया हो या उस लायक बनाया गया हो।"

मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि हम अपने हाथ में ध्वज लेकर चले तो यह अपराध से संबंधित हथियार नहीं है। फिर भी मैंने यह उदाहरण दिया है। यदि मैं वह ध्वज एक डंडे में लेकर चलता हूं तो यह अपराध से संबंधित हथियार नहीं है। मैंने जो कहा-इसमें संदेह है, रहता है-वह था कि लोग एक राजनीतिक पार्टी या अन्य दूसरे धार्मिक उत्सव के जुलूस में डंडे में लगाकर ध्वज ले जाते हैं। यह आदेश तत्काल पारित नहीं हुआ है। ऐसे आदेश लिखित में पारित होते है जिसमें तीन महीने तक का समय लग जाता है। लेकिन व्यवहार में यह है कि ऐसे आदेश एक के बाद दूसरा पारित होता है। हर तीसरे महीने धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है। इसी प्रकार यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा यहां होगा और मैं उस पर आपत्ति नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई जुलूस निकालना हो तो ठीक उसी समय जिला मैजिस्ट्रेट आदेश पारित करे। या कोई जुलूस निकाला जा रहा हो तभी जिला न्यायाधीश आदेश पारित करे आदेश पारित स्थितियों को समग्र आकलन को देखते हुए पारित किए जाते है। अर्थात क्षेत्र की पूरी स्थिति को देखते हुए आदेश जारी कियां जाना चाहिए कि तीन महीने तक जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। उन तीन महीनों के बीत जाने के बाद दूसरा आदेश पारित किया जाता है। सामान्यत: ऐसा ही होता है। वास्तव में यही परंपरा है।

इसलिए, यदि ध्वज के लिए डंडों का इस्तेमाल होता है, तो इस प्रावधान की मेरे अनुसार व्याख्या में यह बात शामिल नहीं है। फिर भी मुझे संदेह है कि यदि कोई अति उत्साही व्यक्ति यह कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे यह गुजरात हो या अन्यत्र- यह ठान ले कि जुलूस निकालने वालों को सबक सिखाना है तो वह अपने राजनीतिक आकाओं या किसी वरिष्ठ की ओर से उन लोगों को बिना किसी अपराध गिरफ्तार कर सकता हैं। हमें यही कहना था। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने यही प्रश्न पूछा था।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हम, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जुलूस और जलसे करते हैं। चाहे झंडा हो या बैनर हो, लाठी में लगाया जाता है। अगर इसे लाठी में नहीं लगाएंगे तो क्या लोहे के सरिए में लगाएंगे, जो ज्यादा खतरनाक है। राजनीतिक जलसे कुल मिलाकर इससे प्रभावित होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम प्रदर्शन करते हैं और जुलूस निकालते हैं, उसमें बैनर और झंडे लगाते हैं, इसमें लाठी के अलावा और कोई दूसरी चीज होती नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि झंडे में लाठी पर कोई पाबंदी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी भी कीमत पर व्यावहारिक नहीं है, इसे विड्रॉ करना चाहिए।

[अनुवाद]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): 'लाठी' की परिभाषा क्या है?

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा लगता है कि सभा में बहुत से सदस्य सोचतें हैं कि इसे कानून में नहीं होना चाहिए मैं सोचता हूं कि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे है और हम ऐसी चीजों को स्वीकार करते हैं। इसमें सुधार करने के लिए हम प्रक्रिया का अनुसरण करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्क्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मूरतगंज एक जगह है, वहां का गरीब किसान बाहर से लकड़ी मंगाकर लाठी बनाता है। अगर आप इस पर पाबंदी लगाने का काम करेंगे तो क्या जिस तरह से असले की दुकान का लाइसेंस लेना पड़ता है, क्या उसी तरह लाठी का निर्माण करने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा?

श्री शिवराज वि. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि लाठी का निर्माण करने वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन लाठी ही इस कानून से बाहर जा रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 44 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 44 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह प्रस्ताव करते हुए "कि विधेयक पारित हो" मैं सभा में एक वक्तव्य देना चाहूंगा। "लाठी" से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जाना है। यह करने के लिए प्रक्रियात्मक कदम हैं और मैं वे कदम उठाने जा रहा हूं। यह दोनों सभाओं से करना होगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित हो।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.10 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अब मद सं. 13 पर विचार करेगी।

श्री प्रबोध पांडा। पिछली बार वे बोलने के लिए खड़े थे। अब, वे अपना भाषण आगे जारी रखें।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। महोदय, सर्व प्रथम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की सूचना देते हुए मैंने यह भी कहा था कि हमारा देश, भारत, विश्व में दूसरा सबल अधिक जनसंख्या वाला देश है जिसके पास विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है जब कि आबादी 16.7 प्रतिशत है। महोदय उच्च जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भारत ऐसा पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, 1952 बनाया।

2001 की जनसंख्या रिपोर्ट यह दर्शाती है कि दशकों बाद जनसंख्या वृद्धि की दर 2 प्रतिशत कम हुई है और 1981-1991 की अवधि के दौरान यह वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी जो 1991-2001 की अवधि के दौरान घटकर 1.93 प्रतिशत हो गई। जन्म-दर, मृत्यु-दर और जनसंख्या वृद्धि-दर में तेजी से गिरावट के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले प्रयासों को नई गति देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1992 जनसंख्या संबंधी एक उप-समिति की स्थापना की थी। उप-समिति कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी और रा. वि. प. ने 1993 में इन सभी सिफारिशों का पृष्ठांकन किया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अधिक जनसंख्या या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास और प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे खाद्य, संचार, शिक्षा रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की समस्या पैदा होती है। वर्ष 2001 की जनगणना ने यह दर्शाया कि भारत की जनसंख्या 1.02 बिलियन था जो जनसंख्या तकनीकी दल द्वारा आकलित जनसंख्या से 15 मिलियन अधिक था। इसने दर्शाया कि भारत की आबादी में 1991 और 2001 के बीच 18 करोड़ और लोग जुड़ गए जो ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है जिसे देश में पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला देश समझा जाता हैं। एक आशंका है कि यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो भारत की आबादी 2035 तक चीन से ज्यादा हो जाएगी जो कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसलिए, जनसंख्या के तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए इस मुद्दे का सबसे अधिक महत्व देते हुए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्तमान में परिवार नियोजन के लिए केन्द्र द्वारा परिचालित या विशिष्ट लक्ष्य वाली कोई भी योजना नहीं है। वर्ष 2010 तक योजना को जिला स्तर तक विकेन्द्रीत करने हेतु जोर देने के लिए 2000 की एन.पी.पी. की सिफारिशों के अनुरूप राष्ट्रीय आयोग भी गठित किया गया था। लेकिन जहां तक जनसंख्या की समस्या या जनसंख्या वृद्धि की समस्या का संबंध है इसमें कुछ गलत विचार/सोच है और सही आकलन तथा उचित कदम उठाने की दिशा में यही बाधा हैं।

पहली समस्या स्थिति की साम्प्रदायिक समझ की है। इस संबंध में यह कहना असंगत नहीं होगा कि इस समस्या से निपटने में एक साम्प्रदायिक सोच काम कर रही है। मैंने देखा है कि राजग के कई सदस्यों ने इस परिचर्चा में भाग लेनी की सूचना दी है। ऐसा हो सकता कि वे साम्प्रदायिक सोच को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। यह समझ में नहीं आता कि जिन्होंने चर्चा में भाग लेने की सूचना दी है वे यहां उपस्थित क्यों नहीं है। यहां पंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा 6 सितम्बर, 2004 को विभिन्न धर्मों की जनसंख्या वृद्धि पर ज्यों ही आंकड़ें जारी हुए राजनीतिक लाभ उठाने के लिए संघ परिवार ने इसे तुरंत अपने कब्जे में कर लिया।

खतरे की घंटे बज उठी कि आने वाले समय में हिन्दू अल्प संख्यक होने जा रहे हैं। भारत का इस्लामिक देश बनने के खतरे को रेखांकित किया गया। यह उनकी सोच थी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि प्रेस को मूल रिपोर्ट की पूरी प्रति न देकर अवास्तविक और गलत सारांश क्यों दिया गया। सम्बद्ध मंत्री यह बताएंगे कि इस प्रकार की स्थिति में, इस प्रकार की जटिल स्थिति में, मूल रिपोर्ट की पूरी प्रति के बदले उसके गलत सारांश सार्वजनिक रूप से वितरित किए। बहुत से दैनिक पत्रों में यह कहते हुए प्रकाशित किया गया कि छः धार्मिक समुदायों के बीच में से मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि-दर सबसे अधिक अर्थात 36 प्रतिशत है। आश्चर्यजनक रूप से इस वक्तव्य में जम्मू और कश्मीर में हुई जनगणना की बात नहीं कही गई। जम्मू और कश्मीर तथा असम में 1981 में कोई जनगणना नहीं हुई। आंकड़े दर्शाते हैं कि 1991 और 2001 में जनगणना हुई थी। आंकड़े दर्शाते हैं कि सभी कार्मिक समुदायों में हिन्दुओं के मामले में यह असमायोजित है। 2001 में हिन्दुओं के मामले में यह 80.5 प्रतिशत थी और जब इसे समायोजित किया गया तो यह 81.4 प्रतिशत आई। मुस्लिमों के मामले में जब यह असमायोजित है तो यह 13.4 प्रतिशत का आंकड़ा था और जब इसे समायोजित किया गया तो यह 12.4 प्रतिशत आई। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार क्या है कि हिन्दू जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर धीरे-धीरे बढ़ रही है। यह बिल्कुल निराधार है। यह समस्या अथवा भ्रम उस रिपोर्ट से पैदा हुआ है जो कि गलत है।

दूसरे, जहां तक जनसंख्या वृद्धि की समस्या का संबंध है तो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत प्राचीन अंधविश्वास हैं।

मेरा कहना है कि विभिन्न धर्मों में धीरे-धीरे बढ़ते हुए भरोसे और जागरूकता के कारण वर्तमान स्थिति में सुधार हो रहा है। महोदय कृपया मुझे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करने की अनुमति दें।

अपराह्न 5.20 बजे

[**श्री पवन कुमार बंसल** *पीठासीन* हुए]

यह भाषण जनसंख्या और विकास के बारे में दो दिवसीय अंतराष्ट्रीय उलेमाओं के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह, जो कि इस्लामाबाद में हुआ था, में दिया गया था। ईरान सहित 29 मुस्लिम देशों के उलेमाओं और विद्वानों ने सम्मेलन में भाग लिया था। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने स्वयं सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उलेमाओं से नियोजित परिवारों के बारे में पुराने अंधविश्वासों और अज्ञानताओं से लड़ने के लिए और कुरान तथा शरीयत की रोशनी में जनसंख्या नियोजन के मुद्दे पर आम सहमति विकसित करने के लिए उलेमाओं को मार्गनिर्देश और नेतृत्व प्रदान करने का अनुरोध किया था। यह नोट किया जाए कि मैं जिन देशों का यहां जिक्र कर रहा हूं उनकी जनसंख्या वृद्धि में यह प्रवृत्ति पाई गई है। ईरान में जनसंख्या वृद्धि 1.4 प्रतिशत दर्ज की गई है। इंडोनेशिया में जहां मुस्लिम देशों में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। यह 1.8 प्रतिशत है। सभी अरब राज्यों को मिलाकर यह 2.7 प्रतिशत है। हमारे देश में यह 1.9 प्रतिशत है। यह आंकड़ा इसलिए पेश कर रहा हूं कि सदियों पुराना पक्षपांत धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन भयावह स्थिति कहां है। हमारे देश की जनगणना में भयावह तथ्यों में से एक यह है कि लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरूषों की आबादी 53.21 करोड़ है। जब कि महिलाओं की आबादी 49.64 करोड़ है। इसका मतलब है कि महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में 3.57 करोड़ कम है। महोदय, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत 933 है। बच्चों के लिंग अनुपात में भी कमी आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के बीच लिंग अनुपात 936 प्रति हजार है जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज्यादा है जबकि हिन्दू आबादी के लिए यह 931 है। यह घटता अनुपात बालिकाओं और महिलाओं के प्रति हमारे समाज का प्रतिबिम्ब है।

मैं मनुसंहिता का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बहुत साफ शब्दो में व्यक्त किया गया है।

यह कहा गया है कि महिलाओं को पुरूषों के बराबर नहीं समझा जा रहा है और महिलाओं को आजादी देना उचित नहीं है। यही सदियों पुराना पक्षपात पूर्ण रवैया है। यह सदियों पुराना पक्षपात न केवल मुस्लिम समुदाय में है बल्कि हिन्दू समुदाय में भी है। आबादी का लिंग अनुपात इस संबंध के वास्तविक समस्या को दर्शाता है।

आबादी संबंधी दूसरी भयावह समस्या साक्षरता दर की है। पूरे देश के लिए सात वर्ष और इससे उपर के आयु वर्ग के आबादी के बीच साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत है। हम रोजगार की समस्या को उदाहरण के तौर पर ले सकते है। मैं मात्र अभिलेखों में उपलब्ध रोजगार के प्रतिशत या साक्षरता के प्रतिशत की बात कर रहा हूं। जनसंख्या की समस्या को इससे जुड़ी अन्य समस्याओं से अलग करके नहीं हल किया जा सकता। सरकारी आंकड़े के मुताबिक केवल लगभग 40 करोड़ों लोगों को किसी न किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त है और देश में कम से कम 10 करोड़ लोग है जिनके पास कोई काम नहीं है। समाज के सामाजिक-आर्थिक कारक पर विचार किए बिना जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में क्या मैं 1944 के कैरो सम्मेलन की केन्द्रीय प्रस्तावना का उल्लेख कर सकता हूं? इसकी अवधारणा यह थी कि किसी देश के आकार, वृद्धि, औसत आयु और देश की जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में वितरण का उसके विकास संबंधी पहलुओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को उपर उठाने के संबंध में। इस सोच को ध्यान में रखते हुए आई.सी.पी.डी., जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण रणनीतियों, आयोजना, निर्णय-निर्धारण तथा सभी स्तरों पर संसाधनों की उगाही के संबंध में सुझाव दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सह्राब्दि शिखर सम्मेलन, 2000 ने विकास संबंधी सहायता पर ध्यान केन्द्रीत करने के उद्दश्यों को प्रभावी ढंग से स्थापित किया है। इसने कुछ बिंदुओं की सिफारिश की है और मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि हमारे देश में इन बातों का कैसे पालन हो रहा है। इसमें एक बिंदु है 2015 तक अतिदरिद्रता को समाप्त करना। अन्य सिफारिशें हैं 2015 तक विश्व स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना, 2015 तक महिला-पुरुष की समानता और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और 2015 तक शिशु मृत्युदर को कम करना।

सभापति महोदय: श्री पांडा, व्यवधान के लिए मुझे खेद है। आप कल कुछ अधिक समय तक बोल सकते हैं। अब हमें आधे घंटें की चर्चा करनी है। इसके लिए 17.30 बजे का समय नियत किया गया था और हमे उसी समय पर इसे शुरू करना होगा।

अपराह्न 5.29 बजे

आंधे घंटे की चर्चा

बच्चों के लिए उत्पादों में कार्सिनोजेनिक रसायन

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, इस आंधे घंटे की चर्चा का संबंध माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा

[श्री अनिल बसु]: **20.4.2005 को शिशु उत्पादों में कार्सिनोजेनिक रसायन के संबंध में तारांकित प्रश्न सं. 362 के उत्तर से है।**

यह मुद्दा न केवल शिशु उत्पादों से जुड़ा है बल्कि यह ज्यादा व्यापक है। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संबंध सिर्फ हमारे बच्चों से नहीं है बल्कि इसका संबंध हमारे देश की पूरी आबादी से है। 1940 में जब देश पर अंग्रेजी शासन था तब औषधि नियंत्रण अधिनियम बना था। इसे औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के नाम से जाना जाता था और उस अवधि में आपको अच्छी तरह यह बात मालूम है कि औषधि और कॉस्मेटिक के विनिर्माण की हमारी स्वदेशी क्षमता बहुत सीमित थी। अधिकांश औषधियां और कॉस्मेटिक आयात किए जाते थे। 1940 के अधिनियम में आयातित औषधियों और कॉस्मेटिक्स के संबंध पें उपबंध बनाए गए थे ताकि नकली औषधियां और कॉस्मेटिक इस देश में न आएं। उसके बाद के संशोधनों में कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया लेकिन उस धारा के संबंध में, जिसमें नकली और जाली औषधियों को उल्लेख है, आज भी वही प्रावधान लागू हैं।

अपराह्न 5.32 बजे

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन* हुए]

आजादी के इन 57 वर्षों से हमारी स्वदेशी फर्मास्यूटिकल्स और औषधि उद्योग बहुत बढ़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही साथ नकली औषधियों, जाली औषधियों और शिशु उत्पादों का विनिर्माण भी कई गुना बढ़ गया है। हाल के मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हमारे देश के नकली दवाओं का कारोबार 4000 करोड़ वार्षिक का है। केवल दिल्ली में ही भागीरथ पैलेस में विनिर्मित नकली दवाओं का मूल्य 2000 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक है। समस्या बहुत गंभीर है। मुझे पता है कि हमारी आज की चर्चा शिशु उत्पादों में कार्सिनोजेनिक रसायन पर है। लेकिन यह पूरी समस्या का एक छोटा हिस्सा है। मैं उस विशिष्ट प्रश्न पर लौटूंगा जिस पर यहां चर्चा हो रही है। देश के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत पिछले 57 वर्षों में नकली औषधियों या शिशु उत्पादों के एक भी विनिर्माता को दंडित नहीं किया गया है।

इस आधार पर एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों था? यद्यपि कि इस पर विधान है और राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने कई स्थानों पर छापे मारे है फिर कानून के समक्ष कुछ भी साबित नहीं किया जा सका है और कोई सजा नहीं हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कानून में कोई कमी रह गई है। 20 अप्रैल को पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने दो बहुत ही अर्थ पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया नामतः 'अनुप्रमित' और 'हानिकारक नहीं'। इस अधिनियम में, धारा 17(क)(ख) और (ग) में नकली औषधियों अपमिश्रित औषधियों और गलत ब्रांड वाले कॉस्मेटिक को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 27(क) सरकार और जांच एजेंसियों को यह शक्ति प्रदान करता है वे इस प्रकार की औषधियों के व्यापार से जुड़े लोगों या संगठनों को दंड दें। इस धारा में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है:

> "भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अर्थ के तहत कोई भी औषधि जिससे मृत्यु होने की संभावना हो या जिससे किसी के शरीर पर गंभीर नुकसान पहुंचता हो"

इसका मतलब है कि यदि औषधि नकली है या कॉस्मेटिक्स नकली है तो भी इसे बेचने वाले व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक इससे मृत्यु नहीं हो जाती।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): आप विशिष्ट रूप से बताएं। यह औषधि है या कॉस्मेटिक्स है?

श्री अनिल बसु: महोदय, अधिनियम इस प्रकार है- औषधि और कॉस्मेटिक्स अधिनियम।

महोदय, अधिनियम की धारा 27(क) में दंड संबंधी प्रावधान हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: आज चर्चा के विषय में केवल कॉस्मेटिक्स शामिल है।

सभापति महोदय: यदि आप अपनी चर्चा को विषय तक सीमित रखते हैं तभी चर्चा को 30 से 35 मिनट में पूरा करना संभव होगा। अन्यथा, यह मंत्री महोदय के लिए भी कठिन होगा।

श्री अनिल बसु: महोदय, सभा का ध्यान अधिनियम की धारा 27(क) में अंतर्विष्ट दंड संबंधी प्रावधानों की ओर नहीं आकर्षित करना चाहता जो सरकार को उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है जो इस व्यापार में संलिप्त है। प्रावधान में कहा गया है कि जब तक इससे मृत्यु या गंभीर चोट नहीं पहुंचती जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में परिभाषित है, यह दंडनीय नहीं है। यही कारण है कि पिछले 57 वर्षों में राज्य के औषधि नियंत्रकों द्वारा सैकड़ों हजारों छापे मारे गए लेकिन एक भी मामले में सजा नहीं हुई और किसी को भी दंडित नहीं किया जा सका।

सभापति महोदय: औषधि का क्षेत्र बहुत व्यापक है।

श्री अनिल बसु: महोदय, मैं दोनों-औषधि और कॉस्मेटिक्स को एक साथ जोड़ रहा हूं।

सभापति महोदयः नकली कॉस्मेटिक्स ही आज का विषय है।

श्री अनिल बसुः यह विषय एक विश्वस्तरीय कंपनी द्वारा शिशु उत्पाद के निर्माण से पैदा हुआ है। उत्पाद के लेबल पर कंपनी ने दावा किया है कि यदि किसी शिशु के शरीर की मालिश उस विशिष्ट तेल से की गई तो बच्चे का विकास निश्चित है। अब औषधि और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के धारा 17(ग) के अंतर्गत कहा गया है यदि कॉस्मेटिक्स वाले लेबल या उसके आधान पर झूठा या भ्रामक कथन लिखा हुआ है तो या तो मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर झूठा है या डिब्बे पर लगे लेबल पर लिखित कथन झूठा है।

हमारे देश के लोगों को क्या राहत प्रदान की जा सकती है? डा. माशेलकर की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने वर्ष 2003 में सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था। लेकिन गत दो वर्षों से केवल चर्चाएं हो रही हैं और सरकार इस कानून में कोई संशोधन नहीं कर पाई है। महोदय, हम वर्ष 1982 से, इस धारा के अंतर्गत किसी अपराधी को सजा नहीं दे पाए हैं क्योंकि 1982 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया था। पहले इसमें तीन वर्ष की सजा का प्रावधान था। लेकिन, 1982 के संशोधन के पश्चात तीन वर्ष की इस सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया था क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु को औषध या सौदंर्य प्रसाधन के उत्पादन से जोड़ना संभव नहीं था। यह बहुत कठिन है या यह नकली औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादक और विपणनकर्ताओं को नियंत्रित करने में जांच एजेंसियों की असफलता है क्योंकि इस कानून में कमी है

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि आप इस कानून को किस प्रकार से इतना प्रभावी बनाने जा रहे हैं जिससे कि यह उन उद्देश्यों को पूरा कर सके जिसके लिए यह बनाया गया था? हमारे शिशुओं के लिए इन उत्पादों को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? अब बहुत सी कंपनियां शिशु उत्पाद बना रही हैं। लेकिन दोषियों को सजा देने के लिए स्वयं कानून ही इतना कठोर नहीं है।

डा. माशेलकर समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस सजा को अधिक कठोर बनाने हेतु सुझाव दिए हैं। मृत्युदंड की सिफारिश की गई है। मेरी आशंका यह है कि यदि सरकार मृत्युदंड दिए जाने की इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लेती है तब भी वह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि कैसे और किस कानून के अंतर्गत सरकार दोषियों को यह सजा देने जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुख्य धारा, जिसमें सजा का प्रावधान किया गया है, में उत्पादकों को नकली औषधि और सौंदर्य प्रसाधन बनाने से रोकने हेतु आवश्यक संशोधनों का अभाव है। हमारे 57 वर्षों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि नकली औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन और विपणन प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। हम इसे रोकने में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम इस कानून में ही संशोधन करके जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों की समुचित रूप से जांच करने और न्यायालय में उस मामले को साबित करने हेतु शक्तियां प्रदान करने के लिए विशेष धारा का प्रावधान नहीं किया जाता। स्वयं कानून में ही ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए। उसके अभाव में जिस किसी भी कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा वह केवल ढकोसला होगी।

इससे न तो भेषज या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग और न ही इस देश के लोगों और शिशुओं को कोई राहत मिलेगी। मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि आप इस अधिनियम में इस खामी को किस प्रकार दूर करने जा रहे हैं?

सभापति महोदयः श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया केवल प्रश्न पूछिए। आप एक विद्वान और अनुभवी सदस्य हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अपने मित्र के तर्कों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब, मैं संबंधित मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा।

जहां तक मैं समझता हूं, आज तक भी मां के दूध का कोई विकल्प नहीं है। स्तनपान ही प्रभावी उपाय है। मेरे ज्ञान के अनुसार मां के दूध का कोई विकल्प नहीं है। आजकल यह रवैया अपना लिया गया है कि बच्चे के जन्म के तत्काल बाद ही युवा माताएं अंगिया पहनने में आतुर हो उठती हैं और स्तनपान से बचना चाहती हैं। क्या मंत्री जी स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रव्यायी अभियान चलायेंगे क्योंकि यह स्तन कैंसर से बचाव भी करता है? ऐसी सूचनाएं हैं कि क्योंकि स्तनपान नहीं कराया जाता इसलिए ऐसी माताओं को अपनी वृद्धावस्था में कैंसर का सामना करना पड़ता है। अतः कैंसर से बचाव हेतु कृपया युवा माताओं के बीच एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए जिससे कि प्रसूति के पश्चात वे स्तनपान कराएं। आप एक जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें।

इसके के साथ-साथ गरीब ग्रामीण महिलाओं को पोषक आहार दिया जाना चाहिए, तभी यह संभव होगा। निर्धन और नई युवा माताओं को स्तनपान हेतु आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केवल यही एक उपाय है। अन्यथा, शिशु रसायनिक रूप से प्रदूषित शिशु आहार का शिकार बनते रहेंगे। आप बहुत सी अच्छी-अच्छी चीजें करते रहते हैं। आप स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु, एक देशव्यापी अभियान भी चला सकते हैं।

सभापति महोदयः श्री राधाकृष्णन, कृपया सहयोग दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केवल यही एक उपाय है।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ये शिशु उत्पाद कैंसर-जनक हैं। हमने मंत्री जी के उत्तर को पढ़ा है। वे लोगों के मन से इस शंका को कैसे दूर करेंगे कि ये उत्पाद कैंसर-जनक नहीं हैं?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, माननीय श्री अनिल कुमार बसु जी ने कार्सिनोजेनिक रसायन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जितने भी सिन्थेटिक दूध, जूस या फॉस्ट फूड के नाम पर पीजा या बर्गर हैं या बच्चों के लिए पैकेट बंद सामान हैं, इसके विज्ञापन में कंपनी वाले दिखाते हैं कि इसे बच्चों को खिलाइए या पिलाइए या तेल मालिश कीजिए, इससे बच्चा बलवान होगा, स्वस्थ होगा। लेकिन इनके पीछे की वास्तविकता कुछ और ही होती है। इस प्रकार की कार्सिनोजेनिक वस्तुएं जो बच्चों के लिए बनाई जा रही हैं, क्या उनकी जांच माननीय मंत्री जी करवाएंगे? ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बच्चों के उत्पाद बनाती हैं, जैसे जानसन एंड जानसन, सनफार्मा, डाबर इंडिया लिमिटेड इत्यादि। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में यह जानना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियों के उत्पादों की जांच कराने और इनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही करेंगे, क्योंकि इनके बहुत से उत्पाद बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री बसु की चिंता में भागीदार हूं। शायद, ये दूसरी बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे विचार से ये मेरे द्वारा इन्हें दिए गए पिछले उत्तर से सहमत नहीं हैं। आज, हम सौंदर्य प्रसाधनों के कैंसरजनित होने के बारे में आधे घंटे की चर्चा में भाग ले रहे हैं। महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री बसु की इस चिंता में भागीदार हूं कि सौंदर्य प्रसाधन न केवल शिशुओं अपितु इस देश के आम लोगों से भी संबंधित हैं। इन्होंने यह भी कहा कि नकली औषधियों सौंदर्य प्रसाधनों के एक भी उत्पाद को सजा नहीं दी गई है। यह सत्य नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब उन्हें सजा दी गई है, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है; और उन्हें बहुत सा आर्थिक दंड भी दिया गया है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में ऐसे बहुत से मामले लाऊंगा। ऐसे मामलों की एक सूची है जिसमें यह दिया गया है कि कितने लोगों को सजा दी गई है और कितने लोगों पर मुकदमा चला है।

सभापति महोदय: कृपया उस सूची को सभा पटल पर रख दें और यह सभी सदस्यों के लिए सहायक होगी।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को सूचित कर दूंगा। हालांकि दोनों ही मुद्दे-औषधियों का मुद्दा व इसके साथ-साथ सौंदर्य प्रसाधनों का मुद्दा-गंभीर मुद्दे हैं-तथापि हम आज केवल सौंदर्य प्रसाधनों का मुद्दा ही ले रहे हैं। लेकिन फिर भी, मैं औषधियों, तथाकथित नकली औषधियों तथा देश में चल रही गतिविधियों के बारे में माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। सरकार ने हाल ही में नकली औषधियों और गलत ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधनों, दोनों के परिचालन को समाप्त करने हेतु बहुत से कदम उठाए हैं। हालांकि, यह प्रश्न सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में है तथापि मैं पहले औषधियों के प्रश्न को लूंगा। मैं औषधियों से संबंधित भाग और माशेलकर समिति की सिफारिशों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जो कि अधिकांशत: नकली औषधियों के बारे में है।

यह समिति डा. माशेलकर की अध्यक्षता में नकली औषधियों के मुद्दे के संबंध में गठित की गई थी। उन्होंने व्यापक सिफारिश की थी और उस सिफारिश के एक भाग को लिया गया था। उस समय केवल दांडिक प्रावधानों, वैधानिक प्रावधानों को ही लिया गया था और 13वीं लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। हम 14वीं लोक सभा में हैं। पुन: हमने उस मुद्दे को लिया है। हमने माशेलकर समिति की कुछ सिफारिशों, उदाहरण के लिए अधिक कठोर विधान, इस अपराध को संज्ञेय बनाना आदि को लिया है। पहले वे संज्ञेय नहीं थे। अब हम उन अपराधों को संज्ञेय बना रहे हैं।

सभापति महोदय: यह ठीक है।

डा. अंबुमणि रामदास: हम जुर्माने की राशि बढ़ा रहे हैं। यह जुर्माना बहुत अधिक होगा, यह लगभग 10,000 रुपये था। अब, हम इसे बढ़ाकर लगभग 10 लाख रुपये करने जा रहे हैं।

इसके पश्चात माननीय सदस्य ने मृत्युदंड के बारे में पूछा था। पुन: मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार-विमर्श हुआ है। मंत्रिमंडल इसमें कुछ और सिफारिशों को सम्मिलित करना चाहता है। अत: इसका प्रारूप पुन: तैयार करने हेतु इसे विधि मंत्रालय को वापस भेजा गया है। जब यह विधि मंत्रालय से आ जाएगा तो हम इसे मंत्रिमंडल में ले जाएंगे। तत्पश्चात, मुझे विश्वास है कि हम दोनों सभाओं में इस पर विचार करेंगे। हम इन नकली औषधियों व सौंदर्य प्रसाधनों का उन्मूलन करने हेतु अधिक कठोर कानून पारित करेंगे। हम माशेलकर समिति की सिफारिशों के प्रति बहुत गंभीर हैं। अब माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि हम इसे किस प्रकार से समाप्त करने जा रहे हैं। हम क्षमता का निर्माण करने के चरण से गुजर रहे हैं जहां हम खाद्य और औषध विनियामक निकायों पर लगभग 350 करोड़ रुपये का निवेश कर

रहे हैं। हम देशभर में वस्तुत: 20 केन्द्रीय और राज्य औषध प्रयोगशालाओं को बेहतर व आधुनिक बना रहे हैं। महोदय, प्रत्येक वर्ष औसतन 35,000 उत्पादों की जांच की जाती है। हम अनियमित रूप से जांच करते हैं, लेकिन हमें इसे बढ़ाकर कम से कम 1,00,000 तक करना है जिससे कि इन नकली औषधियों की जटिलता को समझ सकें। हमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इन प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाना है। अत: हम उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हम अपने औषध निरीक्षकों, राज्य औषध नियंत्रकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। हम सभी राज्य औषध नियंत्रक प्राधिकरणों को केन्द्रीय औषध नियंत्रक प्राधिकरण से जोड़ने की प्रणाली का केन्द्रीयकरण कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। समय के साथ-साथ जैसे ही ये उपकरण लगा दिए जाएंगे, आधुनिकीकरण हो जाएगा और लोगों को समुचित प्रशिक्षण मिल जाएगा तो चीजें बेहतर होंगी, निश्चित रूप से, हमारा एक खाद्य और औषध प्रशासन भवन होगा।

मैंने लगभग दो माह पूर्व उसका शिलान्यास किया था। अगले 15 माह में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। अगले वर्ष तक देश में खाद्य के साथ-साथ औषधि उद्योग को नियंत्रित और नियमित करने हेतु एक पृथक निकाय स्थापित किया जा रहा है। यह एक बहुमंजिला भवन होगा जहां यह सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। वस्तुत: हमने व्यय विभाग को इस प्राधिकरण और निकाय में हमारे श्रमशक्ति संसाधनों को बढ़ाये जाने के लिए पत्र लिखा है। अत: हमारा उद्देश्य औषधि उद्योग के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करना है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की तरह ही होगा। इसी तरह हमें औषधि और कॉस्मेटिक उद्योग के विनियमन हेतु एक पृथक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता है क्योंकि इस उद्योग का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इसकी गुणवत्ता हेतु इसके विनियमन और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है क्योंकि विश्व में औषध उद्योग चौथे स्थान पर है। इस उद्योग की वृद्धि में विनियमन के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। हम औषधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने और घटिया दवाइयों के दुरूपयोग को रोकने के लिए यह सब करना चाहते हैं।

कॉस्मेटिक उत्पादों के मुद्दे पर लौटते हुए, मैं कहना चाहूंगा। कि कॉस्मेटिक अधिनियम में वर्ष 1962 में संशोधन किया गया था। परन्तु इसके बाद देश में बहुत से कॉस्मेटिक उत्पाद आ गये हैं। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम रोज नए कॉस्मेटिक उत्पाद देश में आ रहे हैं। सरकार ने कॉस्मेटिक उत्पादों के विनियमन हेतु कदम उठाये हैं क्योंकि उपयोग में लायी जा रही प्रत्येक वस्तु जैसे दंतमंजन, टुथपेस्ट, केश तेल, क्रीम, साबुन और शैम्पू आज कॉस्मेटिक कहलाती हैं। हर रोज नए उत्पादों के विज्ञापन आ रहे है। अत: सरकार इन उत्पादों के विनियमन के प्रति गंभीर है। नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली चिंता है। हमारी एक व्यवस्था जिसमें एक ओर तो हम कहते हैं कि कास्मेटिक में क्या सामग्री प्रयोग की जाए। टुथपेस्ट के मामले में, एक आम धारणा है कि इस उत्पाद की प्रतिशतता क्या हो। साबुन में कितनी मात्रा में रसायन हो और इसी तरह अन्य बातें भी हैं और इसके लिए हमारी एक व्यवस्था है। दूसरी तरफ रसायन और औषध के लिए एक अन्य व्यवस्था है, कि किन सामग्रियों का प्रयोग बेबी कॉस्मेटिक सहित इन सभी कॉस्मेटिक पदार्थों में नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण बात है।

इस तरह कुल मिलाकर बेबी पाउडर जैसे हमारे पास 28 कॉस्मेटिक पदार्थ हैं। हम कहते है कि कतिपय सामग्रियों का उपयोग इनमें नहीं किया जाना चाहिए जो कि बच्चों, व्यस्कों या नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं। इस तरह कॉस्मेटिक उद्योग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसके बावजूद, इस प्रक्रिया से गुजरने पर भी, महाराष्ट्र में एफ.डी.ए आयुक्त द्वारा कुछ मुद्दे उठाये गए हैं जिसके बाद यह प्रश्न सामने आया है। उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा किये गए दावों के लिए उन्हें नोटिस दिये है। जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कंपनियों द्वारा कभी भी इनमें कैन्सरजन्यता के बारे में नहीं बताया गया। आज तक कैन्सरजन्यता का कोई मुद्दा यहां नहीं उठाया गया है क्योंकि उत्पादों के प्रयोग किये जाने के संबंध में हमने विनियमन लागू कर रखे हैं। आज की तारीख में इन सभी उत्पादों के संबंध में कैन्सरजन्यता का कोई मामला नहीं है। परन्तु वास्तव में प्रत्येक उत्पाद के संबंध में सरकार द्वारा कैन्सरजन्यता का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहां हजारों कॉस्मेटिक उत्पाद है। हमारे पास कैंसरजन्यता के परीक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं।

सभापति महोदय: मुद्दा यह है कि बाजार में आने से पहले उत्पाद को किसी वैध प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, राज्य औषध नियंत्रक इन उत्पादों के लाभ हानि, उसमें प्रयुक्त सामग्री उपयोग के लायक है या नहीं इसकी जांच करके इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अब, जब यह सब मुद्दे सामने आये तो जून माह में एक औषध सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में देश भर के राज्य औषध नियंत्रक प्राधिकरण शामिल हैं। ये सभी भारत के औषध महानियंत्रक के अधीन एकत्रित होंगे। वे इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए कतिपय मद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

[डा. अंबुमणि रामदास]

लेबल लगाने की प्रणाली के बारे में किये जा रहे दावों के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने कहा है कि यह दावें कैसे किये गए। उदाहरणार्थ एक दावा किया गया है कि कुछ दिनों में ही आप अपना रंग काले से गोरा कर सकते हैं। कुछ विज्ञापनों में कहा गया है कि यह चिकित्सीय आधार पर प्रमाणित हो चुका है कि बच्चे की वृद्धि इतनी हो सकती है। ऐसे कई दावे किये गए हैं। अतएव, भविष्य में स्थापित की गयी औषध सलाहकार समिति औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डी.टी.ए.बी.) जो कि देश का सर्वोच्च प्राधिकरण है, को अपनी सिफारिशें देगी।

सायं 6.00 बजे

डी.टी.ए.बी. सिफारिशों तथा योजनाओं के विनियमन के संबंध में अपनी सिफारिश सरकार को देगी। यह वर्तमान समय की मांग है यह इसलिए कि बहुत प्रकार के दावे किये जा रहे है जो कि सत्य नहीं है, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैध सिद्ध किया जाना होगा। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि अमरीका में बेबी उत्पादों के संबंध में ऐसे कोई दावे नहीं किये जाते लेकिन भारत में कुछ बेबी उत्पादों को संबंध में ऐसे दावे किये गए है।

सभापति महोदयः कृपया थोड़ी देर रूकिए। मंत्री महोदय का जबाब समाप्त होने के बाद, सभा का समय 5-6 मिनट के लिए बढ़ाया जा सकता है।

डा. अंबुमणि रामदासः विभिन्न विकसित देशों में एक मानदंड निर्धारित है। अन्य देशों में ऐसे दावों के संबंध में भिन्न मानदंड है। अतः ऐसे दावों के संबंध में विनियमन किये जाने की आवश्यकता है और हम ऐसा कर रहे है...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसुः चिंता की प्रमुख बात तो यह है कि विभिन्न कंपनियां अपने देश में व्यवसाय करते समय जो मानदंड अपनाती हैं वह यहां नहीं अपनाती इसका कारण यह है कि वह कंपनी स्वयं को वहां का निवासी समझती है।

सभापति महोदयः मंत्री महोदय प्राधिकरण के विनियमन का नवीकरण करने के संबंध में स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं।

डा. अबुंमणि रामदासः इसीलिए हम इन सब बातों की जांच कर रहे है।

सभापति महोदयः आपके कहने का अर्थ यह है कि आप वैश्विक मानदंड अपनाने जा रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे है। वर्तमान में हम औषध नियंत्रक प्राधिकरण के संबंध में वैश्विक मानक ही अपना रहे हैं।

सभापति महोदयः आप इसकी कड़ी निगरानी करेंगे।

डा. अंबुमणि रामदासः आज हमारे मानक यूरोपियन आर्थिक समुदाय मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त यू एस ए की कॉस्मेटिक्स टायलेट्रीज एंड फ्रैगैंस एसोसिएशन है। हमारे यहां समय-समय पर अद्यतन किये गए इंटरनेशनल फ्रैगैंस एसोसिएशन (आई.एफ.आर.ए.) के दिशानिर्देश हैं। हम इस सब मानकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस विचार-विमर्श के बाद डी.सी.ए. पहले दावों तथा दूसरे कॉस्मेटिक में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में विचार करेगी। इसलिए आज के कानून के अनुसार उत्पाद पर लगाए गए लेबल में मुख्य रूप से उपयोग में लायी गई सामग्री का विवरण अंकित होना चाहिए। इस विचार विमर्श के बाद हम प्रयास करेंगे कि कॉस्मेटिक में प्रयुक्त सभी सामग्रियों को मात्रा के क्रमानुसार अंकित किया जाए। हम इन सब मुद्दों और तथाकथित खोखले दावों की भी जांच करेंगे। यदि कोई दावा किया जाता है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बिना किसी उत्पाद को बेबी उत्पाद, महिला उत्पाद या बढ़ती उम्र संबंधी उत्पाद नहीं कहा सकेगा। कोई भी दावा किये जाने की स्थिति में उसे चिकित्सीय आधार पर सिद्ध करने के बाद ही अंकित किया जा सकेगा। हम एक प्रक्रिया के माध्यम से इसका विनियमन करेंगे। इसके विनियमन के मायने इंस्पेक्टर-राज लाना नहीं है। एक बढ़ते हुए उद्योग के रूप में हमें इस उद्योग को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले उद्योग के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। प्रणाली में गुणवत्ता लाये जाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सभी कॉस्मेटिकों का विनियमन कर रहे है।

सभापति महोदयः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें यह जानकारी अंकित करने को बाध्य करेगी।

डा. अंबुमणि रामदासः जी हां, हम ऐसा ही करेंगे। और अब इसके बारे में विचार करने से पहले समय का प्रश्न है। अब मैं माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन द्वारा स्तनपान के संबंध में उठाये गए प्रश्न पर आता हूं।

सभापति महोदयः यह प्रश्न माताओं की तरफ से आना चाहिये।

डा. अंबुमणि रामदासः मैं आपसे सहमत हूं और इन्होंने यह एक सुसंगत प्रश्न पूछा है जबकि यह इस प्रश्न से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है। आज बहुत सी आधुनिक माताएं कई आधुनिक

अवधारणाओं और विचारों के कारण बच्चों को स्तनपान नहीं कराती। लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात मां का दूध बच्चे के लिए रोग प्रतिकारक होता है। एक अध्ययन के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्युदय अन्य क्षेत्रों अन्य जनजातीय क्षेत्रों और हमारे आसपास की तुलना में अधिक नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां स्तनपान कराना अनिवार्य है। इसीलिए यहां शिशु मृत्युदर में कुछ कमी हुई है। यह एक बेहतर अध्ययन है। यद्यपि स्तनपान का प्रचार करना मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का कार्य है। हमारे पास माताओं और भावी माताओं के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय गर्भवती महिलाओं को सूक्ष्म पोषण पदार्थ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग बृहद पोषण पदार्थ उपलब्ध कराता है। वे प्रोटीन, चावल आदि देते है और हम सूक्ष्म पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। हमें माताओं और भावी माताओं की क्षमता और उनके पोषण की स्थिति में वृद्धि करनी है। इसके लिए कई उपाय किये जा रहे हैं हम उपाय करने के साथ-साथ उसका प्रचार भी कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्हें आगे आना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: यह हमारी प्राथमिकताओं में से एक है और शिशु मृत्युदर कम करने की आवश्यकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कसे हुए अंतर्वस्त्र पहनने के कारण बहुत सी बीमारियां हो रही है...*(व्यवधान)* इसका कारण है कि अंतर्वस्त्र बेचने वाली कपंनियों अपना उत्पाद बेचने की इच्छुक रहती है और काफी मात्रा में उत्पाद बेचना चाहती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने पहले ही इसका जबाब दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम औषधियों और कॉस्मेटिक्स दोनों के प्रति बेहद चिंतित है। इसका दुरूपयोग रोकने के लिए हम सभी उपाय कर रहे है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: धन्यवाद। अब सभा कल 10 मई, 2005 को प्रातः ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 मई, 2005, 20 वैशाख 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	601
2.	श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव श्री हरिसिंह चावड़ा	602
3.	श्री वाई. जी. महाजन श्री किन्जरपु येरननायडु	603
4.	श्री हेमलाल मुर्मू	604
5.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री ई. पोन्नुस्वामी	605
6.	श्री सी. कुप्पुसामी श्री उदय सिंह	606
7.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा प्रो. महादेवराव शिवनकर	607
8.	श्री बसुदेव आचार्य	608
9.	श्री हितेन बर्मन	609
10.	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" श्री रामजीलाल सुमन	610
11.	श्री नीतीश कुमार	611
12.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	612
13.	श्री एस. के. खारवेनथन	613
14.	श्री राजनरायन बुधौलिया	614
15.	श्री ब्रजेश पाठक	615
16.	श्री महेश कनोडिया श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	616
17.	श्री सुरेश चन्देल	617
18.	श्री तथागत सत्पथी श्री रवि प्रकाश वर्मा	618
19.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	619
20.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड श्री सुबोध मोहिते	620

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आर्नदराव विठोबा	6387, 6453, 6455, 6462, 6555
2.	अहमद, श्री अतीक	6355, 6537
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	6366, 6491, 6573
4.	अजनाला, डा. रतन सिंह	6498
5.	अनंत कुमार, श्री	6414, 6444
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	6380, 6473, 6551
7.	अंसारी, श्री फुरकान	6395
8.	आठवले, श्री रामदास	6450, 6504, 6528, 6570
9.	आजमी, श्री इलियास	6373
10.	बैठा, श्री कैलाश	6352
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	6423, 6557
12.	बर्मन, श्री रनेन	6350
13.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	6402, 6487
14.	बखला, श्री जोवाकिम	6359
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	6390
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	6356, 6502, 6576
17.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	6351, 6466
18.	बोस, श्री सुब्रत	6511
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	6399, 6474
20.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	6368
21.	चन्देल, श्री सुरेश	6464, 6550
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	6363, 6469
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	6410, 6517
24.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	6399, 6474, 6485
25.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	6448, 6522, 6523

1	2	3
26.	चिन्ता मोहन, डा.	6484
27.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	6431, 6447, 6476, 6496, 6521
28.	चौधरी, श्री पंकज	6362
29.	चौधरी, श्री अधीर	6401, 6527, 6575
30.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	6517
31.	देव, श्री बिक्रम केशरी	6384
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	6425
33.	धनराजू, डा. के.	6395, 6406
34.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	6461
35.	गढ़वी, श्री पी.एस.	6414, 6422
36.	गंगवार, श्री संतोष	6430
37.	गाव, श्री तापिर	6442, 6503
38.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	6415, 6500
39.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	6419, 6505, 6556
40.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	6445
41.	गुढ़े, श्री अनंत	6418, 6504
42.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	6456
43.	हमजा, श्री टी.के.	6449
44.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	6432, 6526
45.	हसन, श्री मुनव्वर	6435, 6514, 6577
46.	जगन्नाथ, डा. एम.	6413, 6534
47.	जय प्रकाश, श्री	6430
48.	जेना, श्री मोहन	6388
49.	झा, श्री रघुनाथ	6407, 6519
50.	जोगी, श्री अजीत	6393, 6476
51.	जोगी, श्री प्रहलाद	6408
52.	कामत, श्री गुरूदास	6553
53.	कनोडीया, श्री महेश	6525

1	2	3
54.	करूणाकरन, श्री पी.	6436, 6532
55.	कस्वां, श्री राम सिंह	6374
56.	खां, श्री सुनील	6402, 6487
57.	खन्ना, श्री अविनाश राय	6360, 6399
58.	खारवेनथन, श्री एस. के.	6423, 6470, 6548
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	6357
60.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	6403
61.	कुप्पुसामी, श्री सी.	6479
62.	कुशवाहा, श्री नरेन्द कुमार	6431, 6476, 6563
63.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	6474, 6483
64.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	6386, 6425, 6508
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	6488, 6506
66.	महाजन, श्री वाई.जी.	6481
67.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	6399, 6400
68.	महताब, श्री भर्तृहरि	6503
69.	मंडल, श्री सनत कुमार	6453, 6538
70.	मनोज, डा. के.एस.	6428, 6507, 6559
71.	मेघवाल, श्री कैलाश	6353, 6459, 6540, 6554
72.	मोदी, श्री सुशील कुमार	6398, 6529, 6571
73.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	6391
74.	मुकीम, मो.	6438
75.	मो. ताहिर, श्री	6476, 6521
76.	मोहिते, श्री सुबोध	6354, 6512
77.	मुन्शी राम, श्री	6417, 6431, 6476, 6521
78.	मुर्मु, श्री हेमलाल	6482, 6547
79.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	6452
80.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	6490, 6551

1	2	3
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	6403
82.	नायक, श्री अनन्त	6371, 6408, 6480, 6568
83.	निहाल चन्द, श्री	6375, 6539
84.	नीतीश कुमार, श्री	6483, 6484
85.	ओराम, श्री जुएल	6376, 6414, 6480, 6495, 6554
86.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	6379
87.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	6424, 6436, 6518, 6567
88.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	6486
89.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	6372, 6486, 6562
90.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	6448, 6497, 6522, 6566
91.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	6408, 6440, 6479, 6546
92.	पटैरिया, श्रीमती नीता	6397
93.	पाठक, श्री ब्रजेश	6475, 6511, 6549, 6567
94.	पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर.	6416, 6501
95.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	6446, 6520, 6565
96.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	6365, 6548
97.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	6408, 6412
98.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	6348
99.	पिंगले, श्री देविदास	6383, 6535
100.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	6458, 6477
101.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	6392, 6516
102.	प्रसाद, श्री लालमणि	6427
103.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	6420
104.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	6429
105.	राजेन्द्र कुमार, श्री	6377, 6471

1	2	3
106.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	6467, 6542
107.	राणा, श्री काशीराम	6404, 6443, 6489
108.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	6414, 6437, 6513, 6561
109.	राव, श्री डी. विट्ठल	6451, 6530
110.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	6399
111.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	6409, 6495, 6511
112.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	6385, 6498
113.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	6361, 6460, 6558
114.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	6497
115.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	6396, 6441
116.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	6414
117.	साई प्रताप, श्री ए.	6358, 6457
118.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	6431, 6509, 6551, 6560
119.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	6474
120.	सरोज, श्री तूफानी	6389
121.	सत्पथी, श्री तथागत	6478, 6492, 6552, 6569
122.	सेठी, श्री अर्जुन	6408
123.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	6494, 6553
124.	शाहिद, मोहम्मद	6431, 6447, 6454, 6476, 6563
125.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	6349, 6503
126.	शर्मा, श्री मदन लाल	6418, 6504
127.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	6367, 6453, 6455, 6462, 6543
128.	शिवन्ना, श्री एम.	6405, 6490, 6551
129.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	6496, 6521, 6564
130.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	6523, 6566

1	2	3
131.	सिद्धु, श्री नवजोत सिंह	6538
132.	सिंह, श्री चन्द्रभान	6364
133.	सिंह, श्री दुष्यंत	6439, 6515, 6574
134.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	6472, 6544
135.	सिंह, श्री मानवेन्द्र	6378
136.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	6407, 6426, 6524, 6533
137.	सिंह, श्री सुग्रीव	6555, 6567
138.	सिंह, श्री सूरज	6499
139.	सिंह, श्री उदय	6401, 6575
140.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	6411
141.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	6525
142.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	6370, 6465
143.	सुमन, श्री रामजीलाल	6483
144.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	6396
145.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	6369, 6463, 6541
146.	थामस, श्री पी.सी.	6394, 6493
147.	तुम्मर, श्री वी.के.	6392, 6497

1	2	3
148.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	6486
149.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	6408, 6440, 6479, 6546
150.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	6408, 6433, 6510, 6572
151.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	6382, 6481
152.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	6404
153.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	6455, 6478, 6492, 6569
154.	विजयशंकर, श्री सीएच.	6545
155.	विनोद कुमार, श्री बी.	6421, 6536
156.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	6387
157.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	6434, 6516
158.	यादव, श्री बालेश्वर	6408
159.	यादव श्री, गिरिधारी	6443
160.	यादव, श्री सीता राम	6381
161.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	6531
162.	जाहेदी, श्री महबूब	6414

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	604, 609, 611, 613, 614, 617
रसायन और उर्वरक	:	615, 619
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	601, 602, 605, 607, 612
पर्यावरण और वन	:	606, 616, 620
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	–
श्रम और रोजगार	:	–
इस्पात	:	618,
पर्यटन	:	603
जल संसाधन	:	608, 610

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	6349, 6350, 6352, 6354, 6359, 6361, 6367, 6368, 6372, 6374, 6377, 6390, 6392, 6394, 6395, 6400, 6405, 6406, 6407, 6411, 6413, 6417, 6419, 6425, 6427, 6431, 6433, 6439, 6446, 6447, 6450, 6451, 6453, 6455, 6457, 6461, 6462, 6471, 6475, 6477, 6480, 6486, 6489, 6493, 6494, 6496, 6497, 6504, 6505, 6509, 6512, 6521, 6522, 6526, 6529, 6531, 6542, 6544, 6545, 6550, 6551, 6552, 6555, 6556, 6560, 6569, 6576,
रसायन और उर्वरक	:	6357, 6360, 6379, 6393, 6420, 6435, 6452, 6466, 6479, 6487, 6523, 6525, 6536, 6561, 6566, 6574,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	6348, 6353, 6356, 6366, 6373, 6381, 6404, 6423, 6428, 6434, 6459, 6467, 6468, 6498, 6499, 6500, 6508, 6513, 6516, 6527, 6537, 6539, 6543, 6547, 6557,
पर्यावरण और वन	:	6358, 6362, 6363, 6364, 6387, 6389, 6399, 6401, 6408, 6432, 6443, 6448, 6449, 6458, 6460, 6464, 6469, 6482, 6506, 6510, 6517, 6520, 6534, 6535, 6546, 6553, 6559, 6562, 6572, 6577,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	6385, 6421, 6454, 6481, 6502, 6507, 6563, 6570,
श्रम और रोजगार	:	6351, 6375, 6386, 6391, 6396, 6410, 6414, 6415, 6424, 6430, 6456, 6472, 6492, 6524, 6532, 6533, 6538, 6549, 6567, 6575,
इस्पात	:	6355, 6371, 6376, 6388, 6402, 6437, 6438, 6444, 6495, 6519, 6528, 6554, 6558,
पर्यटन	:	6429, 6440, 6441, 6478, 6485, 6488, 6503, 6511, 6515, 6518, 6530, 6565, 6591,
जल संसाधन	:	6365, 6369, 6370, 6378, 6380, 6382, 6383, 6384, 6397, 6398, 6403, 6409, 6412, 6416, 6418, 6422, 6426, 6436, 6442, 6463, 6465, 6470, 6473, 6474, 6476, 6483, 6484, 6490, 6491, 6501, 6514, 6540, 6541, 6548, 6564, 6568, 6573.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/10/34/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।